सर्वे भवन्तु सुखिनः

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

वार्षिक रिपोर्ट

2014-15

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

वार्षिक रिपोर्ट

2014 – 2015

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
मानव अधिकार भवन, सी–ब्लॉक,
जी.पी.ओ. कॉम्प्लैक्स, आई.एन.ए., नई दिल्ली–110023, भारत

www.nhrc.nic.in

वार्षिक रिपोर्ट 2014–2015

विषय – वस्तु

अध्याय–1	परिचय			13
अध्याय–2	मुख्य बिन्दु : 2014–2015			15
अध्याय–3	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग : संगठन तथा कार्य			28
अध्याय–4	नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार			34
	क.	आतंकवाद एवं उग्रवाद		34
	ख.	हिरासत में हिंसा एवं प्रताड़ना		35
	ग.	महत्वपूर्ण दृष्टांत मामले		35
		क.	हिरासत में मौत	36
			न्यायिक हिरासत	36
		1.	श्रीगंगानगर केन्द्रीय कारागार, राजस्थान के प्राधिकारियों द्वारा चिकित्सा उपचार में लापरवाही के सजायाफ्ता की मौत (मामला सं. 348/20/26/2013–जेसीड़ी)	36
		2.	केन्द्रीय कारागार त्रिची जिला, तमिलनाडु के अधिकारियों द्वारा चिकित्सा उपचार में लापरवाही के कारण कैदी की मौत (मामला सं. 1551/22/36/2011–जेसीड़ी)	39
		3.	केन्द्रीय कारा, कड़प्पा, आंध्रप्रदेश में विचाराधीन की मौत (मामला सं. 739/1/3/08–09 –जेसीड़ी)	40
		4.	सदर, दादरी, भिवानी, हरियाणा के पुलिस थाने के लॉकअप में एक आरोपी की मौत (मामला सं. 898/7/2/2012 – पीसीड़ी)	42
		5.	आजमगढ़ उत्तरप्रदेश में पुलिस हिरासत में आत्महत्या (मामला सं0 16296/24/6/2011– पीसीड़ी)	43
		6.	अंबाजी पुलिस थाना, जिला बानसकांठा, गुजरात में हिरासत में मौत (मामला सं0 237/6/4/08–09 – पीसीड़ी)	45
		7.	अहमदनगर, महाराष्ट्र में बंदीगृह की छत में लगाए गए लोहे की रॉड से लटकने के कारण विचाराधीन की मृत्यु (मामला सं0 4099/13/1/08–09)	47
		8.	मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में कथित प्रताड़ना के कारण पुलिस हिरासत में मृत्यु (मामला सं0 40/15/1/2014– एड़ी)	48
	(ख)	गैरकानूनी रूप से गिरफ्तार करना, कैद में रखना एवं प्रताड़ित करना		50
		9.	मुखर्जीनगर थाना, दिल्ली के अंतर्गत दिल्ली पुलिस द्वारा नाबालिक लड़कियों का अपहरण, गैर कानूनी रूप से हिरासत में रखना और बालात्कार का प्रयास करना (मामला सं0 6232/30/6/2013)	50
		10.	स्पेशल स्टाफ, होड़ल हरियाणा द्वारा अवैध रूप से बंदी बनाना एवं पूछताछ के दौरान प्रताड़ित करना। (मामला सं0 1308/7/22/2012)	52
		11.	शेखपुर पुलिस, बिहार द्वारा दो व्यक्तियों को झूठे मामले में फंसाना एवं प्रताड़ित करना।(मामला सं0 349/4/34/2013)	52
	(ग)	पुलिस द्वारा बलात्कार		54
		12.	पुलिस लाइंस मंड़ी, हिमाचल प्रदेश में तीन कांस्टेबल द्वारा एक महिला का सामूहिक बलात्कार	54

		(मामला सं0 120/8/8/2013–डब्लू सी)	
		अर्द्ध – सैनिक/रक्षा बलों की हिरासत	55
	(घ)	पुलिस की दादागीरी	55
		13. अनुसूचित जाति के व्यक्ति, जिसकी आधी जली लाश कालाधुंगी, हल्दवानी रोड़, उत्तराखंड में पाई गई थी, की हत्या के मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई न करना (मामला सं0 1684/35/7/2012)	56
		14. गांव–पोघट–भिवानी, जिला–हरियाणा में पुलिस द्वारा हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज न करना (मामला सं0 3072/7/2/2012)	56
		15. मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को पूर्णिया, बिहार में रेलवे पुलिस द्वारा निर्दयतापूर्वक पिटाई। (मामला सं0 3847/4/27/2013)	57
		16. जलंधर, पंजाब में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के 21 अफ्रीकी छात्रों के साथ पुलिस द्वारा भेद–भाव (मामला सं0 1653/19/8/2013)	58
		17. उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के मल्खाना थाने में पटाखे के बैग में विस्फोट होने के कारण चार चौकीदारों का झुलस जाना (मामला सं0 7876/24/54/2014)	58
		18. पुणे में आरटीआई कार्यकर्ता की आत्महत्या के बारे में ''बियोंड हेडलाइंस'' में प्रकाशित न्यूज का स्वतः संज्ञान (मामला संख्या 816/13/23/2014)	59
	(ड.)	पुलिस मुठभेड या गोलीबारी	60
		19. वराणसी, उत्तर प्रदेश में पुलिस मुठभेड़ में एक व्यक्ति की मृत्यु (मामला सं0 7477/24/2006–2007)	60
		20. अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में फर्जी मुठभेड़ में एसओजी पुलिस द्वारा एक व्यक्ति की मृत्यु (मामला सं0 47628/24/3/08–09 – एएफई)	62
		21. दिलशाद गार्डन, दिल्ली में पुलिस मुठभेड़ में मौत (मामला सं0 4693/30/2005–2006)	66
		22. कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में पुलिस फायरिंग में युवक की मौत (मामला सं0 4696/30/1/2013)	67
		23. दिल्ली में पुलिस कांस्टेबल द्वारा नशे में की गई फायरिंग में 12 वर्ष के एक बच्चे की मौत (मामला सं0 2064/30/4/2012)	70
	(च)	अर्द्ध सैनिक बलों द्वारा मुठभेड़ अथवा फायरिंग	71
		24. अनंतपुर बोर्डर पर सीमा सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी में बांग्लादेश की एक लड़की की मौत (मामला सं0 7/99/4/2011 – पी.एफ.)	71
	(छ)	जेलों में स्थिति	72
		25. सजा पूरी होने के बाद भी इटावा जिला जेल में कैदी का पड़े रहना (मामला सं0 36219/24/23/2013)	72
	(ज)	करंट लगने के मामले	73
		26. डाबरी, दिल्ली में करंट लगने से पच्चीस वर्षीय युवक की मौत (मामला सं0 3849/30/0/2013)	73
		27. फतेहपुर जिला, उत्तर प्रदेश में करंट लगने से एक निजी बस में चौदह व्यक्तियों की मौत। (मामला सं0 43616/24/27/2012)	75

		28. जंगीर जिला, छत्तीसगढ़ के एक गांव में बिजली का करंट लगने से दो लड़कों की मृत्यु एवं अन्य का घायल होना। (मामला सं0 715/33/6/2013)	76
		29. उड़ीसा राज्य के कोरापुट के बारागुड़ा गांव में करंट लगने से एक जनजातीय महिला की मौत और तीन व्यक्तियों का घायल होना। (मामला सं0 2043/18/8/2014)	77
	(झ)	प्रदूषण एवं पर्यावरण	78
		30. जम्मू और कश्मीर के रिएसी जिला के माहौर तहसील में जुड्डा दंसल गांव में स्टोन क्रशर की यूनिट लगाने से प्रदूषण	78
		31. "पर्यावरण की स्थिति को कचरे से खतरा" के बारे में एक न्यूज रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान (मामला सं0 2275/30/2014)	79
	(ञ)	अन्य मामले	80
		32. मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के एक गांव में जादू–टोना करने के आरोपी एक व्यक्ति को मानव मल खाने के लिए मजबूर किया गया (मामला सं0 33/15/2/2013)	80
		33. छमोह, मध्यप्रदेश के क्रिश्चन मेडिकल एवं सेंटर स्कूल एवं कॉलेज से नर्सिंग करने वाले स्नातकों को डिग्री देने से मना करना। (मामला सं0 150/12/12/2014)	81
		34. केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा छात्रों एवं उनके साथ जाने वाले शिक्षकों के साथ कथित अमानवीय बर्ताव (मामला सं0 7289/30/3/2014)	82
		35. बिहार के नवादा जिले में जादू–टोना करने के आरोप में महिला की हत्या और उसके पति को कैद में रखना। (मामला सं0 920/4/25/2015 – डब्ल्यूसी)	85
		36. उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में चंदनपुर में उत्तरहाना, यूजीएमई विद्यालय में कक्षा में अलमीरा गिरने से सात वर्ष के एक छात्र की मृत्यु (मामला सं0 1962/18/12/2013)	87
		37. कटक और खुर्दा जिले में कथित दूषित औषधिय मिश्रण पीने से 41 व्यक्तियों की मृत्यु (मामला सं0 557/18/3/2012)	88
		38. हरियाणा के जिंद जिले के 30 गांवों में बिजली की कटौती के दौरान पीने के पानी की कमी (मामला सं0 57/30/7/8/2014)	89
	घ.	जेलों की स्थिति	89
	(क)	जेल का दौरा	89
	(ख)	जेलों में जनसंख्या का विश्लेषण	91
	ङ	जेल सुधार	92
	(क)	जेल सुधार पर राष्ट्रीय संगोष्ठी	92
	(ख)	कारावास अधिनियम, 1894 में संशोधन करने के लिए रा.मा.अ.आ. में विशेषज्ञ समिति का गठन।	94
	च.	अनुसंधान परियोजना	95
		उत्तर प्रदेश राज्य में विचाराधीन कैदियों का प्रायोगिक अध्ययन	95
अध्याय–5		**प्रसार**	96
	क.	आयोग की बैठक	96
	ख.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की कैम्प बैठक और खुली सुनवाई	96
	ग.	सांविधिक पूर्ण आयोग की बैठक	99

	घ.	विशेष प्रतिवेदक	100
	ड.	कोर और विशेषज्ञ समिति	101
अध्याय–6		**स्वास्थ्य का अधिकार**	103
	क.	सिलिकॉसिस	104
	ख.	मसौदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2015 पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टिप्पणियां	115
	ग.	स्वास्थ्य संबंधी कोर परामर्शी समूह का पुनर्गठन	119
	घ.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा निपटाए गए स्वास्थ्य संबंधी दृष्टांत मामले	120
	1.	छत्तीसगढ़ के धमातरी जिले में बागभेरा में लगे आंख के शिविर में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण 15 मरीजों की आंख की रोशनी चली जाना (739/33/4/2012)	120
	2.	उत्तर प्रदेश के बलिया के जिला अस्पताल में चिकित्सीय लापरवाही के कारण नवजात शिशु की मृत्यु (मामला सं0 25612/24/10/2013)	122
	3.	सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति न होने के कारण मरीजों की मृत्यु (मामला सं0 7841/30/4/2012)	123
	4.	अस्पताल प्राधिकारियों की लापरवाही के कारण दो गर्भवती महिलाओं ने सार्वजनिक स्थान पर बच्चों को जन्म दिया (मामला सं0 128/6/23/2012)	125
	5.	गरीब महिला ने भोपाल, मध्य प्रदेश में बंध्याकरण ऑपरेशन कराने के बाद भी बच्चे को जन्म दिया (मामला सं0 3446/12/8/2014)	125
	6.	राज्य सरकार द्वारा तखतपुर ब्लॉक, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में आयोजित बंध्याकरण शिविर में बंध्याकरण ऑपरेशन करने के बाद 12 महिलाओं की मृत्यु (मामला सं0 943/33/2/2014)	126
	7.	ओडिशा के जिला भद्रक में चांदबाली सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र में चिकित्सीय लापरवाही के कारण दो नवजात शिशुओं की मृत्यु (मामला सं0 2463/18/18/2013)	127
	8.	अस्पताल के स्टॉफ की लापरवाही के कारण असम के दरंग सिविल अस्पताल में पांच मरीजों को एच0आई0वी0 पॉजिटिव रक्त चढ़ा (मामला संख्या 206/3/3/2013)	129
	9.	दिल्ली के दीनदयाल अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण घायल आशुतोष शर्मा की टांगों को काटना पड़ा (मामला संख्या 2185/30/9/2013)	130
	10.	राजस्थान के करुली में सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण तीन वर्ष के बच्चे की मृत्यु (मामला संख्या 2321/20/20/2011)	131
	11.	राजस्थान के जिला पाल में सरकार द्वारा में चलाए जा रहे अमृत कौर अस्पताल के शव गृह में मुर्दे को चूहों द्वारा खाया जाना (मामला संख्या 227/20/19/2012)	132
	12.	उत्तर प्रदेश में लखनऊ ट्रामा सेन्टर के डाक्टर की लापरवाही से महिला की मौत (मामला संख्या 26885/24/48/2011)	133
	13.	"भारत में जच्चाओं की मौतों की संख्या सबसे अधिक" शीर्षक से छपे समाचार का स्वातः संज्ञान (मामला संख्या 22/90/0/2014–डब्ल्यू0सी0)	134

	14.	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा तमिलनाडु में नकली और झोलाछाप डाक्टरों का स्वातः संज्ञान लेना (मामला संख्या 1892/22/6/2014)	134
	15.	माता–पिता और वरिष्ठ नागरिक देखभाल एवं कल्याण अधिनियम, 2007 का गैर–कार्यान्वयन (मामला संख्या 86/30/0/2014)	136
	16.	भटिंडा, पंजाब की गुरु गोबिन्द सिंह रिफाइनरी से निकलने वाले गहरे धुंए के कारण हरियाणा के सिरसा जिले में रहने वाले निवासियों को पेश आ रही स्वास्थ्य समस्याएं (मामला संख्या 8051/7/18/2014)	137
	17.	पूरे भारत में और विशेषतः दिल्ली एवं मुम्बई में एच0आई0वी0 के मरीजों के लिए दवाईयों की कमी (मामला संख्या 6223/30/0/2014)	137
	18.	पेयजल में अनुमेय सीमा से अधिक मात्रा में फ्लोराईड होने के कारण कई राज्यों के निवासियों के स्वास्थ्य को खतरा (मामला संख्या 3094/20/0/2014)	138
	19.	108 आवश्यक औषधियों की कीमतों में मनमानी बढ़ोतरी (मामला संख्या 8/30/0/2015)	139
	20.	''दिल्ली के अस्पतालों में स्टॉफ की गंभीर कमी'' शीर्षक वाले समाचार पर स्वतः संज्ञान (मामला संख्या 5407/30/0/2014)	140
	21.	''स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टरों की गैर–हाजिरी, सख्ती की गई'' शीर्षक वाले समाचार पर स्वतः संज्ञान (मामला संख्या 2659/30/0/2014)	141
	22.	''पानीपत में सर्जरी के बाद 19 लोग अंधे'' शीर्षक वाले समाचार पर स्वतः संज्ञान (मामला संख्या 2703/7/15/2014)	141
अध्याय–7		**भोजन का अधिकार**	143
	क.	बिहार एवं उत्तर प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के बीच भोजन के अधिकार की वर्तमान स्थिति का अध्ययन	145
	ख.	सार्वभौमिक आवधिक पुनरीक्षा के द्वितीय चक्र के तहत भोजन के अधिकार से संबंधित सिफारिशों की मॉनीटरिंग	146
	ग.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा भोजन के अधिकार के संबंध में निपटाए गए दृष्टांत मामले	146
		1. अट्टापड्डी क्षेत्र, केरल में कुपोषण के कारण नवजात शिशुओं की मृत्यु (मामला संख्या 443/11/10/2013)	146
		2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत लाभार्थियों की पहचान में असफलता (मामला संख्या 3623/4/0/2014)	147
		3. ''भुखमरी से हुई मौतों ने बंगाल चाय राष्ट्र को पंगु बनाया'' शीर्षक वाले समाचार का स्वतः संज्ञान (मामला संख्या 1041/25/10/2014)	148
		4. ''मिड–डे मील के कारण 350 बच्चे अस्पताल में' शीर्षक वाले समाचार का स्वतः संज्ञान (मामला संख्या 807/10/1/2014)	149
		5. उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल में परोसे जाने वाले दूषित मिड–डे मील के कारण विद्यार्थी बीमार पड़े (मामला संख्या 35370/24/7/2013)	149

अध्याय–8		शिक्षा का अधिकार	151
	क.	सार्वभौमिक आवधिक पुनरीक्षा के द्वितीय चक्र के तहत बच्चों के शिक्षा के अधिकार संबंधी सिफारिशों की मॉनीटरिंग	151
	ख.	शिक्षा के अधिकार संबंधी दृष्टांत मामले	152
		1. मिडिल स्कूल तथा प्राईमरी स्कूलों की कमी के कारण बिहार में बच्चे मीलों चलने को बाध्य (मामला संख्या 2199/4/0/2014)	152
अध्याय–9		अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के अधिकार	154
	क.	दलितों के प्रति होने वाले अत्याचार संबंधी अध्ययन : तमिलनाडु में विशेष न्यायालयों के कार्यनिष्पादन संबंधी एक अनुभवाश्रित अध्ययन	155
	ख.	बंधुआ मजदूरी प्रणाली	155
	ग.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बंधुआ मजदूरी कोर ग्रुप की बैठक	155
	घ.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा निपटाए गए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर समूहों से संबंधित दृष्टांत मामले	156
		1. जिला धेनकनल, ओडिशा में ओल्ड एज पेंशन से संबंधित निधियों का अपाहरण (मामला संख्या 2041/18/4/2014)	156
		2. ओडिशा में महीचापल्ली, राजनगर तथा केन्द्रपारा के सेल्फ हेल्प ग्रुप के सचिव द्वारा आत्महत्या (मामला संख्या 119/18/27/2011)	157
		3. जिला जयपुर के सालीजंग ग्राम पंचायत के बलिआपाल राजस्व ग्राम के तहत साहूपाड़ा तथा माझीसाही जैसे छोटे गांवो के अनुसूचित जाति के परिवारों को सुरक्षित पेयजल की अनुपलब्धता (मामला संख्या 1859/18/24/2014)	158
		4. छत्तीसगढ़ के जिला कोरबा के घुंघुटी गांव में दो जनजातीय परिवारों का सामाजिक बहिष्कार (मामला संख्या 307/33/10/2014)	159
		5. पंजाब के संगरुर जिला के मूनक उप–मंडल के ग्राम बाओपुर में अनुसूचित जाति के 106 परिवारों का सामजिक बहिष्कार (मामला संख्या 563/19/18/2014)	160
		6. आंध्र प्रदेश में पादरी रेव. बी. सजीवुलू, विकाराबाद, रंगारेड्डी की हत्या और इसाईयों पर अन्य अत्याचार (मामला संख्या 157/1/18/2014)	161
		7. वसंत कुंज, नई दिल्ली में सेंट अलफोन्जा चर्च पर हमला (मामला संख्या 512/30/8/2015)	161
		8. तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले के पोन्नेरी मंडल में एस0डी0एम0 तथा आर0डी0ओ0 द्वारा 13 मजदूरों का पुनर्वास (मामला संख्या 2840/18/30/2012–बी.एल.)	163
		9. तमिलनाडु के जिला तिरुपुर ग्राम थेरपट्टी में एक ईंट के भट्टे में बंधुआ मजदूर काम करते हुए पाए गए (मामला संख्या 1011/22/52/2012)	164
		10. बिहार में बंधुआ की 'कामिया' प्रथा के तहत बंधुआ मजदूरों का बचाव, रिहाई तथा पुनर्वास (मामला संख्या 4187/4/21/2014–बी0एल0)	169

		11. उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर तथा वाराणसी जिलों में विद्यमान बंधुआ श्रम के संबंध में स्वतः संज्ञान (मामला संख्या 10928/24/72/2014–बी0एल0)	173
		12. हरियाणा के जिला झज्जर, बहादुरगढ़ के ग्राम बमनौली जौंती बॉर्डर में ईंट के भट्टे में कार्य करने वाले बंधुआ मजदूरों के 35 से अधिक परिवारों का शारीरिक शोषण (मामला संख्या 4684/7/7/2014–बी0एल0)	174
		13. दिल्ली के बवाना औद्योगिक क्षेत्र में प्रबंधन की लापरवाही के कारण एक फैक्टरी में तीन मजदूरों की मृत्यु तथा तीन अन्य को चोट आई (मामला संख्या 1059/30/0/2014)	176
		14. पात्र मजदूरों को ''असंगठित कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008'' के तहत लाभ प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा बोर्डों, राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्डों और मजदूर सुविधा केन्द्रों का गैर–विन्यास तथा असंगठित मजदूरों का गैर–पंजीकरण (मामला संख्या 5706/30/0/2014)	177
अध्याय–10		**महिलाओं और बच्चों के अधिकार**	179
	क.	महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की अन्य पहलू से पड़ताल कर्ताओं की दुनिया का अन्वेषणात्मक अध्ययन	180
	ख.	सीईडी ए डबल्यू के 58वें सत्र में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की भागीदारी	180
	ग.	भारत में मानव अवैध व्यापार पर राष्ट्रीय अनुसंधान	181
	घ.	तीकरे लिंग के रूप में ट्रांसजेंडर के मानव अधिकारों का अध्ययन	181
	ड.	किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) विधेयक 2014 पर चर्चा हेतु राष्ट्रीय कार्यशाला	182
	च.	केरल में प्रवासी मजदूरों के बच्चों को शिक्षा के अधिकार से संबंधित मानव अधिकार विषयों पर अनुसंधान अध्ययन	186
	छ.	द्वितीय सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा से संबंधित महिलाओं/यौन एवं जनन स्वास्थ्य अधिकारों बच्चों के अधिकारों पर संस्कृतियों की मानीटरिंग	187
	ज.	राष्ट्रीय मानव द्वारा महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित निपटाए गए दृष्टांत मामले	189
	1.	मध्य प्रदेश के सागर के जिला अस्पताल के तीन कर्मचारियों द्वारा 28 वर्षीय महिला का बलात्कार (मामला संख्या 92/12/8/2013–डब्ल्यू0सी0)	189
	2.	मध्य प्रदेश के गांव वालों के नवीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक द्वारा कक्षा–3 की लड़की से बलात्कार (केस सं0 365/12/27/2013–डब्ल्यू.सी.)	190
	3.	आइडीयल इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेंट एण्ड टेक्नॉलजी, कड़कड़डूमा, दिल्ली के स्टॉफ द्वारा छात्रा से छेड़छाड़ (मामला सं0 196/30/2/2013)	191
	4.	लुधियाना, पंजाब में एसिड हमले में सुश्री हरप्रीत कौर की मौत (मामला सं0 99/19/10/2014–डब्ल्यू.सी.)	192
	5.	हरियाणा के सोनीपत जिले के गांव देवरू में बलदेव, उसकी पत्नी तथा छोटी बेटी पर एसिड हमला (मामला संख्या 1572/7/19/2014)	192
	6.	सिविल लाइन, इलाहाबाद में महिला से बालत्कार (मामला संख्या 42028/24/4/2013)	193
	7.	भुवनेश्वर, ओडिशा में 20 वर्षीय बालिका प्रशिक्षु पर यौन हमला (मामला संख्या 2296/18/28/2013)	193

	8.	यौन उत्पीड़न के कारण मुंबई में राज्य विधान सभा परिसर में महिला पुलिस कांस्टेबल द्वारा आत्महत्या का प्रयास (मामला सं0 855/13/16/2013–डब्ल्यू.सी.)	194
	9.	बिहार के लखीसराय में रेलवे स्टेशन में कियुल–गया पैसेंजर ट्रेन की बोगी में तीन व्यक्तियों द्वारा महिला से बलात्कार (मामला संख्या 1037/4/19/2013–डब्ल्यू सी)	195
	10.	गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में बच्चों का गुम होना (मामला संख्या 22368/24/31/2012)	196
	11.	गत 5 वर्षों के दौरान हरिद्वार, उत्तराखण्ड से 157 बच्चे लापता हुए (मामला संख्या 124/35/6/2013)	199
	12.	बालगृह में उत्पीड़न के कारण बच्चे द्वारा आत्महत्या (मामला संख्या 4177/4/2005–2006)	200
	13.	जिला मधेपुरा, बिहार में बाल–विवाह का आपतन (मामला संख्या 676/4/20/2013)	201
अध्याय–11		**वृद्धजनों के अधिकार**	202
	क.	अभिभावक एवं वरिष्ठ नागरिक देखभाल एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के संदर्भ में वृद्ध लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करने संबंधी राष्ट्रीय परामर्शी बैठक	203
	ख.	रा0मा0अ0आ0 द्वारा निपटाए गए वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों संबंधी दृष्टांत मामले	204
	1	उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में गांव प्यारेपुर के निवासियों के वृद्धावस्था पेंशन सहित सामाजिक कल्याण योजनाओं से वंचित करना (मामला संख्या 37687/24/24/2013)	204
	2.	कृषि भूमि पर विवाद के संबंध में गांव चिकोड़ी में वृद्ध अभिभावकों का शोषण एवं उत्पीड़न (मामला संख्या 13/10/2/2013)	204
	3.	मृतक कर्मचारी के पीफ/इडीएलआई दावे के भुगतान में देरी (मामला संख्या 18662012/5/25)	205
	4.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार से सेवानिवृत्त अनुसूचित जाति के कर्मचारी को पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान नहीं करना (मामला संख्या 507/3/9/2014)	207
अध्याय–12		**अशक्त व्यक्तियों के अधिकार**	209
	क.	मानसिक स्वास्थ्य	210
	ख.	मानसिक स्वास्थ्य एवं मानव अधिकारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन	214
	ग.	अशक्त व्यक्तियों के संबंध में रा.मा.अ.आ. संस्थानों की बैठक, स्वतंत्र मॉनीटरिंग यंत्रावली तथा समिति	216
	घ.	अशक्त व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, 2014	216
	ड.	कुष्ठ रोग पर जागरुकता कार्यक्रम	217
	च.	मानसिक स्वास्थ्य देखरेख विधेयक, 2013 पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग	217
	छ.	मानव अधिकार आयोग द्वारा कार्यवाही की जा रही दिव्यांग लोगों से संबंधित उदाहरणार्थ मामलें :	221
		1. तिरूवनन्तपुरम जिले में टी.टी.आई. मनकौड के द्वितीय तल पर केरल लोक सेवा आयोग द्वारा दिव्यांग लोगों के लिए विशेष भर्ती परीक्षा का आयोजन(मामला संख्या 406/11/12/2014)	221
		2. रेल प्राधिकारियों द्वारा दिव्यांग लड़की का उत्पीड़न (मामला संख्या 975/24/57/2014)	222
		3. बांसवाड़ा, राजस्थान में विद्यालय छात्रावास में एक दिव्यांग लड़की का उत्पीड़न (मामला संख्या 136/20/3/2014–डब्ल्यू. सी.)	222

अध्याय–13		मानव अधिकार शिक्षा, प्रशिक्षण एवं जागरूकता	225
	क.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	225
	ख.	भारत के चयनीत 28 जिलों में मानव अधिकार जागरूकता एवं सुकर निर्धारण तथा मानव अधिकार कार्यक्रम का प्रर्वतन	225
	ग.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में हिंदी पखवाड़ा	226
	घ.	मानव अधिकार दिवस एवं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रकाशन	227
	ड.	ग्रीष्म एवं शीतकालीन अंतः शिक्षुता कार्यक्रम	227
	च.	अल्पकालीन अंतः शिक्षुता कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का दौरा	227
	छ.	आर.पी.एम. परिवीक्षाधीनों का संयोजन	228
	ज.	हिंदी में राष्ट्रीय संगोष्ठी	228
	झ.	त्रिभाषी मानव अधिकार शब्दावली	228
	ण.	पुरस्कृत पुस्तकों का अनुवाद	229
	त.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मीडिया के साथ सूचना एवं विचार–विमर्श का प्रचार	229
अध्याय–14		मानव अधिकार समर्थक	231
	क.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में मानव अधिकार समर्थकों के लिए फोकल–प्वाइंट	231
	ग	मानव अधिकार समर्थकों पर राष्ट्रीय कार्यशाला	232
	घ.	मानव अधिकार समर्थकों के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा सुने गए मामले।	234
		1. केरल में मानव अधिकार समर्थकों की गिरफ्तारी : (मामला संख्या 74/11/8/2015)	234
		2. जिला अधिकारियों के खिलाफ शिकायत के लिए आर.टी.आई. कार्यकर्त्ता का उत्पीड़न (मामला संख्या 13054/24/31/2014)	235
		3. पुणे में आर.टी.आई. कार्यकर्त्ता का आत्महत्या करना। (मामला संख्या 316/13/23/2014)	235
		4. मानव अधिकार कार्यकर्त्ता के मानव अधिकारों का उल्लंघन (मामला संख्या 2280/18/07/2014)	236
		5. अस्सी वर्षीय मानव अधिकार कार्यकर्त्ता पर हमला (मामला संख्या 530/13/14/2015)	237
		6. महिला मानव अधिकार समर्थ की गिरफ्तारी (मामला संख्या 1562/12/2/2013)	237
		7. मानव अधिकर समर्थक की अवैध गिरफ्तारी एवं उत्पीड़न (मामला संख्या 31/14/12/2013)	238
अध्याय–15		अंतरराष्ट्रीय सहयोग	240
	1.	राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं के एशिया पेसिफिक फॉरम के साथ सहयोग	240
		ख. मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए राष्ट्रीय संस्थाओं की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति के साथ सहयोग	242
		ग. अन्य अन्तर्राष्ट्रीय बैठक एवं कार्यक्रमों में रा.मा.अ.आ. का शामिल होना	243
		घ. आयोग में विदेशी प्रतिनिधियों के साथ विचार–विमर्श	244
अध्याय–16		राज्य मानव अधिकार आयोग	246
अध्याय–17		प्रशासन एवं संभारकीय सहायता	248
	क.	कर्मचारी	248
	ख.	राजभाषा का प्रयोग	248
	ग.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की लाइब्रेरी	248

	घ.	सूचना का अधिकार	250
अध्याय–18		**राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संस्तुतियों की अस्वीकृति**	251
अध्याय–19		**महत्वपूर्ण संस्तुतियों एवं टिप्पणियों का सार**	253
अनुलग्नक	1.	01.04.2014 से 31.03.2015 तक दर्ज किए गए मामलों की संख्या दर्शाने वाली तालिका	264
	2.	2014–2015 के दौरान निपटाए गए मामले दर्शाने वाली तालिका	265
	3.	31.03.2015 तक लंबित मामलों की संख्या दर्शाने वाली तालिका	266
	4.	2014–2015 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा वित्तीय राहत हेतु संस्तुत मामलों की कुल संख्या	267
	5.	वित्तीय राहत के भुगतान हेतु 2014–15 के दौरान आयोग द्वारा संस्तुत अनुपालन के लिए लंबित मामलों का विवरण	269
	6.	वित्तीय राहत के भुगतान हेतु 2013–14 के दौरान आयोग द्वारा संस्तुत अनुपालन के लिए लंबित मामलों का विवरण	276
	7.	वित्तीय राहत/अनुशासनात्मक कार्रवाई/अभियोजन हेतु 1998–1999 से 2012–2013 तक आयोग द्वारा संस्तुत अनुपालन हेतु लंबित मामलों का विवरण	284
	8.	भारत की संयुक्त चौथी एवं पांचवी रिपोर्ट : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग – भारत भारत में सी.ई.डी.ए. डब्ल्यू. के कार्यान्वयन के संबंध में महिला भेदभाव उन्मूलन समिति को प्रस्तुत – भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की लिखित प्रस्तुति	288
	9.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और महिलाओं के प्रति भेदभाव को दूर करने संबंधी समिति के बीच दिनांक 30 जून, 2014 को हुई अनौपचारिक बैठक में भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायविद श्री के0जी0 बालकृष्ण का मौखिक साक्ष्य सी0ई0डी0ए0डब्ल्यू0के0 समिति के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण,	296
	10.	मानसिक स्वास्थ्य एवं मानव अधिकारों के संबंध में राष्ट्रीय कांफ्रेंस की सिफारिशें	299
	11	वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की स्थिति	303
	12	उत्तरी सिक्किम जिले में मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता एवं मानव अधिकार कार्यक्रम के मूल्यांकन एवं प्रवर्तन की सुविधा (25–29 जून 2014)	311
	13.	गंगटोक सिक्किम में मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता एवं मानव अधिकार कार्यक्रम के मूल्यांकन एवं प्रवर्तन की सुविधा के संबंध में आयोजित कार्यशाला – सिफारिशें और संयुक्त कार्रवाई (27 जून 2014)	327
	14.	उन मामलों का विवरण जिनमें मुआवजा/वित्तीय राहत के भुगतान हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संस्तुतियों को केन्द्र/राज्य सरकारों ने अस्वीकृत कर दिया।	329
	15.	उन मामलों का विवरण जिनमें मुआवजा/वित्तीय राहत के भुगतान हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संस्तुतियों को केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा चुनौती दी गई।	330
चार्ट एवं ग्राफ	1.	2014–2015 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में दर्ज मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या का ग्राफ	331
	2.	2014–2015 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में दर्ज मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या का चार्ट	332
	3.	2014–2015 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में स्वतः संज्ञान	333

		के रूप में दर्ज मामलों की संख्या संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ग्राफ	
	4.	2014–2015 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में स्वतः संज्ञान के रूप में दर्ज मामलों की संख्या संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार चार्ट	334
	5.	2014–2015 के दौरान हिरासत में मौतों/बलात्कारों से संबंधित राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में दर्ज सूचना संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ग्राफ	335
	6.	2014–2015 के दौरान हिरासत (न्यायिक) में मौतों/बलात्कारों से संबंधित राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में दर्ज सूचना संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार चार्ट	336
	7.	2014–2015 के दौरान हिरासत (पुलिस) में मौतों/बलात्कारों से संबंधित राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में दर्ज सूचना संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार चार्ट	337
	8.	2014–2015 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से राज्य मानव अधिकार आयोग को स्थानांतरित किए गए मामलों से संबंधित ग्राफ	338
	9.	2014–2015 के दौरान आयोग द्वारा निपटाए गए रिपोर्ट मामलों की संख्या संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ग्राफ	339
	10.	2014–2015 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा 'प्रसंग में' खारिज मामलों संबंधी चार्ट	340
	11.	2014–2015 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा निर्देशों सहित निपटाए गए मामलों संबंधी चार्ट	341
	12.	2014–2015 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा राज्य मानव अधिकार आयोग को स्थानांतरित मामलों संबंधी चार्ट	342
	13.	2014–2015 के दौरा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा निपटाए गए मामलों को दर्शाने वाला चार्ट	343
संक्षिप्तियाँ			344

अध्याय 1
परिचय

1.1 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की यह रिपोर्ट 1 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015 की अवधि की है। यह आयोग की 22वीं वार्षिक रिपोर्ट है।

1.2 आयोग की 21वीं वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें 1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 की अवधि शामिल है, को की गई कार्रवाई के संबंध में ज्ञापन तैयार करने तथा "मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993" की धारा 20 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत करने के लिए 8 मई, 2015 को केंद्र सरकार को सौंपी गई थी।

1.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान भारत के उच्चत्तम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री के. जी. बालाकृष्णन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष के पद पर बने रहे। न्यायमूर्ति श्री साइरेक जोसेफ (भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश), न्यायमूर्ति श्री डी मुरूगेसन (दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश) एवं श्री एस.सी. सिन्हा (पूर्व महानिदेशक, राष्ट्रीय जांच एजेंसी), जिन्होंने वर्ष 2013 में आयोग में अपना कार्य-भार संभाला, वे आयोग के सदस्य के रूप में काम करते रहे।

1.4 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष उन कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आयोग के सदस्य माने जाएंगे जो पी.एच.आर.ए. की धारा 12 के खंड (ख) से (ञ) में निर्दिष्ट किए गए हैं। तदनुसार पी. एल. पुनिया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, डॉ. रामेश्वर ओरांव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष तथा श्री नसीम अहमद, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मानद सदस्य बने रहे जबकि सुश्री ललिता कुमारमंगलम, राष्ट्रीय महिला आयेाग के अध्यक्ष ने 29 सितम्बर, 2014 को कार्यभार संभाला।

1.5 डॉ. परविंदर सोही बेहूरिया (आई.आर.एस.: 77) के 31 मार्च,2014 को सेवानिवृत्त होने पर उनके स्थान पर श्री राजेश किशोर, भा.प्र.से. (गुजरात: 1980) ने 8 जुलाई, 2014 को रा.मा.अ.आ. के महासचिव एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। रा.मा.अ.आ. में अपना कार्यभारसंभालने से पूर्व श्री राजेश किशोर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (चिकित्सा सेवा एवं चिकित्सा शिक्षा) गुजरात सरकार में अपर मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत थे। श्रीमती कॅवलजीत देवोल, भा.प्र.से. (एजीएमयू:77) रा.मा.अ.आ. में महानिदेशक के रूप में कार्य करते रहे तथा 31 अक्तूबर, 2014 को सेवानिवृत्त हुए। श्री ए.के. गर्ग एवं श्री जे.एस. कोचर (आईईएस: 1986), रा.मा.अ.आ. में क्रमश: रजिस्ट्रार (विधि) एवं संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण एवं अनुसंधान) के रूप में कार्य करते रहे। 27 अक्तूबर, 2014 को डॉ. रंजीत सिंह ने संयुक्त सचिव (कार्यक्रम एवं प्रशासन) के रूप में रा.मा.अ.आ. में पद संभाला। आयोगमें पदभार संभालने से पूर्व वे कर्नल (गार्ड), मुख्यालय अमृतसर छावनी के रूप में कार्यरत थे।

1.6 समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग ने अपनी सांविधि की धारा12 के अंतर्गत अपने लिए परिकल्पित विविध कार्योंके अनुरूप व्यापक गतिविधियों पर अपना ध्यान केंद्रित रखा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इन कार्यों का क्षेत्र व्यापक है। निष्कर्षत: सांविधि में आयोग से एक साथ दो

दिशाओं में कार्य करने की अपेक्षा की गई है; पहला तत्काल की गई गलतियों के लिए तत्काल समाधान एवं उपाय करने के लिए; दूसरा दीर्घावधि, पूरे देश में मानव अधिकारों की संस्कृति के विकास के लिए प्रयत्न करना। ये सभी आपस में संबंधित हैं। एक साथ मिलकर उन्होंने उन मुद्दों को निर्धारित किया है, जिन पर आयोग द्वारा अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

1.7 तदनुसार आयोग हिरासतीय हिंसा तथा बलात्कार, पुलिस हिरासत में मौत, अवैध रूप से बंदी बनाना तथा प्रताड़ना, पुलिस की दादागिरी, पुलिस एवं अर्द्सैनिक बलों की गोलीबारी एवं मुठभेड़ में मौत, समाज के कमजोर वर्गों- महिलाओं, बच्चों, अशक्तों एवं बुजुर्गों के विरूद्ध अत्याचार, जो और अधिक बढ़ जाता है यदि वे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते हैं, के संबंध में स्वत: संज्ञान लेने अथवा इनके संबंध में प्राप्त शिकायतों के आधार पर मामलों में लगा रहा। वस्तुत: आयोग ने वर्ष 2012 से देश के विभिन्न भागों में अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध किए गए अत्याचार पर खुली सुनवाई आयोजित करने की प्रक्रिया शुरू की। इनमें से कई अत्याचार पुलिस की निष्क्रियता, पुलिस अधिकारियों द्वारा द्वेषपूर्ण जांच, महिलाओं के विरूद्ध अपराध, यौन उत्पीड़न, सिविल विवाद एवं अन्य हनन से संबंधित है। इन्हीं कारणों से आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित चिंताओं के साथ मानव तस्करी एवं बंधुआ एवं बाल मजदूरी जैसी सामाजिक बुराइयों की ओर आयोग का ध्यान जाता रहा। इसके अतिरिक्त आयोग वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद द्वारा शुरू किए गए भारत के सार्वभौम आवधिक समीक्षा के दूसरे चक्र के रूप में उठायी गई चिंताओं का समाधान करने में लगा रहा। सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा के दूसरे चक्रसे संबंधित ये चिंताएं कुल 67 हैं, ये चिंताएं मुद्दों के रूप में उभर कर आए हैं तथा इसलिए वार्षिक रिपोर्ट के विभिन्न अध्यायों में उनके बारे में बताया गया है। इसके अतिरिक्त, आयोग ने यह सुनिश्चित किया कि मानव अधिकार, शिक्षा एवं प्रशिक्षण के जरिए यह किस प्रकार भारत के विविध एवं बहुलवादी प्रकृति को देखते हुए देश में मानव अधिकार की संस्कृति को बखूबी बहाल कर सकता है।

1.8 इन मामलों के संबंध में रिपोर्ट के आगे दिए खंडों में और अधिक विस्तार से टिप्पणी की गई है।

(एच.एल. दत्तू)
अध्यक्ष

(सिरियक जोसफ)	**(डी. मुरूगेसन)**	**(एस. सी. सिन्हा)**
सदस्य	**सदस्य**	**सदस्य**

नई दिल्ली, ... 2016

* * * * *

अध्याय - 2

मुख्य बिंदु : 2014 - 2015

2.1 मानव अधिकार सार्वभौम विधिक गारंटी है, जो वैसे कृत्य एवं आचरण से व्यक्तियों एवं समूहों की रक्षा करता है, जो मूलभूत आजादी, हक एवं मनुष्य की गरिमा में दखल देता है। मानव अधिकार सभी मनुष्यों में सहज निहित होता है तथा प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा एवं उसकी उपयोगिता के लिए सम्मान की भावना पर टिका है। उनकी उत्पत्ति पोषित मानवीय मूल्यों से होती है जो सभी संस्कृतियों एवं सभ्यताओं में एक जैसे हैं। मानव अधिकारों को मानव अधिकार सार्वभौम घोषणा-पत्र में प्रतिष्ठित किया गया है तथा कई अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार संधियों एव द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अंगीकार किए गए अन्य प्रपत्रों/दस्तावेजों में इन्हें संहिताबद्ध किया गया है, जिनकी पुष्टी राज्यों द्वारा की गई है। क्षेत्रीय मानव अधिकार प्रपत्र भी हैं तथा अधिकांश राज्यों ने वैसे संविधानों एवं अन्य कानूनों को स्वीकार कर लिया है, जो औपचारिक तौर पर बुनियादी मानव अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं की रक्षा करते हैं। एक तरफ जबकि अंतरराष्ट्रीय संधियां एवं प्रचलित कानून संधि नियमों निकाय द्वारा व्याख्या के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार कानून का आधार बनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंगीकार किए गए गैर बाध्यकारी दस्तावेज यथा घोषणापत्र, दिशानिर्देश एवं सिद्धांत इसे समझने, इसे लागू करने तथा विकास में अपना योगदान देते हैं।

2.2 मानव अधिकार सार्वभौम, अत्याज्य, आपस में जुड़े एवं एक दूसरेपर आश्रित एवं अविभाज्य हैं। एक साथ मिलकर ये विशेषताएंयह सुनिश्चित करते हैं कि सभी मानव अधिकारों को चाहे वे नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार अथवा सामूहिक अधिकार हों, सभी लोगों के लिए तथा हर हाल में इसे साकार करना है। एक अधिकार के उपयोग का स्तर दूसरे अधिकार के हासिल करने पर निर्भर है। उदाहरण के लिए वोट देने एवं सार्वजनिक मामलों में भागीदरी करने का अधिकार उसके लिए कोई मायने नहीं रख सकता, जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। इसके अतिरिक्त उनका अर्थपूर्ण उपयोग शिक्षा के अधिकार के पूरा होने पर निर्भर है। इसी प्रकार किसी भी मानव अधिकार के उपयोग में सुधार किसी अन्य अधिकार के उपभोग की कीमत पर नहीं हो सकता। इस प्रकार सिविल अधिकारों को हासिल करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आर्थिक अधिकारों को।

2.3 मानव अधिकारों का महत्व हमे इस आवश्यकता की याद दिलाता है कि हमे समग्र विकास के केंद्र में मनुष्य को रखने की आवश्यकता है तथा हमारे विश्लेषणात्मक लेंस को उसके अनुरूप ढ़ालने की जरूरत है। वर्ष 2013-14 की अपनी पिछली वार्षिक रिपोर्ट में आयोग ने कहा था कि सभी देशों में सभी लोगों के लिए सभी मानव अधिकार हासिल करना 21वीं सदी का लक्ष्य होना चाहिए, जिसमें हर कोई गरिमापूर्ण जीवन जी सके तथा बिना किसी भेद-भाव के भय एवं अभाव से मुक्त रहे। उसी के अनुरूप आयोग ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान देश में नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के उचित कार्यान्वयन पर अपना ध्यान केंद्रित रखा तथा इस प्रक्रिया में लोगों, विशेषरूप से सर्वाधिक कमजोर एवं हाशिए पर खड़े लोगों को सशक्त करने के प्रयास किए।

2.4 आने वाले पैराग्राफों में अप्रैल, 2014 से मार्च,2015 की अवधि के दौरान आयोग द्वारा शुरू किए गए महत्वपूर्ण गतिविधियों की एक झलक दी गई है।

आयोग की बैठकें

2.5 समीक्षाधीन अवधि के दौरान पूर्ण आयोग ने अपनी 57वीं बैठक में मानव अधिकार हनन के कई मामलों पर विचार किया और उस पर अपना निर्णय दिया। इसके अतिरिक्त खंडपीठों ने 45 बैठकों में 477 मामलों पर विचार किया। पूर्ण आयोग ने इसके अतिरिक्त 24 मार्च, 2015 को आयोग के परिसर में आयोजित खुली अदालती सुनवाई में कश्मीरी शरणार्थियों के 8 मामलों को उठाया।

2.6 पीएचआरए की धारा 3(3) के अनुसार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला आयोग के मानद सदस्यों से गठित सांविधिक पूर्ण आयोग ने पीएचआरए की धारा 12 के खण्ड (ख) से (ञ) में निर्दिष्ट कार्यों के निर्वहन के लिए चिंताजनक मामलों पर विचार करने के लिए 3 फरवरी, 2015 को बैठक की।

रा.मा.अ.आ. की शिविर बैठक एवं खुली सुनवाई

2.7 रा.मा.अ.आ. वर्ष 2007-08 तथा 2012-13 से मुख्यत: राज्य की राजधानियों में शिविर बैठकों एवं खुली सुनवाई का आयोजन करता रहा है। शिविर बैठकों का मुख्य उद्देश्य लंबित शिकायतों का शीघ्र निपटान करना तथा राज्य अभिकरणों को विभिन्न मानव अधिकार सरोकारों के बारे में संवेदनशील बनाना है, जिसमें राज्य प्राधिकारियों द्वारा रा.मा.अ.आ. की सिफारिशों के अनुपालन की स्थिति की अनुवर्ती कार्रवाई भी शामिल है। खुली सुनवाई का उद्देश्य अनुसूचित जातियों पर किए गए अत्याचार से संबंधित शिकायतों की सुनवाई तक सीमित है।

2.8 इससे पहले रा.मा.अ.आ. 2 से 3 दिनों की शिविर बैठक तथा खुली सुनवाई अलग-अलग आयोजित करता था, लेकिन समीक्षाधीन अवधि के दौरान इसने 3 दिनों की अवधि के दौरान इन सभी को एक साथ 10-12 सितम्बर, 2014 को भोपाल, मध्य प्रदेश में तथा 26-28 नवम्बर, 2014 तक चंडीगढ़ में (हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के लिए) आयोजित किए। पहला दिन केवल खुली सुनवाई के लिए समर्पित था, दूसरा दिन शिविर बैठक के लिए तथा तीसरा दिन गैर सरकारी संगठनों के अभिकर्ताओं के साथ परस्पर चर्चा के लिए रखा गया जिसके बाद राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई।

रा.मा.अ.आ. की सूचना का प्रसार एवं मीडिया के साथ परस्पर चर्चा

2.9 वर्ष 2011 में आयोग ने अपने विभिन्न प्रभागों को इस तरीके से अपनी गतिविधियों की योजना बनाने तथा उसे आयोजित करने जिससे मीडिया सहित विभिन्न मंचों का प्रभावशाली उपयोग करते हुए आयोग की पहुंच का विस्तार हो, के उद्देश्य से अपने मीडिया एवं संचार यूनिट के माध्यम से मीडिया एवं पहुंच नीति तैयार की।

2.10 रा.मा.अ.आ. की मीडिया एवं पहुंच नीति की तर्ज पर यूनिट ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग द्वारा किए गए विभिन्न हस्तक्षेपों एवं इसके द्वारा शुरू की गई गतिविधियों के बारे में रिकार्ड 210 प्रेस विज्ञप्ति एवं वक्तव्य जारी किए। इसके अतिरिक्त इसने ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन एवं अन्य मीडिया संगठनों के साथ रा.मा.अ.आ. के अध्यक्ष, सदस्यों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के 17 साक्षात्कार एवं 5 प्रेस कांफ्रेंस आयोजित किए। रा.मा.अ.आ. द्वारा आयोजित किए गए दो शिविर बैठकों एवं खुली सुनवाई के लिए प्रेस कांफ्रेंस एवं दिन-प्रतिदिन मीडिया बीफ्रिंग के लिए विशेष प्रयास किए गए। मीडिया को भी राष्ट्रीय स्तर के सभी महत्वपूर्ण सम्मेलनों, सेमीनारों एवं कार्यशालाओं का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया। इसके अतिरिक्त, यूनिट ने विभिन्न मानव अधिकार हनन के बारे में मीडिया रिपोर्टों के आधार पर आयोग के स्वत: संज्ञान के लिए 208 प्रेस क्लीपिंग दिए।

2.11 इसके अतिरिक्त यूनिट ने एक मासिक "मानव अधिकार समाचार पत्र" का अंग्रेजी एवं हिंदी में प्रकाशन किया, जिसमें आयोग द्वारा शुरू किए गए विभिन्न महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में अन्तर्दृष्टि दी गई है तथा सरकार शिक्षा जगत, गैर सरकारी संगठनों एवं सिविल समाज के महत्वपूर्ण साझेदारों को परिचालित किया गया है।

शिकायतों की संख्या एवं इसका स्वरूप

2.12 पूर्व की भांति, आयोग को देश के विभिन्न भागों से व्यापक मामलों पर शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें लोगों के अधिकारों का हनन हुआ था अथवा ऐसे हनन को रोकने में किसी लोक सेवक ने लापरवाही दिखाई थी। इन शिकाययतों में हिरासतीय हिंसा, यातना, फर्जी मुठभेड़ पुलिस की बर्बरता,

सुरक्षा बलों द्वारा किए गए हनन जेलों से संबंधित स्थिति, महिलाओं एवं बच्चों तथा अन्य कमजोर वर्गों पर किए गए अत्याचार, सांप्रदायिक हिंसा, बंधुआ एवं बाल मजदूरी, पुन: सुनवाई के लाभों का भुगतान नहीं करना, सरकारी प्राधिकारियों द्वारा की गई लापरवाही आदि के आरोप वाले मामले शामिल थे। आयोग ने इसके अतिरिक्त पुलिस मुठभेड़ एवं पुलिस हिरासत, न्यायिक हिरासत तथा रक्षा/अर्द्धसैनिक बलों की हिरासत में हुई मौतों के संबंध में प्राप्त सूचनाओं का संज्ञन लिया। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रिपोर्ट के आधार पर कई घटनाओं का स्वत: संज्ञान लिया गया, जिनमें वे मामले भी शामिल थे, जो देश के विभिन्न भागों में दौरे के दौरान अध्यक्ष, सदस्यों, विशेष प्रतिवेदकों तथा वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी में आए।

मानव अधिकार हनन के मामले

2.13 वर्ष 2014-15 के दौरान कुल 1,14,167 मालले आयोग में दर्ज किए गए (अनुलग्नक - I)। इसने 1,02,400 मामलों का निपटान किया, जिसमें पिछले वर्षों के मामले भी शामिल थे। समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग द्वारा निपटाए गए कुल मामलों में से 60,278 मामलों को आरंभ में ही खारिज कर दिया गया जबकि 25,696 मामलों का निपटान उचित प्राधिकरणों को उपचारात्मक उपाय के निर्देश के साथ किया गया। कुल 7,193 ममालों को राज्य मानव अधिकार आयोगों को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निपटान के लिए भेजा गया। वर्ष 2014-15 के दौरान रा.मा.अ.आ. द्वारा निपटाए गए मामलों के राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण के लिए अनुलग्नक -2 देखें। सूचना की अवधि के अंत में, अर्थात, 31 मार्च, 2015 को आयोग के पास लंबित मामलों की कुल संख्या 41,050 थी। इन मामलों में 3,422 मामले ऐसे थे जिन पर प्रारंभिक विचार होना था तथा 37,628 मामले या तो संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट न मिलने के कारण अथवा आयोग द्वारा विचार न किए जाने के कारण लंबित थे (अनुलग्नक -3)

2.14 नीचे दिए गए ग्राफ में वर्ष 2012-13 से 2014-15 में रा.मा.अ.आ. में दर्ज किए मामलों की कुल संख्या का एक तुलनात्मक विश्लेषण दिया गया है।

दर्ज किए गए मामलों की कुल संख्या
(2012-2013 से 2014-2015)

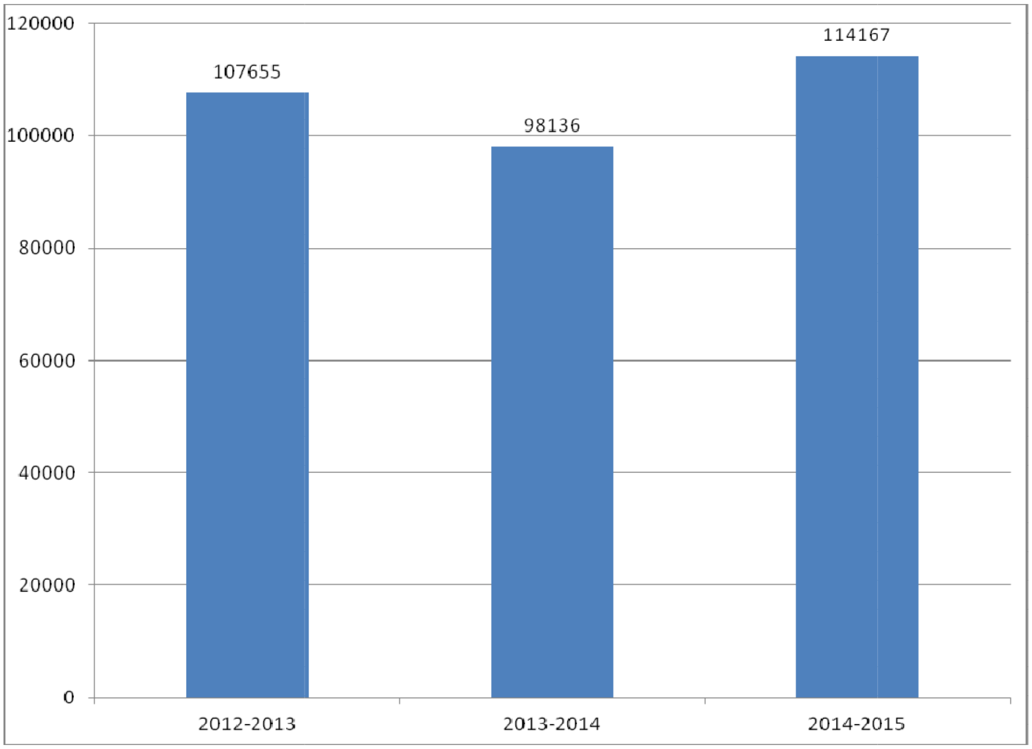

नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार

हिरासतीय हिंसा की रोकथाम

2.15 रा.मा.अ.आ. को न्यायिक हिरासत में मृत्यु से संबंधित 1,589 सूचना एवं पुलिस हिरासम में मौत की 133 सूचना प्राप्त हुई । समीक्षाधीन अवधि के दौरान अर्द्धसैनिक/रक्षा बलों की हिरासत में मौत के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। इसने हिरासतीय मौत के 1,283 मामले - न्यायिक हिरासत में मौत के 1,187 मामले, पुलिस हिरासत में मौत के 96 मामले तथा अर्द्धसैनिक बलों की हिरासत में मौत के एक मामले का निपटान किया। आयोग को पुलिस मुठभेड़ / पुलिस कार्रवाई में मौत के बारे में 192 सूचना प्राप्त हुई तथा पुलिस मुठभेड़ में मौत के 112 मामलों का निपटान किया, जिसमें पिछले वर्षों में दर्ज किए गए मामले भी शामिल हैं। इन आंकड़ों में पिछले वर्षों के मामले भी शामिल हैं । विस्तृत जानकारी के लिए नीचे दिया गया ग्राफ देखें।

वर्ष 2014-2015 के दौरान दर्ज एवं निपटाए गए
हिरासतीय मौत/ बलात्कार की घटनाओं की संख्या

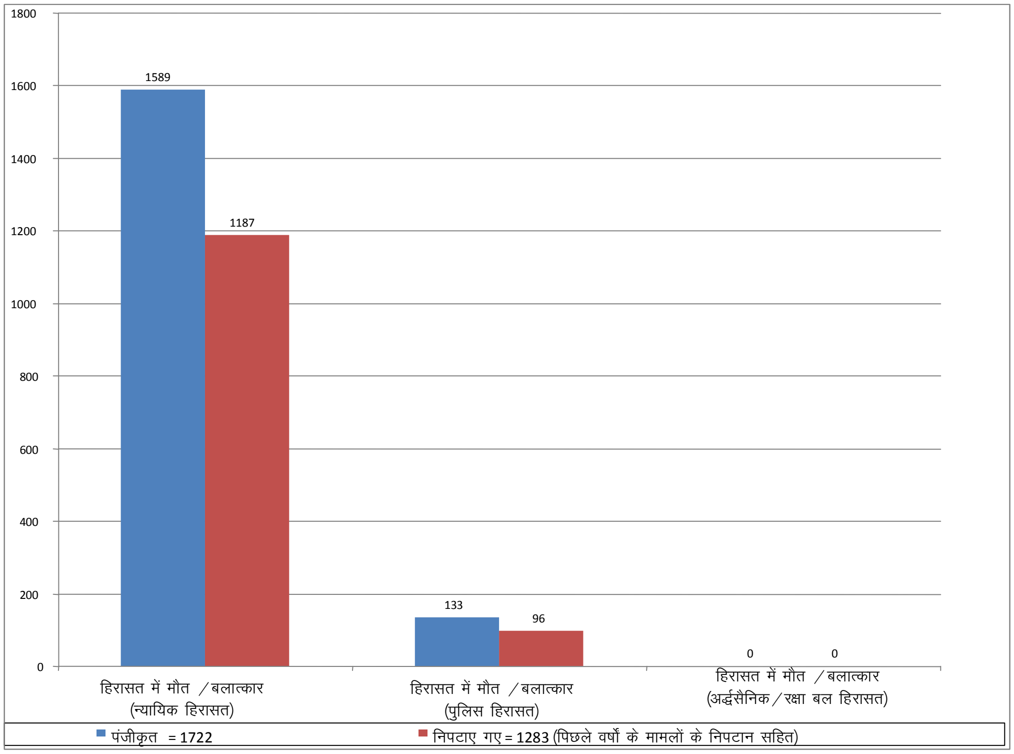

आर्थिक राहत के लिए रा.मा.अ.आ. की सिफारिशें एवं उसका अनुपालन

2.16 1 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015 की अवधि के दौरान आयोग ने 367 मामलों में पीड़ितों/मृतकों के निकट संबंधी को मौद्रिक राहत/मुआवजे के भुगतान के रूप में 9,07,90,000 की सिफारिश की। जितने मामलों में आर्थिक सहायता की सिफारिश की गई थी, उनमें से केवल 59 मामलों में ही अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हुई जबकि कुल 1,00,85,000 राशि का भुगतान पीड़ितों/मृतकों

के निकट संबंधी को किया गया। इस मामलों का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा अनुलग्नक - 4 पर दिया गया है।

2.17 समीक्षाधीन अवधि के दौरान रा.मा.अ.आ. को 308 मामलों में अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई जिनमें 8,07,05,000 रूपये की मौद्रिक राहत की अनुशंसा की गई थी (अनुलग्नक - 5) । जैसा कि दिए गए अनुलग्नक से स्पष्ट है, 2014-2015 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के पास कुल 105 मामले लंबित पाए गए, उड़ीसा सरकार के पास 23 तथा बिहार सरकार के पास 21 मामले लंबित हैं, जिसमें आयोग द्वारा मौद्रिक राहत के रूप में क्रमश: 2,05,25,000 रूपये, 1,01,15,000 रूपये तथा 23,40,000 रूपये की राशि की अनुशंसा की गई थी। अन्य राज्य जहां लंबित मामले पाए गए थे, वे अवरोही क्रम में निम्नानुसार हैं: मध्य प्रदेश (17/78,00,000), राजस्थान (17/46,75,000), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (16/43,75,000), झारखण्ड (13/1,17,00,000), हरियाणा (12/21,00,000), महाराष्ट्र (12/15,25,000), छत्तीसगढ़ (9/13,10,000), तमिलनाडु (7/10,50,000), केरल (6/16,00,000) एवं उत्तराखण्ड (6/12,50,000)। आयोग एक बार फिर सभी राजयों/संघ राज्य क्षेत्रों विशेष रूप से बिहार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश की सरकारों को अनुपालन के लिए अपने पास लंबित मामलों पर त्वरित कार्रवाई करने की संस्तुति करता है ताकि प्रत्येक मामले में संस्तुत आर्थिक सहायता पीड़ित/निकट संबंधी को तत्काल दी जा सके।

2.18 पिछले वर्षों से संबंधित मामलों के संबंध में जहां तक अनुपालन रिपोर्ट का संबंध है, 238 मामलों में अनुपालन की प्रतीक्षा थी, विवरण के लिए अनुलग्नक - 6 एवं 7 देखें।

2.19 अनुलग्नक 7 में उन मामलों का विवरण दिया गया है जिसमें आर्थिक सहायता के भुगतान के संबंध में वर्ष 2013-2014 के लिए अनुपालन लंबित है। जैसाकि स्पष्ट है उत्तर प्रदेश राज्य एक बार फिर सूची में सबसे ऊपर है क्योंकि आयोग को 75 मामलों में भुगतान का साक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, जो अधिकांशत: नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार से संबंधित हैं। अन्य राज्य, जिन्होंने इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट अभी तक नहीं भेजी है, वे इस प्रकार हैं: असम (20), मणिपुर(15), महाराष्ट्र (14), झारखण्ड (9), आंध्र प्रदेश (8), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (8), मध्य प्रदेश (7), राजस्थान (6), उड़ीसा (4), पश्चिम बंगाल (3), तमिलनाडु (3), अरूणाचल प्रदेश (3), पंजाब (2), कर्नाटक (2), केरल (2), जम्मू और कश्मीर (2), उत्तराखण्ड (1), गुजरात (1)। इन मामलों का विवरणं रा.मा.अ.आ. के पहले की वार्षिक रिपोर्टों में दिया गया है। आयोग एक बार फिर उपरोक्त सभी राज्य सरकारों का आहवान करता है कि वे आयोगको अपनी अनुपालन रिपोर्ट भेजने के लिए ततकाल कदम उठाएं साथ ही हिंसा की घटनाओं को रोकने तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों से संबंध रखने वाली महिलाओं सहित महिलाओं के प्रतिभेद भाव को रोकने के लिए विशेष उपाय करने सहित नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों की रक्षा एवं उसकी बहाली के लिए व्यापक कदम उठाएं।

2.20 अनुलग्नक -7 में वर्ष 1998-1999 से 2012-2013 की अवधि के लिए आयोग द्वारा आर्थिक सहायता के भुगतान, अनुशासनिक कार्रवाई एवं अभियोजन के लिए की गई सिफारिशों पर लंबित अनुपालन के मामलों का विवरण दिया गया है। निर्दिष्ट अनुलग्नक में उद्धृत 45 मामलों में से 7 मामालों में संबंधित राज्य सरकारों ने अपने-अपने उच्च न्यायालायोंमें आयोग की सिफारिशों को चुनौती दी है तथा इनमें से अधिकांश मामलों में अंतिम निर्णय अभी आना बाकी है। ये राज्य हैं - उड़ीसा(3), जम्मू और कश्मीर (2), केरल (1) एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (1)। आयोग इन सभी राज्य सरकारों से अपील करता है कि वे अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करें अथवा न्याय की प्रक्रिया में तेजी लाएं। इसके अतिरिक्त, आयोगको यह विश्वास है कि अनुलग्नक -7 में सूचीबद्ध अन्य राज्य आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का पालन करेंगे तथा पीड़ितों एवं उनके निकट संबंधी को तत्काल राहत प्रदान करेंगे।

जेल सुधार पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

2.21 रा.मा.अ.आ. ने 13-14 नवम्बर, 2014 को नई दिल्ली में जेल सुधारों पर एक दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की । इस संगोष्ठी का उद्देश्य इस विषय पर 15 अप्रैल, 2011 को आयोजित इसकी पहली संगोष्ठी में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन करना तथा मानव अधिकारों के दृष्टिकोण से कैदियों की स्थिति एवं जेल प्रशासन में सुधार लाने के लिए आगे की जाने वाली कार्रवाई पर विचार करना था। माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 14 नवम्बर, 2014 को संगोष्ठी में भाग लेने वालों को संबोधित किया। राष्ट्रीय संगोष्ठी में कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की गईं, जिन्हें इस वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय - 4 में स्पष्ट किया गया है।

पुलिस थानों एवं जेलों का निरीक्षण

2.22 समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोगके 6 विशेष संपर्ककर्त्ताओं ने 8 केन्द्रीय कारागारों, 22 जिला जेलों, एक सब डिविजन जेल एवं एक देश के विभिन्न भागों में स्थित सभी महिला पुलिस थानों का दौरा किया। इसके अतिरिक्त एक विशेष संपर्ककर्त्ता ने तमिलनाडु राज्य में पुलिस द्वारा बंदी बनाए गए लोगों का किस हद तक मानव अधिकार का हनन किया गया, उसका आकलन करने के साथ-साथ तमिलनाडु के उटकमंडएवं कांचीपुरम जिलों में नुकसान पहुंचाने के मामले में गिरफ्तार करने एवं जमानत पर रिहा करने के मामलों का विश्लेषण किया।

उततर प्रदेश में विचाराधीन कैदियों का प्रायोगिक अध्ययन

2.23 रा.मा.अ.आ. ने सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीजके साथ मिलकर फरवरी, 2015 में उत्तर प्रदेश राजयमें विचाराधीन कैदियों के संबंध में एक महत्वपूर्ण अध्ययन शुरू किया। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य विचाराधीन कैदियों द्वारा किए गए अपराधों की प्रवृत्ति सहित उनके सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षणिक पृष्ठभूमि तथा किस धारा के तहत अधिकारियों द्वारा उन परमुकदमा चलाया जाता है, इसे समझना है; अपर्याप्त कानूनी प्रतिनिधि के संभावित प्रभाव के कारण विचाराधीन कैदियों को होने वाली तकलीफों का कारण संस्थागत पक्षपात एवं कमियों को जानना तथा उनके साथ किए जाने वाले

न्याय का आकलन करना है, जिसमें उस प्रणाली का आकलन करना भी शामिल है जिसके द्वारा वे समय पर एवं सही न्याय से वंचित रह जाते हैं। इस अध्ययन की समय -सीमा दस महीने की है।

आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार

30 मई, 2014 को मानसिक स्वास्थ्य एवं मानव अधिकार पर राष्ट्रीय सम्मेलन

2.24 रा.मा.अ.आ. ने मानसिक स्वास्थ्य पर 30 मई 2014 को नई दिल्ली में एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य (i) उन तरीकों पर विचार करना था, जिससे मानसिक स्वास्थ्य सेवा को मानव अधिकार के दृष्टिकोण से सुदृढ़ किया जा सके, मानसिक स्वास्थ्य देख-भाल की उपलब्धता, पहुंच एवं गुणवत्ता के संदर्भ में ; (ii) मानसिक रोगियों के प्रबंधन में समुदाय को शामिल करने के दृष्टिकोण तथा उत्तम पद्धतियों को साझा करने पर विचार करना; (iii) उन तरीकों पर विचार करना जिनसे मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए मानव संसाधन में सुधार लाया जा सके ताकि मानसिक रूप से बीमार लोगों की समुचित देखरेख हो सके एवं उनका उपचार किया जा सके; एवं (iv) मानसिक बीमारी के बारे में तथ्यात्मक सूचना के संबंध में लोगों, विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रोंमें जागरूकता पैदा करने के लिए तथा वैज्ञानिक तरीके से निपटने की रणनीति पर विचार करना।

सिलकोसिस पर राष्ट्रीय सममेलन

2.25 रा.मा.अ.आ. द्वारा सिलिकोसिस पर नई दिल्ली में 25 जुलाई, 2014 को एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सिलिकोसिस की रोकथाम, उसकी पहचान एवं अंतत: इसके उन्मूलन के लिए रा.मा.अ.आ. द्वारा पूर्व में की गई सिफारिशों पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई कार्रवाई की स्थिति पर विचार करना था।

दलितों के प्रति अत्याचार पर अध्ययन : तमिलनाडु में विशेष अदालतों के काम पर अनुभूतिमूलक अध्ययन

2.26 रा.मा.अ.आ. ने तमिलनाडु में अन्नामलाई विश्वविद्यालय के सहयोग से जुलाई, 2014में उपरोक्त शोध अध्ययन शुरू किया। इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य हैं: - तमिलनाडु में अनूसूचित जातियों के प्रति अत्याचार बढ़ने के कारणों की पहचान करना; पुलिस थानों में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने में देरी के कारणों का पता लगाना; अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत मामलों का निपटान करने के लिए अदालतों द्वारा लिया जाने वाला औसत समय। इस अध्ययन की अवधि 2 वर्ष है।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) विधेयक, 2014 पर विचार - विमर्श करने के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला

2.27 रा.मा.अ.आ. ने 27 अगस्त 2014 को नई दिल्ली में ऊपर उल्लेख किए गए राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया । कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य (i) आपराधिक दायित्व की उम्र; (ii) किशोर न्याय के मुख्य घटक; (iii) पुनर्वास, सुधार, मुख्य धारा में पुन: शामिल करने तथा कौशल विकास के संबंध में

2014 के विधेयक में संशोधन करने के लिए सिफारिश करना था। कार्यशालासे जो सुझाव उभर कर आए उन पर इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ तथा बाद में आयोग के साथ चर्चा की गई। अंतिम रूप देने के बाद इन्हें वर्ष 2014 के विधेयक पर सुझाव आमंत्रित करने संबंधी मानव संसाधन विकास पर राज्य सभा से सम्बद्ध संसदीय स्थायी समिति के विज्ञापन के प्रतिउत्तर में प्रस्तुत कर दिया गया।

बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा करने संबंधी राष्ट्रीय परामर्श बैठक

2.28 रा.मा.अ.आ. ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के एक क्षेत्रीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र, अनुग्रह के सहयोग से अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के संदर्भ में चंडीगढ़ में 29 अगस्त, 2014 को बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा पर एक दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श बैठक का आयोजन किया गया।

रा.मा.अ.आ. में स्वच्छ भारत अभियान का कार्यान्वयन

2.29 2 अक्तूबर, 2014 को देश में स्वच्छ भारत अभियान शुरू करने के भाग के रूप में रा.मा.अ.आ. ने भी इसकी शुरूआत शपथ लेकर एवं स्वच्छता अभियान आरंभ करके किया, इसके पश्चात् कार्यालय परिसर एवं आस-पास के क्षेत्रों की सफाई की गई। रा.मा.अ.आ. ने भी स्वच्छ भारत अभियान के तहत विशेष अभियान चलाने तथा प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी को इस अभियान के लिए प्रति सप्ताह कम से कम 2 घंटे स्वेच्छा से देने का अनुरोध करते हुए सभी प्रभाग प्रमुखों को परिपत्र जारी किया। इस उद्देश्य के लिए निदेशक (प्रशासन) को आयोग द्वारा मॉडल अधिकारी बनाया गया।

अशक्तता विधेयक, 2014 पर रा.मा.अ.आा. की टिप्पणियां

2.30 रा.मा.अ.आ. ने अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों संबंधी विधेयक, 2014 की जांच की, इसके लिए सरकारी अधिकारियों, विशेषज्ञों एवं सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ आयोग में कई बैठकें आयेाजित की गई। प्राप्त सुझावों के आधार पर आयोग ने अपनी ठोस टिप्पणी तैयार की और उसे लोक सभा से सम्बद्ध सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी संसदीय स्थायी समिति को 24 अक्टूबर, 2014 को भेज दिया। बाद में समिति ने आयेाग के विचारों को व्यक्तिगत रूप से भी 3 दिसम्बर, 2014 को सुना।

सिलिकॉसिस पर विशेषज्ञों की बैठक

2.31 सिलिकॉसिस पर रा.मा.अ.आ. की विशेष रिपोर्ट, जिसे संसद में रखा गया था, पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट के ज्ञापन पर विचार करने के लिए 23 दिसम्बर, 2014 को रा.मा.अ.आ. में विशेषज्ञों की एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता रा.मा.अ.आ. के सदस्य श्री एस.सी सिंहा ने की।

केरल में प्रवासी मजदूरों के बच्चों की शिक्षा के अधिकार से संबंधित मानव अधिकार मुद्दों पर अध्ययन

2.32 आयोग द्वारा थेवरा कोचीन, केरल में सैक्रेड हार्ट कॉलेज के सहायोग से जुलाई, 2014 में उपर्युक्त अध्ययन शुरू किया था। इस शोध का उद्देश्य - (i) स्कूलों में प्रवासी मजदूरों के बच्चों की भर्ती के स्तर ; (ii) स्कूलों में प्रवासी मजदूरों के बच्चों के द्वारा पढ़ाई छोड़ने की दर; (iii) उच्च शिक्षा में प्रवासी मजदूर के बच्चों के नामांकरण का स्तर; (iv) प्रवासी मजदूरों के जीवन यापन की दशाओं; (v) प्रवासी मजदूरों के

आर्थिक मामलों का विश्लेषण (vi) प्रवासी मजदूरों के बच्चों द्वारा झेले जा रहे सांस्कृतिक दुविधा का अध्ययन करना है। यह अध्ययन दिसम्बर, 2014 में शुरू हुआ तथा दो वर्षों के भीतर इसे पूरा किया जाना है।

भारत में मानव तस्करी पर राष्ट्रीय अनुसंधान

2.33 वर्ष 2004 में महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी पर इसके द्वारा शुरू किए गए अनुसंधान के क्रम में उपरोक्त अनुसंधान टाटा इंस्टीटयूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई के सहयोग से रा.मा.अ.आ. द्वारा शुरू किया गया है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य मानव तस्करी के बदलते आयामों को समझना; किस हद तक मानव तस्करी होती है, उसका आकलन करना; तस्करी के आर्थिक पहलू; मानव तस्करी में शामिल प्रक्रिया; सीमा-पार तस्करी, उग्रवाद एवं अन्य पभावित क्षेत्रों में तस्करी; कानूनी ढांचे सहित मौजूदा प्रतिक्रिया प्रणाली; राज्य एवं गैर राज्य हस्तक्षेप तथा पहचान की गई कमियों के समाधान के लिए रास्ता बनाना है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2005 के मसौदे पर रा.मा.अ.आ. की टिप्पणी

2.34 आयोग ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लाए गए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2015 के मसौदे पर टिप्पणी की। इसके लिए इसने 30 जनवरी, 2015 को विज्ञान भवन एनेक्सी, नई दिल्ली में स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ एक दिवसीय बैठक की । इस बैठक का मुख्य उद्देश्य इस बात की जांच करना था कि किस प्रकार स्वास्थ्य नीति का मसौदा देश के लोगों के मानव अधिकार चिंताओं का समाधान करता था। विचार- विमर्श के आधार पर बैठक में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पर विचार करने तथा उसमें शामिल करने के लिए बहुमूल्य सिफारिशें की गईं।

बंधुआ मजदूरी पर रा.मा.अ.आ. के कोर ग्रुप की बैठक

2.35 रा.मा.अ.आ. ने बंधुआ मजदूरी पर एक कोर ग्रुप का गठन किया है जो इसे बंधुआ मजदूरी से संबंधित विभिन्न मामलों पर समय-समय पर सुझाव देता है। ऐसी एक बैठक आयोग में 28 जनवरी, 2015 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) नियम, 1976 के कार्यान्वयन को मजबूत करने के तरीके पर विचार करना था।

मानव अधिकार समर्थकों पर राष्ट्रीय कार्यशाला

2.36 19 फरवरी, 2015 को रा.मा.अ.आ. द्वारा मानव अधिकार समर्थकों पर नई दिल्ली में एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में इससे पहले वर्ष 2009 में आयोजित 'मानव अधिकार समर्थकों पर राष्ट्रीय संगोष्ठी' के दौरान अपने द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन का अवलोकन किया। इसके साथ-साथ मानव अधिकार समर्थकों की रक्षा करने तथा सुशासन में उनके कार्यो को स्वीकार करने के तंत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से यह कार्यशाला आयोजित की गई थी।

स्वास्थ्य संबंधी रा.मा.अ.आ. के कोर सलाहकार समूह का पुनर्गठन

2.37 रा.मा.अ.आ. ने 3 मार्च, 2015 को स्वास्थ्य संबंधी अपने कोर सलाहकार समूह का पुनर्गठन किया जिसमें सरकारी एवं गैर सरकारी, दोनों क्षेत्रों से स्वास्थ्य के अलग-अलग क्षेत्रों में काफी अधिक अनुभव रखने वाले विशिष्ट स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल थे।

थर्ड जेंडर के रूप में ट्रांसजेंडर के मानव अधिकारों पर अध्ययन

2.38 आयोग ने केरल डेवलपमेंट सोसाइटी, नई दिल्ली के सहयोग से मार्च, 2015 में ऊपर्युक्त शोध अध्ययन शुरू किया है। इसके मुख्य उद्देश्य हैं: (i) उनकी समग्र रूपरेखा का अध्ययन करना तथा इस बात की जांच करना कि क्या आरजीआई में जनगणना एवं अन्य गिनतियों में ट्रांसजेंडर को शामिल किया गया है; (ii) उनके द्वारा झेले जा रहे विभिन्न प्रकार के भेद-भाव एवं मानव अधिकार हनन की जांच करना; (iii) विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमोंके तहत केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा उनको दिए गए अधिकारों तथा उन अधिकारों को प्राप्त करने में उनके द्वारा झेली जा रही कठिनाइयों का मूल्यांकन करना; (iv) उनका ध्यान रखने वाले कानूनों एवं नीतियों का तथा उन नीतियों एवं कानूनों के आलोक में उनके समग्र विकास के लिए उठाए गए कदमों का विश्लेषण करना; तथा (v) अन्य देशों में ट्रांसजेंडर के प्रति प्रचलित प्रथाओं की जांच करना। इस अध्ययन को एक वर्ष में पूरा किया जाना है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कार्यशाला

राष्ट्रीय

रा.मा.अ.आ. द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण कार्यक्रम

2.39 वर्ष 2014-2015 के दौरान आयोग ने मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 73 संस्थानों के 92 प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मंजूरी प्रदान की। इनमें से 57 संस्थानों/राज्य मानव अधिकार आयोगों/ विश्वविद्यालायों/ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों/ राष्ट्रीय विधि संस्थानों/ गैर सरकारी संगठनों द्वारा 74 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

आरपीएफ परिवीक्षार्थियों को सम्बद्ध करना

2.40 लखनऊ में जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा बल एकेडमी के 5 सहायक सुरक्षा आयुक्तों (परिवीक्षार्थियों) को एक दिन के लिए 29 जनवरी, 2015 को रा.मा.अ.आ. से सम्बद्ध किया गया। इस सम्बद्धता के दौरान अधिकारियों को आयोग के समग्र संघटन, इसके विभिन्न प्रभागों के काम-काज के तरीके तथा शिकायत प्रबंधन प्रणाली से परिचय कराया गया।

मानव अधिकारों पर राष्ट्रीय विवाद न्यायालय प्रतिस्पर्द्धा

2.41 20 से 22 फरवरी,2015 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि केंद्र -I के सहयोग से रा.मा.अ.आ. द्वारा मानव अधिकारों पर एक राष्ट्रीय विवाद न्यायालय प्रतिस्पर्द्धा आयोजित की गई।

कुल मिलाकर, भारत के विभिन्न विधि महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों से 36 दलों ने इस प्रतिस्पर्द्धा में भाग लिया।

अंतरराष्ट्रीय

एपीएफ मास्टर प्रशिक्षक बैठक एवं मानव अधिकार शिक्षकों की कार्यशाला

2.42 रा.मा.अ.आ. ने 9 से 13 जून, 2014 तक नई दिल्ली में एशिया प्रशांत फोरम मास्टर शिक्षक बैठक एवं मानव अधिकार शिक्षक कार्यशाला की मेजबानी की। बैठक में रा.मा.अ.आ. भारत सहित एशिया प्रशांत क्षेत्र के 13 राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों (एनएचआरआई) के मास्टर ट्रेनर एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञों ने भाग लिया।

राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के लिए राष्ट्रकुल मध्यस्थता एवं बातचीत

2.43 न्यायमूर्ति श्री के. जी. बालकृष्णन, अध्यक्ष एवं श्री ए. के. पराशर, संयुक्त रजिस्ट्रार (विधि) ने अफ्रीका सेंटर फॉर द कन्स्ट्रक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स (एकोर्ड) के सहयोग से राष्ट्रकुल सचिवालय द्वारा क्वालालम्पुर, मलेशिया में अगस्त, 2014 में आयोजित उपरोक्त कार्यकम में भाग लिया। इस प्रशिक्षण की मेजबानी मलेशिया मानव अधिकार आयोग द्वारा एनएचआरआई के कामनवेल्थ फोरम के अध्यक्ष की हैसियत से की गई।

ए.पीएफ प्रवेश प्रशिक्षण कार्यशाला

2.44 एपीएफ द्वारा मंगोलियन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में नव नियुक्त कर्मचारी के लिए 9 से 13 मार्च, 2015 तक उलानबातर मंगोलिया में आयोजित किए गए प्रवेश प्रशिक्षण कार्यशाला में एशिया प्रशांत मंच (ए.पी.एफ.) के प्रमाणित मास्टर प्रशिक्षक होने की हैसियत से श्री जे.एस. कोचर, संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण एवं अनुसंधान) एक जानकारी उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति थे।

अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां

वेटिकन यात्रा

2.45 रा.मा.अ.आ. के सदस्य न्यायमूर्ति श्री साइरेक जोसेफ ने श्री ऑस्कर फर्नांडीस, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में 27 अप्रैल,2014 को जॉन पॉल के संत घोषित करने के समारोह में भाग लेने के लिए वेटिकन, रोम का दौरा किया।

ओएचसीएचआर के अधिकारियों ने रा.मा.अ.आ., भारत का दौरा किया

2.46 सुश्री ज्योति संघेरा, जेनेवा में मानव अधिकार उच्चायुक्त के संयुक्त राष्ट्र कार्यशाला में मानव अधिकारों एवं सामाजिक एवं आर्थिक मामलों के अनुभाग के प्रमुख ने न्यूयार्क में ग्लोबल इश्यूज सेक्शन के प्रमुख् श्री चार्ल्स रेडक्लिक के साथ 29 अप्रैल,2014 को रा.मा.अ.आ. का दौरा किया।

राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानोंके एसईओ की गोलमेज बैठक

2.47 राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के एशिया प्रशांत मंच द्वारा सिडनी, आस्ट्रेलिया में 23 एवं 24 जून,2014को राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के वरिष्ठ कार्यपालक अधिकारियों की वार्षिक गोलमेज बैठक बुलाई गई। रा.मा.अ.आ., भारत के महानिदेशक (जांच), श्री कंवलजीत देवोल ने बैठक में भाग लिया।

रा.मा.अ.आ. के अध्यक्ष ने लंदन में न्यायविदों के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया

2.48 न्यायमूर्ति श्री के.जी. बालाकृष्णन, अध्यक्ष रा.मा.अ.आ. ने लंदन, यूनाईटेड किंगडम में 23 एवं 24 जून,2014 को आयोजित न्यायविदों एवं लेखकों के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया।

एपीएफ परिषद की कार्यकारणी समूह बैठक

2.49 ए.पी.एफ. के निर्णय लेनी वाली संस्था एशिया प्रशांत मंच परिषद ने अपने पंचवर्षीय रणनीतिक योजना 2015-2020 के गठन का निरीक्षण करने के लिए एक कार्यकारिणी समूह का गठन किया। न्यायमूर्ति श्री के. जी. बालकृष्णन, अध्यक्ष, रा.मा.अ.आ. ने 25 से 27 जून, 2014 तक सिडनी, आस्ट्रेलिया में आयोजित इसकी पहली बैठक में भाग लिया।

सीईडीएडब्ल्यू के 58वं सत्र में रा.मा.अ.आ.,भारत की भागीदारी

2.50 न्यायमूर्ति श्री के.जी. बालाकृष्णन एवं श्री जे.एस कोचर, संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण एवं अनुसंधान) से गठित रा.मा.अ.आ. के दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने जेनेवा में 30 जून से 2 जुलाई,2014 तक सीईडीएडब्ल्यू के 58वें अधिवेशन में भाग लिया।

राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के एशिया प्रशांत मंच की 19वीं वार्षिक बैठक

2.51 रा.मा.अ.आ. ने नई दिल्ली में 3 से 5 सितम्बर, 2014 तक राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के एशिया प्रशांत मंच की 19वीं वार्षिक बैठक की मेजबानी की। बैठक में एशिया प्रशांत क्षेत्र के 21 राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के अध्यक्ष, सदस्यों एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस वर्ष की बैठक का मुख्य पहलू एपीएफके रणनीतिक योजना 2015-2020 को तैयार करना था।

एनएचआरआई स्वतंत्र निगरानी तंत्र एवं अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों संबंधी समिति के बीच बैठक

2.52 आयोग ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पहली बार राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों, अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के अनुच्छेद 33.2 के तहत मनोनीत स्वतंत्र निगरानी निकायों एवं अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों संबंधी समिति की पहली बैठक में भाग लिया, जो जेनेबा में 25 सितम्बर, 2014 को आयोजित की गई थी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रभावी तरीके से निगरानी के लिए समिति के दिशानिर्देशों को तैयार करने में योगदान करना था। इस बैठक में महासचिव संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण एवं अनुसंधान) तथा संयुक्त निदेशक (अनुसंधान) ने भाग लिया। चर्चा के क्रम में श्री राजेश किशोर, महासचिव, रा.मा.अ.आ. द्वारा एक बयान भी दिया गया।

बुजुर्गों के सामाजिक जुड़ाव एवं अधिकारोंपर ए.पी.एफ. कार्यक्रम में भागीदारी

2.53 रा.मा.अ.आ. के महासचिव श्री राजेश किशोर ने राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के एशिया प्रशांत मंच द्वारा 30 सितम्बर से 2 अक्टूबर, 2014 तक बैंकाक, थाईलैंड में आयोजित उपरोक्त कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

दक्षिण एशियाई राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों ने क्षेत्रीय मानव अधिकार सुरक्षा प्रणाली पर चर्चा की।

2.54 न्यायमूर्ति श्री के. जी. बालाकृष्णन अध्यक्ष ने "दक्षिण एशिया मानव अधिकार मैकेनिज्म की तरफ: परिदृश्य एवं चुनौतियां " शीर्षकसे दक्षिण एशिया के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की एक-दो दिवसीय क्षेत्रीय संगोष्ठी में भाग लिया। इस संगोष्ठी का आयोजन बंगलादेश के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा ढ़ाका विश्वविद्यालय में 17-18 नवमब्र, 2014 को किया गया था। क्षेत्रीय संगोष्ठी का समापन ढ़ाका प्रस्ताव का अंगीकार करने के साथ हुआ।

एशिया प्रशांत संसदों की संगोष्ठी

2.55 न्यायमूर्ति श्री साईरेक जोसेफ सदस्य ने मानव अधिकार संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त कार्यालय के सहयोग से फिलीपिन्स के सीनेट तथा अंतर-संसदीय संघ द्वारा संयुक्त रूप से मनीला, फिलीपिन्स में 26 एवं 27 फरवरी, 2015 को आयोजित एशिया प्रशांत संसदों की संगोष्ठी में रा.मा.अ.आ. का प्रतिनिधित्व किया। यह संगोष्ठी मानव अधिकार परिषद के काम के प्रति संसदों के योगदान को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आयोजित क्षेत्रिय कार्यक्रमों की श्रृंखला का एक हिस्सा थी।

आई.सी.सी. की 28वीं वार्षिक बैठक

2.56 न्यायमूर्ति श्री के.जी. बालकृष्णन, अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री डी मुरूगेसन, सदस्य एवं श्री राजेश किशोर, महासचिव की अध्यक्षता में रा.मा.अ.आ. के एक प्रतिनिधिमंडल ने 11 से 13 मार्च, 2015 तक राष्ट्रीय संस्थानों के अंतरराष्ट्रीय समन्वय समिति की 28वीं वार्षिक बैठक के मुख्य में भाग लेने के लिए जेनेवा का दौरा किया। बैठक के मुख्य विषय-वस्तु थे:- 2015 के पश्चात् विकास कार्यसूची; राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों द्वारा राष्ट्रीय जांच: राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों का शासन; महिलाओं के प्रति हिंसा; तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान एवं अशक्त व्यक्तियों के अधिकार।

* * * * *

अध्याय - 3

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग: संगठन तथा कार्य

3.1 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। आयोग की संविधि, मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथासंशोधित मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में निहित है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है जिन्हें अक्टूबर 1991 में पेरिस में मानव अधिकार संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में अंगीकृत किया गया था तथा 20 दिसम्बर 1993 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संकल्प 48/134 के रूप में समर्थित किया गया था। यह आयोग, मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए भारत की चिंता का मूर्त रूप है।

संगठन

3.2 आयोग में एक अध्यक्ष, चार पूर्ण कालिक सदस्य तथा चार मनोनीत सदस्य हैं। संविधि में आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति के लिए अहर्ताएं निर्धारित की गई हैं।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का संगठन

अध्यक्ष
भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो

एक सदस्य जो भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो या न्यायाधीश रहा हो

एक सदस्य जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या मुख्य न्यायाधीश रहा हो

दो सदस्य उन लोगों में से जिन्हें मानव अधिकारों के क्षेत्र का ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो

मनोनीत सदस्य

निम्नलिखित राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

राष्ट्रीय महिला आयोग

3.3 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा अध्यक्ष, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के प्रभारी मंत्री, लोकसभा तथा राज्य सभा में विपक्ष के नेता तथा राज्य सभा के उपसभापति से गठित एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों
की नियुक्ति के लिए चयन समिति

अध्यक्ष
प्रधानमंत्री

सदस्य

लोकसभा अध्यक्ष

भारत सरकार के गृह मंत्रालय का प्रभारी मंत्री

लोकसभा में विपक्ष का नेता

राज्यसभा में विपक्ष का नेता

राज्यसभा का उप सभापति

3.4 आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की अर्हताओं से संबंधित सांविधिक अपेक्षाओं के साथ-साथ एक उच्च स्तरीय एवं राजनीतिक रूप से संतुलित समिति द्वारा उनके चयन से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की कार्यप्रणाली को एक उच्च स्तरीय स्वतंत्रता तथा विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है।

3.5 आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी महासचिव होता है जो भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी होता है। आयोग का सचिवालय, महासचिव के समग्र दिशानिर्देशों के तहत कार्य करता है।

3.6 आयोग के पांच प्रभाग हैं, वे हैं - (i) विधि प्रभाग, (ii) अन्वेषण प्रभाग, (iii) नीति अनुसंधान, परियोजना तथा कार्यक्रम प्रभाग, (iv) प्रशिक्षण प्रभाग, तथा (v) प्रशासनिक प्रभाग।

3.7 आयोग का विधि प्रभाग पीड़ित अथवा उसकी तरफ से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई मानव अधिकार उल्लंघन की शिकायतों पर अथवा हिरासतीय मृत्यु, हिरासत में बलात्कार, पुलिस कार्रवाई में मौत के संबंध में संबंधित प्राधिकारियों से सूचना प्राप्त होने पर दर्ज लगभग 1 लाख मामलों का पंजीकरण तथा निपटारा करता है। प्रभाग को पुलिस/न्यायिक हिरासत में मौत, रक्षा/अर्द्ध सैनिक बलों की हिरासत में मौत के संबंध में भी सूचना प्राप्त होती है। वर्ष 2013-14 के दौरान

98,000 से अधिक शिकायतें आयोग में प्राप्त हुईं। आयोग में प्राप्त सभी शिकायतों को एक डायरी सं. दी जाती है तथा उसके बाद शिकायत प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली (सीएमआईएस) सॉफ्टवेयर, जिसे विशेषरूप से इसी उद्देश्य के लिए बनया गया है, का प्रयोग करके उनकी छान-बीन की जाती है तथा प्रक्रिया शुरू की जाती है। शिकायत का पंजीकरण करने के पश्चात् उन्हें आयोग के समक्ष उसके निर्देशों के लिए रखा जाता है तथा उसके अनुसार, प्रभाग द्वारा उन मामलों में अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है, जब तक उनका अंतिम रूप से निपटारा नहीं हो जाता। महत्वपूर्ण प्रकृति के मामलों को पूर्ण आयोग द्वारा उठाया जाता है तथा पुलिस हिरासत अथवा पुलिस कार्रवाई में मौत से संबंधित मामलों पर खंड पीठों द्वारा विचार किया जाता है। कुछ मामलों पर खुली अदालती सुनवाई में आयोग की बैठकों में विचार किया जाता है। यह प्रभाग लंबित शिकायतों के निपटान में तेजी लाने तथा मानव अधिकार के मुद्दों पर राज्य प्राधिकारियों को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से राज्य की राजधानियों में शिविर बैठकों का भी आयोजन करता रहा है। आयोग देश में अनुसूचित जातियों पर होने वाले अत्याचार के संबंध में खुली सुनवाई भी आयोजित कर रहा है ताकि अनुसूचित जातियों के प्रभावित व्यक्तियों से सीधे सम्पर्क स्थापित हो सके। आयोग मानव अधिकारों की बेहतर सुरक्षा और संवर्द्धन के लिए उसे संदर्भित विभिन्न विधेयकों/ प्रारूप विधानों पर भी अपनी राय/ विचार देता है। विधि प्रभाग ने "एनएचआरसी एण्ड एचआरडी" 'बढ़ता समन्वय' नामक एक पुस्तक का प्रकाशन किया है। इस प्रकाशन को समाज के विभिन्न वर्गों से उत्साहबर्द्धक फीडबैक प्राप्त हो रहे हैं। मानव अधिकार संरक्षक जो एचआरडी से सम्पर्क करते हैं, उनके लिए एचआरडी (i) मोबाइल न. 9810298900, (ii) फैक्स न. 24651334 तथा (iii) ई-मेल: hrd-nhrc@nic.in के जरिए 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। मानव अधिकार के रूप में पुनर्सुनवाई के लाभ के संबध में आयोग द्वारा आरंभ की गई पहल से संबंधित एक और संकलन लगभग अंतिम चरण में है। इस प्रभाग का मुख्य अधिकारी रजिस्ट्रार (विधि) है, जिसकी सहायता के लिए प्रजेंटिंग अधिकारी, एक संयुक्त रजिस्ट्रार तथा कई उप रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, अनुभाग अधिकारी तथा अन्य सचिवालय स्टाफ होते हैं।

3.8 **अन्वेषण प्रभाग,** राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की ओर से पूरे देश में स्थल निरीक्षण करता है। इसके अलावा यह आयोग को की गई विविध शिकायतों के संबंध में तथ्यों को एकत्रित करने, पुलिस तथा अन्य अन्वेषण एजेंसियों से प्राप्त रिपोर्टों की जांच करने तथा हिरासतीय हिंसा या अन्य दुराचारों की रिपोर्टों की जांच-पड़ताल में मदद करता है। इसके अतिरिक्त, यह प्रभाग पुलिस तथा न्यायिक अभिरक्षा में मौत के साथ-साथ पुलिस मुठभेड़ों में हुई मौतों के संबंध में राज्य प्राधिकारियों से प्राप्त सूचनाओं तथा रिपोर्टों का विश्लेषण करता है। यह प्रभाग, पुलिस या सशस्त्र बलों द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी मामलों में भी विशेषज्ञ परामर्श देता है। प्रभाग ने तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता वाली शिकायतों के लिए एक रेपिड एक्शन सैल का गठन किया है। इसके अलावा, यह प्रभाग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12(एच) में परिकल्पित मानव अधिकार साक्षरता का प्रसार करने में प्रशिक्षण प्रभाग की मदद करता है। अन्वेषण प्रभाग की अध्यक्षता, पुलिस महानिदेशक के स्तर के अधिकारी द्वारा की जाती है और उनकी सहायता के लिए पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, निरीक्षक, कांस्टेबल तथा अन्य सचिवालयीय स्टॉफ होता है।

3.9 नीति अनुसंधान, परियोजना तथा कार्यक्रम (पी.आर.पी. एंड पी.) प्रभाग, मानव अधिकारों पर अनुसंधान करता है तथा उनका प्रचार करता है तथा महत्वपूर्ण मानव अधिकार मुद्दों पर सम्मेलन, सेमिनार तथा कार्यशालाएं आयोजित करता है। जब कभी भी आयोग, अपनी सुनवाई, कार्रवाईयों या अन्यथा इस निर्णय पर पहुंचता है कि कोई विशेष विषय महत्वपूर्ण है, तो उसे पी0आर0पी0 एण्ड

पी0 प्रभाग द्वारा संचालित किए जाने वाले एक परियोजना/कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, यह प्रभाग मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्रचलितनीतियों, कानूनों, संधियों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों की पुनरीक्षा करता है। यह प्रभाग, केन्द्र, राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र के प्राधिकारियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही आयोग की सिफारिशों की मॉनीटरिंग में सहायता करता है। यह प्रभाग, मानव अधिकार साक्षरता के विस्तार तथा मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षापायों के बारे में जागरुकता का प्रसार करने में भी प्रशिक्षण प्रभाग की सहायता करता है। प्रभाग का कार्य संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण एवं अनुसंधान) तथा संयुक्त सचिव (कार्यक्रम एवं प्रशासन), एक निदेशक/संयुक्त निदेशक, एक वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, अनुसंधान परामर्श, अनुसंधान एसोसिएट, अनुसंधान सहायक तथा अन्य सचिवालयीय स्टॉफ द्वारा देखा जाता है।

3.10 प्रशिक्षण प्रभाग, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकार साक्षरता का विस्तार करने के लिए उत्तरदायी है। अतः यह प्रभाग मानव अधिकारों के विभिन्न मुद्दों के बारे में राज्य के विभिन्न सरकारी अधिकारियों तथा कार्यकर्त्ताओं तथा राज्य की एजेंसियों, गैर सरकारी अधिकारियों, सिविल सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों तथा विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देता है और उन्हें सुग्राही बनाता है। इसके लिए यह प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों/ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के साथ सहयोग करता है। इसके अलावा यह प्रभाग, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए इन्टर्नशिप प्रोग्राम भी आयोजित करता है। प्रभाग का अध्यक्ष एक संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण एवं अनुसंधान) होता है जिसकी सहायता के लिए वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (प्रशि0), एक सहायक तथा अन्य सचिवालयीय स्टाफ होता है।

3.11 प्रशासनिक प्रभाग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की स्थापना, प्रशासनिक एवं संबंधित जरूरतों को पूरा करता है। इसके अलावा, यह प्रभाग कार्मिकों, लेखों, पुस्तकालय तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिकारियों तथा स्टाफ के सदस्यों की अन्य जरूरतों को भी पूरा करता है। प्रभाग का अध्यक्ष एक संयुक्त सचिव (कार्यक्रम एवं प्रशासन) होता है तथा उसकी सहायता के लिए एक निदेशक/उप सचिव, अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी तथा अन्य सचिवालयीय स्टॉफ होते हैं। प्रशासनिक प्रभाग के तहत सूचना एवं लोक संपर्क यूनिट का कार्य प्रिंट एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की गतिविधियों से संबंधित जानकारी का प्रचार करना है। यह प्रभाग 'मानव अधिकार' नामक एक द्विभाषीय मासिक न्यूज़लैटर तथा आयोग के अन्य प्रकाशनों का प्रकाशन करता है। इसके अलावा, यह प्रभाग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों तथा अपीलों को भी देखता है।

3.12 विशेष प्रतिवेदकों की नियुक्ति तथा कोर एवं विशेषज्ञ समूहों के गठन द्वारा आयोग की पहुंच में काफी विस्तार हुआ है। विशेष प्रतिवेदक, काफी वरिष्ठ अधिकारी होते हैं जो अपनी सेवानिवृत्ति से पहले भारत सरकार के सचिव के पदों पर या पुलिस महानिदेशक के पद पर कार्य कर चुके होते हैं या फिर मानव अधिकारों से संबंधित क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया होता है। इन्हें या तो बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम, अभिरक्षा न्याय, निःशक्तता आदि जैसे कुछ विशिष्ट विषय पर कार्य सौंप दिया जाता है या फिर मानव अधिकार उल्लंघनों या चिंताओं की जांच के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के समूह से बना एक जोन दे दिया जाता है।

3.13 कोर/विशेषज्ञ समूह, विख्यात व्यक्तियों या मानव अधिकार मुद्दों पर कार्य करने वाले निकायों के प्रतिनिधियों से मिलकर बना होता है। यह समूह आयोग को विभिन्न मुद्दों पर विशेषज्ञ परामर्श

उपलब्ध कराते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में गठित कुछेक महत्वपूर्ण कोर/विशेषज्ञ समूह निम्नानुसार हैं:-

- स्वास्थ्य संबंधी कोर परामर्शी समूह
- मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कोर समूह
- निःशक्तता संबंधी कोर समूह
- गैर सरकारी संगठनों संबंधी कोर समूह
- विधिक मुद्दों संबंधी कोर समूह
- भोजन के अधिकार के संबंध में कोर समूह
- बुजुर्गों की सुरक्षा तथा कल्याण संबंधी कोर समूह
- बंधुआ मजदूरी से संबंधित कोर समूह
- सिलिकॉसिस के संबंध में विशेषज्ञ समूह
- आकस्मिक चिकित्सा देख-भाल के लिए विशेषज्ञ समूह

कार्य

3.14 आयोग का अधिदेश बहुत व्यापक हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12 में दिए गए आयोग के कार्य निम्नानुसार हैं:-

- स्वप्रेरणा से या किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा या किसी न्यायालय के निदेश पर आयोग को प्रस्तुत की गई याचिका पर (1) मानव अधिकारों का अतिक्रमण या दुष्प्रेरण किए जाने की; या (2) ऐसे अतिक्रमण के रोकने में किसी लोकसेवक द्वारा की गई उपेक्षा की शिकायत के बारे में जांच करना।
- किसी न्यायालय के समक्ष लंबित किसी कार्यवाही में, जिसमें मानव अधिकारों के उल्लंघन का कोई आरोप शामिल है, उस न्यायालय के अनुमोदन से हस्तक्षेप करना।
- तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में निहित किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी जेल या किसी अन्य संस्था का, जहां व्यक्ति उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजनों के लिए निरुद्ध या दाखिल किए जाते हैं, वहां के निवासियों के जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन करने हेतु और इस संबंध में सरकार को सिफारिश करने हेतु वहां का दौरा करना।
- मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा उपबंधित रक्षोपायों का पुनर्विलोकन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना।
- आतंकवाद के कारनामे सहित ऐसे कारकों की पुनरीक्षा करना जो मानव अधिकारों के उपभोग में विध्न डालती हैं और समुचित उपचारी उपायों की सिफारिश करना।
- मानव अधिकारों से संबंधित संधियों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों का अध्ययन करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिश करना।
- मानव अधिकारेां के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसे बढ़ावा देना।
- समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकारों संबंधी जानकारी का प्रसार करना और प्रकाशनों, मीडिया, गोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपायों के प्रति जागरुकता का संवर्धन करना।

- मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों और संस्थानों के प्रयासों को प्रोत्साहित करना।
- ऐसे अन्य कार्य करना, जो मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए इसके द्वारा आवश्यक समझा जाए।

शक्तियां

3.15 आयोग को, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायतों की जांच करते समय वे सभी शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को प्राप्त होती हैं।

विशिष्ट विशेषताएं

3.16 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकारों के संस्थानों के लिए अंगीकृत किए गए पेरिस सिद्धांतों का पूर्ण अनुसरण करता है। इसके अधिदेश तथा कार्य बहुत ही व्यापक हैं। आयोग ने अपने दायित्वों के निष्पादन के लिए पारदर्शी प्रणाली तथा प्रक्रियाएं तैयार की है। आयोग ने विनियम तैयार करते हुए अपने काम-काज के प्रबंधन के लिए प्रक्रियाएं तैयार की हैं।

* * * * *

अध्याय - 4
नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार

क. आतंकवाद एवं उग्रवाद

4.1 हाल के वर्षों में भारत को आतंकवाद एवं उग्रवाद से लड़ते हुए मानव अधिकारों की रक्षा की भयावह चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। निर्दोष, निहत्थे एवं अरक्षित लोगों को निशाना बना कर जारी आतंकवाद के भयावह परिदृश्य में मानव अधिकारों की रक्षा का काम और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है।

4.2 एक शांत समाज न्याय एवं राज्य के उत्तरदायित्व के खंभों पर टिका होता है। आंतकवाद से जुड़े अधिकांश त्रासदियों में ज्यादातर आम लोगों के अधिकारों का हनन् होता है।

4.3 आतंकवादियों एवं नक्सलवादियों की गतिविधियों में बढोत्तरी से सुरक्षा बलों की भूमिका और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। उनको घरेलू अशांति को रोकने, महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा जब कभी जरूरत हो कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए बुलाया जाने लगा है।

4.4 संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने 17 दिसम्बर, 1979 को एक संकल्प 34/169 अंगीकार किया कि सभी सुरक्षाकर्मी मानव गरिमा का सम्मान करेंगे एवं उसकी रक्षा करेंगे तथा सभी व्यक्तियों के मानव अधिकारों का बचाव करेंगे। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे नजरबंद करने, गिरफ्तारी एवं प्रत्यर्पण में देश के कानूनों, यातना एवं अन्य क्रूर दण्ड के विरूद्ध अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग के सिद्धांतों का पालन करेंगे।

4.5 आयोग का यह दृढ़ मत है कि मानव अधिकारों का समुचित पालन करने से शांति एवं सुरक्षा बहाल करने में कोई बाधा नहीं आती है, बल्कि, शांति एवं सुरक्षा कायम रखने तथा आंतकवाद को पराजित करने की किसी भी सार्थक रणनीति में यह एक आवश्यक घटक है। इसलिए आतंकवाद वरोधी उपायों का उद्देश्य प्रजातंत्र, विधि का शासन एवं मानव अधिकारां की रक्षा होनी चाहिए जो हमारे समाज के मौलिक मूल्य हैं एवं संविधान के मुख्य मूल्य।

4.6 आयोग ने समय- समय पर इस बात को दोहराया है कि आतंकवाद एक ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जो लोगों को भय से मुक्त रहने के अधिकार को नष्ट कर देता है। आतंकवाद का उद्देश्य लोकतंत्र के ढांचे को ही खत्म करना है। आज के समय में यह मानवता के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में उभर कर सामने आया है। आतंकवाद के विरूद्ध वैश्विक लड़ाई में भारत महत्वपूर्ण बना हुआ है। यह लगभग 50 वर्षों से आतंकवाद से लड़ता आया है तथा अपनी सफलता एवं असफलता से इसने काफी कुछ सीखा है। आयोग की कोशिश आतंकवाद से लड़ने में सहयोग करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय का आह्‌वान करना है। साथ ही, आयोग ने इस बात पर हमेशा जोर दिया है कि ऐसा करते समय हमारा दृष्टिकोण मानवीय, तार्किक एवं धर्मनिरपेक्ष हो।

4.7 अयोग ने सदैव आतंकवाद के कारनामों के शिकार लोगों का मामला उठाया है तथा उन्हें राहत एवं पुनर्वास प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं। आयोग का यह दृढ़ मत है कि यद्यपि आतंकवाद

के जिस खतरे का आज हम सामना कर रहे हैं वह अभूतपूर्व है, फिर भी चूंकि आतंकवाद विरोधी उपायों का मूलाधार मानव अधिकारों एवं प्रजातंत्र की रक्षा करना है, इसलिए आतंकवाद से लड़ने वाले उपायों से विधि के शासन के विरूद्ध मानव अधिकारों के हनन् के द्वारा इन मूल्यों का उन्मूलन नहीं होना चाहिए। आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई लड़ते समय राज्य को इस बात की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि वह चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाए अथवा खुलेआम जाकर लोगों की नागरिक स्वतंत्राओं पर युद्ध की घोषणा कर दे।

(ख) हिरासत में हिंसा एव प्रताड़ना

4.8 यातना सहित हिरासत में विभिन्न प्रकार की हिंसा लोक सेवकों, जिनके ऊपर कानून को लागू करने की जिम्मेवारी है, के द्वारा किए जाने वाले ज्यादती के बदतर रूप को प्रस्तुत करता है। आयोग बलात्कार, छेड़-छाड़, यातना, पुलिस हिरासत में फर्जी मुठभेड़ जैसे अपराधों को मानव अधिकारों की रक्षा करने में व्यवस्थाजनिक असफलता का परिचायक मानता है। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए आयोग प्रतिबद्ध है कि इस तरह के अवैध व्यवहारों को रोका जाए तथा सभी मामलों में मानव गरिमा का सम्मान हो। पीड़ितों अथवा उनके निकट संबंधी को मुआवजे की सिफारिश के अतिरिक्त आयोग का प्रयास उस माहौल को खत्म करने की दिशा में भी जारी है, जिसमें पुलिसवाले, लॉकअप एवं जेल की चारदिवारी के अंदर, जहां पीड़ित असहाय होता है, “यूनिफार्म” एवं “अधिकार” के आवरण तले मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है।

4.9 आयोग ने इस संबध में विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए हैं। ऐसा ही एक दिशानिर्देश यह है कि हिरासत में होने वाली मौत की सूचना 24 घंटे के भीतर आयोग को देनी होती है। हालांकि हिरासत में होने वाली सभी मौतें अपराध अथवा हिरासत में हिंसा अथवा चिकित्सा लापरवाही का परिणाम नहीं हो सकती है, यह महत्वपूर्ण है कि बिना गहन जांच तथा जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट, मजिस्ट्रेरियल जांच रिपोर्ट आदि जैसी रिपोर्टों के विश्लेषण के कोई धारणा न बनाई जाए। इसलिए राज्य प्राधिकारियों द्वारा आयोग के दिशानिर्देशों का अनुपालन हिरासत में होने वाली मौतों की घटनाओं पर नियंत्रणरखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहरहाल यह पाया गया कि कुछ मौतों की सूचना काफी विलंब से की जाती है तथा कई मामलों में संबंधित प्राधिकारियों को सशर्त समन जारी करने के बाद ही आयोग को रिपोर्ट भेजी जाती है।

4.10 वर्ष 2014-15 में जांच प्रभाग ने हिरासत में मौत के कुल 7,347 मामलों का निपटारा किया है, जिनमें न्यायिक हिरासत में मौत के 5,205 मामले तथा पुलिस हिरासत में मौत के 471 मामले शामिल हैं। प्रभाग ने सुरक्षा बलों एवं पुलिस के साथ मुठभेड़ में मौत के 162 मामलों का भी निपटारा किया। रा.मा.अ.आा. के साथ पैनल में फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने हिरासत में मौत एवं मुठभेड़ में मृत्यु के 346 मामलों में विशिष्ट राय दी है। अन्वेषण प्रभाग ने फर्जी मुठभेड़, झूठे मुकदमें में फंसाने, अवैध रूप से बंदी बनाने, हिरासत में यातना तथा मानव अधिकारों के उल्लंघन की अन्य शिकायतों में जान के खतरे के आरोपों से संबंधित शिकायतों के संबंध में 1851 मामलों में रिपोर्ट एकत्रित की है तथा इसका विश्लेषण किया है।

ग. महत्वपूर्ण दृष्टांत मामले

(क) हिरासत में मौत

न्यायिक हिरासत

1. श्रीगंगानगर केन्द्रीय कारागार, राजस्थान के प्राधिकारियों द्वारा चिकित्सा उपचार में लापरवाहीके कारण सजायाफ्ता की मौत (मामला सं. 348/20/26/2013 - जेसीडी)

4.11 आयोग को केंद्रीय कारागार, श्रीगंगानगर के अधीक्षक से दिनांक 12.2.2013 को केंद्रीय कारागार, श्रीगंगानगर, राजस्थान की हिरासत में सजायाफ्ता सोमदत्त की दिनांक 10.02.2013 को मृत्यु के बारे में सूचना मिली । सूचना के अनुसार कैदी हृदय रोग का मरीज था तथा उसका ईलाज चल रहा था। रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ कि दिनांक 10.02.2013 को कैदी ने सीने में दर्द की शिकायत की तथा उसे तत्काल सरकारी अस्पताल, श्रीगंगानगर भेज दिया गया किंतु ईलाज के दौरान रात्रि 11.40 बजे उसकी मृत्यु हो गई।

4.12 तत्पश्चात् दिनांक 13.02.13 को आयोग को श्रीगंगानगर जिले से किसी दौलतराम से एक शिकायत प्राप्त हुई। इस शिकायत में शिकायतकर्त्ता ने आरोप लगाया कि उसके द्वारा लिखित अनुरोध करने के वाबजूद मृतक कैदी को समुचित उपचार नहीं दिया गया तथा चिकित्सीय लापरवाही के कारण उसकी मौत हो गई। शिकायतकर्त्ता ने आरोप लगाया कि श्री राजीव शर्मा पूरे घटनाक्रम का चश्मदीद गवाह था। हालांकि मजिस्ट्रेरियल जांच के दौरान उसका बयान भी दर्ज नहीं किया गया। बाद में सह- कैदियों के हस्ताक्षर सहित शिकायत की मूल प्रतियों को जिला समाहर्त्ता एवं जांच मजिस्ट्रेट तथा अन्य लोगों के बीच उचित कार्रवाई के लिए जारी किया गया। आयोग ने भी उक्त शिकायत की प्रति जिला मजिस्ट्रेट तथा केंद्रीय कारागार, श्रीगंगानगर के अधीक्षक को टिप्पणी के लिए भेज दिया।

4.13 आयोग के निर्देशों के अनुसरण में अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, श्रीगंगानगर ने विस्तृत रिपोर्ट, स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट, उपाचर रिकार्ड, जांच रिपोर्ट एवं पोस्ट मार्टम रिपोर्ट सौंपी। बाद में बिसरा रिपोर्ट, मृत्यु का अंतिम कारण, पोस्ट-मार्टम जांच की सीडी तथा मजिस्ट्रेरियल जांच रिपोर्ट की कॉपी प्राप्त हुई।

4.14 आयोग ने दिनांक 09.07.2014 को रिपोर्टों पर विचार करने पर निम्नलिखित टिप्पणी की:-
“ विस्तृत रिपोर्ट से यह जाहिर होता है कि कैदी को उप जेल सूरतगढ़ से स्थानांतरण पर दिनांक 14.08.2011 को जेल में दाखिल किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार जेल में दाखिल करने के समय कैदी के स्वास्थ्य की दशा सामान्य थी। दिनांक 08.02.2013 को वह बीमार पड़ गया तथा उसे गंगानगर सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया। अस्पताल से उसे दिनांक 10.02.2013 को छुट्टी दे दी गई। पुन: उसी दिन उसे जेल के अस्पताल में भर्ती किया गया तथा रात में जब उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, उसे श्रीगंगानगर अस्पताल भेज दिया गया, जहां उसे मृत लाया गया घोषित कर दिया गया।
जांच रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं दिखाया गया है तथा राय यह बनी कि दिल का दौरा पड़ने से मृतक की मृत्यु हुई। पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट में भी मृतक के शरीर पर किसी बाहरी

चोट के पाए जाने का जिक्र नहीं है तथा जिस डॉक्टर ने पोस्ट-मार्टम जांच की उसने बिसरा रिपोर्ट के नतीजे न मिलने के कारण अपनी राय नहीं दी है। बिसरा संबंधी रासायनिक जांच रिपोर्ट में धात्विक जहर, ईथाईल और मिथाईल अल्कोहल, साइनाइड एल्कालॉड, बारबिटूरेट्स, ट्रांक्यूलिजर्स और कीटनाशक की जांच नकारात्मक निकला। जांच मजिस्ट्रेट जिसने अपने समक्ष मौजूद साक्ष्य एवं अन्य पदार्थों पर विचार किया, उन्होंने यह माना कि मृतक कैदी सोमदत्त की मृत्यु उसे जिला अस्पताल ले जाने से पहले ही हो गई थी तथा मौत का कारण दिल का दौरा पड़ना था। मजिस्ट्रेट के अनुसार ऐसा कोई प्रमाण नहीं था जिससे यह प्रतीत हो कि उसकी मौत में जेल अधिकारियोंकी तरफ से लापरवाही बरती गई थी तथा मृतक की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई थी।

आयोग का मानना है कि यद्यपि रिकार्ड में उपलब्ध सामग्री से मेडिकल बोर्ड की राय के विरूद्ध कोई विपरीत राय नहीं बनती, फिर भी इसकी चिंता इस बात को लेकर है कि क्या जेल अधिकारियों द्वारा उसे समुचित इलाज मुहैया कराने में कोई लापरवाही बरती गई थी। वस्तुत: मजिस्ट्रेरियल जांच के क्रम में मृतक का एक सह- कैदी राजीव शर्मा, जो उन सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों का चश्मदीद गवाह होने का दावा करता है जिससे मृतक की मौत हुई, ने गवाही दी है कि उसके एवं जेल में रह रहे अन्य कैदियों के विशिष्ट अनुरोध करने के वाबजूद मृतक को चिकित्सा सुविधा नहीं दी गई। यहां तक कि उन्होंने सामूहिक विरोध का सहारा लिया। जांच मजिस्ट्रेट ने इस आधार पर राजीव शर्मा के बयान को खारिजकर दिया कि कई अन्य सह-कैदियों से इस बात की पुष्टि नहीं हुई थी। किंतु गवाहों के बयानों से यह साबित होता है कि राजीव ही वह व्यक्ति था जिसके कहने पर कैदी सोमदत्त को औषधालय ले जाया गया तथा राजीव मृतक के साथ था एवं उसने मृतक को औषधालय ले जाने में जेल कर्मचारियों की मदद की। राजीव शर्मा के बयान से यह पता चलता है कि मृतक मध्याह्न से ही ठीक महसूस नहीं कर रहा था और एक गार्ड ने उसे आश्वासन दिया था कि यदि कोई गाड़ी आती है तो उसे बीकानेर भेज दिया जाएगा, किंतु रात्रि 9.00 बजे तक कोई गाड़ी नहीं आई। उस समय मृतक के सिर में दर्द महसूस हुआ और जब कोई जवाब नहीं मिला तो राजीव ने चिल्लाना शुरू कर दिया। तब 15 मिनट के बाद गार्ड आए तथा उसने स्वयं मृतक को औषधालय ले जाने में सहयोग देना चाहा, परंतु रोगी को बिना किसी इलाज के तेज दर्द के साथ विस्तर पर पड़े रहने दिया गया। परिणामस्वरूप मृतक बेहोश हो गया। उसके बाद राजीव को जबरदस्ती उसके बैरक ले जाया गया।

रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री से यह पता चलता है कि दिनांक 10.02.2013 को रात्रि 10.30 बजे मृतक ने सीने में दर्द की शिकायत की तथा उसे तत्काल श्रीगंगानगर सरकारी अस्पताल भेज दिया गया जहां इलाज के दौरान रात्रि 11.40 बजे रोगी की मौत हो गई। किंतु यह अधीक्षक, केंद्रीय कारागार की विस्तृत रिपोर्ट से अलग है, जिसमें यह दावा किया गया है कि जब रोगी को सीने में दर्द की शिकायत पर जिला अस्पताल रेफर किया गया था, उस समय रोगी को मृत लाया गया घोषित किया गया था। अधीक्षक, केंद्रीय कारागार, श्रीगंगानगर के विरोधाभासी बयान प्रथमदृष्टया उचित इलाज पाने में कैदी की मदद करने में उसकी अपनी लापरवाही छुपाने के प्रयास का प्रमाण है।

शुरूआत में, यह पाया गया है कि कैदी जेल जाते समय केवल 28 वर्ष का नौजवान था तथा स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट के अनुसार उसके स्वास्थ्य की स्थिति सामान्य थी। निर्विवाद रूप से कैदी को 8 फरवरी, 2013 को श्रीगंगानगर अस्पताल में भर्ती कराया गया था तथा दिनांक 10.02.2013 तक वह अस्पताल में रहा। जेल कर्मचारी को कैदी की स्थिति की जांच करने के लिए उसकी इको जांच कराने

की डॉक्टरी सलाह दी गई थी। इसके वाबजूद रोगी को अस्पताल से दिनांक 10.02.2013 को छुट्टी दे दी गई। यहां दो प्रश्न उठते हैं:-

(i) जब डॉक्टरों को यह महसूस हुआ कि इको जांच जरूरी है तो वह अस्पताल में यह जांच कराए बिना रोगी को छुट्टी कैसे दे सकते थे?

(ii) जेल कर्मचारियों ने इस सलाह की अनदेखी कैसे की और उन्होने इको टेस्ट क्यों नहीं कराया?

इस तथ्य को स्वीकार किया जाता है कि मृतक दिल का मरीज था तथा उसे प्रभावी इलाज एवं बीमारी से ठीक करने के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था किंतु जिस तरीके से अस्पताल में उसका इलाज हुआ और उसे छुट्टी दी गई वह चिकित्सा देख-रेख के नाम पर महज खानापूर्ति थी। किसी कैदी को चिकित्सा देखरेख का अधिकार उसका मौलिक अधिकार है, साथ ही यह उसका मानव अधिकार भी है। अस्पताल एवं जेल अधिकारियों द्वारा उसके प्रति की गई लापरवाही मृतक कैदी के मानव अधिकारों के हनन् का स्पष्ट उदाहरण है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को कारण बताने का निर्देश दिया जाता है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत मृतक सजायाफ्ता कैदी सोमदत्त के निकट संबंधी को 3,00,000 रूपये का मौद्रिक मुआवजा क्यों नहीं दिया जाए, जिसने श्रीगंगानगर, राजस्थान के अस्पताल एवं जेल अधिकारियों की लापरवाही के कारण दम तोड़ दया। इसके अतिरिक्त, यह दर्शाते हुए एक रिपोर्ट सौंपी जाए कि दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है/विचार किया जा रहा है, जिनकी लापरवाही के कारण कैदी की मौत हुई। छः हफ्ते के भीतर उत्तर दें।"

4.15 आयोग के निर्देशों के अनुसरण में, उप सचिव, राजस्थान सरकार, गृह (मानव अधिकार) विभाग से दिनांक 21.10.2014 का एक उत्तर प्राप्त हुआ है। रिपोर्ट में, संबंधित अधिकारी ने उत्तर दिया है कि मृतक कैदी दिल का दौरा पड़ने से मर गया तथा उसकी नाड़ी की गति बिल्कुल शून्य थी। जेल अधिकारियों ने अपनी तरफ से कैदी की जान बचाने की पूरी कोशिश की, किंतु उसका कोई फायदा नहीं हुआ। रिपोर्ट के अनुसार, संबंधित प्राधिकारियों ने दूसरा मौका देने में कोई अवसर नहीं गंवाया, किंतु कैदी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दी थी। रिपोर्ट में उत्तर दिया गया है कि इन परिस्थितियों में मृतक कैदी का निकट संबंधी मुआवजा पाने का हकदार नहीं है।

4.16 इस मामले पर आयोग द्वारा दिनांक 16.02.2015 को विचार किया गया तथा इसने निम्नलिखित टिप्पणी देते हुए निदेश दिया कि:-

" आयोग ने उत्तर पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। उत्तर में लापरवाही के मुख्य मुद्दों का कोई समाधान नहीं किया गया है, जैसाकि आयोग के दिनांक 09.07.14 के आदेश में चर्चा की गई है। यह समझा जाना चाहिए कि हलांकि कैदी जेल के अंदर हिरासत में था, फिर भी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसे जीने के अधिकार की सुरक्षा प्राप्त थी, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। संबंधित प्राधिकारी द्वारा इस बात का कोई तर्कसंगत कारण नहीं दिया गया कि डॉक्टर की सलाह के अनुसार कैदी को इको जांच कराए बिना छुट्टी क्यों दे दी गई। जब किसी कैदी के मानव अधिकार का प्रश्न है तो राज्य प्राधिकारियों को इस बात की अनुमति नहीं दी जा सकती कि वे

स्वयं को सही साबित करने के लिए कैदी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने दायित्व से पल्ला झाड़ ले। कैदी के मानव अधिकारों का हनन् हुआ है तथा जीवन की क्षति के लिए कैदी के निकट संबंधी को आवश्यक मुआवजा देने के लिए राज्य पूर्णत: जिम्मेवार है। राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव को की गई सिफारिश के अनुसार वे 3 लाख रूपये का मुआवजा दे तथा छ: हफ्ते के भीतर भुगतानके प्रमाणसहित अनुपालन रिपोर्ट सौंपे। ”

4.17 अनुपालन रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है तथा यह मामला अभी भी आयोग के विचाराधीन है।

2. केन्द्रीय कारागार त्रिची जिला, तमिलनाडु के अधिकारियों द्वारा चिकित्सा उपचार में लापरवाही के कारण कैदी की मौत

(मामला सं. 1551/22/36/2011 - जेसीडी)

4.18 अधीक्षक केन्द्रीय कारागार, त्रिची जिला, तमिलनाडु ने दिनांक 5.11.2011 की अपनी सूचना द्वारा आयोग को 26 वर्षीय कैदी सुरेश कुमार, पुत्र श्री चेलमुथ्थु की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत की सूचना दी। सूचना के अनुसार, उसे दिनांक 24.8.2011 को जेल में भर्ती किया गया था।

4.19 दिनांक 22.11.2011 के आयोग के निर्देशों के अनुसरण में राज्य प्राधिकारियों से सभी अपेक्षित रिपोर्ट प्राप्त हो गई थी।

4.20 जांच रिपोर्ट एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक के शरीर पर चीड़ -फाड़ के घाव के अलावा किसी बाहरी चोट के निशान नहीं थे। इसमें यह राय व्यक्त की गई थी कि मृतक की मौत “किडनी एवं लीवर की बीमारी” के कारण हुई थी। बिसरा रिपोर्ट में कोई जहरीला पदार्थ नहीं पाया गया। स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट के अनुसार मृतक पेट दर्द से पीड़ित था जेल में दाखिल होने के समय वह डायबीटीज का मरीज था। मजिस्ट्रेरियल जांच में यह निष्कर्ष दिया गया कि मृतक की मौत बीमारी के कारण हुई थी। उपचार रिकार्ड के अनुसार मृतक डायबीटीज का अनियमित रूप से इलाज कराता था। उसे जेल अस्पताल में दिनांक 2.11.2011 को अर्द्धचेतन स्थिति में सीने में दर्द की शिकायत के साथ भर्ती कराया गया था तथा जेल के डॉक्टर द्वारा की गई सिफारिश पर दिनांक 2.11.2012 को रात्रि 10.40 बजे उसे एजीएम सरकारी अस्पताल, त्रिची भेज दिया गया, जहा इलाज के दौरान दिनांक 5.11.2011 को उसकी मौत हो गई। मृतक का चिकित्सा उपचार रिकार्ड आयोग के पैनल में फारेंसिक विशेषज्ञ के सामने रखा गया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि मृतक के इलाज में कोई लापरवाही बरती गई थी या नहीं। फारेंसिक विशेषज्ञ ने अपनी राय दी तथा उसके बाद आयोग ने मृतक को दिनांक 24.08.2011 से 02.11.2011 के बीच दिए गए इलाज के संबंध में जेल अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, त्रिची से स्पष्टीकरण मांगा।

4.21 आयोग ने इस मामले पर दिनांक 10.07.2013 को विचार किया तथा इसने निम्नलिखित टिप्पणी की तथा निर्देश दिया:-

“फारेंसिंक विशेषज्ञ की राय तथा मृतक को दिनांक 25.08.2011 से 2.11.2011 तक की अवधि के दौरान दिए गए उपचार को ध्यान में रखते हुए आयोग का प्रथम दृष्टया यह मत है कि यह जानने के वाबजूद कि मृतक डायबीटीज का मरीज है, उसे समुचित एवं समय पर चिकित्सा उपचार नहीं दिया गया, जिसके लिए जेल अधिकारी प्रतिनिधिक रूप से उत्तरदायी हैं। तदनुसार,

आयोग यह निर्देश देता है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार को यह बताने के लिए एक नोटिस दिया जाए कि मृतक जिसकी समय पर चिकित्सा सहायता न मिलने के कारण कम उम्र में ही मृत्यु हो गई, के निकट संबंधी को मुआवजे का भुगतान करने की सिफारिश क्यों न की जाए।

जेल अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, त्रिची, तमिलनाडु को भी मृतक को समुचित चिकित्सा उपचार सुनिश्चित न करने के लिए दोषी चिकित्सा अधिकारियों के विरूद्ध समुचित जांच आरंभ करने एवं उनके विरूद्ध समुचित अनुशासनिक कार्रवाई आरंभ करने का निदेश दिया। इस संबंध में रिपोर्ट चार हफ्ते के भीतर प्रस्तुत की जाए।"

4.22 इसके प्रतिउत्तर में अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, त्रिची ने यह सूचित किया कि आवश्यक दस्तावेज निदेशक, चिकित्सा सेवा, चेन्नई को अग्रेषित कर दिया गया है, जो तीन दोषी अधिकारियों अर्थात: (i) डॉ. एस. नेपोलियन (ii) डा. आर.एन. वेंकटसुबु और (ii) डॉ. मनियन के विरूद्ध कार्रवाई करने लिए सक्षम प्राधिकारी हैं, उन्हें डॉ. एस नेपोलियन, सहायक शल्य चिकित्सक, केन्द्रीय कारा, त्रिची का दिनांक 13.08.2013 का स्पष्टीकरण भी भेजा गया। संयुक्त सचिव, तमिलनाडु सरकार ने भी श्री सुरेश कुमार की मृत्यु के लिए दोषी तीन चिकित्सा अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरंभ करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा उठाए कदमों को प्रस्तुत किया। राज्य सरकार ने तीन दोषी चिकित्सा अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही पूरी करने और की गई कार्रवाई रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आठ सप्ताह का समय मांगा।

4.23 मामले पर दिनांक 06.06.2014 को विचार करते समय, आयोग ने यह पाया और निदेश दिया कि:-

"तीन दोषी चिकित्सा अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरंभ की जाए और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को 8 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जाए। जहां तक कारण बताओ नोटिस के जवाब का संबंध है, इस संबंध में तमिलनाडु सरकार के संयुक्त सचिव का दिनांक 30.10.2013 को उत्तर कि मृतक थीरू सुरेश उर्फ सुरेश कुमार के निकट संबंधी को मुआवजा देने का मामला विचाराधीन है, क्योंकि तीन दोषी चिकित्सा अधिकारियों के विरूद्ध जाचं पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। आयोग ने पहले ही अपनी यह राय कायम रखी है कि मृतक सुरेश कुमार की मौत चिकित्सा सहायता समय पर न मिलने के कारण कम उम्र में ही हो गई, जो कि पूरे परिवार के लिए एक बड़ी क्षति है। इन परिस्थितियों में आयोग तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव को निर्देश देता है कि वे मृतक सुरेश कुमार के निकट संबंधी को ऊपर दी गई अवधि के अंदर 3,00,000/- रूपये (तीन लाख रूपये) के मुआवजे का भुगतान करें तथा पीड़ित के परिवार द्वारा इसकी पावती की रसीद सहित ऐसे भुगतान की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। "

4.24 भुगतान के प्रमाण सहित अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हो गई है तथा इस मामले को बंद कर दिया गया।

3. केन्द्रीय कारा, कडप्पा, आंध्र प्रदेश में विचाराधीन की मौत

(मामला सं. 739/1/3/08-09 - जेसीडी)

4.25 आयोग को अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, कडप्पा से 25 वर्षीय एक विचाराधीन चप्पीडी पवन उर्फ लर्धराज उर्फ पोट्टोलु की मौत के बारे में सूचना प्राप्त हुई। यह सूचना दी गई थी कि उक्त कैदी को दिनांक 26.06.2008 को जेल में भर्ती कराया गया था तथा वह गुर्दे की बीमारी से पीड़ित था। दिनांक 16.12.2008 को प्रात: 6 बजे उसे आरआईएमएस, कडप्पा रेफर किया गया जहां से उसे फिर एसबीआरआर अस्पताल, तिरूपति शहर, चित्तूर जिला भेज दिया गया जहां उसी दिन 11.30 बजे ईलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

4.26 आयोग ने मामले का संज्ञान लिया तथा अपने महानिदेशक (अन्वेषण) को संबंधित प्राधिकारियों से अपेक्षित रिपोर्ट एकत्रित करने का अनुरोध किया।

4.27 अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इस घटना की जांच कडप्पा के राजस्व डिविजनल अधिकारी द्वारा की गई थी। जांच के क्रम में मजिस्ट्रेट ने मृतक के रिश्तेदारों तथा जेल अधिकारियों, जेल के डॉक्टर एवं सह कैदी सहित अन्य गवाहों से पूछताछ की। उसकी मां सहित मृतक के रिश्तेदारों ने संदेह व्यक्त किया कि जब वह जेल में था तो जेल अधिकारियों द्वारा उसकी पिटाई की गई थी। हालांकि सह-कैदियों ने यह बयान दिया कि जेल कर्मचारियों ने कभी उसकी पिटाई नहीं की। साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर मजिस्ट्रेट ने मृतक के रिश्तेदार के बयान को खारिज कर दिया तथा यह निष्कर्ष दिया कि गुर्दे की खराबी के कारण उसकी मौत हुई थी।

4.28 आयोग ने विभिन्न रिपोर्टों की सावधानीपूर्वक जांच की तथा यह माना कि आयोग को उपलब्ध कराए गए रिपोर्टों एवं रिकॉर्डों से यह प्रतीत होता है कि चप्पीडी पवन गुर्दे की बीमारी से पीड़ित था तथा जब से उसे जेल में लाया गया था उसी समय से जेल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। दिनांक 16.12.2008 को जब उसकी स्थिति बिगड़ गई तो जेल के डॉक्टर ने उसे आरआईएमएस अस्पताल कडप्पा रेफर कर दिया, जहां से उसे फिर एस.बी.आर.आर. अस्पताल, तिरूपति रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आयेाग ने यह राय व्यक्त की कि प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि मृतक को समय पर एवं पर्याप्त उपचार प्रदान करने में जेल प्राधिकारियों की ओर से लापरवाही बरती गई थी तथा कैदी की मौत के लिए राज्य मुआवजा देने के लिए जवाबदेह है। इसलिए, आयोग ने दिनांक 16.07.2014 की अपनी कार्यवाही द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार को इस बात का कारण बताने के लिए नोटिस जारी करने का निदेश दिया कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत मृतक चप्पीडी पवन ऊर्फ लर्धुराज के निकट संबंधी को मौद्रिक सहायता की सिफारिश क्यों न की जाए।

4.29 कारण बताओ नोटिस के जवाब में राज्य सरकार का यह तर्क था कि मृतक कैदी के उपचार में कोई लापरवाही नहीं बरती गई थी तथा कैदी को रोग के लक्षण के अनुसार जेल में इलाज किया गया था तथा उसने कभी किसी गंभीर समस्या की शिकायत नहीं की थी।

4.30 आयोग ने राज्य सरकार की दलील में कोई दम नहीं पया तथा निम्नलिखित टिप्पणी की:

" कैदी गुर्दे का मरीज था। जेल अधिकारी उसकी बीमारी के बारे में जानते थे। फिर भी जेल में 6 महीनों तक उसका इलाज कराया गया। इस अवधि के दौरान उसे किसी विशेषज्ञ के पास नहीं

भेजा गया। जब उसकी स्थिति खराब हो गई तभी उसे दिनांक 16.12.2008 को आर.आई.एम.एस. भेजा गया। यदि जेल अधिकारी संवेदनशील होते तो विशेषज्ञ राय के लिए उसे गुर्दा रोग विशेषज्ञ के पास भेज सकते थे।

6 महीने तक उसे विशेषज्ञ के पास नहीं भेजने की चूक यह दर्शाता है कि जेल अधिकारियों ने उसकी बीमारी को गंभीरता से नहीं लिया। इसके अतिरिक्त, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह दर्शाया गया कि चोट के आठ निशान थे, जिसमें खोपड़ी के दाहिने एवं बायें हिस्से में कनपटी में दो चोट के निशान थे। इन चोटों के बारे में राज्य द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। ”

4.31 मामले के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए आयोग ने दिनांक16.07.2014 की अपनी कार्यवाही में आंध्र प्रदेश सरकार को मृतक चप्पीडी पवन उर्फ लर्घुराज के निकट संबंधी को आर्थिक राहत के रूप में 2 लाख रूपए का भुगतान करने की सिफारिश की।

4.32 सजायाफ्ता कैदी चप्पीडी पवन उर्फ लर्घुराज की मां को 2 लाख रूपये भुगतान से संबंधित प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर आयोग ने इस मामले को बंद कर दिया।

पुलिस हिरासत

4. सदर, दादरी, भिवानी, हरियाणा के पुलिस थाने के लॉकअप में एक आरोपी की मौत (मामला सं. 898/7/2/2012 - पीसीडी)

4.33 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोग को भिवानी जिले के सदर दादरी पुलिस थाने के लॉकअपमें किसी सतीश पुत्र भगत की 12.30 बजे मौत के संबंध में पुलिस अधीक्षक, भिवानी, हरियाणा से सूचना प्राप्त हुई। मृतक को एक मामले में आईपीसी की धारा 498-ए/304-बी/34 के अंतर्गत दिनांक 13.03.12 को गिरफ्तार किया गया था। सुबह पुलिस लॉकअप की चेकिंग के दौरान आरोपी रजाई के एक टुकड़े के साथ लटकता हुआ पया गया। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

4.34 आयोग ने इस सूचना का स्वत: संज्ञान लिया तथा अपने महानिदेशक (जांच) को संबंधित प्राधिकारियों से अपेक्षित रिपोर्ट एकत्रित करने का अनुरोध किया। आयोग के निर्देशों के अनुसरण में, इसके अन्वेषण प्रभाग ने अधिकारियों से संगत रिपोर्टें प्राप्त की।

4.35 अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर किसी देवी लाल की शिकायत पर थाना प्रभारी तथा कुछ अन्य लोगों के विरूद्ध सिटी दादरी पुलिस स्टेशन में एक अपराध मामला सं. 46/2012 दर्ज किया गया। जांच के दौरान हालांकि आरोपों को साबित नहीं किया जा सका तथा अदालत में एक क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है।

4.36 पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पट्टी के निशान के अलावा 8 खरोंच/चोट के निशान का खुलासा हुआ। डॉक्टर की राय थी कि मौत लटकने के कारण हुई थी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चरखी दादरी

द्वारा इस बात की जांच की गई कि सतीश की मौत किन परिस्थितियों में हुई। मजिस्ट्रेट ने पुलिस के बयान पर विश्वास नहीं किया तथा आत्महत्या की कहानी को खारिज कर दिया।

4.37 आयोग ने इस तथ्य को नोट किया कि पोस्टमार्टम के दौरान जो चोट पाए गए उनका कारण नहीं बताया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मजेस्ट्रेरियल जांच तथा रिकॉर्ड में उपलब्ध अन्य सामग्री पर विचार करने पर आयोग ने हरियाणा सरकार को इस बात का कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया कि मृतक सतीश के निकट संबंधी को मौद्रिक राहत का भुगतान करने की सिफारिश क्यों न की जाए।

4.38 कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए राज्य सरकार ने कहा कि उचित मौद्रिक राहत देने के मामले में आयोग जो ठीक समझे वैसी कार्रवाई कर सकता है।

4.39 राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए रवैये तथा रिकार्ड में उपलब्ध रिपोर्टों पर विचार करने पर आयोग ने दिनांक 13.08.2014 की अपनी कार्यवाही द्वारा हरियाणा सरकार को मृतक सतीश के निकट संबंधी को 3 लाख रूपये की मौद्रिक सहायता का भुगतान करने की सिफारिश की । आयोग ने यह भी निर्देश दिया कि यदि मृतक अपने पीछे बच्चे छोड़ गया है तो उस राशि को एक राष्ट्रीय बैंक में सावधि जमा में रखा जाए तथा परिपक्व होने पर बच्चे को वह राशि प्राप्त हो। आयोग ने यह भी सिफारिश की कि यदि मृतक का कोई बच्चा नहीं है तो इस राशि का भुगतान मृतक के माता-पिता को किया जाए।

4.40 अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार (गृह विभाग) ने आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार मृतक सतीश के निकट संबंधी को 3,00,000 रूपये के मुआवजे का भुगतान करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा दी गई मंजूरी की सूचना दी है। हालांकि भुगतान का प्रमाण अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

5. आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में पुलिस हिरासत में आत्महत्या (मामला सं. 16296/24/6/2011- पीसीडी)

4.41 आयोग को पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ से पुलिस हिरासत में कमलेश कुमार सिंह की आत्महत्या के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। यह सूचना दी गई थी कि गंभीरपुर पुलिस थाने में दिनांक 6 अप्रैल, 2011 को हत्या का एक मामला दर्ज किया गया था तथा मामले की जांच के दौरान कमलेश कुमार सिंह का नाम प्रकाश में आया। 14 अप्रैल,2011 को उसे गिरफ्तार किया गया तथा अगले दिन पुलिस लॉकअप के शौचालय में सुबह 8.30 बजे उसने लैम्प पोस्ट से कमीज एवं पैंट से लटककर आत्महत्या कर ली। आयोग को इस मामले पर दो और शिकायतें प्राप्त हुई तथा उन्हें अलग-अलग दर्ज किया गया। बाद में दोनों मामलों को इस मामले के साथ जोड़ दिया गया।

4.42 आयोग ने सूचना का संज्ञान लिया तथा दिनांक 18.05.2011 की अपनी कार्यवाही द्वारा अपने महानिदेशक (अन्वेषण) को संबंधित अधिकारियों से अपेक्षित रिपोर्ट एकत्र करने का अनुरोध किया। अधिकारियों से संगत रिपोर्ट प्राप्त हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की गरदन पर खरोंच

एवं चोट का खुलासा हुआ तथा जिस सर्जन ने पोस्टमार्टम किया उसकी राय थी कि गरदन एवं वक्ष पर दवाब पड़ने से श्वास में अवरोध के कारण उसकी मौत हुई।

4.43 न्यायिक मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा मौत की परिस्थितियों की जांच की गई, जिसने आत्महत्या की कहानी पर विश्वास नहीं किया। डॉ विमलेश कुमार, जिसने पोस्टमार्टम की, ने मजिस्ट्रेट के समक्ष गवाही दी कि पोस्टमार्टम 15 अप्रैल, 2011 को अपराहन 3.10 बजे शुरू हुआ तथा शव काठिल (रिगोर मोर्टिस) पूरी तरह विकसित हो चुका था। उनका कहना था कि शव काठिल के पूरी तरह विकसित होने में कम से कम 12 घंटे लगते हैं। इसका मतलब था कि मौत प्रात: 3 बजे से 4 बजे के बीच हुई थी, न कि 8 बजे जैसा कि पुलिस का आरोप था। मजिस्ट्रट ने यह भी नोट किया कि गरदन पर पट्टी के नहीं बल्कि दवाब के निशान पाए गए थे। दवाब के निशान तिरछे न होकर समानान्तर थे। पोस्टमार्टम करने वाले सर्जन द्वारा की गई टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए मजिस्ट्रेट ने यह निष्कर्ष दिया कि यह मानव हत्या का मामला था।

4.44 मजिस्टेरियल जांच रिपोर्ट तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर विचार करने पर आयोग ने दिनांक 15.01.2014 की अपनी कार्यवाही में पुलिस के इस बयान पर विश्वास नहीं किया कि कमलेश कुमार सिंह पुलिस थाने में स्वयं फांसी पर लटक गया। आयोग ने यह कहा कि यह मानव हत्या का मामला प्रतीत होता है। इसलिए, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात का कारण बताने के लिए एक नोटिस जारी करने का निर्देश दिया कि कि कमलेश कुमार सिंह के निकट संबंधी को आर्थिक सहायता देने की सिफारिश क्यों न की जाए।

4.45 कारण बताओ नोटिस के जवाब में विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 02.07.2014 के पत्र के माध्यम से सूचित किया कि कमलेश कुमार सिंह की मौत के बाद अपराध मामला सं. 236/2011, जो पुलिसकर्मी के विरूद्ध दर्ज था, की न्यायिक मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा जांच की गई। जांच पूरी करने के पश्चात् अदालत में दिनांक 05.01.2012 की एक अंतिम रिपोर्ट फाईल की गई तथा उसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा दिनांक 12.03.2012 को स्वीकार कर लिया गया। यह भी सूचना दी गई थी कि ईलाहाबाद उच्च न्यायालय में लोकहित याचिका सं. 25922 पीयूसीएल एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार दर्ज की गई थी तथा उसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया।

4.46 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा पास किए गए आदेश तथा उच्च न्यायालय द्वारा पास किए गए आदेश जो राज्य सरकार से मांगे गए थे, का अवलोकन करने पर आयोग ने दिनांक 10.02.2015 की अपनी कार्यवाही में निम्नलिखित टिप्पणी की:

"लोक हित याचिका उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई क्योंकि इसे याचिकाकर्त्ता द्वारा आगे नहीं बढ़या गया। स्थानीय पुलिस द्वारा दर्ज क्लोजर रिपोर्ट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा मामला सं. 236/2011 थाना गंभीरपुर में इस आधार पर स्वीकार कर लिया गया कि कि मृतक कमलेश कुमार सिंह की मां, जिसकी शिकायत पर इस मामले को दर्ज किया गया था,

ने अदालत में बयान दिया था कि पुलिस की जांच से वह संतुष्ट थी तथा उसने यह भी कहा कि उसने कुछ गलत बहकावे में आकर पुलिस के खिलाफ शिकायत की थी

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा पास किए गए आदेश का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि मजिस्ट्रेट ने मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं किया। फिर भी, हम चिकित्सा साक्ष्य की अनदेखी नहीं कर सकते जिसमें मानव हत्या की ओर इशारा किया गया है। पुलिस के अनुसार कमलेश कुमार सिंह ने सुबह लगभग 8 बजे आत्महत्या की, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह संभावना व्यक्त की गई कि मौत प्रातः 3 बजे से 4 बजे के बीच हुई थी। इसके अतिरिक्त, गरदन पर मौजूद समानांतर दवाब के निशान यह बताते हैं कि यह फांसी पर लटकने का मामला नहीं हो सकता या जैसा कि पुलिस द्वारा बताया गया है। ”

4.47 उपरोक्त टिप्पणी के साथ, आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को मृतक कमलेश कुमार सिंह के निकट संबंधी को आर्थिक सहायता के रूप में 5 लाख रूपये का भुगतान करने की सिफारिश की। मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को 8 हफ्तों के भीतर भुगतान के प्रमाण सहित अनुपालन रिपोर्ट सौंपने को कहा गया। अनुपालन रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

6. अंबाजी पुलिस थाना, जिला बानसकांठा, गुजरात में हिरासत में मौत

(मामला सं. 237/6/4/08.09 - पीसीडी)

4.48 पुलिस अधीक्षक बनासकांठा, गुजरात से किसी रूपभाई की मौत के संबंध में आयोग को सूचना प्राप्त हुई। यह सूचना दी गई थी कि रूपभाई को 19 अन्य व्यक्तियों के साथ दिनांक 13.04.2008 को सायं 7.30 बजे गिरफ्तार किया गया था। उसे अंबाजी थाने के कम्यूनिटी हॉल में रखा गया था, जहां उसने शौचालय में स्कार्फ से लटककर फांसी लगा ली। कांस्टेबल हरेशभाई दहयालाल ने उसे दिनांक 14.4.2008 को सायं 5.15 बजे शौचालय में लटका पाया। आयोग को श्री दामोदर ईश्वरभाई, मृतक रूपभाई के भतीजे से भी एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि उसका चाचा पुलिस प्रताड़ना का शिकार हुआ था

4.49 आयोग ने इस मामले पर संज्ञान लिया एवं अपने महानिदेशक (जांच) को संबंधित प्राधिकारियों से अपेक्षित रिपोर्ट एकत्र करने का अनुरोध किया।

4.50 प्राधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, दांता ने इस मामले की जांच की। उन्होंने कई गवाहों से पूछ-ताछ की एवं साक्ष्यों पर विचार करके, उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि रूपभाई ने आत्महत्या की थी।

4.51 शिकायतकर्त्ता दामोर ईश्वरभाई द्वारा लगाया गया प्रताड़ना का आरोप भी पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में सही साबित नहीं हुआ क्योंकि चोट का कोई प्रमाण नहीं पाया गया।

4.52 दिनांक 18.09.2013 को इस मामले पर विचार करने पर आयोग ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

"हालांकि,यह मामले का अंत नहीं है, कैदी के जीवन की रक्षा करना उसे हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी का दायित्व था। लाश को सबसे पहले एक सिपाही द्वारा सायं 5.15 में देखा गया था। इसका अर्थ यह है कि आत्महत्या दिन के समय की गई थी। यदि पुलिस कर्मचारी चौकस रहते तो इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को रोका जा सकता था। इस प्रकार रूपभाई की मृत्यु पुलिस की लापरवाही का परिणाम है।"

4.53 अत: आयोग ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी करने का निदेश दिया, जिसमें उनसे यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के अंतर्गत मृतक रूपभाई के निकट संबंधी को मौद्रिक राहत प्रदान करने की सिफारिश क्यों नहीं की जाए। गुजरात सरकार के मुख्य सचिव को छ: सप्ताह के भीतर कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया।

4.54 कारण बताओ नोटिस के उत्तर में उप सचिव, गृह विभाग, गुजरात सरकार ने यह उल्लेख किया गया कि अपर सिविल न्यायाधीश, जिन्होंने मृत्यु की परिस्थितियों की जाचं की, ने अपनी रिपोर्ट में पुलिस के विरूद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की है। राज्य द्वारा यह तर्क दिया गया कि मृतक ने निजता के अधिकार का गलत लाभ उठाया और शौचालय के अंदर जाकर आत्महत्या कर ली।

4.55 राज्य के उत्तर पर विचार करने पर, आयोग ने पाया कि यह घटना शौचालय में हुई थी और आरोपी व्यक्ति को नि:संदेह निजता का अधिकार था, परंतु राज्य के जवाब पर समग्र रूप से विचार किया जाना है। आयोग ने राज्य के उत्तर के निम्नलिखित भाग पर जोर दिया:

"इस मामले में यदि पुलिस कर्मचारी सतर्क होते तो इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को रोका जा सकता था और इसके लिए जांच शुरू की गई एवं जांच रिपोर्ट की सिफारिश के अनुसार, एएसआई रामजीभाई भुरजीभाई को एक वर्ष के लिए (भावी प्रभाव से) वेतनवृद्धि रोकने की सजा दी गई और पीएसआई टी.बी. राठौर को छ: माह के लिए (भावी प्रभाव से) वेतनवृद्धि रोकनेकी सजा दी गई। "

4.56 रूपभाई की मृत्यु के संबंध में लापरवाही के लिए दो पुलिस अधिकारियों को दी गई सजा पर विचार करते हुए आयोग ने दिनांक 19.07.2014 की अपनी कार्यवाही में यह कहा कि राज्य अपने प्रतिनिधिक दायित्व से बच नहीं सकता, अत: आयोग ने गुजरात सरकार को मृतक रूपभाई के निकट संबंधी को एक लाख रूपये की मौद्रिक राहत देने की सिफारिश की। मुख्य सचिव, गुजरात सरकार को छ: सप्ताह के भीतर भुगतान के प्रमाण सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

4.57 आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार गुजरात सरकार द्वारा श्री भोज भाई, मृतक रूपभाई जल्माभाई के भाई को 1.00 लाख रूपये का भुगतान करने के संबंध में प्रमाण प्राप्त होने पर आयोग ने इस मामले को बंद कर दिया।

7. अहमदनगर, महाराष्ट्र में बंदीगृह की छत में लगाए गए लोहे की रॉड से लटकने के कारण विचाराधीन की मृत्यु (मामला सं. 4099/13/1/08-09)

4.58 आयोग को जिलाधिकारी, अहमदनगर से बिरन्या चिंग्या भोसले के बंदीगृह की छत में लगाए गए लोहे की रॉड से लटकने के कारण बंदीगृह में ही दिनांक 8.3.2009 को मरने की सूचना प्राप्त हुई। मृतक थाना शेवगांव के अपराध मामला सं.12/2009 का आरोपी था और न्यायिक हिरासत में रखा गया था।

4.59 आयोग ने इस मामले का संज्ञान लिया और अपने महानिदेशक (जांच) को संबंधित प्राधिकारी से अपेक्षित रिपोर्ट एकत्र करने का अनुरोध किया।

4.60 आयोग के निदेश के अनुसरण में प्राधिकारियों से संगत रिपोर्टें प्राप्त की गई थीं।

4.61 पुलिस अधीक्षक, अहमदनगर ने यह प्रस्तुत किया कि बिरन्या चिंग्या भोसले, आयु 40 वर्ष को पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के अंतर्गत अपराध सं. 12/2009 के संबंध में हिरासत में लिया था। वह 3 से 6 फरवरी, 2009 तक पुलिस की हिरासत में था और उसे दिनांक 06.02.2009 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 395/396/307/341 के अंतर्गत अपराध मामला सं. 89/2007 के संबंध में गोवराई थाना भेजा गया था और उसके बाद उसे पुन: शेवगांव थाना भेजा गया।

4.62 दिनांक 08.03.2009 को प्रात: 5.00 बजे हेड कांस्टेबल मरकड़, जो सुरक्षा ड्यूटी पर था, ने बिरन्या चिंग्या भोसले को न्यायिक हिरासत के कमरे की छत से लगी लोहे की रॉड से लटकता हुआ देखा और उसे मृत पाया गया। शेवगांव थाने में आपराधिक दंड संहिता की धारा 174 के अंतर्गत एक एडीआर सं. 14/09 दर्ज की गई।

4.63 पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण "गले पर दवाब के कारण दम घुंटना" बताया गया।

4.64 अनुमंडलाधिकारी, नागर अनुमंडल, अहमदनगर, जिन्होंने मृत्यु की परिस्थितियों की जांच की थी, ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला कि ड्यूटी पर तैनात चौकीदारों ने ड्यूटी के दौरान लापरवाही की।

4.65 आयोग को पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (अपराध), नासिक से भी एक रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ कि पुलिस अधीक्षक, अहमदनगर ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने के कारण शेवगांव थाने के चार पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया था। विभागीय जांच पूरी होने के बाद पीएचसी/1331 भरत धोंदिबा मरकड़ को अपनी ड्यूटी निर्वहन में दोषी पाया गया और उसकी एक वेतनवृद्धि एक वर्ष के लिए रोक दी गई।

4.66 पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (अपराध), नासिक की रिपोर्ट, जिसमें यह पाया गया कि अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही की गई थी, जिसके कारण बिरन्या चिंग्या भोसले ने न्यायिक हिरासत में आत्महत्या की, सहित प्रस्तुत की गई सभी रिपोर्टों पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर, आयोग प्रथम दृष्टया इस से संतुष्ट था कि ड्यूटी पर तैनात चौकीदार, जिसे मृतक की निगरानी के लिए रखा गया था, की ओर से लापरवाही की गई थी। आयोग ने यह पाया कि यदि चौकीदार सतर्क होता तो मृतक को आत्महत्या का अवसर नहीं मिलता। अत: आयोग ने दिनांक 30.01.2014 को की गई अपनी कार्यवाही के द्वारा महाराष्ट्र सरकार को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के अंतर्गत नोटिस जारी करने का निदेश दिया, जिसमें उनसे यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि मृतक बिरन्या चिंग्या भोसले के निकट संबंधी को मौद्रिक राहत प्रदान करने की सिफारिश क्यों न की जाए।

4.67 तथापि, राज्य सरकार ने कारण बताओ नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया, अत: आयोग को यह मान कर कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ा कि उन्हें कारण बताओ नोटिस के उत्तर में कुछ नहीं कहना है और उन्हें आयोग की प्रस्तावित सिफारिश पर कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आयोग ने दिनांक 02.07.2014 को हुई अपनी कार्यवाही में महाराष्ट्र सरकार से मृतक बिरन्या चिंग्या भोसले के निकट संबंधी को 1.00 लाख रूपये अदा करने की सिफारिश की। मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार को आठ सप्ताह के भीतर भुगतान के प्रमाण सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

4.68 अनुपालन रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं है और यह मामला अभी भी आयोग के विचाराधीन है।

8. मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में कथित प्रताड़ना के कारण पुलिस हिरासत में मृत्यु (मामला सं. 40/15/1/2014-एडी)

4.69 आयोग को सुश्री अगाथा संगमा, भारत सरकार के भूतपूर्व मंत्री , नेशनल पिपुल्स के भूतपूर्व सांसद से राज्य पुलिस के द्वारा मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में मानव अधिकारों के कथित उल्लंघन की शिकायत प्राप्त हुई थी। इसमें यह आरोप लगाया गया था कि पुलिस की अत्यधिक प्रताड़ना के कारण दिनांक 27.05.2014 को विटसन एम. संगमा की मृत्यु पुलिस हिरासत में हो गई थी। शिकायतकर्त्ता ने आयोग से मामले की जांच करने और लापरवह पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

4.70 आयोग के निदेशों के अनुसरण में सभी संगत रिपोर्टें प्राप्त की गईं।

4.71 विटसन एम संगमा के संबंध में जांच रिपोर्ट में यह पता चला कि उक्त जांच एडीएम, दक्षिण गारो हिल्स द्वारा की गई, जिन्होंने पीठ, चूतड़ और जांघ पर चोट का निशान पाया, जो काला हो गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर चोट के सात निशान पाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण किसी भोथरे हथियार से आघात के कारण शरीर के विभिन्न भागों को पहुंचाया

गया चोट था और इसका पूर्ववर्ती कारण अत्यधिक तनाव था। यह मृत्यु आत्मरक्षा में की गई आत्महत्या थी।

4.72 एडीएम, साउथ गारो हिल्स, बाघमारा द्वारा तैयार की गई न्यायिक जांच रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ कि विटसन एम. संगमा को चौकपोट पुलिस द्वारा एक आपराधिक मामले में दिनांक 27.5.2014 को चौकपोट से सुबह उठाया गया था। रिपोर्ट से यह भी खुलासा हुआ कि विटसन एम. संगमा को जीडी सं. 322 के द्वारा गिरफ्तार किया गया था और उसकी चिकित्सा जांच डॉ. रोसवेल संगमा द्वारा सीएचसी चौकपोट पर सायं 4.45 में की गई थी, जिसमें रोगी की जांच करने पर डॉक्टर ने यह पाया गया कि वह अत्यन्त तनाव में था और उसके रक्त चाप की माप 150 / 110 एमएचजी थी। उन्होंने यह कहा कि चिकित्सा रिपोर्ट से मृतक के शरीर पर किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं पाए गए। उनके अनुसार मृतक को पुन: थाने लाया गया और सायं लगभग 6.15 बजे चिकित्सा जांच करने के बाद उसे पुन: बंदीगृह में रखा गया और उसके निकट संबंधी अर्थात् पत्नी, भाई और बहनोई ने बंदीगृह में उससे मुलाकात की। श्री ए. के. मरक, ओआईसी, चौकपोट, एसआई रोबियो ननग्रुम, एसआई लुसियस ए. संगमा, एसआई टी.एस. मावदोह द्वारा उससे पुन: 15-20 मिनट तक पूछताछ की गई और फिर से बंदीगृह में डाल दिया गया। जांच रिपोर्ट से यह पता चलता है कि ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी ने रात्रि 9.00 बजे जाचं की गई थी एवं उसे जीवित पाया था। परंतु कुछ समय के पश्चात् रात्रि 11.30 बजे पुन: जांच करने पर मृतक ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। इसके पश्चात् उस सुरक्षाकर्मी ने रोगी की स्थिति की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी। तत्पश्चात मृतक की स्थिति की जांच करने के लिए डॉक्टर को बंदीगृह में बुलाया गया परंतु डॉक्टर ने रात्रि 12.20 बजे उसे मृत घोषित कर दिया। जांच करने वाले दंडाधिकारी ने निष्कर्षत: यह कहा कि मृतक विटसन एम. संगमा के पीठ के निचले हिस्से, चूतड़, ऊपरी जांघ के पिछले भाग में, बायें हाथ, दाहिने मध्यमा अंगुली के ऊपरी भाग, दाहिने तर्जनी अंगुली के आंतरिक भाग में चोट के निशान पाए गए थे। जांच करने वाले दंडाधिकारी ने संगत दस्तावेज का अवलोकन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला कि मृतक को यह चोट प्रथम चिकित्सा जांच के पश्चात् ऊपर उल्लिखित पुलिस अधिकारियों द्वारा पूछताछ के दौरान लगी। उनके अनुसार बायें हाथ के बीच में पाए गए चोट के निशान से पता चलता है कि यह चोट उसे तब पहुंचायी गयी जब उसके हाथ बंधे थे और ऊपर की ओर उठा कर रखे गए थे। न्यायिक दंडाधिकारी ने अंतत: यह निष्कर्ष निकाला कि विटसन एम. संगमा, जो पहले से ही अत्यंत तनाव में था, को पहुंचाये गए शारीरिक चोट के कारण उसकी तबीयत और बिगड़ गई जिससे बंदीगृह में ही उसकी मृत्यु हो गई।

4.73 आयोग ने इस मामले पर दिनांक 02.01.2015 को विचार किया और निम्नानुसार निदेश दिए:-

"इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि मृतक पुलिस की हिरासत में था और यह प्रमाणित हो गया है कि मृतक के शरीर पर लगी चोट पुलिस की प्रताड़ना के कारण लगी, जिससे अंतत: उसकी मृत्यु हुई। यह मृतक के मानव अधिकार का घोर उल्लंघन है। उसके जीवन की क्षति के लिए राज्य

पूर्णत: उत्तरदायी है। पीएचआर अधिनियम, 1993 की धारा 18(1) के अंतर्गत मुख्य सचिव, मेघालय सरकार को छ: सप्ताह के भीतर यह स्पष्ट करने का निदेश दिया जाता है कि क्यों न मृतक के निकट संबंधी को 5 लाख रूपये का मौद्रिक मुआवजा देने की सिफारिश की जानी चाहिए। रिपोर्ट में यह दर्शाया जाना चाहिए कि घटना में संलिप्त दोषी पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध कौन से विधिक, आपराधिक एवं विभागीय कार्रवाई की गई। यह रिपोर्ट छ: सप्ताह के भीतर प्रस्तुत की जाए।"

4.74 अपने उत्तर में राज्य सरकार ने यह कहा कि जांच के दौरान पांच पुलिस वालों को दोषी पाया गया एवं उनके विरूद्ध विभागीय जांच आरंभ कर दी गई है। आयोग ने मामले पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार को भुगतान के प्रमाणपत्र सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

(ख) गैरकानूनी रूप से गिरफ्तार करना, कैद में रखना एवं प्रताड़ित करना

9. मुखर्जीनगर थाना, दिल्ली के अंतर्गत दिल्ली पुलिस द्वारा नाबालिक लड़कियों का अपहरण, गैर कानूनी रूप से हिरासत में रखना और बलात्कार का प्रयास करना।

(मामला सं. 6232/30/6/2013)

4.75 आयोग को एक एनजीओ के किसी आर. एच. बंसल से यह शिकायत प्राप्त हुई कि दिनांक 5.10.13 को दो पुलिसबालों ने विकासपुरी इलाके से तीन नबालिक लड़कियों का अपहरण किया एवं उन्हें पुलिस कॉलोनी, मुखर्जी नगर में एक सरकारी आवास में ले गया। पुलिसबालों ने उन्हें शराब पीने के लिए मजबूर किया एवं उनके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। लड़कियों ने शोर मचाया एवं पड़ोसियों ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी। मुखर्जीनगर थाने में एक मामला दर्ज किया गया।

4.76 आयोग के दिशानिदेशों के अनुसरण में, सहायक आयुक्त, पुलिस, मॉडल टाऊन, उत्तर - पश्चिम जिला से एक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें यह कहा गया कि दिनांक 5.10.13 को पुलिस कंट्रोल रूम, मुखर्जी नगर थाने में किसी लड़की के साथ छेड़-छाड़ किए जाने के संबंध में टेलीफोन पर सूचना दी गई। जांच के दौरान 13 वर्षीय पीड़ित का बयान दर्ज किया गया। उसने कहा कि आरोपी अमित तोमर उसे दो अन्य नाबालिक लड़कियों, जिनकी उम्र 10 वर्ष और 11 वर्ष है, के साथ गजिन्दर सिंह के सरकारी आवास पर लेकर आया, जहां दोनों आरोपी ने उसे जबरदस्ती शराब पिलाया एवं उसका बलात्कार करने के लिए उसके कपड़े फाड़ डाले। दोनों आरोपी दिल्ली सशस्त्र बल के तीसरे बटालियन में सिपाही के पद पर तैनात थे। उसके बयान के आधार पर यौन अपराधों से बच्चों का सरंक्षण अधिनियम 2012 की धारा 10 के साथ पठित धारा 363/342/328/354-बी/34आईपीसी के अंतर्गत एफआईआर सं. 407/13 दर्ज किया गया। दोनो आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया। पास्को अधिनियम की धारा 10 के साथ पठित 366-ए/342/328/354-ए/354-बी/308/506/120-बी/34 आईपीसी तथा 23 किशोर अधिनियम के अंतर्गत दोनों अपराधियों के विरूद्ध

दिनांक 25.10.13 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया। दोषी पुलिस कर्मियों को सेवा से निलंबित कर दिया गया। इस समय यह मामला न्यायालय में लंबित है।

4.77 आयोग ने दिनांक 7.4.2014 को मामले पर और विचार करने के पश्चात् अन्य बातों के साथ यह पाया और निम्नानुसार निदेश दिया:

"आयोग ने यह पाया कि लोक सेवकों द्वारा पीड़ित के मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, जिसके लिए राज्य को जिम्मेवारी अवश्य वहन करनी होगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को इसके मुख्य सचिव तथा पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली के माध्यम से एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए कि रिपोर्ट में उललिखित पीड़ितों को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के अंतर्गत प्रत्येक पीड़ित को 3,00,000 रूपये की मौद्रिक राहत देने की सिफारिश क्यों न की जाए। इसका प्रतिउत्तर आठ सप्ताह के भीतर दिया जाए"

4.78 ऊपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के उत्तर में, उपायुक्त, पुलिस (सतर्कता) दिल्ली ने यह कहा कि घटना के समय दोनो पुलिस कर्मी गजिन्दर सिंह और अमित तोमर कोई सरकारी ड्यूटी नहीं कर रहे थे और उन्होंने इस अपराध को अपने वैयक्तिक हैसियत से अंजाम दिया, अत: आयोग इस मामले में लचीला रूख अपनाए।

4.79 आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की ओर से भेजे गए उपर्युक्त स्पष्टीकरण पर पुन: दिनांक 23.7.2014 को विचार किया, जिसमें उन्होंने यह पाया और निम्नानुसार निदेश दिया:

"जांच रिपोर्ट के अनुसार बलात्कार की कोशिश का अपराध दो आरोपी व्यक्तियों द्वारा तब किया गया जब वे दिल्ली सशस्त्र बल के तीसरे बटालियन में सिपाही के पद पर तैनात थे। यह अपराध सिपाही गजिन्दर सिंह के सरकारी आवास पुलिस कॉलोनी, किंग्स्वे कैंप, दिल्ली में किया गया, इस अपराध के कारण आरोपी पुलिस सिपाही को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

उपर्युक्त परिस्थितियों से यह पता चलता है कि दोनों पुलिस कर्मचारी घटना के समय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कर्मचारी थे और इस अपराध को सरकारी आवास में अंजाम दिया गया था, जो एक आरोपी को पुलिस कांस्टेबल की हैसियत से उपलबध कराया गया था। अत: यह नहीं कहा जा सकता है कि अपराध करते समय आरोपी पुलिस कर्मचारी को सरकारी पद की हैसियत प्राप्त नहीं थी।

उपर्युक्त परिस्थितियों में, आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 (क) (झ) के अंतर्गत पीड़ित को उसके अभिभावक के जरिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के द्वारा 3 लाख रूपये (केवल तीन लाख रूपये) यथाशीघ्र देने की सिफारिश करता है और भुगतान के प्रमाण सहित रिपोर्ट छ: सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें।"

4.80 प्रतिउत्तर में, पुलिस उपायुक्त, उत्तर पश्चिमी जिला, दिल्ली ने यह प्रस्तुत किया कि आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार पीड़ित को 3,00,000 लाख रूपये दे दिए गए। तदनुसार आयोग ने इस मामले को बंद कर दिया।

10. स्पेशल स्टाफ, होडल हरियाणा द्वारा अवैध रूप से बंदी बनाना एवं पूछ-ताछ के दौरान प्रताड़ित करना।

(मामला सं. 1308/7/22/2012)

4.81 श्री भूदेव शास्त्री, सुपुत्र रेवती लाल, भरतपुर, राजस्थान ने उसको हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों द्वारा अवैध नजरबंदी एवं प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। उसे चोर होने के संदेह पर दिनांक 16.02.2012 को गिरफ्तार किया गया था, परंतु उसे 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। उसे थाना प्रभारी ऋषि पाल द्वारा की गई मांग के अनुसार 40,000 रूपये की घूस देने के पश्चात् छोड़ दिया गया। चूंकि पुलिस अधीक्षक, पलपल ने आरोप से इनकार करते हुए एक रिपोर्ट भेज दी तथा शिकायतकर्त्ता ने अपनी बात को फिर दुहराया, इसलिए आयोग ने सीबी-सीआईडी, हरियाणा की रिपोर्ट प्राप्त की। पुलिस महानिरीक्षक(अपराध), हरियाणा ने सूचित किया है कि पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध शिकायतकर्त्ता द्वारा गए लगाए आरोप सही पाए गए थे।

4.82 पुलिस महानिरीक्षक, हरियाणा ने यह सूचित किया है कि दोषी पुलिस अधिकारी के विरूद्ध होडल थाना, हरियाणा में आईपीसी की धारा 323, 343 और 34 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है।

4.83 आयोग ने अभिलेखबद्ध की गई सामग्री पर विचार किया एवं हरियाणा सरकार को शिकायतकर्त्ता को 1 लाख रूपये मुआवजे के रूप में देने और एफआईआर जांच और विभागीय कार्रवाई की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

4.84 पुलिस अधीक्षक, पलवल ने यह सूचित किया है कि मामले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायालय में उसका चलान किया गया। यह भी सूचित किया गया कि पुलिस उपाधीक्षक, पलवल, हरियाणा द्वारा विभागीय जांच की जा रही थी। उन्होंने यह भी सूचित किया कि भूदेव शास्त्री उर्फ भूदेव शर्मा, ग्राम - किरावत, जिला - भरतपुर, राजस्थान निवासी को चेक के जरिए 1 लाख रूपये का राहत प्रदान किया गया।

11. शेखपुर पुलिस, बिहार द्वारा दो व्यक्तियों को झूठे मामले में फंसाना एवं प्रताड़ित करना।

(मामला सं. 349/4/34/2013)

4.85 आयोग को एक एनजीओ के किसी आर.एच. बंसल से यह शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि मुकेश, उम्र 22 वर्ष को शेखपुरा पुलिस द्वारा दिनांक 24.01.2013 को अवैध रूप से उठा लिया गया और उसे शारीरिक यातना दी गई। पीड़ित को दिनांक 25.01.2013 को पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पलात में गंभीर स्थिति में भर्ती कराया गया। शिकायतकर्त्ता ने यह

भी आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा मुकेश के जीजा राजीव को भी बुरी तरह पिटा गया एवं जेल भेज दिया गया। उसने इस मामले में समुचित कार्रवाई का अनुरोध किया।

4.86 आयोग ने दिनांक 06.02.2013 को इस मामले का संज्ञान लिया और बिहार के पुलिस महानिदेशक को की गई कार्रवाई रिपोर्ट छः सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने का निदेश दिया। इसके उत्तर में पुलिस उप महानिरीक्षक (मुख्यालय), पटना, बिहार ने दिनांक 18.06.2013 के अपने पत्र के द्वारा यह सूचित किया कि कथित घटना के संबंध में दो आपराधिक मामले: 21/2013 तथा 6/2013 दर्ज किए गए हैं और इसकी जांच सीबी-सीआईडी को सौंप दी गई है। इस पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि दोषी पुलिस अधिकारी श्री बाबू राम, आई.पी.एस. को शेखपुरा से स्थानांतरित कर दिया गया है और उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का प्रस्ताव किया गया है।

4.87 सहायक पुलिस महानिरीक्षक, बिहार, पटना से भी रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार आईपीसी की धारा 273 तथा उत्पाद अधिनियम की धारा 47क के अंतर्गत अपराध सं. 6/13 की जांच के पश्चात्, यह पाया गया कि आरोपी राजीव के खिलाफ लगाए गए आरोप पूर्णत: झूठे हैं। जांच अधिकारी को इस मामले में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। इसके अलावा शेखपुरा के पुलिस अधीक्षक को दोषी पुलिस अधिकारी उप निरीक्षक गगन कुमार सुधाकर, तत्कालीन थाना प्रभारी, जयरामपुर थाना, हेड कांस्टेबल श्री राम नरेश और कांस्टेबल रंजीत कुमार यादव के विरूद्ध गलत तरीके से आरोपी बनाने के लिए समुचित अनुशासनिक कार्रवाई करने का निदेश दिया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि आईपीसी की धारा 341/323/326/338 के अंतर्गत अपराध सं. 21/13 तथा 120ख/34 की जांच करने पर यह पाया गया कि आरोपी शैलेन्द्र सिंह ऊर्फ मोंटू सिंह, एएसआई मुकेश कुमार, कांस्टेबल ड्राइवर शैलेन्द्र सिंह और कांस्टेबल संदीप कुमार पासवान, विनोद कुमार, राकेश कुमार, कुंदन कुमार, मनु प्रताप उर्फ सुशील कुमार तथा मोंटू सिंह के दो गुमनाम सहयोगी के विरूद्ध लगाए गए आरोप सही पाए गए और उक्त आरोपी व्यक्तियों के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित किए गए। जांच अधिकारी को आरोपी को गिरफ्तार करने एवं उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

4.88 आयोग ने दिनांक 30.06.2014 को इस मामले पर पुन: विचार किया और अन्य बातों के साथ निम्नलिखित निर्देश दिया:

"उपर्युक्त अपराध की जांच के अनुसार यह पाया गया कि मुकेश कुमार एवं उसके जीजा राजीव कुमार को गलत आरोप पर अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया और तत्पश्चात् वे हिरासतीय हिंसा के शिकार हुए। इनमें से मुकेश को गंभीर चोट आई जिससे उसका जीवन खतरे में पड़ गया। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया यह तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, शेखपुरा और जयरामपुर थाना, बिहार के अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा उपर्युक्त दोनों व्यक्तियों के जीवन, गरिमा के मानव अधिकार का गंभीर उल्लंघन था। इस प्रकार बिहार राज्य सरकार इनके नियोक्ता होने के कारण अपने कर्मचारियों द्वारा किए गए अत्याचार के लिए पीड़ित को मुआवजा देने हेतु प्रतिनिधि के रूप में उत्तरदायी है।

अत: आयोग ने यह निदेश दिया कि मुख्य सचिव के जरिए बिहार सरकार को यह कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए कि बिहार सरकार द्वारा दोनो पीड़ितों को चिकित्सा उपचार की पूरी लागत का भुगतान/प्रतिपूर्ति सहित उपयुक्त मौद्रिक राहत/मुआवजा देने की सिफारिश क्यों न की जाए

पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को भी यह निदेश दिया गया कि दोषी पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की जाए ताकि गलत आरोप के आधार पर पीड़ित को गिरफ्तार करने एवं कैद में रखने और हिंसा करने जिसके कारण पीड़ितों को शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा हुई, के लिए अपनी शक्ति का दुरूपयोग करने के लिए उनके विरूद्ध मुकदमा चलाया जाए। की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट छः सप्ताह के भीतर भेजी जाए।"

4.89 आयोग ने दिनांक 24.3.2015 को मामले पर और विचार किया और निम्नानुसार निदेश दिया: -

"आायोग ने रिपोर्टों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। यह अब बिल्कुल स्पष्ट है कि पीड़ित मुकेश कुमार एवं उसके जीजा राजीव कुमार को गलत तरीके से फंसाया गया और शेखपुर थाने के पुलिस कार्मिकों द्वारा उन पर अत्याचार किया गया। इससे उन्हें गंभीर चोट आई। इसके अलावा पीड़ित के साथ किए गए अत्याचार बर्बरतापूर्ण एवं अप्रत्याशित थे। इस पृष्ठभूमि में आयोग पीड़ित मुकेश कुमार एवं राजीव कुमार, दोनों को उनके चिकित्सा व्यय के लिए क्रमशः 25,000 रूपये और 20,000 रूपये मौद्रिक मुआवजा देने की सिफारिश करता है।

बिहार सरकार के मुख्य सचिव को यह निदेश दिया जाता है कि 6 हफ्ते के भीतर उक्त मुआवजा राशि का भुगतान पीड़ित को किए जाने के पश्चात् वे अनुपालन रिपोर्टप्रस्तुत करें।

पुलिस महानिदेशक, बिहार को यह भी निदेश दिया जाता है कि तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्री बाबूराम सहित दोषी पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध लंबित अनुशासनिक कार्यवाही का अंतिम परिणाम दर्शाते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। रिपोर्ट में आपराधिक कानून के अंतर्गत दोषी अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई को भी दर्शाया जाना चाहिए। "

4.90 प्राधिकारियों से उत्तर की प्रतीक्षा है और यह मामला आयोग के विचाराधीन है।

(ग) पुलिस द्वारा बलात्कार

12. पुलिस लाइंस मंडी, हिमाचल प्रदेश में तीन कांस्टेबल द्वारा एक महिला का सामूहिक बलात्कार (मामला सं. 120/8/8/2013 - डब्ल्यूसी)

4.91 शिकायतकर्ता ने यह आरोप लगाया कि पुलिस लाइंस, मंडी के तीन कांस्टेबल ने जोगीन्दर नगर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश के लैडभरोल क्षेत्र के गवल गांव के निवासी के साथ दिनांक 1.7.2013 को सामूहिक बलात्कार किया।

4.92 मंडी जिले के पुलिस अधीक्षक ने दिनांक 12/8/13 की रिपोर्ट के द्वारा यह सूचित किया कि श्रीमती जोतन देवी की गवाही पर आईपीसी की धारा 376/(घ)//342 के अंतर्गत सदर थाना, मंडी में एफआईआर सं. 167/13 दर्ज की गई तथा कांस्टेबल भूप सिंह, सुभाष चंद और मान सिंह को दिनांक 2/7/13 को गिरफ्तार किया गया और उनके विरूद्ध विभागीय जांच आरंभ कर दी गई।

4.93 आयोग ने दिनांक 11.11.2013 को मुख्य सचिव के जरिए हिमाचल प्रदेश सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निदेश दिया कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के अंतर्गत क्यों न श्रीमती जोतन देवी को मौद्रिक राहत देने की सिफारिश की जाए। डीजीपी, हिमाचल प्रदेश सरकार को दोषी पुलिस कर्मियों के विरूद्ध की गई विभागीय कार्रवाई के परिणाम से अवगत कराते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

4.94 आयोग ने दिनांक 4.4.2014 को मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार से पीड़ित को 3,00,000 रूपये के मौद्रिक मुआवजा का भुगतान करने की सिफारिश की।

4.95 मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिनांक 02.09.2014 के अपने पत्र के द्वारा यह सूचित किया कि दिनांक 02.07.2012 के मामला सं. 167/13 के ट्रायल के दौरान श्रीमती जोतन देवी ने दिनांक 30.05.2014 को अपर सत्र न्यायाधीश, मंडी के समक्ष बलात्कार के आरोप से इनकार कर दिया। अवर सचिव (गृह), हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिनांक 07.01.2015 के पत्र के द्वारा शिकायतकर्त्ता के बयान सहित सदर थाना, मंडी की अपराध सं. 167/2013 में अपर सत्र न्यायाधीश (आई) के दिनांक 14.11.2014 के एसटी सं. 34/13 के निर्णय की प्रति भेज दी। माननीय न्यायालय ने आईपीसी की धारा 342 और 376घ के अंतर्गत दंडणीय अपराध के लिए आरोपी को बरी कर दिया।

4.96 आयोग ने इस मामले को दिनांक 13.4.2015 को बंद कर दिया क्योंकि पीड़ित ने न्यायालय के समक्ष बलात्कार एवं गलत तरीके से कैद किए जाने के आरोप से इनकार कर दिया।

(घ) पुलिस की दादागीरी

13. अनुसूचित जाति के व्यक्ति, जिसकी आधी जली लाश कालाधुंगी, हल्द्वानी रोड, उत्तराखंड में पाई गयी थी, की हत्या के मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई न करना।

(मामला सं. 1684/35/7/2012)

4.97 श्री लाली राम, पुत्र धनीराम, निवासी - गुलजारपुर, कालाधुंगी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड ने अपने पुत्र धीरेन्द्र कुमार की मृत्यु की जांच सीबीआई से करवाने के लिए आयोग से अनुरोध किया।

4.98 पुलिस महानिरीक्षक, अपराध और विधि एवं कानून व्यवस्था, उत्तराखंड ने सूचित किया कि धीरेन्द्र कुमार की अधजली लाश दिनांक 30.3.2012 को रामनगर रोड पर पेट्रोल पंप के निकट पायी गयी थी। पोस्टमार्टम करने वाले सर्जन ने यह विचार व्यक्त किया कि मृत्यु का कारण "मरने से पूर्व जलने के कारण होने वाला जख्म है।" सीबी सीआईडी रिपोर्ट ने यह पुष्टि की कि धीरेन्द्र कुमार ने प्यार में असफल होने पर आत्महत्या की थी। जांच अधिकारी ने जांच में लापरवाही बरतने एवं जांच को समय पर पूरा न करने के लिए थाना प्रभारी श्री चन्द्र मोहन तथा उप निरीक्षक श्री आर.पी. कोहली के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की। नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सूचित

किया कि थाना प्रभारी एवं उप निरीक्षक श्री आर. पी. कोहली को इस मामले में लापरवाही बरतने के लिए 'चेतावनी' दे कर दंडित किया गया।

4.99 अभिलेखबद्ध सामग्री पर विचार करने पर आयोग ने उत्तराखंड सरकार को पुलिस अधिकारियों की लापरवाही के लिए शिकायतकर्त्ता को 1.00 लाख रूपये मुआवजा देने का निदेश दिया।

4.100 इसके उत्तर में पुलिस अधीक्षक (एच.आर.), पुलिस मुख्यालय, उत्तराखंड ने सूचित किया है कि शिकायतकर्त्ता श्री लाली राम को 1.00 लाख रूपये का मुआवजा दे दिया गया है।

14. गांव - पोघट-भिवानी, जिला - हरियाणा में पुलिस द्वारा हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज न करना।

(मामला सं. 3072/7/2/2012)

4.101. श्री कुंवर सिंह ने अपने पुत्र की लाश बरामद होने के बाद भी उसकी मृत्यु के मामले में एफआईआर दर्ज न करने का आरोप लगाया।

4.102 पुलिस अधीक्षक, भिवानी से प्राप्त रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अप्राकृतिक मृत्यु की रिपोर्ट, कुंवर सिंह के बयान आदि पर विचार करने पर आयोग ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को यह कारण स्पष्ट करने का निदेश दिया कि धारा 154 के अंतर्गत कोई एफआईआर क्यों न दर्ज की गई और इसके लिए जवाबदेही तय करने का निदेश दिया।

4.103 अपर महानिदेशक (अपराध), हरियाणा ने सूचित किया कि आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत बोंदकलां पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी और अपराध शाखा द्वारा जांच की जा रही है। इस पर विचार करने के पश्चात आयोग ने पाया कि एफआईआर दर्ज न करने के वाबजूद भी पुलिस द्वारा जांच की गई। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक, भिवानी ने कारण बताओ नोटिस के जवाब में एफआईआर दर्ज न करने का कारण यह बताया कि शिकायतकर्त्ता ने इस बात का उल्लेख नहीं किया था कि यह हत्या का मामला हो सकता है। उसने यह भी कहा कि दर्ज की गई एफआईआर को बाद में रद्द कर दिया गया।

4.104 आयोग ने अभिलेखबद्ध सामग्री पर विचार किया और एफआईआर दर्ज न करने के कारणों को खारिज कर दिया और यह माना कि पुलिस की यह ड्यूटी थी कि वह अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध मामला दर्ज करे और इसकी जांच करे। आयोग ने मुख्य सचिव के माध्यम से हरियाणा सरकार को शिकायतकर्त्ता को 1.00 लाख रूपये का मुआवजा देने की सिफारिश की। पुलिस महानिदेशक, हरियाणा को दो पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्रवाई आरंभ करने का भी निदेश दिया गया।

4.105 इसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक, भिवानी ने यह सूचित किया कि 1.00 लाख रूपये की मुआवजा राशि शिकायतकर्त्ता श्री कुवंर सिंह, पुत्र श्री रंजीत सिंह को संवितरित कर दी गई है।

15. मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को पूर्णिया, बिहार में रेलवे पुलिस द्वारा निर्दयतापूर्वक पिटाई।

(मामला सं. 3847/4/272013

4.106 दिनांक 24.10.2013 को " हिंदुस्तान टाइम्स" में यह खबर छपी कि "बिहार जीआरपी ने मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की बुरी तरह पिटाई की।" मीडिया में छपी खबर के अनुसार मानसिक रूप से बीमार घायल व्यक्ति जिसका नाम गयानंद चौधरी था और जो नेपाल का रहने वाला था, की निर्दयतापूर्वक पिटाई की गई और उसे जानवर की तरह बांध कर रखा गया। जिस अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था, वहां से भागने के कारण उसे रेलवे पुलिस के एक समूह के द्वारा पूर्णिया की गलियों में घसीटा गया। श्री अविनाश राय खन्ना, संसद सदस्य (राज्य सभा), पंजाब और श्री राधाकांत त्रिपाठी, अधिवक्ता एवं मानव अधिकार कार्यकर्ता ने भी प्रेस रिपोर्ट की प्रति संलग्न करते हुए शिकायत दर्ज करायी और आयोग को इस मामले में दखल देने का अनुरोध किया।

4.107. आयोग ने मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया और दिनांक 30.10.2013 की अपनी कार्यवाही के जरिए पुलिस महानिदेशक, बिहार से रिपोर्ट की मांग की।

4.108. आयोग के निदेश के उत्तर में पुलिस महानिरीक्षक, बिहार सशस्त्र बल, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना ने पुलीस अधीक्षक (रेलवे), कटिहार की विस्तृत रिपोर्ट भेजी। रिपोर्ट के अनुसार नेपाल के गयानंद चौधरी ट्रेन सं. 55735 अप कटिहार - जोगबनी पैसेंजर से पूर्णिया जंक्सन पर गिर गए और उन्हें चोट आई। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल, पूर्णिया ले जाया गया। तथापि, जब उसे यह सूचना मिली की उसके परिवार के सदस्य वहां आ रहे हैं तो वह शौचालय जाने के बहाने से वहां से भाग निकला। उसके पश्चात् वह फारविसगंज मोड़ पर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर के अंदर चला गया और मंदिर को क्षति पहुंचाना आरंभ कर दिया तथा वहां जमा हुए लोगों पर हमला कर दिया। सूचना प्राप्त होते ही एसएचओ (रेलवे) पूर्णिया अपने स्टाफ के साथ वहां तुरंत पहुंच गए और कुछ लोगों की सहायता से गयानंद चौधरी पर काबू पा लिया। उसे पुन: हाथ-पैर बांध कर सदर अस्पताल लाया गया। उसके पश्चात उसके परिवार के सदस्य उसे एम्बुलेंस में नेपाल वापस ले गए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि एसएचओ (रेलवे), पूर्णिया ने इस घटना की सूचना न तो पुलिस अधीक्षक (रेलवे), कटिहार को और न ही रेलवे पुलिस के कंट्रोल रूम, कटिहार को दी।

4.109 इस रिपोर्ट में पुलिस अधीक्षक (रेलवे) कटिहार ने निष्कर्षत: यह कहा कि जब एसएचओ (रेलवे), पूर्णिया अपने स्टाफ के साथ घटना स्थल पर पहुंचे, तो उन्हें पीड़ित को हाथ-पैर बांध कर अस्पताल नहीं ले जाना चाहिए। पीड़ित को शर्मनाक एवं अमानवीय तरीके से ले जाने के कारण एसएचओ ने विभाग को बदनाम किया है। कर्तव्य के प्रति इस लापरवाही के कारण श्री रजिंदर प्रसाद सिंह, एसएचओ (रेलवे) पूर्णिया, सहायक उप निरीक्षक योगानंद चौधरी और सिपाही बबन कुमार को निलंबित कर दिया गया और जिला समाहर्ता, कटिहार से होमगार्ड मोहम्मद इस्राफिल को बरखास्त करने की सिफारिश की गई।

4.110 पुलिस अधीक्षक (रेलवे), कटिहार की रिपोर्ट पर विचार करने पर आयोग ने पया कि पीड़ित गयानंद चौधरी मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति था, परंतु रेलवे पुलिस के कार्मिकों द्वारा उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया और उस स्थिति में उसे पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया।

4.111 उपर्युक्त परिस्थितियों में आयोग का यह मत था कि नेपाल के रहने वाले पीड़ित गयानंद चौधरी को रेलवे पुलिस द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार के लिए मुआवजा दिया जाए। अत: आयोग ने बिहार सरकार को पीड़ित गयानंद चौधरी को उसके नेपाल स्थित पते की पहचान करके पर 25,000/- रूपये की मौद्रिक राहत भुगतान करने की सिफारिश की। आयोग ने निदेश दिया कि धनराशि नेपाल में भारतीय उच्चायुक्त को विप्रेषित की जाए ताकि उसे पीड़ित को उसके नेपाल के पते पर संवितरित किया जा सके।

4.112 आयोग को विशेष सचिव (गृह), विशेष विभाग, बिहार द्वारा पुलिस महानिदेशक, बिहार को संबोधित दिनांक 10.11.2014 के पत्र की प्रति प्राप्त हुई, जिसमें राज्य सरकार द्वारा गयानंद चौधरी, नेपाल निवासी को 25,000/- रूपये मौद्रिक राहत के रूप में भुगतान करने की स्वीकृति की सूचना दी गई थी। पुलिस महानिदेशक, बिहार को यह अनुदेश दिया गया था कि भारतीय दूतावास के जरिए पीड़ित को उसके नेपाल के पते पर भुगतान करे और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करे। अनुपालन रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

16. जालंधर, पंजाब में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के 21 अफ्रीकी छात्रों के साथ पुलिस द्वारा भेद-भाव

(मामला सं. 1653/19/8/2013)

4.113 आयोग को ओकिटो कोंगो क्रिस्टोफ एवं एलिशा वकूबु से दिनांक 21.06.13 को यह शिकायत प्राप्त हुई कि दिनांक 15.06.13 को लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जालंधर, पंजाब में पढ़ने वाले 21 अफ्रीकी छात्रों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा उन पर धाराएं लगायी गई जबकि भारतीय छात्र, जिनका उन अफ्रीकी छात्रों के साथ झगड़ा हुआ था, को छोड़ दिया गया।

4.114 पुलिस आयुक्त, जालंधर, पंजाब ने यह सूचित किया कि 21 अफ्रीकी छात्रों के विरूद्ध आईपीसी की धारा 382/160/323/186/149/506 के अंतर्गत दिनांक 16/6/13 को एफआईआर सं. 141 दर्ज की गई और जांच के दौरान सभी आरोपी को दिनांक 19/7/13 को इस मामले से बरी कर दिया गया। आपराधिक पी.सी. की धारा 173 के अंतर्गत एक पुलिस रिपोर्ट, जिसमें उक्त मामले को रद्द करने की सिफारिश की गई क्षेत्रीय न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया और दोनों पक्ष ने समझौता कर लिया। उपर्युक्त को देखते हुए तथा शिकायतकर्त्ता द्वारा कोई अपनी टिप्पणी प्रस्तुत नहीं किए जाने पर आयोग ने इस मामले को दिनांक 19.3.2014 को बंद कर दिया।

17. उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के मल्खाना थाने में पटाखे के बैग में बिस्फोट होने के कारण चार चौकीदारों का झुलस जाना।

(मामला सं. 7876/24/54/2014)

4.115 आयोग को श्री आर.एच. वंसल, मानव अधिकार कार्यकर्त्ता से एक न्यूज रिपोर्ट के आधार पर एक शिकायत प्राप्त हुई। उन्होंने यह कहा कि दिनांक 05.02.2014 को चार व्यक्ति नामत: सत्तार, फेरू, राजबीर और सलीम सरूरपुर थाना, जिला मेरठ में हुए विस्फोट में जख्मी हुए थे।

4.116 आयोग के निदेश पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ ने दिनांक 28.04.2014 को अपनी रिपोर्ट भेजी, जिसमें यह कहा गया कि इसी विषय के संबंध में पुलिस उप महानिरीक्षक, मेरठ से दिनांक 06.02.2013 को उनके कार्यालय से एक पत्र प्राप्त हुआ था और जांच रिपोर्ट उन्हें प्रस्तुत की गई थी। उन्होंने पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण क्षेत्र, मेरठ की दिनांक 05.03.2014 की जांच रिपोर्ट की प्रति भेजी। जांच रिपोर्ट के अनुसार मल्खाना थाने का प्रभार दिनांक 05.02.2014 को कांस्टेबल राम गोपाल द्वारा हैड कांस्टेबल बलवीर सिंह को सौंपा गया था। कुछेक चौकीदार, जो सरकारी काम से थाने आए थे, ने मल्खाना से जब्त की गई सम्पत्ति को बाहर निकालने में मदद की विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत इस कार्रवाई के दौरान पटाखे के 25 बैग जो एफआईआर 377/11 और 309/93 मामले की सम्पत्ति थी, को भी मल्खाना से बाहर निकाला गया। अचानक पटाखे में विस्फोट हो गया और चार चौकीदार झुलस गए। उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया और अब उन्हें छोड़ दिया गया है। जांच अधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला कि विस्फोट अचानक हुआ था और किसी स्टाफ की ओर से कोई लापरवाही नहीं बरती गई थी। रिपोर्ट पर शिकायतकर्त्ता की टिप्पणी मांगी गई, जो उसने दिनांक 12.6.2014 के पत्र के द्वारा भेज दी। उसने यह कहा कि पुलिस ने विस्फोट के वास्तविक कारणों को छुपाया है और घायल व्यक्ति मुआवजे के हकदार हैं।

4.117 शिकायतकर्त्ता की टिप्पणी सहित अभिलेखबद्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात् आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को चारो घायलों में प्रत्येक को 25,000/- - 25000/- रूपये अदा करने का निदेश दिया।

18. पुणे मे आरटीआई कार्यकर्त्ता की आत्महत्या के बारे में "बियोंड हेडलाइंस" में प्रकाशित न्यूज रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान

(मामला सं. 816/13/23/2014)

4.118 आयोग को "पुणे आरटीआई कार्यकर्त्ता ने आत्महत्या की" शीर्षक के अंतर्गत "बियोंड हेडलाइंस" में प्रकाशित न्यूज रिपोर्ट की जानकारी हुई। न्यूज रिपोर्ट के अनुसार विलास दत्तात्रे बरवाकर नामक आरटीआई कार्यकर्त्ता ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी और उसके द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट में महाराष्ट्र राज्य के कई सेवारत और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारियों सहित प्रमुख राजनीतिज्ञों पर आरोप लगाए गए थे। रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया था कि मृतक कार्यकर्त्ता को पूर्व में कई अवसरों पर प्रताड़ित किया गया था। आयोग ने दिनांक 7.4.2014 को हुई

अपनी कार्यवाही के द्वारा इसका स्वत: संज्ञान लिया और महाराष्ट्र के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को इस मामले में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी करने का निदेश दिया।

4.119 महाराष्ट्र के मुख्य सचिव एवं डीजीपी को जारी नोटिस के उत्तर में आयोग को अपर पुलिस अधीक्षक, पुणे, ग्रामीण क्षेत्र से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें यह कहा गया कि यह मामला विचाराधीन है। जांच के दौरान मृतक के रिश्तेदार, सहयोगियों, पड़ोसियों और सुसाइड नोट में उल्लिखित कुछेक व्यक्तियों के बयानों को दर्ज किया गया। रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि मृतक ने उक्त व्यक्तियों का नाम द्वेष में लिखा था, क्योंकि उन व्यक्तियों ने उसे सहयोग करने से मना कर दिया था। मृतक और उसके भाई के बीच भी एक विवाद चल रहा था, जिसके लिए उसका एक रिश्तेदार आपसी समझौता कराने का प्रयास कर रहा था। मृतक की पत्नी सुसाइड नोट के विषय में कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं थी और उसने विशेषरूप से यह उल्लेख किया कि उसे पुलिस प्राधिकारियों और जिन व्यक्तियों के नाम का उल्लेख उसके मृतक पति ने अपने सुसाइड नोट में किया है, के प्रति कोई शिकायत नहीं है। यह भी पता चला कि मृतक ने पुलिस तथा अन्य प्राधिकारियों के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिकायत करनी आरंभ कर दी थी।

4.120 आयोग ने दिनांक 30.3.2015 को हुई अपनी कार्यवाही के द्वारा इस उत्तर पर विचार किया। मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। आयोग ने मुख्य सचिव को इस मामले में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया और पुलिस महानिदेशक, महाराष्ट्र को इस मामले में नवीनतम स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए स्मरण कराने का निदेश दिया।

(ड.) पुलिस मुठभेड़ या गोलीबारी

19. वाराणसी, उत्तर प्रदेश में पुलिस मुठभेड़ में एक व्यक्ति की मृत्यु

(मामला सं. 7477/24/2006-2007)

4.121 आयोग को पुलिस के साथ मुठभेड़ में पुलिस थाना लंका, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में किसी बुद्देश मिश्रा की मौत के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से दिनांक 22.05.2006 को सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के अनुसार दो मोटरसाईकिल सवार अपराधियों को संदेहास्पद परिस्थितियों में देखा गया था। उन्होंने रूकने के इशारे की अनदेखी की तथा जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो उन्होंन पुलिस दल पर गोली चला दी। इसके बाद हुए मुठभेड़ में एक की मौत हो गई तथा दूसरा भागने में सफल रहा। बाद में यह पता चला कि कथित मुठभेड़ से कुछ ही देर पहले मृतक बुद्देश मिश्रा एवं उसके सहयोगी ने हिमांशु पांडे से उसकी मोटरसाइकिल सं. यूपी65 जेड 3169 छीन ली थी। कथित मुठभेड़ स्थल से वही मोटरसाइकिल बरामद की गई।

4.122 आयोग ने सूचना का संज्ञान लिया तथा पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी, उत्तर प्रदेश को आयोग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार मामले की जांच के संबंध में उपयुक्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

4.123 आयोग के निर्देशों के अनुसरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी ने सूचित किया कि आईपीसी की धारा 307 तथा हथियार अधिनियम 3/25 के तहत अपराध सं. 185 एवं 186 की जांच, जो क्रमश: उपरोक्त घटना के संबंध में दर्ज किए गए थे, एसआईबी को भेज दी गई तथा जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी को भी मुठभेड़ में मौत की मजिस्ट्रेरियल जांच का आदेश देने का अनुरोध किया।

4.124 मजिस्टेरियल जांच के दौरान मृतक के रिश्तेदारोंने आरोप लगया कि मुठभेड़ से पहले वाली रात बुद्देश मिश्रा को पुलिस द्वारा गांव से उठाया गया। उनकी गवाही को मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया।

4.125 आयोग ने माना कि मजिस्ट्रेट द्वारा साक्ष्य का निष्पक्ष विश्लेषण नहीं किया गया था। इसलिए आयोग ने दिनांक 22.07.2010 की अपनी कार्यवाही द्वारा राज्य सरकार को इस घटना की सीबी सीआईडी से जांच कराने का निर्देश दिया।

4.126 सीबी सीआईडी जांच की रिपोर्ट विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 30.3.2012 के पत्र के माध्यम से आयोग को भेजी गई। जांच एजेंसी ने निष्कर्ष दिया कि मुठभेड़ सही था।

4.127 सीबी सीआईडी रिपोर्ट पर विचार करने पर आयोग ने 29 अगस्त, 2013 की अपनी कार्यवाही द्वारा निम्नलिखित टिप्पणी की तथा निर्देश दिया :-

"सीबी सीआईडी रिपोर्ट की सावधानीपूर्वक जांच करने पर यद्यपि हम निष्कर्षों पर सहमत नहीं हो सकते, हमारी यह राय है कि सीबी सीआईडी ने केवल मामले को दबाने का प्रयास किया तथा सच्चाई का पता लगाने की ईमानदार कोशिश नहीं की

जांच के दौरान सीबी सीआईडी द्वारा मोटरसाईकिलसं. यूपी65जेड3169 के मालिक हिमांशु पांडे से पूछताछ की गई। उसने बायान दिया कि बंदूक की नोक पर दिनांक 22.05.2006 को उसकी मोटरसाईकिल लूट ली गई किन्तु उसने पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं की। उसने यह भी कहा कि कथित मुठभेड़ के बाद मोटरसाईकिल के कब्जे के लिए उसने अदालत में आवेदन दिया। अदालत के समक्ष दिए आवेदन में उसने कहा कि पुलिस ने दिनांक 22.05.2006 को उससे मोटसाईकिल छीनी थी तथा बाद में उस मोटरसाईकिल को मुठभेड़ के स्थान पर योजनाबद्ध तरीके से रख दिया गया। उसने यह भी स्पष्ट किया कि आवेदन में ऐसा उसने अपने वकील की सलाह पर लिखा था।

सीबी सीआईडी को एक स्वतंत्र जांच एजेंसी माना जाता है। जब इसे जांच के लिए कोई मामला सौंपा जाता है तो यह उम्मीद की जाती है कि जांच निष्पक्ष एवं प्रभावी होगी। इस मामले में यद्यपि हम पाते हैं कि सीबी सीआईडी द्वारा की गई जांच में निष्पक्षता की कमी थी। वस्तुत: यह केवल मामले को दबाने का प्रयास है। यह कहा जाता है "इंसान झूठ बोल सकता है किंतु दस्तावेज नहीं" हिमांशु पांडे ने अदालत के सामने दिए अपने आवेदन में कहा कि पुलिसकर्मियों द्वारा उससे मोटरसाईकिली छीनी गई तथा उसे कथित मुठभेड़ स्थल पर रख दिया गया था। इस आवेदन को जांच एजेंसी ने पूरी तरह अनदेखा कर दिया। आवेदन पर विश्वास करने के बजाए सीबी सीआईडी ने

हिमांशु पांडे से यह स्पष्टीकरण प्राप्त किया कि आवेदन की विषय-वस्तु वकील की सलाह पर लिखी गई थी। ऐसे स्पष्टीकरण पर केवल कोई भोला-भाला व्यक्ति ही विश्वास कर सकता था। यदि हम हिमांशु पांडे द्वारा अदालत में दिए गए आवेदन की विषय-वस्तु को माने तो पुलिस की कहानी का आधार ही खत्म हो जाता है।

उपरोक्त अवलोकन के आलोक में, हम सीबी सीआईडी की जांच रिपोर्ट को स्वीकार नहीं कर सकते। हिमांशु पांडे के बयान से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि कथित मुठभेड़ के समय जिस मोटरसाईकिल पर मृतक बुद्देश मिश्रा और उसके सहयोगी के सवार होने की बात की गई है, उसे वास्तव में पुलिस ने हिमांशु पांडे से छीना था तथा बाद में उसे घटनास्थल पर रख दिया गया। पुलिस की यह कहानी कि मोटरसाईकिल पर सवार दो अपराधियों को संदेहात्मक परिस्थितियोंमें देखा गया था तथा पुलिस ने उनका पीछा किया, पूरी तरह अविश्वसनीय लगती है। हमे विश्वास है कि यह मुठभेड़ फर्जी था। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार को कारण बताने के लिए कहते हुए एक नोटिस जारी किया जाए कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत मृतक बुद्देश मिश्रा के निकट संबंधी को आर्थिक सहायता के भुगतान की सिफारिश क्यों न की जाए। मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार 6 हफ्ते के भीतर नोटिस का उत्तर दें।"

4.128 कारण बताओ नोटिस के जवाब में राज्य सरकार ने दिनांक 20.06.2014 के अपने पत्र द्वारा मृतक के आपराधिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला। राज्य सरकार ने डीआईजी, सीबी सीआईडी की एक रिपोर्ट भी भेजी। डीआईजी ने सीबी सीआईडी की जांच रिपोर्ट पर भरोसा किया था, जिसे इस मामले में आयोग के निदेश के अनुसरण में किया गया था। सीबी सीआईडी की जांच रिपोर्ट पर आयोग द्वारा विस्तारपूर्वक चर्चा की गई तथा यह माना गया कि जांच एजेंसी ने मामले को दबाने की कोशिश की थी।

4.129 चूंकि राज्य सरकार ने घटना के स्थान पर मोटरसाईकिल रखने के संबंध में आयोग की टिप्पणी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की, आयोग ने दिनांक 18.02.2015 की अपनी कार्यवाही में माना कि राज्य ने स्वीकार किया कि जिस मुठभेड़ में बुद्देश मिश्रा मारा गया वह सही नहीं था, क्योंकि मोटरसाईकिल को वहां रखने की बात पुलिस के बयान के आधार को ही नकार रही थी। इसलिए आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को मृतक बुद्देश मिश्रा के निकट संबंधी को आर्थिक सहायता के रूप में 5 लाख रूपये का भुगतान करने की सिफारिश की। मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को 8 हफ्ते के भीतर भुगतान के प्रमाण सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था तथा उक्त रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

20 अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में फर्जी मुठभेड़ में एसओजी पुलिस द्वारा एक व्यक्ति की मृत्यु

(मामला सं. 47628/24/3/08-09 - एएफई)

4.130 आयोग को किसी वीरेश से टेलीग्राफिक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें उसने आरोप लगाया कि उसके छोटे भाई राकेश उर्फ चाचे को एसओजी (स्पेशल ऑपरेशन ग्रूप) पुलिस द्वारा उसके रिश्तेदार

के घर से दिनांक 10.02.2009 को उठा लिया गया और फर्जी मुठभेड़ में मार दिया गया। बाद में श्रीमती कैलाशी देवी, मृतक राकेश की मां से दिनांक 01.02.2010 को एक और शिकायत प्राप्त हुई। उन्होंने यह आरोप लगया कि उसके पुत्र को पुलिस द्वारा सुधीर पचौरी नामक उसके एक रिश्तेदार के घर से दिनांक 10.02.2009 को उसकी बेटी रचना की मौजूदगी में उठा लिया गया। शिकायतकर्त्ता ने यह भी आरोप लगाया कि अपनी बेटी रचना से सूचना मिलने पर वह नरेन्द्र, सुपुत्र होतीलाल, गेंदालाल बाघेल, महबूब और हनुमान के साथ दिनांक 10.02.2009 को रात्रि 9.30 बजे थाना सासनी गेट, अलीगढ़ गई थी तथा उसने लॉकअप में राकेश को देखा था। उसने यह भी दावा किया कि एसएचओ ने पूछ-ताछ के बाद उसके पुत्र को छोड़ देने का वायदा किया था। अपर पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ ने भी एसओजी कार्मिक के साथ मुठभेड़ में राकेश की मृत्यु की सूचना भेजी थी।

4.131 आयोग ने इस घटना का संज्ञान लिया एवं महानिदेशक (जांच) को संबंधित प्राधिकारियों से अपेक्षित रिपोर्ट एकत्र करने का अनुरोध किया।

4.132 पुलिस के बयान के अनुसार दिनांक 11.02.2009 को एसओजी प्रभारी अवधेश कुमार अपने दल के साथ अलीगढ़ में भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के सामने मौजूद था तभी उसे गुप्त सूचना मिली कि सिविल न्यायालय के मजार गेट के सामने दो अपराधी एक मोटरसाइकिल के साथ खड़े हैं। सूचना प्राप्त होने पर एसओजी का दल न्यायालय की ओर बढ़ा और देखा कि दो व्यक्ति मोटरसाईकिल के साथ वहां खड़े थे। पुलिस को देखने पर उन्होंने मोटरसाईकिल स्टार्ट की और जमालपुर की ओर तेजी से बढ़ गए। पीछे बैठे व्यक्ति ने पुलिस दल पर गोली चलाई। पुलिस दल ने उनका पीछा किया और 12.20 बजे रात्रि में कंट्रोल रूम में मैसेज भेजा। जब पुलिस दल नजदीक पहुंचा तो पीछे बैठे व्यक्ति ने पुन: गोली चलाई और गोली पुलिस जीप में लगी। जब अपराधी भटेडी मोड़ पर पहुंचे तो उन्होंने एक पुलिस दल को पहले से ही वहां मौजूद पाया। दोनों तरफ से अपने आप को घिरा पाकर अपराधियों ने मंजूरगढ़ी रेलवे स्टेशन की तरफ मोटरसाईकिल मोड़ ली। पीछे बैठा व्यक्ति पुलिस दल पर लगातार गोली चलाता रहा। आत्मरक्षा में पुलिस ने जबाबी कार्रवाई की जिसके परिणामस्वरूप पीछे बैठा व्यक्ति मोटरसाईकिल से गिर गया। वह एक गड्ढे में छिपकर लगातार गोली चलाता रहा। एक गोली कांस्टेबल राकेश कुमार को लगी। पुलिस ने पुन: आत्मरक्षा में गोली चलाई। लगभग 12.40 बजे गोलीबारी बंद हुई। तब पुलिस ने जीप की रोशनी में यह देखा कि एक अपराधी घायल पड़ा हुआ है। 32 बोर का एक पिस्टल उसके दाहिने हाथ के नजदिक पड़ा था। बाद में उसकी पहचान राकेश उर्फ चाचे के रूप में की गई। उसे अस्पताल भेजा गया, परंतु उसे वहां मृत घोषित किया गया। घायल सिपाही को भी इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया।

4.133 सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ द्वारा इस घटना की जांच की गई थी और उसने पुलिस के बयान पर विश्वास किया। हालांकि, पोस्टमार्टम में मृतक के सीने में गोली से हुए घाव के तीन काले निशान पाए गए। अत: दिनांक 22.09.2011 की कार्यवाही के द्वारा आयोग ने राज्य सरकार को इस घटना की जांच सीबी-सीआईडी से कराने के लिए कहा।

4.134 विशेष सचिव गृह (एचआर), उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 30.10.2013 के पत्र के द्वारा सीबी-सीआईडी की जांच रिपोर्ट आयोग को भेज दी। जांच एजेंसी ने यह निष्कर्ष निकाला कि उक्त मुठभेड़ वास्तविक था और पुलिस ने आत्मरक्षा के अधिकार का उपयोग करते हुए गोली चलायी थी।

4.135 सीबी-सीआईडी की रिपोर्ट पर विचार करने पर आयोग ने इसमें निम्नलिखित कमियां पाई:-

(i) स्थानीय जांच अधिकारी, जिन्होने इस मामले की आरंभ में जांच की थी, द्वारा पुलिस कंट्रोल रूप में मैसेज के रिकार्ड में एसओजी द्वारा दिनांक 11.02.09 की रात्रि 12.20 बजे भेजा गया मैसेज नहीं पाया गया। सीबी-सीआईडी ने स्थानीय जांच अधिकारी की ओर से हुई इस चूक को नोट किया था, परंतु रिकार्ड को प्राप्त करने में हुई चूक से पुलिस के बयान पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता उसकी आशंका उसे नहीं थी।

(ii) पुलिस के वाहन, जिस पर मृतक द्वारा चलाई गयी गोली लगी थी, की फोटो नहीं ली गई थी।

(iii) सीबी- सीआईडी द्वारा शिकायतकर्त्ता कैलाशी देवी की पुत्री रचना से पूछ-ताछ नहीं की गई थी।

(iv) कैलाशी देवी के बायान के बाद के भाग, जिसमें उन्होने शिकायत में लगाए गए आरोप को दोहराया था, पर सीबी-सीआईडी द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया।

(v) सीबी-सीआईडी ने दिनांक 10.02.2009 को आयोग को भेजी गई टेलिग्राफिक शिकायत को नजरअंदाज कर दिया। संभवत: विरेश ने सीबी-सीआईडी के सामने यह वक्तव्य दिया होगा कि उसने टेलिग्राम नहीं भेजा था, परंतु यह वास्तविकता थी कि आयोग में फर्जी मुठभेड़ की शिकायत टेलिग्राम से प्राप्त हुई थी।

(vi) कैलाशी देवी ने यह कहा कि वह दिनांक 10.02.2009 को नरेन्द्र सिंह, पुत्र होतीलाल के साथ सासनी गेट थाना गई थी। हालांकि सीबी-सीआईडी ने नरेन्द्र सिंह, पुत्र घनश्याम दास का बयान दर्ज किया।

(vii) सीबी-सीआईडी ने गैंदालाल बघेल अथवा हनुमान, जो कैलाशी देवी के साथ दिनांक 10.02.2009 को थाना गए थे, से पूछ-ताछ नहीं की।

(viii) कांस्टेबल राकेश जिसे इस घटना में गोली लगी थी, ने मजिस्टेरियल जांच के दौरान यह कहा कि उसे इलाज के लिए जे.एम. मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ ले जाया गया था। सीबी-सीआईडी द्वारा जे.एन. मेडिकल कॉलेज के मेडिकल रिकॉर्ड को जब्त नहीं किया गया। इसके बजाय वरूण अस्पताल के अभिलेख जब्त किए गए।

4.136 उपर्युक्त कमियों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने दिनांक 18.12.2013 को हुई अपनी कार्यवाही में सीबी-सीआईडी की जांच रिपोर्ट स्वीकार करने से मना कर दिया। मजिस्टेरियल जांच के दौरान कैलाशी देवी और अन्य स्वतंत्र गवाहों के बयान पर विचार करने पर, आयोग ने पाया कि घटना के संबंध में पुलिस की कहानी विश्वसनीय नहीं है। अत: आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण

अधिनियम, 1993 की धारा 18 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को यह कारण बताओ नोटिस जारी करने का निदेश दिया कि क्यों न मृतक राकेश उर्फ चाचे के निकट संबंधी को मौद्रिक राहत देने की सिफारिश की जाए।

4.137 कारण बताओ नोटिस के उत्तर में राज्य सरकार ने यह दलील दी कि उक्त मुठभेड़ वास्तविक था और उन्होंने अपने उत्तर के साथ पुलिस अधीक्षक, सीबी-सीआईडी की रिपोर्ट भी भेजी।

4.138 पुलिस अधीक्षक, सीबी-सीआईडी ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि पुलिस कंट्रोल रूम के अभिलेख की नियमानुसार छंटनी की गई थी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पुलिस की गाड़ी, जो गोली लगने से क्षतिग्रस्त हुई थी, की यांत्रिक जांच वरिष्ठ फोरमैन राज कुमार जैन द्वारा दिनांक 13.03.2009 को की गई थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि सीबी-सीआईडी के समक्ष अपने बयान में कैलाशी देवी ने यह स्वीकार किया था कि दिनांक 10.02.2009 को वह थाना अथवा पुलिस पोस्ट नहीं गई थी। जहां तक गेंदालाल बाघेल और हनुमान से पूछ-ताछ करने का संबंध है, यह उल्लेख किया गया कि हनुमान कई आपराधिक मामले में मृतक राकेश उर्फ चाचे के साथ सह-आरोपी था।

4.139 राज्य सरकार के उत्तर पर विचार करने पर आयोग ने दिनांक 30.04.2014 की अपनी कार्यवाही में यह कहा कि:

"हम पुलिस अधीक्षक, सीबी-सीआईडी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हैं। पुलिस कंट्रोल रूम के अभिलेख की छटांई दिनांक 16.2.2010 को नियमानुसार कर दी गई होगी। तथापि पुलिस को यह समझना चाहिए कि यह मामला आयोग के विचाराधीन है, अत: सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज को सुरक्षित रखना चाहिए था। सीबी-सीआईडी ने खुद स्थानीय जांच अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है, जो कंट्रोल रूम के अभिलेख को प्राप्त करने में असफल रहा,। जहां तक पुलिस की गाड़ी की यांत्रिक जांच का संबंध है, तो हम यह उल्लेख करते हैं कि घटना दिनांक 11.02.2009 को हुई परंतु पुलिस की गाड़ी को यांत्रिक जांच के लिए 13.03.2009 को भेजा गया। बीच के एक महीने के अंतराल के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। किसी भी प्रकार क्षतिग्रस्त पुलिस की गाड़ी की फोटो नहीं लेने का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। जहां तक कैलाशी देवी के बयान का संबंध है, सीबी-सीआईडी ने उसके बयान के केवल एक भाग पर विचार किया है। उसने बयान के दूसरे भाग, जिसमें उसने शिकायत में लगाए गए आरोपों को दोहराया है, पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। दिनांक 18.12.2013 की अपनी कार्यवाही में आयोग द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों का कोई जवाब नहीं दिया गया है। "

4.140 अत: आयोग ने ऐसा कोई कारण नहीं पाया कि मृतक राकेश उर्फ चाचे के निकट संबंधी को मौद्रिक राहत की सिफारिश क्यों न की जानी चाहिए और उत्तर प्रदेश की सरकार से मृतक राकेश उर्फ चाचे के निकट संबंधी को पांच लाख रूपये की राशि का भुगतान करने की सिफारिश की। उत्तर

प्रदेश के मुख्य सचिव को आठ सप्ताह के भीतर भुगतान के प्रमाण सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, परंतु उक्त रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

21. दिलशाद गार्डेन, दिल्ली में पुलिस मुठभेड़ में मौत

(मामला सं. 4693/30/2005-2006)

4.141 आयोग को संयुक्त आयुक्त, पुलिस, विशेष प्रकोष्ठ से पुलिस के साथ मुठभेड़ में दिनांक 18.03.2006 को अशोक उर्फ बंटी की मौत के संबंध में दिनांक 19.03.2006 को एक शिकायत प्राप्त हुई। सूचना के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि अशोक अपने किसी सहयोगी से मिलने के लिए स्पोटर्स काम्पलेक्स, दिलशाद गार्डेन आने वाला था। उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। रात्रि लगभग 9.45 बजे ताहिरपुर की तरफ से स्पोर्टस काम्पलेक्स की तरफ एक हरी मारूति कार आई। एक व्यक्ति कार से उतरा तथा खड़े होकर किसी का इंतजार करने लगा। खबरी ने उसकी पहचान अशोक उर्फ बंटी के रूप में की। पुलिस ने उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, किंतु उसने गोली चलाना शुरू कर दिया और भागने की कोशिश की। पुलिस दल ने अपने बचाव में गोली चलाई। उसके बाद हुई मुठभेड़ में अशोक उर्फ बंटी घायल हो गया। उसे जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

4.142 आयोग के निर्देश के अनुसरण में, अपर पुलिस आयुक्त सतर्कता, दिल्ली ने सूचित किया कि मामले की फाईल गायब थी तथा नई फाईल फिर से तैयार की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी भेजी गई थी, जिसमें मृत्यु पूर्व 10 चोटों का खुलासा हुआ। चिकित्सा राय के अनुसार मौत का कारण "कई चोट और अत्यधिक कारनिओसेरिब्रल क्षति के कारण हैमरेज से होने वाला आघात था।" इस मामले में मजिस्टेरियल जांच नहीं की गई थी। केस फाईल दुबारा तैयार करने के बाद स्थानीय पुलिस द्वारा फिर से जांच की गई थी। यह सूचित किया गया कि इस घटना के साढ़े सात वर्ष पुराना होने के कारण गवाही देने अथवा नये तथ्य उजागर करने के लिए कोई स्वतंत्र गवाह सामने नहीं आया। जांच अधिकारी ने पुलिस के गवाहों के बयानों और सीएफएसएल रिपोर्ट पर भरोसा किया। पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टरों ने मृतक के हैंड वाश को सुरक्षित रखा था। आयोग के कारण बताओ नोटिस के जवाब में पुलिस उपायुक्त (सतर्कता), दिल्ली से उत्तर प्राप्त हो गया है।

4.143 रिकार्ड में उपलब्ध सामग्री पर विचार करने पर आयोग ने कहा कि मृतक के हैंड वाश में गोली चलाने के टुकड़े न मिलने के संबंध में राज्य सरकार ने कुछ नहीं कहा है। यदि अशोक उर्फ बंटी ने पुलिस पर हमला करने के लिए हथियार का इस्तेमाल किया था तो उसके हाथ में गोली के शॉट के टुकड़े जरूर मिलने चाहिए था। पुलिस अपने बचाव की दलील देकर ही अपने कारनामे को तर्क संगत ठहरा सकती थी। ऐसी दलील आयोग के पास तभी उपलब्ध होती जब यह इस बात को साबित कर सकती थी कि अशोक उर्फ बंटी ने उन पर गोली चलाई थी। हैंडवाश में गनशॉट के टुकड़े का न मिलना हालांकि यह दर्शाता है कि उसने पुलिस पर गोली नहीं चलायी थी तथा इस प्रकार आत्म बचाव की दलील देकर पुलिस ने गोल नहीं चलाई और इसे उचित नहीं ठहरा सकती। जहां तक

किसी सरकारी गवाह को पेश नहीं कर पाने का संबंध है, पुलिस उपायुक्त, सतर्कता ने स्पष्ट किया कि यदि जांच में सहयोग करने के लिए आम लोगों में से किसी व्यक्ति को लिया गया होता तो उसका जीवन खतरे में पड़ सकता था। यदि पुलिस सरकारी गवाहों के जीवन को होने वाले खतरे के बारे में इतनी जागरूक थी तो इसे किसी सरकरी गवाह से सहयोग करने के लिए नहीं कहना चाहिए था। हालांकि, एफआईआर में यह उल्लेख था कि पुलिस ने कुछ सरकारी गवाहों को उनका सहयोग करने को कहा, जैसा कि ऊपर कहा गया है। यह घटना मार्च महीने में रात 9.45 बजे हुई, अर्थात कई पुलिस वालों ने उस समय इस घटना को जरूर देखा होगा। उनसे जांच में शामिल होने के लिए कहा जा सकता था क्योंकि अशोक उर्फ बंटी की मौत के बाद उनके किसी खतरे में पड़ने की कोई संभावना नहीं थी। उपायुक्त, पुलिस, सतर्कता द्वारा उत्तर में यह कहा गया कि मृतक अशोक के शरीर पर जख्म के पांच निशान थे, ठीक उसकी जगह शरीर पर गोली के बाहर निकले के जख्म के निशान थे। इन पांच घावों में से दो घाव मृतक के हाथों पर थे और एक उसके कंधे पर था और शेष दो घाव गरदन और सीने पर थे। यह भी बताया गया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली के घाव के किनारे काला पड़ने या गूदे जाने का कोई उल्लेख नहीं है। यह तर्क दिया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस के बयान की पुष्टि होती थी। हालांकि आयोग ने इस तर्क में कोई दम नहीं पाया।

4.144 जैसाकि ऊपर कहा गया है, पुलिस द्वारा मृतक अशोक उर्फ बंटी के ऊपर गोली चलाने को तभी सही ठहराया जा सकता था जब उनके जीवन को वास्तव में कोई खतरा होता। दूसरे शब्दों में, पुलिस द्वारा गोलीबारी को तभी सही ठहराया जा सकता था यदि अशोक उर्फ बंटी ने पुलिस पर हमला किया होता। इस मामले में मृतक के हैंड वाश में गोली चलाने के टुकड़े का न होना यह दर्शाता है कि उसने पुलिस पर हमला करने के लिए हथियार का इस्तेमाल नहीं किया था। इसलिए यदि आयोग यह मान भी ले कि पुलिस ने अशोक पर दूर से गोली चलाई थी, तो भी उनके कृत्य को कानून की मंजूरी नहीं प्राप्त थी। अशोक उर्फ बंटी एक खतरनाक अपराधी हो सकता था, परंतु पुलिस को उसे मारने का लाइसेंस प्राप्त नहीं था। उसे कानून के दायरे के अंदर कार्रवाई करनी चाहिए थी। मामले की सभी परिस्थितियों पर विचार करने पर आयोग ने पुलिस उपायुक्त, सतर्कता द्वारा दी गई दलील को स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार को मृतक अशोक उर्फ बंटी के निकट संबंधी को 5 लाख रूपये मौद्रिक राहत के रूप में देने की सिफारिश की।

22 कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में पुलिस फायरिंग में युवक की मौत

(मामला सं. 4696/30/1/2013)

4.145 आयोग को उपायुक्त, पुलिस, नई दिल्ली जिला, दिल्ली से दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में दिल्ली पुलिस द्वारा गोलीबारी के दौरान करण पांडे नामक युवक की मौत के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। यह सूचित किया गया था कि दिनांक 28.07.2013 को रात्रि 11.00 बजे से प्रात: 5.00 बजे तक स्टंट करने वाले बाइकर के विरूद्ध नाइट चेकिंग ड्यूटी कर रही पीसीआर वाहन पर रात्रि 2.1 लगभग 2.00 से 2.15 बजे करीब 35-40 उग्र बाइकरों, जो विंडसर प्लेस और अशोका रोड पर स्टंट

एवं खतरनाक करतब कर रहे थे, के द्वारा हमला किया गया। पुलिस कंट्रोल रूम वैन ने लोगों को संबोधित करने की प्रणाली में चेतावनी देकर बाइकरों को रोकने का प्रयास किया, परंतु उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके पश्चात् बाइकर अधिक उग्र हो गए और पीसीआर वैन पर पत्थर फेंकने लगे। पीसीआर वैन का प्रभारी और नाइट चेकिंग ऑफिसर, निरीक्षक रजनीश परमार, ने पीसीआर वैन पर हमला कर रही भीड़ को तितर-बितर करने के लिए अपने सर्विस रिवॉल्वर से हवा में दो फायरिंग फायरिंग की। हालांकि भीड़ पत्थर फेंकती रही और खतरनाक करबत करती रही। बाइकर को रोकने के लिए प्रभारी निरीक्षक ने अंतिम उपाय के रूप में खतरनाक बाइकर के पिछले टायर पर निशाना लगाकर गोली चलाई। इतने में बाइकर ने खतरनाक स्टंट करते हुए अचानक बाइक का अगला हिस्सा उठा लिया और गोली पिछले टायर में लगने की बजाए बाइक के पीछे बैठे व्यक्ति के पीठ में लग गई। घायल व्यक्ति को तुरंत राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे रात्रि 2.50 बजे 'मृत लाया गया' घोषित किया गया। मृतक की पहचान करण पांडे के रूप में हुई।

4.146 आयोग ने सूचना का संज्ञान लिया और महानिदेशक (जांच) से संबंधित प्राधिकारियों से संगत रिपोर्ट एकत्र करने, उनकी जांच करने और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। आयोग ने पुलिस आयुक्त, दिल्ली को भी इस मामले में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया। घटना के बारे में शिकायत प्राप्त होने पर पांच और मामले दर्ज किए गए और उन सभी मामलों को मामला सं. 4696/30/1/2031 से जोड़ दिया गया।

4.147 पोस्टमार्टम जांच के दौरान एब्रेसन कॉलर के साथ 1सीमी x 0.9 सीमी गोली के निशान पाए गए तथा खून रिस रहा था। जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया, उन्होंने यह मत प्रकट किया कि मृत्यु गोली लगने के कारण हैमरेज आघात, जो सामान्य स्वरूप में मृत्यु के लिए पर्याप्त होता है, के कारण हुई।

4.148 जिला मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली जिला द्वारा घटना की मजिस्टेरियल जांच की गई थी। जांच के दौरान मजिस्ट्रेट ने मृतक के परिवार के लोगों सहित कई स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शियों, पुनीत शर्मा, जिसके बाइक पर करण पांडे पीछे बैठा था, पुलिस अधिकारी, डॉक्टर, जिन्होंने मृतक का पोस्टमार्टम किया था, एफएसएल तथा बैलिस्टिक रिपोर्ट तथा विभिन्न स्थानों के सीसीटीवी फूटेज की जांच की। साक्ष्यों की जांच करने पर मजिस्ट्रेट ने पाया कि मृतक करण पांडे और उसका मित्र पुनीत शर्मा घटना के समय स्टंट बाइकिंग करने वाले बाइकरों के ग्रुप में शामिल था। उन्होंने यह भी पाया कि निरीक्षक रजनीश परमार, जिन्होंने मृतक पर गोली चलायी, ने स्टंट बाइकर को रोकने के लिए मानक प्रक्रिया का पालन नहीं किया और मृतक के एकमात्र बाइक पर सीधे फायरिंग करके अनावाश्यक बल प्रयोग का सहारा तब लिया जब पीसीआर कर्मचारियों के जीवन पर खतरा कम हो गया था। जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल और बैलिस्टिक रिपोर्ट, सीसीटीवी फूटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर मजिस्ट्रेट ने यह निष्कर्ष निकाला कि:

(i) बाइक के पिछले टायर पर गोली चलाने में निरीक्षक रजनीश परमार की ओर से लापरवाही बरती गई एवं गलत निर्णय लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप श्री करण पांडे की मृत्यु हुई।

(ii) गोली चलाकर अनावश्यक बल प्रयोग किया गया, जो पीसीआर अधिकारियों के जीवन पर होने वाले खतरे की तुलना में अनुपयुक्त था।

(iii) सीसीटीबी फूटेज एवं श्री राम निवास के बयान को छोड़कर अन्य प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आलोक में अत्यधिक पत्थरबाजी, जिससे पीसीआर कर्मियों की जान को खतरा हो सकता था, की सम्पूर्ण घटना अत्यंत संदिग्ध है।

4.149 मजिस्टेरियल जांच रिपोर्ट सहित विभिन्न रिपोर्टों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात्, आयोग ने दिनांक 31.03.2014 की अपनी कार्यवाही में यह विचार व्यक्त किया कि मृतक करण पांडे के निकट संबधी को उपयुक्त मुआवजा दिया जाना चाहिए और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार को यह कारण बताओ नोटिस जारी करने का निदेश दिया कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के अंतर्गत मृतक करण पांडे के निकट संबंधी को मौद्रिक राहत देने की सिफारिश क्यों न की जाए। उन्हें मजिस्टेरियल जांच रिपोर्ट पर आयोग को की गई कार्रवाई रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था।

4.150 चूंकि मुख्य सचिव, एनसीटी दिल्ली सरकार को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, आयोग ने अपनी दिनांक 07.07.14 की कार्यवाही के द्वारा यह मान लिया कि एनसीटी दिल्ली की सरकार को मौद्रिक राहत प्रदान करने के प्रति कोई आपत्ति नहीं है। मामले के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करके आयोग ने एनसीटी दिल्ली की सरकार से मृतक के निकट संबंधी - मृतक की मां को 5.00 लाख रूपये मौद्रिक राहत के रूप में देने की सिफारिश की। एनसीटी दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को भुगतान के प्रमाण सहित अनुपालन रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने को कहा गया।

4.151 आयोग के निदेश के उत्तर में उप सचिव (गृह) एनसीटी दिल्ली सरकार ने यह सूचित किया कि माननीय उप राज्यपाल दिल्ली ने करण पांडे के निकट संबंधी को एनएचआरसी द्वारा की गई की सिफारिश के अनुसार दी जाने वाली 5,00,000 लाख रूपये की मौद्रिक राहत की राशि को बढ़ाकर 50,00,000 रूपये कर दिया है। अपर पुलिस आयुक्त, सतर्कता, दिल्ली ने मृतक करण पांडे की मां के सिंडिकेड बैंक के खाते में देय दिनांक 2.1.2015 के चेक सं. 049831 के द्वारा 50,00,000/- रूपये के भुगतान के संबंध रसीद की प्रति प्रस्तुत की।

4.152 अपर पुलिस आयुक्त, सतर्कता ने यह भी सूचित किया है कि विशेष आयुक्त, पुलिस/संचालन ने निरीक्षक रजनीश परमार के विरूद्धनियमित विभागीय जांच आरंभ कर दी है और दिनांक 13.02.2014 को यह कार्य श्री धम सिंह, डीसीपी/पीसीआर को सौंप दी गई है।

4.153 चूंकि आयोग के निदेशों/सिफारिश का अनुपालन किया गया है, इस मामले को दिनांक 02.03.2015 को बंद कर दिया गया।

23. दिल्ली में पुलिस कांस्टेबल द्वारा नशे में की गई फायरिंग में 12 वर्ष के एक बच्चे की मौत (मामला सं. 2064/30/4/2012)

4.154 श्री ए. के. श्रीवास्तव, मानवधिकार जन निगरानी समिति, वाराणसी, उत्तर प्रदेश ने दिनांक 13.03.2012 को दैनिक जागरण अखबार में छपी एक खबर "सिपाही ने गोली चलाई छात्र की मौत" की ओर आयोग का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होने यह आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस के सिपाही द्वारा नशे में चलायी गई गोली से 12 वर्ष के छात्र तरूण की मौत हो गई।

4.155 आयोग के दिनांक 17.10.2012 के निदेशों के अनुसरण में, अपर पुलिस आयुक्त (सतर्कता), दिल्ली ने एक रिपोर्ट भेजी, जिसमें यह कहा गया कि उपर्युक्त घटना के संबंध में कैलाश देव की शिकायत पर मुखर्जी नगर थाना, दिल्ली में आईपीसी की धारा 307/302/34 के अंतर्गत दिनांक 12.03.2012 को एक एफआईआर सं. 76/12 दर्ज की गई है। घटना के दिन कांस्टेबल जय बाबा सं. 399 का विवाह समारोह के निकट सड़क पर अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करने के लिए विनोद कुमार चौहान के साथ कहा-सुनी हुई थी। इसके पश्चात् कांस्टेबल जय बाबा अपने दोस्त के साथ नशे में धुत होकर घटना स्थल पर आया और 12 वर्ष के बच्चे तरूण पर गोली चला दी, क्योंकि उसने उसे विनोद चौहन का पता नहीं बताया, इसमें वह लड़का घायल हो गया। तरूण को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। आरोपी पुलिस कांस्टेबल एवं उसके दोस्त को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया और हिरासत में भेज दिया गया। अपराध को अंजाम देने में इस्तमाल किया गया हथियार और 7 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। दोनों आरापी के विरूद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया तथा यह मामला सुनवाई के लिए लंबित है। पुलिस आयुक्त, दिल्ली को यह सूचित करने का निदेश दिया गया कि क्या मृतक बालक तरूण, जिसकी नशे में धुत पुलिस कांस्टेबल और उसके सहयोगी द्वारा गोली चलाने से मौत हो गई थी, के निकट संबंधी को कोई मुआवजा अथवा मौद्रिक राहत प्रदान किया गया है अथवा प्रदान किया जाना प्रस्तावित है?

4.156 पुलिस उपायुक्त , उत्तर-पश्चिम जिला, दिल्ली ने यह सूचित किया कि इस मामले में न तो कोई मुआवजा या मौद्रिक राहत दिया गया है, न ही इसका प्रस्ताव किया गया है। कांस्टेबल के विरूद्ध कानूनी एवं विभागीय कार्रवाई की गई है।

4.157 पुलिस उपायुक्त, उत्तर-पश्चिम जिला, दिल्ली ने यह सूचित किया कि कांस्टेबल के विरूद्ध कानूनी एवं विभागीय कार्रवाई की गई है।

4.158 अभिलेखबद्ध सामग्री पर विचार करने पर आयोग ने पाया कि पुलिस कांस्टेबल, जो एक सरकारी सेवक है, के द्वारा अपनी शक्ति का दुरूपयोग करने से एक निर्दोष बच्चे की जान चली गई, जिसका दायित्व राज्य को वहन करना चाहिए और एनसीटी दिल्ली की सरकार को मृतक के निकट संबंधी को मौद्रिक मुआवजा के रूप में 5 लाख रूपये भुगतान करने की सिफारिश की।

4.159 भुगतान के प्रमाण सहित अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मामले को बंद कर दिया गया।

(च) अर्द्ध सैनिक बलों द्वारा मुठभेड़ अथवा फायरिंग

24. अनंतपुर बोर्डर पर सीमा सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी में बंगलादेश की एक लड़की की मौत

(मामला सं.7/99/4/2011 - पी.एफ)

4.160 प्रो. मिजानुर रहमान, अध्यक्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, बंगलादेश ने आयोग का ध्यान उस तथ्य की ओर आकृष्ट किया कि भारत के बीएसएफ कार्मिकों द्वारा निर्दोश बंगलादेशियों की निरंतर हत्या की जा रही है। दिनांक 07.01.2010 को हुई एक घटना में अनंतपुर बोर्डर एरिया में बीएसएफ द्वारा फेलानी नामक 15 वर्ष की लड़की की गोली मार कर हत्या कर दी गई।

4.161 आयोग ने बंगलादेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष से सूचना प्राप्त होने पर इसका संज्ञान लिया और सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को एक रिपोर्ट की मांग करते हुए नोटिस जारी किया।

4.162 आयोग के निदेश के अनुसरण में गृह मंत्रालय से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट के अनुसार मृतक फेलानी की मौत गोली लगने से हुई थी, जिसे घात लगाकर छुपने एवं पेट्रोलिंग ड्यूटी के दौरान कमांडेंट अमिया घोष द्वारा चलायी गई थी। पीएमआर में यह इंगित किया गया कि मृत्यु का संभावित कारण गोली के जख्म के कारण आघात एवं हैमरेज था, जो मृत्युपूर्व एवं आत्मघातक स्वरूप का था। एक एफआईआर भी दर्ज की गई। लाश को बंगलादेश पुलिस को सौंप दिया गया। घटना के संबंध में एक स्टाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी (एससीओआई) की गई, जिसके पश्चात् एक अतिरिक्त एससीओआई किया गया, के द्वारा प्रथम दृष्ट्या यह पता चला कि कमा. अमिया घोष ने आत्मरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण किया।

4.163 स्टाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के निष्कर्षों, डीआईजी (ऑपरेशन), बीएसएफ मुख्यालय द्वारा जारी किए गए कई आदेशों और मामले की अन्य परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात्, आयोग ने गृह मंत्रालय को यह कारण बताने को कहा गया कि मृतक लड़की के निकट संबंधी को मौद्रिक राहत प्रदान करने की सिफारिश क्यों न की जाए।

4.164 कारण बताओ नोटिस के जवाब में गृह मंत्रालय ने डीआईजी (ऑपरेशन), महानिदेशक, बीएसएफ की रिपोर्ट भेजी। यह कहा गया कि मृतक लड़की का पिता नुरूल इस्लाम उसकी मृत्यु के लिए जवाबदेह है क्योंकि उसने उसे भारत से निकलने का गैर कानूनी तरीका अपनाने के लिए बाध्य किया। उसने अपनी बेटी को बाड़े को पार करने के लिए सीढ़ी पर चढ़ने के लिए कहकार उसकी जिंदगी को खतरे में डाल दिया गया था। यहा कहा गया कि उस लड़की का परिवार भारत में अवैध रूप से रह रहा था और वे दलालों की मदद से गैरकानूनी रूप से भारत - बंगलादेश की सीमा पार कर जाना चाहते थे। यह भी कहा गया कि ऐसे मामले में मुआवजे के भुगतान से समाज में गलत संदेश जाएगा और सुरक्षा बलों का मनोबल गिरेगा।

4.165 इस मामले पर दिनांक 08.08.2014 को विचार करते समय आयोग ने यह स्वीकार किया कि सुरक्षा बल सीमा पर संवेदनशील कार्य करते हैं। तथापि, यह टिप्पणी की गई कि ड्यूटी करते समय सुरक्षा बलों को कुछेक अनुशासन एवं मानदण्डों का पालन करना चाहिए। आयोग ने यह भी टिप्पणी की कि डीआईजी (ऑपरेशन), बीएसएफ मुख्यालय ने दिनांक 05.05.2005 के अपने आदेश में स्वयं यह निदेश दिया है कि अत्यंत उकसावे में सीमावर्ती क्षेत्र में कार्रवाई करते समय भी निहत्थे महिलाओं और बच्चों एवं हथियारबंद घुसपैठिए/अपराधियों के बीच अंतर किया जाना चाहिए। इस मामले में पीड़ित लड़की बिना हथियार के थी। अत: बीएसएफ कांस्टेबल, जिन्होंने उस पर गोली चलाई, ने बीएसएफ मुख्यालय द्वारा जारी उक्त परिपत्र का पालन नहीं किया। यहां तक कि स्टाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने भी यह पाया कि उसने आत्मरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण किया।

4.166 आयोग ने यह माना कि निहत्थी लड़की पर गोली चलाने को उचित नहीं ठहराया जा सकता है, अत: इसने भारत सरकार, गृह मंत्रालय को मृतक लड़की के निकट संबंधी को 5 लाख रूपये मौद्रिक राहत के रूप में देने की सिफारिश की। आयोग ने यह भी निदेश दिया कि यह राशि बंगलादेश में भारतीय उच्चायोग के जरिए संवितरित की जाए। गृह मंत्रालय से अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

(छ) जेलों में स्थिति

25. सजा पूरी होने के बाद भी इटावा जिला जेल में कैदी का पड़े रहना ।

(मामला सं. 36219/24/23/2013)

4.167 श्री कृपाल सिंह ने जिला जेल इटावा, उत्तर प्रदेश में कैद की सजा पूरी होने के बाद भी अवैध रूप से उसे कैद में रखने की शिकायत की। शिकायतकर्त्ता के सह-आरोपी सुरिन्दर सिंह को उसकी सजा पूरी होने के बाद छोड़ दिया गया, परंतु वह अभी भी जेल में दिन काट रहा है।

4.168 अपर महानिरीक्षक कारा (प्रशासन), उत्तर प्रदेश ने सूचित किया कि हालांकि उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 23.09.2005 का है, परंतु मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, इटावा ने जेल में सजा का वारंट दिनांक 27.08.2010 को भेजा था। सजा के वारंट को ध्यान में रखते हुए, उक्त मामले में शिकायतकर्त्ता की सजा उसी दिन से आरंभ हुई।

4.169 अभिलेखबद्ध साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् आयोग ने राज्य सरकार के तर्क को सही नहीं पाया। सजा की अवधि की गणना निर्णय की तारीख से की जानी चाहिए। इस मामले में शिकायतकर्त्ता कृपाल सिंह और उसके भाई सुरिन्दर सिंह को उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.09.2005 को दोषी ठहराया गया था और उन्हें 5 वर्ष की सश्रम करावास सजा दी गई थी। दोनों व्यक्ति उस समय जेल में थे। सजा निर्णय की तारीख अर्थात् 23.09.2005 से आरंभ हुई। वास्तव में सुरिन्दर सिंह को वर्ष 2010 में रिहा कर दिया गया था। किंतु शिकायतकर्त्ता कृपाल सिंह अभी भी जेल में दिन काट रहा है। यदि शिकायतकर्त्ता के मामले में सजा का वारंट संबंधित प्राधिकारी द्वारा

समय पर नहीं भेजा गया तो यह प्रशासन की चूक थी और शिकायतकर्त्ता को उस चूक के लिए दंड नहीं दिया जा सकता। शिकायतकर्त्ता ने दिनांक 23.09.2010 को अपनी सजा की अवधि पूरी कर ली और इस तारीख के पश्चात् उसे जेल में रखना गैर कानूनी है। आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को शिकायतकर्त्ता कृपाल सिंह को मौद्रिक राहत के रूप में 1 लाख रूपये अदा करने का निदेश दिया।

(ज) करंट लगने के मामले

26. डाबरी, दिल्ली में करंट लगने से पच्चीस वर्षीय युवक की मौत

(मामला सं. 3849/30/0/2013)

4.170 आयोग ने 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में दिनांक 18.06.2013 को छपी खबर "करंट लगने से युवक की मौत" का स्वत: संज्ञान लिया। रिपोर्ट के अनुसार डाबरी के महावीर इंक्लेव का पच्चीस वर्षीय निवासी राजीव शारदा अपने मित्र के साथ बाजार जा रहा था। पूरी गली में पानी भरा था। कुछ कदम चलने के बाद, उन्हें पानी में बिजली का करंट महसूस हुआ और जब उन्होंने पानी से निकलने का प्रयास किया तब राजीव अपना संतुलन खो बैठा और खम्भे के पास पहुंच गया जिसमें करंट था। पड़ोसियों ने राजीव को खींच कर खम्भे से अलग किया और उसे नजदिक के अस्पताल लेकर गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पड़ोसियों ने यह आरोप लगाया कि उन्होंने तार के लटकने और शौंर्ट होने की शिकायत बीएसईएस से कई बार की थी, परंतु इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई।

4.171 आयोग को इस घटना के संबंध में दिनांक 17.6.2013 को एक शिकायत श्री आर.एच. बंसल, महासचिव, अंतरराष्ट्रीय मावन अधिकार निगरानी परिषद से भी प्राप्त हुई।

4.172 आयोग ने अध्यक्ष, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, दिल्ली और मुख्य सचिव, एनसीटी दिल्ली सरकार को इस मामले में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया।

4.173 आायोग के निदेशों के उत्तर में, उप सचिव (विद्युत), विद्युत विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार ने उप विद्युत निरीक्षक, दिल्ली, श्रम विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तुत घटना की जांच रिपोर्ट को अग्रेषित किया। उप विद्युत निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में यह निष्कर्ष दिया कि बीएसईएस- राजधानी पावर लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के उपबंध का पालन नहीं किया गया है।

4.174 उपर्युक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् आयोग ने यह विचार व्यक्त किया कि एल.टी. ओवरहेड के इलेक्ट्रिक इंस्टालेशन का रख-रखाव उस रूप में नहीं किया गया जिससे मानव जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। यह भी उल्लेख किया गया कि खम्भे पर लगाए गए सभी मेटैलिक फिटिंग में समुचित रूप से अर्थिंग नहीं लगाया था और एलटी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के इलेक्ट्रिक इंस्टालेशन में करंट का लिकेज था। यह कहते हुए कि पीड़ित राजीव शारदा को करंट लगने का कारण यह लापरवाही थी, आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के

अंतर्गत सचिव, विद्युत विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार को यह कारण बताओ नोटिस जारी किया कि मृतक राजीव शारदा के निकट संबंधी को मौद्रिक राहत दिए जाने की सिफारिश क्यों न की जाए।

4.175 पुलिस उपायुक्त, सतर्कता, दिल्ली को भी डाबरी थाने में आईपीसी की धारा 304क के अंतर्गत दर्ज एफआईआर सं. 323/13 के परिणाम की सूचना छः सप्ताह के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था।

4.176 नोटिस के उत्तर में एनसीटी दिल्ली सरकार ने यह कहा कि दिल्ली में विद्युत वितरण का निजीकरण कर दिया गया है, अतः डिस्कॉम न तो एनसीटी दिल्ली सरकार के परिचालन और न ही प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है।।

4.177 एनसीटी दिल्ली सरकार के पक्ष को नकारते हुए अयोग ने दिनांक 16.06.2014 की अपनी कार्यवाही के द्वारा अन्य बातों के साथ यह पाया और निदेश दिया कि:

"जबकभी लापरवाही होती है और पीड़ित इसका शिकार होता है तो सरकार का यह प्राथमिक दायित्व है कि वितरण प्राइवेट एजेंसी को आबंटित किए जाने के वाबजूद वह मुआवजा प्रदान करे। यह सरकार पर है कि वह अनुबंध करने वाली एजेंसी और सरकार के बीच यह समझौता करे कि जब कभी कोई लापरवाही होती है तो मुआवजा निजी एजेंसी द्वारा दिया जाना चाहिए। अन्यथा, पीड़ित बिना किसी उपचार के रह जाता है। हालांकि बीआरपीएल, एजेंसी जिसने आपूर्ति की है, वह संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है, अतः मुआवजा के भुगतान के लिए केवल दिल्ली सरकार जवाबदेह है।

यह नोट किया जा सकता है कि बीएसईएस (आरपीएल) के कर्मचारियों द्वारा जांच के समय केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के उपबंधों का पालन नहीं किया गया। उक्त विनियम के विनियम 12(1) का उल्लंघन करते हुए एल.टी. ओवरहेड के इलेक्ट्रिक इंस्टालेशन का रख-रखाव उस रूप में नहीं किया गया जिससे मानव जीवन, पशु और सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उक्त विनियम के विनियम 72(1) के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए खम्भे पर लगाए गए सभी मेटल सपोर्ट और मेटैलिक फिटिंग में समुचित रूप से अर्थिंग नहीं लगाया था क्योंकि अर्थ वायरिंग सड़ी/गली स्थिति में था।

एनसीटी दिल्ली सरकार का विद्युत प्राधिकरण इस उल्लंघन की निगरानी करने में असफल रहा और इस रूप में मुआवजा अदा करने की प्राथमिक जवाबदेही राज्य सरकार की है।

अतः एनसीटी दिल्ली सरकार को राजीव शारदा के निकट संबंधी को मुआवजे के रूप में 3.00 लाख रूपये की राशि अदा करने की सिफारिश की जाती है। यदि बीआरपीएल द्वारा मुआवजे के रूप में कोई राशि पहले ही अदा की गई है तो शेष राशि एनसीटी दिल्ली द्वारा अदा की जाए। मुख्य सचिव, एनसीटी दिल्ली सरकार को छः सप्ताह के भीतर भुगतान के प्रमाण सहित अनुपालन रिपार्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है। "

4.178 उप सचिव (विद्युत) एनसटी दिल्ली सरकार ने दिनांक 18.09.2014 के अपने पत्र के द्वारा यह सूचित किया कि आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार चेक सं. 0475819, दिनांक 03.09.2014 के द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार वरूण, मृतक राजीव शर्दा के पिता को 3,00,000/- रूपये की राशि का भुगतान कर दिया गया है। भुगतान का प्रमाण भी प्राप्त हो गया था। चूंकि आयोग की सिफारिश का अनुपालन किया गया, अत: इस मामले को बंद कर दिया गया था।

27. फतेहपुर जिला, उत्तर प्रदेश में करंट लगने से एक निजी बस में चौदह व्यक्तियों की मौत।

(मामला सं. 43616/24/27/2012)

4.179 **मुम्बई के** श्री जी. डीसुजा ने दिनांक 29.11.2012 के अपने ई-मेल के द्वारा जी न्यूज में दिखाई गई रिपोर्ट "हाई टेंशन तार गिरने से 8 लोगों की करंट लगने से मौत" को अग्रेषित किया था। मीडिया में दिखाई गई रिपोर्ट के अनुसार एक हाईटेंशन बिजली का तार टूट गया और उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के जहानाबाद एरिया में एक निजी बस पर गिर गया। हालांकि स्थानीय लोग बचाव के लिए दौड़े परंतु करंट लगने से 8 बहूमूल्य जीवन नष्ट हो गए और 25 अन्य घायल हो गए तथा उन्हें फतेहपुर, बिंदकी और कानपुर के अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया।

4.180 इसी पकार की एक शिकायत श्री आर.एच बंसल से प्राप्त हुई थी, जिसे मामला सं. 38373/24/27/2012 के रूप में पंजीकृत किया गया और दोनों मामलों को एक साथ जोड़ दिया गया।

4.181 आयोग ने अध्यक्ष, यू पी पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया।

4.182 उप महा प्रबंधक यूपी पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक रिपोर्ट भेजी जिसमें यह कहा गया कि लाइन को निर्धारित मानक के अनुसार लगाया ग्या था। आयोग ने यूपी पॉवर कॉरपोरशन से इस रिपोर्ट की मांग की क्या मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा इस संबंध में कोई जांच की गई है, तथा यदि ऐसी कोई जांच की गई है तो उसकी एक प्रति अयोग को भेजने के लिए कहा। आयोग ने यह भी निदेश दिया कि यदि ऐसी कोई जांच नहीं की गई है तो मुख्य विद्युत निरीक्षक से घटना की जांच करने एवं आयोग को रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया जाए।

4.183 इसके उत्तर में उप महाप्रबंधक, यू पी पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार की जांच रिपोर्ट अग्रेषित की। उक्त रिपोर्ट का अवलोकन करने पर आयोग ने पाया कि भारतीय विद्युत नियमावली,1956 के नियम 77 (2) का उल्लंघन करते हुए ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की भू-तल से ऊंचाई नियम के अंतर्गत निर्धारित मानक ऊचाई अर्थात 5.8 मीटर से कम थी। जांच के दौरान यह पाया गया कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाईन की भारतीय विद्युत नियमावली के नियम 29 के द्वारा यथापेक्षित समुचित तरीके से रक्षा नहीं की थी। जांच अधिकारी ने निष्कर्षत: यह कहा कि घटना में मारे जाने वाले अथवा घायल होने वाले व्यक्ति मुआवजे के हकदार थे।

4.184 रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् आयोग ने दिनांक 13.10.2014 की अपनी कार्यवाही में यह पाया और निदेश दिया कि :

"इस घटना में चौदह व्यक्ति मारे गए थे और 27 जख्मी हुए थे। निदेशक विद्युत सुरक्षा ने जांच रिपोर्ट में यह पाया कि इन लोगों ने भारतीय विद्युत नियमावली,1956 के नियम 82(क) का उल्लंघन किया था। हालांकि मृतक तथा घायल व्यक्ति पर सहभागी लापरवाही का आरोप लगाने का प्रश्न तभी उठ सकता है जब यू पी पॉवर कारपोरेशन ने उचित ऊंचाई पर ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन लगाया होता और इसकी समुचित सुरक्षा पर ध्यान दिया होता। यह सूचित किया गया कि मृत व्यक्ति के निकट संबंधी को 1.00 लाख रूपये तथा घायल व्यक्ति को 20,000/- रूपये दिए जा रहे हैं। हमारा विचार है कि मानव जीवन की क्षति के लिए 1.00 लाख रूपये की राशि बहुत ही कम है।"

चूंकि यूपी पॉवर कारपोरेशन ने उचित ऊंचाई पर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन लगाने में लापरवाही बरती और ट्रांसमिशन लाइन की समुचित रूप से सुरक्षा करने में भी यह असफल रहा, हमारा यह विचार है कि पीड़ितों और उनके परिवार के सदस्यों को समुचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। अत: उत्तर प्रदेश सरकार को यह कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत निम्नलिखित मृतक 1. कैफ पुत्र अब्दुल, 2. निहाल पुत्र इमरान, 3 श्रीमती रामरति पत्नी श्री कमलेश, 4 राम प्रकाश पुत्र गोपी दिवाकर, 5. रितिक कुमार पुत्र राम कुमार, 6. प्रमोद कुमार पुत्र कृष्ण कुमार, 7. श्रीमती आशमा पत्नी तौफीद, 8. शिव कुमार पुत्र गिलू, 9 अब्दुल सलाम पुत्र अब्दुल करीम, 10.श्रीमती समशुल पत्नी मुख्तार खान, 11. श्रीमती शबनम पत्नी नयीम, 12 . श्रीमती सीता पत्नी गुड्डू 13. शिव शंकर पुत्र बैनम और 14. श्रीमती मुन्नी पत्नी इमरान के निकट संबंधी को समुचित मौद्रिक राहत दिए जाने की सिफारिश क्यों न की जाए। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव छ: सप्ताह के भीतर कारण बताओ नोटिस का जवाब दें।

4.185 चूंकि काफी समय के बाद भी राज्य सरकार से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ, आयोग ने दिनांक 29.12.2014 की अपनी कार्यवाही में यह पाया और निर्देश दिया कि:

" मृतकों के निकट संबंधी को अदा किए जाने हेतु प्रस्तावित 1.00 लाख रूपये की राशि अत्यंत कम है। अत: हम यह निदेश देते हैं कि इस घटना में मारे गए सभी चौदह मृतकों के निकट संबंधियों में प्रत्येक को 1.00 - 1.00 लाख रूपये की अतिरिक्त राशि दी जाए। मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार छ: सप्ताह के भीतर सभी चौदह मृतकों के निकट संबंधी को 2.00 -2.00 लाख रूपये संवितरित किए जाने का प्रमाण प्रस्तुत करे। उन्हें इस घटना में घायल सत्ताईस व्यक्तियों को प्रस्तावित 20,000/- - 20,000/- रूपये के भुगतान का प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा ।"

4.186 उत्तर प्रदेश सरकार से अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित है और यह मामला आयोग के विचाराधीन है।

28. जांगीर जिला, छत्तीसगढ़ के एक गांव में बिजली का करंट लगने से दो लड़कों की मृत्यु एवं दो अन्य का घायल होना।

(मामला सं. 715/33/6/2013)

4.187 श्री आर.एच. बंसल, एक मानव अधिकार कार्यकर्त्ता ने आयोग का ध्यान उस घटना को ओर आकृष्ट किया जो बोरसी गांव, जिला जंजगीर, छत्तीसगढ़ में दिनांक 08.09.2013 को हुई, जिसमें तालाब में नहाने के दौरान हाई टेंशन तार के टूटने एवं उनके ऊपर गिरने के कारण दो लड़कों की करंट लगने से मौत हो गई हुई एवं दो लड़के घायल हो गए।

4.188 पुलिस अधीक्षक, जंजगीर ने यह सूचित किया है कि गांववालों ने लाइनमैन और पालमगढ़, बिजली विभाग के प्रभारी अधिकारी को 11 के.वी. लाइन की क्षतिग्रस्त तार को बदलने के लिए मौखिक अनुरोध किया था, परंतु बिजली विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरंभ में एक कनिष्ठ अभियंता एवं लाइनमैन के विरूद्ध आईपीसी की धारा 34 के साथ पठित धारा 304क, 337 के अंतर्गत एफआईआर सं.400/13 दर्ज किया गया। उप सचिव, बिजली विभाग ने सूचित किया कि 11 के.वी. ओवरहेड लाइन दिनांक 08.09.2013 को आए प्राकृतिक आपदा एवं तूफान के कारण टूटी थी और तालाब में नहा रहे चार लड़कों पर गिर गई। दो लड़के नामत: मास्टर राजेश एवं मास्टर विशाल इस घटना में मारे गए, जबकि मास्टर वीरेन्द्र खुटे और मास्टर सूरज भारद्वाज घायल हो गए। दो मृतक बच्चों के निकट संबंधी को 50,000/- - 50,000/- रूपये का मुआवजा दिया गया। दो घायल लड़कों के संबंध में यह सूचित किया गया है कि उनके इलाज पर क्रमश: 19,411/- रूपये और 22,367 रूपये खर्च किए गए। उनके निकट संबंधियों को भी 3000/- - 3000/- रूपये दिए गए।

4.189 रिपोर्टों पर विचार करने के पश्चात् आयोग ने यह पाया कि मृतक लड़कों के निकट संबंधी को दिया गया 50,000/- रूपये का मुआवजा अत्यंत कम है। आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार को मृतक मास्टर राजेश और मास्टर विशाल को 1,50,000/- - 1,50,000 रूपये का अतिरिक्त मुआवजा और घायल लड़कों नामत: मास्टर सूरज भारद्वाज और वीरेन्द्र खुटे को 30,000/- 30,000/- रूपये अतिरिक्त राशि देने का निदेश दिया।

4.190 आयोग के निदेशों के अनुपालन में सचिव, ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार ने यह सूचित किया कि की गई सिफारिश के अनुसार मुआवजे का भुगतान कर दिया गया। भुगतान आदेश भारतीय स्टेट बैंक, अकल्तारा से जारी किया गया। भुगतान का प्रमाण अभी भी प्रतीक्षित है।

29. उड़ीसा राज्य के कोरापुट के बारागुड़ा गांव में करंट लगने से एक जनजातीय महिला की मौत और तीन व्यक्तियों का घायल होना

(मामला सं. 2043/18/8/2014)

4.191 श्री सुभाष महापात्र की शिकायत पर एक मामला दर्ज किया गया। यह मामला बिजली विभाग के प्राधिकारियों की लापरवाही के कारण भीतरगढ़ जीपी कोरापुट के बारागुड़ा गांव में दिनांक 24.04.2014 को एक जनजातीय महिला, सपई सौंता की मृत्यु और तीन अन्य व्यक्तियों के घायल होने से संबंधित है। यह आरोप लगाया गया कि बिजली की लाइनों का सही तरीके से रख-रखाव न

किए जाने के कारण बिजली का तार गिर गया, जिससे गांव में आग लग गई। आयोग ने इस मामले का संज्ञान लिया और सचिव, विद्युत विभाग एवं पुलिस अधीक्षक, कोरापुट को इस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया। इस मामले को भुवनेश्वर में हुए कैंप शिविर में उठाया गया। प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, उड़ीसा सरकार ने यह प्रस्तुत किया कि यह घटना साउथको, बेहरामपुर, जो उड़ीसा विद्युत विनियामक आयोग के अंतर्गत एक लाइसेंसधारी वितरक है, के लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र में घटित हुई। मुख्य विद्युत निरीक्षक (टी एण्ड डी), भुवनेश्वर ने भी एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें यह कहा गया कि यह घटना पीड़ित के घर के अंदर दिनांक 24.04.2014 को हुई। यह भी उल्लेख किया गया कि घटना वाले दिन भारी वर्षा हुई थी और बिजली चमक रही थी और जब मृतक ने घर की विद्युत आपूर्ति को बंद करने के लिए मेन स्विच को बंद करना चाहा, तो उसे करंट लग लगा। उसे बचाने के प्रयास में तीन अन्य भी घायल हो गए। मुख्य सचिव ने यह कहा कि उपर्युक्त को देखते हुए डिसकॉम अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। आयोग ने प्रधानसचिव, ऊर्जा, उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार किया। प्रस्तुत रिपोर्ट में यह पाया गया कि घरों में एकल फेज ऊर्जा मीटर, 16ए मेन स्विच और सर्विस कनेक्सन ब्रैकेट लगाए गए थे। सर्विस वायर को जीआई वायर से सपोर्ट दिया गया, जो एक ओर एबी केवल के न्यूट्रल वायर से जुड़ा था और इसका दूसरा छोर मेन स्विच से जुड़ा था। तथापि, मृतक, सहित कई बीपीएल उपभोक्ताओं को अर्थिंग नहीं दी गई थी। यह तथ्य दर्शाता है कि बीपीएल उपभोक्ताओं को कनेक्शन देते समय सरकारी प्राधिकारियों की ओर से अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री उपलब्ध कराने और सभी समुचित सावधानी बरतने जैसे अर्थिंग लगाना सुनिश्चित करने में लापरवाही बरती गई तथा घटना का दायित्व वितरण एजेंसी पर नहीं डाला जा सकता है और राज्य सरकार सपई सौंता की मृत्यु के लिए मुआवजा देने हेतु पूर्णत: उत्तरदायी है। आयोग को करंट लगने की घटना में पीड़ित को मुआवजा देने के संबंध में उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय की भी सूचना दी गई । चूंकि मामले का तथ्य मानव अधिकारों के उल्लंघन की ओर इशारा करता है, अत: आयोग का यह विचार है कि मृतक सपई सौंता के निकट संबंधी और घायल विसी सौंता, सलई जंद, साला जानी और दामबरू को मौद्रिक राहत दी जाए। अत: उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव को यह कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि पीड़ित के निकट संबंधी को मौद्रिक राहत क्यों न प्रदान की जाए। कारण बताओ नोटिस का उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

(झ) प्रदूषण एवं पर्यावरण

30. जम्मू और कश्मीर के रिएसी जिला के माहोर तहसील में जुड्डा दंसल गांव में स्टोन क्रशर की यूनिट लगाने से प्रदूषण

4.192 जम्मू और कश्मीर के रियसी जिले के गुलाम नवी ने दिनांक 07.06.2013 की शिकायत के माध्यम से यह आरोप लगाया कि मेसर्स आईटीडी सीमेन्टेशन ने इंडिया लिमिटेड उनके गांव, जो एक रिहायशी क्षेत्र है, जहां शैक्षणिक संस्थान, मस्जिद आदि है, में स्टोन क्रशर की यूनिट लगाई है, जिससे उस इलाके में काफी प्रदूषण फैल रहा है।

4.193 वित्तीय आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार ने सूचित किया कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कुछ शर्तों के साथ क्रशर लगाने की मंजूरी दी थी। यह मंजूरी केवल एक वर्ष के लिए दिनांक 27.04.2012 से दी गई थी। उसके बाद जम्मू और कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मंजूरी का नवीकरण नहीं किया गया। इस यूनिट के कार्य को जिला प्रशासन द्वारा रोक दिया गया है तथा सही समय पर इसे कहीं और लगाया जा सकता है।

4.194 चूंकि, शिकायतकर्ता से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए आयोग ने दिनांक 31.10.2014 को मुख्य सचिव, जम्मू और कश्मीर सरकार को एक स्थिति रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया कि क्या स्टोन क्रशिंग यूनिट आज वहां चल रही है या उसे जुड्डा दंसल गांव, तहसील माहोर, जिला रियसी से हटा दिया गया है। यह मामला आयोग के विचाराधीन है।

31. "पर्यावरण की स्थिति को कचरे से खतरा" के बारे में एक न्यूज रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान

(मामला सं. 2275/30/2014)

4.195 आयोग को 24 अप्रैल, 2014 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया में पर्यावरण की स्थिति को कचरे से खतरा" शीर्षक से प्रकाशित एक न्यूज रिपोर्ट की जानकारी प्राप्त हुई, जिसमें दिल्ली के गाजीपुर, ओखला एवं भलस्वा में स्थित कूड़े के ढ़ेर की स्थिति पर प्रकाश डाला गया था। रिपोर्ट के अनुसार, कूड़े का विशाल पहाड़, जिसमें खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ भी शामिल है, पर्यावरण को गंभीर खतरा पहुंचा रहे हैं तथा दिल्ली नगर निगम इसके प्रबंधन के संबंध में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यह भी बताया जाता है कि सैकड़ों कूड़ा बीननेवाले आस-पास के क्षेत्रों में घूमते रहते हैं तथा बीमारियां फैला रहे हैं। इस रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि ठोस अपशिष्ट में पाए जाने वाले भारी धातु से भू-जल तथा इन कूड़ा घरों के आस-पास की वायु प्रदूषित हो रही है।

4.196 आयोग ने दिनांक 29.04.2014 को की गई अपनी कार्यवाही द्वारा इस मामले का संज्ञान लिया तथा सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा दिल्ली के तीनों नगर निगमों के आयुक्तों से इस मामले में एक रिपोर्ट मांगते हुए एक नोटिस जारी करने का निदेश दिया।

4.197 उत्तर में आयोग को उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। दिल्ली के भी तीनों नगमों ने ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन, अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण/संसाधन के लिए सुविधा तथा इस कचरे के ढ़ेरों में डाले जा रहे अपशिष्ट पदार्थों / कूड़ा करकट को रिसाइकल करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के संबंध में आयोग को सूचित किया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति से प्राप्त रिपोर्ट में यह बताया गया है कि नगर निगमों ने कूड़े के ढ़ेर वाली जगहों के विकास के लिए कोई कार्य योजना नहीं प्रस्तुत की है तथा उसके अभाव में इन स्थानों पर कूड़े का डाला जाना जारी है। दिल्ली प्रदूषण

नियंत्रण समिति ने दिनांक 09.11.2012 एवं 19.11.2012 के अपने पत्र के माध्यम से गाजीपुर, ओखला एवं भलस्वा में नगर निगम के ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के अधिकार से इंकार किया है। यह भी उल्लेख किया जाता है कि दिल्ली में जगह की कमी के कारण नगर निगमों को दिल्ली विकास प्राधिकरण से भूमि प्राप्त करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है तथा डीडीए से जमीन हासिल करने का मामला प्रक्रियाधीन है।

4.198 यह मामला आयोग के विचाराधीन है।

(त्र) अन्य मामले

32. मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के एक गांव में जादू-टोना करने के आरोपी एक व्यक्ति को मानव मल खाने के लिए मजबूर किया गया

(मामला सं. 33/15/2/2013)

4.199 "मेघालय में एक व्यक्ति को मानव मल खाने को विवश किया गया" शीर्षक से दिनांक 24.07.2013 को 'द इंडियन एक्सप्रेस' अखबार में एक प्रेस रिपोर्ट प्रकाशित हुई। प्रेस रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया कि पूर्वी खासी हिल्स जिले के वाहकदैत निवासी नेपिंग खोंगसिट को तीन दिन पहले गांव के स्थानीय "दोरबार" द्वारा जादू-टोना करने का दोषी ठहराया गया। रिपोर्ट के अनुसार गांव की चार लड़कियों ने आरोप लगाया कि नेपिंग खोंगसिट उनके सपने में आता था तथा सांप से उन्हें डराया करता था। उनके बयानों पर विश्वास करते हुए स्थानीय 'दोरबार' ने उसे चारों लड़कियों को उनके सपने में डराने का दोषी ठहराया तथा उसे मानव मल खिलाकर दंडित किया।

4.200 आयोग ने मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया तथा यह देखते हुए कि गरिमा के साथ जीने के मानव अधिकार का गंभीर रूप से उल्लंघन हुआ है, इसने मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक से एक रिपोर्ट तलब की।

4.201 पुलिस अधीक्षक, पूर्वी खासी हिल्स, शिलांग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट पर विचार करने पर आयोग ने यह विचार व्यक्त किया कि रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि दिनांक 20.7.2013 को आयोजित दोरबार में श्री नेपिंग खोंगसिट को जादू टोना करने के आरोप में दिए गए दंड के तौर पर मानव मल खाने का निर्देश दिया था तथा उसके अनुसार उसने मानव मल खाया था। चूंकि यह मानव अधिकार का उल्लंघन था तथा पुलिस एवं सिविल अधिकारी इसे रोकने में असफल रहे, आयोग ने यह विचार व्यक्त किया कि श्री नेपिंग खोंगसिट, जिसके मानव अधिकार का हनन् हुआ था, प्रथम दृष्टया राज्य सरकार से मुआवजा पाने का हकदार है। इसलिए आयोग ने रजिस्ट्रार को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत मेघालय सरकार को यह कारण बताओ नोटिस जारी करने का निदेश दिया कि पीड़ित श्री नेपिंग खोंगासिट को उसके मानव अधिकार के हनन के लिए उचित आर्थिक सहायता के भुगतान की सिफारिश क्यों न की जानी चाहिए। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को भी मानव अधिकारों के इस प्रकार के हनन को रोकने

तथा राज्य में जादू-टोना करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सूचना देने को कहा। आयोग ने मेघालय सरकार को भी इस प्रकार के मानव अधिकार हनन् को रोकने के लिए अन्य राज्यों की तरह एक उपयुक्त जादू-टोना विरोधी कानून लागू करने पर विचार करने की सिफारिश की।

4.202 आयोग के निर्देशों के अनुसरण में मेघालय सरकार के अवर सचिव, राजनीतिक विभाग ने यह कहते हुए एक रिपोर्ट सौंपी कि संबंधित पक्षों के बीच इस मामले को शांतिपूर्वक सुलझा लिया गया है, इसलिए पीड़ित को कोई मुआवजा देने की जरूरत नहीं है। चूंकि रिपोर्ट से यह स्पष्ट था कि पीड़ित श्री नेपिंग खोंगसिट को जादू-टोना करने के लिए दंडस्वरूप दरवार द्वारा मानव मल खाने का निर्देश दिया गया जो मानव अधिकार का गंभीर हनन् है, अत: अयोग ने राज्य सरकार के तर्क को स्वीकार नहीं किया और कहा कि यह तथ्य कि पीड़ित को ग्राम दरबार द्वारा यह अमानवीय कृत्य करने का निर्देश दिया गया, मानव अधिकार का हनन् है तथा इसके लिए उसे मुआवजा दिया जाना चाहिए।

4.203 इसलिए आयोग ने दिनांक 09.06.2014 को हुई अपनी कार्यवाही में मेघालय सरकार को पीड़ित खोंगसिट को उसके मानव अधिकार के हनन् के लिए मौद्रिक सहायता के रूप में 25,000/- रूपये भुगतान करने की सिफारिश की।

4.204 आयोग के निर्देश के उत्तर में राजनीतिक विभाग, मेघालय सरकार ने दिनांक 19.12.2014 के अपने पत्र द्वारा पीड़ित नेपिंग खोंगसिट को 25,000/- रूपये के भुगतान के संबंध में एक रसीद की कॉपी भेजी।

4.205 आयोग की सिफारिश का अनुपालन हो जाने पर इस मामले को दिनांक 17.03.2015 को बंद कर दिया गया।

33. दामोह, मध्य प्रदेश के क्रिश्चन मेडिकल एवं ट्रेनिंग सेंटर स्कूल एवं कॉलेज से नर्सिंग करनेवाले स्नातकों को डिग्री देने से मना करना।

(मामला सं. 150/12/12/2014)

4.206 आयोग को सुश्री रितु जोस एवं 8 अन्य व्यक्तियों, जिनमें से सभी ने क्रिसचन मेडिकल एवं ट्रेनिंग सेंटर स्कूल एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग, दामोह, मध्य प्रदेश से स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी, से दिनांक25.11.2014 को एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि स्नातक करने के बाद उन्हें डिग्री नहीं दी गई थी।

4.207 क्रिश्चन मेडिकल एवं ट्रेनिंग सेंटर स्कूल एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग, दामोह, मध्य प्रदेश के प्राचार्य ने सूचित किया कि संबद्ध विश्वविद्यालय डा. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर द्वारा सभी छात्रों को जैसे ही डिग्री छप जाती है, उन्हें भेज दिया जाएगा।

4.208 डा. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय ने सूचित किया कि पहले छापे गए डिग्री के प्रपत्र में कुछ खामियां थी, जिसके कारण छात्रों को डिग्री जारी नहीं की जा सकी तथा आश्वासन दिया कि डेढ़ महीने के भीतर उसे मुद्रित कर दिया जाएगा।

4.209 रिकार्ड में उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात् आयोग का यह मत था कि शिकायतकर्त्ताओं को सांत्वना देने के नाम पर तथा एक उदाहरण पेश करने के रूप में वादी विश्वविद्यालय को सभी 9 शिकायतकर्त्ताओं, जो आयोग के पास गए थे, में प्रत्येक को मुआवजा राशि के रूप में एक-एक लाख रूपये का भुगतान करने के लिए कहा जाए।

4.210 इसलिए आयोग ने यह सिफारिश की कि डा. हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश चार वर्षों तक डिग्री न देने के लिए प्रत्येक शिकायतकर्त्ता को 6 हफ्ते के भीतर मुआवजे के रूप में एक-एक लाख रूपये का भुगतान करे। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा 8 हफ्ते के भीतर आयोग को भुगतान के प्रमाण सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।

4.211 सात शिकायतकर्त्ता तथा दो अन्य शिकायतकर्त्ता के प्राधिकृत प्रतिनिधि आयोग के समक्ष उपस्थित थे तथा आयोग के रजिस्ट्रार (विधि) की मौजूदगी में विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से उन्होंने अपनी डिग्री प्राप्त की। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने अन्य सभी सफल छात्रों, जिन्होंने विश्वविद्यालय से इसके लिए निर्दिष्ट प्रपत्र में आवदेन किया था, को डिग्री भेजने का प्रमाण भी प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त डा. हरि सिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने आयोग को यह बताया कि इसकी सिफारिशों पर सभी 9 शिकायतकर्त्ताओं को एक-एक लाख रूपये का चेक स्पीड पोस्ट से भेज दिया गया है। आयोग ने इस मामले को बंद कर दिया।

34. केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा छात्रों एवं उनके साथ जाने वाले शिक्षकों के साथ कथित अमानवीय बर्ताव

(मामला सं. 7289/30/3/2014)

4.212 आयोग को किसी विवेक पांडे से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के अधिकारियों द्वारा छात्राओं के मानव अधिकार के गंभीर हनन् का आरोप लगाया गया। यह बताया गया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अहमदाबाद में दिनांक 1310.2014 से 18.10.2014 तक नेशनल स्पॉटर्स इवेन्ट आयोजित किया, जिसमें देश भर से केंद्रीय विद्यालय के 10 से 18 वर्ष के आयु समूह के कई छात्रों (छात्राओं सहित) ने भाग लिया। यह आरोप लगाया गया है कि बड़ी संख्या में छात्रों को नई दिल्ली से अहमदाबाद ट्रेन द्वारा बिना आरक्षणके स्लीपर क्लास के डब्बे में मवेशियों की तरह भेजा गया। शिक्षकों को भी उसी स्थिति का सामना करना पड़ा तथा अहमदाबाद पहुंचने के लिए ट्रेनों में काफी मशक्कत करनी पड़ी। छात्र अपने-अपने स्थान पर लौटने वाले हैं तथा उनकी वापसी की टिकट का आरक्षण कंफर्म नहीं है। परेशान अभिभावकों ने संबंधित प्राधिकारियों से गुहार लगाई किंतु इसका कोई जवाब नहीं मिला। छात्राओं की सुरक्षित वापसी के लिए संबंधित प्राधिकारियों को निर्देश देने के लिए एक विनती की गई है।

4.213 आयोग ने दिनांक 15.10.2014 को अपनी कार्यवाही द्वारा मालले पर विचार करने पर निम्नलिखित टिप्पणी की तथा निर्देश दिया:-

" मामले के तथ्य परेशान करने वाले हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार के स्पार्टस इवेंट को आयोजित करने के लिए काफी पहले तैयारी की जानी चाहिए थी तथा इसके लिए उक्त अधिकारियों को छात्रों एवं शिक्षकों की यात्रा एवं अन्य सुविधाओं के लिए समुचित व्यवस्था पहले से करनी चाहिए थी। दिए गए मामले में यह स्पष्ट है कि इस प्रकार की कोई व्यवस्था समय पर नहीं की गई थी जिससे छात्राओं को बिना आरक्षण के ट्रेन में 16-17 घंटे सफर करना पड़ा। केंद्रीय विद्यालय के अधिकारयों ने इस कार्यक्रम की योजना बहुत पहले तैयार की होगी तथा उन्हें अतिरिक्त कोच बुक करने के लिए रेलवे के अधिकारयों से संपर्क करना चाहिए था ताकि खेलों/स्पोर्टस में भाग ले रहे छात्र, जिनमें लड़कियां भी शामिल थीं, सुरक्षित पहुंच सकें तथा तरोताजा होकर खेलों में भाग ले सकें। सुरक्षित वापसी यात्रा के लिए भी उसी के अनुसार पहले से ही व्यवस्था करनी चाहिए थी। उसके अनुसार रास्ते के साथ-साथ अन्य स्थानों पर भी भोजन की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। आयोग ने यह पाया है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के अधिकारियों ने बच्चों के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त कदम नहीं उठाए। संबंधित प्राधिकारियों की संवेदनशीलता की कमी के कारण भाग लेने वाले छात्र मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। इस मामले में न केवल छात्रों बल्कि उनके साथ जाने वाले शिक्षकों के मानव अधिकारों का भी हनन् हुआ है। इन परिस्थितियों में, सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली तथा आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली से एक हफ्ते के भीतर रिपोर्ट मांगते हुए नोटिस जारी किया जाए। "

4.214 नोटिस के उत्तर में, संयुक्त आयुक्त (एसीएडी), केंद्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली ने दिनांक 21.10.2014 के अपने पत्र के माध्यम से कहा है कि 14 से 18 अक्तूबर तक अहमदाबाद में नेशनल गर्ल्स स्पार्टस मीट आयोजित की गई थी, जिसमें 4734 छात्राओं एवं उनके साथ शिक्षकों ने कार्यक्रम स्थल पर रिपोर्ट किया। भाग लेने वाली छात्रा ने देश के विभिन्न भागों से यात्रा करते हुए सुरक्षित तरीके से एवं सुविधापूर्वक कार्यक्रम स्थल पर पहुंची हैं। कोई भी छात्रा अथवा उनके साथ जाने वाले शिक्षक ने अहमदाबाद का अपना सफर कंफर्म आरक्षण के बिना नहीं किया। अहमदाबाद से उनके स्थानों तक छात्राओं के रिजर्वेशन की स्थिति कार्यक्रम स्थल से प्राप्त की गई थी तथा यह पाया गया कि कुल 4734 भागीदारों तथा उनके साथ जाने वाले शिक्षकों में से 540 छात्र तथा शिक्षकों का आरक्षण कंफर्म नहीं था।

4.215 छात्रों की सुरक्षा केवीएस के लिए मुख्य महत्व का मामला है। रेलवे अधिकारियों से संपर्क कर तथा अतिरिक्त कोच की व्यवस्था कर आरक्षण कंफर्म कराने अथवा वातानुकूलित बस यात्रा की व्यवस्था द्वारा इन छात्राओं की वापसी यात्रा सुरक्षित एवं सुखद बनाने के लिए सभी प्रयास किए गए थे। भुवनेश्वर के तीन छात्रों को छोड़कर सभी के रिजर्वेशन आखिरकार कंफर्म हो गए थे। उन्होंने भी अन्य छात्रों के साथ आरामदेह यात्रा की।

4.216 उपरोक्त के अतिरिक्त उप सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 24.10.2014 के अपने पत्र के माध्यम से यह भी कहा है कि केवीएस से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सभी छात्रों एवं शिक्षकों का अहमदाबाद की यात्रा के लिए आरक्षण कंफर्म था। वापसी यात्रा के लिए 17 लोगों का रिजर्वेशन कंफर्म था तथा भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, गुड़गांव, जम्मू, पटना, सिल्चर एवं दिल्लीकी यात्रा करने वाले 8 लोगों का रेल टिकट कंफर्म होना था। केवीएस अधिकांश मामलों में प्रस्थान करने से पूर्व रिजर्वेशन कराने में सफल रहा तथा जहां कहीं संभव हो पाया, रेलवे के द्वारा अतिरिक्त कोच की व्यवस्था की गई तथा कुछ मामलों में छात्रों को वोल्वो बसों से दिल्ली लाया गया ताकि आगे की यात्रा ट्रेनों में कर सकें। भुवनेश्वर के तीन छात्रों को छोड़कर वापसी का सभी रिजर्वेशन टिकट यात्रा शुरू होने से पूर्व कंफर्म हो चुका था। उन्होंने भी बड़ी संख्या में केवीएसके अन्य छात्रों, जिनका आरक्षण कंफर्म था, के साथ सुरक्षित एवं सुखद यात्रा की।

4.217 आयोग ने इस मामले पर दिनांक 07.11.2014 को आगे विचार किया तथा अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्देश दिया:-

" आयोग अहमदाबाद से संबंधित गंतव्य स्थानों तक छात्राओं की सुरक्षित वापसी कराने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन के अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करता है। यह दावा किया गया है कि साथ जाने वाले सभी शिक्षकों एवं छात्रों की अहमदाबाद की यात्रा की सभी टिकट कंफर्म थी। यह भी दावा किया गया है कि 4734 भागीदारों/साथ जाने वाले शिक्षकों में से केवल 540 छात्रों/साथ जाने वाले शिक्षकों की वापसी यात्रा की रिजर्वेशन टिकट कंफर्म नहीं थी, परंतु इसका कारण नहीं दिया गया है। यह भी दावा किया गया है कि रिजर्वेशन कंफर्म कराने के लिए रेलवे के अधिकारियों से संपर्क किया गया था तथा ट्रेन में अतिरिक्त कोच की भी व्यवस्था की गई थी। यह भी कहा गया है कि भुवनेश्वर, उड़ीसा के 3 छात्रों को छोड़कर सभी रिजर्वेशन अंततः कंफर्म हो गए थे, किंतु उन लोगों ने भी सब के साथ सुखद यात्रा की।

उप सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसके विपरीत यह दावा किया कि 17 लोगों में 8 लोगों का टिकट कंफर्म नहीं था। उन्होंने यह भी दावा किया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन अधिकांश मामलों में रवाना होने से पूर्व रिजर्वेशन कंफर्म कराने में सफल रहा तथा वोल्वो बसों में छात्रों को दिल्ली लाने के अलावा रेलवे के जरिए अतिरिक्त कोचों की भी व्यवस्था की। उन्होंने यह भी दावा किया कि उड़ीसा के तीन छात्रों को छोड़कर यात्रा शुरू होने से पूर्व ट्रेनों में रिजर्वेशन कंफर्म हो गया था। यह भी कहा गया है कि भविष्य में समय पर बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन को आवश्यक अनुदेश जारी किया गया है।

आयोग को यह नोट करते हुए तकलीफ हो रही है कि आयोग द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप के बाद कुछ विद्यालय के प्रधानाचार्यों ने छात्रों के अभिभावक से फोन पर बात की ताकि उन छात्रों की पहचान हो सके, जिन्होंने रा.मा.अ.आ. में शिकायत की है तथा इसके परिणामस्वरूप शिकायतकर्त्ता, जो एक छात्र का पिता है, ने आयोग से यह मामला बंद करने की प्रार्थना की है। यह देखते हुए कि छात्रों का आंतरिक मूल्यांकन स्कूल के हाथों में है तथा ऐसे छात्रों को संभवत: अपने

वार्षिक परिणामों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, आयोग अभिभावकों की आशंकाओं को समझता है। इसी प्रकार उनके साथ जाने वाले शिक्षकों को भी उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उनका पूरे भारत में कहीं भी स्थानांतरण किया जा सकता है, इसलिए इस परिस्थिति में उन्हें भी खामोशी से सहन करना पड़ सकता है। आयोग ऐसे अधिकारियों/प्रधानाचार्यों के उक्त कृत्यों के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करता है तथा यह स्पष्ट करता है कि किसी भी छात्र अथवा उसके साथ जाने वाले किसी भी शिक्षक के विरूद्ध कोई दण्डात्मक कार्रवाई पर विचार नहीं किया जाए अथवा ऐसी कार्रवाई आरंभ नहीं की जाए तथा इसका अनुपालन नहीं करने पर इसे काफी गंभीरता से लिया जाएगा। अधिकारियों को यह समझना चाहिए कि हम एक सभ्य समाज में रहते हैं, जो कानून के शासन से चलता है तथा इस प्रकार के भयभीत करने वाले कारनामों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उक्त प्राधिकारी इस मामले की जांच करें तथा 6 हफ्ते के भीतर की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

आयोग को यह जानकर भी सदमा पहुंचा है कि साथ जाने वाले एक शिक्षक एवं एक छात्र की कथित मृत्यु राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान हो गई तथा उपरोक्त अधिकारियों द्वारा आयोग को ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है। तथ्यों को समग्रता से देखते हुए यह प्रतीत होता है कि क्षेत्रीय आयुक्तों, उनके अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों तथा स्कूल के प्राधिकारियों सहित केंद्रीय विद्यालय संगठन के अधिकारियों को मानव अधिकारों के संबंध में संवेदनशील किए जाने की आवश्यकता है तथा केंद्रीय विद्यालय संगठन में मानव अधिकार की संस्कृति मन में बैठाने के लिए आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा सचिव मानव संसाधन विकास मंत्रालय के परामर्श से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता है। इस मामले में आयोग द्वारा आगे कार्रवाई करने से पूर्व आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली तथा सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली 6 हफ्ते के भीतर विशेष सूचना प्रस्तुत करें। उसके बाद आयोग के अधिकारी उपरोक्त अधिकारियों के बयानों की जमीनी तौर पर पुष्टि करेंगे। ”

4.218 रिपोर्टों की प्रतीक्षा है और यह मामला आयोग के विचाराधीन है।

35. बिहार के नवादा जिले में जादू-टोना करने के आरोप में महिला की हत्या और उसके पति को कैद में रखना।

(मामला सं. 920/4/25/2015 - डब्ल्यूसी)

4.219 शिकायतकर्ता जो एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति था, रा.मा.अ.आ. आया और यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया कि उसकी मां भगवनीया देवी को जादू-टोना में शामिल होने का आरोप लगाकर स्थानीय विधायक की मिली-भगत से कुछेक ग्रामीणों द्वारा मार दिया गया। अब आरोपियों ने उसके पिता श्री विष्णु देव रविदास को गांव बधोना, डाकघर- कोनंदपुर, थाना पकरी बरावन, जिला-नवादा, बिहार में दो दिन से कैद कर के रखा है । उसके पिता की जान खतरे में है, और उन्हे पुलिस के पास नहीं जाने दिया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने अपने पिता के जीवन की रक्षा के लिए आयोग

को तत्काल हस्तक्षेप करने और उन आरोपियों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया, जिन्होंने उसकी मां की हत्या की थी ।

4.220 आयोग ने इस मामले पर उसी दिन, दिनांक 20.03.2015 को विचार किया और निम्नलिखित निदेश जारी किए:-

"उप महानिरीक्षक (अन्वेषण) को संबंधित थाने के पुलिस कर्मचारियों से फोन पर तथ्य एकत्र करने और उन्हें श्री विष्णु देव रविदास, शिकायतकर्त्ता के पिता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और इस मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा गया"

4.221 उपर्युक्त निदेश के अनुसरण में रजिस्ट्री द्वारा मामले की फाइल आयोग के अन्वेषण प्रभाग के उप महानिरीक्षक को सौंप दी गई। अन्वेषण प्रभाग के अधिकारियों ने एसएचओ, पकरी बराबन थाना, जिला नवादा, बिहार से सम्पर्क किया और उसे आयोग के निदेशों से अवगत कराया। स्थानीय पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शिकायतकर्त्ता के पिता विष्णु देव रविदास, को छुड़ाया और उसे थाने लेकर आ गई। इस मामले में आईपीसी की धारा 143, 147, 149, 323, 341, 342, 365 तथा जादू-टोना निषेध अधिनियम की धारा 3, 4 के अंतर्गत दिनांक 20.03.2015 को एफआईआर सं. 43/2015 के द्वारा एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया। हालांकि, पुलिस द्वारा यह सूचित किया गया कि श्रीमती भगवनीया देवी, याचिकाकर्त्ता की मां, जिसे मारे जाने का आरोप लगाया गया था, के ठिकाने का पता लगाया जा रहा है।

4.222 दिनांक 22.3.2015 को याचिकाकर्त्ता पुन: आयोग की रजिस्ट्री में आया और अपने पिता के समय पर बचाव एवं बरामदगी पर खुशी जाहिर की और अभियुक्त को गिरफ्तार करने का अनुरोध किया क्योंकि वे पीड़ित पर शिकायत वापस लेने के लिए दवाब डाल रहे थे। इस तथ्य से नवादा जिले के पुलिस को अवगत कराया गया।

4.223 आयोग ने इस मामले पर दिनांक 27.03.2015 को विचार किया तथा निम्नानुसार यह टिप्पणी की एवं निदेश दिया:-

"मामले का तथ्य विचलित करने वाला है। आयोग यह टिप्पणी करने के लिए बाध्य है कि एक सिविल सोसाइटी, जो नियमों से अभिशासित होता है, में जादू-टोना जैसी कुरीतियां अभी भी बिहार राज्य में प्रचलित हैं। आयोग इससे संतुष्ट है कि उसके एवं स्थानीय पुलिस द्वारा समय पर हस्तक्षेप करने के कारण याचिकाकर्त्ता के पिता की जान बच गई, जिसे आयोग द्वारा आदेश जारी करने के दिन ही छुड़ा लिया गया। तथापि, यह दुखद है कि याचिकाकर्त्ता की मां का अभी तक पता नहीं चला है। पुलिस द्वारा अजा./अजजा. अधिनियम के उपबंध न लगाने के कारणों को नहीं बताया गया है। इन परिस्थितियों में जिला मजिस्ट्रेट, नवादा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नवादा, बिहार को चार सप्ताह के भीतर याचिकाकर्त्ता की मां की कथित हत्या और आरोपी को गिरफ्तार करने सहित मामले की पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए एक नोटिस भेजा जाए। ऐसा नहीं करने पर

दोनों अधिकारियों को रिपोर्ट सहित दिनांक 22.5.2015 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा गया। "

4.224 आयोग को इस मामले में यह रिपोर्ट प्राप्त हुई कि याचिकाकर्त्ता की मां को 13 अप्रैल, 2015 को बरामद कर लिया गया है और आपराधिक पी.सी. की धारा 164 के अंतर्गत उनका बयान दर्ज किया गया है। अपराधियों के विरूद्ध न्यायालय में आरोप-पत्र दायर किए गए हैं। पुलिस की रिपोर्ट याचिकाकर्त्ता को चार हफ्ते के भीतर उनकी टिप्पणियों, यदि कोई हो, भेजने के लिए अग्रेषित किया गया है।

4.225 यह मामला आयोग के विचाराधीन है।

36. उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में चंदनपुर में उत्तरहाना, यूजीएमई विद्यालय में कक्षा में अलमीरा गिरने से सात वर्ष के एक छात्र की मृत्यु

(मामला सं. 1962/18/12/2013)

4.226 श्री प्रबीर कुमार दास ने दिनांक 05.08.2013 की अपनी शिकायत में उड़ीसा के पुरी जिले के उत्तरहाना यूजीएमई विद्यालय में कक्षा II की छात्रा सोनी प्रधान की मृत्यु का आरोप लगाया। जब दिनांक 29.7.2013 को कक्षा में रखा गया एक बड़ा अलमीरा मृतक के ऊपर गिरा तो वह घायल हो गयी थी । उसे स्थानीय सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे एससीबी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पीटल, कटक शिफ्ट किया गया, जहां चोट के कारण दिनांक 02.08.2013 को उसकी मृत्यु हो गई।

4.227 पुलिस अधीक्षक, पुरी ने सूचना दी कि एक यूडी मामला सं. 21/13 दर्ज किया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह विचार व्यक्त किया गया कि मृत्यु किसी भारी भोथरे वस्तु से छोटी आंत में चोट लगने से हुए जुख्म के कारण हुई।

4.228 मामले पर विचार करने के पश्चात् आयोग ने मुख्य सचिव के जरिए उड़ीसा सरकार को यह कारण बताने का नोटिस जारी करने का निदेश दिया कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के अंतर्गत मृतक के निकट संबंधी को 3,00,000/- रूपये मौद्रिक राहत प्रदान करने की सिफारिश क्यों न की जाए।

4.229 संयुक्त सचिव, विद्यालय एवं सामूहिक शिक्षा विभाग, उड़ीसा सरकार ने विद्यालय में 7 वर्ष के छात्र की मृत्यु को स्वीकार किया और यह सूचित किया कि चिकित्सा उपचार के दौरान शिक्षकों ने 8,000/- रूपये व्यय किए परंतु छात्र सोनी प्रधान की मृत्यु दिनांक 02.08.2013 को हो गई।

4.230 आयोग ने दिनांक 13.08.2014 को मुख्य सचिव, उड़ीसा सरकार को मृतक के निकट संबंधी को मौद्रिक मुआवजा के रूप में तीन लाख रूपये का भुगतान करने की सिफारिश की। अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त न होने का मामला आयोग के विचाराधीन है।

37. कटक और खुर्दा जिले में कथित दूषित औषधीय मिश्रण पीने से 41 व्यक्तियों की मृत्यु

(मामला सं. 557/18/3/2012)

4.231 वाराणसी, उत्तर प्रदेश से श्री राघिब अली ने दिनांक 09.02.2012 के “संवाद” सामाचारपत्र में प्रकाशित न्यूज के आधार पर यह सूचित किया कि फरवरी, 2012 में कटक और खुर्दा जिले में इपीकैर्म, कंसंट्रेटेड सिनामोन वाटर और ऑरेंज टिंक्चर तथा जिंजर टिंक्चर, जिनमें दूषित अल्कोहल मिला हुआ था, पीने से कुल 41 लोगों की मृत्यु हो गई।

4.232 प्रधान सचिव, उड़ीसा सरकार, उत्पाद विभाग ने दिनांक 01.08.2014 के अपने पत्र के द्वारा न्यायमूर्ति श्री ए.एस नायडु के जांच आयोग की रिपोर्ट (खण्ड I और II) और जांच रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन की प्रति अग्रेषित की है। न्यायमूर्ति नायडु आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पृ. 465 में यह टिप्पणी की कि:

“ मारे गए सभी 41 व्यक्ति समाज के निम्न तबके के थे। वे सभी दिहाड़ी मजदूर थे और कठिन कार्य करते थे। वे सभी आदतन शराबी थे। उनके सामर्थ्य को देखते हुए, वे सामान्यतया वैसे नशीले पदार्थ लेने को प्राथमिकता देते थे जो सस्ते और प्रभावी हों। यदि राज्य निषेध का समर्थन नहीं करता है तो यह उसका दायित्व है कि वह ऐसी सुविधा उपलब्ध कराए। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य का प्रशासन ऐसा करने में असफल रहा और यह दुखद घटना स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों की लापरवाही अथवा ढुलमुल रवैये के कारण हुई। उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए आयोग का ऐसा मानना है कि प्रत्येक मृतक व्यक्ति, जिनकी मृत्यु दूषित औषधीय मिश्रण पीने से हुई, के विधवा तथा आश्रितों को 1.50 लाख रूपये मुआवजा देना उचित होगा। ”

4.233 तथापि, की गई कार्रवाई रिपोर्ट के ज्ञापन में, उड़ीसा सरकार ने यह निर्णय लिया है कि शराब कांड में मरने वालों के निकट संबंधी तथा इसमें अपंग होने वालों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा।

4.234 आयोग ने दिनांक 08.09.2014 को न्यायमूर्ति नायडु आयोग की टिप्पणी से सहमत होते हुए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम,1993 की धारा 18 के अंतर्गत उड़ीसा सरकार को यह कारण बताओ नोटिस जारी करने का निदेश दिया कि प्रत्येक मृतक (41 व्यक्ति) के निकट संबंधी को 1.50-1.50 लाख रूपये का भुगतान क्यों न किया जाए और मुख्य सचिव, उड़ीसा सरकार को दोषी अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट भी भेजने के लिए कहा गया।

4.235 प्रधान सचिव, उड़ीसा सरकार, उत्पाद विभाग ने दिनांक 08.12.2014 के अपने पत्र के द्वारा यह सूचित किया कि मृतकों को 1.50 लाख रूपये की दर से मुआवजा प्रदान करने संबंधी नायडु आयोग की सिफारिश को लंबित रखा गया और तत्पश्चात् मंत्रिमंडल ने दिनांक 17.07.2014 को अपनी बैठक में इस मामले पर विचार किया और यह निर्णय लिया कि पूर्व की परंपरा के अनुरूप, उपर्युक्त संस्तुत मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिए। मंत्रिमंडल ने दिनांक 17.07.2014 को यह

निर्णय लिया कि शराब कांड में मरने वाले के निकट संबंधी को तथा इसमें अपंग होने वालों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। तथापि, सभी 41 मृतकों के निकट संबंधियों को 10,000/- - 10,000/- रूपये तथा 4 पीड़ितों को 10,000/- - 10,000/- रूपये एवं अन्य को 5,000/- रूपये की अल्प राशि दी गई।

4.236 आयोग ने दिनांक 09.02.2015 को यह कहा कि मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितयों को ध्यान में रखते हुए, यह मानव अधिकार के उल्लंघन का मामला था। अत: आयोग ने प्रत्येक मृतक के निकट संबंधी को 1,50,000/- - 1,50,000/- रूपये की राहत का भुगतान करने के अपने पूर्व के विचार को दोहराया जैसाकि न्यायमूर्ति नायडु आयोग द्वारा भी सिफारिश की गई थी और राज्य सरकार के दावे को अस्वीकार कर दिया। यह मामला आयोग के विचाराधीन है।

38. हरियाणा के जिंद जिले के 30 गांवों में बिजली की कटौती के दौरान पीने के पानी की कमी

(मामाला सं. 57/30/7/8/2014)

4.237 आयोग ने दिनांक 20.05.2014 को "द ट्रिब्यून" में प्रकाशित समाचार "विभाग को जिंद में जल संकट संबंधी रिपोर्ट को संकलित करना है" का स्वत: संज्ञान लिया। समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के अनुसार " जिंद के 30 गांवों में 3 हफ्ते से नलों में पानी न आने" की खबर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सैफिडम, एसडीएम ने क्षेत्र में झेले जा रहे जल संकट के संबंध में सरकारी स्वास्थ्य विभाग के एक विशेष दल का गठन किया। निरीक्षण के दौरान यह बताया गया कि हालांकि ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा पर्याप्त कदम उठाए गए हैं, फिर भी अनियमित बिजली आपूर्ति से विभाग के लिए समस्या खड़ी होती है। अप्रत्याशित मौसमी दशाओं के कारण बिजली की आपूर्ति बंद करनी पड़ी थी। अत: गांव वालों को बिजली की कटौती के दौरान पेयजल की कमी का सामना करना पड़ा था। हालांकि, स्थानीय विधायक ने यह आरोप लगाया कि बिजली की कमी समस्या के लिए एक बहाना है, सच्चाई यह है कि विभाग ने अपेक्षित संख्या में पम्प सेट नहीं लगाये हैं तथा जो पम्प सेट लगाए गए हैं, उनकी समुचित देख-रेख नहीं की जा रही है।

4.238 आयोग ने दिनांक 28.05.2014 की अपनी कार्यवाही के द्वारा यह कहा कि यदि समाचार पत्र में प्रकाशित खबर सही है तो यह पीड़ित के मानव अधिकार के उल्लंघन का गंभीर मामला है और मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार को चार हफ्ते के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया।

4.239 इस मामले में मुख्य अभियंता, सरकारी स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पंचकुला, हरियाणा से प्राप्त रिपोर्ट आयोग के विचाराधीन है।

घ. जेलों की स्थिति

(क) जेल का दौरा

4.240 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12(ग) के उपबंध के अंतर्गत आयोग कैदियों के जीवन-यापन की दशाओं का अध्ययन करने के लिए राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी जेल अथवा अन्य संस्था, जहां लोगों को इलाज, सुधार अथवा सुरक्षा के लिए रखा जाता है, का दौरा कर सकता है। तदनुसार, आयोग द्वारा नियुक्त विशेष प्रतिवेदक देश के विभिन्न जेलों का दौरा करते हैं और विद्यमान परिस्थितियों का अवलोकन करने के पश्चात् सुझाव देकर/ सिफारिशें करके आयोग को इसके संवेदनशील और अपेक्षित दायित्वों के निर्वहन में सहायता करते हैं।

4.241 1 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015 तक की अवधि के दौरान, आयोग के छः विशेष प्रतिवेदकों ने कैदियों के जीवन की दशाओं का अध्यययन करने के उद्देश्य से देश के अलग-अलग हिस्से में स्थित 8 केन्द्रीय जेलों, 19 जिला जेलों, 2 उपमंडलीय जेलों तथा एक महिला पुलिस थाने का दौरा किया। इसके अलावा, एक विशेष प्रतिवेदक ने तमिलनाडु राज्य में पुलिस द्वारा किए जा रहे कैदियों के मानव अधिकार के हनन् की गंभीरता का आकलन किया और तमिलनाडु के ऊटकमंड और कांचीपुरम जिले में घायल होने के मामले में गिरफ्तार करने तथा थाने से जमानत पर छोड़ने के मामले का विश्लेषण किया।

क्र.सं.	जेल/ संस्था के नाम	दौरे की तारीख	दौरा करने वाले अधिकारियों के नाम
1.	• जिला जेल शिलांग, मेघालय • जिला जेल जोवई, मेघालय	01-07 अप्रैल, 2014	श्री अनिल प्रधान
2.	• जिला जेल, तुरा, मेघालय • जिला जेल, विलियमनगर, मेघालय	19-20 मई 2014	श्री अनिल प्रधान
3.	• तमिलनाड़ के ऊटकमंड जिले में घायल होने के मामले में गिरफ्तार करने तथा थाने से छोड़ने के मामले का विश्लेषण	28-31 **मई** 2014	डॉ. के.आर. श्यामसुंदर
4.	• केन्द्रीय जेल, गुवाहाटी, असम	10 जून 2014	श्री अनिल प्रधान
5.	• **महाबलीपुरम, उप मंडल जेल, जिला - कांचीपुरम, तमिलनाडु**	13-15 **जून** 2014	डॉ. के.आर. श्यामसुंदर
6.	• जिला जेल, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ • थाना, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़	20-28 जून 2014	श्री एस. नारायण
7.	• जिला जेल बक्सर • उप जेल बक्सर • जिला जेल, आरा • जिला जेल, सासाराम • महिलाओं के लिए खुला जेल, बक्सर	20 जून – 04 जुलाई 2014	श्रीमती एस. जलजा
8.	• तमिलनाडु राज्य में पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के मानव अधिकारों के उल्लंघन की गंभीरता		डा. के.आर. श्यामसुंदर
9.	• जिला जेल, भोजपुर, बिहार • जिला जेल, बक्सर, बिहार • जिला जेल, रोहतास, बिहार • जिला जेल, कैमूर, बिहार	30 जून - 4 जुलाई 2014	श्रीमती एस. जलाजा

क्र.सं.	जेल/ संस्था के नाम	दौरे की तारीख	दौरा करने वाले अधिकारियों के नाम
10.	• केन्द्रीय जेल, सिल्चर, असम	27 अगसत 2014	श्री अनिल प्रधान
11.	• जिला जेल, हैलाकाडी, असम	28 अगस्त 2014	श्री अनिल प्रधान
12.	• केन्द्रीय जेल, साबरमती, अहमदाबाद	10-12 सितम्बर 2014	श्री अजय कुमार
13.	• केन्द्रीय जेल, चंडीगढ़	16 सितम्बर 2014	श्रीमती एस. जलाजा
14.	• केन्द्रीय जेल, पटियाला, पंजाब	16 सितम्बर 2014	श्रीमती एस. जलाजा
15.	• केन्द्रीय जेल, जालंधर, पंजाब	18 सितम्बर 2014	श्रीमती एस. जलजा
16.	• जिला जेल नामची, सिक्किम	23 सितम्बर 2014	श्री अनिल प्रधान
17.	• केन्द्रीय जेल रौंगएक, गंगटोक, सिक्किम	24 सितम्बर 2014	श्री अनिल प्रधान
18.	• जिला वयनाड, केरल	07-10 अक्तूबर 2014	श्रीमती एस. जलजा
19.	• सभी महिला पुलिस थाना, मदुरै, तमिलनाडु	08 दिसम्बर 2014	डॉ के.आर. श्यामसुंदर
20.	• जिला जेल, मुजफ्फरपुर, बिहार • जिला जेल, शिवहर, बिहार • जिला जेल, सितामढ़ी, बिहार • जिला जेल, दरभंगा, बिहार • जिला जेल, समस्तीपुर, बिहार	9-14 मार्च 2015	श्रीमती एस. जलजा

4.242 रा.मा.अ.आ. के विशेष प्रतिवेदकों द्वारा सौंपी गई रिपोर्टें पूर्ण आयोग के समक्ष रखी जाती हैं और इन रिपोर्टों के आधार पर, संबंधित राज्य सरकारों को अनुपालन हेतु सिफारिशें की जाती हैं। उपर्युक्त दौरे की रिपोर्ट आयोग की वेबसाइट www.nhrc.nic.in पर उपलब्ध है।

ख. जेलों में जनसंख्या का विश्लेषण

4.243 आयोग जेलों की दयनीय स्थिति तथा कैद में रखने की अन्य सुविधाओं, जो अत्यधिक भीड़-भाड़ जैसी समस्याओं से ग्रस्त हैं, के बारे में अत्यंत चिंतित है।

4.224 राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) के वर्ष 2014 के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर कई राज्यों में भीड़-भाड़ की समस्या पायी गई थी। वर्ष 2014 के अंत में सबसे अधिक 88,221 कैदी (84,649 पुरूष : 3,572 महिला) की सूचना उत्तर प्रदेश से दी गई, इसके पश्चात् मध्य प्रदेश 36,443 कैदी (35,283 पुरूष : 1,150 महिला), बिहार 31,295 कैदी (30,204 पुरूष : 1,091 महिला), महाराष्ट्र 27,868 कैदी (26,438 पुरूष : 1,430 महिला), पंजाब 26,007 कैदी (24,703 पुरूष : 1,304 महिला) है।

4.245 यह पाया गया कि अत्यधिक भीड़-भाड़ का मुख्य कारण दिनोदिन विचाराधीन कैदियों की संख्या में वृद्धि है तथा उन्हें जेल में रखे जाने की अवधि भी काफी लम्बी है। कुछेक मामलों में यह पाया गया कि विचाराधीन कैदी वर्षों से न्यायिक हिरासत में हैं, जो दण्ड विधि के अंतर्गत किसी भी अपराध के लिए निर्धारित सजा से काफी अधिक है। संकलित आंकड़ों से यह पता चला कि उत्तर प्रदेश (62,515), बिहार (26,800), महाराष्ट्र (19,895), मध्य प्रदेश (19,188), पंजाब (15,467),

राजस्थान (14,608), पश्चिम बंगाल (14,050), झारखण्ड (13,790), उड़ीसा (11,553) तथा हरियाणा (11,124) में विचाराधीन कैदियों की प्रतिशतता सबसे अधिक है।

4.246 वर्ष 2014 के अंत तक दोषी करार दिए गए कुल 390 महिलाओं को उनके 457 बच्चों के साथ और 1,172 विचाराधीन महिलाओं को उनके 1,320 बच्चों के साथ देश के विभिन्न जेलों में रखा गया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान राज्य में भी महिला कैदियों की संख्या काफी अधिक थी।

4.247 जेल के आंकड़ों के तुलनात्मक विश्लेषण से यह पता चलता है कि अत्यधिक भीड़-भाड़ पर नियंत्रण रखने के लिए सभी राज्यों को निरंतर गंभीर कदम उठाने की आवश्यकता है। अत्यधिक भीड़-भाड़ को कम करने के लिए जेल में संबंधित अधिकारियों द्वारा (पैरोल, जमानत, फरलो, शॉर्ट लिव और अपील याचिका आदि के संदर्भ में) सांविधिक उपबंध का प्रयोग उदारतापूर्वक किया जाना चाहिए। ऐसी प्रक्रिया को पूरा करने में जेल प्राधिकारियों की सहायता करने हेतु जेल समिति का भी गठन किया जा सकता है, जिसमें कैदियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए।

(ड.) जेल सुधार

जेल सुधार पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

4.248 रा.मा.अ.आ. ने नई दिल्ली में 13 - 14 नवम्बर, 2014 को जेल सुधार के संबंध में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य इसी विषय पर 15 अप्रैल, 2011 को पूर्व में आयोजित संगोष्ठी में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन करना था तथा भविष्य में की जाने वाली कार्रवाई पर विचार-विमर्श करना था ताकि मानव अधिकार के दृष्टिकोण से कैदियों की स्थिति और जेल प्रशासन में सुधार लाया जा सके।

4.249 इस संगोष्ठी का उद्घाटन रा.मा.अ.आ. के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री के. जी. बालाकृष्णन ने किया, जिसमें उन्होंने जेल के मैनुअल में एकरूपता लाने की आवश्यकता का उल्लेख किया ताकि विभिन्न राज्यों में कैदियों के साथ समान व्यवहार किया जा सके। उन्होंने यह कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय कारागार अधिनियम, 1894 में संशोधन के लिए कुछेक मॉडल नियम का सुझाव दे सकता है। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों की गई कार्रवाई रिपोर्ट जेलों में किए गए सुधारों की अच्छी तस्वीर पेश करती है, फिर भी अभी बहुत कुछ किया जाना है। न्यायमूर्ति बालाकृष्णन ने कहा कि जेलों में अत्यधिक भीड़-भाड़, जो एक गंभीर समस्या है तथा जिससे कैदियों के मूल मानव अधिकार का हनन् हो सकता है, को कम करने के लिए न्यायालयों में आरोपपत्र दायर करने के पश्चात् विचाराधीनों को जमानात पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इसके अलावा लंबित मामलों को निपटाने के लिए बड़ी संख्या में न्यायालय गठित करने की आवश्यकता है ताकि विचाराधीनों को एक साल से ज्यादा समय तक जेल में न रहना पड़े।

4.250 14 नवम्बर, 2014 को प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए, माननीय गृह मंत्री, श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जेल के राज्य का विषय होने के वाबजूद केन्द्र जेलों के आधुनिकीकरण के लिए निधियां उपलब्ध कराने हेतु सभी प्रयास करेगा। वास्तव में, अगले वित्तीय वर्ष से, केन्द्र जेलों के आधुनिकीकरण के दूसरे चरण पर ध्यान केन्द्रीत करेगा। प्रथम चरण के लिए केन्द्र ने 1800 करोड़ रूपये की राशि पहले ही उपलब्ध करा दी है। उन्होंने जेल सुधारों के संबंध में रा.मा.अ.आ. द्वारा पूर्व में की गई सिफारिशों पर राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा के लिए रा.मा.अ.आ. की प्रशंसा की और यह उल्लेख किया कि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा की गई समग्र कार्रवाई का अवलोकन करने के लिए वे भी देश में कुछेक जेलों का दौरा करेंगे। उन्होंने यह स्पष्टरूप से उल्लेख किया कि केन्द्र रा.मा.अ.आ. द्वारा की गई सिफारिशों को राज्य सरकारों के सहयोग से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्रालय ने विभिन्न सिफारिशों के आधार पर जेल सुधार के विभिन्न पहलुओं के संबंध में राज्यों को परामर्श भी जारी किया। उन्होंने यह कहा कि कुछेक जेलों में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, परंतु कुल मिलाकर वे दयनीय स्थिति में हैं। कैदियों का कौशल विकास आशा के अनुरूप नहीं है। एक मॉडल जेल मैनुअल तैयार किया गया है, इसमें भी कुछेक संशोधन की आवश्यकता है।

4.251 रा.मा.अ.आ. के सदस्य न्यायमूर्ति श्री साईरेक जोसेफ ने संगोष्ठी की मुख्य सिफारिशों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस बात पर अमूमन सर्वसम्मति है कि सरकारों को जेलों के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध करानी चाहिए। उन्होंने यह कहा कि जेल को "सुधारात्मक तथा दोषनिवारक कैद तथा देख-रेख गृह " के रूप में समझा जाना चाहिए और कैदी भी कारावास की सीमा के भीतर मूल मानव अधिकारों के पात्र हैं। राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान की गई महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नानुसार हैः-

(i) वर्ष 1984 का कारावास अधिनियम अत्यंत पुराना है, इसके स्थान पर नए कारावास अधिनियम लाए जाने की आवश्कता है और रा.मा.अ.आ. को प्रारूप विधेयक तैयार करना चाहिए।

(ii) जेल मैनुअल को भी मानव अधिकार दृष्टिकोण के साथ संशोधित किए जाने की आवश्यकता है।

(iii) अत्यधिक भीड़-भाड़, जो अधिकांश जेलों में सबसे बड़ी समस्या है, को कम करने के लिए सभी संभव उपाय किए जाने चाहिए।

(iv) एक पृथक जेल तथा सुधारात्मक सेवा संवर्ग स्थापित किया जाना चाहिए।

(v) कैदियों के अधिकारों को चार्टर के रूप में बहु-भाषा में प्रख्यापित तथा अधिसूचित किया जाए।

(vi) कैदियों के कार्यकलापों को डिजिटलाइज किया जाए तथा संबंधित जेलों की वेबसाइट पर सभी कैदियों का ब्यौरा उपलब्ध किया जाना चाहिए।

(vii) जमानत, पैरोल तथा फरलो को अधिक उदार बनाया जाना चाहिए।

(viii) महिलाओं के लिए एक अलग जेल बनाया जाना चाहिए, जिसका प्रबंधन महिला अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा किया जाना चाहिए।

(ix) सभी केन्द्रीय जेलों में डॉक्टरों की कमी की समस्या के समाधान के लिए आवश्यक चिकित्सा उपस्कर और टेली मेडिसिन प्रणाली होनी चाहिए।

(x) जेलों के संसाधनों पर बोझ को कम करने के लिए पर्यावरण अनुकूल उपकरण जैसे सौर्य ऊर्जा, बायो गैस, जल संग्रहण स्थापित किए जाने चाहिए।

(xi) जेल के बैरकों में शिकायत पेटी तथा सीसीटीवी कैमरे एवं एलर्ट सिस्टम की व्यवस्था सहित प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली की व्यवस्था की जाए।

(xii) सफाई और पेय जल की सुविधाओं में सुधार किया जाना चाहिए।

(xiii) कैदियों के कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिसके लिए सार्वजनिक -निजी भागीदारी पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(xiv) विदेशी नागरिकों को उनकी सजा पूरी होने के पश्चात् उनके संबंधित देशों में निर्वासित करने तक जेलों से सुधार गृह में भेज दिया जाना चाहिए।

(xv) सभी जेलों में आगन्तुकों का एक बोर्ड गठित किया जाए, जो सुविधाओं, प्रशिक्षण, सुधारात्मक कार्य आदि के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा कर सकें तथा इनके संबंध में जेल प्राधिकारियों को परामर्श दे सकें।

(xvi) छोड़े गए कैदियों की दशा के संबंध में रा.मा.अ.आ. को एक अध्ययन करना चाहिए।

(xvii) विचाराधीन कैदियों को न्यायालय में हाजिर कराने से बचने के लिए न्यालय और जेल को विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संबद्ध किया जाए।

4.252 रा.मा.अ.आ. के सदस्य न्यायमूर्ति श्री डी. मुरूगेसन, श्री एस.सी. सिंहा, रा.मा.अ.आ. के भूतपूर्व सदस्य न्यायमूर्ति श्री वी.एस. मलिमाथ और न्यायमूर्ति श्री जी.पी. माथुर तथा रा.मा.अ.आ. के महासचिव श्री राजेश किशोर ने आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दो दिन की संगोष्ठी में भाग लिया। इस संगोष्ठी में भाग लेने वाले अन्य लोगों में केन्द्रीय गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि, राज्यों के गृह सचिव, विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के महानिदेशक / महानिरीक्षक (जेल), राज्य मानव अधिकार आयोग, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के प्रतिनिधि तथा इस क्षेत्र में कार्यरत सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि शामिल थे।

(ख) कारावास अधिनियम, 1894 में संशोधन करने के लिए रा.मा.अ.आ. में विशेषज्ञ समिति का गठन।

4.253 आयोग द्वारा नवम्बर, 2014 में जेल सुधारों के संबंध में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी की सिफारिशों के अनुसरण में, रा.मा.अ.आ. ने श्री संजय कुमार (आईएएस), प्रधान सचिव, गृह (जेल), पंजाब सरकार की अध्यक्षता में 18 मार्च, 2015 को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति

को मानव अधिकार मानदण्डों, समय-समय पर भारत के उच्चतम न्यालय द्वारा दिए गए निर्णयों तथा भारत के लिए बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के अनुरूप कारावास अधिनियम, 1894 में संशोधन का सुझाव देना है।

च. अनुसंधान परियोजना

उत्तर प्रदेश राज्य में विचाराधीन कैदियों का प्रायोगिक अध्ययन

4.254 रा.मा.अ.आ. ने सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज, नई दिल्ली के सहयोग से फरवरी,2015 में उत्तर प्रदेश राज्य में विचाराधीन कैदियों पर प्रायोगिक अध्ययन आरंभ किया। इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य हैं:- विचाराधीन कैदियों द्वारा किए गए अपराध के स्वरूप सहित उनके सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षिक प्रोफाइल तथा प्राधिकारियों द्वारा जिस धारा के अंतर्गत उनके मामले की सुनवाई की जाती है, उस धारा को समझना; अपर्याप्त विधिक प्रतिनिधित्व के संभावित अन्योन्य क्रिया के कारण विचाराधीन को होने वाली परेशानियों, संस्थागत पूर्वाग्रह तथा कमियों को समझना; तथा उन्हें समय पर तथा उचित न्याय से वंचित करने वाले तंत्रों सहित उनके साथ किए गए न्याय का आकलन करना है। इस अध्ययन के लिए दी गई समयावधि दस माह की है।

* * * * *

अध्याय 5

प्रसार

5.1 लोगों के अधिकारों की रक्षा करने तथा उसे बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से देश सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक पहुंचने के उद्देश्य से, आयोग ने कई प्रक्रिया तैयार की है, जिनमें से कुछेक प्रक्रियाएं इसके कार्यात्मक आदेश पर निर्भर हैं और कुछेक अन्य संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अपनायी गई पद्धति पर। ये प्रक्रियां हैं:- पूर्ण आयोग तथा सांविधिक पूर्ण आयोग की बैठक का आयोजन, कैम्प बैठक आयोजित करना तथा खुली सुनवाई करना, विशेष प्रतिवेदक को कार्य पर लगाना तथा कई मामलों पर कोर तथा विशेषज्ञ दल का गठन करना।

क. आयोग की बैठक

5.2 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, पूर्ण आयोग ने 57 बैठकों में मानव अधिकार उल्लंघन के कई मामलों पर विचार किया एवं इस संबंध में निर्णय लिए। इसके अलावा, खंड पीठों ने 45 बैठकों में 477 मामलों पर विचार किया। खुली अदालती सुनवाई में आयोग की एक बैठक में कश्मीरी विस्थापितों के 8 मामलों पर विचार किया गया।

ख. रा.मा.अ.आ. की कैम्प बैठक और खुली सुनवाई

5.3 रा.मा.अ.आ. वर्ष 2007-2008 से और 2012 -13 के पश्चात् मुख्य रूप से राज्यों की राजधानियों में कैम्प बैठक तथा खुली सुनवाई आयोजित करता रहा है। कैम्प बैठक का मुख्य उद्देश्य लंबित शिकायतों का त्वरित निपटान करना तथा राज्य प्राधिकारियों से रा.मा.अ.आ. की सिफारिशों की अनुपालन स्थिति की जानकारी प्राप्त करने सहित राज्य के अधिकारियों को मानव अधिकारों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में संवेदनशील बनाना है। इस तरह की कैम्प बैठकें ध्यान देने योग्य मामलों पर आयोग तथा राज्य प्राधिकारियों को एक -दूसरे के विचारों से अवगत होने का अवसर प्रदान करता है तथा इस प्रक्रिया में वे क्षेत्र विशेष के निवासियों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को जानने के लिए क्षेत्र में कार्यरत स्थानीय गैर सरकारी संगठन के कार्यकर्त्ताओं से मिलते हैं। खुली सुनवाई का उद्देश्य अनुसूचित जातियों पर होने वाले अत्याचार से संबंधित शिकायतों की सुनवाई तक सीमित है।

5.4 पहले रा.मा.अ.आ. दो से तीन तीनों के लिए अलग-अलग कैम्प बैठक तथा खुली सुनवाई आयोजित करता था, परंतु समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग ने भोपाल, मध्य प्रदेश में 10-12 सितम्बर, 2014 तथा चंडीगढ़ में 26-28 नवम्बर, 2014 (हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के लिए) के दौरान तीन दिनों की अवधि में कैम्प बैठक और खुली सुनवाई का आयोजन साथ-साथ किया। पहला दिन खुली सुनवाई के लिए रखा गया, दूसरा दिन कैम्प बैठक के लिए तथा तीसरा दिन गैर सरकारी संगठनों के कार्यकर्त्ताओं के साथ विचार-विमर्श करने के लिए रखा गया जिसके पश्चात् राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की गई।

भोपाल, मध्य प्रदेश

5.5 भोपाल, मध्य प्रदेश में खुली सुनवाई 10 सितम्बर, 2014 को आयेाजित की गई। राष्ट्रीय तथा स्थानीय समाचारपत्रों में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना, जिसमें भोपाल में लोक सुनवाई के लिए शिकायतें आमंत्रित की गई थीं, के जबाब में आयोग ने 74 मामलों को उठाया और राज्य प्राधिकारियों से उनकी स्थिति रिपोर्ट की सूचना मांगी। खुली सुनवाई तीन पीठों में आयोजित की गई, एक पीठ की अध्यक्षता न्यायमूर्ति श्री के.जी. बालाकृष्णन, अध्यक्ष द्वारा; तथा अन्य दो की अध्यक्षता न्यायमूर्ति श्री साईरेक जोसेफ और श्री एस.सी. सिंहा, सदस्य द्वारा की गई। ये शिकायतें मुख्यत: भेद-भाव, भूमि मुआवजा, गलत तरीके से फंसाने, सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान, अनुसूचित जाति का स्तर प्रदान करने, राहत का भुगतान करने, पुनर्वास तथा विस्थापन संबंधी मुआवजे से संबंधित थे।

5.6 खुली सुनवाई के लिए आयोग द्वारा लिए गए 74 मामलों में से 31 मामलों का निपटान दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् कर दिया गया। शेष मामलों में आयोग ने संबंधित प्राधिकारियों को अपनी जांच में तेजी लाने और इसे पूरा होने पर इसकी सूचना आयोग को देने के लिए कहा।

5.7 कैम्प बैठक 11 सितम्बर, 2014 को आयोजित की गई, जिसमें राज्य सरकार के पास लंबित 45 मामलों को पूर्ण आयोग तथा दो खंड पीठों में लिया गया। पूर्ण आयोग ने 31 मामलों में कार्रवाई की तथा शेष 14 मामलों पर कार्रवाई दो डिविजन पीठों द्वारा किया गया। छ: मामलों में 27 लाख रूपये की राहत की सिफारिश की गई। इनमें पन्ना जिले में सिलिकोसिस से मारे गए चार व्यक्तियों के निकट संबंधी को 3 - 3 लाख रूपये का मुआवजा, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ट्योंडा, विदिशा जिले में नसबंदी कराने के पश्चात् गंभीर समस्या की शिकार 12 पीड़ितों को 25,000 - 25,000 रूपये तथा दतिया जिले में पुलिस कस्टडी में मृत्यु के एक मामले में निकट संबंधी को 5 लाख रूपये का मुआवजा शामिल है।

5.8 इसके अलावा मुख्य सचिव (श्री के. सुरेश) सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार को राजस्थान के खनन कामगारों के लिए तैयार की गई मौजूदा योजना का अध्ययन करने के लिए एक दल राजस्थान भेजने और आठ हफ्ते के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया, ताकि मध्य प्रदेश में भी उसे लागू किया जा सके। मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार को खनन कामगारों के स्वास्थ्य का भी सर्वेक्षण करने का निदेश दिया गया ताकि श्रमिकों के कल्याण के लिए एक नीति तैयार की जा सके और उन्हें 8 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। पूर्ण आयोग तथा डिविजन पीठों द्वारा अन्य मामलों में भी निदेश दिए गए।

5.9 भोपाल में खुली सुनवाई और कैम्प बैठक आयोजित करने से पूर्व, आयोग ने भारत सरकार के विभिन्न मुख्य कार्यक्रमों और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए चार सदस्यों का एक दल मध्य प्रदेश के सतना एवं रेवा जिले में भेजा।

5.10 तीसरे दिन अर्थात् 12 सितम्बर, 2014 को, आयोग ने स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के कार्यकर्त्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने बंधुआ मजदूरों एवं बाल श्रमिकों की दयनीय स्थिति,

पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज न करने, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रति किए जा रहे छुआ-छूत एवं भेद-भाव, पीने के पानी की कमी, बिजली की अनियमित आपूर्ति, पट्टा पर भूमि वितरण के संबंध में आदिवासियों को हो रही कठिनाइयों, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 को लागू नहीं करने, गुमशुदा बच्चे की चिंताओं, 16 जिलों में किशोर न्याय बोर्ड तथा बाल कल्याण समिति स्थापित न करने एवं महिलाओं के प्रति अपराध से संबंधित मुद्दों से आयोग को अवगत कराया।

5.11 तत्पश्चात् आयोग ने इन सभी मामलों पर मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव पुलिस तथा जेल अधिकारयों सहित, पुलिस महानिदेशक तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में विचार-विमर्श किया। उनके साथ भारत सरकार के मुख्य कार्यक्रमों एवं विशेषरूप से राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में कमी, इनमें सुधार के लिए उठाए जा रहे अथवा तैयार किए जा रहे कदमों पर भी चर्चा की गई।

चंडीगढ़

5.12 आायोग ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए 26 नवम्बर, 2014 को दूसरी खुली सुनवाई आयोजित की। रा.मा.अ.आ. द्वारा संबंधित राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय तथा स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित नोटिस के प्रतिउत्तर में आयोग को 133 शिकायतें प्राप्त हुईं। गुरूमुखी में प्राप्त कुछेक शिकायतों की जांच से पूर्व उनका अनुवाद किया गया। आयोग ने 95 मामलों में संबंधित प्राधिकारियों से रिपोर्ट की मांग की।

5.23 रा.मा.अ.आ. के सदस्य न्यायमूर्ति श्री साईरक जोसेफ, न्यायमूर्ति डी. मुरूगेसन तथा श्री एस. सी. सिंहा की अध्यक्षता में तीन पीठों ने शिकायतों पर सुनवाई की। शिकायतों में उठाए गए मामलों में दशकों से सरकारी जमीन पर रह रहे अनुसूचित जातियों, जिन्हें हाल ही में उस जमीन से बेदखल किया, के पुनर्वास, अनुसूचित जातियों के प्रति किए जा रहे अत्याचार के प्रति पुलिस की लापरवाही, निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों का भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत पंजीकरण, अनुसूचित जातियों को आबंटित भूमि पर उच्च जातियों का कब्जा और अनुसूचित जातियों को उस भूमि का कब्जा पुन: दिलवाने में राजस्व प्राधिकारियों की निष्क्रियता, अनुसूचित जातियों से संबधित रिक्तियों को भरना आदि शामिल था।

5.14 इन शिकायतों का निपटान करते हुए आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस को अनुसूचित जातियों, विशेषरूप से उनके साथ किए जा रहे अत्याचार के प्रति तत्परता से कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि दसकों से सरकारी जमीन रहे अनुसूचित जातियों को उनके समुचित पुनर्वास की व्यवस्था किए जाने के पश्चात् ही प्राधिकारियों द्वारा उन्हें वहां से हटाया जाना चाहिए। इसी प्रकार अन्य मामलों में भी समुचित निदेश दिए गए।

5.15 दूसरे दिन, दिनांक 27.11.2014 को आयोजित अपनी कैम्प बैठक में पूर्ण आयोग ने 11 मामलों एवं खंड पीठों ने 17 मामलों को लिया। पूर्ण आयोग के मामले आंगनवाड़ी की कार्य-प्रणाली

तथा कुछेक स्थानों पर विशेष पोषण कार्यक्रम बंद किए जाने, स्कूल तथा कॉलेज जाने वाली छात्राओं की सुरक्षा, बंधुआ मजदूर, प्राथमिक विद्यालय में अवसंरचना का अभाव तथा संगरूर जिले में अनुसूचित जातियों के सामाजिक बहिष्कार से संबंधित थे। खंड पीठों द्वारा सुनवाई किए गए 17 मामले हिरासत में मौत तथा पुलिस मुठभेड़ से संबंधित थे।

5.16 पूर्ण आयोग द्वारा सुनवाई के लिए लिए गए 11 मामलों में से कुल से 6 मामलों का निपटान किया गया। हिरासम में मौत एवं पुलिस मुठभेड़ के मामलों पर कार्रवाई करते समय, पांच मामलों का निपटान पूर्णत: किया गया। इसके अलावा आयोग ने इस पर जोर दिया कि पुलिस बल को भी कानून का पालन करना चाहिए तथा कुछेक मामलों में पीड़ित को मौद्रिक राहत देने की सिफारिश की।

5.17 तीसरे दिन अर्थात 28 नवम्बर, 2014 को आयोग ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया। इन प्रतिनिधियों ने आयोग को अनुसूचित जातियों को प्राकृतिक संसाधनों से वंचित करने, अनुसूचित जातियों के निवास स्थानों पर मूलभूत सुविधाओं की कमी, विद्यालयों में मध्यान भोजन देते समय अनुसूचित जातियों के छात्रों को साथ भेद-भाव, विस्थापित लोगों को भूमि आबंटित करने में भेद-भाव, पुलिस द्वारा उन पर अत्याचार करना, पुलिस द्वारा उनकी एफआईआर दर्ज न करना, मानव अधिकार रक्षकों द्वारा सामना की जा रही समस्याएं, मानसिक स्वास्थ्य तथा सड़क सुरक्षा की समस्याओं की सूचना दी। इन मामलों को संबंधित राज्यों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ उठाया गया। इसके अलावा आयोग ने आईसीडीएस योजना, मनरेगा, मध्यान भोजन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सूचना का अधिकार अधिनियम, विद्यालय में मौजूदा अवसंरचना, पेयजल की उपलब्धता और जेल के पुनर्निर्माण पर राज्य के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया। आयोग ने संबंधित राज्यों के दिन-प्रतिदिन के अभिशासन में सुधार लाने के लिए कुछेक सुझाव दिए, राज्य के अधिकारियों ने उसे पूरा करने का आश्वासन दिया।

5.18 पूर्व में आयोग ने उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के लिए अलग से खुली सुनवाई आयोजित की। इसी प्रकार आयोग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, बेंगलुरू (दक्षिण के चार राज्यों, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के लिए), उड़ीसा, असम, मेघालय, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मणिपुर में कैम्प बैठक आयोजित की।

ग. सांविधिक पूर्ण आयोग की बैठक

5.19 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 3(3) में यह उपबंध किया गया है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के खण्ड (ख) से (ञ) में निर्दिष्ट कार्यों को करने के लिए राष्ट्रीय अल्संख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष को आयोग का सदस्य माना जाता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष को रा.मा.अ.आा. द्वारा आयोजित सांविधिक पूर्ण आयोग की बैठक में विशेष आमंत्रित के रूप में बुलाया जाता है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 3(3) के

अंतर्गत दिए गए अध्यादेश के अलावा, सावंधिक पूर्ण आयोग की बैठक में सभी संबंधित आयोगों को आपसी महत्व के मामलों पर विचार-विमर्श करने का अवसर दिया जाता है और इस प्रकार आयोग संयुक्त सहयोग एवं कार्रवाई का निर्धारण करता है।

5.20 सांविधिक पूर्ण आयोग की पिछली बैठक 3 फरवरी, 2015 को आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति के. जी. बालकृष्णन, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने की। न्यायमूर्ति श्री साईरक जोसेफ, न्यायमूर्ति श्री डी. मुरूगेसन और श्री एस.सी. सिंहा, सदस्य रा.मा.अ.आ. ने उक्त बैठक में भाग लिया। श्री नसीम अहमद, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा श्री रवि ठाकुर, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अन्य प्रतिभागी थे, जिन्होंने इस बैठक में भाग लिया। श्री वी.एस. ओवेराय, अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग इस बैठक में विशेष आमंत्रित के रूप में शामिल हुए। श्री नरेन्द्र कुमार, उप सचिव ने राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रतिनिध्व किया।

5.21 बैठक में अन्य राष्ट्रीय आयोगों, राष्ट्रीय आयोगों की स्वतंत्रता तथा स्वायत्तता, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग तथा रा.मा.अ.आ. के तालमेल को सुदृढ़ बनाने, दूसरे वैश्विक आवधिक समीक्षा में भारत सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी की संरचना, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए पहल, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1889 को लागू करने, महिलाओं के प्रति हिंसा के निरंतर होने वाले मामले, आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 का प्रभाव, आयोग में पंजीकृत सांप्रदायिक दंगों से संबंधित मामले, सभी राष्ट्रीय आयोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार मूलभूत अवसंरचना एवं संसाधन उपलब्ध कराने, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसे विशेष आमंत्रित के रूप में बुलाया गया था, सहित रा.मा.अ.आ. के सभी मान्य सदस्यों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों/ वरिष्ठ कार्यपालक अधिकारियों के साथ तिमाही/अर्द्धवार्षिक बैठक आरंभ करने का प्रस्ताव सहित रा.मा.अ.आ. के सीएमआईएस को इनसे सम्बद्ध करने के मामलों पर विचार-विमर्श किया गया ।

5.22 दिनांक 03.02.2015 को हुई उक्त बैठक में, विशेष आमंत्रित सहित सभी मान्य सदस्यों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ वरिष्ठ कार्यपालक अधिकारी की आवधिक बैठक आयोजित करने के प्रस्ताव को सांविधिक पूर्ण आयोग द्वारा अनुमोदित कर दिया गया।

घ. विशेष प्रतिवेदक

5.23 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने विशेष प्रतिवेदन, जो मानव अधिकार की समस्याओं की जांच करेगा, निगरानी करेगा, मूल्यांकन करेगा, परामर्श देगा तथा इसकी सूचना देगा, को कार्य सौंपे जाने की प्रणाली तैयार की है । संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण दायित्वों के निर्वहन में रा.मा.अ.आ. को सहायता करने लिए विशेष प्रतिवेदक को कार्य सौंपे जाने की प्रणाली वर्ष 2014-2015 के दौरान भी जारी रही।

5.24 आयोग में कार्य पर लगाए गए विशेष प्रतिवेदकों को या तो बंधुआ मजदूर, बाल श्रमिक, हिरासतीय न्याय, अपंगता आदि विशेष विषय कार्रवाई हेतु सौंपे जाते हैं अथवा उन्हें मानव अधिकार की समस्याएं एवं इसके उल्लंघन की जांच करने के लिए एक भौगोलिक क्षेत्र दिया जाता है, जिसमें राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का समूह शामिल होता है। उनका मुख्य कार्य आयोग द्वारा सौंपे गए अनुसार विशिष्ट शिकायतों की जांच करना; आयोग के निदेश पर सौंपे गए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में जेलों, पुलिस हिरासत तथा हिरासत में रखने के अन्य स्थानों का दौरा करना, वहां रह रहे कैदियों के जीवन की दशा का अध्ययन करना, संगत जनसंख्याकीय मामले या स्थिति या परियोजना या कार्यक्रम का विश्लेषण करना; केन्द्र तथा संबंधित राज्य सरकारों और अन्य संगत भागीदारों द्वारा किए जाने वाले अपेक्षित उपायों पर अपनी राय देना; मानव अधिकार उल्लंघन के विशिष्ट आरोपों के प्रतिउत्तर में राज्यों तथा संघ राज्यों की संबंधित सरकारों द्वारा तत्काल कार्रवाई करने हेतु आयोग का पक्ष रखना और उनका समाधान करना; और समय-समय पर आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई करना।

5.25 उपर्युक्त अवधि के दौरान पदस्थ विशेष प्रतिवेदक थे:

i. **श्रीमती एस. जैजजा, आईएएस (सेवानिवृत्त).** उन्हें **मध्य क्षेत्र - II** (बिहार, झारखण्ड और उत्तर प्रदेश) और अतिरिक्त **उत्तरी क्षेत्र** (पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तराखण्ड) का कार्य दिया गया।

ii. **श्री अनिल प्रधान, आईपीएस (सेवानिवृत्त).** उन्हें **पूर्वोत्तर क्षेत्र** (इसमें पूर्वोत्तर के 8 राज्यों नामत: मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, असम, अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम) का कार्य सौंपा गया था।

iii. **श्री दामोदर सारंगी, आईपीएस (सेवानिवृत्त)** को **पूर्वी क्षेत्र- 1** (पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह) का कार्य सौंपा गया।

iv. **प्रो. एस. नारायण** को **मध्य क्षेत्र** (मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान) का कार्य सौंपा गया।

v. **डॉ. के. आर. श्यामसुंदर, आईपीएस (सेवानिवृत्त)** को **दक्षिणी क्षेत्र - I** (तमिलनाडु, केरल पुदुचेरी और लक्षद्वीप) का कार्य सौंपा गया और इसके अलावा उन्हें **दक्षिणी क्षेत्र - II** (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक) का भी अतिरिक्त कार्य-भार सौंपा गया।

vi. **श्री पी. पी. माथुर, आईएएस (सेवानिवृत्त)** को **जनजातीय मामलों** से संबंधित कार्य सौंपे गए।

ड. कोर और विशेषज्ञ समिति

5.26 कोर और विशेषज्ञ समूह में गणमान्य व्यक्तियों अथवा विषय के विशेषज्ञ या आयोग द्वारा अपेक्षित क्षेत्र, चाहे वह स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, अपंगता, बंधुआ मजदूर आदि हो, में सरकार अथवा तकनीकी संस्थान अथवा गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ये दल अपनी

विशेषज्ञता के अनुसार आयोग को अपनी विशिष्ट सलाह देते हैं। कुछेक महत्वपूर्ण कोर और विशेषज्ञ समूह जिन्होंने वर्ष 2014-2015 के दौरान रा.मा.अ.आ. में कार्य किया, वे हैं:-

- स्वास्थ्य संबंधी कोर परामर्शदात्री समूह
- मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कोर समूह
- अपंगता संबंधी कोर समूह
- गैर सरकारी संगठन संबंधी कोर समूह
- वकीलों के संबंध में कोर समूह
- भोजन के अधिकार के संबंध में कोर समूह
- वृद्धजन सुरक्षा एवं कल्याण संबंधी कोर समूह
- बंधुआ मजदूर संबंधी कोर समूह
- सिलिकोसिस के संबंध में विशेषज्ञ समूह
- आपातकालीन चिकित्सा देख-भाल के संबंध में विशेषज्ञ समूह

5.27 आयोग द्वारा जब कभी आवश्यक समझा जाता है, कोर और विशेषज्ञ समूहों की बैठक नियमित अंतराल पर समय-समय पर बुलाई जाती है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग में आयोजित कुछेक कोर और विशेषज्ञ समूह की बैठक का ब्यौरा वार्षिक रिपोर्ट के आगे के अध्याय में दिया गया है, जहां इन मामलों को उठाया गया है।

* * * * *

अध्याय 6

स्वास्थ्य का अधिकार

6.1 अन्य मानव अधिकारों के प्रयोग के लिए स्वास्थ्य का अधिकार अनिवार्य है। प्रत्येक मनुष्य को उच्चतम स्वास्थ्य स्तर के उपभोग का अधिकार है जो गरिमा पूर्ण जीवन जीने के लिए सहायक हो। स्वास्थ्य के अधिकार को विभिन्न अनुपूरक दृष्टिकोणों जैसे कि स्वास्थ्य नीतियों के निर्माण या स्वास्थ्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन या किसी विशेष विधिक दस्तावेज के अंगीकरण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

6.2 स्वास्थ्य के मानव अधिकार को कई अंतरराष्ट्रीय प्रपत्रों में स्वीकार किया गया है जैसे कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948; आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय 1966; महिलाओं के प्रति हर प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन संबंधी अभिसमय 1979; बच्चों के अधिकार संबंधी अभिसमय 1989; तथा अक्षम व्यक्तियों के अधिकार संबंधी अभिसमय 2006 आदि। इसके अतिरिक्त आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, महिलाओं के प्रति हर प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन संबंधी अभिसमय, बच्चों के अधिकार संबंधी अभिसमय, की मॉनीटरिंग करने वाले पक्षकार निकायों ने स्वास्थ्य के अधिकार तथा स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों पर सामान्य सिफारिशों तथा सामान्य टिप्पणियों को अंगीकार किया। यह, उनकी संबंधित संधियों में पाए जाने वाले उपबंधों के बारे में प्राधिकारयुक्त तथा विस्तृत व्याख्या उपलब्ध कराते हैं।

6.3 इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य के अधिकार को वियना घोषणापत्र तथा कार्य योजना 1993 में तथा जनसंख्या एवं विकास पर आयोजित किए गए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की कार्य योजना 1994, महिलाओं के चौथे विश्व सम्मेलन के घोषणा पत्र तथा कार्य योजना जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों में भी घोषित किया गया है। सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य 2000 के लक्ष्य 4, 5, एवं 6 स्वास्थ्य मुद्दों से संबंधित हैं – बाल मृत्यु दर को नियंत्रित करना, माता के स्वास्थ्य में सुधार करना तथा एच.आई.वी./एड्स, मलेरिया तथा अन्य बीमारियों से लड़ना। वर्ष 2016 के सतत विकास लक्ष्य भी बेहतर स्वास्थ्य तथा अच्छे लगने और स्वास्थ्य के आधारभूत निर्धारकों जैसे कि बेहतर पोषण तथा सुरक्षित स्वस्थ भोजन, सुरक्षित एवं पेयजल तक पहुंच, तथा यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य संबंधित शिक्षा एवं जानकारी तक पहुंच पर केन्द्रित हैं।

6.4 इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य के अधिकार में स्वतंत्रताएं और पात्रता भी निहित हैं। स्वतंत्रताओं में स्वास्थ्य को नियंत्रित करने का अधिकार तथा असहमतिपूर्ण चिकित्सीय उपचार जैसे कि चिकित्सीय प्रयोग तथा अनुसंधान या बलात् बंधयीकरण से मुक्त रहने, और प्रताड़ना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजा से मुक्त रहने आदि के अधिकार शामिल हैं। पात्रता में स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर; बीमारियों के निवारण, उपचार तथा नियंत्रण; आवश्यक दवाईयों तक पहुंच; मातृत्व, बाल

तथा प्रजनन स्वास्थ्य; मूल स्वास्थ्य सेवाओं तक समान एवं समयबद्ध पहुंच; राष्ट्रीय तथा सामुदायिक स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी निर्णय लेने में जनसंख्या की भागीदारी आदि शामिल है।

6.5 भेदभाव न करना, मानव अधिकारों का मुख्य सिद्धांत है तथा उच्चतम मानकों वाले स्वास्थ्य के अधिकार का आनन्द उठाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, सभी सेवाएं, वस्तुएं तथा सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, सुलभ होनी चाहिए, स्वीकार्य होनी चाहिए और अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि राज्य में लोक स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, वस्तुएं तथा सेवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए। यह भौतिक रुप (बच्चों, वयस्कों, वृद्धों, अक्षम लोगों तथा अन्य वंचित वर्गों सहित जनसंख्या के सभी वर्गों तक सुलभ) के साथ–साथ वित्तीय रुप से भी बिना किसी भेदभाव के सुलभ होने चाहिए। सुविधाएं, वस्तुएं तथ सेवाएं आदि चिकित्सीय आचारनीति का सम्मान करती हुई होनी चाहिए, यह लिंग संवेदी तथा सांस्कृतिक रुप से उचित होने चाहिए। अंततः यह वैज्ञानिक एवं चिकित्सीय दृष्टि से उचित और अच्छी गुणवत्ता के होने चाहिए। इसके लिए विशेषतः प्रशिक्षित चिकित्सीय पेशेवरों, वैज्ञानिक दृष्टि से स्वीकृत एवं असमाप्त औषधियों तथा अस्पताल उपकरणों, पर्याप्त स्वच्छता तथा सुरक्षित पेयजल अपेक्षित है।

6.6 भारत के संविधान में भी स्वास्थ्य के अधिकार को मान्यता दी गई है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने व्याख्या की है कि जीवन के अधिकार में स्वास्थ्य का अधिकार शामिल है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने उपरोक्त उल्लिखित सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को पृष्ठांकित किया है। आयोग अपने गठन के समय से ही लोगों को विशेषतः गरीब एवं वंचित लोगों को अच्छी गुणवत्ता की सभी स्वास्थ्य सेवाएं एवं सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होना, सुलभ होना, वहनीय एवं स्वीकार्य होना सुनिश्चित करने के आशय से स्वास्थ्य के अधिकार और इसके आधारभूत निर्धारकों की गहन मॉनीटरिंग कर रहा है। इस अध्याय में आयोग द्वारा वर्ष 2014–15 के दौरान स्वास्थ्य के अधिकार विषय पर किए गए कार्यों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

क. सिलिकॉसिस

6.7 सिलिकॉसिस फेंफड़ों से संबंधित एक रेशेदार विकार है जो क्रिस्टेलाईन सिलिका के सांस द्वारा अंदर लेने, शरीर में रह जाने और फेफड़े संबंधी प्रतिक्रिया के कारण होता है। वे सभी लोग जो खदानों एवं पत्थर तोड़ने, बालू उड़ाने, ढलाईखानों, सिरेमिक, रत्नों की कटाई, स्लेट, शीशे के विनिर्माण तथा पॉलिश करने वाले उद्योगों में कार्य करते हैं, उन्हें सिलिकॉसिस होने की संभावना हो सकती है। आयोग का यह मानना है कि सिलिकॉसिस का यह पेशेवर खतरा नियंत्रित किया जा सकता है यदि कार्य की परिस्थितियों को सही तरीके से विनियमित किया जाए तथा कार्यस्थल पर यथोचित चेतावनी एवं सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग किया जाए। इसके अलावा, यदि कोई मजदूर या कोई अन्य व्यक्ति सिलिकॉसिस से प्रभावित होता है तो उसे चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने और पीड़ित और उसके परिवार के पुनर्वास के दृष्टिकोण से यथोचित अंशकालिक एवं दीर्घकालिक उपाय करना राज्य की सांविधिक जिम्मेदारी है।

6.8 दिनांक 6 मार्च, 2007 को स्वास्थ्य के विषय पर आयोजित राष्ट्रीय पुनरीक्षा बैठक के दौरान सिलिकॉसिस का मुद्दा आयोग के समक्ष रखा गया था। उस समय यह इंगित किया गया था कि एक उपजीविकाजन्य खतरा होने के कारण इसमें उद्योग, श्रम एवं स्वास्थ्य मंत्रालयों; तथा नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ माईनर्स हैल्थ के हस्तक्षेप एवं संमिलन की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, सभी प्रभावित व्यक्तियों की देखभाल तथा भावी मामलों का निवारण सुनिश्चित करने के लिए इसने एक व्यापक विधायन एवं एक प्रभावी ऑपरेशनल तंत्र तैयार करने की सिफारिश की।

6.9 इसकी सिफारिशों का अनुसरण करते हुए आयोग ने दिनांक 27 अप्रैल, 2007 को विभिन्न पणधारियों की एक बैठक का आयोजन किया। काफी विचार–विमर्श के बाद बैठक में अंशकालिक एवं दीर्घकालिक सिफारिशें की गई, जिनका विवरण राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की वर्ष 2007–2008 की वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है। सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अपने एक सदस्य की अध्यक्षता में सिलिकॉसिस के संबंध में एक कार्यबल का गठन किया।

6.10 वर्ष 2008–2009 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को सिलिकॉसिस से प्रभावित व्यक्तियों से व्यक्तिगत शिकायतें प्राप्त हुईं। मामला संख्या 1053/30/2003–2004 तथा अन्य संबंधित मामलों में दिनांक 1 मई, 2008 को आयोग के न्यायालय कक्ष में हुई सुनवाई में इस बात पर बल दिया कि सिलिकॉसिस उपजीविकाजन्य खतरा है और संगठित एवं असंगठित, दोनों क्षेत्रों में कार्मिकों की कार्य परिस्थितियों को यथोचित रुप से विनियमित करके और नियोक्ताओं द्वारा आवश्यक पूर्वोपाय का अनुपालन करके इससे बचा जा सकता है। चूंकि किसी भी राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र की ऐसी कोई नीति नहीं है जिसे सिलिकॉसिस के पीड़ित के लाभ हेतु निवारात्मक, उपचारात्मक तथा पुनर्वासात्मक उपायों शामिल हों इसलिए निम्नलिखित 10 बिन्दुओं पर सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा संघ सरकार तथा सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को एक निदेश पारित किया गया :

(i) सिलिकॉसिस की समस्या को नियंत्रित करने और अंततः इसके उन्मूलन के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, कितने समय–सीमा के अंदर और किस प्रकार अपने कृत्यों को मॉनीटर करने का प्रस्ताव है?

(ii) क्या सरकार ने सिलिकॉसिस के बचाव के संबंध में कोई सर्वेक्षण करवाया है? यदि हां, तो पहचाने गए पीड़ितों की कुल संख्या और उनके उपचार की स्थिति क्या है?

(iii) सिलिकॉसिस की समस्या के संबंध में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

(iv) फैक्टरी एक्ट, 1948 की धारा 87 के तहत बनाए गए मॉडल रुल 120 के अंतर्गत डॉयरेक्टरेट जनरल फैक्टरी एडवाईज सर्विस एण्ड लेबर इंस्टीच्यूट द्वारा तैयार की गई अनुसूची संख्या XII को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

(v) उपजीविकाजन्य बीमारी—सिलिकॉसिस के निदान तथा उपचार के लिए कितने अस्पताल/उपचार केन्द्र विद्यमान हैं?

(vi) क्या मजदूरों को मुआवजे के लिए दावा दायर करने में सक्षम बनाने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु कोई नीति तैयार की गई है?

(vii) क्या राज्य/संघ शासित क्षेत्रों ने सिलिकॉसिस के पीड़ितों को किसी प्रकार के मुआवजे का भुगतान किया है? यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों तथा भुगतान की गई राशि का विवरण दें?

(viii) उद्योगों/फैक्टरियों/खदानों में कार्यरत मजदूरों को मुआवजा सुनिश्चित करने की दिशा सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं?

(ix) क्या सरकार ने सिलिकॉसिस के निवारण एवं उपचार तथा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान करने के संबंध में कोई नीति तैयार की है?

(x) क्या सरकार का सिलिकॉसिस से प्रभावित मजदूरों के पुनर्वास तथा बीमा के लिए किसी प्रकार के बोर्ड का या किसी निधि के गठन करने का कोई प्रस्ताव है?

6.11 इस दौरान आयोग को पीपल्स राईट्स एण्ड सोशल रिसर्च सेंटर (प्रसार) बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में रिट् याचिका (सिविल) संख्या 2006 की 110 के संबंध में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 5 मार्च, 2009 के आदेश की एक प्रति प्राप्त हुई। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्वास्थ्य एवं श्रम मंत्रालयों को निदेश दिया था कि वे भावी कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को हर संभव मदद उपलब्ध कराएं। इसके बाद, मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने दिसम्बर 2009 में सिलिकॉसिस पर एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया जो इस उपजीविकाजन्य खतरे से निपटने के लिए रणनीतियां तैयार करने में मदद करेगा और प्रभावित मजदूरों और उनके परिवार द्वारा झेली जा रही समस्या के निदान के लिए निवारात्मक, उपचारी, पुनर्वास संबंधी उपाय इजाद करेगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग विशेषज्ञ समूह के सुझाव के आधार पर आयोग ने बाद में 'सिलिकॉसिस के निवारात्मक, उपचारी, पुनर्वास संबंधी तथा मुआवजे संबंधी पहलू' शीर्षक सिफारिशों का एक सेट तैयार किया और उसे दिनांक 13 दिसम्बर, 2010 को सभी संबंधितों को परिचालित किया। इसे परिचालित करने से पहले आयोग ने संबंधित मंत्रालयों तथा तकनीकी संस्थानों से भी इनपुट् मांगे।

6.12 बाद में आयोग ने दिनांक 1 मार्च, 2011 को नई दिल्ली में सिलिकॉसिस पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इसका उद्‌देश्य निवारात्मक, उपचारी, पुनर्वास संबंधी तथा मुआवजे संबंधी पहलुओं के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों द्वारा की गई कार्रवाई का मूल्यांकन करना था। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग उनसे दिनांक 1 मई, 2008 को आयोजित की गई बैठक के दस बिन्दुओं पर की गई कार्रवाई के बारे में भी जानना चाहता था। सिलिकॉसिस के मुद्‌दे से संबंधित विभिन्न गैर सरकारी संगठनों तथा तकनीकी

संस्थानों के साथ वर्तमान स्थिति के बारे में विचार–विमर्श करना एक अन्य उद्देश्य था। इस राष्ट्रीय सम्मेलन की मुख्य सिफारिशों को भी संगत पणधारियों को परिचालित किया गया।

6.13 वर्ष 2011 के सम्मेलन की सिफारिशों में से एक मुख्य सिफारिश थी, राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के संबंधित अधिकारियों के साथ समूहों में प्रत्येक दो महीने में पुनरीक्षा बैठकें आयोजित करना। आयोग ने चार क्षेत्रीय पुनरीक्षा बैठकों का आयोजन किया। पहली क्षेत्रीय पुनरीक्षा बैठक दिनांक 10 जून, 2011 को नई दिल्ली में आयोजित की गई और इसमें हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को कवर किया गया। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल तथा संघ शासित क्षेत्र पुदुचेरी को कवर करते हुए दूसरी क्षेत्रीय पुनरीक्षा बैठक का आयोजन दिनांक 18 नवम्बर, 2011 को बंगलौर में किया गया। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल जैसे पूर्वी राज्यों को कवर करते हुए तीसरी क्षेत्रीय पुनरीक्षा बैठक का आयोजन दिनांक 14 फरवरी, 2012 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में किया गया। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड तथा पंजाब राज्यों को कवर करते हुए दिनांक 4 मई, 2012 को एक पुनरीक्षा बैठक का आयोजन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में किया गया। इन पुनरीक्षा बैठकों में राज्य सरकार के अधिकारियों की भागीदारी के अलावा तकनीकी संस्थानों तथा सिविल सोसाईटी आर्गेनाइजेशन्स के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। इन बैठकों के दौरान आयोग ने उचित सर्वेक्षण तथा अन्य उपचारात्मक, पुनर्वासात्मक एवं मुआवजा संबंधी उपायो के माध्यम से इस समस्या का समाधान करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा गंभीर कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया।

6.14 सिलिकॉसिस की रोकथाम, पहचान तथा उन्मूलन के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा की पूर्व में की गई सिफारिशों के संबंध में केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई की स्थिति पर विचार–विमर्श करने के लिए आयोग ने दिनांक 25 जुलाई, 2014 को नई दिल्ली में सिलिकॉसिस के संबंध में एक और एक–दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।

6.15 सम्मेलन में तीन पूर्ण सत्रों में तीन मुख्य विषयों पर निम्नानुसार मंत्रणा की गई : –

सत्र – I	सिलिकॉसिस की विद्यमान स्थिति तथा सिलिकॉसिस के निवारात्मक, उपचारी, पुनर्वासात्मक एवं मुआवजा संबंधी पहलुओं के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन तथा की गई कुछ अन्य पहलें/बेहतर उपाय
सत्र – II	बुनियादी सत्यों की व्याख्या – आगे बढ़ने की दिशा में सिविल सोसाईटी का दृष्टिकोण
सत्र – III	सिलिकॉसिस : उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण तथा अन्य विधायन एवं विनियमन

6.16 तीन पूर्ण सत्रों के दौरान हुई चर्चा के आधार पर राष्ट्रीय सम्मेलन से निम्नलिखित सिफारिशें निर्गत हुईं :

(i) सभी राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र सिलिकॉसिस की समस्या पर आयोग द्वारा पूर्व में की गई निम्नलिखित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई सहित पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं :

- की गई कार्रवाई को अद्यतन करने के लिए वर्ष 2008 में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को भेजे गए दस बिन्दुओं के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत करना।
- आयोग द्वारा तैयार किए गए और अपने दिनांक 13 दिसम्बर, 2010 के पत्र सं0 11/3/2005–पी0आर0पी0 एण्ड पी0 द्वारा अग्रेषित सिलिकॉसिस से संबंधित निवारात्मक, उपचारी, पुनर्वासात्मक तथा मुआवजे संबंधी पहलुओं की सिफरिशों के सेट पर राज्य/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा की गई कार्रवाई प्रस्तुत करना।
- दिनांक 1 मार्च, 2011 को सिलिकॉसिस के संबंध में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में की गई और दिनांक 11 अप्रैल, 2010 को अपने पत्र संख्या 11/3/2005–पी0आर0पी0 एण्ड पी0 द्वारा अग्रेषित की गई सिफारिशों पर राज्य/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा की गई कार्रवाई प्रस्तुत करना।

आयोग द्वारा तैयार किए गए सिफारिशों के इन तीनों सेट पर की गई कार्रवाई को दिसम्बर, 2014 के अंत तक प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए। ऐसा करते समय, राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को सिलिकॉसिस के उन्मूलन के लिए उनकी संबंधित कार्य योजनाओं को भी आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

(ii) सभी राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र उनके द्वारा किए गए उद्योगों के विस्तृत सर्वेक्षण की खोजों, विशेषतः संगठित एवं असंगठित, दोनो क्षेत्रों के जोखिमपूर्ण तथा संभाव्य जोखिमपूर्ण उद्योगों जहां मजदूरों की सिलिकॉसिस से प्रभावित होने की संभावना है, को विशेषरुप से आयोग को रिपोर्ट करें। इसके अलावा, इनके सर्वेक्षण विगत में कार्य कर चुके मजदूरों की स्थिति पर भी प्रकाश डालेंगे। जिन राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों ने उपरोक्त उल्लिखित निदेशों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है वे तत्काल ही अपने सर्वेक्षण कार्य को पूरा करें और दिसम्बर, 2014 तक अपनी खोजों को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें।

(iii) राज्य/संघ शासित क्षेत्र निम्नलिखित के संबंध में विस्तृत जानकारी रखें और उसका परस्पर आदान प्रदान करें :

(iv) जिन राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों ने सिलिकॉसिस पैदा करने की संभावना वाली छोटी ईकाईयों को इस बात के होते हुए भी कि उनके नियुक्त व्यक्तियों की संख्या दस से कम है, उन्हें अभी तक अधिसूचित नहीं किया है, यदि वे बिजली की मदद से चल रही हैं तो उन्हें फैक्टरी एक्ट, 1948 की धारा 85(1) के अंतर्गत फैक्टरी घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा, राज्य एवं

संघ शासित क्षेत्र, अधिनियम के तहत इंस्पेक्टर और सर्टिफाईंग सर्जन नियुक्त करके फैक्टरी एक्ट, 1948 का सख्त प्रवर्तन सुनिश्चित करें।

(v) इसी प्रकार, जिन फैक्टरियों में ऐसे विनिर्माण प्रक्रियाएं या संचालन होते हैं जिसमें मुक्त सिलिका युक्त पत्थर या किसी अन्य सामग्री का व्यवसाय प्रबंधन किया जाता है उन्हें सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों द्वारा फैक्टरी एक्ट, 1948 की धारा 87 के तहत "खतरनाक संचालन" के रुप में अधिसूचित किए जाने की आवश्यकता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्थर या मुक्त सिलिका वाली किसी अन्य सामग्री के मनुपुलेशन सहित (अनुसूची 8) डी0जी0एफ0ए0एस0एल0आई0 के माध्यम से 27 खतरनाक संचालकों एवं प्रक्रियाओं को फैक्टरी एक्ट 1948 की धारा 87 के तहत संशोधित मॉडल फैक्टरी नियम (एम0एफ0आर0 120) तैयार किए। अनुसूची 8 के तहत यह मॉडल फैक्टरी नियम ऐसे पत्थरों या अन्य ऐसी सामग्री पर भी लागू होंगे जिनमें 5 प्रतिशत मुक्त सिलिका का भार शामिल होगा जिसमें स्टोन क्रशर, रत्न तथा आभूषण, पेंसिल बनाने वाली स्लेट, गोमेद उद्योग, मिट्टी तथा शीशे का विनिर्माण शामिल है। नियोक्ताओं को इनमें कार्य करने वालों की सुरक्षा के लिए आवधिक चिकित्सीय जांच, कल्याणकारी तथा स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने, तथा सुरक्षा उपकरण एवं कपड़े जैसे पूर्वोपाय करने की आवश्यकता है। महिलाओं, किशोरों तथा बच्चों को जोड़–तोड़ वाले संचालनों में या किसी भी ऐसे स्थान पर रोजगार दिए जाने को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए जहां इस प्रकार का संचालन होता हो।

(vi) आज भी सिलिकॉसिस के मामले की पुष्टि करने संबंधी मेडिकल प्रोटोकॉल के मानकों में व्यापक भिन्नता है। अतः पूरे देश में एक समान नैदानिक प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता है जिसमें मुख्य रुप से आजीविका संबंधी इतिहास, छाती की रेडियोग्राफी, सी0टी0 स्कैन तथा फेफड़ों की बायोप्सी शामिल है। सभी सिविल अस्पतालों में उपजीविकाजन्य संबंधी बीमारियों के लिए सभी ई0एस0आई0 अस्पतालों तथा ओ0पी0डी0 में उपजीविकाजन्य विकार केन्द्रों के सृजन की भी आवश्यकता है। इसमें छाती रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट्स तथा उचित निदान, उपचार तथा संदर्भ के लिए अन्य तकनीकी स्टॉफ भी होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, सिलिकॉसिस की अधिक दर वाले जिलों में वहां के जिला अस्पताल सिलिकॉसिस के निदान एवं प्रबंधन के लिए पूरी तरह से तैयार होने चाहिए।

(vii) चूंकि बचाव ही एकमात्र उपचार है, इसलिए अभियांत्रिकी नियंत्रण, चिकित्सीय नियंत्रण तथा प्रशासनिक नियंत्रण द्वारा संबंधित राज्य फैक्टरी नियमों में विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा निवारात्मक/नियंत्रणात्मक उपायों पर बल देना आवश्यक होगा। इसके अलावा सभी मजदूरों तथा नियोक्ताओं को प्रशिक्षण देना एक वार्षिक विशेषता बन जानी चाहिए जिसमें उन्हें सिलिका धूल का खतरा पैदा करने वाले संचालनों तथा सामग्रियों, अभियांत्रिकी नियंत्रण और धूल को कम करने वाली कार्यपद्धतियों, निजी स्वच्छता आदि सहित सिलिका धूल के संपर्क में आने से स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में सुग्राही बनाया

जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए डी0जी0एफ0ए0एस0एल0आई0 ने भी सिलिकॉसिस की रोकथाम के लिए एक जांच सूची भी तैयार की है जिसे नियोक्ताओं एवं मजदूरों के प्रयोग किए जाने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, राज्य अधिकारियों को सशक्त बनाने की आवश्यकता है क्योंकि इससे वे विवेकपूर्ण तरीके से सुरक्षा तथा उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य सर्वेक्षण करने में सक्षम हो सकेंगे।

(viii) विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मानकों के अनुसार छाती रोग विशेषज्ञों, सर्टिफाईड सर्जनों तथा रेडियोलॉजिस्ट की तत्काल भर्ती और धूल विकारों के संबंध में उनका क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण।

(ix) मजदूरों को परिचय–पत्र जारी करने की आवश्यकता ताकि नियोक्ता की जिम्मेदारी सुनिश्चित हो सके और नियोक्ता–मजदूर के बीच परस्पर संबंध स्थापित हो।

(x) आंध्र प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों को राजीव आरोग्यश्री सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कवर किया गया है। योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों को ऐसी गंभीर बीमारियों जिनके लिए अस्पताल में भर्ती होना और सर्जरी आदि आवश्यक है, के इलाज के लिए प्रतिवर्ष 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यदि अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में ऐसी कोई योजना नहीं है तो गैर–संगठित क्षेत्र में प्रभावित मजदूरों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए इसी तर्ज पर एक योजना शुरु की जानी चाहिए।

(xi) आंध्र प्रदेश सरकार ने भवन तथा अन्य निर्माण कार्य में लगे मजदूरों हेतु कल्याण बोर्ड का गठन भी किया जिसके तहत असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले तथा सिलिकॉसिस से प्रभावित भवन तथा अन्य निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के कल्याण के लिए योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। पत्थर की खदानों में तथा पत्थर तोड़ने के कार्य में लगे कार्मिकों को निर्माण कार्य से जुड़े मजदूर घोषित किया गया है और वे निर्माण बोर्ड द्वारा दिए जाने वाले लाभों के हकदार हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश सरकार ने स्लेट पेंसिल मजदूर कल्याण बोर्ड की स्थापना की है। बोर्ड द्वारा सैस के माध्यम से एकत्रित किए जाने वाला कोष का प्रयोग मजदूरों तथा उनके आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने सिलिकॉसिस के संबंध में एक नीति भी बनाई है जिसके तहत प्रभावित मजदूरों को विभिन्न स्कीमें उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाली इकाईयों को रिहायशी इलाकों से सफलतापूर्वक औद्योगिक इलाकों में स्थानांतरित कर दिया है और परिणामतः सिलिका का जोखिम कम हुआ है। अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के द्वारा भी इन बेहतर पद्धतियों का अपनाया जाना चाहिए।

(xii) फैक्टरी अधिनियम, 1948 तथा मध्य प्रदेश फैक्टरी रुल्स 1962 के तहत आंध्र प्रदेश फैक्टरी रुल्स, 1950 की जांच की जानी चाहिऐ तथा अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में भी इसी प्रकार के नियम लागू किए जाने चाहिए।

(xiii) सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में सिलिकॉसिस से प्रभावित मजदूरों द्वारा और मजदूर की मृत्यु के मामले में उनके आश्रितों द्वारा मुआवजे का दावा करने के प्रयोजनार्थ एकल खिड़की के रुप में ओडिशा सरकार की तरह ही एक अलग सिलिकॉसिस बोर्ड/फंड स्थापित करने की आवश्यकता है।

(xiv) सिलिकॉसिस की समस्या से निपटने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों जिनमें स्वास्थ्य विभाग, श्रम विभाग, डी0जी0 एफ0ए0एस0एल0आई0, श्रम संस्थान, उपजीविका स्वास्थ्य संस्थान, टी0बी0 एसोसिएशन तथा सिविल सोसाईटी शामिल हैं, के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। इसी प्रकार ऐसे राज्यों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है जहां से मजदूर बेहतर अवसरों के लिए विस्थापन करते हैं। तथापि, विस्थापन को रोकने के लिए एक व्यापक रणनीति इजाद करना सहायक सिद्ध होगा जिसमें दिनांक 1 मार्च, 2011 को सिलिकॉसिस के संबंध में पूर्व में हुए राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा की गई सिफारिश के रुप में विस्थापित मजदूरों के हित में अधिक भत्ता दिवस उपलब्ध कराके मनरेगा योजना में किए गए संशोधन को शामिल किया जा सकता है।

(xv) राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों ने खदान तथा खदान संबंधी उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य खतरों के ऑपरेशनों, जिनसे सिलिकॉसिस हो सकता है, से निपटने में यथोचित रुचि नहीं दिखाई है। खदान अधिनियम, 1952 के अधिनियमन में कई खामियां उजागर हुई जिससे इसका प्रभावी प्रशासन बाधित हुआ। ऐसी कुछ खामियों की वजह से कुछ नियंत्रण के नए स्वरुपों की आवश्यकता महसूस हुई तथा अन्य को विद्यमान कानूनी प्रावधानों का सख्त प्रवर्तन अपेक्षित था। जब तक विद्यमान खदान अधिनियम में फेरबदल नहीं जो जाता, अधिनियम की धारा 5–9, 11, 22, 23, 25, 26 तथा 27 के सख्त प्रवर्तन की आवश्यकता है। इसके साथ ही खदान सुरक्षा के महानिदेशक के कार्यालय को भी सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।

(xvi) पूरे देश के थर्मल पॉवर स्टेशनों से होने वाले प्रदूषण को भी इस सर्वेक्षण के तहत लाया जाना चाहिए क्योंकि सिलिकॉसिस केवल मजदूरों को ही नहीं बल्कि आसपास के आवासीय इलाकों में रहने वालों को भी हो सकता है क्योंकि कोयले तथा कोयले की राख में 18 से 30 प्रतिशत तक सिलिका होता है।

(xvii) फैक्टरी एक्ट, 1948 की धारा 89 तथा खदान अधिनियम, 1952 की धारा 25 के तहत सिलिकॉसिस केवल एक अधिसूचित बीमारी नहीं है बल्कि वर्कमेन्स कम्पनसेशन एक्ट, 1923 के भाग–ग, अनुसूची III, जिसे अब कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के नाम से जाना जाता है, के तहत एक पूर्तियोग्य बीमारी भी है। अधिनियम के अनुसार, मुआवजे की गणना वास्तविक

अक्षमता के आधार पर की जाती है। वर्ष 1999 के मामला 3449 (बाबूभाई बनाम ई0एस0आई0सी0) में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार सिलिकॉसिस के पीड़ितों के लिए यह अक्षमता 100 प्रतिशत होनी चाहिए। ई0एस0आई0सी0 को एक नियम बनाकर संकल्प करना चाहिए कि पीड़ित को साक्ष्य के भार के बिना ही मुआवजा दिया जाए।

(xviii) उपजीविकाजन्य बीमारियों के लिए मुआवजा देने के तंत्र को सरल बनाने की आवश्यकता है। इस प्रयोजन के लिए कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के साथ–साथ कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में भी संशोधन करने की आवश्यकता है। इन दोनों अधिनियमों में मुआवजे का दावा करने की एक 'विशेषक अवधि' है। यह, मुआवजे का दावा करने की राह में मजदूरों के लिए एक अवरोधक का कार्य करती है। इसे हटाया जाना चाहिए और सिलिकॉसिस से पीड़ित प्रत्येक मजदूर को मुआवजे का भुगतान किया जाना चाहिए। अधिनियमों के तहत दायर किए गए मुआवजे संबंधी सभी दावों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए और दावा किए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के अंदर उसका निपटान किया जाना चाहिए।

(xix) 'उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य' को एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम का भाग बनाया जाना चाहिए।

(xx) असंगठित मजदूर सामाजिक सोसाईटी अधिनियम, 2008 में राष्ट्रीय/राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का प्रावधान है। असंगठित क्षेत्र में खदानों में कार्यरत मजदूरों के कल्याण के लिए कल्याणकारी योजनाओं सिफारिश करने के लिए इसी तर्ज पर खदान मजदूर कल्याण बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए।

6.17 बाद में आयोग के अध्यक्ष द्वारा इन सिफारिशों को सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित किया गया कि संबंधित सरकारों द्वारा इन सिफारिशों को वरीयता आधार पर कार्यान्वित किया जाए और आयोग को की गई कार्रवाई के बारे में सूचित किया जाए।

6.18 इससे पहले, आयोग ने संसद सदस्यों के लिए सिलिकॉसिस के संबंध में एक विशेष रिपोर्ट तैयार की थी और उसे संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रेषित कर दिया था। इस रिपोर्ट में आयोग द्वारा श्रम विधायनों के संबंध में कई सिफारिशें की गई थीं जिनके संबंध में भारत सरकार के जवाब प्राप्त हुए। सिलिकॉसिस के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की विशेष रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट के ज्ञापन पर विचार करने के लिए दिनांक 23 दिसम्बर, 2014 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में श्री एस0सी0 सिन्हा, सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अध्यक्षता में सिलिकॉसिस के संबंध में एन0एच0आर0सी0 विशेषज्ञ समूह तथा अन्य विशेषज्ञों की एक बैठक आयोजित की गई।

6.19 बैठक में हुए विचार–विमर्श के आधार पर निम्नलिखित सिफारिशें सामने आईं –

(i) मजदूरों के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा यथोचित कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय 155 की अभिपुष्टि की आवश्यकता है।

(ii) खदान सुरक्षा महानिदेशालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को यह अनिवार्य कर देना चाहिए कि जब कभी भी राज्य सरकार द्वारा किसी खदान के स्वामी को खदान संचालन के लिए नया लाईसेंस दिया जाता है तो राज्य सरकार इसकी सूचना डी0जी0एम0एस0, भारत सरकार को देगी। इसके अतिरिक्त, जब कभी भी कोई खदान लीज़ धारक, खदान 'खोलने का नोटिस' प्रस्तुत करता है तो उसकी एक प्रति अर्थात खदान खोलने की जानकारी डी0जी0एम0एस0 को दी जानी चाहिए।

(iii) पत्थर की खदानों तथा पत्थर का चूरा करने वाली जगहों की मॉनीटरिंग के मुद्दे, जिन्हें वर्तमान में अधिनियम द्वारा स्पष्ट रुप से कवर नहीं किया गया है, का समाधान करने के लिए खदान अधिनियम, 1952 के तहत कोई पृथक निदेश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि पत्थर की खदानों में पत्थर को खोद कर निकालने की प्रक्रिया खदान के दायरे में आती है, तथापि, पत्थर का चूरा करना फैक्टरी अधिनियम के तहत आता है।

(iv) खदान अधिनियम, 1952 की धारा 17 के अनुसार खदान स्वामी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि खदान के कार्यों की निगरानी के लिए अपेक्षित योग्यता वाला खदान प्रबंधन नियुक्त किया गया है। यदि खदान स्वामी के पास अपेक्षित योग्यता है तो वह स्वयं ही प्रबंधक के रुप में कार्य कर सकता है।

(v) प्रत्येक राज्य को ऐसी सभी यूनिटों, जहां धूल–मिट्टी के सृजन संबंधी गतिविधियां होती हैं, का सर्वेक्षण करना चाहिए और इन यूनिटों को फैक्टरी अधिनियम, 1948 के तहत पंजीकृत किया जाना आवश्यक है। ऐसी सभी यूनिटें जहां धूल–मिट्टी पैदा होती है को अधिनियम की धारा 85 के तहत अधिसूचित किया जाना चाहिए।

(vi) भारत सरकार को एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम/एम0डी0 पाठ्यक्रम में उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य के संबंध में एक कैप्सूल शामिल करना चाहिए। इसके अलावा, एम0सी0आई0 को मेडिकल कॉलेजों में उपजीविकाजन्य बीमारियों संबंधी पी0जी0 कोर्स शुरु करने पर विचार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को भी उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य संबंधी डिप्लोमा कोर्स शुरु करना चाहिए।

(vii) यह सिफारिश की गई कि ई0एस0आई0 अस्पताल के प्रत्येक डॉक्टर को डी0जी0एफ0ए0एस0एल0आई0 और इसके क्षेत्रीय श्रम संस्थानों द्वारा शुरु किए गए एसोसिएट फैलोशिप ऑफ इंडस्ट्रियल हैल्थ संबंधी तीन माह की फैलोशिप करनी चाहिए।

(viii) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय उपजीविका स्वास्थ्य संस्थान (अहमदाबाद) तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (नई दिल्ली) को विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में सेवारत डॉक्टरों के लिए सिलिकॉसिस, एज़बेस्टॉस आदि जैसी 'उपजीविकाजन्य बीमारी'

पर एक क्रैश कोर्स शुरु करने की संभावना पर विचार करना चाहिए। इन कार्यक्रमों की विषयवस्तु तथा समयावधि को सुपरिभाषित बनाने की आवश्यकता है।

(ix) मध्य प्रदेश राज्य, जहां मजदूरों के कल्याण के लिए उद्योगों से कर एकत्रित किया जाता है, में स्थापित किए गए कोश की तर्ज पर सिलिकॉसिस तथा अन्य संबंधित बीमारियों से पीड़ित मजदूरों के पुनर्वास के लिए राहत कोष उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक राज्य में कल्याण बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए।

(x) प्रत्येक जिले में हर एक अस्पताल में सिलिकॉसिस के निदान के लिए यथोचित नैदानिक सुविधाएं होनी चाहिए।

(xi) मंदसौर के मॉडल पर आधारित बेहतर कार्यपद्धतियों को अन्य राज्यों में भी दोहराए जाने की आवश्यकता है।

(xii) राज्यों को राजस्थान सरकार की तर्ज पर निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों के लिए एक अलग बोर्ड की स्थापना करनी चाहिए ताकि उपजीविकाजन्य बीमारियों से पीड़ित मजदूरों के लिए पुनर्वास एवं मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जा सके।

(xiii) अभी तक, सरकारी अस्पतालों में उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य के लिए ओ0पी0डी0 नहीं है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से अनुरोध किया जाना चाहिए कि वह सभी राज्यों को शुरुआत में प्रत्येक जिले में एक सरकारी अस्पताल में प्रयोगिक आधार पर उपजीविका स्वास्थ्य के लिए ओ0पी0डी0 शुरु करने का सुझाव दे।

(xiv) प्रत्येक मजदूर का स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उद्देश्यों के लिए चिकित्सा बीमा होना चाहिए जिसके द्वारा वह अपने उपचार के लिए सभी अस्पतालों तक पहुंच सके।

(xv) खदान में काम करने वाले और फैक्टरी में काम करने वाले प्रत्येक मजदूर को फैक्टरी अधिनियम तथा खदान अधिनियम के तहत निर्धारित सुरक्षा उपकरण/किट का सेट उपलब्ध कराया जाना चाहिए। श्री अशीम सिन्हा तथा श्री राजपूत; मजदूरों को वर्तमान में उपलब्ध कराई जा रहे सुरक्षा उपकरण/किट की विस्तृत सूची (उसकी लागत सहित) उपलब्ध कराएंगे। उक्त सूची को निम्नलिखित कार्यों के लिए राज्य सरकारों को दिया जाएगा (क) राज्य की प्रत्येक खदान में मजदूरों की संख्या का सर्वेक्षण करने के लिए, तथा (ख) प्रत्येक मजदूर को निःशुल्क प्रोटेक्टिव गीयर उपलब्ध कराने और इसकी लागत नियोक्ता से वसूलने के लिए।

(xvi) राज्य सरकार, खदानों का संचालन करने के लिए केवल उनको लाईसेंस प्रदान करना चाहिए जिन्होंने गीली घिसाई की प्रक्रिया अपनाई हुई हो। और जहां कहीं भी सूखी घिसाई की प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसे राज्य सरकार द्वारा लाईसेंस के नवीनीकरण के स्तर पर गीली घिसाई अपनाने के लिए कहा जाना चाहिए।

(xvii) राज्य सरकार को एक टेलीफोन हैल्पलाईन की स्थापना करनी चाहिए ताकि मजदूरों द्वारा खदानों के बारे में तत्काल ही शिकायत दर्ज कराई जा सके, विशेषतः ऐसे मामलों में जहां संबंधित अधिनियमों के उपबंधों का अनुपालन नहीं हो रहा है।

(xviii) डी0जी0एफ0ए0एस0एल0आई0 तथा डी0जी0एम0एस0 को अपने वेब पोर्टल पर सभी फैक्टरियों तथा खदानों की निरीक्षण रिपोर्ट रखनी होगी।

(xix) निरीक्षकों के रिक्त पड़े कई पदों को डी0जी0एम0एस0 द्वारा तत्काल भरा जाना चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाना चाहिए।

(xx) खदान अधिनियम, जिसकी भूमिका वर्तमान में नजर नहीं आ रही है, के प्रवर्तन में राज्य सरकारों का अधिक से अधिक हस्तक्षेप जरुरी है। इस मुददे पर बल देने के लिए खदान मंत्रालय तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार सहित राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा राज्य सरकारों के संबंधित प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया जाना चाहिए।

6.20 आयोग एक बार फिर सभी राज्य सरकारों एवं संघ शासित क्षेत्रों को वर्ष 2008–2009 से लेकर अब तक समय–समय पर सिलिकॉसिस के संबंध में आयोग द्वारा दिए गए सुझावों तथा सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट अग्रेषित करने के लिए कहा है। यह उल्लेख करना उचित होगा कि यह सभी सिफारिशें, दिनांक 25 जुलाई, 2014 को आयोग द्वारा सिलिकॉसिस के संबंध में आयोजित किए गए राष्ट्रीय सम्मेलन की अंतिम सिफारिशों का भाग हैं। आयोग सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों से एक बार फिर अपील करता है कि वे दिनांक 23 दिसम्बर, 2014 को हुई अपनी बैठक में सिलिकॉसिस संबंधी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेषज्ञ समूह द्वारा की गई सिफारिशों, जिनका उल्लेख पैरा 6.18 में और कुछेक सिफारिशें जो उपरोक्त पैरा 3.19 में दी गई हैं, का अनुपालन करें।

ख. मसौदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2015 पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टिप्पणियां

6.21 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने विगत में दो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियां बनाई थीं, एक वर्ष 1983 में तथा दूसरी वर्ष 2002 में। इन नीतियों ने मुख्यतः पंचवर्षीय योजनाओं के लिए तथा विभिन्न स्कीमों एवं कार्यक्रमों में स्वास्थ्य क्षेत्र की ओर ध्यान केन्द्रित किया। सहस्त्राब्दि विकास उद्देश्यों एवं इसके लक्ष्यों की प्राप्ति के आलोक में स्वास्थ्य क्षेत्र की वरीयताओं के चलते स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2015 में एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का मसौदा तैयार किया। इस नई मसौदा नीति के माध्यम से सरकार का मूल उद्देश्य उस रोडमैप के बारे में जानकारी देना, स्पष्ट करना, मजबूत बनाना तथा वरीयता देना था जो देश में स्वास्थ्य पद्धति को सभी आयामों में मूर्त रुप देगा – अर्थात स्वास्थ्य में निवेश, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का गठन एवं वित्तपोषण, भिन्न–भिन्न क्षेत्रों की कार्रवाईयों के माध्यम से विकार निवारण तथा अच्छी सेहत का संवर्धन, तकनीक तक पहुंच, मानव संसाधनों का विकास, चिकित्सा बहुलवाद को समर्थन, बेहतर स्वास्थ्य,

वित्तीय संरक्षण रणनीतियों तथा स्वास्थ्य के लिए विनियमन एवं विधायन हेतु ज्ञान आधार का निर्माण करना।

6.22 उपलब्धियों के साथ–साथ विभिन्न राज्यों के बुनियादी स्तर तक वर्णभेद दूर करने संबंधी आंकड़ों द्वारा प्रमाणित स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सुलभ पहुंच सहित स्वास्थ्य संबंधी परिणामों में असमानता पर विचार करते हुए आयोग ने मसौदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2015 पर विचार–विमर्श करने के लिए एक बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया। उक्त बैठक का आयोजन दिनांक 30 जनवरी, 2015 को विज्ञान भवन एनेक्सी, नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि मसौदा स्वास्थ्य नीति से नागरिकों के मानव अधिकारों की चिंताओं का समाधान कितना बेहतर हुआ है। विचार–विमर्श के उद्देश्य से आयोग ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जिनके साथ आयोग अपने स्वास्थ्य संबंधी कोर परामर्शी समूह का पुनर्गठन करना चाहता है।

6.23 स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ हुई बैठक के दौरान हुए विचार–विमर्श के आधार पर निम्नलिखित मुख्य सुझाव एवं सिफारिशें की गईं –

(i) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई मसौदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2015 में स्वास्थ्य के अधिकार ढांचे को अपनाया जाना चाहिए और वर्ष 2002 की स्वास्थ्य नीति पर विचार करना चाहिए। इसमें एन0आर0एच0एम0 का भी जायजा लिया जाना चाहिए जो इस वर्ष अपने संचालन के दस वर्ष पूरे कर रहा है। वर्ष 2015 की प्रस्तावित नीति में अनुभवों तथा खामियों से मिली सीख को भी शामिल किया जाना चाहिए।

(ii) वर्ष 2015 की मसौदा स्वास्थ्य नीति में समुदाय, जो समुदाय अग्र मूल्यांकन, क्षमता निर्माण तथा जवाबदेही के माध्यम से निम्नतम बिन्दु तक योजना, स्वामित्व, मॉनीटरिंग सहित लोक–केन्द्रित सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के सभी स्वरुपों के संबंध में निर्णय लेने के हस्तक्षेप/भागीदारी चाहते हुए वास्तविक स्वामी हैं, के दृष्टिकोण से जनता के स्वास्थ्य के अधिकारों पर विचार–विमर्श किया जाना चाहिए।

(iii) गैर–सरकारी चिकित्सा क्षेत्र – जो हर जगह अपने पंख फैला रहा है चाहे वो निजी चिकित्सा शिक्षा, डॉयग्नॉस्टिक्स, देश में वैश्विक फार्मास्युटिकल उद्योग द्वारा क्लीनिकल ट्रॉयल हों या औषधि उद्योग द्वारा अविवेकपूर्ण तरीके से दवाईयों का प्रचार–प्रसार और बीमा उद्योग द्वारा निजी वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाएं हों, के तत्काल विनियमन पर बल देने की आवश्यकता है। यह केवल गैर सरकारी चिकित्सा क्षेत्र को विनियमित ही नहीं करेगा बल्कि मरीजों के अधिकारों की सुरक्षा भी करेगा।

(iv) अधिकारों के ढांचे के भाग के रुप में, मरीजों के अधिकारों पर एक राष्ट्रीय चर्चा शुरु करने की आवश्यकता है क्योंकि भारत में मरीजों के अधिकारों के बारे में बहुत कम ज्ञान है जिसके कारण मानव अधिकारों का अंधाधुंध उल्लंघन होता है। तथापि, यदि प्रत्येक नागरिक को इन अधिकारों

के साथ–साथ शिकायतों के समाधान के मार्गों का ज्ञान हो जाए तो यह स्थिति बदल सकती है।

(v) मसौदा स्वास्थ्य नीति दस्तावेज में स्वास्थ्य पर सरकारी खर्चे को बढ़ाने और सार्वजनिक आपूर्ति प्रणाली में विस्तार करने जैसे सुझाव की अपेक्षा स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध बजट आबंटन किए जाने की आवश्यकता है।

(vi) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को विगत में जन स्वास्थ्य अभियान के सहयोग में चलाई गई कार्यशालाओं की तर्ज पर क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाओं का आयोजन करके स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार के संबंध में तैयार राष्ट्रीय कार्य योजना 2004 को अद्यतन बनाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय कार्य योजना ने राष्ट्रीय लोक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम को लागू करने की सिफारिश की थी।

(vii) मसौदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2015 में सभी स्तरों के स्वास्थ्य कार्मिकों के क्षमता निर्माण और कौशल उन्नयन के माध्यम से एन0आर0एच0एम0/एन0एच0एम0 को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।

(viii) मसौदा स्वास्थ्य नीति, भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली की मुख्य समस्या अर्थात इसका प्रबंधन, प्रशासन तथा समग्र शासन प्रणाली से निपटने में असफल रही है। इसलिए, यदि स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाना है तो मसौदा नीति में इन महत्वपूर्ण मुद्दों को वरीयता देने और इन पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है।

(ix) प्रस्तावित राष्ट्रीय नीति 2015 में डॉक्टरों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में जाकर कार्य करना अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इसमें प्राथमिक देखभाल की अपेक्षा ....

(x) हालांकि 2015 की नीति में गैर–संचारी बीमारियों के बढ़ते हुए बोझ के बारे में बताया गया है किन्तु यह इस चिंता के समाधान हेतु कोई तंत्र का सृजन करने में विफल रही है। गैर संचारी बीमारियों का भारत में मृत्यु का एक मुख्य कारण होने की वजह से गैर संचारी बीमारियों की बढ़ती हुई घटनाओं से निजात पाने के लिए महत्वपूर्ण हस्तक्षेपीय रणनीतियों सहित एक एकीकृत कार्य योजना को शामिल करना इस प्रस्तावित नीति का एक भाग होना चाहिए।

(xi) भारत में लोक स्वास्थ्य देखभाल संबंधी अवसंरचना की जर्जर स्थिति के चलते प्रस्तावित 2015 नीति में स्वास्थ्य देखभाल विधायन के अधिकार पर बल देने की आवश्यकता है।

(xii) मसौदा स्वास्थ्य नीति 2015 में मानव संसाधन के लिए कोई विजन नहीं है। इसमें दो प्रकार के स्वास्थ्य कार्मिकों पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है, पहला मरीजों का उपचार तथा दूसरा लोगों को स्वस्थ बनाए रखना। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि विकार निवारण के साथ–साथ स्वास्थ्य संवर्धन पर भी जोर देने की आवश्यकता है। इसके अलावा, इसमें नर्सिंग सेवाओं को चिकित्सा सेवाओं के बराबर लाने की आवश्यकता पर ध्यान देने की जरुरत है। नीतिगत

दस्तावेज में अपेक्षित किस्म के डॉक्टरों के साथ–साथ उनकी अवस्थिति पर भी ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

(xiii) सरकारी तथा गैर सरकारी, दोनों तरह के स्वास्थ्य क्षेत्रों को सी0ए0जी0 की तर्ज पर बाह्यता की कुछ डिग्री सहित विनियमित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, क्लीनिकल देखभाल को विकेन्द्रिकृत करने और फ्रंट लाईन वर्कर्स के कौशल में निवेश करने, समयबद्ध संदर्भों में निवेश करने, देखभाल तक पहुंच के लिए सहायता देने तथा समुदाय के प्रति जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है। मसौदा 2015 नीति में ऐसा कुछ भी कवर नहीं किया गया है।

(xiv) प्रस्तावित स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य के सभी पहलुओं को नहीं छुआ है और न ही डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टॉफ, बिस्तरों आदि की संख्या के नजरिये से लोक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार एवं विस्तार के संबंध में पर्याप्त आंकड़ों द्वारा समर्थित है। इसे इन पहलुओं पर विचार करने के साथ–साथ निवारक उपायों पर बल देना होगा जैसे कि स्कूल, कॉलेजों, कार्यस्थलों में शारीरिक स्वस्थता की संस्कृति के संवर्धन तथा लोक एवं आधुनिक मीडिया के माध्यम से लोक जागरुकता को बढ़ावा देने सहित प्रत्येक परिवार एवं स्कूल में शौचालयों के निर्माण जैसे निवारणात्मक उपायों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

(xv) इसमें स्वास्थ्य संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका एवं हस्तक्षेप के बारे में बात की जानी चाहिए क्योंकि यह पूरे देश भर में कई राज्यों में प्रचलित कार्यपद्धति है।

(xvi) मसौदा स्वास्थ्य नीति दस्तावेज में उल्लिखित गौड़ अस्पतालों में डॉक्टरों, विशेषतः गायेनीकॉलिजिस्ट तथा एनेस्थिटिस्ट की कमी पर टिप्पणी करते हुए, उनकी सेवाओं के स्थान पर आयुष तथा हौम्योपेथिक डॉक्टरों को एलोपेथिक दवाईयों का वितरण करने के लिए प्राधिकृत करने के निर्णय की पुनरीक्षा करना।

(xvii) देश के सभी अस्पतालों में 'जनरल प्रैक्टिस' डिपार्टमेंट्स को बहाल करने की आवश्यकता है। और, मरीज की 'जनरल प्रैक्टिस' डिपार्टमेंट द्वारा जांच हो जाने के बाद उसे विशेषज्ञ डॉक्टरों के पास रैफर किया जाना चाहिए। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा इस पहलू पर ध्यान दिए जाने और मसौदा स्वास्थ्य नीति दस्तावेज 2015 में शामिल करने की भी आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त मैडिकल कॉलेजों में भी 'जनरल प्रैक्टिस' डिपार्टमेंट्स शुरु किया जाना चाहिए।

(xviii) महत्वपूर्ण लोक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के निष्पादन हेतु मसौदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2015 में एक बहु–विषयक लोक स्वास्थ्य सेवा का सृजन करने पर बल दिए जाने की आवश्यकता है। यह लोक स्वास्थ्य संवर्ग, उप–केन्द्र के निम्नतम स्तर से शुरु किया जा सकता है।

(xix) इसके अतिरिक्त, दूरस्थ जनजातीय तथा ग्रामीण पी0एच0सी0 एवं सी0एच0सी0 के लिए ''कमांडो फोर्स'' के समतुल्य स्वास्थ्य स्टॉफ का एक पृथक विशेष संवर्ग का सृजन करने की आवश्यकता के बारे में उल्लेख किया जाना चाहिए। इस संवर्ग के वेतन एवं भत्ते

ग्रामीण/जनजातीय इलाकों के स्वास्थ्य कार्मिकों एवं डॉक्टरों को दिए जाने वाले वेतन एवं भत्तों से दोगुने होने चाहिए। उन्हें विशेष लाभ भी दिए जाने चाहिए जैसा कि सेना के अधिकारियों को दिए जाते है जैसे कि भोजन, आवास तथा उनके बच्चों के लिए विशेष शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। इनका चयन अखिल भारतीय स्तर पर प्रतियोगिता के आधार पर किया जाना चाहिए।

(xx) प्रस्तावित स्वास्थ्य दस्तावेज में प्रत्येक राज्य में एक अलग लोक स्वास्थ्य सेवा आयोग के सृजन की आवश्यकता को जगह दी जानी चाहिए और उनमें प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यार्थियों के पैनल सहित रिक्त पदों को भरने की द्रुत प्रक्रिया होनी चाहिए ताकि जब मेडिकल ऑफिसर अवकाश पर हो तो प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यार्थी को उसके स्थान पर बुलाया जा सके न कि किसी अन्य मेडिकल ऑफिसर को अतिरिक्त प्रभार दिया जाए क्योंकि एक डॉक्टर एक समय में दो स्थानों पर ओ0पी0डी0 नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त मानव संसाधन संबंधी सभी आंकड़ों को कम्प्यूटरीकृत किया जाना चाहिए और इससे प्रशिक्षण सहित विभिन्न मानव संसाधन प्रबंधन प्रक्रियाओं को संचालित किया जाना चाहिए।

(xxi) चूंकि सरकारी एवं गैर–सरकारी, दोनों प्रकार की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली 'गुणता आश्वासन' से वंचित हैं इसलिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों को स्वास्थ्य सेवा गुणता आश्वासन के लिए एक स्वतंत्र निकाय का गठन करना चाहिए जिसमें सरकारी एवं गैर–सरकारी, दोनों प्रकार के स्वास्थ्य संस्थानों का आवधिक रुप से निरीक्षण करने की शक्ति के साथ–साथ शिकायतों का जवाब देने की उच्च क्षमता रखने वाले स्वतंत्र विशेषज्ञ हों। इसके अतिरिक्त उनके पास अस्पतालों को नोटिस जारी करने, खामियों को प्रचारित करने और विवादास्पद मामलों में अस्पताल या स्वास्थ्य केन्द्र को बंद करने की शक्तियां होनी चाहिए। मसौदा राष्ट्रीय नीति 2015 में इन सभी बिन्दुओं पर विचार करने और समय एवं देखभाल के मानकों को निर्धारित करने की आवश्यकता है।

6.24 उपरोक्त पैरा 6.23 में क्रमांक में (i), (ii), (iii), (iv), (v), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi) तथा (xxi) सूचीबद्ध सुझावों/सिफारिशों को बाद में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के निर्णायक अंक में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टिप्पणियों के रुप में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रेषित कर दिया गया था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग आश्वस्त है कि भारत सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के निर्णायक अंक को जारी करते समय इसके द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को की गई सिफारिशों/सुझावों पर विचार को नोट किया जाएगा।

ग. स्वास्थ्य संबंधी कोर परामर्शी समूह का पुनर्गठन

6.25 आयोग ने स्वास्थ्य संबंधी कोर परामर्शी समूह गठित किया जो उसे भारत के नागरिकों को स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता, वहनीयता तथा सुलभता संबंधी मुद्दों पर सुझाव देगा। इन मुद्दों में

आयोग द्वारा कोर समूह को की गई दोनों टिप्पणियां और वर्ष 2006 में यथासंशोधित मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के संगत प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में कोर समूह के सदस्यों द्वारा उचित समझे जाने वाले अन्य मुद्दे शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, आयोग द्वारा कोर समूह से अनुरोध किया जा सकता है कि वो मानव अधिकारों के दृष्टिकोण से संबंधित स्वास्थ्य एवं अन्य मामलों संबंधी सरकारी कानूनों, नीतियों, नियमों, आदेशों आदि की पुनरीक्षा करें और परिवर्तन करने के लिए या उनके बेहतर कार्यान्वयन के लिए सुझाव दे। इसके अतिरिक्त, कोर समूह से अनुरोध किया जा सकता है कि वे देश में स्वास्थ्य देखभाल को एक न्यायोचित एवं प्रवर्तनीय अधिकार बनाने की संभावनाओं के साथ–साथ कार्य योजना के संबंध में सुझाव दें और स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में भारत एवं विदेशों की बेहतरीन कार्यपद्धतियों की पहचान करें और देश के विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में इनके संभाव्य कार्यान्वयन की सिफारिश करें।

6.26 चूंकि आयोग द्वारा अंतिम स्वास्थ्य संबंधी कोर परामर्शी समूह का गठन दिनांक 28 जुलाई, 2010 को किया गया था इसलिए दिनांक 3 मार्च, 2015 को परामर्शी समूह का पुनर्गठन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपार अनुभव रखने वाले सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र के विख्यात स्वास्थ्य विशेषज्ञों का एक बोर्ड है।

घ. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा निपटाए गए स्वास्थ्य संबंधी दृष्टांत मामले

1. *छत्तीसगढ़ के धमातरी जिले में बागभेरा में लगे आंख के शिविर में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण 15 मरीजों की आंख की रोशनी चली जाना*
(739/33/4/2012)

6.27 आयोग को खबर.एन0डी0टी0वी0.कॉम के माध्यम से एक दुखद समाचार रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि छत्तीसगढ़ के धमातरी जिले में बागभेरा में एक शिविर में मोतियाबिंद की सर्जरी करते समय डॉक्टरों की लापरवाही के कारण 15 मरीजों ने अपनी आंखों की रोशनी खत्म हो गई। यह रिपोर्ट किया गया कि ऑपरेशन के बाद नौ मरीजों को संक्रमण विकसित हो गया और उनकी एक आंख निकालनी पड़ी। मरीजों को एम0जी0एम0 आई हॉस्पिटल, रायपुर में भर्ती कराया गया।

6.28 आयोग ने समाचार रिपोर्ट पर स्वतःसंज्ञान लिया और अपनी दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 की कार्रवाई में छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव से मामले की रिपोर्ट मांगी।

6.29 राज्य सरकार ने डॉ0 सुभास मिश्रा, राज्य कार्यक्रम अधिकारी, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाईंडनैस की रिपोर्ट की एक प्रति अग्रेषित की। लेकिन रिपोर्ट में ऐसी कोई विशिष्ट जानकारी नहीं दी गई थी कि ऑपरेशन तथा उसके बाद हुए संक्रमण से कितने लोगों की आंख की रोशनी चली गई थी। इसलिए, आयोग ने अपनी दिनांक 10 फरवरी, 2014 को हुई कार्रवाई में मुख्य सचिव, छत्तीसगढ सरकार को नोटिस जारी करते हुए उपरोक्त बिन्दु पर विशिष्ट जानकारी प्रस्तुत करने और यह सूचित

करने का निदेश दिया कि क्या पीड़ित व्यक्तियों को किसी प्रकार के मुआवजे का भुगतान किया गया है या नहीं।

6.30 आयोग के निदेशों के अनुसरण में उपसचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार ने बताया कि :–

(i) जिला छत्तीसगढ़ के धामतारी में कम्यूनिटी हैल्थ सेंटर बागभेरा में की गई मोतियाबिंद की सर्जरी में 16 मरीजों की आंखों की रोशनी गई;

(ii) प्रत्येक पीड़ित अर्थात 16 पीड़ित लोगों को मुख्यमंत्री राहत कोश से 50,000/–रु0 की मौद्रिक राहत का भुगतान किया गया;

(iii) एक सर्जन, दो असिस्टेंट ऑफिसर तथा दो स्टॉफ नर्सों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल में लापरवाही बरतने के कारण निलंबित किया गया और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही है;

(iv) ऑपरेशन के दौरान प्रयोग में लाई गई चार दवाईयां स्तरहीन थीं। अतः इन दवाईयों के सप्लायर और विनिर्माताओं को सरकार को दवाईयों की आपूर्ति करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

6.31 रिपोर्ट पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद आयोग ने दिनांक 12 मई, 2014 को हुई अपनी कार्रवाई में पाया कि 16 मरीजों (प्रत्येक) को दी गई 50,000/–रु0 की मौद्रिक राहत इस प्रकार की घटना के लिए अपर्याप्त है और छत्तीसगढ़ सरकार से सिफारिश की कि अपनी आंख की रोशनी खो चुके 16 मरीजों (प्रत्येक) को उन्हें पहले से दिए गए 50,000/–रु0 के अतिरिक्त 50,000/–रु0 का भुगतान और किया जाए।

6.32 राज्य सरकार की रिपोर्ट दर्शाती है कि मरीजों को स्तरहीन दवाईयां दी गई, आयोग ने राज्य सरकार को इस संबंध में भी विस्तृत जांच करने, इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के अभियोजन करने तथा उनके खिलाफ दांडिक कार्रवाई शुरु करने का निदेश दिया। इसके अलावा आयोग ने राज्य सरकार से उन तीन डॉक्टरों, जिन्होंने मोतियाबिन्द के ऑपरेशन किए थे, के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई की रिपोर्ट को आठ सप्ताह के अंदर–अंदर प्रस्तुत करने के लिए भी कहा।

6.33 संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, रायपुर, छत्तीसगढ़ सरकार ने बताया कि 16 मरीजों को पूर्व में मुख्य मंत्री राहत कोष से भुगतान किए गए 50,000/–रु0 (प्रत्येक को) के अलावा आयोग की सिफारिश के अनुसार 50,000/–रु0 (प्रत्येक को) की राशि का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने यह सूचना भी दी कि कम्यूनिटी हैल्थ सेंटर, बागभेरा में मोतियाबिंद की सर्जरी के दौरान आंख के संक्रमण की घटना की विभागीय जांच चल रही है और दोषी डॉक्टरों के खिलाफ विभागीय की जाएगी। यह भी बताया गया कि पीड़ित मरीजों का उपचार एम0जी0एम0 आई इंस्टीच्यूट, रायपुर में किया गया था, बाद में उनका उपचार जिला अस्पताल में किया गया।

6.34 जहां तक स्तरहीन दवाईयों की आपूर्ति का संबंध है यह बताया गया कि दिनांक 30 अप्रैल, 2014 को दवाई उत्पादन फर्म तथा आपूर्तिकताओं के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी की गई।

6.35 अपनी सिफारिशों के अनुपालन पर आयोग ने अपनी दिनांक 10 नवम्बर, 2014 की कार्रवाई के तहत मामले को समाप्त कर दिया।

2. उत्तर प्रदेश के बलिया के जिला अस्पताल में चिकित्सीय लापरवाही के कारण नवजात शिशु की मृत्यु

(मामला सं0 25612/24/10/2013)

6.36 जिला अस्पताल बलिया, उत्तर प्रदेश में ड्यूटी पर उपस्थित डॉक्टर के कहने पर एक रिक्शा चलाने वाले द्वारा तथाकथित रुप से आठ महीने के बच्चे को इंजेक्शन दिए जाने के बाद हुई उसकी मृत्यु के बारे में एन0डी0टी0वी0 पर प्रसारित की गई खबर, आयोग के संज्ञान में आई। इंजेक्शन लगाने के तुरंत बाद ही नवजात शिशु की मृत्यु हो गई थी।

6.37 इस खबर पर स्वतःसंज्ञान लेते हुए आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक, बलिया, उत्तर प्रदेश से रिपोर्ट मांगी।

6.38 आयोग के निदेशों के परिणामस्वरुप पुलिस अधीक्षक, बलिया ने रिपोर्ट भेजी जिसमें बताया गया कि पीड़ित की दादी श्रीमती सपना सिंह की शिकायत पर पुलिस स्टेशन कोतवाली में डॉ0 विनेश कुमार, फार्मासिस्ट, श्रीकांत एवं बेचु के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 तथा इंडियन मेडिकल काउंसिल की धारा 15(2)(3) के तहत एक मामला सं0 384/2013 दर्ज किया गया। बलिया के पुलिस अधीक्षक ने भी रिपोर्ट दी जिसमें बताया गया कि दिनांक 28 सितम्बर, 2013 को आरोपी श्रीकांत एवं बेचु के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। तथापि, डॉ0 विनेश कुमार इस घटना में शामिल नहीं था।

6.39 बलिया के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बाद में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें बताया कि 8 महीने के एक नवजात शिशु नामतः अजय को दिनांक 15 जुलाई, 2013 को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वह ''सेल्युलाईट्स विद सेप्टिसेमिआ'' से पीड़ित था। मरीज का इलाज डॉ0 राम फुलर, सीनियर कन्सलटेंट तथा बाल विशेषज्ञ और डॉ0 अनिल सिंह, सर्जन द्वारा किया गया। चूंकि नवजात शिशु की हालत गंभीर थी इसलिए उसे बी0एच0यू0, वाराणसी रैफर किया गया किन्तु बच्चें के परिवार वाले उसे वहां नहीं ले जा सके और उसका इलाज जिला अस्पताल में जारी रहा। दिनांक 17 जुलाई, 2013 को नवजात शिशु को इमरजेंसी वार्ड में लाया गया वह बुरी तरह से हांफ रहा था और उसकी मृत्यु हो गई। यह भी बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार की चिकित्सीय स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक ने चीफ फार्मासिस्ट श्रीकांत को प्रथम दृष्टया दोषी पाया और उन्हें निलंबित कर दिया गया तथा उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की सिफारिश की गई। इसके अतिरिक्त, डॉ0 विनेश कुमार, श्रीकांत, फार्मासिस्ट तथा रिक्शा चलाने वाले के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की गई। बलिया के

चीफ मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि बलिया के जिला अस्पताल के चीफ फार्मिस्ट श्रीकांत अभी भी निलंबित था और उसके खिलाफ चार्ज–शीट दायर की गई थी।

6.40 उपरोक्त रिपोर्टों पर विचार करने के बाद आयोग ने अपनी दिनांक 9 फरवरी 2015 की कार्रवाई में पाया कि इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस भेजा जाना चाहिए क्योंकि जिला अस्पताल के प्राधिकारियों की लापरवाही के कारण एक नवजात शिशु की मृत्यु हुई है। तदनुसार, आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार को एक कारण बताओ नोटिस जारी करने निदेश दिया कि आयोग द्वारा मामले के स्थापित तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर मृतक के निकटम संबंधी को ''मौद्रिक राहत'' प्रदान करने की सिफारिश क्यों नहीं की जाए।

6.41 आयोग के निदेशों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि आयोग द्वारा मामले के स्थापित तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर मृतक के निकटम संबंधी को ''मौद्रिक राहत'' प्रदान करने की सिफारिश क्यों नहीं की जाए। राज्य सरकार से जवाब प्रतीक्षित है।

3. सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति न होने के कारण मरीजों की मृत्यु (मामला सं0 7841/30/4/2012)

6.42 आयोग का ध्यान दिनांक 5 दिसम्बर, 2012 को 'दि इंडियन एक्सप्रेस' में छपी एक दुखद समाचार रिपोर्ट पर पड़ा जिसमें दिनांक 4 दिसम्बर, 2012 को प्रातः काल नई दिल्ली में दिल्ली सरकार के सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर के आई0सी0यू0 में 12 मिनट तक ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाने के कारण वेंटीलेटर पर रखे गए चार मरीजों की मृत्यु की खबर थी। अस्पताल प्राधिकरण के अनुसार ऑक्सीजन की नियमित आपूर्ति बनाए रखने के लिए जिम्मेदार प्रभारी कांट्रेक्टर, ऑक्सीजन की आपूर्ति समाप्त हो जाने की स्थिति में पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडरों का बैकअप सुनिश्चित नहीं कर सका।

6.43 उक्त रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 की कार्रवाई में आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सचिव को इस मामले में दो सप्ताह के अंदर–अंदर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने संबंधी नोटिस जारी किया।

6.44 इसके जवाब में दिनांक 25 फरवरी, 2013 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपसचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ उल्लेख किया गया है कि अस्पताल के प्रशासन द्वारा उस कंपनी के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज कराई गई जो अस्पताल में मेडिकल गैस पाईपलाईन सर्विस के संचालन एवं रखरखाव की सेवाएं उपलब्ध कराती थी। आयोग ने मामले की जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट की मांग की।

6.45 रिपोर्ट में यह उल्लेख भी किया गया कि सरकार ने दिनांक 4 दिसम्बर, 2012 की दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जांच के लिए विशेष सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) की अध्यक्षता में एक समिति गठित

की थी और समिति ने दिनांक 6 दिसम्बर, 2012 को सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। यह भी बताया गया कि एम0ए0एम0सी0 के भूतपूर्व डीन की अध्यक्षता में वरिष्ठ विशेषज्ञों की एक समिति भी गठित की गई थी जिसमें सभी सरकारी अस्पतालों की सुविधाओं तथा क्रिटिकल केयर सिस्टम के लिए एस0ओ0पी0 की पुनरीक्षा के लिए सदस्यों के रुप में लोकनायक जी0बी0 पंत तथा जी0टी0बी0 अस्पतालों के विभागाध्यक्ष (एनेस्थिसिया) भी थे और समिति ने आई0सी0यू0 तथा मेडिकल गैस सप्लाई सिस्टम के संबंध में दिनांक 12 फरवरी, 2013 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

6.46 आयोग ने विशेष सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) द्वारा दिनांक 6 दिसम्बर, 2012 और लोकनायक, जी0पी0 पंत तथा जी0टी0बी0 अस्पताल के विभागाध्यक्षों (एनेस्थिसिया) सहित एम0ए0एम0सी0 के डीन की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञों की समिति द्वारा दिनांक 12 फरवरी, 2013 को सरकार को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को जांच के लिए मंगवाया।

6.47 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप–सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) ने अपने दिनांक 16 दिसम्बर, 2013 के पत्राचार के माध्यम से विशेषज्ञ समिति की जांच रिपोर्ट की एक प्रति, जिसमें पता चला था कि कंपनी मैसर्स पी0ई0एस0 इंस्टालेशन प्रा0 लिमिटेड ने अस्पताल में मेन रुप से विभिन्न आउटलेट्स तक ऑक्सीजन की सुरक्षित सप्लाई के लिए एस0ओ0पी0 का अनुपालन नहीं किया था, प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त, इस कंपनी ने अकुशल व्यक्तियों को भर्ती किया हुआ था और उनकी संख्या भी कम कर दी थी जिसके चलते मरीजों की जान को गंभीर जोखिमक ा सामना करना पड़ा। समिति ने एक सिस्टेमेटिक फेलियर भी पाया और प्रेक्षण किया कि उपकरणों की मरम्मत तथा देखरेख के लिए प्रभारी मेडिकल ऑफिसर और आ0सी0यू0 के दो कनिष्ठ विशेषज्ञ अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में असफल पाए गए। अतः आयोग ने दिनांक 30 जून, 2014 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को एक कारण बताओ नोटिस जारी करने का निदेश दिया कि आयोग; पांचों पीड़ितों के निकटतम संबंधियों को मुआवजे का भुगतान करने की सिफारिश क्यों नहीं की जाए। अस्पताल के स्टॉफ के खिलाफ शुरु की गई विभागीय कार्रवाई तथा विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की स्थिति की रिपोर्ट भी मांगी गई।

6.48 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत जारी किए गए नोटिस के जवाब में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उप–सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) ने दिनांक 14 अगस्त, 2014 के पत्राचार के माध्यम से बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई के अभाव के कारण मारे गए पांच लोगों के निकटतम संबंधियों को प्रत्येक को 2.00 लाख रु0 की अनुग्रह राशि का भुगतान करने के आदेश दिए। आयोग ने दिनांक 29 सितम्बर, 2014 को यह माना कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने मृतक व्यक्तियों के निकटतम संबंधियों को प्रत्येक को 2.00 लाख रु0 की अनुग्रह राशि का भुगतान करने संबंधी जो आदेश किए हैं वों अपर्याप्त है। इसके अलावा, चूंकि लाभार्थियों को किए गए उपरोक्त अनुग्रह राशि के भुगतान का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ इसलिए आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी

क्षेत्र दिल्ली सरकार को अगले छः सप्ताह के अंदर पांचों मृतकों के निकटतम संबंधियों को किए गए भुगतान का साक्ष्य प्रस्तुत करने का निदेश दिया। आयोग, किए गए भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा में है।

4. अस्पताल प्राधिकारियों की लापरवाही के कारण दो गर्भवती महिलाओं ने सार्वजनिक स्थान पर बच्चों को जन्म दिया
(मामला सं0 128/6/23/2012)

6.49 श्री परमार हसमुख बहेचरभाई, भरुच, गुजरात ने सूरत के सिविल अस्पताल, गुजरात के स्टॉफ की लापरवाही, जिसके कारण दो महिलाओं को सार्वजनिक स्थल पर बच्चों को जन्म देना पड़ा, के बारे में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में शिकायत की।

6.50 अपर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, गांधीनगर, गुजरात ने बताया कि अस्पताल के प्राधिकारियों की तरफ से लापरवाही हुई थी। पीड़ित महिला रामदुलारी ने अस्पताल के कार पार्किंग क्षेत्र में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और हसीना खातून ने अस्पताल प्राधिकारियों की लापरवाही के चलते मृत बच्ची को जन्म दिया। चूंकि यह बात सिद्ध हो गई थी कि राज्य सरकार के अधिकारियों की लापरवाही थी और इस लापरवाही के परिणामस्वरुप दो पीड़िताओं की गरिमा और मान का हनन हुआ इसलिए राज्य सरकार उन्हें उनके मानव अधिकारों के हनन के लिए मुआवजा देने के लिए बाध्य है। आयोग ने गुजरात सरकार के मुख्य सचिव को निदेश दिया कि राज्य अधिकारियों की लापरवाही के चलते दोनो पीड़ितों को मुआवजे के रुप मे 50,000/–रु0 (प्रत्येक को पचास हजार रुपये) का भुगतान किया जाए।

5. गरीब महिला ने भोपाल, मध्य प्रदेश में बंध्याकरण ऑपरेशन कराने के बाद भी बच्चे को जन्म दिया
(मामला सं0 3446/12/8/2014)

6.51 आयोग को दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 को श्री चम्पा लाल चौहान निवासी दाम खेड़ा, झुग्गी बस्ती, कोलार रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें उन्होंने डॉक्टर द्वारा किए गए उनकी पत्नी के बंध्याकरण ऑपरेशन में लापरवाही बरतने की शिकायत की। उन्होंने कहा कि वह दिहाड़ी मजदूर है और उसकी पत्नी घर–घर जाकर काम करके उसका साथ देती है। उनके चार बच्चे हैं। उसने आरोप लगाया कि भोपाल के जयप्रकाश अस्पताल में उसकी पत्नी का बंध्याकरण ऑपरेशन हुआ था। बंध्याकरण ऑपरेशन सफल नहीं हुआ और उसकी पत्नी ने एक बच्ची को जन्म दिया। इस गैर–नियोजित जन्म के कारण उसका परिवार न केवल गरीबी की गर्त में चला गया है बल्कि उसकी पत्नी का स्वास्थ्य भी प्रतिकूल रुप से प्रभावित हुआ है और वह पलंग पर बैठने की स्थिति में भी नहीं है।

6.52 निदेशक, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, मध्य प्रदेश ने बताया कि मध्य प्रदेश प्रशासन ने फैमिली प्लानिंग इन्डेमनिटी स्कीम (एफ0पी0आई0एस0) जो दिनांक 1 अप्रैल, 2013 से लागू हुई है, के तहत

पीड़ित श्रीमती मंजु चौहान को मुआवजे का भुगतान करने का निर्णय लिया है। मामले को जिला गुणता आश्वासन समिति तथा राज्य गुणता आश्वासन समिति के समक्ष रखा जाएगा और पूरी प्रक्रिया में लगभग एक महीने का समय लगने की संभावना है।

6.53 आयोग ने मामले पर विचार किया और प्रेक्षण किया कि शिकातयकर्ता और उसकी पत्नी पिछले तीन वर्षों से गरीबी, खराब स्वास्थ्य, कर्ज तथा चार बच्चों (एक विक्लांग बच्चे सहित) से जूझ रहे हैं। मौद्रिक राहत का समय पर भुगतान इस परिवार को संभलने में मदद कर सकता था। राज्य पदाधिकारियों की निष्क्रियता के परिणामस्वरुप केवल पीड़िता ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार के स्वास्थ्य अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18(क)(i) के तहत मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निदेश दिया कि एफ0पी0आई0एस0 के तहत भुगतान की गई राशि के अलावा श्रीमती मंजु चौहान को राज्य पदाधिकारियों की निष्क्रियता के कारण हुए उनके स्वास्थ्य एवं जीवन के अधिकारों के उल्लंघन के लिए मुआवजे का भुगतान क्यों न किया जाए। आयोग, मामले पर विचार कर रहा है।

6. राज्य सरकार द्वारा तखतपुर ब्लॉक, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में आयोजित बंध्याकरण शिविर में बंध्याकरण ऑपरेशन करने के बाद 12 महिलाओं की मृत्यु

(मामला सं0 943/33/2/2014)

6.54 आयोग ने दिनांक 12 नवम्बर, 2014 को एक अंग्रेजी दैनिक ''इंडियन एक्सप्रेस'' में छपी प्रेस रिपोर्ट ''उद्दंड अस्पताल में प्रत्येक 4 मिनट में 1 सर्जरी'' का संज्ञान लिया। समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार द्वारा दिनांक 8 नवम्बर, 2014 को जिला बिलासपुर के तखतपुर ब्लॉक में आयोजित किए गए एक बंध्याकरण शिविर में बंध्याकरण ऑपरेशन करने के बाद 12 महिलाओं की मृत्यु हो गई। बिलासपुर में ग्राम पेंदरी में एक स्थानीय धर्मार्थ अस्पताल में ऑपरेशन किए गए थे, जो फिलहाल बंद है और पिछले एक वर्ष से यहां कोई नहीं है। आरोप लगाया गया कि चिकित्सीय लापरवाही के अलावा ऐसे ऑपरेशनों संबंधी दिशानिर्देशों एवं प्रक्रियाओं का भी उल्लंघन किया गया। ऐसी 83 महिलाओं जिनका लेपरोस्कोपिक ट्यूबेक्टोमाइस किया गया था, में से 50 से अधिक अभी भी अस्पताल में हैं और उनमें से 25 की हालत गंभीर है। समाचार पत्र की रिपोर्ट ने केन्द्र सरकार के दिशानिर्देशों का भी हवाला दिया जिसके अनुसार एक मेडिकल टीम एक दिन में 3 पृथक लेपरोस्कोप्स सहित 30 से अधिक लेपरोस्कोपिक ट्यूबेकटोमाइस नहीं कर सकती है – इसका अर्थ यह है कि एक उपकरण से 10 से अधिक ट्यूबेकटोमाइस नहीं होने चाहिए अर्थात प्रत्येक ऑपरेशन के बाद में उपकरण को सही तरीके से साफ करने की आवश्यकता होती है।

6.55 प्रेस रिपोर्ट पर विचार करने के बाद आयोग ने प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार को इस मामले में तथ्य आधारित रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

6.56 संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, छत्तीसगढ़ सरकार ने बताया कि दिनांक 8 नवम्बर, 2014 को छत्तीसगढ़ के जिला बिलासपुर में तखतपुर ब्लॉक के तहत ग्राम सकारी में एक महिला

बंध्याकरण शिविर का आयोजन किया गया था। इसी जिले के अन्य गांवों में अर्थात गौरेला, पेंदरा तथा मारवाही में दिनांक 10 नवम्बर, 2014 को इसी प्रकार के शिविर आयोजित किए गए थे। कुल 137 महिलाओं का बंध्याकरण किया गया था। जिन महिलाओं का इन शिविरों में बंध्याकरण किया गया था उन्होंने दिनांक 10 नवम्बर, 2014 की सुबह से ही उलटी, दर्द तथा सांस की शिकायत की और उन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती किया गया। कुल मिलाकर 12 महिलाओं की मृत्यु हो गई। इन महिलाओं की मृत्यु के अतिरिक्त 37 ऐसी महिलाएं जिनका ऑपरेशन नहीं किया गया था, को भी विभिन्न अस्पतालों में इसी समस्या के साथ भर्ती किया गया था। इन 37 महिलाओं में से पांच महिलाओं की मृत्यु हो गई। यह निर्णय लिया गया कि मृतक महिलाओं के बच्चों की राज्य सरकार द्वारा देखभाल की जाएगी और उन्हें निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके लिए राज्य सरकार ने प्रत्येक बच्चे के नाम पर 3.00 लाख रु0 जमा कराए जो उन बच्चों को वयस्क होने पर मिलेंगे। प्रत्येक मृतक महिला के निकटतम संबंधी को राज्य सरकार द्वारा 4.00 लाख रु0 (प्रत्येक को) का भुगतान किया गया। जहां तक बंध्याकरण ऑपरेशनों का संबंध है यह पाया गया कि संबंधित डॉक्टरों ने निर्धारित मानक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया था।

6.57 समाहर्ता, बिलासपुर की रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को मृतक महिलाओं के निकटतम संबंधियों को 4.00 लाख रु0 (प्रत्येक को) दिए गए थे। उनके बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा, इलाज करा रहे प्रत्येक बैगा जनजाति के मरीज को 50,000/–रु0 दिए गए।

6.58 मामले पर विचार करने के बाद आयोग ने सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति सहित पीड़ितों की मृत्यु के कारणों पर डॉक्टरों की टीम के अंतिम निर्णय वाली रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

7. ओडिशा के जिला भद्रक में चांदबाली सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र में चिकित्सीय लापरवाही के कारण दो नवजात शिशुओं की मृत्यु

(मामला सं0 2463/18/18/2013)

6.59 आयोग को दिनांक 23 अक्टूबर, 2013 को प्रबीर कुमार दास से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि दिनांक 17/18 अक्टूबर, 2013 की रात को ओडिशा के जिला भद्रक में चांदबाली सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र में दो पुरुष नवजात शिशुओं का जन्म हुआ था। नवजात शिशुओं में कुछ श्वास संबंधी विकार को देखते हुए डॉक्टरों ने चिकित्सा स्टॉफ से उन्हें ऑक्सीजन देने के लिए कहा लेकिन वे स्टोर रुम बंद होने के कारण ऐसा नहीं कर पाए। स्टोर रुम में ताला लगा था और चाबी स्टोर इंचार्ज के पास थी जो छुट्टी पर था। नवजात शिशुओं ने कुछ घंटों तक संघर्ष किया किन्तु ऑक्सीजन की कमी के कारण दम तोड़ दिया।

6.60 आयोग ने मामले पर विचार करने के बाद अपनी दिनांक 7 नवम्बर, 2013 की कार्रवाई में प्रधान मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिशा सरकार तथा जिला समाहर्ता, भद्रक को चार महीनों के अंदर–अंदर अपेक्षित रिपोर्टें प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

6.61 जवाब में विशेष सचिव, ओडिशा सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने बताया कि एक जांच की गई थी और उसमें यह पाया गया कि श्रीमती कमालिनी नायक का नवजात शिशु जिसे दिनांक 17 अक्टूबर, 2013 को चांदबाली के सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र में भर्ती कराया गया था का मामला प्रिमिग्राविदा और इन्ट्रा यूटेरिन फीटल मृत्यु का था जिसकी पुष्टि अल्ट्रा सोनोग्राम से हो गई थी और ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं थी।

6.62 आयोग ने दिनांक 21 मार्च, 2014 की रिपोर्ट के साथ–साथ जांच रिपोर्ट पर भी दिनांक 10 जून, 2014 को विचार किया जिसमें स्पष्ट रुप से स्थापित था कि नवजात शिशु की मृत्यु चिकित्सीय लापरवाही के कारण हुई थी और इसलिए आयोग ने मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निदेश दिया कि श्रीमती रस्मिता साहू को छः माह के अंदर–अंदर मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 के तहत 3,00,000/–रु0 (रु0 तीन लाख केवल) का भुगतान क्यों न किया जाए।

6.63 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 के तहत जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के जवाब में ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव ने अपने उत्तर में निम्नलिखित बात कही :

> *''नवजात शिशु जन्म के बाद पुनः श्वास दिया गया था और ऑक्सीजन दी गई थी। उपचार की अवधि के दौरान ओ0 एण्ड जी0 स्पेशलिस्ट तथा स्टॉफ नर्स ने शिशु को लगातार एम्बयूबैग और मास्क वेंटिलेशन में रखा जो कि दूर–दराज वाले अस्पतालों में मरीज को पुनर्जीवित करने का एक आसान तरीका है। ओ0 एण्ड जी0 विशेषज्ञ तथा स्टॉफ नर्स द्वारा किए गए अथक प्रयासों के बाद भी बच्चे की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। दिनांक 18.10.2013 को डॉ0 पी.के. साहू ने बच्चे को क्लीनीकली मृत घोषित कर दिया। बच्चे को लगातार एम्यूबैग तथा मास्क वेंटिलेशन में रखा गया था जो 21% ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है। दृष्टांत मामले में यह स्पष्ट है कि ऑक्सीजन की कमी, मृत्यु का प्रत्यक्ष कारण नहीं है क्योंकि जन्म के समय ही बच्ची को श्वासावरोध था और जन्म के समय से ही उसकी स्थिति बहुत ही गंभीर थी। अतः यह उल्लेख करना उचित होगा कि जन्म लेने वाले बच्चों में से 10% को श्वास लेने में तकलीफ हो जाती है जिसमें से 1% की स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। ओ0 एण्ड जी0 विशेषज्ञ तथा स्टॉफ नर्स द्वारा पूरी देखभाल भी बच्चे को बचा न सकी, बच्ची की मृत्यु हो गई।''*

6.64 आयोग ने दिनांक 26 सितम्बर, 2014 को मामले पर फिर विचार किया जहां उसने निम्नानुसार प्रेक्षण एवं निदेश दिया :

"आयोग ने कारण बताओ नोटिस के जवाब में दिए गए तथ्यों की जांच की। प्रतीत होता है कि यह तथ्य संबंधित राज्य में स्वास्थ्य प्रशासन की दशा को प्रभावी रुप से बचाने का प्रयास हैं। चिकित्सीय लापरवाही हो किसी भी परिस्थिति में सही नहीं ठहराया जा सकता है खासकर जब किसी नवजात शिशु की मृत्यु हो जाए। रस्मिता साहू और सुजीत साहू के नवजात शिशु की मृत्यु चिकित्सीय लापरवाही (सिद्ध हो गया) के कारण हुई और यह मानव अधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला है। मुख्य सचिव, ओडिशा सरकार को निदेश दिया जाता है कि मृत शिशु की माता श्रीमती रस्मिता सूद को छः महीने के अंदर–अंदर 3,00,000/–रु0 (तीन लाख रुपये केवल) के अंतरिम मुआवजे का भुगतान किया जाए और उनके द्वारा भुगतान प्राप्त होने की रसीद सहित भुगतान करने के साक्ष्य को प्रस्तुत करें। इसके अलावा, चूककर्ता अधिकारियों के खिलाफ की गई विभागीय कार्रवाई की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाए। उक्त अवधि के अंदर–अंदर जवाब दें।"

6.65 अनुपालन रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है और आयोग अभी भी मामले की जांच कर रहा है।

8. अस्पताल के स्टॉफ की लापरवाही के कारण असम के दरंग सिविल अस्पताल में पांच मरीजों को एच0आई0वी0 पॉजिटिव रक्त चढ़ा

(मामला संख्या 206/3/3/2013)

6.66 शिकायतकर्ता ने अपनी दिनांक 16 जून, 2013 की शिकायत में आरोप लगाया कि लोक सेवकों की लापरवाही के कारण दिसम्बर, 2012 में दरंग सिविल अस्पताल, असम में पांच मरीजों को एच0आई0वी0 पॉजिटिव संक्रमित रक्त चढ़ गया था।

6.67 उप–सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, असम सरकार ने अपनी दिनांक 31 अगस्त, 2013 की रिपोर्ट में कहा कि (i) जिन व्यक्तियों को मंगलदोई सिविल अस्पताल के ब्लड बैंक से संक्रमित रक्त चढ़ गया था, सरकार ने उनके चिकित्सा व्यय हेतु उन्हें 5,00,000/–रु0 (पांच लाख रु0) की वित्तीय सहायता पहले ही स्वीकृत कर दी है, (ii) सरकार ने गैर सरकारी रक्त बैंकों सहित निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, असम; निदेशक, चिकित्सीय शिक्षा, असम; संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं; अस्पताल अधीक्षक आदि को रक्त बैंकों के रखरखाव के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए, (iii) जिला दरंग पुलिस ने मंगलदोई पुलिस स्टेशन में संबंधित चिकित्सा अधिकारी तथा अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा सं0 166/270/420/34 के तहत मामला सं0 418/13 रजिस्टर किया और मामले की जांच चल रही है, (iv) मंगलदोई सिविल अस्पताल के रक्त बैंक के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी तथा लेबोरेटरी टैक्नीशियन को निलंबित कर दिया गया है, और (v) राज्य सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग; स्थानीय विशेषज्ञों तथा एड्स नियंत्रण विभाग, भारत सरकार के रक्त–आधान एवं सुरक्षा विशेषज्ञों के माध्यम से राज्य सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

तकनीकी जांच करने की प्रक्रिया में है। विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर कानून के अनुसरण में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ भावी कार्रवाई की जाएगी।

6.68 संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, असम सरकार ने अपने 13 दिसम्बर, 2013 के पत्र द्वारा आगे बताया कि श्री पी0पी0 वर्मा, अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, की जांच समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अक्सर पेशेवर रक्त दाताओं को रक्त देने की अनुमति दी जाती है और यह कहना मुश्किल है कि रफीकउल हक तथा तसलीमा बेगम के मामले में संक्रमण आधान रक्त से हुआ था या नहीं, हालांकि इस स्रोत की संभावना से पूर्णतः इन्कार नहीं किया जा सकता है। स्पष्ट रुप से यह कहना संभव नहीं है कि रक्त बैंक के अधिकारियों एवं स्टॉफ की गलती के कारण रक्त दाताओं के रक्त के नमूनों के परीक्षण का परिणाम में त्रुटि हुई थी। वास्तव में इस परीक्षण के लिए प्रयोग की जाने वाली तकनीक की अपनी सीमाएं हैं जो कि तकनीकी स्टॉफ द्वारा रिकार्ड किए गए त्रुटिपूर्ण परिणाम का कारण हो सकता है। रक्त बैंक में एलिसा टेस्ट नहीं किया गया क्योंकि रक्त के कुछेक नमूनों के मामले में यह व्यवहार्य नहीं है। नॉको द्वारा इसकी संस्तुति भी नहीं की गई है। समिति ने पूरी श्रृंखला का पता लगाने के लिए अन्य बातों के साथ–साथ पेशेवर रक्त दाताओं के संपर्कों की जांच की सिफारिश की है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने श्री पी0पी0 वर्मा समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन शुरु कर दिया है।

6.69 आयोग ने प्रेक्षण किया है कि असम सरकार ने तीन पीड़ितों को 5,00,000/–रु0 प्रत्येक को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई, रक्त बैंकों के रखरखाव संबंधी विस्तृत अनुदेश जारी किए गए तथा श्री पी0पी0 वर्मा समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया। आयोग ने मामले को बंद कर दिया।

9. दिल्ली के दीनदयाल अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण घायल आशुतोष शर्मा की टांगों को काटना पड़ा

(मामला संख्या 2185/30/9/2013)

6.70 श्री आर0एच0 बंसल ने अपनी दिनांक 12 अप्रैल, 2014 की याचिका द्वारा आरोप लगाया कि दिनांक 23 मार्च, 2013 को नई दिल्ली के दीन दयाल अस्पताल में डॉक्टरों ने इमरजेंसी वार्ड में आशुतोष शर्मा, जिसे दिल्ली केंट रेलवे स्टेशन में दोनों पैरों में गंभीर चोट आई थी, को नहीं देखा। परेशान होकर उनके संबंधी उसे एक निजी अस्पताल में ले गए जहां अधिक रक्त बह जाने और समय पर उचित उपचार न मिल पाने के कारण उसकी दोनों टांगे काटनी पड़ी।

6.71 उप–सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने अपने दिनांक 26 मई, 2014 के पत्र द्वारा सूचित किया कि डीन (मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज) की अध्यक्षता में वरिष्ठ चिकित्सा पेशेवरों की जांच समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मरीज को दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में एक ट्रेन दुर्घटना के बाद घुटनों से नीचे कटे हुए पैरों के साथ लाया गया था और उसके कटे हुए अंग खाल के माध्यम से लटके हुए थे। उसे यथोचित उपचार उपलब्ध कराया गया और भावी

उपचार करने के उद्देश्य से दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती करने का सुझाव दिया गया लेकिन उसे बिना किसी भावी उपचार के हटा लिया गया। समिति इस निष्कर्ष पर भी पहुंची कि उनके विचार से इस मामले विशेष में को चिकित्सीय लापरवाही नहीं हुई है।

6.72 शिकातयकर्ता ने अपनी दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 की टिप्पणी के माध्यम से कहा कि दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही के कारण, घायल आशुतोष शर्मा की टांगों को काटना पड़ा था। जांच समिति ने पीड़ित या उसके परिवार के सदस्यों का तथा घटना के किसी चश्मदीद का बयान नहीं लिया।

6.73 आयोग ने दिनांक 2 मार्च, 2015 को सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को पीड़ित तथा चश्मदीद से पूछताछ सहित इस मामले तथा इससे संबंधित सभी चीजों के मामले में नए सिरे से जांच करने का निदेश दिया। आयोग द्वारा अभी भी मामले पर विचार किया जा रहा है।

10. राजस्थान के करुली में सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण तीन वर्ष के बच्चे की मृत्यु

(मामला संख्या 2321/20/20/2011)

6.74 श्री एन0के0 दधीच ने अपनी दिनांक 8 जनवरी, 2011 की शिकायत में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण दिनांक 4 जनवरी, 2011 को राजस्थान के करुली में सरकारी अस्पताल में हुई तीन वर्ष के बच्चे की मृत्यु का आरोप लगाया है।

6.75 जिला समाहर्ता ने अपनी दिनांक 23 अक्टूबर, 2013 की रिपोर्ट में सूचित किया कि मृतक बच्चे दीपेश के माता–पिता अस्पताल जरुर आए थे लेकिन रिकार्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह बताता हो कि डॉक्टरों ने मरीज को देखने से इन्कार कर दिया था। रिपोर्ट का निष्कर्ष था कि उक्त डॉ0 अग्रवाल के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सिद्ध नहीं किया जा सका।

6.76 आयोग ने मामले पर विचार करने के बाद दिनांक 17 दिसम्बर, 2013 को राजस्थान सरकार को उनके मुख्य सचिव के माध्यम से एक कारण बताओ नोटिस जारी करने का निदेश दिया कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत मृतक के निकटतम संबंधी को मौद्रिक राहत का भुगतान करने की सिफारिश क्यों नहीं की जाए।

6.77 संयुक्त सचिव, गृह (मानवाधिकार विभाग) ने सूचित किया कि जांच के दौरान डॉ0 अग्रवाल की लापरवाही नहीं पाई गई और मृतक के परिवार को 10,/000– रूपए दिए गए। प्रतीत होता है कि प्रदान की गई वित्तीय सहायता पर्याप्त थी।

6.78 आयोग ने राज्य सरकार के वाग्युध्द्ध से असहमति दिखाते हुए यह सिफारिश की कि मृतक के आश्रित को राशि की क्षतिपूर्ति किए जाने के लिए राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव द्वारा 90,/000– रूपए की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाए।

6.79 आयोग द्वारा 16 दिसम्बर, 2014 को यह मामला बंद कर दिया गया क्योंकि मृतक श्री सन्तोषी लाल जाटव के पिता को 90,/000– रूपए का भुगतान चैक संख्या 194006 दिनांक 9 सितम्बंर, 2014 द्वारा कर दिया गया था।

11. राजस्थान के जिला पाल में सरकार द्वारा में चलाए जा रहे अमृत कौर अस्पताल के शव गृह में मुर्दे को चूहों द्वारा खाया जाना (मामला संख्या 227/20/19/2012)

6.80 श्री इम्त्याज खान ने अपनी शिकायत द्वारा आयोग का ध्यान एक समाचार पत्र– मेल टुडे दिनांक 14 जनवरी, 2012 में "शवगृह में चूहों द्वारा मुर्दे की दावत" शीर्षक से छपी रिपोर्ट की ओर आकृष्ट किया है। समाचार पत्र में छपी रिपोर्ट के अनुसार, सरकार द्वारा चलाए जा रहे अमृत कौर अस्पताल में दवा की प्रतिक्रिया के कारण जिला पाली, राजस्थान की निवासी जनता देवी, उम्र 25 वर्ष की मृत्यु दिनांक 11 जनवरी, 2012 को हो गई थी। उसके मृत शरीर को शवगृह में रखा गया जहां अगली सुबह उसके रिश्तेदारों ने पाया कि उसके दाहिने कान और बांयी आंख को चूहों ने कुतर लिया था। डीप फ्रीजर का खुला दरवाजा और शवगृह की दीवारों में अनेक छेद इस घटना की गवाही देने के लिए पर्याप्त थे।

6.81 आयोग द्वारा, प्रधान सचिव, मेडीकल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राजस्थान और संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सेवाएं, अजमेर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट पर 10 दिसम्बर, 2012 को विचार किया गया जिसमें अमृत कौर अस्पताल, ब्यायवर के प्रधान चिकित्सा अधिकारी डॉ0 भरत सिंह गहलोत को प्रबन्ध सम्बन्धी लापरवाही का दोषी पाया गया; डॉ0 के.के. चौहान, उप नियन्त्रक एवं चिकित्सा विधिवेत्ता, श्री राम प्रकाश, नर्सिंग अधीक्षक, श्री रोहित परिहार, ट्रॉली मैन (हैंडलर) और श्री मुन्ना, जमादार को भी इस दुर्भाग्यापूर्ण घटना के लिए दोषी पाया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार के उप सचिव ने अपने दिनांक 13 सितम्बर, 2013 के अनुवर्ती पत्र द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत की कि श्री रोहित परिहार को सेवा से निलम्बित कर दिया गया है और डॉ0 बी.एस. गहलोत, एस.एस. (सर्जरी), डॉ0 के.के. चौहान (उप नियन्त्रक एवं चिकित्सा विधिवेत्ता), श्री राम प्रकाश वर्मा तथा श्री मुन्ना के सम्बन्ध में सी.सी.ए. नियमों के तहत अभियोग पत्र दाखिल किया गया है और उनका मामला प्रशासनिक विभाग को भेज दिया गया है। डॉ0 बी.एस. गहलोत, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को सेवा–निवृत्त हो गए और सरकार द्वारा उनके विरूद्ध जांच बंद कर दी गई। कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा शेष कार्मिकों के विरूद्ध विभागीय जांच की जा रही है ।

6.82 आयोग ने पाया कि राज्य सरकार के अस्पताल के प्राधिकारी पीड़ित की गरिमा को बनाए रखने में नाकाम रहे और उसने राजस्थान सरकार को उसके मुख्य सचिव के माध्यम से एक कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के अन्तर्गत मृतक के आश्रित को आर्थिक राहत देने की सिफारिश क्यों न की जाए।

6.83 आयोग ने दिनांक 8 अगस्त, 2014 को महिला के मृत शरीर की हालत को मानव गरिमा का गम्भीर उल्लंघन और उसके सम्बन्धियों के मानव अधिकारों का अतिक्रमण माना और सिफारिश की कि मृतका के आश्रित को 1.00 लाख रूपए की आर्थिक सहायता दी जाए।

6. 84 आयोग द्वारा 22 अक्तूबर, 2014 को यह मामला बंद कर दिया गया क्योंकि मृतक के पति श्री बेरम सिंह को डिमान्ड ड्राफ्ट संख्या 802811, दिनांक 1 अक्तूबर, 2014 द्वारा 1.00 लाख रूपए का भुगतान कर दिया गया।

12. उत्तर प्रदेश में लखनऊ ट्रामा सेन्टर के डाक्टर की लापरवाही से महिला की मौत (मामला संख्या 26885/24/48/2011)

6. 85 श्री इम्त्याज खान ने आयोग को की गई अपनी दिनांक 24 जून, 2011 की शिकायत में ट्रामा सेन्टर, लखनऊ में घटिया चिकित्सा सुविधाओं और डाक्टरों की लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि डॉक्टर द्वारा गलत इंजेक्शन दिए जाने के कारण एक महिला की मृत्यु हो गई है।

6. 86 किंग जार्ज मेडीकल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश के रजिस्ट्रार की जांच रिपोर्ट से प्रकट होता है कि डॉ0 मयंक जादोन सीवीपी लाईन लगाने के दोषी थे, जिन्होंने इसके सम्बन्ध में अपने वरिष्ठ डाक्टरों को सूचित नहीं किया था और इमरजेंसी ट्रामा सेन्टर में 24 घन्टे उपलब्ध रहने वाली एनेस्थीसिया टीम को नहीं बुलाया था। सीवीपी लाईन लगाते समय, रोगी, श्रीमती दौराला देवी को झटका लगा और बचाने के उपाय करने के बावजूद अंततः उनकी मृत्यु हो गई। जांच समिति ने निष्कर्ष दिया कि यह डॉ0 मयंक जादोन की लापरवाही थी और उसके लिए सजा की सिफारिश की है।

6. 87 आयोग ने दिनांक 10 जनवरी, 2014 को उत्तर प्रदेश सरकार को उसके मुख्य सचिव के माध्यम से मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के अन्तर्गत एक कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया कि आयोग द्वारा, मृतका श्रीमती दौराला देवी पत्नी स्व0 श्री ननकान के आश्रित को राहत देने की सिफारिश क्यों न की जाए।

6.88 चूंकि, आयोग के दिनांक 13 जनवरी, 2014 के कारण बताओ नोटिस का उत्तर 11 महीने के बाद भी नहीं मिला अतः आयोग ने, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव से मृतका श्रीमती दौराला देवी

पत्नी स्व0 श्री ननकान के आश्रित को अंतरिम राहत के रूप में 3,00,000/–रु0 देने और आठ सप्ताह के भीतर भुगतान का प्रमाण आयोग को प्रस्तुत करने की सिफारिश की। मामला आयोग के विचाराधीन है।

13. "भारत में जच्चाओं की मौतों की संख्या सबसे अधिक" शीर्षक से छपे समाचार का स्वातः संज्ञान (मामला संख्या 22/90/0/2014–डब्ल्यू0सी0)

6.89 आयोग ने दिनांक 7 मई, 2014 के "नेशनल नेटवर्क" में "भारत में जच्चाओं की मौतों की संख्या सबसे अधिक" शीर्षक से छपे समाचार का स्वतः संज्ञान लिया। प्रेस रिपोर्ट में कहा गया था कि वर्ष 2013 में गर्भावस्था अथवा बच्चे को जन्म देते समय आई जटिलताओं के कारण भारत में माताओं की मौतों की संख्या विश्व में सबसे अधिक – %17 रही या 2.89 लाख महिलाओं में से 50,000 महिलाओं की मृत्यु हो गई। इसमें आगे उल्लेख किया गया था कि सन 1990 से वैश्विक रूप से माताओं की मौतों में %45 की कमी आई है। तथापि, भारत में एम0एम0आर0 1990 के 560 से कम होकर 2010–12 में 178 रह गया। किन्तु भारत में इसे कम करके 103 तक लाने की आवश्यकता है। हालांकि भारत में एम0एम0आर0 4.%5 प्रतिवर्ष की दर से कम हो रही है किन्तु बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों और राजस्थान के कुछेक इलाकों में स्थिति बदतर है, यद्यपि समग्र एम0एम0आर0 में कमी आई है किन्तु इन राज्यों के कारण भारत दो अंकों का आंकड़ा प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाया है। अतः आयोग ने स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार के सम्बन्धित सचिव और उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान सरकारों के स्वास्थ्य सचिवों को एक नोटिस भेज कर रिपोर्ट मंगवाने के निर्देश दिए। निर्देशों के अनुसरण में सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार; सचिव, स्वास्थ्य; उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारों से रिपोर्टें प्राप्त हुई थीं। तथापि, सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और सचिव, स्वास्थ्य, बिहार सरकार से रिपोर्टें अभी प्रतीक्षित हैं। आयोग मामले पर अभी भी विचार कर रहा है।

14. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा तमिलनाडु में नकली और झोलाछाप डाक्टरों का स्वातः संज्ञान लेना (मामला संख्या 1892/22/6/2014)

6.90 आयोग के समक्ष दिनांक 22 सितम्बर, 2014 के एक तमिल समाचार पत्र ''दीनमलार'' में ''तमिलनाडु में 30,000 नकली डॉक्टर'' शीर्षक से छपी एक प्रेस रिपोर्ट आई। समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार नमक्कल, तमिलनाडु में हुई इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एक बैठक के दौरान एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष ने कहा कि तमिलनाडु में 30,000 नकली डॉक्टर हैं। वास्तव में, धर्मापुरी और कृष्णागिरी के पिछड़े जिलों में बड़ी संख्या में नकली डॉक्टर पाए गए जिन्होंने लोगों के स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित किया।

6.91 आयोग ने दिनांक 4 दिसम्बर, 2014 को मामले का संज्ञान लिया और मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार; सचिव, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली तथा सचिव, तमिलनाडु स्टेट मेडिकल काउंसिल को दो सप्ताह के भीतर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का नोटिस जारी किया। उन्हें नकली डॉक्टरों पर अभियोजन चलाने के लिए की गई कार्रवाई पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया।

6.92 आयोग के निर्देशों के अनुसरण में सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, तमिलनाडु सरकार से दिनांक 21 फरवरी, 2015 को एक रिपोर्ट के साथ–साथ दिनांक 16 फरवरी, 2015 को जिला समाहर्ता, धर्मापुरी से की गई कार्रवाई रिपोर्ट भी प्राप्त हुई। यह सूचित किया गया कि निदेशक, चिकित्सीय एवं ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं ने निम्नलिखित कार्यों को करने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर तथा पुलिस इंस्पेक्टर सहित स्वास्थ्य सेवाओं के संयुक्त निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की :–

(i) जिले में झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त करना और उसकी जांच करना;

(ii) औचक छापेमारी के लिए एक समिति बनाना;

(iii) झोला छाप डॉक्टरों के परिसर में सामग्री की जांच करना और जब्त करना;

(iv) सक्षम न्यायालयों में झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ मामले दर्ज कराना।

6.93 रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु में दिनांक 3 जून, 2010 से लेकर अब तक झोला–छाप डॉक्टरों के खिलाफ लगभग 600 से अधिक मामले रजिस्टर किए जा चुके हैं। जिला समाहर्ता, धर्मापुरी की दिनांक 16 फरवरी, 2015 को प्रस्तुत की गई कार्रवाई रिपोर्ट ने उजागर किया कि धर्मापुरी जिले में आम जनता की व्यापक चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार ने जरुरतमंद लोगों के लिए प्राथमिक, द्वितीय तथा तीसरे दर्जे की चिकित्सा देखभाल यूनिट सहित समग्र रुप से सुसज्जित चिकित्सा देखभाल सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। रिपोर्ट के अनुसार 48 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 223 उपकेन्द्रों सहित प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल द्वारा प्रति माह लगभग 4962 अंतरंग रोगियों तथा 205364 बाह्य रोगियों का इलाज किया जाता है। चार सरकारी अस्पतालों के माध्यम से द्वितीय स्तर की देखभाल उपलब्ध कराई जाती है जो प्रतिमाह 9000 अंतरंग रोगियों तथा 90000 बाह्य रोगियों को चिकित्सीय सेवाएं प्रदान करता है। तृतीय देखभाल धर्मापुरी म्यूनिसिपलिटी में स्थित है जहां एक मेडिकल कॉलेज जो 6000 अंतरंग रोगियों और 60000 बाह्य रोगियों को चिकित्सीय सेवाएं उपलब्ध कराता है।

6.94 उपरोक्त के अतिरिक्त मेडिकल कैम्पस के संगठन सहित 118 वी0एच0एन. और 23 एस0एच0एन0 के माध्यम से मदद पहुंचाने की गतिविधि भी संचालित की गई। इस बात पर बल दिया गया कि जरुरतमंद जनता के लिए प्रभावी चिकित्सीय देखभाल सुनिश्चित की गई थी। आगे यह भी बताया गया कि सुविधाओं के उन्नयन से संबंधित कार्य शुरु कर दिया गया है। किन्तु उक्त प्रयासों के बावजूद भी कई बार झोला–छाप डॉक्टरों द्वारा जनता के इलाज जैसी घटनाओं की रिपोर्ट आई है और

झोला–छाप डॉक्टरों के दंश को समाप्त करने के लिए जिला प्रशासन ने 24X7 सर्वेक्षण एवं मॉनीटरिंग तंत्र स्थापित किया है। झोला–छाप डॉक्टरों की उपस्थिति की जांच करने के लिए बड़े पैमाने पर जिला एवं ब्लॉक स्तर पर फ्लाईंग स्क्वाड समितियां गठित की गई हैं ताकि एफ0आई0आर0 दर्ज की जा सके। रिपोर्ट के अनुसार प्रिंट एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से नियमित रुप से जन जागरुकता अभियान आयोजित किए गए। यहां तक कि 48 गैर सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों से भी ऐसे झोला–छाप डॉक्टरों के बारे में जानकारी साझा करने का अनुरोध किया गया।

6.95 आयोग अभी भी रिपोर्ट पर विचार कर रहा है।

15. माता–पिता और वरिष्ठ नागरिक देखभाल एवं कल्याण अधिनियम, 2007 का गैर–कार्यान्वयन (मामला संख्या 86/30/0/2014)

6.96 आयोग ने दिनांक 7 जनवरी, 2014 को माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक देखभाल एवं कल्याण अधिनियम, 2007 का स्वतः संज्ञान लिया जिसमें देश में वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। आयोग का ऐसा मानना है कि बीतते समय के साथ–साथ देश में उम्रदराज लोगों का प्रतिशत काफी ज्यादा हो जाएगा। वृद्ध लोगों, माता–पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए यह जरुरी है कि हमारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली इस प्रकार की आवश्यक जानकारी से पूरी सुसज्जित हो कि वरिष्ठ व्यक्तियों की समस्या का समाधान कैसे किया जाए। अतः देश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में जराविज्ञान में एम0डी0 पाठ्यक्रम शुरु करने की आवश्यकता है। देश में माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण की स्थिति को देखते हुए उन्हें प्रत्येक जिला अस्पताल में निश्चित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यह पाठ्यक्रम आवश्यक है। अतः आयोग ने सचिव, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को तथा सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को नोटिस जारी करने का निदेश दिया कि वे आयोग के सुझाव का विश्लेषण करने और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

6.97 आयोग के निर्देशों के अनुसरण में निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने दिनांक 23 अप्रैल, 2014 के पत्राचार द्वारा बताया कि मंत्रालय ने आयोग के इस आदेश कि देश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में जराविज्ञान में एम0डी0 पाठ्यक्रम शुरु करने की आवश्यकता है और प्रत्येक जिला अस्पताल में निश्चित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यह पाठ्यक्रम आवश्यक है, को नोट कर लिया है। आगे यह भी बताया गया कि मंत्रालय के दिनांक 23 अप्रैल, 2014 के अ0शा0 पत्र के माध्यम से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि एक विनियामक निकाय है, से भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 10क में निहित उपबंधों तथा इसके तहत बनाए गए विनियमों के अनुसार देश में विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में जराविज्ञान में एम0डी0 पाठ्यक्रम शुरु करने संबंधी प्रस्ताव की जांच करने और अपनी टिप्पणियों/विचारों को सीधे ही आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

6.98 निदेशों के अनुसरण में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने दिनांक 30 सितम्बर, 2014 के पत्राचार द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिस पर आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है।

16. भटिंडा, पंजाब की गुरु गोबिन्द सिंह रिफाइनरी से निकलने वाले गहरे धुंए के कारण हरियाणा के सिरसा जिले में रहने वाले निवासियों को पेश आ रही स्वास्थ्य समस्याएं

(मामला संख्या 8051/7/18/2014)

6.99 आयोग के समक्ष दिनांक 14 जुलाई, 2014 के अंग्रेजी दैनिक ''द ट्रिब्यून'' में ''भटिण्डा रिफाइनरी – सिरसा के 12 गांवों के लिए एक दुःस्वप्न'' शीर्षक से प्रकाशित एक खबर आई। समाचार पत्र की रिपोर्ट में कहा गया कि पंजाब के भटिण्डा में स्थित गुरु गोबिन्द सिंह रिफाइनरी, का स्वामित्व हिन्दुस्तान मित्तल एनर्जी लिमिटेड के पास है और यह हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा मित्तल एनर्जी इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड, सिंगापुर का एक संयुक्त उपक्रम है जिससे घना धुआं निकलता है और हरियाणा के सिरसा के डबवाली एसेंबली क्षेत्र के 12 गांवों के निवासियों के लिए गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। समाचार पत्र की रिपोर्ट ने आगे बताया कि इन गांवों के लोगों का अस्थमा, खांसी, आंखों का संक्रमण तथा एलर्जी का इलाज किया जा रहा है। तथापि, उनकी व्यथा को सुनने वाला कोई नहीं है, न तो हरियाणा सरकार और न ही पंजाब राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई की है। यह रिफाइनरी, स्थानीय निवासियों द्वारा झेली जा रही स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में चिंतित नहीं है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 21 जून, 2014 को रिफाईनरी की वी0जी0ओ0 यूनिट में हुई एक दुर्घटना के कारण धमाका हुआ और धातु के एक फुट लम्बे टुकड़े गांवों में आकर गिरे।

6.100 समाचार पत्र की इस रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने अपनी दिनांक 18 जुलाई, 2014 की कार्रवाई में यह प्रेक्षण किया कि यदि समाचार पत्र में छपी रिपोर्ट के तथ्य सही हैं तो यह सिरसा के 12 गांवों के निवासियों के लिए स्वास्थ्य संकट है और इसलिए यह निवासियों के जीवन के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है। आयोग ने पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिवों तथा एच0पी0सी0एल0 के सी0एम0डी0 से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और उसे चार सप्ताह के अंदर–अंदर प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

6.101 इस मामले में प्राधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों पर आयोग विचार कर रहा है।

17. पूरे भारत में और विशेषतः दिल्ली एवं मुम्बई में एच0आई0वी0 के मरीजों के लिए दवाईयों की कमी

(मामला संख्या 6223/30/0/2014)

6.102 आयोग के समक्ष दिनांक 26 अगस्त, 2014 के अंग्रेजी दैनिक ''दि टाईम्स ऑफ इंडिया'' में ''ड्रग शॉर्टेज हिट्स एच0आई0वी0 पेशेंट'' शीर्षक से छपी रिपोर्ट आई। समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी केन्द्रों में जीवन रक्षक औषधियों की कमी के चलते पूरे भारत में एच0आई0वी0 के मरीजों का उपचार गंभीर रुप से प्रभावित हुआ है, विशेषतः दिल्ली और मुम्बई में। रिपोर्ट के अनुसार,

औषधियां देने और परीक्षण करने सहित एच0आई0वी0 का उपचार और नियंत्रण, सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 355 केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार, दवाईयों की कमी ने सबसे ज्यादा दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक तथा मणिपुर को प्रभावित किया है। एच0आई0वी0 मरीजों का प्रतिनिधित्व करने वाले दिल्ली नेटवर्क ऑफ पॉजीटिव पीपल ने स्वास्थ्य मंत्रालय, दिल्ली से एक कानूनी नोटिस के माध्यम से आपातकालीन अधिप्रापण तथा ए0आर0वी0एस0 की कमी वाले सरकारी केन्द्रों के स्टॉक का स्थानांतरण मांगा है। उन्होंने भविष्य में किसी प्रकार की कमी से बचने के लिए ड्रग फोरकास्टिंग, अधिप्रापण तथा आपूर्ति श्रृंखला तंत्र को सशक्त और सुकर बनाने की मांग भी की।

6.103 समाचार पत्र की इस रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने अपनी दिनांक 15 सितम्बर, 2014 की कार्रवाई में सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, भारत सरकार से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी और ऐसी आवश्यक दवाईयों की कमी को रोकने के लिए उन्हें लघु–कालिक एवं दीर्घ–कालिक उपाय सुझाते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

6.104 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त जवाब पर आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है।

18. पेयजल में अनुमेय सीमा से अधिक मात्रा में फ्लोराईड होने के कारण कई राज्यों के निवासियों के स्वास्थ्य को खतरा

(मामला संख्या 3094/20/0/2014)

6.105 आयोग के समक्ष दिनांक 26 अगस्त, 2014 के अंग्रेजी दैनिक ''दि टाईम्स ऑफ इंडिया'' में ''ड्रग शॉर्टेज हिट्स एच0आई0वी0 पेशेंट'' शीर्षक से छपी खबर आई। खबर में बताया गया कि बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, छत्तीसढ़, पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, गुजरात, असम, हरियाणा, उत्तरांचल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम तथा त्रिपुरा राज्यों के 14,132 आवासीय स्थानों में फ्लोराईड का स्तर, अनुमेय स्तर से अधिक है। इसलिए यह डर है कि जनसंख्या का एक बड़ा भाग बहुत ही गंभीर स्वास्थ्य संकट में है जैसे कि स्केलेटल फ्लोरोसिस।

6.106 आयोग ने समाचार रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया और अपनी दिनांक 29 दिसम्बर, 2014 की कार्रवाई में प्रेक्षण किया कि प्रेस रिपोर्ट के तथ्य बहुत ही गंभीर हैं क्योंकि यह नागरिकों के जीवन के अधिकार को प्रभावित कर रहे हैं और इसलिए आयोग ने सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार को समस्या की गंभीरता तथा केन्द्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा इस समस्या से निपटने के लिए उठाये गए कदमों को प्रस्तुत करने के लिए कहा।

6.107 श्री सत्यव्रत साहू, संयुक्त सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 20 जनवरी, 2015 को आयोग के समक्ष एक प्रस्तुति की। उन्होंने जानकारी दी कि प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति

को पीने के लिए, खाना बनाने के लिए तथा अन्य घरेलू आवश्यकताओं के लिए सतत आधार पर पर्याप्त सुरक्षित पानी उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम शुरु किया गया है। पेयजल की गुणवत्ता पर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत प्राप्त उपलब्धियों को भी दर्शाया गया। सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में केन्द्र सरकार को पेश आ रही चुनौतियों तथा नूतन पहलों के बारे में भी बताया गया। श्री साहू ने विभिन्न राज्यों में आ रही फ्लोराईड तथा अरसेनिक समस्यों पर प्रकाश डाला और पेयजल में संदूषण की समस्या को कम करने के लिए अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक सुझाव दिए। श्री साहू द्वारा दी गई प्रस्तुति के अनुसार राजस्थान, आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में 1,000 से अधिक आवासीय क्षेत्र फ्लोरोसिस से प्रभावित हैं। बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, गुजरात, असम, हरियाणा, उत्तरांचल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम तथा त्रिपुरा में स्थिति बहुत ही गंभीर थी।

6.108 डॉ0 डी.के.शुक्ला, वैज्ञानिक – ''जी'' तथा गैर–संचारी रोग प्रभाग, आई0सी0एम0आर0, नई दिल्ली के प्रमुख ने भी फ्लोरोसिस के क्षेत्र में आई0सी0एम0आर0 के योगदान संबंधी दस्तावेजों को प्रस्तुत किया।

6.109 श्री सत्यब्रत साहू, संयुक्त सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार तथा डॉ0 डी.के. शुक्ला, वैज्ञानिक – ''जी'' तथा गैर–संचारी रोग प्रभाग, आई0सी0एम0आर0, नई दिल्ली की प्रस्तुतियों को सुनने के बाद आयोग ने राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, छत्तीसढ़, पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, गुजरात, असम, हरियाणा, उत्तरांचल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम तथा त्रिपुरा राज्यों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी करने का निदेश दिया कि वे पेयजल में फ्लोरोसिस की समस्या के समाधान हेतु राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

6.110 उपरोक्त निर्देशों के अनुसरण में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों से रिपोर्टें प्राप्त हुई। शेष राज्यों को आयोग द्वारा मांगी गई अपेक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध मे अनुस्मारक जारी कर दिए गए हैं।

19. 108 आवश्यक औषधियों की कीमतों में मनमानी बढ़ोतरी
(मामला संख्या 8/30/0/2015)

6.111 आयोग के समक्ष ''फ्रंटलाईन'' पत्रिका के दिनांक 14 नवम्बर, 2014 के अंक में ''ड्रग प्राईजिंग'' संबंधी आलेख आया। आलेख के अनुसार लोक स्वास्थ्य नीति पहल में हुई एक महत्वपूर्ण तबदीली में नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने औषध विभाग के दिनांक 19 सितम्बर, 2014 के आदेश का पालन करते हुए अपने द्वारा दिनांक 29 मई, 2014 को जारी किए गए आंतरिक दिशानिर्देशों के एक सेट को वापिस ले लिया है। यह दिशानिर्देश 108 कार्डियोवस्कुलर तथा मधुमेह–रोधी दवाईयों की

कीमतों को नियंत्रण में रखते थे और इस प्रकार दवाईयों की कीमतों में बाजार तंत्र के माध्यम से होने वाली मनमानी बढ़ोतरी से बचाते थे।

6.112 आयोग ने आलेख पर स्वतः संज्ञान लिया और अपनी दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 की कार्रवाई में निम्नलिखित प्रेक्षण किएः

- ऐसा प्रतीत होता है कि एन0पी0पी0ए0 ने इन दिशानिर्देशों को वापिस लेने का निर्णय औषध विभाग के साथ विचार–विमर्श करके और उनके परामर्श से लिया है।
- औषध विभाग के इस निर्णय का पहले से ही चरमरा रही लोक स्वास्थ्य प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, यह औषधि विनिर्माताओं के लिए लाभदायक होगा और एन0पी0पी0ए0 – जिसे केन्द्र सरकार ने विनियंत्रित दवाईयों की कीमतों तथा डी0पी0सी0ओ0 के उपबंधों के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए वर्ष 1997 में गठित किया था ताकि आम जनता को आवश्यक दवाईयां वहनीय दरों पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जा सके– की स्वायत्ता को कम करेगा।
- एन0पी0पी0ए0 ने आंतरिक दिशानिर्देश जारी किए हैं ताकि 2013 के डी0पी0सी0ओ0 के तहत मूल्य निर्धारण के लिए एक समान नीति बन सके। तथापि, एन0पी0पी0ए0 का सितम्बर का आदेश उस नीति से हटने के संबध में कोई मजबूत तर्क प्रस्तुत नहीं करता है जिसका लक्ष्य आम आदमी तक सुलभ रुप से औषधियां पहुंचाना था।
- देश के नागरिकों विशेषतः गरीबों एवं वंचित वर्गों द्वारा स्वास्थ्य अधिकार का पूर्ण उपभोग करने के लिए आवश्यक दवाईयों का उचित मूल्य पर उपलब्ध होना बहुत जरुरी है। दिनांक 29 मई, 2014 के दिशानिर्देशों को वापिस लेने से उन 108 आवश्यक दवाईयों की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिनकी कीमतें उक्त आदेश द्वारा नियंत्रित थीं। चूंकि इससे आम आदमी का स्वास्थ्य एवं चिकित्सा देखभाल बाधित हो सकता है इसलिए यह देश के गरीब एवं वंचित वर्ग के नागरिकों के स्वास्थ्य के अधिकार के उल्लंघन/अतिक्रमण के समान है।

6.113 अतः आयोग ने सचिव, औषध विभाग तथा नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी को इस मामले में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

6.114 इस मामले में औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त रिपोर्ट पर आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है।

20. ''दिल्ली के अस्पतालों में स्टॉफ की गंभीर कमी'' शीर्षक वाले समाचार पर स्वतः संज्ञान (मामला संख्या 5407/30/0/2014)

6.115 आयोग ने दिनांक 13 जुलाई, 2014 के 'दि हिन्दु' में प्रकाशित ''दिल्ली के अस्पतालों में स्टॉफ की गंभीर कमी'' शीर्षक वाले समाचार पर दिनांक 5 अगस्त, 2014 को स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की। समाचार पत्र ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, सफदरजंग

अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, राम मनोहर लोहिया अस्पताल आदि जैसे प्रमुख संस्थानों में डॉक्टरों के 223, नर्सों के 287 तथा पैरा मेडिकल एवं तकनीकी स्टॉफ के 690 पद रिक्त पड़े हुए हैं। इन संस्थानों के सुकर संचालन में विशेषज्ञों, डॉक्टरों, नर्सों तथा पैरा मेडिकल स्टॉफ की कमी बाधा पहुंचा रही थी। अतः आयोग ने स्वास्थ्य सचिव, भारत सरकार को इस मामले में की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु एक नोटिस जारी करने का निदेश दिया। सचिव, स्वास्थ्य से अभी तक कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

21. ''स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टरों की गैर–हाजिरी, सख्ती की गई'' शीर्षक वाले समाचार पर स्वतः संज्ञान

(मामला संख्या 2659/30/0/2014)

6.116 आयोग ने दिनांक 7 मई, 2014 के 'दि इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित ''स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टरों की गैर–हाजिरी, सख्ती की गई'' शीर्षक वाले समाचार पर दिनांक 13 मई, 2014 को स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की। समाचार पत्र में कहा गया था कि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने औचक निरीक्षण किया जिसमें पता चला कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अधिकांश डॉक्टर कार्यदिवस पर भी अपनी ड्यूटी से नदारद थे। घंटों तक यात्रा करने के बाद डिस्पेंसरी पहुंचे मरीजों को बिना उपचार के ही वापिस जाना पड़ा और वे छोटी से छोटी पीड़ा के लिए भी अस्पताल जाने के लिए मजबूर थे। आयोग ने इस मामले में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सचिव, स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को एक नोटिस जारी किया।

6.117 इसके जवाब में उपसचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिनांक 5 अगस्त, 2014 को सूचित किया कि प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा अग्र–सक्रिय उपाय किए गए अतः स्वास्थ्य देखभाल डिलीवरी प्रणाली मजबूत हुई। आयोग ने रिपोर्ट का अध्ययन किया और दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 को सचिव (स्वास्थ्य), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार दिल्ली को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में औचक निरीक्षण करने के लिए एक टीम बनाने तथा बॉयोमीट्रिक प्रणाली स्थापित करने और मामले के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया। निर्देशों के अनुसरण में उपसचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने अपने दिनांक 5 मार्च, 2015 के पत्राचार के माध्यम से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिस पर आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है।

22. ''पानीपत में सर्जरी के बाद 19 लोग अंधे'' शीर्षक वाले समाचार पर स्वतः संज्ञान

(मामला संख्या 2703/7/15/2014)

6.118 आयोग का ध्यान दिनांक 15 मार्च, 2015 के अंग्रेजी दैनिक 'दि हिन्दू' में ''पानीपत में सर्जरी के बाद 19 लोग अंधे'' शीर्षक से छपी मीडिया रिपोर्ट पर गया। रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 11 मार्च, 2015 को पानीपत के जीवन मेडिकल एल0एल0पी0 अस्पताल में ऑपरेशन के बाद हुए संक्रमण के कारण 19 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। रिपोर्ट के अनुसार 14 व्यक्तियों को पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीच्यूट

ऑफ मेडिकल एजूकेशन एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया और शेष लोगों का पानीपत में ही उपचार किया गया। मरीजों का ऑपरेशन मोतियाबिन्द निकालने के लिए किया गया था।

6.119 मामले का संज्ञान लेते हुए आयोग ने अपनी दिनांक 19 मार्च, 2015 की कार्रवाई में हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को इस मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया। आयोग ने पीड़ितों को किए गए अनुग्रह भुगतान और अस्पताल के खिलाफ पाई गई किसी प्रकार की चिकित्सीय लापरवाही के संबंध में की गई कार्रवाई, यदि कोई है, का भी उल्लेख करने के लिए कहा।

6.120 इसके जवाब में आयोग को दिनांक 3 जुलाई, 2015 को हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य एवं मेडिकल शिक्षा विभाग से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट में उजागर किया गया कि हरियाणा सरकार द्वारा मामले की जांच करने के लिए एक टीम का गठन किया गया था जिसमें दो नेत्र विशेषज्ञों और एक माईक्रोबायोलॉजिस्ट के साथ–साथ पानीपत जिले के एस0डी0एम0 और मुख्य चिकित्सा अधिकारी शामिल थे। समिति का निष्कर्ष था कि ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों और सहायक स्टॉफ ने ऑपरेशन के दौरान यथोचित सावधानी नहीं बरती थी। जिस समिति ने यह शिविर आयोजित किया था वह भी जांच के घेरे में है। भारतीय दंड संहिता की धारा 337, 338 तथा ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट, 1940 की धारा 18/27/28 के तहत पुलिस स्टेशन पानीपत शहर में एक एफ0आई0आर0 सं0 279/2015 दर्ज की गई है।

6.121 आयोग द्वारा रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

******

अध्याय 7

भोजन का अधिकार

7.1 भोजन का अधिकार एक वृहत अधिकार है। यह केवल उर्जा, प्रोटीन तथा अन्य विशिष्ट पोषकों के न्यूनतम आहार का अधिकार नहीं है। यह किसी भी मनुष्य के लिए एक स्वस्थ एवं सक्रिय जीवन जीने हेतु आवश्यक ऐसे सभी पोषक तत्वों तथा उन्हें प्राप्त करने के माध्यमों से संबंधित अधिकार है। आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार संबंधी समिति ने बताया कि पर्याप्त भोजन का अधिकार तभी साधित होगा जब प्रत्येक पुरुष, महिला तथा बच्चे को व्यक्तिगत रुप से या अन्यों के साथ सामूहिक रुप से हर समय पर्याप्त भोजन या भोजन प्राप्त करने के तरीकों पर भौतिक तथा आर्थिक पहुंच होगी। अन्य शब्दों में कहें तो भूख से मुक्ति का अधिकार, पर्याप्त भोजन के अधिकार का न्यूनतम आवश्यक स्तर है।

7.2 भोजन के अधिकार के मूल घटक में निम्नलिखित निहितार्थ हैः (क) व्यक्ति की खान–पान संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार की प्रतिकूल वस्तु से मुक्त तथा संबंधित संस्कृति में स्वीकार्य उपलब्ध भोजन की पर्याप्त मात्रा एवं गुणवत्ता; और (ख) ऐसे भोजन की सतत सुलभता और अन्य मानव अधिकारों के संबंध में कोई हस्तक्षेप नहीं। 'भोजन की उपलब्धता' से अर्थ है उत्पादन करने वाली भूमि या अन्य प्राकृतिक स्रोत से सीधे ही स्वयं भोजन करना या सुसंचालित संवितरण, प्रसंस्करण तथा बाजार प्रणाली के माध्यम से भोजन प्राप्त करना जो भोजन को उत्पादन स्थल से उस स्थान पर ले जाती है जहां मांग के अनुसार उसकी आवश्यकता होती है।

7.3 ''भोजन की सुलभता'' में आर्थिक तथा भौतिक सुलभता, दोनों ही शामिल हैं। 'आर्थिक सुलभता' का अर्थ है कि एक पर्याप्त खुराक के लिए भोजन के अभिग्रहण के साथ जुड़ी व्यक्तिगत या पारिवारिक लागत का स्तर ऐसा होना चाहिए कि अन्य मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में किसी प्रकार का समझौता न करना पड़े। 'भौतिक सुलभता' का अर्थ है कि वंचित वर्ग सहित प्रत्येक को पर्याप्त भोजन की सुलभता हो।

7.4 संवहनीयता का सिद्धांत तात्विक रुप से 'पर्याप्त भोजन' की अवधारणा से जुड़ा हुआ है जिसका अर्थ है दीर्घकालिक उपलब्धता एवं सुलभता। पर्याप्त भोजन के अधिकार में खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य संरक्षा भी शामिल है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि भोजन मानवीय उपभोग के लिए सुरक्षित होना चाहिए और प्रतिकूल वस्तुओं से मुक्त होना चाहिए चाहे वो अपमिश्रण, निम्नस्तरीय पर्यावरणीय स्वच्छता या किसी अन्य कारणों से हो। पर्याप्त भोजन, सांस्कृतिक रुप से भी स्वीकार्य होना चाहिए। ''भोजन'' से तात्पर्य केवल ठोस भोजन ही नहीं है बल्कि इसमें पेयजल के पोषक पहलू भी शामिल हैं जो जीवन के लिए आवश्यक हैं।

7.5 इस वार्षिक रिपोर्ट के लिखे जाने के समय संयुक्त राष्ट्र के पहचाने गए 17 संवहनीयता विकास संबंधी उद्देश्यों तथा वर्ष 2030 तक संवहनीयता विकास के नए सार्वभौमिक एजेंडा को प्राप्त करने के इसके लक्ष्य ने एक निष्कपट, अधिक समृद्ध, शांतिपूर्ण तथा संवहनीय विश्व का स्वपन दिखाया है जिसमें

कोई पीछे नहीं रहेगा। नया एजेंडा, 2000 सहस्त्राब्दि उद्देश्यों पर बना है और इसका लक्ष्य उन्हें प्राप्त करना है जो वह प्राप्त नहीं कर सके हैं विशेषतः वंचित वर्गों का पहुंच। निर्धनता को समाप्त करने, भुखमरी को समाप्त करने तथा संवहनीय विकास के एक नए युग की शुरुआत आदि की दिशा में एस0डी0जी0 1 (निर्धनता समाप्ति), एस0डी0जी0 2 (भुखमरी की समाप्ति) तथा एस0डी0जी0 12 (संवहनीय उपभोग एवं उत्पादन) महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। वर्ष 2030 तक भुखमरी तथा कुपोषण को कम करने और समाप्त करने में तेजी से प्रगति के बिना एस0डी0जी0 की पूरी रेंज को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार, अन्य एस0डी0जी0 लक्ष्यों की प्राप्ति, भुखमरी और अत्यधिक गरीबी को दूर करने में सहायक हो सकती है। यह उल्लेख करना अनावश्यक नहीं होगी कि एकजुट होकर कार्य करने से विश्व में तेजी से प्रगति हो सकती है। इसके अतिरिक्त, भुखमरी और गरीबी को समाप्त करने की लड़ाई को प्रमुखतः ग्रामीण क्षेत्रों में लड़ा जाए जहां लगभग 80 प्रतिशत भूखे एवं गरीब रहते हैं।

7.6 भारत में संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत भोजन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और जीवन के अधिकार का आवश्यक घटक है। तदनुसार, भारत सरकार कमजोर एवं वंचित लोगों के समर्थन में एकीकृत बाल विकास सेवाएं योजना, मिड डे मील योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे खाद्य, आजीविका एवं सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है जिसमें उन्हें भोजन सहित मूलभूत आवश्यकताओं तक सुलभ पहुंच होती है।

7.7 वर्ष 2013—14 की अवधि की वार्षिक रिपोर्ट में यथाउल्लिखित भारत के उच्चतम न्यायालय का *पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी बनाम भारत संघ तथा अन्य* मामला आज की तारीख तक किसी न्यायालय द्वारा भोजन के अधिकार की रक्षा के संबंध में सबसे असाधारण मामला है। वर्ष 2001 में शुरु हुए इस मामले में भूख तथा भुखमरी से होने वाली मौतों के प्रति सरकार की उदासीनता को चुनौती दी गई थी। मामला उच्चतम न्यायालय तक गया लेकिन पिछले दस वर्षों में न्यायालय ने खाद्य असुरक्षा, गरीबी तथा बेरोजगारी संबंधी वृहत सर्वांगी मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए अपनी मौलिक क्षेत्राधिकार का विस्तार किया। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में जीवन के अधिकार से जुड़े हुए भोजन के अधिकार की सांविधिक वैधता को मान्यता देते हुए अंतरिम आदेशों की एक श्रृंखला जारी की। इसके अलावा, इस मामले में न्यायालय ने कई योजनाओं की पहचान विधिक हकदारी के रुप में की और मिड डे मील स्कीम, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के यथाचित कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश उपलब्ध कराए। उच्चतम न्यायालय ने न्यायालय आदेशों के अनुपालन की मॉनीटरिंग तथा रिपोर्ट के लिए — आयुक्त की नियुक्ति जैसे — एक नए जवाबदेही तंत्र के सृजन का भी आदेश दिया।

7.8 उपरोक्त मामला भारत में भोजन के अधिकार के बोध में इतना महत्वपूर्ण रहा है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 पारित किया जिसमें प्रत्येक पात्र परिवार एक माह में बहुत ही मामूली मूल्य (1 किलोग्राम चावल, गेंहू तथा मोटे अनाज के लिए क्रमशः 3, 2 और 1 रुपये)

पर एक निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न का हकदार है। एक बेहतर खाद्य पात्रता कानून होने के बाद भी भोजन के अधिकार के पूर्णतावादी दृष्टिकोण की तर्ज पर न होने के कारण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की काफी आलोचना भी हुई है। विशेष रुप से यह आलोचना की गई कि यह कानून उत्पादन संबंधी मुद्दों को प्रत्यक्ष रुप से संबोधित नहीं करता है, इससे किसानों को कोई राहत नहीं है, यह पोषण संबंधी प्रश्नों को पर्याप्त रुप से संबोधित नहीं करता है और गरीबी एवं भुखमरी के मौलिक कारणों से निपटे बिना सार्वजनिक वितरण पर अधिक बल देता है।

7.9 फिर भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन खाद्य सुरक्षा तथा बेहतर पोषण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। हाल ही के अनुभव से देखा जा सकता है कि अच्छी तरह से संचालित सार्वजनिक संवितरण प्रणाली उन लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है जो बहुत ही कम आजीविका में गुजारा करते हैं। यह अधिनियम, स्कूल मील तथा एकीकृत बाल विकास सेवाओं जैसे बहुमूल्य बाल पोषण कार्यक्रमों सुदृढ़ बनाने का भी एक अवसर है।

7.10 संवैधानिक प्रावधानों के अनुसरण में भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अपने गठन के समय से ही भोजन के अधिकार को यथोचित महत्व दिया है। इसके अतिरिक्त, आयोग ने भोजन के अधिकार के संबंध में एक कोर ग्रुप भी गठित किया है जिसमें देश भर के विशेषज्ञ शामिल हैं। जैसा कि पिछली वार्षिक रिपोर्टों में बताया गया है, आयोग ने ओडिशा के कालाहांडी, बोलंगीर तथा कोरापुट (के0बी0के0) जिलों में भूख से होने वाली मौतों का संज्ञान लिया क्योंकि भुखमरी, जीवन के अधिकार का घोर उल्लंघन है।

7.11 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान आयोग निम्नलिखित गतिविधियों को अंजाम दिया।

क. बिहार एवं उत्तर प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के बीच भोजन के अधिकार की वर्तमान स्थिति का अध्ययन

7.12 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अनुसंधान प्रभाग ने हरियाली सेंटर फॉर रुरल डॅवलेपमेंट, नई दिल्ली को सितम्बर, 2012 में सौंपे गए उपरोक्त अनुसंधान अध्ययन की मॉनीटरिंग को जारी रखा। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का सामाजिक–आर्थिक स्तर तथा जीवन की परिस्थितियों का पता लगाना; यह बोध करना कि गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले परिवारों के पास पर्याप्त भोजन या उसे प्राप्त करने के तरीकों तक भौतिक तथा आर्थिक पहुंच है या नहीं; खाद्य वस्तुओं के संबंध में लिंग भेदभाव की सीमा का अध्ययन करना और परिवार के स्तर पर महिला और पुरुष बच्चों तथा वयस्कों का खाने–पीने तरीका; विशेषकर बच्चों के संबंध में भुखमरी की समस्या को नियंत्रित करने के लिए आई0सी0डी0एस0 तथा मिड डे मील स्कीम के तहत उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन के साथ–साथ सार्वजनिक संवितरण प्रणाली के तहत उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्यान्नों के प्रभाव का पता लगाना; कुपोषण और भुखमरी के कारण गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बीच रुग्णता और मृत्यु की घटनाओं का पता लगाना; गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की जरुरतों को पूरा करने में सिविल सोसाईटी संगठनों तथा गैर–संस्थानों की भूमिका का मूल्यांकन करना;

और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और बच्चों के बीच भुखमरी की समस्या को कम करने के लिए रणनीतियां बनाना और उनके पोषणात्मक स्तर को बेहतर करना आदि इस अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य हैं।

ख. सार्वभौमिक आवधिक पुनरीक्षा के द्वितीय चक्र के तहत भोजन के अधिकार से संबंधित सिफारिशों की मॉनीटरिंग

7.13 वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद द्वारा किए गए सार्वभौमिक आवधिक पुनरीक्षा के द्वितीय चक्र के एक भाग के रुप में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भोजन के अधिकार संबंधी उन सिफारिशों की मॉनीटरिंग कर रहा है जिन्हें भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था। यह सिफारिशें इस प्रकार हैं : – ''खाद्य सुरक्षा के संवर्धन हेतु एक रणनीति शुरु करना'' और ''पर्यावरण एवं स्वास्थ्य नीतियों के संबंध में प्रयास जारी रखना और खाद्य सुरक्षा संबंधी विधेयक को अंगीकृत करने के उपाय करना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना।'' इसके संबंध में आयोग ''निर्धनता उन्मूलन'' और ''कमजोर वर्गों के लोगों के लिए अधिक संसाधनों का प्रावधान'' पर केन्द्रित कई वैकल्पिक सिफारिशों की मॉनीटरिंग कर रहा है।

7.14 जैसा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की वर्ष 2013–14 की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि इस प्रयोजन के लिए आयोग ने सूचकांकों/मॉनीटर किए जाने वाले परिणामों सहित इन प्रत्येक सिफारिशों के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई का विस्तृत ढांचा तैयार किया है। इसके अतिरिक्त, आयोग ने इसके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार एजेंसी का चयन भी कर लिया है। तदनुसार, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने दिनांक 22 जनवरी, 2015 को संयुक्त सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के साथ एक बैठक की। इस बैठक में संयुक्त सचिव महोदय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के लागू होने के बाद होने वाले विकास के बारे में जानकारी दी जैसे कि देश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी0डी0पी0एस0) का कम्प्यूटरीकरण। उन्होंने राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के साथ–साथ इसकी मॉनीटरिंग एवं सतर्कता को मजबूत करने के तरीकों को साझा किया। इसके बाद भोजन के अधिकार को प्रभावित करने वाले वैकल्पिक मुद्दों पर ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव के साथ (दिनांक 22 जनवरी, 2015) और पेयजल मंत्रालय के अपर सलाहकार के साथ (दिनांक 18 फरवरी, 2015) बैठकें आयोजित की गई। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का आशय वर्ष 2015–16 के दौरान क्षेत्रीय परामर्श आयोजित करके देश भर में इन गतिविधियों की मॉनीटरिंग करना है ताकि सार्वभौमिक आवधिक पुनरीक्षा के तीसरे चक्र को रिपोर्ट करने के लिए बुनियादी स्थिति का वास्तविक आकलन हो जाए और इस कार्य में सरकारी और गैर सरकारी, सभी पणधारियों का समर्थन मिल जाए।

ग. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा भोजन के अधिकार के संबंध में निपटाए गए दृष्टांत मामले

1. अट्टापड्डी क्षेत्र, केरल में कुपोषण के कारण नवजात शिशुओं की मृत्यु (मामला संख्या 443/11/10/2013)

7.15 आयोग के संज्ञान में दिनांक 12 मई, 2013 के 'दि सन्डे एक्सप्रेस' में प्रकाशित ''बिटवीन डिश टी0वी0 एण्ड डैथ'' शीर्षक आया।

7.16 लेख के अनुसार केरल के अट्टापड्डी क्षेत्र में विशेषतः दक्षिण कादम्बरा, वेल्लाकुलम कॉलोनी तथा नेल्लीप्पत्थी कॉलोनी में जनवरी, 2012 से कुपोषण के कारण कई नवजात शिशुओं की मृत्यु हुई। रिपोर्ट के अनुसार, स्वास्थ्य विभाग ने अट्टापडी की तीन पंचायतों में 7565 घरों में 23,597 लोगों की जांच की। इनमें से 496 वयस्क, 70 गर्भवती महिलाओं तथा 12 वर्ष की आयु से कम के 283 बच्चों में खून की कमी पाई गई।

7.17 लेख में यह आरोप भी लगाया गया कि वेल्लाकुलम के कई निवासी सिकल सैल बीमारी से पीड़ित थे और परिणामस्वरुप ऐसे माता–पिता के बच्चे जन्म के समय कम वजन वाले थे। वे भी टाईप 1 मधुमेह तथा विटामिन ए की कमी से पीड़ित थे। यह आरोप लगाया गया कि अट्टापडी क्षेत्र में मेडिकल सुविधाओं की बहुत कमी थी यहां तक कि ट्राईटल स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कोई सर्जन या एनेस्थेटिस्ट नहीं था और इसलिए जनजातीय महिलाएं अस्पताल में डिलीवरी के लिए नहीं आती थीं। इसलिए अतिरिक्त, स्पेशलिटी अस्पताल में कोई रक्त बैंक नहीं था। इसके परिणामस्वरुप एक एम्बूलेंस को रक्त का एक बैग लाने के लिए जिला मुख्यालय पलक्कड जाना होता है जोकि 85 किलोमीटर दूर है।

7.18 आयोग ने दिनांक 15 मई, 2013 की मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया और केरल राज्य के मुख्य सचिव को छः सप्ताह के अंदर–अंदर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का नोटिस जारी किया।

7.19 उपरोक्त निर्देशों के जवाब में प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, केरल सरकार ने अपने दिनांक 28 जून, 2013 और 3 सितम्बर, 2014 के पत्राचार के माध्यम से जनवरी, 2013 से मई, 2014 के बीच ब्लॉक में हुई नवजात शिशुओं की मृत्यु के विवरण के अलावा अट्टापडी में विभिन्न स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन सहित नवजात शिशु मृत्यु को रोकने के लिए किए गए उपायों के संबंध में एक स्थिति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की।

7.20 जून, 2013 से दिसम्बर, 2014 के बीच अट्टापडी ब्लॉक में हुई नवजात शिशुओं की मृत्यु के संबंध में मांगी गई जानकारी अभी आयोग को प्राप्त नहीं हुई है।

2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत लाभार्थियों की पहचान में असफलता (मामला संख्या 3623/4/0/2014)

7.21 आयोग ने दिनांक 15 सितम्बर, 2014 के एक अंग्रेजी दैनिक 'दि हिन्दु' में प्रकाशित ''खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों की पहचान अभी बाकी'' शीर्षक की रिपोर्ट का दिनांक 9 अक्टूबर, 2014 को संज्ञान लिया। समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के पारित हो जाने के एक वर्ष के बाद भी राज्य सरकारें लाभार्थियों की पहचान करने में असफल रही हैं। कुछ राज्य सरकारों ने तो लाभार्थियों की पहचान के मापदंड ही बदल दिए और इसलिए जांच की प्रक्रिया में

विलम्ब हो गया। यह भी उल्लेख किया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों की पहचान के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण के रुप में सामाजिक–आर्थिक जाति जनगणना के बारे में विचार किया गया। किन्तु इसमें काफी विलम्ब हो गया क्योंकि इसे मई, 2012 तक पूरा हो जाना चाहिए था। इस प्रक्रिया में शामिल एजेंसियों अर्थात ग्रामीण विकास मंत्रालय, इलैक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (इन्यूमरेशन डिवाइस तथा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर उपलब्ध कराने वाली नोडल एजेंसी) और राज्य अधिकारियों ने विलम्ब के संबंध में एक दूसरे के उपर आरोप लगाए। दावा और आपत्ति प्रक्रियाएं जो प्रारुप सूची के बाद आती हैं उनके संबंध में 640 जिलों में से 272 में कार्य चल रहा है और कुल आबंटित किए गए 3543 करोड़ रुपयों में से 3237 करोड़ की राशि पहले ही खर्च की जा चुकी है। समाचार पत्र की रिपोर्ट ने आगे उल्लेख किया कि कुछ राज्यों ने इस प्रयोजन के लिए अपने मानदंडों का प्रस्ताव रखा जो कि सामाजिक–आर्थिक जाति जनगणना द्वारा इजाद की गई प्रक्रिया की तुलना में कम पारदर्शी प्रतीत होता है। राजस्थान जैसे कुछ राज्यों ने वर्ष 2004 के पुराने जनगणना आंकड़ों का प्रयोग करते हुए नए बी0पी0एल0 लाभार्थियों को जोड़ दिया। ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा राज्य अधिकारियों ने सामाजिक–आर्थिक जाति जनगणना में हुई देरी के लिए कुव्यवस्था, तकनीकी परेशानियों, मानवशक्ति की कमी तथा सर्वेक्षण करने वालों के भुगतान में विलम्ब को जिम्मेदार ठहराया।

7.22 आयोग ने गरीब से गरीब व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने तथा गरीबों के लिए बनाई गई सामाजिक–आर्थिक नीतियों के कार्यान्वयन में केन्द्र सरकार के साथ–साथ राज्य सरकारों की उदासीनता को मानव अधिकारों का उल्लंघन माना। सचिव, ग्रामीण विकास, भारत सरकार को इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश देते हुए एक नोटिस जारी किया गया। निदेशों के अनुसरण में संबंधित प्राधिकारी ने दिनांक 11 नवम्बर, 2014 के पत्राचार के माध्यम से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिस पर आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है।

3. ''भुखमरी से हुई मौतों ने बंगाल चाय राष्ट्र को पंगु बनाया'' शीर्षक वाले समाचार का स्वतः संज्ञान (मामला संख्या 1041/25/10/2014)

7.23 आयोग ने दिनांक 30 जुलाई, 2014 के 'दि टाईम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित ''भुखमरी से हुई मौतों ने बंगाल चाय राष्ट्र को पंगु बनाया'' समाचार का दिनांक 7 अगस्त, 2014 को संज्ञान लिया। समाचार पत्र ने उल्लेख किया कि अलीपुरद्वार में बंद किए गए पांच चाय बागानों में कुपोषण के कारण 100 लोगों के मारे जाने की खबर है। समाचार पत्र का दावा है कि अगर यह मौतें भुखमरी की वजह से नहीं हैं तो कुपोषण की वजह से हैं। कुछ मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार मिला था लेकिन उन्हें समय पर मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया था जिससे उनकी दुर्दशा और बढ़ गई। आयोग ने इस मामले के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव को एक नोटिस जारी करने का निदेश दिया।

7.24 प्रत्युत्तर में विशेष सचिव, गृह विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने दिनांक 27 मार्च, 2015 के पत्राचार के माध्यम से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में मीडिया की रिपोर्ट जैसे कि मौतों की संख्या,

मजदूरों द्वारा अपनी जीवन–यापन के लिए बच्चों को बेचा जाना आदि जैसी बातों का खंडन किया गया और कहा गया कि जनवरी से जुलाई 2014 के बीच दो जिलों में कुल 71 मौतें हुईं हैं, और वो भी कुपोषण के कारण नहीं बल्कि बीमारी के कारण हुई हैं। रिपोर्ट में आगे यह भी कहा गया कि सरकार ने मजदूरों और उनके परिवार के सदस्यों को अन्य मूलभूत सुविधाओं एवं सामग्री के साथ–साथ स्वास्थ्य एवं पोषण सहायता भी उपलब्ध कराई थी। इसमे बताया गया कि जलपाईगुड़ी और अलीपुरदुआल के जिला मजिस्ट्रेट, साप्ताहिक आधार पर परिस्थिति की पुनरीक्षा कर रहे हैं। वर्तमान में आयोग द्वारा रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

4. ''मिड–डे मील के कारण 350 बच्चे अस्पताल में'' शीर्षक वाले समाचार का स्वतः संज्ञान (मामला संख्या 807/10/1/2014)

7.25 आयोग ने दिनांक 20 सितम्बर, 2014 के 'दि एशियन ऐज', दिल्ली में प्रकाशित ''मिड–डे मील के कारण 350 बच्चे अस्पताल में'' शीर्षक का दिनांक 9 अक्टूबर, 2014 को संज्ञान लिया। समाचार पत्र ने उल्लेख किया कि कर्नाटक में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे उर्दू प्राईमरी स्कूल के लगभग 350 बच्चे दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मिड–डे मील खाकर बीमार पड़ गए। बच्चों ने सिर दर्द, पेट दर्द और उलटी की शिकायत की और उन्हें डॉ0 अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि डॉक्टरों को स्कूल के अध्यापकों ने बताया था कि बच्चों को दिए जाने वाले खाने में छिपकली गिर गई थी। जैसे ही भोजन में छिपकली के गिरने का पता चला, बच्चों को भोजन परोसना बंद कर दिया गया था। आयोग ने इस मामले में मुख्य सचिव, कर्नाटक को एक नोटिस जारी करने का निदेश दिया।

7.26 नोटिस के जवाब में संयुक्त निदेशक, मिड–डे मील स्कीम, बंगलौर ने अपने दिनांक 4 फरवरी, 2015 के पत्राचार के माध्यम से शिक्षा अधिकारी, पंचायती जिला, बंगलौर की रिपोर्ट अग्रेषित की। तथापि, रिपोर्ट का अध्ययन करने पर पता चला कि रिपोर्ट में उल्लिखित सभी अनुलग्नक संलग्न नहीं थे। तदनुसार, दिनांक 20 अगस्त, 2015 के पत्राचार के माध्यम से संयुक्त निदेशक, मिड–डे मील से पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया ताकि आयोग उस पर विचार कर सके।

5. उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल में परोसे जाने वाले दूषित मिड–डे मील के कारण विद्यार्थी बीमार पड़े (मामला संख्या 35370/24/7/2013)

7.27 एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दिनांक 9 सितम्बर, 2013 को दर्ज कराई गई शिकायत में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा रिलीज की गई रिपोर्ट शामिल है जिसमें यह कहा गया है कि दिनांक 4 सितम्बर, 2013 को उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दो सरकारी स्कूलों के लगभग 125 विद्यार्थी दोपहर का भोजन, जिसमें खीर भी थी, खाकर बीमार पड़ गए। बच्चों ने खीर खाने के बाद उलटी और पेट में दर्द की शिकायत भी की थी। इस मामले में आयोग का हस्तक्षेप चाहा गया था।

7.28 जवाब में विशेष सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश ने अपने दिनांक 25 फरवरी, 2014 के पत्राचार के माध्यम से बताया कि इस घटना में दिनांक 5 सितम्बर, 2013 को 25 विद्यार्थियों को और एक विद्यार्थी को दिनांक 6 सितम्बर, 2013 को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उन सबको

दिनांक 9 सितम्बर, 2013 को छुट्टी दे दी गई थी। यह भी बताया गया कि जांच के लिए भोजन के नमूने भी लेबोरेट्री में भेजे गए थे।

7.29 बदायूं के जिला मजिस्ट्रेट श्री चंदर प्रकाश तिवारी ने आगे बताया कि जांच के दौरान यह पाया गया कि दोपहर के भोजन में कुछ विषैला पदार्थ (कॉर्बोनेट इन्सेक्टिसाईड) पाया गया था जिसकी वजह से भोजन पकाते समय या वितरित करते समय दूषित हो गया होगा। इस मामले में स्कूल के प्राध्यापक और ग्राम प्रधान को अपनी जिम्मेदारी के प्रति उदासीन पाया गया गया। भोजन बनाने वालों को सेवा से हटा दिया गया तथा भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने और भविष्य में इस प्रकार की किसी घटना से बचने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए।

7.30 आयोग ने दिनांक 2 फरवरी, 2015 को मामले पर विचार किया और प्रेक्षण करते हुए निम्नानुसार निदेश दिएः—

> *''राज्य के पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण 26 बच्चे बीमार हुए और उन्हें लगभग चार दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच—पड़ताल के बाद भी दोषियों विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। मान्य कानूनों के तहत दोषियों के उपर अभियोजन चलाया जा सकता है। खाना बनाने वालों को सेवा से हटा देने मात्र से राज्य प्राधिकारी अपने कर्तव्यों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। इस मामले में बच्चों के मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ और उल्लंघन करने वालों के साथ कानून के अनुसरण में कार्रवाई करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया जाए कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के अनुसार 26 पीड़ित विद्यार्थियों (प्रत्येक) को मुआवजे के रुप में 10,000/—रु0 की मौद्रिक राहत का भुगतान क्यों नहीं किया जाए। इसके संबंध में चार सप्ताह के भीतर जवाब दें। जिला मजिस्ट्रेट, बदायूं को भावी रिपोर्ट में इस मामले के दोषियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का उल्लेख करने का निदेश दिया गया। चार सप्ताह के अंदर जवाब मांगा गया।''*

7.31 राज्य सरकार का जवाब प्रतीक्षित है और आयोग द्वारा मामले पर विचार किया जा रहा है।

* * * * *

अध्याय 8

षिाक्षा का अधिकार

8.1 सामाजिक तथा आर्थिक विकास में शिक्षा और साक्षरता की भूमिका जग जाहिर है। इससे जुड़ा एक तथ्य है कि शिक्षा प्रणाली में किसी प्रकार का सुधार केवल कार्यक्षमता को ही नहीं बढ़ता है बल्कि जीवन की समग्र गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी करता है। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार, 2009 का अधिनियमन, सही दिशा की ओर एक कदम है क्योंकि यह केन्द्र सरकार का पहला शासकीय विधायन है जो देश भर में कानूनी रुप से 6–14 वर्ष के आयुवर्ग बच्चों को यह अधिकार प्रदान करता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की वर्ष 2013–2014 की वार्षिक रिपोर्ट में संक्षिप्त समीक्षा की गई थी जिसके परिणामस्वरुप वर्ष 2009 में बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, 2009 अधिनियम लागू हुआ।

8.2 उक्त अधिनियम के लागू होने के बाद इसकी धारा 12(1)(ग) पर काफी ध्यान केन्द्रित किया गया जिसके अनुसार सभी गैर–सरकारी स्कूलों को कक्षा–1 (या प्री–प्राईमरी, जो भी लागू हो) में 25 प्रतिशत सीटें ''कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों'' को निःशुल्क भर्ती के लिए रखनी होंगी तथा उन्हें तब तक रखना होगा जब तक कि वे अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी न कर लें। उपबंधों के तहत गैर–सरकारी स्कूलों को प्रत्येक बच्चे के एवज में प्रति बच्चा राज्य व्ययया स्कूल द्वारा लिए जाने वाले शिक्षण शुल्क, जो भी कम हो (धारा 12(2)) के स्तर पर प्रतिपूर्ति की जाएगी।

8.3 इस बात में कोई शक नहीं है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम से प्राथमिक शिक्षा में बुनियादी परिवर्तन चाहा गया है। इसके अतिरिक्त, इसने शिक्षा को एक अधिकार के रुप में संकल्पित करने के लिए सारभूत पुनर्विन्यास चाहिए। आवश्यक दस्तावेजों में छूट, भर्ती परीक्षा से छूट, निष्कासन मुक्त, शारीरिक दंड का निषेध, सतत गहन मूल्यांकन तथा आनन्दपूर्ण विस्तृत अध्ययन ने शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित एवं सुरक्षित बनाने का रास्ता तैयार किया है। यह सभी मिलकर निकट भविष्य में भारत के तथाकथित 'जनसांख्यिीय डिविडेंड' को मूलभूत एवं गुणतापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में मदद करेंगे।

क. सार्वभौमिक आवधिक पुनरीक्षा के द्वितीय चक्र के तहत बच्चों के शिक्षा के अधिकार संबंधी सिफारिशों की मॉनीटरिंग

8.4 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद द्वारा शुरु किए गए सार्वभौमिक आवधिक पुनरीक्षा के द्वितीय चक्र के एक भाग के रुप में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत बच्चों के शिक्षा के अधिकार संबंधी सिफारिशों के द्वारा मामले की मॉनीटरिंग कर रहा है। यह सिफारिशे मुख्यतः – बच्चों के शिक्षा के अधिकार को और सवंर्धित करने, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के प्रावधानों को मजबूत करने, देश में सभी लड़कियों और लड़कों को गुणतापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की गैर–विभेदकारी नीति एवं गारंटी के कार्यान्वयन को जारी रखने, बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के सुचारु कार्यान्वयन की गारंटी के लिए दोनों (केन्द्र तथा राज्य सरकारें) के सहयोग को

बढ़ाने के लिए, अक्षम बच्चों को बाकी बच्चों की तरह शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए तथा बच्चों को शारीरिक दंड देना प्रतिबंधित करने के लिए विधायन लाने जैसी चुनौतियों का समाधान करने के संबंध में हैं। इसके संबंध में आयोग बच्चों के शिक्षा के अधिकार को प्रभावित करने वाली कई वैकल्पिक सिफारिशों की मॉनीटरिंग भी कर रहा है।

8.5 जैसा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की इस वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय 7 में उल्लिखित है, इस प्रयोजन के लिए आयोग ने एक ढांचा तैयार किया है जिसमें संकेतकों/मॉनीटर करने योग्य परिणामों सहित इन सिफारिशों के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई का विवरण है। इसके अतिरिक्त आयोग ने इसके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार एजेंसी का चयन किया। भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों, जिनके स्तर पर कार्रवाई की जानी है, के साथ इस ढांचे की एक–एक प्रति साझा कर दी गई है। तदनुसार, आयोग ने स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशक के साथ दिनांक 4 फरवरी, 2015 को एक बैठक आयोजित की। बैठक में हुए विचार–विमर्श तथा बाद में भेजे गए एक अनुस्मारक के आलोक में निदेशक, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा उपरोक्त सूचीबद्ध सिफारिशों/चिन्ताओं के संबंध में कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। आयोग एक बार फिर से विभागों से अनुरोध करता है कि वे सभी सिफारिशों/चिन्ताओं के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करें ताकि आयोग द्वारा प्रत्येक सिफारिश के बारे में विश्लेषण किया जा सके।

ख. शिक्षा के अधिकार संबंधी दृष्टांत मामले

1. मिडिल स्कूल तथा प्राईमरी स्कूलों की कमी के कारण बिहार में बच्चे मीलों चलने को बाध्य (मामला संख्या 2199/4/0/2014)

8.6 आयोग ने दिनांक 25 मई, 2014 के ''प्रतुष नव विहार'' पटना में प्रकाशित ''2974 तोलो माई मिडिल स्कूल नाहि'' शीर्षक में दी गई खबर का दिनांक 11 जून, 2014 को स्वतः संज्ञान लिया। प्रेस रिपोर्ट में कहा गया कि बिहार राज्य में मिडिल स्कूलों की बहुत कमी है और बच्चों को प्राईमरी शिक्षा के लिए भी कई मील तक चल कर जाना पड़ता है। रिपोर्ट में आगे यह बताया गया कि राज्य सरकार एक सर्वेक्षण करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अभी भी ऐसे 1896 आवासीय क्षेत्र है जहां प्रारंभिक शिक्षा 1 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध नहीं है तथा 2974 ऐसे आवासीय क्षेत्र हैं जहां तीन किलोमीटर के दायरे में भी कोई मिडिल स्कूल नहीं है। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि राज्य में 2100 स्थान ऐसे हैं जो स्वतंत्रता के बाद अभी तक शिक्षा से वंचित हैं। बिहार शिक्षा विभाग के निदेशक ने स्वीकार किया कि सरकार को 21419 नए प्राइमरी स्कूल खोलने थे लेकिन केवल 20907 स्कूल ही खुल सके। शेष 578 स्कूल चालू वर्ष में खोले जाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया कि बिहार शिक्षा विभाग के निदेशक के अनुसार भूमि उपलब्ध न हो पाना, नए प्राइमरी स्कूलों के न खोले जाने का एक महत्वपूर्ण कारण है। बिहार सरकार के मुख्य सचिव को राज्य में स्कूलों की कमी को पूरा करने के संबंध में राज्य प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों; शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार अधिकार पूरे किए जाने की समय सीमा तथा राज्य में प्राइमरी स्कूल टीचरों की उपलब्धता की स्थिति के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत

करने हेतु एक नोटिस जारी किया गया। निदेश के अनुसरण में अवर सचिव, बिहार सरकार ने एक अंतरिम उत्तर प्रस्तुत किया जिस पर आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है।

* * * * *

अध्याय 9

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के अधिकार

9.1 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को आधिकारिक तौर पर समाज के ऐतिहासिक रुप से कमजोर वर्ग के रुप में नामोदि्दष्ट किया गया है। इन कमजोर वर्गों को दमन से बचाने के लिए भारत के संविधान में इनके उन्नयन तथा समाज मे प्रगामी वापसी हेतु आरक्षण का प्रावधान किया गया। देश भर में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए संविधान में संरक्षी व्यवस्था की गई।

9.2 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अपनी स्थापना के समय से ही अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदायों के विकास की दिशा में सक्रिय रुप से सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ा रहा है। सदियों से व्याप्त असमानताओं को दूर करने के लिए आयोग ने भेदभावपूर्ण कृत्यों/प्रथाओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए भी ठोस सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्षों, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पदेन अधिकारी भी हैं, से भी आयोग को बहुमूल्य योगदान मिलता रहता है।

9.3 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने पिछले कई वर्षों के दौरान हमारे समाज में अभी भी प्रचलित अस्पर्शयता से लेकर अल्पसंख्यकों के सुव्यवस्थित बहिष्कार जैसे मामलों की जांच की है। आयोग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के तहत आने वाली शिकायतों में मुख्यतः उंची जाति द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को प्रताड़ित करने, शिकायतकर्ता द्वारा तत्काल कार्रवाई करने के जवाब में पुलिस के उदासीन रहने की प्रवृत्ति होती है।

9.4 आयोग, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राईट्स एक्ट, 1955 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन की दिशा में राज्यों द्वारा किए जा रहे अनुपालन की मॉनीटरिंग करने में अग्रसक्रिय रहा है। आयोग के अन्वेषण प्रभाग को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दायर किए गए मामलों का अन्वेषण करने की जिम्मेदारी दी गई है। आयोग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अनुसार मुआवजे से संबंधित मामले, पुलिस की भूमिका तथा भेदभाव के पीड़ितों के राहत एवं पुनर्वास के संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों एवं अधिसूचनाओं के मूल्यांकन आदि से संबंधित मामलों को नियमित रुप से देखता है।

9.5 आयोग, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों या समाज के अन्य कमजोर वर्गों के मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों का स्वतः संज्ञान भी लेता है। आयोग द्वारा समय–समय पर आयोजित किए जाने वाली कार्यशालाओं एवं सेमिनारों का लक्ष्य भारतीय दांडिक न्याय प्रणाली के सभी स्तंभों को कमजोर वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा के प्रति सुग्राही बनाना है।

क. दलितों के प्रति होने वाले अत्याचार संबंधी अध्ययन : तमिलनाडु में विशेष न्यायालयों के कार्यनिष्पादन संबंधी एक अनुभवाश्रित अध्ययन

9.6 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने जुलाई, 2014 में अन्नामलाई यूनीवर्सिटी, तमिलनाडु के साथ मिलकर उपरोक्त अनुसंधान अध्ययन किया था। अध्ययन का मुख्य लक्ष्य – तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों के खिलाफ बढ़ रहे अत्याचारों के कारणों का पता लगाना; पुलिस स्टेशनों में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने में विलम्ब के कारणों का पता लगाना;अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज मामलों में न्यायालयों द्वारा निर्णय दिए जाने में लगने वाले औसत समय का पता लगाना था। अध्ययन की अवधि दो वर्ष थी।

ख. बंधुआ मजदूरी प्रणाली

9.7 रिट याचिका (सिविल सं0 3922) 1985 के संबंध में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11 नवम्बर, 1997 के निर्देशों के अनुसरण में आयोग, देश में बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के कार्यान्वयन को मॉनीटर करने के कार्य को जारी रखे हुए है। आयोग, राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों से एक निर्धारित प्रारुप में अर्ध–वार्षिक आधार पर जानकारी– जो बंधुआ मजदूरों की पहचान, रिहाई और पुनर्वास पर केन्द्रित होती है– मंगवाते हुए ऐसा करता है।

9.8 पुनरीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग को बंधुआ मजदूरों की पहचान, रिहाई तथा पुनर्वास के संबंध में एक निर्धारित प्रारुप में छमाही जानकारी मिलना जारी रहा। सोलह राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों ने आयोग द्वारा निर्धारित प्रारुप में अपेक्षित छमाही रिपोर्टें प्रस्तुत की।

ग. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बंधुआ मजदूरी कोर ग्रुप की बैठक

9.9 आयोग में एक बंधुआ मजदूरी कोर ग्रुप भी है जो आयोग को समय–समय पर बंधुआ मजदूरी संबंधी भिन्न–भिन्न मामलों पर सुझाव देता है। बंधुआ मजदूरी कोर ग्रुप की पिछली बैठक आयोग में दिनांक 28 जनवरी, 2015 को हुई थी। बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) नियम, 1976 में संशोधन करके उसे सुदृढ़ बनाने के तरीकों पर विचार–विमर्श करना ही इस बैठक मुख्य एजेंडा था। बैठक के दौरान निम्नलिखित सुझावों पर सहमति बनी:

(i) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रणाली को पूरा करने और मामले के संबंध में तर्कसंगत निर्णय देने के लिए समय–सीमा नियत की जाए।

(ii) जिला मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित समय–सीमा के अंदर जांच पूरी की जाए।

(iii) पणधारियों की जिम्मेदारियों को स्पष्टतः परिभाषित किया जाए और उन्हें प्रभावी कार्यान्वयन एवं मॉनीटरिंग के लिए निर्धारित किया जाए।

(iv) बंधुआ मजदूरों की जांच एवं पुनर्वास प्रक्रिया में गैर सरकारी संगठनों को शामिल किया जाए।

(v) अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, राज्य विभागों तथा अन्य पणधारियों को सुग्राही बनाने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को एन0सी0पी0सी0आर0/राज्य मानव अधिकार आयोगों/गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से वर्ष में कम से तीन कार्यशालाएं आयोजित करनी चाहिए।

घ. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा निपटाए गए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर समूहों से संबंधित दृष्टांत मामले

1. जिला धेनकनल, ओडिशा में ओल्ड एज पेंशन से संबंधित निधियों का अपाहरण (मामला संख्या 2041/18/4/2014)

9.10 श्री सुभाष महापात्रा की शिकायत जिसमें उन्होने हिन्दोल अधिसूचित क्षेत्र परिषद, धेनकनल, ओडिशा के 109 लाभार्थियों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि के दुरुपयोग का उल्लेख किया है, के संबंध में एक मामला दर्ज किया गया। आयोग ने दिनांक 6 मई, 2014 को मामले का संज्ञान लिया और धेनकनल के जिला मजिस्ट्रेट को इस मामले में की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया। धेनकनल के जिला मजिस्ट्रेट ने सूचना दी कि इस मामले में जांच–पड़ताल की गई और उसमें पता चला कि अक्टूबर, 2013 से जनवरी, 2014 की अवधि के बीच 109 लाभार्थियों को 1400/–रु0 (प्रत्येक को) की दर से ओल्ड एज पेंशन की राशि देय थी किन्तु उन्हें केवल 900/–रु0 (प्रत्येक को) का भुगतान किया गया अर्थात 500/–रु0 का अपाहरण हुआ। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि इन 109 लाभार्थियों के ओल्ड एज पेंशन खाते हिन्दोल अधिसूचित क्षेत्र परिषद के कार्यकारी अधिकारी तथा अध्यक्ष के संरक्षण में रखे जाते थे और जब लाभार्थियों को उनकी ओल्ड एज पेंशन का भुगतान किया जाता था तो वे कुल राशि में से 500/–रु0 का गबन कर लेते थे। धेनकनल के जिला मजिस्ट्रेट ने सूचित किया कि हिन्दोल अधिसूचित क्षेत्र परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री मानस रंजन भोई के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई और हिन्दोल अधिसूचित क्षेत्र परिषद के संबंधित अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। मामले के तथ्यों से यह फौजदारी अपराध स्पष्ट होता है। धेनकनल के जिला मजिस्ट्रेट को निदेश दिया गया कि वे इस संबंध में स्थानीय पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराएं ताकि इस मामले में एक आपराधिक मामला दर्ज किया जा सके और उसकी जांच–पड़ताल की जा सके और कोई तर्कसंगत निर्णय लिया जा सके।

9.11 चूंकि कुछ लाभार्थियों जिन्हें उनकी पेंशन का कुछ भाग नहीं दिया गया था जनजाति समुदाय से थे इसलिए प्रथम सूचना रिपोर्ट में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 4 को समाविष्ट करने का निदेश दिया गया। धेनकनल के जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त रिपोर्ट के अध्ययन से पता चला कि श्री मानस रंजन भोई के खिलाफ लगे आरोपों के बारे में राजस्व विभाग को सूचित कर दिया गया है। तथापि, यह बताया गया कि उसके खिलाफ चार्जशीट जारी करना अभी बाकी है। चूंकि श्री मानस रंजन भोई के खिलाफ लगे आरोप बहुत गंभीर थे इसलिए उन्हें निलंबित किया जाए या नहीं इसके बारे में प्रधान सचिव, राजस्व द्वारा विचार किया जाएगा। वृद्ध लोगों को

उनकी ओल्ड एज पेंशन का कुछ अवधि के लिए भी भुगतान न करना उनके जीवन के अधिकार तथा गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन है। अतः ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव को मानव अधिकार संरक्षण विधेयक, 1993 की धारा 18 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करने का स्पष्ट मामला बनता है कि उन 109 वृद्ध लाभार्थियों जिन्हें अक्टूबर, 2013 से जनवरी, 2014 तक उनकी पेंशन के कुछ भाग का भुगतान नहीं किया गया था, को मौद्रिक राहत का भुगतान क्यों न किया जाए।

9.12 आयोग के निर्देशों के अनुसरण में अपर सचिव, राजस्व तथा जिला मजिस्ट्रेट ने दिनांक 11 फरवरी, 2015 के पत्राचार के माध्यम से बताया कि जिन 109 लाभार्थियों ने शिकायत की थी उन्हें उनकी देय पेंशन का भुगतान कर दिया गया है। आयोग ने दिनांक 9 जुलाई, 2014 को मामले पर आगे विचार किया जिसमें आयोग ने यह प्रेक्षण किया कि ....

2. ओडिशा में महीचापल्ली, राजनगर तथा केन्द्रपारा के सेल्फ हेल्प ग्रुप के सचिव द्वारा आत्महत्या (मामला संख्या 119/18/27/2011)

9.13 श्री तपन समाल, महासचिव, अम्बेडकर–लोहिया विचार मंच ने आरोप लगाया कि केन्द्रपारा के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रताड़ित किए जाने और दुर्व्यवहार किए जाने के कारण महीचापल्ली, राजनगर तथा केन्द्रपारा के सेल्फ हैल्प ग्रुप के सचिव ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने आगे यह आरोप भी लगाया कि जिला मजिस्ट्रेट ने महीचापल्ली के उच्च जाति के उन दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जिन्होंने बच्चों तथा अन्यों को मिड–डे–मील का बहिष्कार करने के लिए उकसाया था क्योंकि भोजन सैल्फ हैल्प ग्रुप जिसमें दलित जाति के लोग शामिल हैं, के सहयोग से बनाया जा रहा था। आयोग ने दिनांक 25 फरवरी, 2011 को मामले का संज्ञान लिया और ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव को इस मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक नोटिस जारी किया।

9.14 इस मामले निम्नलिखित मुद्दे शामिल थे : सबसे पहले, ग्राम सीधा मरीचानी में मिड–डे–मील स्कीम बाधित थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ग्राम की शिक्षा समिति के एक सदस्य निरंजन प्रधान ने सभी विद्यार्थियों एवं अध्यापकों को स्कूल के परिसर से बाहर निकाल दिया और स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया और कहा कि जब तक दलित द्वारा भोजन बनाया जाएगा, स्कूल में पढ़ने वाले उंची जाति के बच्चे भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। परिणामस्वरुप, भोजन बनाने वाली दलित महिला के स्थान पर उंची जाति की महिला आ गई। निरंजन प्रधान के उपरोक्त आपराधिक व्यवहार के संबंध में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 342/294/506 के तहत दिनांक 22 जनवरी, 2010 को एक आपराधिक मुकदमा दायर किया गया। इस मामले के संबंध में चार्जशीट भी जारी की गई थी। बाद में निरंजन प्रधान की जमानत हो जाने के बाद वो दोबारा स्कूल गया और उंची जाति के विद्यार्थियों को खाना बनाने वाली दलित महिला के खिलाफ उकसाया। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(ii) के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 294/506/34 के तहत निरंजन प्रधान के खिलाफ दिनांक 10 मार्च, 2010 को एक और एफ0आई0आर0 संख्या 20/10 लिखी

गई। इस मामले में भी चार्जशीट जारी की गई। चार्जशीट दायर करने पर जिला मजिस्ट्रेट, केन्द्रपा द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार दोनों मामलों के पीड़ितों को 6250/–रु0 (प्रत्येक को) प्रदान किए गए।

जिला मजिस्ट्रेट का ध्यान संशोधित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 की तरफ आकर्षित किया गया। संशोधित नियमों के अनुसार – अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 की धारा 3(1)(ii) के अधीन किए गए अपराधों से संबंधित मामलों में पीड़ित को 60,000/–रु0 या इससे अधिक (अपराध की प्रवृत्ति एवं गंभीरता पर निर्भर) राशि का भुगतान किया जा सकता है और जिसके 25 प्रतिशत का भुगतान चार्जशीट दायर करने के समय किया जाएगा। इसलिए दृष्टांत मामले में पहले भुगतान की गई राशि अर्थात 6250/–रु0 तथा देय राशि अर्थात 15000/–रु0 का अंतर पीड़ितों को देय था। केन्द्रपारा के जिला मजिस्ट्रेट को निदेश दिया गया कि वो इस राशि को स्वीकृत करें और पीड़ितों का उसका भुगतान करें।

9.15 दूसरा, दृष्टांत मामले में सरस्वती सेठी की आत्महत्या के संबंध में अप्राकृतिक मृत्यु का मामला पंजीकृत है। यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने इसलिए आत्महत्या की क्योंकि एक दलित महिला होने के कारण उनका अपमान किया गया था। इस पहलू पर केन्द्रपारा के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि उनकी आत्महत्या और एक दलित होने के कारण उनके तथाकथित अपमान के बीच में कोई संबंध नहीं पाया गया और इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। इस मुद्दे पर ओडिशा सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग के सचिव ने कहा कि इस मामले में राजस्व मंडलीय अधिकारी, केन्द्रीय प्रभाग द्वारा जांच की गई थी। वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि सरस्वती सेठी की आत्महत्या और उनके तथाकथित अपमान के बीच कोई तात्कालिक संबंध नहीं था। तीसरा, राज्य सरकार द्वारा आयोग को उपलब्ध कराई गई ए0डी0जी0, एच.आर.पी.सी. की रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। ए0डी0जी0, एच.आर.पी.सी. द्वारा की गई सिफारिशों के अध्ययन ने दर्शाया कि उनकी एक सिफारिश ''उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरु की जाए जो भोजन बनाने वाले दलित व्यक्ति को और सैल्फ हैल्प ग्रुप के सदस्यों को प्रताड़ित कर रहे हैं'' से संबंधित थी। ए0डी0जी0, एच.आर.पी.सी. को सुझाव दिया गया कि वे मामले की जांच करें और इस सिफारिश के संबंध मे की गई कार्रवाई के बारे में एक रिपोर्ट भेजें। आयोग ने ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव को निदेश दिया कि वे शिकायतकर्ता श्री तपन समाल द्वारा दिनांक 15 अगस्त, 2011 को प्रस्तुत की गई लिखित टिप्पणियों पर तत्काल ही एक रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। निदेश के अनुसरण में दिनांक 18 अप्रैल, 2015 को ए0डी0जी0, एच.आर.पी.सी. से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई। तथापि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग के मुख्य सचिव एवं सचिव की रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

3. जिला जयपुर के सालीजंग ग्राम पंचायत के बलिआपाल राजस्व ग्राम के तहत साहूपाड़ा तथा माझीसाही जैसे छोटे गांवो के अनुसूचित जाति के परिवारों को सुरक्षित पेयजल की अनुपलब्धता (मामला संख्या 1859/18/24/2014)

9.16 श्री सुभाष महापात्रा की शिकायत पर एक मामला दर्ज किया गया। यह मामला जिला जयपुर के सालीजंग ग्राम पंचायत के बलिआपाल राजस्व ग्राम के तहत साहूपाड़ा तथा माझीसाही जैसे छोटे गांवो के अनुसूचित जाति के लगभग 150 परिवारों को सुरक्षित पेयजल न दिए जाने से संबंधित है। इन दोनों गांवों के निवासियों के अनुसार उनकी पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए तीन ट्यूबवैल पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए उन्होंने अपने गांवों के लिए एक और ट्यूबवैल की मांग की है। आयोग दिनांक 13 मई, 2014 को मामले का संज्ञान लिया और जयपुर के जिला मजिस्ट्रेट को इस मामले में की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया। भुवनेश्वर में आयोजित हुई आयोग की शिविर बैठक में भी इस मामले को उठाया गया। जयपुर के एस0डी0एम0 जो इस शिविर बैठक में उपस्थित थे, ने कहा कि गांव वालों की मांग को जिला प्रशासन द्वारा स्वीकार कर लिया गया और जिला समाहर्ता द्वारा चौथा ट्यूबवैल स्वीकृत कर दिया गया और वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया और ट्यूबवैल लगाने का कार्य थोड़ी सी अवधि में पूरा हो जाएगा। एस0डी0एम0, जयपुर को निदेश दिया गया कि वे ट्यूबवैल लगाने के कार्य को सुनिश्चित करें और इस मामले में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। निदेशों के अनुसरण में जयपुर के समाहर्ता और जिला मजिस्ट्रेट ने दिनांक 19 फरवरी, 2015 के पत्राचार के माध्यम से एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जिस पर वर्तमान में आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है।

4. छत्तीसगढ़ के जिला कोरबा के घुंघुटी गांव में दो जनजातीय परिवारों का सामाजिक बहिष्कार (मामला संख्या 307/33/10/2014)

9.17 आयोग ने दिनांक 30 अप्रैल, 2014 के एक हिन्दी दैनिक 'नई दुनिया' में 'पंचायत का तालिबानी फरमान, दो आदिवासी परिवारों का बहिष्कार' शीर्षक से प्रकाशित खबर का स्वतः संज्ञान लिया। रिपोर्ट के अनुसार, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के ग्राम घुंघुटी (उर्फ रामपुर) के दो परिवार पंचायत के फरमान के अनुसरण में पिछले चौदह महीनों से सामाजिक बहिष्कार का सामना कर रहे हैं। सरपंच तथा ग्राम पंचायत के दबंग लोगों द्वारा गांव के लोगों को इन दो परिवारों के सदस्यों से बात न करने तक का प्रतिबंध लगाया गया है। ग्राम में गांद जाति के लगभग 18 परिवार हैं तथा श्रीसिंह मरकम और परमेश्वर मरकम के प्रभावित आदिवासी परिवार भी इसी जाति के हैं। रिपोर्ट में आगे बताया गया कि मामले की सूचना पुलिस को दी गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रभावित परिवारों ने कोरबा के समाहर्ता और पुलिस अधीक्षक से भी बात की। तथापि, यह बताया गया कि एक पुलिस टीम ने दिनांक 15 अप्रैल, 2014 को गांव का दौरा किया लेकिन पुलिस अधिकारियों ने प्रभावित परिवारों के खिलाफ ही आरोप लगाए।

9.18 आयोग ने अपनी दिनांक 5 फरवरी, 2014 की कार्रवाई में छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक से मामले के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी।

9.19 नए रायपुर के अपर पुलिस महानिदेशक ने अपने दिनांक 12 जून, 2012 के पत्राचार के माध्यम से बताया कि श्रीसिंह मरकम की शिकायत के आधार पर पुलिस चौकी हरदीबाजार में भारतीय दंड संहिता की धारा 294/500/384/34 के तहत मामला संख्या 112/14 दर्ज किया गया। तथापि, कोई

गिरफ्तारी नहीं की गई क्योंकि दोनो पक्ष अनुसूचित जाति समुदाय के थे और कोरबा जिले के पुलिस स्टेशन कसमंदा, ग्राम धोरा बाथा के रहने वाले थे।

9.20 छत्तीसगढ़ सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के उप–सचिव ने भी दिनांक 20 जून, 2014 को कोरबा के समाहर्ता की रिपोर्ट अग्रेषित की जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि मामले की जांच एस0डी0पी0ओ0, काटगोरहा द्वारा की गई थी। एस0डी0पी0ओ0 ने बताया कि सामाजिक बहिष्कार के पीड़ित श्रीसिंह मरकम, परमेश्वर जगत और श्री श्यामलाल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आंगनवाड़ी सेवा, शिक्षा या सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा आदि जैसी किसी भी सरकारी सुविधा से वंचित नहीं रहे। आगे यह भी बताया गया कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर उनकी आवाजाही के संबंध मे कोई प्रतिबंध नहीं था और एस0डी0पी0ओ0 ने मामले में समझौता करवाया और गांव के लोग शांति और सांप्रदायिक सद्भाव के साथ रह रहे हैं।

9.21 चूंकि प्रभावित व्यक्ति तथा सरपंच एक ही जाति के हैं और काटगोरहा के एस0डी0पी0ओ0 ने शांतिपूर्वक समझौता करवा दिया था। आयोग ने अपनी दिनांक 5 जनवरी, 2015 की कार्रवाई में प्रेक्षण किया कि इस मामले में आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और मामले को बंद कर दिया।

5. पंजाब के संगरुर जिला के मूनक उप–मंडल के ग्राम बाओपुर में अनुसूचित जाति के 106 परिवारों का सामजिक बहिष्कार (मामला संख्या 563/19/18/2014)

9.22 आयोग के समक्ष दिनांक 30 मई, 2014 के 'दि ट्रिब्यून' में 'मूनक के दलितों ने सामाजिक बहिष्कार का आरोप लगाया' शीर्षक से प्रकाशित खबर आई। प्रेस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि पंजाब के संगरुर जिले के मूनक उप–मंडल के गांव बाओपुर में रहने वाले 15 दलित दिनांक 15 मई, 2014 से उंची जाति द्वारा किए गए सामाजिक बहिष्कार को झेल रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार गांव में लगभग 106 अनुसूचित जाति के परिवार रहते हैं और उंची जाति के लोग उस दिन से इनका सामाजिक बहिष्कार कर रहे हैं जबसे इन्होंने अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 26 एकड़ पंचायत भूमि पर खेती करने का निर्णय लिया। इस भूमि पर उंची जाति के लोगों द्वारा दलितों के नाम पर बोली लगाकर अनुबंध आधार पर खेती की जाती थी।

9.23 मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने अपनी दिनांक 11 जून, 2014 की कार्रवाई में पंजाब सरकार के मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब की।

9.24 पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक ने रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि विवाद का समाधान हो गया है और दिनांक 3 जुलाई, 2014 को बोली लगाई गई तथा भूमि को 25000/–रु0 प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से खेती के लिए अनुसूचित जाति के समुदाय के लोगों को दे दिया गया है।

9.25 उपरोक्त रिपोर्ट के माध्यम से यह सूचना प्राप्त होने पर कि अनुसूचित जातियों एवं उंची जाति के समुदायों के बीच के विवाद का समाधान हो गया है और आगे किसी परिवार का सामाजिक बहिष्कार नहीं होगा, आयोग ने अपनी दिनांक 27 नवम्बर, 2014 की कार्रवाई में मामले को बंद कर दिया।

6. आंध्र प्रदेश में पादरी रेव. बी. सजीवुलू, विकाराबाद, रंगारेड्डी की हत्या और इसाईयों पर अन्य अत्याचार (मामला संख्या 157/1/18/2014)

9.26 आंध्र प्रदेश फेडरेशन ऑफ चर्च की तरफ से आंध्र प्रदेश में पादरी रेव. बी. सजीवुलू, विकाराबाद, रंगारेड्डी की नृशंस हत्या तथा इसाईयों पर होने वाले अत्याचार के बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई। आंध्र प्रदेश फेडरेशन ऑफ चर्च ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दोनों की राज्य सरकारों से इसाईयों के जीवन तथा उनके मानव अधिकारों की सुरक्षा करने का अनुरोध किया।

9.27 आयोग ने मामले का अध्ययन किया और यह पाया कि अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक रुप से दिए जाने वाले गारंटीपूर्वक मौलिक अधिकार हैं तथा इन्हें बाधित करने या मना करना भारत के संविधान लक्ष्यों एवं सिद्धांतों के खिलाफ है। राज्य, इस अधिकार को सवंर्धित एवं सुरक्षित रखने के लिए हर आवश्यक कदम उठाने के लिए बाध्य है। आयोग ने इस मामले में की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव के साथ–साथ तेलंगाना सरकार के मुख्य सचिव को भी निदेश दिया।

7. वसंत कुंज, नई दिल्ली में सेंट अलफोन्जा चर्च पर हमला (मामला संख्या 512/30/8/2015)

9.28 आयोग के समक्ष दिनांक 2 फरवरी, 2015 की सुबह वंसत कुंज, नई दिल्ली में स्थित सेंट अलफोन्जा चर्च के दरवाजे तोड़ने और कैथॉलिक चर्च के सदस्यों के लिए पवित्र वस्तुओं सहित पूजा स्थल को अपवित्र करने संबंधी मीडिया रिपोर्ट आई। श्री मनोज वी0 जार्ज, अधिवक्ता ने आयोग को दूरभाष पर सूचित किया कि फादर विन्सेंट साल्वाटोर, पैरिश प्रीस्ट द्वारा एक औपचारित लिखित शिकायत करने के बावजूद भी पुलिस एक यथोचित एफ.आई.आर. रजिस्टर करने या प्रभावी जांच–पड़ताल करने जैसी कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं कर रही है।

9.29 मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य न्यायविद श्री सिरियक जोसेफ ने स्थानीय पुलिस को जानकारी देने के बाद श्री पुपुल दत्त प्रसाद, एस0एस0पी0, अन्वेषण विभाग तथा श्री महाबीर सिंह, प्रधान निजी सचिव के साथ चर्च का दौरा किया। उस समय ए0सी0पी0 श्रीमती उषा रंगनानी और एस0एच0ओ0 श्री वीरेन्द्र सिंह सजवांण भी चर्च के परिसर में मौजूद थे। श्री मनोज वी0 जार्ज, फादर विन्सेंट सालवातोर तथा चर्च के कुछ अन्य सदस्य भी मौजूद थे। फादर विन्सेंट सालवातोर ने चर्च को हुए नुकसान की प्रवृत्ति तथा परिमाण का ब्यौरा दिया।

9.30 ए0सी0पी0 श्रीमती उषा रंगनानी और एस0एच0ओ0 वीरेन्द्र सिंह सजवांण ने आयोग को सूचित किया कि घटना के बारे में दूरभाष पर जानकारी प्राप्त होने के बाद पुलिस तत्काल ही घटना स्थल पर

पहुंची और फॉरेन्सिक विशेषज्ञों की मदद से फॉरेन्सिक साक्ष्य एकत्रित करने की कार्रवाई सहित हर प्रकार के आवश्यक कदम उठाए। ए0सी0पी0 ने यह स्वीकार किया कि स्टेशन हाउस ऑफिसर को फादर विन्सेंट सालवातोर की तरफ से लिखित शिकायत प्राप्त हुई थी और एफ0आई0आर0 रजिस्टर करने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने इस बात का खंडन किया कि इस अपराध को चोरी या डकैती के रुप में दर्शाने वाली एक एफ0आई0आर0 पहले ही रजिस्टर की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त उन्होंने इस बात का भी खंडन किया कि इस घटना को दबाने का प्रयास किया गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि दिनांक 2 फरवरी, 2015 की लिखित शिकायत के आधार पर और पुलिस द्वारा रिकार्ड किए गए फादर विन्सेंट सालवातोर के बयान के आलोक में एफ0आई0आर0 रजिस्टर की जाएगी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि पुलिस की ओर से कोई उदासीनता नहीं थी और यह कि कानून के अनुसरण में सख्त तरीके से जांच की जाएगी।

9.31 चर्च का दौरा करने के बाद न्यायविद श्री सिरियक जोसेफ, सदस्य ने निम्नलिखित प्रेक्षण किए :

> *''चूंकि यह घटना इसाई चर्च का दरवाजा तोड़ने और चर्च के मानने वालों की पवित्र वस्तुओं एवं पूजा स्थल को अपवित्र करने से संबंधित है, और क्योंकि यह घटना एक विशेष धर्म का अपमान करने और धार्मिक भावनाओं को भड़काने और उनकी धार्मिक भावनाओं का अपमान करने से जुड़ी है और क्योंकि यह घटना धर्म के आधार पर द्वेष, शत्रुता, ईर्ष्या और दुर्भावना को बढ़ावा दे सकती है, इस मामले में मानव अधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा शामिल है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुलिस द्वारा त्वरित, प्रभावी तथा निष्पक्ष जांच की जाए और धार्मिक अल्पसंख्यकों में विश्वास तथा सुरक्षा की भावना बहाल करने के लिए दोषियों को जल्दी से जल्दी सजा दी जाए और उनके धर्म के अधिकार की रक्षा हो सके – आयोग का हस्तक्षेप आवश्यक है।''*

9.32 आयोग ने अपनी दिनांक 2 फरवरी, 2015 की कार्रवाई के दौरान सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार; मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली को नोटिस जारी करते हुए उनसे इस मामलें में जांच की स्थिति सहित एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा।

9.33 अपनी दिनांक 2 मार्च, 2015 की कार्रवाई के माध्यम से सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार; मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली को दिनांक 17 मार्च, 2015 को आयोग द्वारा मांगी गई रिपोर्ट के साथ आयोग के समक्ष प्रस्तुत होने के कंडीशनल सम्मन भी जारी किए गए।

9.34 आयोग ने दिनांक 17 मार्च, 2015 को मामले पर विचार किया जिसमें यह नोट किया गया कि अवर सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार; अपर पुलिस आयुक्त, सतर्कता, दिल्ली तथा उप–सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त रिपोर्टें संतोषजनक नहीं थीं। इन परिस्थितियों में आयोग

ने पुलिस आयुक्त, दिल्ली से अनुरोध किया कि वे दिनांक 30 मार्च, 2015 को प्रातः 11:00 बजे विचार–विमर्श हेतु व्यक्तिगत रुप से उपस्थित हों।

9.35 दिनांक 30 मार्च, 2015 को पुलिस आयुक्त ने श्री प्रेमनाथ को दक्षिणी जिला, दिल्ली का पुलिस उपायुक्त तैनात किया। उन्होंने कहा कि दक्षिणी दिल्ली के विभिन्न चर्चों/स्कूलों तथा अस्पतालों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं तथा ऐसे 60 प्रतिशत संस्थानों में सी0सी0टी0वी0 कैमरे भी लगाए जा चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दिन और रात, दोनों समय पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए और इन क्षेत्रों में निगरानी के लिए पी0सी0आर0 वाहन एवं मोटरसाईकिलें भी तैनात की गईं। तथापि, श्री प्रेमनाथ दिल्ली के अन्य जिलों में चर्चों में हुई तोड़फोड़ के बारे में स्पष्टीकरण नहीं दे पाए।

9.36 मामले की संगीनता तथा विभिन्न चर्चों में ऐसी घटनाओं के होने पर विचार करते हुए आयोग को लगा कि दिल्ली पुलिस आयुक्त के साथ बातचीत करना आवश्यक है। अतः आयोग ने एक बार फिर पुलिस आयुक्त, दिल्ली को दिनांक 5 मई, 2015 को प्रातः 11:00 बजे आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होने का निदेश दिया ताकि निम्नलिखित के विषय में पुलिस के विभिन्न उपायुक्तों के साथ विचार–विमर्श करके विस्तृत स्पष्टीकरण दिया जा सके : –

(i) दिल्ली में विभिन्न चर्चों के सदस्यों द्वारा पवित्र माने जाने वाली वस्तुओं तथा पूजा स्थलों को अपवित्र/तोड़फोड़ करने में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(ii) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए विभाग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं।

9.37 आयोग अभी मामले पर विचार कर रहा है।

8. तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले के पोन्नेरी मंडल में एस0डी0एम0 तथा आर0डी0ओ0 द्वारा 13 मजदूरों का पुनर्वास
(मामला संख्या 2840/18/30/2012–बी.एल.)

9.38 कुलवंत सिंह नागरा की शिकायत पर तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले के पोन्नेरी मंडल के एस0डी0एम0 तथा आर0डी0ओ0 द्वारा छः परिवारों के 13 मजदूरों को दिनांक 29 अप्रैल, 2011 को तमिलनाडु के जिला तिरुवल्लूर के पोन्नेरी तालुक के पंडावक्कम गांव के एस0एल0जी0 ईंट भट्टा मालिक के बंधत्व से रिहा कराया गया।

9.39 आयोग के निर्देशों के अनुसरण में रिहा कराए गए ओडिशा के जिला नौपद के सभी 13 मजदूरों को उनके समग्र पुनर्वास के प्रयोजनार्थ सरकार की विभिन्न स्कीमों के तहत अन्य सहायता एवं सुविधाओं के साथ–साथ पुनर्वास अनुदान का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त *मोकुदिआ* स्कीम के तहत बंधुआ मजदूरों के परिवारों को उनके घर के निर्माण के लिए 48,500/–रु0 की राशि स्वीकृत की गई। इसके साथ–साथ सभी बंधुआ मजदूरों के परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कवर किया गया और परिवारों के मुखिया को एन0आर0ई0जी0एस0 के तहत 100 दिन के लिए रोजगार कार्ड

जारी किया गया। नौपद के समाहर्ता एवं जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के अनुसार ओडिशा के जिला बोलंगीर के कांताबान्जी के गोविन्द तांडी के खिलाफ मजदूरों की अवैध भर्ती करने के संबंध में कानूनी कार्रवाई भी आरंभ की गई।

9.40 आयोग के निर्देशों के अनुसरण में जिला आदि द्रविदर तथा जनजातीय कल्याण अधिकारी, तिरुवल्लूर को सूचित किया गया कि पोन्नेरी के तहसीलदार की शिकायत पर बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 की धारा 16/18 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(iv) के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 374/323 के तहत दिनांक 27 अप्रैल, 2011 को एस0एल0जी0 ईंट भट्टा मालिक के खिलाफ पुलिस स्टेशन अरानी में मामला संख्या 51/2011 दर्ज किया गया।

9.41 आयोग ने अपनी दिनांक 9 जुलाई, 2014 की कार्रवाई के दौरान मामले पर विचार करते हुए प्रेक्षण किया और निम्नानुसार निदेश दिया :

> *"उपरोक्त रिपोर्टों के परिप्रेक्ष्य में यह दर्शाया गया है कि रिहा कराए गए सभी बंधुआ मजदूरों का कानून के अनुसार पुनर्वास किया गया और बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 और अन्य कानूनों का उल्लंघन करने के लिए ईंट के भट्टे के मालिक के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई। कोई भावी कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। मामले कों बंद किया जाता है। "*

9. तमिलनाडु के जिला तिरुपुर ग्राम थेरपट्टी में एक ईंट के भट्टे में बंधुआ मजदूर काम करते हुए पाए गए (मामला संख्या 1011/22/52/2012)

9.42 आयोग को वी0ए0 रमेशनाथन, जो कि एक गैर सरकारी संगठन से जुड़े हुए हैं, से एक शिकातय प्राप्त हुई जिसमें आरोप लगाया गया कि तमिलनाडु के जिला तिरुपुर में ग्राम थेरपट्टी के निकट स्थित यू0एम0आर0 ईंट के भट्टे में काम करने वाले मजदूर, बंधुआ मजदूर थे और पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से वहां काम कर रहे थे। तिरुपुर के जिला मजिस्ट्रेट को इस मामले की जांच करने और आयोग को उसकी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

9.43 आयोग ने चेन्नई में हुई सार्वजनिक सुनवाई में इस मामले को उठाया जिसमें आयोग ने दिनांक 27 अगस्त, 2012 की अपनी कार्रवाई में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नानुसार प्रेक्षण एवं निदेश दिया :–

> *"यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि तिरुपुर के जिला समाहर्ता को बुलाए जाने के बावजूद भी उन्होंने अनुपस्थित रहना पसंद किया और अपने प्रतिनिधि को सही तथ्यों के साथ नहीं भेजा क्योंकि जब कुछ विशेष प्रश्न किए गए तो वह जवाब नहीं दे सके। शिकायतकर्ता ने बंधुआ मजदूरी तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,*

1989 के उपबंधों के उल्लंघन के बारे में बात की लेकिन ऐसा लगता है कि, मजदूरों को न्यूनतम भत्तों का भुगतान किया जा रहा था या नहीं, क्या ईंट के भट्टे का मालिक श्रम विधायन के अनुसार रिकार्ड रख रहा था या नहीं, क्या भत्ता अधिनियम के अनुसार भुगतान किया जा रहा था या नहीं, आदि के बारे में कोई जांच नहीं की गई और जिला समाहर्ता के प्रतिनिधि इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके। जिला मजिस्ट्रेट को बंधुआ मजदूरी (उन्मूलन) अधिनिमय में निहित उपबंधों के तहत ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्तियां प्राप्त हैं जो गरीब मजदूरों का शोषण करते हैं और उन्हें प्रताड़ित करते हैं। किन्तु ऐसा लगता है कि आयोग को जो शिकायत अग्रेषित की गई है उस पर उदासीन कार्रवाई हुई है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में तिरुपुर के जिला मजिस्ट्रेट को चार सप्ताह के अंदर–अंदर विस्तृत उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया जिसके न होने की स्थिति में उन्हें आयोग के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए आयोग द्वारा अनिवार्य प्रक्रिया जारी की जाएगी जिसके लिए वो राज्य सरकार से किसी प्रकार की मौद्रिक सहायता नहीं ले पाएंगे।"

9.44 इसके जवाब में तिरुपुर के राजस्व मंडलीय अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति सहित जिला समाहर्ता से दिनांक 7 सितम्बर, 2012 का एक पत्र प्राप्त हुआ। इसका अध्ययन करने पर पता चला कि लल्लिकावुंदर तथा अन्य लोग जो यू0एम0आर0 चैम्बर, कोलाथुपलयम में काम करते थे, ने पुलिस उपाधीक्षक के पास एक शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच–पड़ताल के बाद गलत तथ्यों के चलते मामले को बंद कर दिया था। यह पता चला कि दिनांक 24 जुलाई, 2012 तथा 14 अगस्त, 2012 को ईंट के भट्टे के चैम्बर का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान 19 लोग वहां कार्य करते हुए पाए गए जिन्होने अपने बयान में कहा कि उन्हें साप्ताहिक आधार पर वेतन दिया जाता था। वे शहर पंचायत के पड़ोस के गांव से आए थे। शिकायतकर्ता भी उपस्थित था और अंत में बताया कि मजदूरों को बंधुआ मजदूरों की तरह नहीं रखा जाता था।

9.45 आयोग ने दिनांक 6 नवम्बर, 2012 को मामले पर आगे विचार करते हुए निम्नानुसार प्रेक्षण किया :

"रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि ईंट भट्टे का मालिक विभिन्न श्रम कानूनों के तहत अधिदेशित नियमों के अनुसार लेखों का रखरखाव कर रहा था या नहीं। यह भी नहीं बताया गया कि क्या मजदूरों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम भत्तों का भुगतान किया जा रहा था या नहीं। मस्टर रोल, किया गया कार्य तथा भुगतान किए गए भत्तों की कोई प्रति संलग्न नहीं की गई।

प्राप्त रिपोर्ट भ्रामक है। संसद ने बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 सहित विभिन्न विधायन अधिनियमित किए हैं। विभिन्न अन्य संविधियां जैसे कि न्यूनतम भत्ते

अधिनियम, 1948; अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989; इंटरस्टेट माईग्रेन्ट वर्कमैन (रेग्युलेशन ऑफ एम्पलॉयमेंट एण्ड कंडीशन्स ऑफ सर्विसिस) अधिनियम, 1979; कान्ट्रेक्ट लेबर (रेग्युलेशन एण्ड एबोलिशन) एक्ट, 1970; बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986; तथा साप्ताहिक अवकाश अधिनियम, 1942 आदि की जांच किए जाने की आवश्यकता है। मजदूरों से संबंधित सभी विधायनों का पूर्ण अनुपालन हो रहा है या नही, यह पता लगाना पूछताछ अधिकारी की ड्यूटी है।

जांच के दौरान अधिनियम की धारा 10 में निहित उपबंधों का गंभीरता से अनुपालन नहीं किया गया। धारा 2 के उप–खंड (छ) में निहित उपबंधों पर भी ध्यान नहीं दिया गया जो बलात या आंशिक रुप से बलात श्रम की ऐसी प्रथा को इंगित करता है जिसमें यह माना जाता है कि मजदूर ने कर्ज देने वाले के साथ एक समझौता किया है कि ली गई अग्रिम राशि या किसी अन्य प्रकार के आर्थिक सहयोग के एवज में वो बिना किसी भत्ते या नाममात्र के भत्ते पर अपनी सेवाएं देगा और वह अपने रोजगार की स्वतंत्रता या आजीविका के अन्य साधन या स्वतंत्रता से आवागमन का अधिकार या अभिव्यक्ति के अधिकार या अपनी किसी संपत्ति या परिवार के किसी सदस्य की संपत्ति को उसे (कर्ज देने वाले को) सौंप देगा। इसमें बलात या आंशिक रुप से बलात श्रम की प्रथा शामिल है और पूर्वकल्पना अपेक्षित है ।

धारा 2 के उपखंड में ''नाममात्र भत्ते'' को परिभाषित किया गया है। यदि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम भत्तों से कम भत्तों का भुगतान किया गया है तो इसके उपबंध लागू होंगे। अधिकारी को उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे में पता होना चाहिए जिसमें 'बंधुआ मजदूरी प्रथा' की वृहत, उदार एवं विस्तृत व्याख्या दी गई है। व्याख्या के अनुसार कर्ज देने वाला/कर्ज लेने वाला के संबंधों में ऋण/उधार/अग्रिम को एक सीमा से आगे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के तथ्यों का अनुमान लगाया जाता है या मान लिया जाता है। यह एक तथ्य है कि कर्ज देने वाला और कर्ज देने वाला, समाज के दो पूर्णतः विपरीत वर्ग हैं। परम्परागत रुप से कर्ज लेने वाला गरीब, संसाधनहीन और सुरक्षा की आवश्यकता में होता है जबकि कर्ज देने वाला अमीर, सम्पन्न तथा प्रबल होता है। अतः इनका संबंध असमान विनिमय संबंध है। यदि कर्ज लेने वाला बिना किसी भत्ते के या नाममात्र के भत्ते के कर्ज देने वाले को अपनी सेवाएं देता है तो यह मान लिया जाता है कि वो ऐसा धर्मांध के कारण नहीं कर रहा है बल्कि किसी आर्थिक मदद के एवज में कर रहा है। इसी कारण से ऋण/उधार/अग्रिम को एक सीमा से आगे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 में निहित उपबंधों पर भी अधिकारियों का ध्यान नहीं गया। यदि पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है फिर भी व्यक्ति द्वारा श्रम के रुप में दी गई सेवाएं अनुच्छेद 23 के अधीन हैं यदि यह बलात श्रम है अर्थात सेवाएं किसी बल या बाध्यता के

कारण दी गई हैं। अनुच्छेद 23 किसी भी प्रकार के बलात श्रम को नामंजूर करता है चाहे कोई व्यक्ति स्वैच्छिक रुप से अपनी सेवाएं या श्रम उपलब्ध कराने का अनुबंध करता हो।

यह नहीं भूलना चाहिए कि इस देश में गरीब लोग जो अशिक्षित हैं या ज्यादातार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं, के पास उसी छोटे–मोटे भुगतान, जो उन्हें दिया जाता है, से जीवन यापन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्हें अपने मालिकों के कहे अनुसार कार्य करना पड़ता है और जो कुछ भुगतान उन्हें दिया जाता है उसे स्वीकार करने के अलावा उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं होता है। बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारियों को गहन जांच–पड़ताल करनी चाहिए कि किन परिस्थितियों में गरीब व्यक्ति ने बाध्य होकर कार्य किया। वह केवल अंतिम विकल्प के रुप में ही शिकायत दर्ज कराएगा। ऐसे मजदूरों की कोई जांच–पड़ताल किए बिना नियोक्ता के कथन को स्वीकार कर लेना कुछ और नहीं बल्कि उन्हें दिए गए कर्तव्यों का उल्लंघन है। यदि नियोक्ता न्यूनतम भत्ता अधिनियम के तहत रखे जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो इस प्रकार की परिकल्पना करना और मजदूरों को बंधुआ मजदूर घोषित करना उनकी ड्यूटी है।

कानून के अनुसार नियोक्ता को उसके द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों का विवरण, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य, उन्हें भुगतान किए जाने वाले भत्ते तथा उसके एवज में उनसे प्राप्त रसीद आदि के रिकार्ड को रखने वाला रजिस्टर रखना चाहिए। जब ईंट के भट्टे का मालिक दावा करता है कि उसने न्यूनतम भत्ते अधिनियम के तहत न्यूनतम भत्ते का भुगतान किया है तो उसे इस बात की पुष्टि करने के लिए कि उसने कानून के अनुसरण में भत्तों का भुगतान किया है, साक्ष्य के रुप में किए गए भुगतान के दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए। इसी प्रयोजन के लिए उसे मस्टर रोल बनाना अपेक्षित है। यदि नियोक्ता, लेखों को प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी यह परिकल्पना कर सकता है कि मजदूरों को बंधुआ मजदूर बना कर रखा जा रहा है।

प्रत्येक नियोक्ता को फॉर्म X में भत्तों का एक रजिस्टर रखना चाहिए। उसे कर्मचारी के पूर्ण विवरण सहित भत्तों की अवधि संबंधी पूरी जानकारी रखनी चाहिए। प्रत्येक नियोक्ता को अपने प्रत्येक कर्मचारी को फॉर्म XI के रुप में भत्ते की स्लिप जारी करनी चाहिए और उसे कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित या अंगूठे का निशान लगवाना चाहिए। रजिस्टर में इन प्रविष्टियों को नियोक्ता द्वारा या उसकी ओर किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। प्रत्येक नियोक्ता को कार्यस्थल पर एक मस्टर रोल रखना चाहिए और उसे फॉर्म IX के रुप में रखना चाहिए और इकाई में नियुक्त किए गए सभी व्यक्तियों की उपस्थिति, कार्य पर आने के तीन दिन के अंदर–अंदर, प्रतिदिन रिकार्ड की जानी चाहिए। आयोग ने यह प्रेक्षण किया कि जिस टीम ने निरीक्षण के लिए ईंट भट्टे का दौरा किया था उसने इस बात की जांच करने की

कोशिश नहीं की कि क्या नियोक्ता ने कानून द्वारा अधिदेशित अपेक्षित रिकार्ड रखे हैं या नहीं। टीम ने इस बात की जांच भी नहीं की कि भत्ते के रजिस्टर में की गई प्रविष्टि तथा भत्ता स्लिप आदि को नियोक्ता या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति ने सत्यापित भी किया था या नहीं। इस प्रकार के रिकार्डों के अभाव में जिला मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य है कि वो यह परिकल्पना करता कि शिकायत में लगाए गए आरोप सत्य हैं और उन्हें बंधुआ मजदूरों की तरह रखा गया।

आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय विशेषतः इंगित किया कि आयोग को सतर्कता समिति की केवल कार्यशीलता को ही रिपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए बल्कि ऐसी समिति के सदस्य/सदस्यों द्वारा ली गई सहायता के बारे में भी कुछ कहा जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1984 में रिपोर्ट किए गए नीरजा चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में इंगित किया कि तहसीलदार, पटवारी आदि जैसे अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा की गई जांच अथवा अन्वेषण पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि या तो ये शोषण करने वाले/शोषित वर्ग के हिमायती होते हैं या फिर इनमें सामाजिक निष्ठा नहीं होती या ये गरीबों एवं वंचित लोगों की पीड़ा एवं परेशानियों से अनभिज्ञ होते हैं। पंचायतों के निजि हित हो सकते हैं और जहां तक उनके कार्य करने का संबंध है, वे बंधुआ मजदूरों की जांच एवं रिहाई के कार्य में ज्यादा प्रभावी नहीं हो सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने तहसीलदार द्वारा की गई जांच और प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के बारे में इंगित किया। उच्चतम न्यायालय ने इंगित किया कि जब कभी भी जिला प्रशासन का कोई अधिकारी, सामाजिक कार्य समूह के किसी प्रतिनिधि द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर बंधुआ मजदूरों की पहचान एवं रिहाई के लिए किसी स्थान पर जाता है तो वह उस प्रतिनिधि को अपने साथ लेकर जाएगा और अपने द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट की एक प्रति उस प्रतिनिधि को तत्काल ही देगा। वर्ष 1984 में दिए गए इस निर्णय के बावजूद भी आज की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। इसलिए जिला मजिस्ट्रेट से सतर्कता समिति के सदस्य या सामाजिक कार्यकर्ता या किसी गैर सरकारी संगठन की सहायता लेने के लिए कहा गया जो मजदूरों से एक मित्र के रुप में बात कर सकें। अगर मजदूर ऐसा महसूस करेंगे कि जांच करने आया व्यक्ति उनका मित्र है तो वे सत्य उजागर कर सकते हैं। अब तक पाया गया है कि मामले में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि आवश्यकता इंगित करने के बावजूद भी जिला मजिस्ट्रेट या उसके प्रतिनिधि ने किसी गैर सरकारी संगठन या सामाजिक कार्यकर्ता या सतर्कता समिति के सदस्य की मदद ली हो। इस प्रकार की स्वतंत्र एजेंसियों की सहायता के बिना तैयार की गई रिपोर्ट पर विश्वास नहीं किया जाएगा।

यदि संबंधित अधिकारी द्वारा तत्काल ही जांच नहीं की जाती है तो यह अधिनियम के उद्देश्यों को निष्फल करना होगा। संविधान का दर्शन, श्रम कल्याण विधायन के अधिनियमन तथा संशोधन में संसद की मंशा तथा उच्चतम न्यायालय की यह व्याख्या कि न्यूनतम भत्तों से

इनकार का अर्थ है बलात् श्रम और भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 का उल्लंघन, अतः बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम के उपबंधो को प्रभावित करता है।

यह स्पष्ट है कि यहा मानव अधिकारों तथा विभिन्न श्रम कल्याण विधायनों का उल्लंघन हुआ है। जो हानि हो चुकी है उसकी भरपाई नहीं हो सकती लेकिन उन्हें बंधुआ मजदूर घोषित करके और उसके बाद सरकार की नीति के अनुसार सर्टिफिकेट जारी करके उनके पुनर्वास द्वारा कुछ प्रतिकार हो सकता है। ''

9.46 प्रत्युत्तर में धारापुरम के एस0डी0एम0 तथा राजस्व मंडलीय अधिकारी से दिनांक 5 मार्च, 2013 को एक पत्र प्राप्त हुआ। उसमें बताया गया कि मजदूरों के नाम रिलीज़ सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं।

9.47 आयोग ने दिनांक 4 अप्रैल, 2013 को मामले पर आगे विचार किया और तमिलनाडु के तिरुपुर जिले के जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला समाहर्ता को नोटिस जारी करने का निदेश दिया कि वे रिहा कराए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में आयोग को सूचित करें।

9.48 इसके जवाब में जिला समाहर्ता, तिरुपुर ने सूचित किया कि रिहा कराए गए प्रत्येक मजदूर को 1000/–रु0 का भुगतान पहले ही किया जा चुका है तथा रिहा किए गए प्रत्येक मजदूर को भुगतान किए जाने के लिए 19000/–रु0 की शेष राशि भी स्वीकृत हो चुकी है। जिला मजिस्ट्रेट ने रिहा कराए गए बंधुआ मजदूरों के परिवारों को उपलब्ध कराए गए विभिन्न कल्याण योजनाओं के लाभ का विवरण प्रस्तुत किया।

9.49 आयोग ने अपनी दिनांक 11 जून, 2014 की कार्रवाई के तहत मामले पर विचार करने के बाद अन्य बातों के साथ–साथ निम्नानुसार प्रेक्षण एवं निदेश दिए :–

''तमिलनाडु के जिला तिरुपुर के समाहर्ता तथा जिला मजिस्ट्रेट ने अपनी दिनांक 9.3.2013 की रिपोर्ट में पहले ही सूचित किया कि तिरुपुर के फैक्टरी के इंस्पेक्टर (सर्किल III) ने तिरुपुर के सी0जे0एम0 के समक्ष दिनांक 28.2.2013 को यू0एम0आर0 ईंट भट्टा मालिक के खिलाफ विभिन्न श्रम कानूनों का उल्लंघन करने तथा अपेक्षित रिकार्ड का रखरखाव न करने की शिकायत दर्ज की। तमिलनाडु के तिरुपुर एवं नागपट्टिनम के डी0एम0 तथा समाहर्ता से प्राप्त उपरोक्त रिपोर्टों के मद्देनजर रिहा कराए गए सभी मजदूरों का पुनर्वास किया गया। श्रम कानूनों का उल्लंघन करने के लिए ईंट भट्टा स्वामी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई।''

10. बिहार में बंधुआ की 'कामिया' प्रथा के तहत बंधुआ मजदूरों का बचाव, रिहाई तथा पुनर्वास (मामला संख्या 4187/4/21/2014–बी0एल0)

9.50 आयोग को एक गैर सरकारी संगठन के सदस्य टोजो जोस से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें आरोप लगाया गया कि बिहार के जिला मधुबनी में बेनीपत्ती उप–मंडल के राजस्व क्षेत्राधिकार में एक

अवैध बंधुआ मजदूरी प्रथा के तहत 38 से अधिक परिवारों का शोषण किया जा रहा है। इन मजदूरों को उनके नियोक्ता द्वारा अपनी कृषि भूमि पर 'कामिया' बंधुआ मजदूरी प्रथा के तहत कार्य करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। मजदूर, कई पीढ़ियों से यहां काम कर रहे हैं। मजदूरों को न्यूनतम भत्तों का भुगतान नहीं किया गया बल्कि उन्हें प्रत्येक को (पति एवं पत्नी) उनके द्वारा किए गए कठिन परिश्रम के लिए प्रतिदिन दो किलोग्राम चावल दिया गया। अधिकांश मजदूर अनुसूचित जाति (मुशाहर) से संबंधित हैं और एक दिन में 10 घंटे से भी अधिक समय तक कार्य करते हैं। ये एक परम्परागत बंधुआ मजदूरी प्रथा में फंसे हुए हैं जिसमें मजदूरों को बाहर जाने या कहीं अन्य कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं होती है।

9.51 आयोग द्वारा दिए गए निदेशों के अनुपालन में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की एक टीम जिसमें संयुक्त रजिस्ट्रार (विधि), सहायक रजिस्ट्रार (विधि), पुलिस उपाधीक्षक तथा इंस्पेक्टर शामिल थे, ने जिला मधुबनी का दौरा किया और दिनांक 22 से 24 जनवरी, 2015 तक स्थल निरीक्षण/जांच की। वापिस आने के बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

9.52 आयोग ने इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम की रिपोर्ट को समग्र रुप से ध्यान में रखते हुए अपनी दिनांक 30 जनवरी, 2015 की कार्रवाई के तहत निम्नानुसार निदेश दिया :

1) *शिकायत में यथाउल्लिखित सभी मजदूरों के संबंध में मधुबनी के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तत्काल ही 'रिलीज सर्टिफिकेट' जारी करना और उसे आयोग को रिटर्न द्वारा अग्रेषित करना।*
2) *जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यह भी सुनिश्चित करना कि पीड़ितों को उनके विगत के भत्तों का भुगतान किया जाए और उन्हें सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत सभी लाभ दिए जाएं तथा कानून के तहत उल्लिखित 20,000/–रु0 की राशि का भुगतान भी बिना समय गंवाए किया जाए।*
3) *जिला मजिस्ट्रेट पीड़ितों की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करेंगे और दोषियों के खिलाफ मामले में कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।*
4) *दिनांक 21.1.2015 तथा 23.1.2015 की याचिकाओं की प्रति के साथ–साथ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम द्वारा प्रस्तुत की गई अंतरिम रिपोर्ट की एक प्रति मधुबनी के जिला मजिस्ट्रेट को; उपमंडलीय मजिस्ट्रेट, बेनीपत्ती, जिला मधुबनी; पुलिस अधीक्षक, मधुबनी तथा श्रम अधीक्षक, मधुबनी, बिहार को अग्रेषित की जाए ताकि वे अपने व्यवहार के बारे में स्पष्टीकरण दे सकें और दो सप्ताह के अंदर–अंदर अपना उत्तर प्रस्तुत करें।*
5) *याचिकाकर्ता से दिनांक 30.1.2015 को प्राप्त शिकायत की भी एक प्रति मधुबनी के जिला मजिस्ट्रेट को; उपमंडलीय मजिस्ट्रेट, बेनीपत्ती, जिला मधुबनी; पुलिस अधीक्षक, मधुबनी तथा*

श्रम अधीक्षक, मधुबनी, बिहार को अग्रेषित की जाए और दो सप्ताह के अंदर उनका जवाब मांगा जाए।

6) *जिला मजिस्ट्रेट, मधुबनी तथा उपमंडलीय मजिस्ट्रेट, मधुबनी को भी रिपोर्ट के जवाब में तथा अनुपालन रिपोर्ट के साथ दिनांक 27.2.2015 को प्रातः 11:00 बजे अनिवार्य रुप से आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होने का निदेश दिया जाए। आयोग, मामले के चौंकानेवाले तथ्यों के संबंध में यह प्रेक्षण करने के लिए विवश है कि यदि उक्त अधिकारी उपरोक्त रिपोर्टों के साथ व्यक्तिगत रुप से आयोग के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहते हैं तो उनके नाम के गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाएं।*

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट के साथ इन कार्रवाईयों की एक प्रति भी बिहार सरकार के मुख्य सचिव को अग्रेषित की जाए ताकि वो उचित कार्रवाई कर सकें और चार सप्ताह के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

9.53 दिनांक 30 जनवरी, 2015 की कार्रवाई के तहत आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस के जवाब में बिहार के जिला मधुबनी के जिला मजिस्ट्रेट ने 8 फरवरी 2015 को विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ–साथ बताया गया कि दिनांक 1 फरवरी, 2015 को पुलिस स्टेशन आरेर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1)(vi) के तहत एफ0आई0आर0 संख्या 10/2015 के तहत एक आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया। बेनीपत्ती के उपमंडलीय मजिस्ट्रेट ने 38 परिवारों के 101 बंधुआ मजदूरों के नाम से 'रिलीज सर्टिफिकेट' जारी कर दिए तथा उनकी प्रतियां आयोग को अग्रेषित कर दी गईं।

9.54 यह भी बताया गया कि अंतोद्य अन्न योजना; होम बेस्ड न्यू बॉर्न केयर; इंदिरा आवास योजना; जननी बाल शिशु सुरक्षा योजना; मिट्टी का तेल; सार्वजनिक वितरण प्रणाली; प्राईमरी हाउसहोल्ड; दैनिक टीकाकरण; टी0बी0 का उपचार; स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना; सैल्फ हैल्प ग्रुप, टेक होम राशन; पात्रतानुसार टीकाकरण एवं विटामिन 'ए' के तहत इन मजदूरों को सामाजिक कल्याण योजनाओं के लाभ प्रदान करने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया गया। लाभार्थियों के साथ–साथ इनका विवरण भी प्रस्तुत किया गया।

9.55 दिनांक 6 फरवरी, 2015 को पुलिस स्टेशन आरेर में 18 नियोक्ताओं के खिलाफ बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम की धारा 16, 17 तथा 18; अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) की धारा 3(1)(vi); बाल श्रम अधिनियम की धारा 14; किशोर न्याय अधिनियम की धारा 23; न्यूनतम भत्ता अधिनियम की धारा 22 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 344, 370, 374, 34 के तहत एफ0आई0आर0 मामला संख्या 14/2015 दर्ज किया गया।

9.56 इसके अतिरिक्त, यह सूचित किया गया कि विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत दिए जाने वाले लाभ पीड़ितों को दिए गए और रिहा कराए गए अनुसूचित जाति के 99 बंधुआ मजदूरों को

प्रत्येक को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में 22,500/–रु0 की निर्धारित वित्तीय राहत का भुगतान किया गया। यह कहा गया कि सभी 38 परिवारों को घरों का निर्माण करने हेतु भूमि आबंटित की गई और उन्हें उक्त भूमि पर कब्जा भी दे दिया गया। उनके स्वामित्व के राजस्व रिकार्ड में आवश्यक प्रविष्टियां भी कर दी गईं। रिपोर्ट के अनुसार, शेष 37 रिहा कराए गए बंधुआ मजदूरों के संबंध में राज्य के हिस्से तथा मुक्त कराए गए सभी 101 बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के संबंध में केन्द्र के हिस्से के लिए बिहार सरकार के श्रम आयुक्त से आवश्यक निधियां मांगी गई हैं। इसके अतिरिक्त, मधुबनी के पुलिस अधीक्षक तथा मधुबनी के जिला अभियोजन अधिकारी को निदेश दिया गया है कि वे दोनों आपराधिक मामलों में जांच–पड़ताल को जल्दी ही पूरा करें और द्रुत अभियोजन के माध्यम से इनके संबंध में निर्णय दिलवाएं।

9.57 आयोग ने दिनांक 31 मार्च, 2015 को मामले पर फिर विचार किया जिसमें आयोग ने निम्नानुसार प्रेक्षण किया और निदेश दियाः –

"आयोग ने दिनांक 27.2.2015 को मधुबनी के जिला मजिस्ट्रेट श्री गिरीवर दयाल सिंह तथा बेनीपत्ती के उप मंडलीय मजिस्ट्रेट श्री राजेश मीणा को व्यक्तिगत रुप से सुना और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम द्वारा की गई जांच के बाद सामने आए तथ्यों के मद्देनजर दोनों अधिकारियों के व्यवहार के संबंध में अपनी नाराजगी और गुस्सा जाहिर किया। मधुबनी के जिला मजिस्ट्रेट अब यह निर्णय लें कि दिनांक 21.1.2015 को श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई जांच दिनांक 17.1.2015 को एक गैर सरकारी संगठन से प्राप्त शिकायत पर आधारित थी। आयोग गहराई में जाए बिना जिला मजिस्ट्रेट यह याद दिलाना चाहता है कि उनके कार्यालय के रिकार्ड सहित बाकी रिकार्ड भी अन्यथा बोल रहे हैं। तथापि, दोनों अधिकारियों ने क्षमा याचना की और उसे स्वीकार कर लिया गया।

रिपोर्टों के अनुसार मधुबनी के जिला मजिस्ट्रेट और उनके अधीनस्थ अधिकारियों ने मुक्त कराए गए मजदूरों का एक अर्थपूर्ण एवं संवहनीय तरीके से पुनर्वास करने के लिए रिपोर्टों में दिए गए विवरण के अनुसार पीड़ितों को विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत भूमि, वित्तीय राहत तथा अन्य लाभ उपलब्ध कराते हुए प्रशंसनीय कदम उठाए। यह उल्लेखनीय है कि जिला मजिस्ट्रेट, श्रम विभाग द्वारा बेनीपत्ती न्यायालय में शुरु किए गए मामलों के साथ–साथ दोनों आपराधिक मामलों में पुलिस द्वारा की जा रही जांच–पड़ताल की मॉनीटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने पीड़ितों, जो मुख्यतः अनुसूचित जाति के हैं, की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का भी आश्वासन दिया।

अब, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम की दोनों जांच रिपोर्टों पर विचार करने, दोनों अधिकारियों को व्यक्तिगत रुप से सुनने और मधुबनी के जिला मजिस्ट्रेट तथा उप–मंडलीय मजिस्ट्रेट, बेनीपत्ती, मधुबनी, बिहार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद आयोग ने निम्नानुसार निदेश दिएः

1) सचिव, श्रम मंत्रालय तथा श्रमायुक्त, बिहार सरकार, पटना को मुक्त कराए गए 101 बंधुआ मजदूरों के संबंध में केन्द्र के हिस्से से तथा मुक्त कराए गए शेष 37 बंधुआ मजदूरों के संबंध (मुक्त कराए गए मजदूरों के पुनर्वास के लिए) में राज्य के हिस्से से निधियों को रिलीज कराने के संबंध में छह माह के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु एक नोटिस भेजा जाए।

2) जिला मजिस्ट्रेट, मधुबनी, बिहार को भी पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उठाए गए कदम तथा पुलिस के पास अन्वेषण हेतु लंबित पड़े सभी मामलों तथा न्यायालयों के समक्ष लंबित अधिनिर्णयनों के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक नोटिस भेजा जाए।

3) विधि प्रभाग के दोनों अधिकारियों, जो मामले के संबंध में स्थल जांच में शामिल थे, को तीन महीने के बाद पीड़ितों से मिलने की अनुमति दी जाए ताकि वे पीड़ितों के पुनर्वास की दिशा में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों, पुनर्वास संबंधी उपायों का मूल्यांकन कर सकें।

4) आयोग ने पीड़ियों से बंधुआ मजदूरी करने वाले 38 परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए सफलतापूर्वक स्थल जांच करने के लिए श्री ए0के0 पराशर, संयुक्त रजिस्ट्रार (विधि) तथा श्री ओ0पी0 व्यास, सहायक रजिस्ट्रार (विधि) के लिए प्रशंसा को भी रिकार्ड पर रखा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महासचिव उनकी भूमिका की प्रशंसा करें और उसे सेवा रिकार्ड में सहेजें। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम की रिपोर्ट को भी आयोग की वेबसाईट पर रखा जा सकता है।"

9.58 आयोग द्वारा मामले पर अभी भी विचार किया जा रहा है।

11. उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर तथा वाराणसी जिलों में विद्यमान बंधुआ श्रम के संबंध में स्वतः संज्ञान (मामला संख्या 10928/24/72/2014–बी0एल0)

9.59 संयुक्त रजिस्ट्रार (विधि) की रिपोर्ट जिसमें यह कहा गया है कि चुनार के रास्ते में सड़क (वाराणसी–मिर्जापुर राजमार्ग) के दोनों तरफ काफी संख्या में ईंट के भट्टे चल रहे हैं, के आधार पर आयोग ने इसे स्वतः संज्ञान में लिया। यह प्रेक्षण किया गया कि पुरुषों के साथ–साथ बहुत बड़ी संख्या में बच्चे, महिलाएं इन ईंट के भट्टों में काम कर रही थीं। जांच करने पर पता चला कि अधिकांश मजदूर छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य के हैं। यह भी सूचित किया गया कि यह मजदूर बहुत ही दयनीय स्थिति में जीवन काट रहे हैं और सरकारी तंत्र का उनके उपर कोई नियंत्रण नहीं है। माफिया के डर की वजह से राज्य तंत्र द्वारा कोई छापेमारी नहीं की गई है। इसलिए आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी और जिला मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर को अपनी–अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

9.60 रिपोर्टों के अनुसार वाराणसी रेंज में लगभग 250 ईंट के भट्टे चल रहे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग के पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है जो यह सत्यापित कर दे कि कितनी इकाईयां वैध लाईसेंस के तहत चल रही हैं। अतः श्रम विभाग के पास इस बारे में कोई सही जानकारी नहीं है। ऐसा इसलिए भी

है क्योंकि ईंट के भट्टों के संबंध में लाईसेंस जारी करना उक्त विभाग के नियंत्रण में नहीं है। इसी प्रकार ईंट के भट्टों में कार्य करने वाले कुल मजदूरों (पुरुष, महिला एवं बच्चों सहित) की संख्या का विवरण भी श्रम विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। चूंकि ईंट के भट्टे के मालिकों को श्रम विभाग के समक्ष यह जानकारी प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है, इसी प्रकार की समस्या मजदूरों के समुदायों की श्रेणियों के संबंध में है जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि।

9.61 आयोग ने दिनांक 25 नवम्बर, 2014 को इस मामले पर आगे विचार किया और निम्नानुसार प्रेक्षण किया और निदेश दिया :

> *''रिपोर्ट में कुछ विशेष मुद्दों पर मांगी गई अपेक्षित जानकारी का उत्तर नहीं दिया गया। मुक्त कराए गए मजदूरों का पुनर्वास हुआ या नहीं इस बारे में विस्तार से कोई जानकारी नहीं दी गई। यह उल्लेखनीय है कि अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 की धारा 10 के तहत विनिर्दिष्ट जिला मजिस्ट्रेट यथोचित प्राधिकारी है। इसके अतिरिक्त वह जिला सतर्कता समिति के अध्यक्ष हैं और उन्हें कानून द्वारा अपेक्षित सभी रिपोर्टें प्राप्त होनी चाहिए और उन्हें उक्त अधिनियम की धारा 14 के अनुसरण में अपना कर्तव्य निर्वहन करना चाहिए। ईंट भट्टे कानून के मुताबिक संचालित किए जाएं और सभी सांविधिक अपेक्षताओं का अनुपालन करें – यह सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सतर्कता समिति को दिशानिर्देश देने की शक्तियां सौंपी गई।*
>
> *ऐस प्रतीत होता है कि रिपोर्ट को सही तरह से तैयार नहीं किया गया है। वाराणसी और मिर्जापुर के जिला मजिस्ट्रेट को आयोग के निर्देशों के अनुसार अपनी–अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। आठ सप्ताह के अंदर–अंदर उत्तर दें।''*

9.62 संयुक्त रजिस्ट्रार (विधि) की रिपोर्ट जिसमें यह कहा गया है कि चुनार के

12. हरियाणा के जिला झज्जर, बहादुरगढ़ के ग्राम बमनौली जौंती बॉर्डर में ईंट के भट्टे में कार्य करने वाले बंधुआ मजदूरों के 35 से अधिक परिवारों का शारीरिक शोषण (मामला संख्या 4684/7/7/2014–बी0एल0)

9.63 आयोग को दिनांक 30 अप्रैल, 2014 को दिल्ली के मयूर विहार में ''हमारी उम्मीद की उड़ान परियोजना'' के परियोजना मैनेजर श्री करन पॉल से एक शिकायत प्राप्त की जिसमें आरोप लगाया गया कि हरियाणा के जिला झज्जर, बहादुरगढ़ के ग्राम बमनौली जौंती बार्डर में स्थित हवा सिंह एवं आनन्द के स्वामित्व वाले ''एस0एस0 ईंट भट्टे'' में मजदूरों के 35 से अधिक परिवारों को बंधुआ मजदूर बना कर रखा गया है। यह आरोप भी लगाया गया कि ईंट भट्टे के मालिकों द्वारा उनका शोषण किया जाता है और मार–पीटा भी जाता है। उन्हें भत्तों का भुगतान भी नहीं किया जाता है।

9.64 आयोग ने दिनांक 1 मई, 2014 को मामले को संज्ञान में लिया और बंधुआ मजदूरों, यदि कोई हों, की पहचान करने के लिए स्थल निरीक्षण करने और कानून के प्रावधानों के अनुसार भावी कार्रवाई करने तथा आयोग को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

9.65 इस मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अन्वेषण प्रभाग द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया और उसने अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। जांच के दौरान अन्वेषण टीम ने शिकायतकर्ता; ईंट भट्टे के मालिक; बिहार, पटना से आए मजदूर श्री चंदन; मजदूरों के 146 परिवारों के मुखियाओं के संयुक्त बयान तथा जिला प्राधिकरण के अधिकारियों के बयान रिकार्ड किए। अन्वेषण टीम ने हरियाणा में झज्जर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ भी बातचीत की और संगत दस्तावेज एकत्रित किए।

9.66 अपनी जांच के आधार पर अन्वेषण टीम अपनी रिपोर्ट में इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ईंट के भट्टे में काम करने वाले मजदूर, बंधुआ मजदूर थे।

9.67 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अन्वेषण टीम के निष्कर्ष पर विचार करने तथा सामने प्रस्तुत किए गए तथ्यों, परिस्थितियों एवं साक्ष्यों के आधार पर आयोग अपनी दिनांक 7 जुलाई, 2014 की कार्रवाई में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ईंट के भट्टे में काम करने वाले मजदूर, बंधुआ मजदूर थे और शिकायत में निहित आरोप पूर्णतः सत्य थे।

9.68 अतः आयोग ने राज्य सरकारों के संबंधित राज्य सरकारों/जिला मजिस्ट्रेटों/जिला प्राधिकारियों को निम्नलिखित कार्रवाई करने और आठ सप्ताह के अंदर–अंदर आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया : –

1) गया, नवादा, पटना, जहानाबाद (बिहार); आगरा (उत्तर प्रदेश); सोनीपत (हरियाणा); कूच बिहार (पश्चिम बंगाल); बिलासपुर (छत्तीसगढ़) के जिला मजिस्ट्रेटों को मुक्त कराए गए उन 146 बंधुआ मजदूरों जो उनके जिलों के निवासी हैं, के पुनर्वास संबंधी उठाए गए कदमों के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश,

2) जिला मजिस्ट्रेट, झज्जर तथा पुलिस अधीक्षक, झज्जर को पुलिस स्टेशन सदर, बहादुरगढ़ में दिनांक 7.5.2014 को भारतीय दंड संहिता की धारा 342, 34; बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम की धारा 16, 17, 20; अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(vi), 3(1)(x) के तहत दर्ज एफ0आई0आर0 मामला संख्या 180/2014 के संबंध में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के संशोधित उपबंधों तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसरण में पीड़ितों (143) को भुगतान की जाने वाली वित्तीय राहत की निर्धारित राशि के भुगतान के साक्ष्य के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश,

3) हरियाणा सरकार के श्रमायुक्त को मुक्त कराए गए 146 बंधुआ मजदूरों (प्रत्येक को) को भुगतान किए जाने वाली आकस्मिक राशि के भुगतान के साक्ष्य सहित उनके भत्तों के

भुगतान के साक्ष्य, बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में 20 बाल श्रमिकों (प्रत्येक) को 20,000/–रु0 के भुगतान का साक्ष्य तथा दोषी नियोक्ताओं के खिलाफ दर्ज सभी मामलों की स्थिति/परिणाम की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश, और

4) जिला मजिस्ट्रेट, झज्जर, हरियाणा को जिले में जिला एवं उपमंडलीय सतर्कता समितियों की कार्यशैली से संबंधित अर्थात वर्ष 2012 और 2013 के दौरान समितियों की कितनी बैठकें आयोजित की गईं, की गई कार्रवाईयों तथा लिए निर्णयों के संक्षिप्त सार सहित एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश।

9.69 आयोग ने दिनांक 27 नवम्बर, 2014 को चंडीगढ़ में आयोजित अपनी शिविर बैठक की सुनवाई के दौरान इस मामले को उठाया और निदेशों के गैर–अनुपालन के संबंध में चिन्ता जताई। आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट, झज्जर को दिनांक 29 दिसम्बर, 2014 को आयोग के समक्ष उपस्थित होने का निदेश दिया।

9.70 श्री अंशज सिंह, जिला मजिस्ट्रेट, झज्जर दिनांक 29 दिसम्बर, 2014 को आयोग के समक्ष उपस्थित हुए और कहा कि बाल श्रमिकों के संबंध में रिलीज सर्टिफिकेट पहले ही जारी किए जा चुके हैं और संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को भेज दिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि वहां लगभग बीस बाल श्रमिक थे और एम0सी0 मेहता मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों के अनुपालन में संबंधित नियोक्ताओं से प्रत्येक बाल मजदूर हेतु 20,000/–रु0 वसूलने के लिए निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

9.71 आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट, झज्जर को रिहा कराए गए बीस बाल मजदूरों (प्रत्येक को) को देय 20,000/–रु0 की वसूली संबंधी कार्रवाई को गति और भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया। उन्हें पिछले वर्ष उपमंडलीय तथा जिला स्तर पर सतर्कता समिति द्वारा आयोजित की गई बैठकों की संख्या के बारे में भी आयोग को सूचित करने का निदेश दिया गया।

9.72 जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है और आयोग द्वारा मामले पर विचार किया जारहा है।

13. दिल्ली के बवाना औद्योगिक क्षेत्र में प्रबंधन की लापरवाही के कारण एक फैक्टरी में तीन मजदूरों की मृत्यु तथा तीन अन्य को चोट आई (मामला संख्या 1059/30/0/2014)

9.73 श्री आर0एच0 बंसल ने अपने दिनांक 31 जनवरी, 2014 के पत्राचार के माध्यम से आयोग का ध्यान उस घटना की ओर आकर्षित किया जिसमें दिनांक 29 अगस्त, 2014 को फैक्टरी के मालिक की लापरवाही के कारण दिल्ली के बवाना औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्टरी में गैस सिलेंडर फटने की दुर्घटना में एक मजदूर की मृत्यु हो गई तथा चार अन्य घायल हो गए थे।

9.74 अपर पुलिस उपाधीक्षक (आई), बाहरी जिला, दिल्ली ने अपने दिनांक 29 मई, 2014 के पत्राचार के माध्यम से सूचित किया कि दिनांक 30 अगस्त, 2013 को दिल्ली के बवाना औद्योगिक क्षेत्र के

सैक्टर–2 की फैक्टरी सं0 एफ–68 में आग लग गई थी जिसमें मुकेश नामक एक मजदूर फैक्टरी में मृत पाया गया था और पांच अन्य मजदूर आग से जल गए थे। इन पांचो घायलों में सोनू और हरीश की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। दिनांक 31 अगस्त, 2013 को पुलिस स्टेशन बवाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 287, 337, 304क के तहत एफ0आई0आर0 मामला सं0 347/13 दर्ज कराया गया। फैक्टरी के मालिक को गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में एक चार्जशीट प्रस्तुत की गई।

9.75 अपर श्रमायुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, श्रम विभाग ने दिनांक 3 मार्च, 2015 के पत्र के माध्यम से बताया कि शुरु में आयुक्त कर्मचारी मुआवजा (जिला उत्तर पश्चिमी) के समक्ष कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी, दिनांक 20 नवम्बर, 2014 के पत्र के माध्यम से पुलिस स्टेशन बवाना के एस0एच0ओ0 से दिनांक 31 अगस्त, 2014 की एफ0आई0आर0 सं0 347/13 की एक प्रति तथा अन्वेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। मामले को कर्मचारी मुआवजा आयुक्त के आगे रखा गया तथा कार्रवाई के दौरान प्रबंधन/प्रतिवादी द्वारा बताया गया कि मृतक ई0एस0आई0 के तहत कवर थे और मामला ई0एस0आई0सी0 प्राधिकारियों के विचाराधीन था। रिपोर्ट में आगे यह उल्लेख किया गया कि चूंकि मामला ई0एस0आई0 एक्ट, 1948 के तहत कवर था इसलिए ई0एस0आई0 एक्ट, 1948 की धारा 53 के अनुसार कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के अधीन किया गया दावा बनाए रखने लायक नहीं था। अतः कर्मचारी मुआवजा आयुक्त द्वारा दिनांक 5 जनवरी, 2015 को मामले को बंद कर दिया गया।

9.76 आयोग ने दिनांक 8 मई, 2015 को शिकायतकर्ता को उनकी टिप्पणी, यदि कोई हो, देने के उद्देश्य से दिनांक 3 मार्च, 2015 की रिपोर्ट की एक प्रति भेजने का निदेश दिया। मामला आयोग के विचाराधीन है।

14. पात्र मजदूरों को ''असंगठित कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008'' के तहत लाभ प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा बोर्डों, राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्डों और मजदूर सुविधा केन्द्रों का गैर–विन्यास तथा असंगठित मजदूरों का गैर–पंजीकरण (मामला संख्या 5706/30/0/2014)

9.77 आयोग ने प्रेक्षण किया कि दिनांक 30 दिसम्बर, 2008 को संसद द्वारा ''असंगठित कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008'' पारित किया गया था जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के साथ राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 3 के तहत क्रमशः धारा 3 की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट मुद्दों पर योजनाएं बनाना; अधिनियम की धारा 5 के तहत राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड और अधिनियम की धारा 6 के तहत राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन करना; अधिनियम की धारा 9 के तहत मजदूर सुविधा केन्द्र स्थापित करना; तथा अधिनियम की धारा 10 के तहत पात्र मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा लाभ उपलब्ध कराने के लिए असंगठित मजदूरों का पंजीकरण करना था। आयोग ने आगे प्रेक्षण किया कि सामाजिक कल्याण विधायन के

पारित हो जाने के आठ वर्षों बाद भी केन्द्र सरकार के साथ–साथ राज्य सरकारें, अधिनियम के उपबंधों का अक्षरशः अनुपालन करने में सफल नहीं रही हैं।

9.78 सचिव, श्रम एवं रोजगार और सचिव, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण, भारत संघ को (क) अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (1) के तहत योजनाएं तैयार करने, अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के उपशीर्ष (क) से (घ) तक प्रत्येक उपशीर्ष के तहत उनका विवरण और योजनाओं की वर्तमान स्थिति। (ख) अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (8) के तहत अधिनियम की धारा 5 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड के गठन और विशेषरुप से अभी तक राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड द्वारा किए गए कार्यों के विवरण (ग) अधिनियम की धारा 10 की उपधारा 5 के तहत यथाविनिर्दिष्ट किन्ही योजनाओं के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए योगदान के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु एक नोटिस जारी किया गया।

9.79 सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों तथा सभी संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को **(क)** अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) की उप–उपधारा (क) से (छ) में निहित योजनाओं सहित उनके द्वारा तैयार एवं अधिसूचित कल्याणकारी योजनाओं **(ख)** अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत यथानिहित संबंधित राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्डों के गठन **(ग)** अधिनियम की धारा की उपधारा (क) से (घ) के तहत यथानिहित मजदूर सुविधा केन्द्रों की स्थापना (घ) अब तक राज्यवार तथा उद्योगवार पंजीकृत असंगठित मजदूरों की संख्या तथा अधिनियम की धारा 10(3) के तहत अब तक परिचय पत्र जारी किए जा चुके मजदूरों की संख्या के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश देते हुए नोटिस भी जारी किए गए। प्राधिकारियों से प्राप्त जवाब, वर्तमान में आयोग के विचाराधीन हैं।

******

अध्याय - 10

महिलाओं और बच्चों के अधिकार

10.1 इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार अलंघनीय एवं अनिवार्य हैं। वर्ष 1993 में वियेना में मानव अधिकारों संबंधी विश्व सम्मेलन में महिलाओं के अधिकारों एवं बच्चों के अधिकारों का एजेंडा में मानव अधिकारों की केन्द्रीयता संबंधी प्रथम अंतरराष्ट्रीय सर्वसम्मति सामने आई थी। वियेना घोषणा एवं प्लेटफॉर्म ऑफ एक्शन में उल्लेख है कि महिलाओं एवं बालिकाओं के मानव अधिकार एक अहरणीय,अनिवार्य एवं अविभाज्य मानव अधिकारहै।

10.2 मानव अधिकारों एवं विकास के बीच का संबंध बीसवी सदी के अंतिम दशक के दैरान सामने आया। इसका सटीक उदाहरण नब्बे के दशक का अंतर्राष्ट्रीय नीति दस्तावेज है, खासतौर पर सीआरसी-पश्चात के समय में यूनिसेफ, जिसमें महिलाओं एवं बच्चों दोनों के ही मानव अधिकारों की प्राप्ति हेतु कार्यक्रमों के महत्व का संदर्भ दिया गया था। यह स्मरण दिलाया जा सकता है कि यू.एन.डी.पी. मानव विकास रिपोर्ट 2000 में भी इसके विषय के रुप में 'मानव अधिकार एवं मानव विकास' रखा गया था।

10.3 विकास प्रक्रिया में दावा कर्ताओं की पहचान कर तथा दायित्व-वाहकों के अनुरुप उत्तर दायित्व डालने की दिशा में अधिकार-आधारित पहुंच का लक्ष्य है। इन पहुंच से दायित्व-वाहकों सकारात्मक जिम्मेदारी तथा दावा-कर्ताओं की पात्रता की जाँच की जानी चाहिए। इन पहुंचों में मजबूत कानून, नीतियों, संस्थानों तथा प्रशासनिक कार्यों के विकास की मांग है तथा प्रगति तथा जिम्मेदारी को मापने के लिए निर्देश चिन्ह को अपनाए जाने की आवश्यकता है। अधिकार आधारित पहुंच के लिए सभी व्यक्तियों, जिसमें महिलाएं एवं बच्चे शामिल हैं, से अधिक संख्या में भागीदारी की अपेक्षा है।

10.4 मानव अधिकार तथा सतत मानव विकास एक-दूसरे पर आश्रित एवं एक-दूसरे को मजबूत करने वाले हैं। उदाहरण के लिए जब लिंग समानता अथवा गरीबी कम करने के कार्यक्रम लोगों को उनके अधिकारों का प्रयोग करने के लिए सशक्त करते हैं, तो मानव अधिकारों का प्रसार होता है। मानव अधिकारों एवं विकास के बीच का संबंध विकास, गरीबी उन्मूलन, मानव अधिकार मुख्य धारा सुशासन एवं वैश्वीकरण हेतु अधिकार-आधारित, व्यक्ति-केन्द्रित पहुंच में सपष्ट रुप से विद्यमान है।

अतः मानव अधिकार-आधारित पहुंच प्रोग्रामिंग के लिए सभी विकास कार्यों में के अधिकारों एवं बच्चों के अधिकार एजेंडा को शामिल करने के लिए परिस्थिति तैयार करेगा।

10.5 महिलाओं एवं बच्चों के लिए मानव-अधिकार आधारित पहुँच के अनिवार्य तत्वों को ध्यान में रखते हुए रा.मा.आ. शुरुआत से ही महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्रयास करता आ रहा है। इसके लिए अंतर-संबंधित अनेक उपाय अपनाए हैं जैसे- महिलाओं एवं बच्चों के प्रति भेदभाव से संबंधित विषयों, महिलाओं एवं बच्चों की मूल स्वास्थ्य चिंताएं जिसमें महिलाओं

की यौन एवं जनन स्वास्थ्य भी शामिल हैं, महिलाओं एवं बच्चों की शिक्षा, किशोर न्याय प्रबंध तथा महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष संरक्षण उपायों पर केन्द्रित तरीके।

10.6 महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों पर रा.मा.आ. के नीति अनुसंधान प्रोजेक्ट एवं कार्यक्रम अनुभाग (संक्षेप में अनुसंधान अनुभाग) द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों के विषय में निम्नलिखित पैरा में बताया गया है।

क. महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की अन्य पहलू से पड़ताल कर्ताओं की दुनिया का अन्वेषणात्मक अध्ययन।

10.7 उपरोक्त अनुसंधान अध्ययन सेन्टर फॉर वुमेन डेवलपमेंट स्टडीज, नई दिल्ली के सहयोग से अगस्त 2014 में रा.मा.आ. द्वारा किया गया था। अनुसंधान के केन्द्रीय उद्देश्य थे- भारत के विशेष संदर्भ में अन्तर-अनुशासनिक परिप्रेक्ष्य से महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की धारणा पर विद्यमान साहित्य का विश्लेषण करना। इस प्रकार के कर्ताओं, जिसमें किशोर, व्यस्क, विचाराधीन तथा सिद्ध दोष अपराधी शामिल हैं, का सैम्पल रुपरेखा तैयार करना; विशेष रुप से पीड़ितों के विचारों को मापने के लिए विशिष्ट मामलों की ट्रैकिंग करना; तथआ महिलाओं के विरुद्ध अपराधों तथा उनके कर्ताओं की परिवर्तित रुपरेखा के संदर्भ में अपराध न्याय व्यवस्था की प्रति किया। अपराध की समयावधि 2 वर्ष है।

ख. सीईडी ए डबल्यू के 58वें सत्र में रा.मा.आ., भारत की भागीदारी

10.8 महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव उन्मूलन संबंधी समिति के सचिव श्री जेकोब शेनिडेर ने 10 अप्रैल, 2014 को रा.मा.आयोग, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री के.जी. बालकृष्णन को भारत गणराज्य में महिलाओं के प्रति भेदभाव के उन्मूलन संबंधी प्रसंविदा के कार्यान्वयन पर देश विशिष्ट सूचना मुहैया करने का न्यौता दिया, जिसे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में 30 जून से 18 जुलाई, 2014 तक महिलाओं के प्रति भेदभाव उन्मूलन समिति के 58वें सत्र में विचार हेतु चौथे एवं पांचवे आवधिक रिपोर्टों में साथ रखा गया। इसके अलावा उनके पत्र में यह भी उल्लेख था कि महिलाओं के अधिकारों की स्थिति पर आम बैठक में जानकारी देने के लिए रा.मा.अ. संस्थानों के प्रतिनिधियों को भी समिति में न्यौता देती है।

10.9 तदानुसार आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार की तथा 9 जून, 2014 को सीईजी.ए.डब्ल्यू. समिति को प्रस्तुत की। रा.मा.आयोग, भारत द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के मूल 416 की प्रति <u>अनुलग्नक-8</u> में है। इसके पश्चात रा.मा.आयोग, भारत से न्यामूर्ति श्री के.जी.बालाकृष्णन तथा श्री जे.एस.कोचर, सयुंक्त सचिव(प्रशिक्षण एवं अनु०) के दो सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने जिनेवा का दौरा किया जहां 30 जून,2014 को रा०मा०आ० के अध्यक्ष द्वारा सीईडीएडब्ल्यू समिति के समक्ष एक मौखिक बयान दिया गया। उनके मौखिक बयान का मूल 416 <u>अनुलग्नक-9</u> में है।

ग. भारत में मानव अवैध व्यापार पर राष्ट्रीय अनुसंधान

10.10 रा०मा० द्वारा उपरोक्त अनुसंधान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबाई के सहयोग से किया गया यह उसी तर्ज पर था जैसा कि पूर्व में वर्ष 2004 में आयोग द्वारा भारत में महिलाओं एवं बच्चों में अवैध व्यापार पर कार्य अनुसंधान किया गया था। इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य मानव अवैध व्यापार के परिवर्तित आयामों को समझने; अवैध व्यापार के फैलाव का आकलन करने; अवैध व्यापार का अर्थशास्त्र; मानव अवैध व्यापार में संलिप्त प्रक्रिया के साथ सीमापार अवैध व्यापार, अतंक ग्रस्त तथा अन्य प्रभावित क्षेत्रों में अवैध व्यापार, विधिक संरचना, राज्य एवं गैर-राज्य हस्तक्षेप सहित वर्तमान जवाबी व्यवस्था; तथा पहचानी गई कमियों को दूर करने के उपाय, थे।

10.11 समीक्षाधीन अवधि के दौरान न्यायमूर्ति श्री सीरियक जोसफ की अध्यक्षता में रा०मा०आयोग में दो बैठकें आयोजित की गई। इन बैठकों का उद्देश्य राष्ट्रीय अध्ययन के लक्ष्यों, पद्धतियों एवं अन्य अन्तरों पर व्यापक चर्चा करना था।

घ. तीकरे लिंग के रुप में ट्रांसजेंडर के मानव अधिकारों का अध्ययन

10.12 आयोग ने मार्च 2015 को केरला डेवलपमेंट सोसाइटी, नई दिल्ली के सहयोग से 'तीसरे लिंग के रुप में ट्रांसजेंडर के मानव अधिकारों का अध्ययन' नामक अनुसंधान किया। इस अध्ययन के उद्देश्य थेः (i) महत्वपूर्ण समाज-आर्थिक परिवर्तनों जैसे आयु,जाति, धर्म, शिक्षा, रोजगार, आय आदि को शामिल कर तीसरे लिंग के रुप में परा-लिंगियों के समग्र लाभ का अध्ययन करना तथा यह जानना कि क्या आर जी आई ट्रांसजेंडर को जनगणना तथा अन्य गणनाओं में शामिल करता है? (ii) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सहयोगी तंत्र सहित उनके जीवन से संबंधित सभी पहलुओं में उनके द्वारा सामना किए जा रहे विभिन्न प्रकार के भेदभाव एवं मानव अधिकारों के हनन की पड़ताल करना। (iii) केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भोजन, पेंशन आदि के तहत परा-लिंगियों को दी गई पात्रता का आकलन करना तथा इन पात्रताओं तक पहुँच में उनके द्वारा समाना की जा रही समस्याओं सहित उनके समावेशन/बहिष्करण के कारणों का आकलन करना। (iv) केन्द्र, राज्य अथवा स्थानीय शासन द्वारा ट्रांसजेंडर हेतु चलाए/मुहैया कराए जा रहे कार्यक्रमों/योजनाओं का गहन अध्ययन तथा आत्मविश्वास हेतु आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्रों की गंभीरता से पहचान करना। (v) ट्रांसजेंडर के लिए कानूनों एवं नीतियों, यदि कोई हो, का उच्चतम न्यायालय निर्णय के साथ-साथ केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई नीतियों, कानूनों एवं निर्णयों के आलोक में उनके समग्र विकास हेतु उठाए गए कदमों का गहन विश्लेषण। (vi) अन्य देशों में ट्रांसजेंडर के प्रति प्रचलित प्रथाओं की पड़ताल करना तथा यौन अभिमुखीकरण एवं लिंग पहचान से संबंधित अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार कानून के यूएन योगकर्ता सिद्धांतों का अध्ययन तथा (vii) डाटाबेस तैयार करना तथा विकसित करना तथा उनके मानव अधिकारों- सिविल, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कार्य करने योग्य संस्तुतियां प्रस्तुत

करना।

10.13 उपरोक्त अध्ययन एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरा किया जाना है।

ड॰ किशोर न्याय(बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) विधेयक 2014 पर चर्चा हेतु राष्ट्रीय कार्यशाला।

10.14 रा॰मा॰ आयोग ने 27 अगस्त 2014 को नई दिल्ली में उपरोक्त राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला के प्रमुख उद्देश्य 2014 विधेयक में संशोधन करने के लिए इन मुद्दों पर संस्तुतियां तैयार करना था।(i) आपराधिक दायित्व की आयु (ii) किशोर न्याय के केन्द्रीय घटक (iii) पुनर्वास, सुधार, पुनः एकीकरण तथा कौशल विकास पर जोर देना।

10.15 किशोर न्याय(बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) विधेयक 2014, प्रारंभिक रुप में लोगों के आक्रोश का परिणाम था, जो 16 दिसम्बर, 2012 को दिल्ली में हुए सामूहिक बलात्कारों के बाद सामने आया, जहां एक किशोर पांच अभियुक्तों में से था, जिससे यह मांग उठी की 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के नाबालिगों पर जो गंभीर अपराध करते हैं, व्यस्कों के समान ही मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इसकी गूंज मीडिया तथा अनेक राजनैतिक दलों में मजबूती से सुनाई दी। इस विषय पर पिछली सरकार ने जबकि विचार किया, सरकारी कार्यालय ने इस पर कार्य किया तथा किशोर न्याय (बच्चों की देख-रेख एवं संरक्षण। विधेयक, 2014 में इस मांग को समाविष्ट किया तथा इस नये कानून को लागू करने हेतु लोकसभा में प्रस्तुत किया। इस संबंध में आयोग को किशोर न्याय के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों एवं नागरिक समाज संगठनों से भी समर्थन प्राप्त हुआ जिन्होंने उल्लेख किया कि अपने वर्तमान रुप में 2014 विधेयक किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है तथा इसके अलावा यह यूनाइटेड नेशन कंवेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड के अनुच्छेद 37 तथा इसके लिए सिविल एवं राजनैतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा के अनुच्छेद 6.5, जिन दोनों को भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित किया गया है, के तहत किशोर न्याय के केन्द्रीय सिद्धान्त के अनुरुप नहीं है। इन अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों के अतिरिक्त चार मुख्य समर्थक किशोर न्याय दस्तावेज हैं। जिनको 2014 विधेयक में पूर्णतः अनदेखी की गई है। ये हैं यूनाइटेड नेशन्स गाइड लाइन फॉर दि प्रिवेंशन ऑफ जुविनाइल डेलिक्वेंसी (रियाद गाइड लांइस); यूनाइटेड नेशंस स्टैण्डर्स मिनिमम रुल्स फॉर दि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुविनाइल जस्टिस (बीजिंग रुल्स); यूनाइटेडनेशंस रुल्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जुवेनाइल डिप्राइवड ऑफ देयर लिबर्टी (हवाना रुल्स); तथा गाइड लाइन फॉर एक्शन ऑन चिल्ड्रन इन दि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (विएना गाइड लाइन्स)। ये स्वीकृत न्यूनतम मानक हैं जिनका पालन राज्य को किशोर न्याय व्यवस्था को स्थापित करने अथवा उनके विद्यमान व्यवस्था को स्थापित करने अथवा उनके विद्यामान व्यवस्था को संशोधित करने में करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने महसूस किया कि 2014 विधेयक में लगता है बच्चों के अधिकारों संबंधी यूएन समिति की आम टिप्पड़ी संख्या 10 की अनदेखी की गई है।

10.16 एक-दिवसीय कार्यशाला में उभर कर आए सुझावों पर बाद में विशेषज्ञों के साथ चर्चा की गई, उनमें से अनेकों ने किशोर न्याय बोर्ड तथा बाल कल्याण समितियों में कार्य किया था, उनमें से कुछ

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्य रहे थे, कानून के साथ संघर्ष में तथा जिन्हे संरक्षक चाहिए उन बच्चों के मामलों पर कार्य करने वाले अधिवक्ता, तथा इस क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी एवं नागरिक समाज संगठनों के सदस्य रहे हैं।

इन सुझावों पर रा०मा०अधिकार के पूर्ण आयोग बैठकों में अध्यक्ष सदस्यों एवं वरिष्ठ अधिकारों द्वारा चर्चा हेतु लिया गया तथा बाद में मानव संसाधन विकास संबंधी राज्य सभा विभाग-संबंधी संसदीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु ठोस रुप दिया गया।

10.17 2014 विधेयक पर रा०मा०आ० के सुझाव/संसतुतियां निम्नलिखित हैं:

(i)आयु कम करना

- प्रारंभ में यह इंगित किया गया है कि बाल अधिकारों संबंधी प्रसंविदा का अनुच्छेद। बच्चे को परिभाषित करता है "18 वर्ष की आयु से नीचे प्रत्येक मनुष्य, जब तक बच्चे के लिए कानून के तहत लागू, व्यस्क होने की आयु नहीं हो जाती।" इसके अतिरिक्त ड्राफ्ट बिल के धारा 2(12) बच्चे को परिभाषित करता है "वह व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।" अतः यह स्पष्ट है कि "वह व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है उसे बच्चे के रुप में समझा जाए चाहे वह कानून के द्वंद में हो अथवा देख-रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता हो।
- बिल के अनुसार कुछ ऐसे बच्चे जो 16 वर्ष के अथवा 16 वर्ष पूरे कर चुके हैं तथा 18 वर्ष की आयु से कम हैं तथा जघन्य अपराधों को करने के परिणाम स्वरुप कानून के साथ संघर्ष की स्थिति में हैं, पर दण्ड न्याय व्यवस्था के तहत व्यस्क के रुप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। यह बाल अधिकार प्रसंविदा तथा बिल का उल्लिखित निर्णय में बाल-अनुकूल पहुंच तथा बच्चों के सर्वोत्म हित में मामलों का निपटान" को अंगीकृत करने के उद्देश्य का पूर्णतः उल्लंघन है।
- इसके अतिरिक्त कानून के द्वंद में किशोरों के लिए व्यस्क दण्ड न्याय व्यवस्था के तहत न्यायिक कार्यवाही का आश्रय लेना यूए आम सभा द्वारा 1989 में अंगीकृत तथा दिसम्बर 1992 में भारत सरकार द्वारा समर्थित बच्चों के अधिकारों संबंधी यूनाइटेड नेशंस कंवेंशन के अनुच्छेद 3, 37 एवं 40 के विरुद्ध जाएगा। इन सबके लिए एक निदेशक सिद्धांत हैं कि बच्चों के सर्वोत्तम हितों को दिमाग में रखा जाए। कानून के द्वंद में बच्चों के मामले से निपटने के लिए, प्रसंविद, जिसका भारत ने समर्थन किया है, विशेष रुप से निर्दिष्ट है। "विभिन्न स्थितियों जैसे देखरेख, मार्गदर्शन एवं सर्वेक्षण आदेश; काउंसलिंग; पर्यावेक्षण; पोषण देख-रेख; शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा संस्थागत देख-रेख के अन्य विकल्पों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चत हो सके कि बच्चों के साथ उनकी परिस्थितियों एवं अपराधों दोनों के अनुपात में तथा उनके कल्याण को ध्यान में रखते हुए उचित तरीके से व्यवहार किया जाए।" रा०मा०आयोग का मानना है कि व्यस्क दण्ड न्याय

व्यवस्था तथा सुधारात्मक सेवाएं बाल अपराधियों के सर्वोत्तम हितों में इन स्थितियों का ख्याल रखने में सक्षम नहीं होंगे। अतः विधेयक की धारा 19(3) में प्रस्ताव न्यायसंगत नहीं है तथा इसे हटाया जाना चाहिए। 18 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के साथ स्थितियों के एक ही प्रकार के तहत व्यवहार करना चाहिए चाहे अपराध की प्रकृति कोई भी हो। 16 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे को निवारण के लक्ष्य के रुप में में व्यस्क दंड व्यवस्था के अंतर्गत सजा के पात्र नहीं होंगे बल्कि इससे बाल मनोवृत्ति पर गंभीर प्रतिक्रिया होगी क्योंकि, व्यस्क दंड न्याय व्यवस्था सुधार करने के बजाए बच्चे को एक कठोर अपराधी में बदल देगी।

- इसके अलावा, यह विधेयक बच्चों की देख-रेख एवं संरक्षण के सामान्य सिद्वांत, जैसा कि अध्याय II में व्याख्या की गई है, के विरुद्ध जाएगा, विशेष रुप से, निदेषिता का अनुमान, सर्वोत्तम हित, सुरक्षा, निंदा का कलंक नहीं लगना, निजता एवं गोपीनीयता, समानता तथा अभेदभाव, नई शुरुआत तथा विपणन के सिद्धांतों के विरुद्ध जाएगा।
- किशोरों के संबंध में आयु करने के संबंध में दांडिक कानून में सुधारों पर वर्मा समिति की रिपोर्ट में भी निष्कर्ष दिया गया है " कि 'किशोर' की आयु को 16 वर्ष से कम नहीं किया जाना चाहि।" रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि "समय आ गया है कि राज्य किशोर अपराधियों एवं विराश्रय किशोरों के लिए सुधार में निवेश करें। हम समझते हैं यह भारत में संभव है परन्तु इसके लिए उच्च स्तर पर इच्छाशक्ति अपेक्षित है।" इसके अलावा देश में किशोर न्याय व्यवस्था को प्रभावित करने वाली व्यवस्थित समस्याओं के जल्द समापन के लिए वर्मा समिति ने उल्लेख किया कि 'क्षति' एवं 'स्वास्थ्य' शब्दों को किशोर न्याय (बच्चों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 में व्याख्या किए जाने की आवश्यकता है ठीक उसी प्रकार जैसे रिपोर्ट के पृष्ठ 216 पर उनके द्वारा सुझाव दिया गया है।

(ii) जघन्य एवं अन्य अपराधों के बीच भिन्नता

- 2014 विधेयक में जघन्य एवं अन्य अपराधों के बीच दी गई भिन्नता में 16 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को किशोरन्याय व्यवस्था के तहत उनके अधिकारों से वंचित करता है। इसके अलावा यह किशोर न्याय बोर्ड (जे जे बी) के उस अधिकार का भी वंचन करता है कि विधेयक के धारा 19(1) एवं 19(2) के तहत सूचीबद्ध 16 से 18 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों के लिए किसी प्रकार के पुनर्वासात्मक आदेश पारित करे। किशोर न्याय व्यवस्था जो अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार कानून के तहत तैयार किया गया है, वह इस तथ्य पर आधारित है कि १८ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक बच्चे की मानसिक, ज्ञानात्मक एवं भावात्मक क्षमता का पर्याप्त विकास नहीं हो पाता है तथा इसी कारण से उसे अनाचरण/आचरण हेतु उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। अतः इसके लिए आवश्यक है कि वर्तमान में अनुसरण किये जा रहे कानून के द्वंद में बच्चों के प्रति अपनाई विभेदी सोच एवं व्यवहार को जारी रखा जाए।
- उपरोक्त के अनुपालन द्वारा 16 वर्ष की तथा उससे ऊपर की आयु के अनेक बच्चों, अभिकथित रुप से जिन्होंने जघन्य अपराध किए है, स्वतः ही व्यस्क दंड न्याय व्यवस्था में

स्थानांतरित हो जाएंगे। अतः ये बच्चे देख-रेख, संरक्षण, विकास, उपचार एवं सामाजिक पुनः एकीकरण जो कि 2014 के विधेयक की प्रस्तावना में विधायी वादा किया गया है, के उद्देश्य से वंचित रहेंगे।

- यहां यह उल्लेख करना संगत होगा कि अपराध के अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुल भा0 दं0 सं0 अपराध करने वालो के अनुपात में किशोर अपराधिक 1.19% है, जो बहुत ही नगण्य है। भा0 दं0 सं0 अपराधियों की कुल संख्या, हत्या, बलात्कार, अपहरण आदि अपराधों की तुलना में किशोर अपराधियों की संख्या काफी कम है। चूंकि किशोर अपराधियों की अपराधों में संलिप्तता, विशेष रुप से जघन्य अपराधों में का प्रतिशत बहुत ही कम है, अतः विद्यमान किशोर न्याय व्यवस्था में परिवर्तनों की आवश्यकता का कोई कारण नहीं है।
- विधेयक की धारा 15(3) से अपेक्षित है कि बोर्ड के समक्ष बच्चे को पहली बार प्रस्तुत करने की तिथि से एक महीने की अवधि के भीतर जघन्य अपराध के मामले में प्रारंभिक जांच को जेजेबी पूरा करे। व्यस्कों द्वारा किए गए अपराधों में सामान्यतः निर्धारित अवधि के भीतर आरोप पत्र भी नहीं दाखिल किया जाता। परन्तु जेजेबी से अपेक्षित है कि ऐसे बच्चे को जाँच एजेंसी द्वारा उचित जाँच के बिना अथवा वह जांच पूरा करने से पहले तथआ इस प्रकार के जघन्य अपराधों को प्रथम दृष्टया बच्चे द्वारा करना पाया जाता है, के एक महीने की अवधि के भीतर बच्चों के न्यायलय में स्थानांतरित करने का निर्णय ले। यह प्रावधान इस अनुमान पर चलता है कि बच्चे द्वारा कथित अपराध किया गया है तथा इसके विपरीत है जब तक दोषी साबित नहीं हो जाता उसे निर्दोष मान लिया जाए। अतः इससे संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 के तहत गारंटित मौलिक अधिकारों का उल्लघंन होता है, जो कि जेजेबी को निर्दोषित करता है कि प्रथम दृष्टया दोष स्थापित होने से पहले सदोषता की जांच करे।
- दांडिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 भी जघन्य अपराध करने वाले किशोरों के लिए कठोर व्यवहार का प्रवाधान नहीं करता है। माननीय उच्चतम न्यायलय ने भी दो मामलों में हाल ही में गहराई से इन विषयों की जांच की है- सलिल बाती बनाम भारत संघ तथा सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ, (iv) मौजूदा किशोर न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता
- बाल अधिकारों संबंधी प्रसंविदा, 2014 विधेयक से सहमत होना, भारत सरकार द्वारा तथा विद्यमान किशोर न्याय अधिनियम में किसी बदलाव को न्याय संगत नहीं पाया है।

(iii) बच्चों के न्यायलय के लिए बच्चों का स्थानांतरण

- विधेयक (धारा 15, 16, 19, 20, एवं 21) के तहत किशोरों के निर्णयादेश की योजना के अनुसार बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 के लिए आयोगों के अथवा यौन अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत स्थापित चिल्ड्रन्स कोर्ट में तथा कन्ति जघन्य अपराध करने वाले बच्चो को स्थानांतरित करने का प्रावधान है, जहां भी यह विद्यमान हो तथा जहां पर इस प्रकार के कोर्ट स्थापित नहीं हैं, वहां अधिनियम के तहत अपराधों के

विचारण हेतु अधिकार क्षेत्र वाले सत्र न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए। उपरोक्त धाराएं किशोर न्याय व्यवस्था की संपूर्ण अवधारणा के विपरीत है। अलग किशोर न्याय व्यवस्था बनाने का उद्देश्य कानून के द्वंद में बच्चों हेतु समानांतर व्यवस्था करना था तथा उन्हे दांडिक न्याय व्यवस्था में शामिल करना नहीं था।

- इसके अलावा बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 के लिए धारा 25 के तहत स्थापित चिल्ड्रन्स कोर्ट विशेष रुप से बच्चों के विरूद्ध व्यस्कों द्वारा किए गए अपराधों के त्वरित विचारण हेतु बनाए गए थे। अन्य शब्दों में, इन कोर्टो को बच्चों के संरक्षण हेतु वयस्कों के विचारण हेतु बनाया गया है। अधिकतर स्थानों में ये सत्र न्यायालय हैं। हालांकि 2014 के बिल के अनुसार, अभिकथित बाल अपराधी का अब इन न्यायालयों द्वारा 'वयस्क' के रुप में विचारण किया जाएगा बजाए के संरक्षण करने के। यह पुन, बच्चों के सर्वोत्तम हितों एवं पुनर्वास के विरोधाभासी है जैसा कि बिल के महत्तवपूर्ण उद्देश्य "न्यायादेश एवं मामले के निपटान में बाल-अनुकूल पहुंच अंगीकार करना" है।
- विशेष रुप से यूनाइटेड नेशंस स्टैण्डर्ड मिनिमम रुल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस, 1985(बिजिंग रुल्स) यूनाइटेड नेशंस रुल्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जुवेनाइल डिपराइव्ड ऑफ देयर लिबर्टी, 1990 (हवाना रुल्स), यूनाइटेड नेशंस गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेसी 1990 (रियाद गाइडलांइस), अंगीकृत संबंधित अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों तथा संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल एवं पथ भ्रामक होगा।
- विद्यमान किशोर न्याय व्यवस्था में प्रारंभिक रुप में गंभीर कमियां थी क्यों कि इसके प्रावधान, खासतौर पर पुनर्वास, व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा सामाजिक पुनः एकीकरण से संबंधित, को उनकी मूलभाव में कार्यान्वित नहीं किया गया। समय की मांग है कि किशोर न्याय (बाल देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 तथा उसके तहत दिए गए नियमों में उल्लिखित प्रावधानों को लागू किया जाए ताकि कानून के द्वंद में बच्चों के साथ-साथ उन बच्चों, जिन्हें देख-रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता है, को अपेक्षित संरचना संस्थानों में देख-रेख के निर्धारित मानक; शिक्षा परामर्श व्यवसायिक प्रशिक्षण, व्यक्तिगत देख-रेख योजना आदि जैसा भी उनके विकास एवं सर्वोत्तम हित के लिए आवश्यक हो, उपलब्ध कराए जाए।

च. केरल में प्रवासी मजदूरों के बच्चों को शिक्षा के अधिकार से संबंधित मानव अधिकार विषयो पर

अनुसंधान अध्ययन

10.18 उपरोक्त अध्ययन वर्ष 2014-15 के दौरान रा०मा०आयोग द्वारा सेकर्ड हार्ट कॉलेज, थेवारा, कोचीन, केरल के सहयोग से प्रारंभ किया गया था।

10.19 इस अध्ययन द्वारा इन मुद्दों पर विचार किया जाएगाः (i) स्कूलों में प्रवासी मजदूरों के बच्चों के दाखिले का स्तर (ii) स्कूलो में प्रवासी मजदूरों के बच्चों के अलग होने की दर (iii)

उच्चशिक्षा में प्रवासी मजदूरों के बच्चों के दाखिले का स्तर (iv) प्रवासी मजदूरों की जीवन की दशाएं (v) प्रवासी मजदूरों की आर्थिक स्थिति का आकलन तथा (vi) प्रवासी मजदूरों के बच्चों द्वारा सामना किए जाने वाली सांस्कृतिक दुविधा।

10.20 यह अध्ययन दिसम्बर 2014 में शुरु किया गया तथा इसे दो वर्ष की अवधि के भीतर पूरा किय जाएगा।

छ. द्वितीय सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा से संबंधित महिलाओं/यौन एवं जनन स्वास्थ्य अधिकारों बच्चों के अधिकारों पर संस्कृतियों की मानीटरिंग।

10.21 जैसा कि इस वार्षिक रिपोर्ट के अध्ययन 7 एवं 8 में वर्णन किया जा चुका है, आयोग महिलाओं/यौन एवं जनन स्वास्थ्य अधिकारों एवं बच्चों के अधिकारों से संबंधित संस्तुतियों की मानिटरिंग कर रहा है, जिन्हें सितम्बर 2012 में जिनेवा में यूनाइटेड नेशंस मानव अधिकार परिषद द्वारा सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा के दूसरे चक्र में लिया गया तथा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था। इन संस्तुतियों में प्रारंभिक रुप में इन चुनौतियों से निपटने को शामिल किया गया जैसे मातृत्व स्वास्थ्य, मातृ एवं शिशु मृत्युदर, उचित प्रसूति सेवाओं तथा यौन एवं जनन स्वास्थ्य सेवाओं की पर्याप्त पहुंच जिसमें सुरक्षित गर्भपात तथा लिंग-संवेदी व्यापक गर्भनिरोधक सेवाएं, महिलाओं को उनकी पसंद के विवाह करने के अधिकार तथा जाति एवं समुदाय अथवा अन्य संबंधितों के स्वतंत्र व्यवहार की उनकी समानता को बढ़ावा देना, बच्चों के बीच लिंग अनुपात को प्रभावी रुप से संतुलित करने का कार्य करना जिसमें शामिल है प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण का निवारण इस दृष्टि से सुनिश्चित किया जाए कि इस तरह की प्रथाओं के विधिक प्रतिबंध को लागू करने को मजबूती दी जाए, प्रसव-पूर्व लिंग निर्धारण के आपराधिक प्रवृत्ति के विषय में चिकित्सा व्यवसायियों को संवेदीकरण, कार्यक्रमों एवं विकास योजनाओं में लिंग परिप्रेक्ष्य को समाविष्ट करना, लिंग विषयों को ध्यान में रखते हुए बजट एवं सामाजिक कानूनों का पुनः परीक्षण, महिलाओं के साथ-साथ बच्चों के अधिकारों के संरक्षण में विधिक प्रयासों को जारी रखना ताकि महिलाओं एवं बच्चों तथा धार्मिक अल्पसंख्य सदस्यों के विरुद्ध हिंसा से बचाव हेतु उपायों में सुधार हो सके, महिलाओं का सशक्तिकरण एवं उद्धार में सुधार तथा उन्हें समाज में बड़ी भूमिका निभाने दी जाए, लिंग समानता सुनिश्चित करने के प्रयास दोगुने किए जाए तथा लिंग भेदभाव की रोकथाम हेतु उपाय किए जाएं, महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन हेतु इसके अनेक पहलों का संवर्धन जारी रखा जाए जिसमें शामिल हैं जागरुकता बढाना तथा संगत विधिक एवं संस्थागत संरचना को मजबूत बनाना, नाबालिगों के विरुद्ध यौन अपराधों से जूझने के लिए कानून को मजबूत बनाना, बाल-विवाह की रोकथाम हेतु प्रभावी उपाय करना, मानव अवैध-व्यापार का सामना करने के प्रयासों को बढ़ाना तथा अवैध-व्यापार के पीड़ितों के संरक्षण एवं पुनर्वास के प्रयासों को प्रबल करना। इसके संबंध में, आयोग

महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों पर प्रभाव डालने वाली अनेक संस्तुतियों की मानीटरिंग कर रहा है।

10.22 इस उद्देश्य के लिए, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है इसने भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रत्येक स्वीकृति पर अपेक्षित कार्रवाई के विवरण की संरचना तैयार की है। तदानुसार इस वार्षिक रिपोर्ट को लिखते समय, जुलाई 2015 में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निदेशक के साथ आयोग ने बैठक की थी जहां उपरोक्त में से कुछ विषयों पर सूचना दी गई थी। बाद में मंत्रालय द्वारा औऱ सूचना साझा की गई थी जिसमें नियुक्त संरक्षण अधिकारियों की संख्या तथा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत देश में पहचान किए गए सर्विस प्रोवाइडरों की संख्या; यौन अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 28 के तहत विशेष न्यायालयों के रुप में नियुक्त सत्र न्यायालयों की संख्या; तथा बाल लिंग अनुपात सुधारने के लिए जनवरी 2015 में बेटी बचाओं बेटी बढ़ाओं(बीबीबीपी) कार्यक्रम की शुरुआत को रेखांकित किया गया था।

10.23 हालांकि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा साझा की गई सूचना प्रारंभिक प्रकृति की है। इसके अतिरिक्त कई प्रासांगिक विषयों जैसे भारत सरकार द्वारा सीईडीएडब्ल्यू के वैकल्पिक प्रोटोकॉल को हस्ताक्षर करना तथा स्वीकृत करना वर्ष 2006 में दूसरे प्रथम सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा के दौरान भारत सरकार द्वारा स्वीकृत संस्तुतियों में से एक के जवाब में विदेश मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से रा०मा० द्वारा कार्रवाई करने के विषय में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पूरी जिम्मेदारी विदेश मंत्रालय पर डाल दी। इसी प्रकार द्वीतीय सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा से संबंधित अन्य संस्तुति-“महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के साथ-साथ महिलाओं एवं बालिकाओं तथा धार्मिक अल्पसंख्य सदस्यों के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम के उपायों में सुधार करने में विधिक प्रयासों को जारी रखना ”- रा०मा०आ० द्वारा सभी संबंधित 401 धारियों द्वारा महिलाओं एवं बच्चों हेतु सक्षम कानूनों के प्रभावी कार्यन्वयन सुनिश्चित करने की कार्रवाई की मांग की गई थी। इस संदर्भ में रा०मा०आ० द्वारा तैयार संरचना में महिलाओं के लिए रेखांकित अधिनियमों में से एक दहेज निषेध अधिनियम 1961 है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का जवाब विरोधाभाषी रुप से यह था कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत दर्ज अनेक मामलों का रख-रखाव गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा किया जाता है। इसने आगे यह भी लिखा था कि दिए गए अधिनियम की जिम्मेदारी देश में संबंद्ध राज्य सरकार तथा संघ शासित प्रशासन की है।

10.24 आयोग ने अपनी ओर से एक बार पुनः महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से आग्रह किया है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत चितांओं के आधार पर की गई कार्रवाई तथा की गई प्रगति के विषय में आयोग को अवगत कराए। इसने मंत्रालय से यह भी कहा कि विदेश मंत्रालय से समन्वय कर के सीईडीएडब्ल्यू के वैकल्पिक प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर एवं स्वीकृत करने के विषय में

भी देखें। यह बिन्दु पहले भी रा०मा०आ० द्वारा वार्षिक रिपोर्ट 2013-14 में दिया गया है।

ज. रा०मा० द्वारा महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित निपटाए गए दृष्टांत मामले

1. मध्यप्रदेश के सागर के जिला अस्पताल के तीन कर्मचारियों द्वारा 28 वर्षीय महिला का बलात्कार

(मामला सं० 92/12/8/2013-डब्ल्यू सी)

10.25 आयोग को श्री अमित्र सूडान, मानव अधिकार कार्यकर्ताओं से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें आक्षेप था कि मध्यप्रदेश के सागर में जिला अस्पताल के तीन सफाई कर्मचारियों द्वारा एक 28 वर्षीय महिला क बलात्कार किया गया, जो अपनी दो वर्षीय बेटी का इलाज कराने वहां गई थी।

10.26 आयोग ने 21 जनवरी 2013 को अपनी कार्यवाही के द्वारा इस शिकायत का संज्ञान लिया तथा शिकायत की एक प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भोपाल से मध्यप्रदेश को भेज मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी। वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक, सागर ने आयोग को 30 जनवरी 2013 के पत्र द्वारा रिपोर्ट भेजी। रिपोर्ट में घटना की पुष्टि की गई थी तथा यह खुलासा हुआ कि तीन दोषी व्यक्तियों नामतः शानी बाल्मिकी, राहुल बाल्मिकी तथा सचिन बाल्मिकी के विरुद्ध भा०दं०सं० की धारा 376(2) (डी) एवं (जी)/342/323/506/34 के तहत एक एफ.आई.आर. सं० 482/12 दर्ज की गई थी। दोषियों को उसी दिन गिरफ्तार किया गया था तथा जांच पूरी करने के बाद 18 जनवरी 2013 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।

10.27 आयोग ने माना कि पुलिस अधिक्षक की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट रुप से मानव अधिकारों के उल्लघंन का मामला है। अतः आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 के तहत मध्यप्रदेश शासन के मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि क्यों न आयोग पीड़ित के लिए वित्तीय राहत की संस्तुति करे? राज्य सरकार द्वारा आयोग में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। आयोग ने मध्यप्रदेश शासन के मुख्य सचिव के माध्यम से पीड़िता को 3,00,000(तीन लाख रुपये) के मुआवजे का भुगतान करनेकी संस्तुति की थी। मध्यप्रदेश शासन से 6 सप्ताह के भीतर भुगतान के साक्ष्य एवं अनुपालन रिपोर्ट देने को कहा गया था। राज्य सरकार को 29 अप्रैल, 2014 को आयोग के निर्देश द्वारा अनुस्मारक भेजने के बावजूद भी अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। भोपाल में 11 सितम्बर, 2014 को आयोग की शिविर बैठक के समय आयोग ने इस मामले पर मध्यप्रदेश शासन से विचार-विमर्श किया। सचिव (गृह), मध्यप्रदेश शासन, जो उस समय आयोग के समक्ष उपस्थित थे, ने पुनः आश्वासन दिया कि राज्य सरकार पीडित को वित्तीय राहत के रुप में 3,00,000/- रुपये के मुआवजे का भुगतान हेतु आयोग द्वारा की गई संस्तुतियों को स्वीकार करेगी। सचिव (गृह), मध्यप्रदेश शासन के आश्वासन को रिकॉड में

लिया गया था। हालांकि राज्य सरकार से भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

2. मध्यप्रदेश के गांव वालों के नवीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक द्वारा कक्षा-3 की लड़की से बलात्कार

(केस सं० 365/12/27/2013-डब्ल्यू-सी)

10.28 आयोग को डॉ० सुभाष मोहपात्रा, कार्यकारी निदेशक, ग्लोबल ह्यूमन राइट्स कम्यूनिकेशन, ओडिशा से एक ई-मेल प्राप्त हुआ जिसमें इस घृणित घटना के बारे में आयोग को ध्यान दिलाया गया कि मध्यप्रदेश के मंडला जिले में लाटो गांव के नवीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय में स्कूल अध्यापक द्वारा कक्षा-3 की लड़की से बलात्कार किया गया।

10.29 आयोग ने 6 मार्च 2013 को अपनी कार्यवाही द्वारा मामले का संज्ञान लिया तथा संबद्ध प्राधिकारी को मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भेजने हेतु शिकायत की प्राप्ति हस्तांतरित करने का निर्देश दिया। शिकायत की प्रति पुलिस अधीक्षक, मंडला, मध्यप्रदेश को हस्तांतरित की गई तथा मामले में की गई कार्रवाई की मांग की गई।

10.30 पुलिस अधीक्षक, मंडला ने 10 अप्रैल,2013 को पत्र द्वारा रिपोर्ट भेजी जिसमें उल्लेख किया गया था कि पुलिस स्टेशन घुघरी मं भा०दं०सं०की धारा 376(एफ), 506 तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 3, 4, 5, 6 के तहत आपराधिक मामला संख्या 14/13 दर्ज किया गया था। फरवरी 2013 को अपराधी को गिरफ्तार किया गया था जैसा कि रिपोर्ट में उल्लेख है तथा न्यायालय में इस मामले में आरोप-पत्र भी दाखिल किया गया था।

10.31 आयोग ने दिनांक 26 जुलाई, 2013 की अपनी कार्यवाही द्वारा रिपोर्ट पर विचार किया तथा टिप्पणी की कि प्राप्त रिपोर्ट से घटना की पुष्टि होती है तथा यह स्थापित होता है कि एक लोक सेवक द्वारा बालिका के मानव अधिकारों का हनन हुआ था तथा इसलिए राज्य पीड़िता को मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार है।

10.32 आयोग ने, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18(ए) के तहत नोटिस जारी किया कि कारण बताएं कि पीड़ित को वित्तीय राहत की संस्तुति क्यों न की जाए।

10.33 आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के जवाब में मध्यप्रदेस शासन ने 30 अगस्त,2013 के पत्र द्वारा अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की कि पीड़िता न तो अनुसूचित जाति और न ही अनुसूचित जनजाति से संबंधित है अतः वह अनु०जाति एवं अनु०जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के तहत वित्तीय राहत की पात्र नहीं है।

10.34 आयोग ने 19 दिसम्बर,2013 की अपनी कार्यवाही द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त जवाब पर विचार करते समय यह टिप्पणी की कि किसी भी जगह यह उल्लेख नहीं है कि पीड़िता अनु०जाति अथवा अनु०जनजाति से संबंधित है, तथापि चूंकि बालिका से अध्यापक द्वारा विद्यालय परिसर में बलात्कार किया गया था, पीड़िता को मुआवजा देने के अपने दायित्व से राज्य बच नहीं सकता। आयोग ने मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव के माध्यम से संस्तुति की कि पीड़िता को 2,00,000/- रु. (दो लाख रुपये) की वित्तीय राहत का भुगतान करे। मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन को अतः निर्देश दिया दिया गया कि ६ सप्ताह के भीतर आयोग को भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट भेजे।

10.35 उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ने 21 जुलाई, 2014 के पत्र द्वारा आयोग को सूचित किया कि राज्य सरकार ने पीड़ित लड़की को 2 लाख रुपये की संस्वीकृति की थी।

10.36 आयोग ने 11 दिसम्बर, 2014 को अपनी कार्यवाही द्वारा जवाब पर विचार किया तथा आगे निर्देश दिया कि मध्यप्रदेश शासन इस बात का साक्ष्य भेजे कि पीड़िता को वित्तीय मुआवजे का भुगतान किया गया है। राज्य सरकार से उत्तर प्रतीक्षित है।

3. आइडीयल इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेंट एण्ड टेक्नॉलजी, कड़कड़डूमा, दिल्ली के स्टाफ द्वारा छात्रा से छेड़छाड़

(मामला सं० 196/30/2/2013)

10.37 सुश्री साक्षी जैन ने आयोग को भेजी अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि 21 सितम्बर, 2012 को आइडीयल इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेंट एण्ड टेक्नॉलजी, कड़कड़डूमा, दिल्ली के क्लर्कों अतुल गुप्ता तथा अमित मित्तल द्वारा उससे छेड़छेड़ की गई थी। शिकायतकर्ता वहां अपना चरित्र प्रमाणपत्र लेने गई थी। उसी दिन आनंद विहार थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। बाद में जांच अधिकारी ने शिकायतकर्ता के पिता को फोन पर सूचित किया कि उसके केस को बंद कर दिया गया है। परन्तु पुलिस द्वारा शिकायतकर्ता से संपर्क नहीं किया गया था। शिकायतकर्ता ने एफ.आई.आर. दर्ज करने की प्रार्थना की थी।

10.38 पुलिस उपायुक्त (सतर्कता), दिल्ली की रिपोर्ट पर विचार कर आयोग ने माना कि घटना 21 सितम्बर, 2012 को घटित हुई तथा एफ.आई.आर सं० 526/2012, 31 दिसम्बर, 2012 को दर्ज की गई। 24 दिसम्बर, 2012 को आयोग के विचार हेतु शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत भेजने के बाद ह एफ.आई.आर. दर्ज की गई।

10.39 आयोग ने रिकॉर्ड की सामग्री पर विचार किया तथा पाया कि यह माना हुआ सच है कि घटना 21 सितम्बर, 2012 को घटित हुई परन्तु एफ.आई.आर 31 दिसम्बर, 2012 को ही दर्ज की गई थी। यह भी मान हुआ सच है कि पुलिस ने 21 सितम्बर, 2012 को शिकायत प्राप्त की थी। एफ.आई,आर. दर्ज करने में तीन महीने से अधिक देरी हुई परन्तु देरी का कारण स्पष्ट नहीं किया

गया यह भी प्रसांगिक है कि एफ.आई.आर. तभी दर्ज की गई जब पीड़िता ने रा०मा०आयोग में शिकायत दी। इन परिस्थितियों में आयोग निर्देश देता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार शिकायतकर्ता/पीड़िता सुश्री साक्षी जैन को मुआवजे के रुप में 50,000/- (पचास हजार रुपये) की राशि का भुगतान करें।

10.40 अनुपालन रिपोर्ट प्रतिक्षित है।

4. लुधियाना, पंजाब में एसिड हमले में सुश्री हरप्रीत कौर की मौत (मामला सं० 99/19/10/2014-डब्ल्यू सी)

10.41 श्री आर.एस. बंसल, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार निगरानी परिषद, दिल्ली ने शिकायत दी थी कि लुधियाना, पंजाब में एसिड हमले में सुश्री हरप्रीत कौर की मौत हो गई तथा दो अन्य महिलाएं गीता एवं अमरजीत कौर जख्मी हुई थी।

10.42 पुलिस आयुक्त, लुधियाना ने रिपोर्ट किया कि 7 दोषियों को गिरफ्तार किया गया था तथा जांच पूरी करने के बाद न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख था कि मृतक सुश्री हरप्रीत कौर के चिकित्सा उपचार पर पुलिस विभाग द्वारा 12,51,000/- रुपये की राशि खर्च की गई थी।

10.43 आयोग ने रिकॉर्ड की सामाग्री पर विचार किया तथा उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए माना कि सुश्री हरप्रीत कौर वित्तीय राहत की पात्र थी तथा पंजाब सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों न वित्तीय राहत के रुप में हरप्रीत कौर को 3,00,000/- रु० का भुगतान की संस्तुति की जाए।

5. हरियाणा के सोनीपत जिले के गांव देवरु में बलदेव, उसकी पत्नी तथा छोटी बेटी पर एसिड हमला (मामला संख्या 1572/7/19/2014)

10.44 श्री आर.एच. बंसल, महासचिव, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार निगरानी परिषद, रोहिणी, नई दिल्ली ने हरियाणा के सोनीपत में एक युगल एवं उनकी बेटी पर एसिड हमले के विषय में शिकायत की थी।

10.45 पुलिस अधिक्षक, सोनीपत ने रिपोर्ट किया था कि जख्मी हुए बलदेव के बयान के आधार पर सोनीपत सदर पुलीस स्टेशन में एक एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी। एफ.आई.आर. के अनुसार 5/6 अक्तटूबर 2013 को लगभग 2 बजे खिड़की से उस कमरे में जहां वे सो रहे थे, कुछ अज्ञात लोगों द्वारा उनके परिवार पर एसिड फेंका गया था। अभियुक्त दर्शन, रणधीर एवं गुरजंत को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र दर्ज किया गया था।

10.46 आयोग ने रिकॉर्ड की सामग्री पर विचार किया तथा माना कि पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई की थी तथा उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देश को ध्यान में रखते हुए पीडित कुशप्रीत कौर, बलदेव और

करणजीत कौर एसिड हमले के पीड़ित होने के कारण वित्तीय राहत के पात्र हैं। आयोग ने हरियाणा सरकार को कारण बताओं नोटिस जारी किया कि क्यों न पीड़ितों के लिए 3.00 लाख रुपये की राशि की संस्तुति की जाए।

6. सिविल लाइन, इलाहाबाद में महिला से बलात्कार (मामला संख्या 42028/24/4/2013)

10.47 इस मामले में महिला कर्मचारी से उसके वरिष्ठ अधिकारी ने बलात्कार किया तथा बाद में पुलिस द्वारा पुलिस स्टेशन में बलात्कार किया गया। याचिकाकर्ता श्री अरुण पाण्डेय, निवासी-मीरापुर, इलाहाबाद, उ०प्र० ने महिला को विधिक उपाय पाने में मदद कर रहा था। बलात्कार पीड़िता को उसके द्वारा सक्रिय सहयोग देने के कारण वह दोषियों तथा पुलिस दोनों का ही निशाना बना। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि मामले में एक महत्वपूर्ण साक्ष्य को नष्ट कर दिया गया था तथा पीड़िता के पास एक अन्य साक्ष्य को भी नष्ट किया जा सकता है यदि इसे पुलिस को सौंपा गया।

10.48 आयोग ने गंभीर आरोपों पर विचार कर आवेदक को निर्देश दिया कि वह पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में जाकर व्यक्तिगत रुप से उन कपड़ों को उन्हें सौंप दे जो पीड़िता ने घटना के समय पहने हुए थे। आयोग ने पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को भी निर्देश दिया कि आवेदक से कपड़े लेकर उसकी उपस्थिति में उन्हें सील करें तथा आवेदक के हस्ताक्षर लें। पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० को निर्देश दिया गया कि वह सुनिश्चित करें कि एफ.आई.आर. संख्या 65/2014 थाना अतर सुइया तथा एफ.आई.आर. संख्या 67/2014 थाना अतर सुइया, इलाहाबाद की जांच स्पष्ट एवं निष्पक्ष रुप से किसी अधिकारी द्वारा कराई जाए। इस उद्देश्य हेतु वे दोनों मामलों की जांच सक्षम अधिकारी, उचित श्रेणी की खासकर महिला अधिकारी को हस्तांतरित कर सकते हैं। उन्हें यह निर्देश भी दिया गया कि आवेदक की पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराएं।

7. भुवनेश्वर, ओडिसा में 20 वर्षीय बालिका प्रशिक्षु पर यौन हमला (मामला संख्या 2296/18/28/2013)

10.49 आयोग को दिनांक 11 सितम्बर 2013 को रा०मा०अ० आयोग के विशेष संपर्ककर्ता श्री दामोदर षडंगी से एक संदर्भ प्राप्त हुआ जिसके द्वारा उन्होंने शांता मेमोरियल रिहेबिलिटेशन सेंटर के कार्यकारी उपाध्यक्ष प्रो० आशा हंस की शिकायत अग्रेषित की गई थी जिसमें आरोप था कि 6 अगस्त 2013 को एक 20 वर्षीय प्रशिक्षु के साथ 6 घंटे की अवधि में तीन बार वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर हेंडीकेप्ड, भुवनेश्वर, उड़ीसा के प्रशिक्षकों द्वारा बलात्कार किया गया। यह उल्लेख किया गया था कि यह सेंटर श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित एवं संचालित है। इस प्रकार के सेंटरों में महिलाओं की मांगों को पुरा करने के लिए कोई शिकायत प्रबंधन स्थापित नहीं है तथा देश भर में अशक्त लड़कियों के यौन शोषण के अनेक मामले हो रहे हैं। यह भी उल्लेख था कि

एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी तथा अभियुक्त को 11 अगस्त 2013 को गिरफ्तार किया गया था।

10.50 आयोग के निर्देशों के अनुपालन में पुलिस उपायुक्त, भुवनेश्वर ने प्रस्तुत किया कि मामले में थाना भुवनेश्वर महिला, ओडिसा में मामला संख्या 199 दिनांक 10 अगस्त 2013 दर्ज किया गया था तथा जांच के दौरान अभियुक्त धीरज कुमार श्रीवास्तव एवं प्रिया सिंह के विरुद्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य स्थापित हुए थे। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया था। दोष व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 286 दिनांक 3 दिसम्बर 2013 दर्ज किया गया था।

10.51 आयोग ने बाद में 20 जून 2014 को मामले पर आगे विचार कर यह माना तथा निम्न लिखित निर्देश दिएः-

"मुख्य सचिव, ओडिशा सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी करे कि क्यों न पीड़ित को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 के अनुसार 1,00,000/- रुपये का मुआवजे की संस्तुति की जाए। इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव, ओडिशा को यह निर्देश भी दिया गया कि वह रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि अनु०जाति एवं अनु०जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत पीड़ित को भुगतान यदि कोई हो, के मुआवजे की राशि भी बताएं। अवश्य ही चार सप्ताह के भीतर जवाब दें।

सचिव श्रम मंत्रालय, भारत सरकार को मामले में अवश्य ही चार सप्ताह के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया जाए। रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ मामले में संलिप्त दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का भी उल्लेख होना चाहिए।"

10.52 अवर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने 29 सितम्बर 2015 के पत्र द्वारा उल्लेख किया था कि आयोग द्वारा संस्तुत राशि 1,00,000/- रु० का भुगतान पीड़ित को कर दिया गया था। मामला आयोग के विचाराधीन है।

8. यौन उत्पीड़न के कारण मुंबई में राज्य विधान सभा परिसर में महिला पुलिस कांस्टेबल द्वारा आत्महत्या का प्रयास (मामला सं०855/13/16/2013-डब्ल्यू सी)

10.53 डॉ० आर.एच.बंसल ने 19 मार्च 2013 के पत्र द्वारा आरोप लगाया था कि 27 फरवरी 2013 को औरंगाबाद जिले की एक महिला कांस्टेबल ने विधान भवन मुंबई में जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया क्योंकि वह वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा निरंतर यौन उत्पीड़न से तंग आ गई थी।

10.54 पुलिस उपायुक्त, जोन-I, मुंबई ने 22 जुलाई 2013 के पत्र द्वारा सूचित किया था कि 27 फरवरी 2013 को औरंगाबाद मुख्यालय की महिला कांस्टेबल अमृता अविनाश अकोलकर ने विधान भवन, मुंबई, महाराष्ट्र के सामने आत्महत्या का प्रयास किया तथा उसके विरुद्ध मरीन ड्राइव थाना, मुंबई में भा0द0सं0 की धारा 309 के तहत एफ.आई.आर. संख्या 30/2013 दायर की गई थी। पुलिस आयुक्त, औरंगाबाद 20 अगस्त 2013 की रिपोर्ट द्वारा सूचित किया कि महिला पुलिस कांस्टेबल अमृता अविनाश अकोलकर द्वारा एसीपी नरेश मेघ रजनी, एसीपी के.एस. बाहुरे एवं एसीपी संदीप भाजी बखारे के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच हेतु तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया तथा यह पाया गया कि महिला पुलिस कांस्टेबल को एसीपी संदीप भाजी बखारे द्वारा अनेक मोबाईल कॉल तथा एसएमएस (अश्लील एसएमएस सहित) भेजे गए थे, जिसने एसीपी संदीप भाजी बखारे को मोबाईल कॉल किए तथा एसएमएस पेस्ट किए थे। एसीपी संदीप भाजी बखारे के विरुद्ध थाना सतारा, औरंगाबाद में भा0दं0सं0 की धारा 509 के तहत अप0सं0 155/2012 अपराध दर्ज किया गया तथा न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया गया। एसीपी को उसके दुराचरण हेतु निलंबित किया गया था। पीड़ित ने एसीपी नरेश मेघ रजनी, एसीपी के.एस. बाहुरे तथा एसीपी संदीप भाजी बखारे के विरुद्ध भा0दं0सं0 की धारा 354, 509 के तहत जेएमएफसी कोर्ट, औरंगाबाद में भी शिकायत दर्ज कराई थी।

10.55 पुलिस आयुक्त, औरंगाबाद ने 14 जनवरी 2015 के पत्र द्वारा रिपोर्ट किया कि एसीपी संदीप भाजी बखारे (मामलों में कथित अभियुक्त) ने औरंगाबाद में उच्चन्यायालय में अ0 रिट याचिका संख्या 1101/2013 तथा 1102/2013, एफ.आई.आर. तथा न्यायालय में प्राईवेट केस को रद्द करने के लिए दर्ज कराया था। बाद में उच्च न्यायालय ने उपरोक्त एफ.आई.आर. तथा प्राइवेट केस में कार्यवाही को रद्द कर दिया था। महाराष्ट्र सरकार ने दोषी एसीपी के विरुद्ध विभागीय जांच शुरु कर दी थी तथा वह क्षेत्रीय विभागीय जांच आधिकारी, औरंगाबाद खण्ड, औरंगाबाद में लंबित है।

10.56 शिकायतकर्ता से चूंकि कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई थी, आयोग ने दिनांक 7 मई 2015 को इस शिकायत को महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग को (मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 13(6) के अनुरुप निपटान हेतु) हस्तांतरित करने का निर्देश दिया तब से आयोग ने 23 अगस्त 2012 को मामले में पहले ही संज्ञान लिया था।

9. बिहार के लखीसराय में रेलवे स्टेशन में कियुल-गया पैसेंजर ट्रेन की बोगी मं तीन व्यक्तियों द्वारा महिला से बलात्कार (मामला संख्या 1037/4/19/2013-डब्ल्यू सी)

10.57 शिकायतकर्ता ने 19 मार्च 2013 की शिकायत के द्वारा एक महिला के बलात्कार का आक्षेप लगाया जो कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के रानी सागर गांव की निवासी थी, 27 आगस्त 2012

के बिहार के लखीसराय रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म सं0 5 में खड़ी कियुल-गया पैंसेजर ट्रेन की बोगी में तीन व्यक्तियों ने बलात्कार किया।

10.58 पुलिस अधीक्षक, रेलवे, जमालपुर ने रिपोर्ट किया कि पीड़ित के पिता के बयान के आधार पर भा0दं0सं0 की धारा 376 के अंतर्गत मामला सं0 63/12 दर्ज किया गया था तथा दोषी को गिरफ्तार किया गया तथा 25 नवम्बर 2012 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था।

10.59 आयोग ने दिनांक 25 अप्रैल 2014 को पीड़ित को वित्तीय राहत के रुप में 3,00,000 (तीन लाख रुपये) के भुगतान हेतु अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली से संस्तुति की थी। भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट अभी प्रतिक्षित है तथा मामला आयोग के विचाराधीन है।

10. गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में बच्चों का गुम होना

(मामला सं0 22368/24/31/2012)

10.60 'छः माह में गायब हुए 90 बच्चे' शीर्षक से 10 जुलाई 2012 को प्रकाशित समाचार के आधार पर आयोग ने मामले में, स्वतः संज्ञान लिया। प्रेस रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी से 1 जुलाई 2012 तक गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में 90 बच्चे गुम हो गए थे। यह भी रिपोर्ट किया गया था कि वर्ष 2011 में जिले से 251 बच्चे गायब हो गए थे तथा इनमें से 115 बच्चों का कोई पता नहीं चला। आयोग ने अन्वेषण अनुभाग को घटना स्थल जांच करने तथा गुमशुदा बच्चों से संबंधित अपेक्षित सूचना एकत्रित करने तथा उनका पता लगाने के लिए स्थानीय पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई का पता लगाने का निर्देश दिया।

10.61 दैरे के दौरान रा0मा0अ0आयोग टीम ने गजियाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक से रिपोर्ट प्राप्त की तथा गुमशुदा बच्चों के अभिभावकों से गुमशुदगी के पीछे के कारण जानने तथा इस संबंध में पुलिस से मिली सहायता का पता लगाने के लिए मुलाकात की।

10.62 वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक, गाजियाबाद से प्राप्त रिपोर्ट का विश्लेषण करने के बाद रा0मा0अ0आयोग टीम ने पाया कि:- v

(i) 117 गुमशुदा बच्चों (1.1.12 से 1.7.12) में से 90 बच्चे मिल गए थे परन्तु, 27 बच्चों का कोई पता नहीं नहीं चला;

(ii) वर्ष 2011 में गुम हुए 203 बच्चों में से 172 मिल गए थे परन्तु 31 बच्चे अभी भी गुमशुदा हैं;

(iii) वर्ष 2012 में (1.1.12 से 1.7.12) लगभग 52% बच्चे अपनी गुमशुदगी की तारीख से एक महीने बाद वापस मिल गए थे। यह पुलिस की ओर से तत्तपरता की कमी को दर्शाता है;

(iv) बच्चों के गायब होने के पीछे उनके अभिभावकों का दुर्व्यवहार मुख्य कारण था (31%) तथा स्वेच्छा से घर छोड़ने वाले (56%) थे;

(v) वर्ष 2008 से 2013 (अक्टूबर तक), खासतौर पर वर्ष 2009 के बाद बच्चों के गुम होने की घटनाओं में बढ़ोत्तरी देखी गई। इन सभी वर्षों में बालिकाओं की अपेक्षा बालकों के गुम होने की घटनाओं में तुलनात्मक रुप से अधिकता रही;

(vi) वर्ष 2008-2013 (31-10-2013 तक) की अवधि में प्राप्त नहीं हुए/पता नहीं चले 161 बच्चों में से 121 बच्चे 10-18 वर्ष के आयु वर्ग से थे; तथा

(vii) एक एफ.आई.आर. दर्ज करने में देरी हुई थी। गुमशुदा बच्चों को ढूंढने के लिए थाना स्तर पर तत्काल अथवा उचित कार्रवाई नहीं की गई थी। थाना स्तर पर बच्चों को ढूंढना कोई प्राथमिकता का विषय नहीं था।

10.63 दस्तावेजों एवं रिपोर्टों की संवीक्षा करने पर निम्न लिखित कमियां पाई गईः-

(क) उच्चतम न्यायालय के आदेशों के बावजूद भी गुमशुदा रिपोर्ट/एफ.आई.आर. के पंजीकरण में देरी/पंजीकरण नहीं करना;

(ख) उच्चतम न्यायालय के आदेशों के बावजूद गुमशुदा रिपोर्टों/एफ.आई.आर. के पंजीकरण के बाद खराब अनुवर्तन;

(ग) थाना स्तर पर जिपनेट उपलब्ध नहीं है,

(घ) वर्ष 2012 तथा 2013 में गुमशुदा बच्चों को ढूंढने के लिए किसी पुरस्कार की घोषणा नहीं हुई;

(ङ) गुमशुदा बच्चों के संबंध में खासतौर पर रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैण्ड पर कोई उचित प्रचार नहीं किया गया; तथा

(च) 31 अक्टूबर 2013 तक मानव अवैध व्यापार रोधी यूनिट(एएचटीयू) को कोई मामला हस्तांतरित नहीं किया गया था।

10.64 रा0मा0अ0आयोग के अन्वेषण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर आयोग ने 27 जनवरी 2014 को मुख्य सचिव, गृह सचिव एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश शासन को 6 सप्ताह के भीतर आयोग को की गई कार्रवाई रिपोर्ट भेजने के लिए निम्न लिखित संस्तुतियां कीः-

(क) पुलिस कर्मियों के लिए संवेदीकरण/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए;

(ख) गुमशुदा बच्चों के अभिभावकों के साथ नियमित रुप से अनुवर्तन करने के लिए शिकायतकर्ता का सही एवं पूर्ण विवरण लिया जाना चाहिए जिसमें मोबाईल/टेलीफोन नम्बर शामिल हैं;

(ग) गुमशुदा बच्चों के संबंध में रा0मा0अ0आयोग द्वारा व्याख्या किए गए दिशा-निर्देशों तथा उच्चतम न्यायालय के होरीलाल बनाम पुलिस आयुक्त, दिल्ली के रिट याचिका (आप0) सं0 610/1996 में दिए गए आदेशों तथा उच्चतम न्यायालय के बचपन बचाओं आंदोलन बनाम बारत संघ के रिट याचिका सं0 75/2012 में दिए गए आदेशों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए;

(घ) नोडल अधिकारी के रुप में पुलिस अधिक्षक को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए तथा गुमशुदा बच्चों के मामलों में प्रभावी पंजीकरण एवं अनुवर्तन के लिए जवाबदेय होना चाहिए।

(ङ) जिले की मानव अवैध व्यापार-रोधी यूनिट को क्रियाशील बनाना चाहिए। इस उद्देश्य हेतु राज्य सरकार को आवश्यक बजट संबंधी प्रावधान करने चाहिए; तथा

(च) दिल्ली में गुमशुदा बच्चों के मामले के अनुवर्तन में डीएलएसए द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की ही तरह गाजियाबाद जिले में भी समान प्रक्रिया दोहराई जानी चाहिए।

10.65 आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक से निम्नलिखित सूचना भी मांगी थीः-

(i) वर्ष 2013 के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान 31.05.2014 तक सभी जिलों से रिपोर्ट किए गए गुमशुदा बच्चों की कुल संख्या (अलग-अलग उल्लेख करे) तथा इन अवधियों के दौरान इन गुमशुदा बच्चों के संबंध में जिलों में पंजीकृत एफ.आई.आर की कुल संख्या;

(ii) वर्ष 2012 तथा 2013 के दौरान गुमशुदा बच्चों से संबंधित कितने आपराधिक मामलों में ईनाम की घोषणा की गई (पूरे राज्य के केवल मामलों की संख्या का उल्लेख करें);

(iii) पूरे राज्य में अन्वेषण हेतु महिला पुलिस अधिकारियों को गुमशुदा बच्चों से संबंधित दर्ज किए गए कितने आपराधिक मामलें सौपें गए?

(iv) राज्य में अन्वेषण हेतु जिला अवैध मानव व्यापार-रोधी यूनिट (एन्टी ह्यूमन ट्रौफिकिंग यूनिट) के लिए कितने आपराधिक मामले वर्ष 2012 एवं वर्ष 2013 में हस्तांतरित किए गए (अलग-अलग उल्लेख करें)

(v) जिलों में एंटी ह्यूमेन ट्रैफिकिंग यूनिट की संख्या क्या है तथा राज्य के सभी जिलों की एंटी ह्यूमेन ट्रैफिकिंग यूनिटों में नियुक्त कुल मानव शक्ति क्या है?

10.66 आयोग ने 8 दिसम्बर 2014 की कार्यवाही के माध्यम से निम्नलिखित पहलुओं पर राज्य सरकार के अधिकारियों से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगीः-

(i) यह देखा गया कि कुछ मामलों में गुमशुदा बच्चों को ढूंढने के लिए ईनाम घोषित किया गया था। यह सिफारिश की गई कि गुमशुदा बच्चों का पता लगाने में अधिक से अधिक मामलों में ईनाम घोषित किया जाना चाहिए।

(ii) गुमशुदा बच्चों की जांच हेतु अधिक से अधिक मामले महिला पुलिस अधिकारियों को सौंपे जाने चाहिए।

(iii) गुमशुदा बच्चों को ढूंढने के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल की संभावनाए तलाशनी चाहिए।

(iv) गुमशुदा बच्चों को ढूंढने तथा गुमशुदा बच्चों क समस्या के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने में गैर-सरकारी संगठनों एवं समाज को शामिल करने पर भी विचार किया जाना चाहिए।

10.67 उत्तर प्रदेश सरकार से अपेक्षित सूचना प्रतीक्षित थी। मामला अभी आयोग के विचाराधीन है।

11. गत 5 वर्षों के दौरान हरिद्वार, उत्तराखण्ड से 157 बच्चे लापता हुए (मामला संख्या 124/35/6/2013)

10.68 आयोग को एक मानव अधिकार कार्यकर्ता श्री आर.एच. बंसल से शिकायत पाप्त हुई जिसमें अभिकथित तौर पर गत 5 वर्षों के दौरान उत्तराखण्ड राज्य के हरिद्वार जिले से 157 बच्चों का गुमशुदा होना बताया गया था। आयोग ने 21 जनवरी 2013 की अपनी कार्यवाही के माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार, उत्तराखण्ड को इस मामले में रिपोर्ट भेजने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

10.69 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार ने आयोग को एक रिपोर्ट भेजी जिसमें उल्लेख था कि पुलिस स्टेशन कोतवाली, गंगनहर, रुड़की में 57 बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट की गई थी जिनमें से 53 बच्चे सकुशल बरामद किए गए थे। पुलिस स्टेशन कोतवाली, रुड़की में 6 बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई तथा उनमें से 3 का पता चल गया था। इसी प्रकार गुमशुदा बच्चों से संबंधित मामले इन क्षेत्रों में दर्ज किए गए थे जैसे कोतवाली सिटी, पुलिस स्टेशन पथरी, पुलिस स्टेशन कोतवाली ज्वालापुर तथा पुलिस स्टेशन कोतवाली रानीपुर। वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक, हरिद्वार ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि शेष गुमशुदा वर्ष बच्चों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं तथा फोटो, पैम्प्लैटों, समाचारपत्रों, सीडीआरबी, एससीआरबी, एनसीआरबी तथा विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से पर्याप्त प्रचार किया जा रहा है।

10.70 आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया तथा पाया कि गुमशुदा बच्चों को ढूंढने के प्रयास किए गए थे। आयोग ने साथ-साथ यह निर्देश भी दियाः-

"रिपोर्ट की एक प्रति पुलिस महानिरीक्षक, उत्तराखण्ड को भेजी जाए। उन्हे गुमशुदा बच्चों एवं व्यक्तियों के संबंध में प्रत्येक जिले में अलग गुमशुदा व्यक्ति ब्यूरों स्थापित करने तथा वेबसाइट बनाने का सुझाव दिया जिसमें गुमशुदा व्यक्तियों का डाटा अपलोड किया जाए जिसे लोगों द्वारा देखा जा सके। उन्हें इस संबंध में पुलिस कर्मियों के प्रयासों एवं कार्यो को मानीटर करने का भी निर्देश दिया गया।" उओनसे यह भी अपेक्षित था कि राज्य के सभी जिलों के बीच बेहतर एवं निर्बाध समन्वय बनाए रखने के प्रयास किए जाए ताकि गुमशुदा एवं पाए गए बच्चों के विषय में जिलों के बीच सूचना आदान-प्रदान हो सके। यह भी अपेक्षित था कि राज्य के साथ-साथ देश के अन्य राज्यों में बैगर्स होम तथा प्रेटेकश्न होम्स फॉर चिल्ड्रन की देख-रेख करने वाले संबद्ध प्राधिकारियों के लिए विशेष निर्देश जारी किए जाएं। इन सभी संस्थानों के लिए यह अनिवार्य कर दिया जाए कि वे संवासियों क विवरण अपने-अपने राज्य के महानिरीक्षक को प्रस्तुत करें। गुमशुदा बच्चों के विषय में राज्यों के बीच बेहतर समन्वय एवं संचार हेतु इसी प्रक्रिया का अनुसरण करने के लिए अन्य राज्यों के पुलिस महानिरीक्षकों से भी अपेक्षा की गई थी। इस प्रक्रिया में मीडिया/टीवी चैनल, प्रेस तथा गैर-सरकारी संगठनों को भी शामिल किया जाए। केन्द्र सरकार से राज्यों की प्रगति को मॉनीटर करने तथा राज्यों के प्राधिकारियों के बीच निर्वाध समन्वय सुनिश्चित करने के लिए निकाय/ब्यूरों का गठन करने की अपेक्षा की जाती है। इन कार्यवाहियों की प्रति सभी राज्यों एवं सचिवों, गृह, केन्द्र, सरकार को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाए। इन निर्देशों सहित मामला बंद किया जाता है।

10.71 आयोग के निर्देशों के अनुपालन में आयोग की दिनांक 11 अप्रैल 2014 की कार्यवाही की सूचना आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों तथा गृह सचिव भारत सरकार को भेज दी गई थी।

12 बालगृह में उत्पीड़न की कारण बच्चे द्वारा आत्महत्या (मामला संख्या 4177/4/2005-2006)

10.72 श्री आर.एच. बंसल, महासचिव, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार निगरानी परिषद, रोहिणी, नई दिल्ली ने बिहार के आरा में बाल गृह के कर्मचारियों द्वारा उत्पीडित किए जाने के कारण एक बच्चे द्वारा आत्म हत्या करने तथा 11 बच्चों के भाग जाने के विषय में शिकायत की थी।

10.73 पुलिस अधीक्षक, भोजपुर ने रिपोर्ट की थी कि मृतक की अप्राकृतिक मौत के विषय में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया तथा एसडीएम, पटना, सदर के कार्यालय में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं

थे। यह भी ज्ञात नहीं था कि पुलिस द्वारा मृतक के बयान रिकॉर्ड करने का प्रयास किया गया था या नहीं (जैसा कि घटना के दो दिन बाद उसकी मौत हुई थी)।

10.74 रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री पर विचार करने पर आयोग ने पाया कि मृतक राज्य की अभिरक्षा में था तथा यह राज्य का दायित्व था कि वह सुनिश्चित करे कि कोई व्यक्ति स्वयं को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। होम के स्टाफ की लापरवाही के कारण मृतक ने आत्महत्या की तथा उसे समय पर उपचार नहीं मिल पाया क्योंकि होम में कोई डॉक्टर तैनात नहीं था। अतः प्रथम दृष्टया मानव अधिकारों के उल्लंघन का मामला बनता हैं। इन परिस्थितियों में आयोग मृतक बच्चे भीमा डोम के नजदीकी रिश्तेदार को 1.00 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए बिहार सरकार को निर्देश देता है।

10.75 आयोग के निर्देशों के अनुपूरक में जिला मजिस्ट्रेट, जिला भोजपुर, बिहार ने रिपोर्ट किया कि मृतक की इकलौती जीवित बहन पिंकी कुमारी को 1.00 लाख की राशि का भुगतान किया गया। आयोग ने अपने निर्देशों के अनुपालन पर मामला बंद कर दिया।

13. जिला मधेपुरा, बिहार में बाल-विवाह का आपतन
(मामला सं0 676/4/20/2013)

10.76 आयोग को श्री आर.एच. बंसल से 4 मार्च 2013 को शिकायत प्राप्त हुई जिसमें पंचायत के निर्देश पर 1 मार्च 2013 को जिला मधेपुरा, बिहार में 15 वर्षीय लड़के तथा 13 वर्षीय लड़की के विवाह का आरोप लगाया गया था।

10.77 दिनांक 6 दिसम्बर 2013 की रिपोर्ट द्वारा ऑफीसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, होम स्पेशल डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट किया कि कुमारी पार्वती उर्फ काजल कुमारी, पुत्री फूलेश्वर प्रसाद यादव ने बताया था कि शादी के समय उसकी उम्र 19 वर्ष तथा उसके पति की उम्र 22 वर्ष थी तथा उनके प्रेम प्रसंग के कारण शादी की गई थी। जांच से खुलासा हुआ था कि लड़के की उम्र 18 वर्ष थी तथा गांव में एक प्रथा थी जिसमें माता-पिता अपने बच्चों की उम्र कम रिकॉर्ड करवाते थे ताकि समाज कल्याण योजनाओं के तहत लाभों का प्रयोग कर सकें। हालांकि यह निर्णय लिया गया कि बाल-विवाह निषेध अधिनियम, 2006 तथा बिहार बाल-विवाह निषेध नियम 2010 के तहत आगे कार्रवाई हेतु लड़की की आयु का पता लगाने के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाए। आयोग ने 11 जुलाई 2014 को जिला कलेक्टर, मधेपुरा को निर्देश दिया कि चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि बाल-विवाह निषेध अधिनियम 2006 तथा बिहार बाल-विवाह निषेध नियम 2010 के प्रावधानों के तहत, यदि कोई, कार्रवाई की गई तो उसकी स्थिति बताएं।

10.78 जिला मजिस्ट्रेट, मधेपुरा, बिहार ने 23 मार्च 2015 के पत्र द्वारा सूचित किया कि मुख्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मधेपुरी की अध्यक्षता में प्रेम आकाश उर्फ ललतु तथा पार्वती कुमारी उर्फ काजल कुमारी की आयु का पता लगाने के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया। रिपोर्ट के अनुसार आकाश कुमार उर्फ ललतु की आयु 20-22 वर्ष तथा पार्वती उर्फ काजल कुमारी की उम्र 19 से 21 वर्ष थी।

10.79 आयोग ने 2 जुलाई 2015 को निर्देश दिया कि 23 मई 2015 की रिपोर्ट की एक प्रति 6 सप्ताह के भीतर शिकायतकर्ता की टिप्पणी, यदि कोई हो, हेतु भेजी जाए।

* * * * *

अध्याय 11

वृद्धजनों के अधिकारर

11.1 वृद्धजनों की आबादी वर्तमान में सबसे तेजी से बढ़ने वाली आबादी है। आज लगभग 70 करोड़ लोग 60 वर्ष की आयु के ऊपर है। वर्ष 2050 तक विश्व के कुल जनसंख्या के लगभग 20 प्रतिशत, लगभग 2 विलियन लोग 60 वर्ष के या उसके ऊपर के होंगे। यह अनुमान किया जाता है कि मानव इतिहास में पहली बार, विश्व में बच्चों की तुलना में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग होंगे। 60 वर्ष के ऊपर के आयु में महिलाएं पहले से ही पुरुषों की तुलना में अधिक हैं तथा 80 या उसके ज्यादा के उम्र की महिलाएं पुरुषों की तुलना में दोगुनी है।

11.2 वृद्धावस्था संबंधी दितीय विश्व सभा के अनुवर्तन के रुप में यूएन महासचिव की 2011 की रिपोर्ट में इतिहास में पहली बार तेजी से बढ़ती हुई वृद्ध जनसंख्या द्वारा सामना की जा रही मानव अधिकारों की चुनौतियों एवं चलन के विषय में जानकारी दी गई।

11.3 जबकि रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि 60 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्ति उनकी स्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रकारकी चुनौतियों का सामना करते हैं, फिर भी अनेक स्पष्ट रुप से पहचाने जाने वाली चुनौतियां हैं- जैसे भेदभाव, गरीबी, हिंसा एवं अपमान, आयु-अनुकूल उपायों एवं सेवओं की कमी, सामाजिक संरक्षण, दीर्घावधि-देखभाल, सहभागिता, न्याय के लिए पहुंच, जीवनपर्यन्त पेंशन, जिकसे लिए राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर नीतियों की आवश्यकता है। इन सभी प्रश्नों को विकसित एवं विकासशील देशों में समान रुप से मानव अधिकार परिप्रेक्ष्य से देखा जाना चाहिए।

11.4 रिपोर्ट में वृद्ध लोगों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों एवं मानकों की भी जानकरी दी गई है। इसमें उल्लेख है कि 1982 से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने वृद्धावस्था संबंधी मेड्रिड अंतर्राष्ट्रीय योजना (आम सभा द्वारा वर्ष 2002 में पृष्ठांकित) जैसी अंतर्राष्ट्रीय घोषणाओं की श्रंखला में वृद्ध लोगों की स्थिति का खुलासा किया, जिसमें आयु संबंधी भेदभाव, अवहेलना, अपमान एवं हिंसा के उन्मूलन की मांग की गई है। मानव अधिकारों संबंधी अधिकतर कोर संधियों में वद्ध लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताएं अस्पष्ट हैं जैसे कि आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों तथा सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों संबंधी दो प्रसंविदाओं में, महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन संबंधी प्रसंविदा तथा अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों संबंधी प्रसंविदा। हालांकि अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दस्तावेजों में वृद्ध लोगों के लिए स्पष्ट संदर्भ अपर्याप्त हैं।

11.5 कुछ संधि मॉनीटरिंग प्रणालियों एवं विशेष संपर्क कर्ताओं ने विशेष रुप से वृद्ध लोगों की दशा के लिए विद्यमान मानकों का प्रयोग किया जिसमें सामाजिक सुरक्षा अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार कानून के समक्ष समानता तथा किसी भी आधार पर बिना भेदभाव के जीवन यापन के उचित स्तर की गारंटी शामिल है। हालांकि, स्थिति अभी अधिकांशतः भयावह ही बनी हुई हैं।

11.6 भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 के तहत वृद्ध लोगों का कल्याण अधिदेशाधीन है, जो यह उल्लेख करता है कि "राज्य को, अपनी आर्थिक क्षमता एवं विकास की सीमा के भीतर, वृद्धावस्था के मामलों में लोक सहायता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करना चाहिए।" अन्य प्रावधान भी है, जो राज्य को निर्देश देते हैं कि वे अपने नागरिकों के जीवन के स्तर का सुधार करें। संविधान द्वारा मौलिक अधिकार के रुप में समानता का अधिकार गारंटित किया गया है। ये प्रावधान वृद्ध लोगों पर भी समान रुप से लागू होते हैं।

11.7 वृद्ध लोगों के प्रति आयोग की अंतग्रस्तता की शुरुवात उनके द्वारा प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई से हुई। इसकी अंग्रस्तता वर्ष 2000 से बढ़ती गई जब यह सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा आयोजित वृद्ध लोगों के राष्ट्रीय परिषद के कार्यशाला में शामिल हुआ तथा वृद्ध लोगों पर राष्ट्रीय नीति के परिपालन के संबंध में इसके कार्य योजना (2000-2005) पर अपना सुझाव पेश किया। उस वर्ष से लगातार, यह वृद्ध लोगों के अधिकारों के लिए कार्य कर रहे समूहों तथा संगठनों से लगातार संपर्क जारी रखा है तथा इस संबंध में आवश्यकतानुसार केन्द्र सरकार को सुझाव भी पेश करता रहा है। उदाहरणार्थ, अस्पतालों में वृद्ध लोगों के लिए अलग कतार के प्रावधान के संबंध में आयोग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से जवाब मांगी जिसके पश्चात् संबंद्ध मंत्रालय अपने तरफ से भी सभी राज्यों तथा संघ क्षेत्रों के अस्पतालों में वृद्ध लोगों के लिए अलग कतार के प्रावधान को लेकर सिफारिश जारी किया। आयोग ने आर्थिक रुप से पिछड़े क्षेत्रों खासकर असंगठित क्षेत्रों में रह रहे वृद्ध लोगों के दुर्दशा पर अपनी चिंता जाहिर की है। आयोग ने वृद्ध लोगों के संरक्षण एवं कल्याण हेतु कोर समूह का भी गठन किया है। आयोग वृद्ध लोगों के लिए कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से वृद्ध लोगों को प्रभावित करने वाले विभिन्न बिमारियों को केन्द्र में रखकर विभिन्न स्वास्थ्य जागरूकता शिविरों एवं कार्यक्रमों का आयोजन करता रहा है। इसके अलावा इसका मुख्य फोकस सोवनिवृत्ति के पश्चात कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान होने, भुगतान में देऱी तथा आंशिक भुगतान तथा जिन मामलों में सेवानिवृत्त व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को सभी सांविधिक देयराशि का समय पर भुगतान करने से संबंधित मामलों पर ध्यान देना है।

क अभिभावक एवं वरिष्ठ नागरिक देखभाल एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के संदर्भ में वृद्ध लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करने संबंधी राष्ट्रीय परामर्शी बैठक

11.8 उपरोक्त परामर्शक बैठक का आयोजन आयोग द्वारा 29 अगस्त 2014 को चंण्डीगढ़ में दिल्ली के क्षेत्रीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र 'अनुग्रह' तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संयुक्त तत्त्वाधान में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य अभिभावक एवं वरिष्ठ नागरिक देखभाल एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के मुख्य प्रावधानों सहित वृद्ध लोगों के अधिकारों के विषय में जनजागरुकता एवं जानकारी को बढ़ावा देना था। बैठक में 100 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया।

ख रा0मा0अ0आ0 द्वारा निपटाए गए वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों संबंधी दृष्टांत मामले

1. उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में गांव प्यारेपुर के निवासियों के वृद्धावस्था पेंशन सहित सामाजिक कल्याण योजनाओं से वंचित करना (मामला सं0 37687/24/24/2013)

11.9 डॉ0 लेनिन, सीईओ संस्थापक पीवीसीएचआर, वाराणसी ने उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के प्यारेपुर के गांव वालों के वृद्धावस्था पेंशन सहित समाज कल्याण योजनाओं से वंचित किए जाने का आरोप लगाया।

11.10 खण्ड विकास अधिकारी, टांडा, अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश ने अपने पत्र दिनांक 16 अगस्त 2014 को सूचित किया था कि शिकायत में नामित व्यक्ति पहले से ही इंदिरा आवास योजना, बीपीएल कार्ड, रानी लक्ष्मी बाई पेंशन एवं समाजवादी पेंशन योजनाओं सहित समाज कल्याण योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं तथा उन्होंने आरोपों से इंकार किया।

11.11 आयोग ने 2 जुलाई 2015 को रिपोर्ट को स्वीकार किया तथा मामले को बंद कर दिया क्योंकि, शिकायतकर्ता अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करने में असफल रहा।

2. कृषि भूमि पर विवाद के संबंध में गांव चिकोड़ी में वृद्ध अभिभावकों का शोषण एवं उत्पीड़न (मामला सं0 13/10/2/2013)

11.12 श्री दयानंद एस.बागी ने अपनी शिकायत दिनांक 12 दिसम्बर 2012 में यह आरोप लगाया था कि गांव चिकोडी में रहने वाले उसके प्रतिद्वंदी ने उसके वृद्ध अभिभावकों का शोषण एवं उत्पीड़न तथा मार-पीट किया तथा एक कृषि योग्य जमीन के टुकड़े को लेकर उनके साथ विवाद चल रहा है।

11.13 पुलिस अधीक्षक, बेलगांव ने रिपोर्ट किया कि शिकायतकर्ता एवं उसके प्रतिपक्ष की कृषि भूमि साथ-साथ है तथा पेड़ों को काटने के संबंध में दोनों का झगड़ा हुआ। प्रतिपक्ष ने फिर भी पेड़ों को

काटा, जो कि कुएं के किनारे पर थे तथा जिसके पत्ते कुंए में गिरे और कुंए का पानी दूषित हो गया। शिकायतकर्ता का पिता पुलिस स्टेशन चिकोडी में उसकी शिकायत दर्ज करवाने गया जिस पर पी एस आई चिकोडी ने दोनों पक्षों को बुलाया तथा किसी सरकारी एजेंसी के माध्यम से उनकी जमीन का सर्वेक्षण करवाने का निर्देश दिया। दोनों पक्ष सहमत हो गए तथा मामले का निराकरण कर लिया। काटे गए पेड़ों की कीमत 3000 रुपये तय की गई तथा जब तक उनकी जमीन का सर्वेक्षण नहीं किया जाए तब तक गांव के किसी बुजुर्ग के पास वह राशि रखी गई।

11.14 शिकायतकर्ता ने पुलिस रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणी के माध्यम से पुलिस द्वारा प्रतिपक्ष के कहने पर उसके अभिभावकों की पिटाई एवं उत्पीड़न के विषय को उजागर किया।

11.15 पुलिस अधीक्षक, बेलगांव ने अपने दिनांक 24 जून 2014 के पत्र द्वारा रिपोर्ट दी थी कि याचिकाकर्ता के पिता ने कहा था कि प्रतिपक्ष द्वारा किसी प्रकार का उत्पीडन नहीं किया गया तथा उसने राय दी थी कि इस याचिका पर आगे जांच की आवश्यकता नहीं है।

11.16 आयोग ने 4 फरवरी 2015 को मामला बंद कर दिया क्योंकि पक्षों के बीच मामलों को आपस में निपटा दिया गया था।

3 मृतक कर्मचारी के पीफ/इ डी एल आई दावे के भुगतान में देरी (मामला संख्या 1866/25/5/2012)

11.17 आयोग को श्रीमती बंदना भट्टाचार्य, पत्नी स्वर्गीय विजन कुमार भट्टाचार्य से दिनांक 20 नवम्बर 2012 को एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें बताया गया था कि उनके पति की मृत्यु 13 दिसम्बर 1995 को हो गई थी परन्तु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कोलकाता उसे भविष्य निधि एवं अन्य दावों का भुगतान नहीं कर रहा जबकि उसने क्लेम फार्म जमा करा दिया था। इसके अलावा प्राधिकारीयों द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा था जिससे उसकी और उसके तीनों बच्चों की जिन्दगी दुभर हो गई थी।

11.18 जवाब में यह बताया गया था कि शिकायतकर्ता के दावे का भुगतान बहुत पहले 2001 में कर दिया गया था तथा समय पर पेंशन का भुगतान भी किया जा रहा था। इसके अलावा 26 अप्रैल 2013 को 2,11,048/- रुपये भविष्य निधि की राशि का भुगतान भी किया गया। ई डी एल आई दावा (फार्म - 5 आई एफ) के भुगतान के संबंध में यह बताया गया कि शिकायतकर्ता इस लाभ की पात्र नहीं थी क्योंकि सदस्य की मौत सेवा अवधि के दौरान नहीं हुई थी। उपरोक्त रिपोर्ट 30 अगस्त

2013 को शिकायतकर्ता की टिप्पणी के लिए भेजी गई थी, परन्तु निर्धारित अवधि के भीतर कोई जवाब नहीं आया था।

11.19 आयोग ने 3 जुलाई 2014 को मामले पर आगे विचार किया तथा यह टिप्पणी की :-

"याचिकाकर्ता के पति विपिन कुमार भट्टाचार्या की मृत्यु 13-12-1995 को हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार, भविष्य निधि दावे का भुगतान 26-4-2013 से किया गया। देरी का कारण स्पष्ट नहीं किया गया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसने 17-7-2007 को दावा फार्म जमा करा दिया था परन्तु भविष्य निधि अधिकारी उसे प्रताडित कर रहा था तथा इसी कारण से उसने इस मामले में हस्तक्षेप की प्रार्थना की थी। अत: प्रथमदृष्टया इस मामले में याचिकाकर्ता के मानव अधिकारों का हनन प्रतीत होता है। मामले में आयोग द्वारा पी एच आर अधिनियम 1993 की धारा 18 के तहत आगे की कार्यवाही करने से पहले आयुक्त, केन्द्रीय भविष्य निधि सेगठन, नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-11, एस आर ओ, हावडा पश्चिम बंगाल को नाटिस जारी कर भविष्य निधि दावे के भुगतान में असामान्य देरी की जांच करने, जिम्मेदारी निर्धारित करने तथा 6 सप्ताह के भीतर की गई कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा जाए। केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त आयोग को उसकी ओर से इस अवधि के भीतर इसी प्रकार के अन्य मामलों में भी किए गए उपचारी उपयों की जानकारी दे।"

11.20 जवाब में अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सी एस डी) ने बताया कि आयोग के निर्देशों के अनुपालन में, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता द्वारा मृतक सदस्य के भविष्य निधि/ई डी एल आई भुगतान में देरी के विषय में जांच की गई थी। जांच के अनुसार, संस्था, मैसर्स शिवमोनी प्राइवेट लिमिटेड प्रारम्भ में एस आर ओ पार्क स्ट्रीट के अधिकार क्षेत्र में था। वर्ष 2006 कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय को मान्यता मिली तथा यह संस्था क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता में स्थानांतरित हो गया। जांच के अंनुसार, देरी के कारणों का पता लगाया गया तथा संबद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों अर्थात दो प्रवर्तन अधिकारियों, अनुभाग पर्यवेक्षक एवं संबद्ध डीलिंग सहायक को आरोप ज्ञापन जारी किए गए तथा उनके जवाब प्राप्त होने पर अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा जो भी उचित कार्यवाही होगी, की जाएगी।

11.21 आयोग ने मामले पर विचार कर यह देखा तथा निम्नलिखित निर्देश दिए–

" यह सत्य है कि याचिका कर्ता का पति श्री विपिन कुमार भट्टाचार्या, जो मैसर्स शिवमोनी प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत था, की मृत्यु 13-12-1995 को हुई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का दावा ह कि वर्ष 2001 में विधवा पैंशन एवं बाल पैंशन का निपटारा किया गया था। हालांकि शोक

संतप्त परिवार को पेंशन प्रारम्भ करने की तिथि नहीं बताई गई। यह भी एक तथ्य है कि याचिकाकर्ता ने 11-7-2007 को भविष्य निधि भुगतान हेतु अपना दावा पुन: प्रस्तुत किया था। अब विभाग का यह तर्क कि दावे के प्रस्तुत करने बाद परिवार के विवरण का पता लगाने की आवश्यकता है, का कोई आधार नहीं है क्योंकि पारिवारिक पेंशन पहले ही वर्ष 2001 में संस्वीकृत की जा चुकी थी। नि:संदेह रूप से विभाग को वर्ष 2001 में ही परिवार का विवरण मालूम था। यह विश्वास करना मुश्किल है कि भविष्य निधि दावे की प्रामाणिकता एवं आगे की प्रिक्रया के सम्बद्ध में वर्ष 2013 में अन्तिम भुगतान के लिए लगभग 6 वर्ष का समय लग गया। अत: अपर केन्द्रीय भविष्य आयुक्त इस असाधारण देरी को स्पष्ट करने में विफल रहे। फिर भी देरी के कारणों पर अब जांच की गई। जांच के आधार पर इस देरी के लिए दो प्रवर्तन अधिकारियों, अनुभाग पर्यवेक्षक एवं संबंधित डीलिंग असिस्टेंट के विरुद्ध विभाग द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया। अधिकरियों को यह समझना चाहिए कि जब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अधिकारियों के हाथों याचिकाकर्ता की शिकायत का निपटान नहीं हो पाया तभी उसने क्षेत्रीय भविष्य निधि संगठन, कोलकाता के अधिकारियों द्वारा कथित उत्पीडन की शिकायत 20-11-2012 को आयोग में की। नोटिस एवं अनुस्मारक समय-समय पर जारी किए गए तथा जब सशर्त समन जारी किया गया तब अनुभाग अधिकारी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कोलकाता के अधिकारियों/कर्मचारियों ने देरी के बाद पीडित परिवार को आवधिक लाभ एवं परिवारिक पेंशन का भुगतान किया। 8 अधिकारियों/कर्मचारियों को विभागीय रूप से पहले ही दंड दिया जा चुका था। तथा शेष दो कर्मचारियों/अधिकारियों को आरोप-पत्र जारी किए गए थे। याचिकाकर्ता के मानव अधिकारों का उल्लंघन कथित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हुआ था। तथा इसलिए याचिकाकर्ता को मुआवजे के लिए प्रतिनिधिक रूप से राज्य उत्तरदायी है। इन परिस्थितियों में याचिकाकर्ता को 6 सप्ताह के भीतर 1,00,000/- रुपये की अंतरिम राहत का भुगतान करने की संस्तुति की गई। सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार 6 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को किए गए भुगतान का साक्ष्य प्रस्तुत करें। केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, भविष्य निधि भवन, 14 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली को निर्देश दिया गया कि इस अवधि के भीतर मामले में शेष दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों क विरुद्ध आरम्भ की गई विभागीय कार्यवाही का निष्कर्ष प्रस्तुत करें।

11.23 जवाब में अवर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता श्री वंदना भट्टाचार्या को 29 जनवरी 2015 को 1,00,000/- रुपये की राशि का भुगतान किया गया।

11.24 आयोग ने तब 20 मई 2015 को मामले पर विचार किया जब इसने देखा तथा यह निर्देश दिया:--

"आयोग ने तब 20 मई 2015 को मामले पर विचार किया। रुपये 1,00,000 की अंतरिम राहत राशि, जैसा कि आयोग ने संस्तुति की थी, का भुगतान याचिकाकर्ता को किया गया। कर्मचारी

भविष्य निधि संगठन के दोषी कर्मियों (8) पर विभागीय रूप से कार्यवाही की गई तथा शेष दो के विरुद्ध कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अवर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली तथा केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी निधि संगठन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार मुख्यालय, भविष्य निधि, 14 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-66 हालांकि यह सुनिश्चित करें कि शेष अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही त्वरित रूप से समाप्त की जाए। इन निर्देशों सहित राज्य प्राधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों को रिकॉर्ड में रखकर मामले को बंद किया जाता है।

4. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार से सेवानिवृत्त अनुसूचित जाति के कर्मचारी को पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान नहीं करना (मामला सं. 507/3/9/2014)

11.25 श्री त्रिनाथ बेहेरा, एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति तथा पूर्व आर एल सी (सी) गुवाहाटी, ने 28 अगस्त 2014 को सेवानिवृत्त हुए परन्तु उनकी ओर से सभी सेवानिवृत्ति संबंधी कागज जमा करवाने के बावजूद उनकी पेंशन, ग्रेचुटी, भविष्यि निधि, लीव एनकैशमेंट एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान नहीं किया गया। आयोग ने 20 सितम्बर 2014 को मामले पर संज्ञान किया तथा सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया।

11.26 आयोग के निर्देशों के अनुपालन में अवर सचिव (एस एस-1), भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (लोकशिकायत प्रकोष्ठ), नई दिल्ली ने 21 एवं 27 अक्टूबर 2014 के पत्रों के माध्यम से नोटिस की प्रति मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), श्रम एवं रोजगार, मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रेषित की। शिकायतकर्ता ने दिनांक 13 सितम्बर 2014 एवं 17 नवम्बर 2014 को दोबारा लिखा था कि अभी तक उन्हें प्रोवीजनल पेंशन/पेंशन, भविष्य निधि, लीव एनकैशमेंट, ग्रेचुटी एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त नहीं हुए तथा वे कष्टों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने आयोग में व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का आग्रह किया। आयोग ने रिकॉर्डों का अवलोकन किया तथा पाया कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसूचित जाति के अधिकारी को 'अंतरिम पेंशन' का भुगतान तक नहीं किया गया। उसे उसके लीव एनकैशमेंट, पीएफ तथा ग्रेचुटी जैसे सेवानिवृत्ति भुगतान भी नहीं किये गए जो किसी भी कानून के किसी भी प्रावधान के तहत रोके नहीं जा सकते तथा उनके अन्य सेवानिवृत्ति देय भी लम्बित थे। ऐसा लगता है कि भुगतान हेतु उनके संस्वीकृति आदेश भी जारी नहीं किए गए, जो उनके मानव अधिकारों, जीवन के अधिकार तथा गरिमामय जीवन जीने के अधिकार का गम्भीर उल्लंघन है। अत: सचिव (श्रम एवं रोजगार), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को अन्तिम अनुस्मारक जारी किया गया कि वे अब तक श्री टी. बेहेरा को ग्रेचुटी, लीव एनकैशमेंट, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को गणना पत्र के साथ-साथ अंतरिम पेंशन/पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान की स्थिति का विवरण प्रस्तुत करने को कहा गया।

11.27 निर्देशों के अनुपालन में श्रम मंत्रालय ने 2 जनवरी 2015 के पत्र द्वारा सूचित किया कि उन्हें भविष्य निधि एवं लीव एनकैशमेंट की निकासी कर दिया गया तथा पेंशन की निकासी के लिए पी पी ओ जारी कर दिया गया है। रिपोर्ट वर्तमान में आयोग के विचाराधीन है।

* * * * *

अध्याय-12

अशक्त व्यक्तियों के अधिकार

12.1 भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 2.68 करोड़ लोग अशक्त हैं, जो जनसंख्या का 2.21 प्रतिशत है। इनमें दृष्टि बाधित, श्रवण दोष, नाक दोष, अपंग, मानसिक अस्वस्थता, बहु अशक्तता आदि शामिल हैं। जनगणना डाटा यह उदाहरण भी देता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 69.50 प्रतिशत अशक्त व्यक्ति रहते हैं।

12.2 भारत का संविधान इसकी प्रस्तावना के माध्यम से मौलिक अधिकारों एवं राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत राज्य को अशक्त व्यक्तियों के पक्ष में सकारात्मक हस्तक्षेप के उपाय अपनाने की शक्ति देते हैं। इन्हें प्रारम्भ में अशक्त व्यक्तियों के अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र प्रसंविदा 2006 द्वारा दोहराया गया तथा 1 अक्टूबर 2007 को भारत सरकार द्वारा समर्थित किया गया था। उदाहरण के लिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून तथा कानून के समक्ष सभी नागरिकों को समानता तथा कानून का समान संरक्षण की गारंटी देता है। यू एन सी आर पी डी का अनुच्छेद 5.1 भी इसी को मान्यता देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद इसके अलावा धर्म, रंग, जाति, लिंग, जन्मस्थ्ल अथवा इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव को निषेध करता है, जबकि अनुच्छेद 16 लोक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता का प्रावधान करता है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित इन अनुच्छेदों में अशक्त व्यक्ति भी शामिल हैं। यू एन सी आर पी डी का अनुच्छेद 5.2 इसी को दोहराता है।

12.3 राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों से संबंधित संविधान का अनुच्छेद 41 राज्य को निदेश देता है कि अपनी आर्थिक क्षमता एवं विकास की सीमाओं के भीतर, कार्य, शिक्षा तथा बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी एवं अशक्तता के मामलों में लोक सहायता के अधिकार की रक्षा हेतु प्रभावी प्रावधान करें। इसमें भी अशक्त व्यक्ति शामिल हैं। इसकेअलावा संविधिक प्रावधानों में अशक्तता के विभिन्न पहलुओं को चार अधिनियम नियंत्रित करते हैं, नामत: (1) मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (2) भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992 (3) अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 तथा (4) ऑटिज़्म, सेरेबरल पालसी, मानसिकमंदता एवं बहु अशक्तता युक्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 इसके अतिरिक्त, अशक्तों के लिए राष्ट्रीय नीती, 2006 भी है।

12.4 निस्संदेह केन्द्र सरकार 'अशक्तता' के मुद्दे पर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है परन्तु कुल मिलाकर यह विषय राज्य सरकारों, पंचायतों एवं नगर-निगमों के पास ही है। यू एन सी आर पी डी के लागू होने तथा इसके मई 2008 में वैकल्पिक प्रोटोकॉल के आने से सभी अशक्त व्यक्तियों के

सभी मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रताओं के समान उपभोग करने तथा उनके संरक्षण, संवर्द्धन तथा उनकी अंतर्निहित गरिमा के सम्मान को प्रोत्साहित करने को सुनिश्चित करने के प्रयासों में नए युग का आरंभ माना गया है। हालांकि अशक्त लोग हमेशा से ही उन सभी अधिकारोंके पात्र हैं जैसेकि अन्य व्यक्ति हैं, परन्तु यह पहली बार था कि उनके अधिकारों को बाध्यकारी अनतरराष्ट्रीय दस्तावेजों में व्यापक रूप से दिया गया जिसमें उनके अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन सुनिश्चित करने तथा लागू करने के लिए प्रसंविदा के लिए राज्य पक्षकारों से दृढ़ संकल्प की मांग की गई।

12.5 आयोग, जिसने पूर्व में यू एन सी आर पी डी के मसौदे में सक्रिय भूमिका निभाई थी, अशक्तताके मुद्दे को मानव अधिकार परिप्रेक्ष्य से देख रहा है ताकि उन पर अधिकार धारी के रूप में विचार किया जाए न कि दया के पात्र के रूप में। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान आयोगने निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की :--

क. मानसिक स्वास्थ्य

12.6 भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रावधान दिया गया है - "जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण" न्यायिक रूप से कि जीवन का अधिकार जिसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है, के अर्थ एवं संभावना की व्याख्या करता है तथा इसे एक मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी देता है। अतः यह अत्यावश्यक है कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति बेहतर गुणवत्ता वाली मानसिक स्वास्थ्य देखरेख तथा मानव जीवन की दशाएं न केवल संस्थानों में बल्कि अपने घरों में भी पाएं। इसके बावजूद मानसिक स्वास्थ्य देखरेख को एक महत्त्वपूर्ण लोक स्वास्थ्य विधेयकों, में नहीं समझा जाता। भारत में मानसिक स्वास्थ्य विधेयकों, खासतौर पर, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 तथा अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम 1995 का एक समान उद्देश्य है कि गरिमापूर्णजीवन मुहैया कराना, मानव अधिकारों का संरक्षण तथा मानसिक स्वास्थ्य के प्रोत्साही, निवारक एवं उपचारी पहलुओं को उपलब्ध कराना। हालांकि उनके अप्रभावी कार्यान्वयन के कारण इन अधिनियमों के अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए।

12.7 देश में मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को अंतर्निहित अतिसंवेदनशीलता देते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग उनके अधिकारों के संरक्षण के विषय में चिंतित है। खासतौर पर देश में मानसिक स्वास्थ्य देखरेख के संरचना की अपर्याप्तता के लिए चिंतित है क्योंकि अनेक अस्पतालों में मूलभूत संरचनागत सुविधाओं की कमी है। अपने सांविधिक मानव अधिकारों के संरक्षण एवे संवर्द्धन के अधिदेश के भाग के रूप में आयोग ने शुरुआत ही इस वर्ग के गरिमापूर्ण जीवन को सुरक्षित करने की दिशा में प्रयास किए हैं। वास्तव में यह आयोग का प्रयत्न है कि उन्हें उन संस्थानों में उचित देखरेख एवं संरक्षण मुहैया कराया जाए जहां उन्हें उपचार हेतु भर्ती कराया गया हो। जैसेकि देशभर के राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन मानसिक स्वास्थ्य देखरेख संस्थानों, जहां इन व्यक्तियों को बंद

अथवा, उपचार, उनके सुधार एवं संरक्षण हेतु भर्ती किया गया है, का दौरा करता है, ताकि उनके जीवन-यापन की दशाओं का अध्ययन किया जा सके तथा उनके सुधार के विषय में सरकार को जानकारी हेतु संस्तुतियां देता है।

12.8 वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय, भारत द्वारा रिट याचिका (आपराधिक) सं 1900/1981 डा उपेन्द्र बख्शी बनाम उत्तरप्रदेश शासन एवं अन्य में दिए गए निर्देशानुसार आयोग आगरा, ग्वालियर एवं रांची में तीन मानसिक अस्पतालों के क्रिया-कलापों की मॉनिटरिंग करता आ रहा है। इसी वर्ष में आयोग ने मानसिक स्वास्थ्य दशा, खासतौर पर मानसिक अस्पतालों में, की समीक्षा का एक प्रोजेक्ट निमहंस को सौंपा था। इस प्रोजेक्ट के निष्कर्ष को "मानसिक स्वास्थ्य में गुणवत्ता आश्वासन" शीर्षक से प्रकाशित किया गया। आयोग ने मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों की समस्याओं तथा बेहतरी के, जिसमें उनकी मूलभूत आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जिसमें स्वास्थ्य बीमा एवं पेंशन जैसी सुविधाओं की सुगमता शामिल हैं, के अध्ययन हेतु मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कोर समूह का गठन भी किया।

12.9 वर्ष 2008-2009 में आयोग ने भारतीय चिकित्सा परिषद (एम.सी.आई.) तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में पर्याप्त मानवशक्ति की मांग को पूरा करने के लिए उनके प्रयासों को बढाने का आग्रह किया। एम सी आई से प्रस्ताव किया गया था कि मनोरोग विज्ञान में स्नात्तकोत्तर स्तर पर 'एक छात्र हेतु एक प्रोफेसर' के वर्तमान मानक के स्थान पर 'दो छात्रों हेतु एक प्रोफेसर' छूट दी जानी चाहिए। बाद में मानसिक स्वास्थ्य एवं मानव अधिकार पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोग ने एन एल एस आई तथा निमहंस के सहयोग से बैंगलोर में आयोजित किया। इसके पश्चात वर्ष 2009-2011 के दौरान आयोग द्वारा मानसिक स्वास्थ्य पर 5 क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें आयोजित की गई तथा अनेक संस्तुतियां की गईं तथा अनुपालन हेतु सभी पणधारियों को भेजी गई।

12.10 मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों की दशाओं को गंभीरता से देखा गया है खासतौर पर उचित चिकित्सा देखरेख एवं ध्यान दिए बिना जेलों में गलत प्रकार से पड़े व्यक्तियों की दशाओं को आयोग की प्रभावी मॉनिटरिंग के कारण ही विभिन्न जेलों में पड़े मानसिक तौर पर बीमार अनेक व्यक्तियों की संख्या में यथोचित कमी आई। इसके साथ ही आयोग ने बिना देखभाल एवं उपचार के गलियों में घूमने वाले मानसिक रूप से बीमारों की दुर्दशा के विषय में भी गम्भीर रूप से चिंतित है। इन व्यक्तियों को दुव्यवहार का सामना करना पड़ता है तथा महिलाओं के मामले में इन्हें यौन शोषण का शिकार होना पडता है। यह सब विधि-प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम,1987 के प्रावधानों का ठीक से कार्यान्वयन न होने तथा इस विषय में सीमित ज्ञान होने के कारण होता है। इस सम्बन्ध में आयोग ने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम,1987 की धारा 25 पर जोर देने के लिए सभी राज्यसरकारों एवं संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन से पुन कहा है जो कि इस

प्रकार के मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के संबंध में पुलिस अधिकारियों की शक्तियों एवं कर्त्तव्यों का उल्लेख करता है।

12.11 बाद में आयोग ने मध्यप्रदेश के छिन्दवाडा जिले में चमत्कारी हनुमान मंदिर में, गलत धारणा कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति अपने आराध्यके आशीर्वाद से ठीक हो जाएंगे, दुर्दिन में पडे हुए मानसिक रोगियों की दुर्दशा के प्रति ध्यान दिया। रा.मा.अ.आ. के आग्रह पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालयसे एक टीम निमहंस बैंगलोर से हनुमान मन्दिर एवं सिविल अस्पताल छिंदवाडा जिले में भेजी गई है। रिपोर्ट की संस्तुतियों के आधार पर आयोग ने मध्य प्रदेश शासन को सुझाव दिया कि वे सुनिश्चित करें कि जिला प्राधिकारी मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए उचित गृह बनाएं। जहां वे रह सकें तथा उनका उपचार एवं पुनर्वास कराएं।

12.12 मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के मानव अधिकारों संरक्षण की दिशा में ठोस प्रयासों को आगे ले जाने के लिए आयोग ने 27 फरवरी 2013 को माननीय उच्चतम न्यायालय से (याचिका सं. सी.आर.एल.एम.पी. सं. 8032/2013, 1981 की रिट याचिका सं. 1900, डॉ. उपेन्द्र बक्शी बनाम उत्तरप्रदेश राज्य एवं अन्य तथा रा.मा.अ.आ.) निम्नलिखित चिंता के क्षेत्रों में उपचारी कार्रवाई हेतु उचित निर्देश देने की मांग की -

- मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं की गहनता की पहचान हेतु देशव्यापी संक्रामक रोग-विज्ञान सर्वेक्षण करवाने है तथा समस्या की वर्तमान एवं भविष्य की जरूरतों को ध्यानमें रखते हुए कार्य, वित्तीय बाध्यताएं, समय-सीमा आदि को शामिल कर परिदृश्य योजना तैयार करने की आवश्यकता है (कार्रवाई - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)

- चूंकि मानसिक स्वास्थ्य संस्थान/अस्पताल गंभीर वित्तीय बाध्यताएं झेल रहे हैं क्योंकि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उन्हें पर्याप्त संसाधन आवंटित नहीं किए जाते, केन्द्र एवं राज्य सरकारों को इन संस्थानों /अस्पतालों के नियमित रख-रखाव एवं भौतिक संरचना को अद्ययतन करने के लिए वित्तीय संसाधनों का उचित आवंटन सुनिश्चित करना चाहिए। (कार्रवाई : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य सरकारें)

- मानसिक अस्पतालों के निदेशकों एवं अधीक्षकों को पर्याप्त प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों की कमी के कारण उनके क्रिया-कलापों पर गंभीर रूप से प्रभाव पड़ रहा है, इन संस्थानों को उनके कार्यों का प्रबंधन करने के लिए पूर्ण रूप से स्वायत्त किया जाना चाहिए। (कार्रवाई: राज्य सरकारें)

- विद्यमान राज्य द्वारा चलाए जा रहे मानसिक अस्पतालों को पर्याप्त वित्तीय एवं मानव शक्ति संस्थानों सहित शिक्षण-सह-प्रशिक्षण संस्थानों में परिवर्तित किया जाना चाहिए। (कार्रवाई: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकारें)

- जैसा कि रा.मा.अ.आयोग द्वारा संस्तुति की गई है इन संस्थानों/अस्पतालों को अविलम्ब चिकित्सीय एवं अर्द्ध-चिकित्सीय मानव शक्ति संस्वीकृत करने के लिए संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा निर्देश दिए जाने चाहिए। (कार्रवाई: राज्य सरकारें)

- भारतीय चिकित्सा परिषद् की वर्तमान शर्तों में छूट देकर एमडी साइकेट्री, एम.फिल क्लीनिकल साइकोलॉजी तथा साइकेयेट्रिक सोशलवर्क में चिकित्सा कॉलेजों में पर्याप्त सीटों की व्यवस्था की जानी चाहिए। (कार्रवाई: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)

- देश में मानसिक अस्पतालों, चिकित्सा कॉलेजों अस्पतालों एवे जिला अस्पतालों के प्रबंधन हेतु मनोचिकित्सकों, न्यूरोलॉजिस्टों, न्यूरोसर्जनों, क्लीनिकल साइकोलॉजिस्टों, साइकेट्रिक सोशल वर्करों, नर्सों एवं अन्य कार्मिकों की एक एकीकृत टीम को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। (कार्रवाई: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य सरकारें)

- केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा स्थापित अस्पतालों में उनके चिकित्सा अधिकारियों के लिए उसे 12 महीने की अवधि के मनोचिकित्सा में अल्पावधि के कार्यक्रमों को शामिल करना चाहिए ताकि प्रत्येक जिले को प्रशिक्षित डॉक्टर उपलब्ध कराए जा सकें, जहांपर कोई मनोचिकित्सक उपलब्ध नहीं है। (कार्रवाई: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य सरकारें)

- मनोचिकित्सा एवं मानसिक स्वास्थ्य को एम बी बी एस परीक्षा में एक अनिवार्य स्वतंत्र विषय बनाया जाना चाहिए ताकि युवा चिकित्सा व्यवसायी शुरुआत में ही समस्या को पहचानने में सक्षम हो सकें। (कार्रवाई: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)

- प्रत्येक राज्य/संघशासित क्षेत्र में आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित, बेहतर-विकसित संरचना एवं मानकों के अनुसार पर्याप्त चिकित्सीय एवं अर्द्धचिकित्सीय मानव शक्ति सहित कम से कम एक मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल होना चाहिए। (कार्रवाई: राज्य सरकारें)

- प्रत्येक राज्य सरकार को स्थानीय भाषा में मानसिक स्वास्थ सम्बन्धी सूचना, शिक्षा एवं संचार संदेशों को डिजाइन करने के लिए संस्थागत प्रणाली की स्थापना करनी चाहिए तथा जनता के बीच इसका प्रचार करना चाहिए। (कार्रवाई: राज्य सरकारें)

- विद्यमान मानसिक स्वास्थ्य अस्पतालों में जीवन-यापन की दशाओं, पोषण उपलब्ध कराने एवं भोजन, जल आपूर्ति, स्वच्छता एवं साफ-सफाई, पर्यावरण, सफाई, मनोरंजन आदि में सभी कमियों के दूर करने में समयबद्ध तरीके से संबद्ध राज्य/केन्द्र शासित प्रशासनों द्वारा उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। (कार्रवाई: राज्य सरकारें)

- केन्द्र सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य देखरेख संबंधी सेवाओं एवं मानव संसाधन मानव शक्ति का राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार किया जाना चाहिए। जिससे आवधिक रूप से अद्यतन किया जाना चाहिए। (कार्रवाई: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)

12.13 मामले की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि रा.मा.अ.आयोग के आवेदन के जवाब में सचिव, स्वास्थ्य के माध्यम से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें, जिसमें राष्ट्रीय एवं जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्राप्त राशि तथा इन कार्यक्रमों पर खर्च के कार्यान्वयन की मात्रा शामिल हों।

12.14 रिपोर्ट की अवधि के दौरान उच्चतम न्यायलय ने केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं कुछ राज्यों से जवाब प्राप्त किए। इस बीच जमीनी स्तर पर वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए आयोग ने अपने विशेष संपर्ककर्ताओं से आग्रह किया कि वे उनके द्वारा कवर किए जाने वाले राज्यों के साथ-साथ संबद्ध विभागों में सरकार द्वारा संचालित मानसिक स्वास्थ्य देखरेख संस्थानों का दौरा करें ताकि जिन राज्य सरकारों से जवाब प्राप्त हुए हैं अनके शपथ-पत्र में दिए गए तथ्यों का सत्यापन हो सके तथा आयोग को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि इस मामले में उचित निर्देश हेतु उच्चतम न्यायालय को वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट दी जा सके।

12.15 इस उद्देश्य हेतु आयोग ने एक विस्तृत प्रश्नावली तैयार कर इसके परामर्शदाता के माध्यम से उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। कथित प्रश्नावली का पुनरीक्षण किया गया तथा पूछे गए प्रश्नों के लिए सूचना देने हेतु सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के संबंधित प्राधिकारियों को भेजा गया तथा रा.मा.आ. के विशेष संपर्ककर्ताओं द्वारा भी इस्तेमाल किया गया।

12.16 परिचालित एवं प्रयोग की गई प्रश्नावली के साथ-साथ संबंधित दस्तावेजों के साथ अग्रेषित प्रश्नावली के उत्तर में राज्य सरकारों एवं विशेष संपर्ककर्ताओं से प्राप्त सूचना की जांच करने की दिशा में आयोग ने 23 मार्च 2015 को मानसिक स्वास्थ्य विषय पर चार सदस्यीय तकनीकि समिति का गठन किया जिसमें मानसिक स्वास्थ्य एवं न्यूरो साइंसेज के राष्ट्रीय संस्थान, बेंगलोर, मानसिक स्वास्थ्य एवं अस्पताल संस्थान, आगरा, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एण्ड अलाइडर साइंसेस, दिल्ली, तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का एक-एक प्रतिनिधि शामिल किया गया। इस समिति के गठन का उद्देश्य इकट्ठा की गई जानकारी के आधार पर देश में मानसिक स्वास्थ्य देखरेख की स्थिति की पड़ताल करना तथा बेहतरी के लिए विशेष एवं क्रियात्मक सुझाव उपलब्ध करनेके साथ-साथ इसमें कमियों का पता लगाने में उच्चतम न्यायालय एवं आयोग को सहायता प्रदान करना था।

12.17 इस वार्षिक रिपोर्ट को लिखते समय उच्चत न्यायालय ने देशभर में स्थित विभिन्न संस्थानों में विद्यमान वास्तविक स्थिति के भौतिक सत्यापन करने के लिए केन्द्र सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार को एक समिति गठित करने का निर्देश दिया जिसकी अध्यक्षता सचिव अथवा संयुक्त सचिव करें, साथ ही राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य सचिव तथा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के साथ-साथ राज्य/संघ शासित क्षेत्रों में से प्रत्येक के दो-दो प्रतिष्ठित डॉक्टर भी शामिल हों।

(ख) मानसिक स्वास्थ्य एवं मानव अधिकारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन

12.18 मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को वापस समाज में लाने के लिए सम्मानित देख-रेख एवं उपचार, पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए सभी पणधारियों की ओर से समन्वयित एवं संगठित प्रयास के लिए देखने एवं आगे विचार-विमर्श करने के लिए आयोग ने नई दिल्ली में 30 मई 2014 को 'मानसिक स्वास्थ्य एवं मानव अधिकार' विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य थे:-

(1) मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के ऐसे तरीकों पर चर्चा करना जिन्हें उपलब्धता, पहुँच, वहन योग्य क्षमता एवं गुणवत्ता वाले मानसिक स्वास्थ्य देखरेख के मानव अधिकार परिप्रेक्ष्य से मजबूत बनाया जा सके। (2) मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के प्रबंधन में समुदायों को संलग्न करने की सोच एवं बेहतर प्रथाओं का आदान-प्रदान करने पर चर्चा (3) उन तरीकों पर चर्चा करना जिनसे मानसिक स्वास्थ्य देखरेख के लिए मानव संसाधनों में सुधार किया जा सके ताकि मानसिक रोगियों को उचित देखरेख एवं उपचार प्रदान किया जा सके (4) मानसिक रोगों के विषय में तथ्यपरक सूचना देने तथा वैज्ञानिक तरीकों से इनका सामना करने के तरीकों के संबंध में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, लोगों के बीच जागरुकता उत्पन्न करने के लिए रणनीतियों पर चर्चा।

12.19 सम्मेलन में तीन तकनीकी सत्रों में तीन स्वायत्त विषयों पर चर्चा की गई जिनमें मानसिक स्वास्थ्य देखरेख के लिए संरचना एवं मानव संसाधनों का सुदृढ़ीकरण (सत्र-1), भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखरेख: कार्यक्रमों एवं नीतियों की वर्तमान स्थिति (सत्र-2), तथा मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों का प्रबंधन: बेहतर प्रथा साझा करना (सत्र-3) शामिल थे।

12.20 मानसिक स्वास्थ्य एवं मानव अधिकार पर राष्ट्रीय सम्मेलन के विचार-विमर्श से उभरी संस्तुतियां अनुलग्नक-10 में दी गई है। इन्हें बाद में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को इस आग्रह के साथ अग्रेषित किया जाए। वार्षिक रिपोर्ट लिखने के समय आयोग ने समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा भारतीय चिकित्सा परिषद से जवाब प्राप्त किया था। भारतीय चिकित्सा परिषद ने 21 जनवरी 2015 को अपने पत्र द्वारा सूचित किया कि परिषद की कार्यकारी समिति ने 28 अक्टूबर 2014 को आयोजित शैक्षिक समिति की बैठक की निम्नलिखित संस्तुतियों का अनुमोदन किया:

"शैक्षिक समिति ने 30 मई 2014 का आयोजित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संस्तुतियों का संज्ञान लिया तथा निम्नलिखित सुझाव दिए:

- एन सी आई का अधिदेश सीमित है।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा किए गए प्रयासों का संज्ञान लिया गया।
- शेष भारतीय चिकित्सा परिषद के क्षेत्र में नहीं आते हैं।

समिति ने यह भी सिफारिश की कि उचित सी एम ई कार्यक्रम में पुन: वैधता/पुन प्रमाणन हेतु दिए गए कुल घण्टों मं से मानसिक स्वास्थ्य हेतु 3 जमा घण्टे अलग से दिए जाने चाहिए तथा मानसिक स्वास्थ्य सामर्थ्य की अद्यतन सूचना को समाविष्ट किया जाना चाहिए।"

12.21 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संस्तुतियों के कार्यान्वयन पर कार्य करने के साथ-साथ की गई कार्रवाई की सूचना देने के लिए सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों से आयोग ने एक बार पुन: आग्रह किया है।

(ग) अशक्त व्यक्तियों के संबंध में रा.मा.आ. संस्थानों की बैठक, स्वतंत्र मॉनीटरिंग यंत्रावली तथा समिति

12.22 आयोग ने पहली बार अशक्त व्यक्तयों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र प्रसंविदा के अनुच्छेद 33.2 के तहत आदेशित रा.मा.अ. संस्थानों, स्वतंत्र मॉनीटरिंग निकायों की पहली बैठक तथा 25 सितंबर 2014 को जिनेवा में आयोजित अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर समिति में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य इस संबंध में समिति दिशा-निर्देशों के विकास के लिए सहयोग देना था। बैठक में घरेलू स्तर पर सिमति एवं रा.मा.संस्थानों एवं अन्य राष्ट्रीय मॉनीटरिंग यंत्रावली के बीच समन्वय एवं संलिप्तता हेतु आगे के अवसर तलाशने पर भी विचार किया गया। बैठक में आयोग के महासचिव, संयुक्त सचिव (प्रशि. एवं. अनु.) तथा संयुक्त निदेशक (अनुसंधान) ने भाग लिया। विचार-विमर्श के दौरान महासचिव द्वारा एक वक्तव्य भी दिया जिनमें अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन में रा.मा.आयोग की भूमिका के विषय में जानकारी दी।

(घ) अशक्त व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, 2014

12.23 वर्ष 2013-2014 की आयोग की पिछली वार्षिक रिपोर्ट में यह रिपोर्ट किया गया था कि आयोग अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के विधेयक 2012 जिसका मसौदा अशक्तता मामलों के विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यूएनसीआरपीडी के उपबन्धों को ध्यान में रखकर प्रचार किया गया था, के विकास कोआयोग नजदीक से देख रहा था। यह विधेयक अंगीकृत करने पर वर्तमान अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 के स्थान पर आ जाएगा। जबकि रा.मा.आ. अपने सुझावों/टिप्पणीयों के साथ तैयार था, इस बीच अशक्तता मामलों के विभाग ने 2012 अशक्तता विधेयक को रूपांतरित किया तथा संसद के समक्ष रखने के लिए इसकी घोषणा करने से पूर्व 2013 दिसम्बर में कैबिनेट द्वारा विधेयक को स्वीकृति देने के लिए

रखा। अशक्त व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2013 को संसद में वर्ष 2014 में प्रस्तुत किया गया।

12.24 इस अवधि के दौरान आयोग को नागरिक समाज संगठनों से अनेक निवेदन प्राप्त हुए कि यह विधेयक अपने वर्तमान रूप में किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता तथा न ही यह यूएनसीआरपीडी के साथ समरूपता में था। अशक्त व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, 2014 की जांच करने की दिशा में आयोग ने 5 मई तथा 10 अक्टूबर 2014 को क्रमशः अशक्तता सम्बन्धी रा.मा.आ. के कोर समूह तथा नागरिक समाज संगठनों के साथ दो बैठकें आयोजित की गई चर्चा एवं उनसे प्राप्त टिप्पणीयों के आधार पर आयोग ने विधेयक पर अपने विचारों को रूप दिया। चूंकि विधेयक को बाद में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पर विभाग संबंधित संसदीय स्टैण्डिग समिति को रैफर किया गया, आयोग ने 24 अक्टूबर 2014 को अपने विस्तृत सुझाव इसे भेजे तथा 3 दिसम्बर 2014 को समिति के समक्ष मौखिक प्रस्तुतिकरण भी दिया।

(ड) कुष्ठ रोग पर जागरुकता कार्यक्रम

12.25 आयोग द्वारा एक अन्य पहल के रूप में ससकावा इंडिया लैपरोसी फाउण्डेशन (सी.आई.एल.एफ.), दिल्ली स्थित गैर सरकारी संगठन के सहयोग से स्कूलों में कुष्ठ रोग पर जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में, जिसे 'यंग पार्टनर प्रोग्राम' कहा जाता है, का उद्देश्य कुष्ठ रोग के विषय में स्कूली प्रधानाचार्यों, शिक्षकों एवं बच्चों को संवेदनशील करना था। रिपोर्ट किए गए वर्ष में आयोग ने कार्यक्रम के प्रथम चरण के तहत अपने परिसर में 26 सितंबर 2014 को स्कूली प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों को संवेदनशील करने के लिए कार्यशाला का आयोजन एस.आई.एल.एफ. के सहयोग से किया। कार्यशाला का उदघाटन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री के.जी.बालाकृष्णन ने किया। इस कार्यशाला में 23 दिल्ली स्थित सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों तथा एक-एक शिक्षक को आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम के द्वितीय चरण के तहत- कक्षा 8 एवं 9 के छात्रों के लिए उनके विद्यालयों में कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें एक पोस्टर प्रतियोगिता भी शामिल है।

(च) मानसिक स्वास्थ्य देखरेख विधेयक, 2013 पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

12.26 यू.एन.सी.आर.पी.डी. के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 में संशोधन करना चाहता था। इस उद्देश्य हेतु इसने वर्ष 2010 एवं 2011 में मानसिक स्वास्थ्य देखरेख विधेयक प्रस्तुत किया, जिस पर आयोग ने भी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी अपने कोर समूह के सदस्यों तथा नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक परामर्श करने के बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को अपनी टिप्पणीयां अग्रेषित की। परन्तु इसके कई सुझावों को सम्मिलित नहीं किया गया।

12.27 इसके पश्चात जुलाई 2014 में मानसिक स्वास्थ्य देखरेख विधेयक, 2013 के अधिकारिक संशोधन की एक प्रति, जैसा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर संसदीय स्थाई समिति संबंधी विभाग द्वारा संस्तुति की गई थी, आयोग को गृह मंत्रालय में मानव अधिकार

अनुभाग से इसकी टिप्पणीयों के लिए प्राप्त हुई। अक्टूबर 2014 में प्रस्तुत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, द्वारा जारी भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ नीति के आलोक में आयोग ने मानसिक स्वास्थ्य देखरेख विधेयक, 2013 की पुन: जांच की। आयोग द्वारा 23 जनवरी 2015 को अग्रेषित टिप्पणियां/सुझाव नीचे दिए गए हैं:-

i. यह विधेयक अक्टूबर 2014 में प्रस्तुत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ नीति के सामंजस्य में नहीं था। नीति का उद्देश्य मानसिक बीमारी से बचाव, मानसिक बीमारी से स्वास्थ लाभ की सुविधा देना, लांछन एवं पृथ्थकरण से बचाव को प्रोत्साहित करना तथा मानसिक रूप से बीमार सभी व्यक्तियों को अधिकार-आधारित संरचना सहित उनके पूरे जीवन में सुगम, वहन योग्य एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ देखरेख उपलब्ध कराके मानसिक बीमारी से ग्रस्त कमजोर जनसंख्या का समावेशन सुनिश्चित करना था। इसकी तुलना में यह विधेयक खण्ड़ 19 (अध्याय 5) तथा खण्ड 30 (अध्याय 6) में पृथ्थकरण एवं लांछन नहीं लगाने के विषय में थोड़ा बहुत संदर्भ देता है। इसके अलावा विधेयक के खण्ड़ 19(2) में यह बात स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार पृथ्थकरण रोकना सुनिश्चित किया जाएगा।

ii. यह विधेयक मानसिक सवास्थ्य सेवाओं, जिन्हें मानसिक स्वास्थ्य समस्याओंको असामान्य एवं भारी बोझ सहने वालों, कमजोर जनसंख्या को उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, के विषय में गहराई से व्याख्या नहीं करता है। केवल "उद्देश्य एवं कारण की तालिका" में समाज के कमजोर वर्गा के विषय में संदर्भ दिया गया है जिसे भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यह आदर्श तभी होगा यदि विधेयक एवं नीति परस्पर सामंजस्य की नीति में हों। हालांकि विधेयक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियोंके अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन पर जोर देता है तथा इस उद्देश्य के लिए पूरा अध्याय 5 (खण्ड 18 से 28) समर्पित हैं।

iii. विधेयक में "मानसिक बीमारी" की परिभाषा को और अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता है जैसा कि 2(1)() में दिया गया है। यह इसलिए अनिवार्य है क्योंकि सोच, मूड़, पूर्वाग्रह, अभिमुखीकरण अथवा स्मरण शक्ति की मानसिक दशाओं/विसंगतियों की गलत व्याख्या करने का बहुत अधिक स्थान है, जिससे अंतत: निर्णय लेने, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता अथवा जीवन की सामान्य जरूरतों को पूरा करने की क्षमता अथवा जीवन की सामान्य जरूरतों को पूरा करने की क्षमता अथवा जीवन की सामान्य जरूरतों को पूराकरने की क्षमता के गंभीर विसंगतियों को जगह नहीं देता है।

iv. इसके अलावा वर्तमान मनोचिकित्सीय देखरेख गंभीर रूप से मानसिक तौर बीमार रोगियों के उपचार को अप्रबंधनीय कैद करके रखने को नहीं कहता है, क्योंकि मनोचिकित्सा की विशेषज्ञता के तहत ऐसे बड़ी संख्या में रोगियों की देखरेख की जाती है जो मानसि अवसाद, चिंताग्रस्तता, अत्यधिक विवशता असंगति, दबाव, यौन संबंधी समस्याएं, वस्तु के इस्तेमाल की असंगति, तालमेल की समस्या, निद्रा विसंगति, बच्चों एवे व्यस्कों में याद करने तथा

व्यवहार संबंधी विसंगतियां तथा अन्य ऐसी दशाएं जो इसके तहत पहचानी जाती हैं उनका भी ध्यान रखा जाता है। हालांकि विधेयक में दी गई परिभाषा में इस प्रकार के रोगियों को शामिल नहीं किया गया है। परन्तु अधिनियम का कार्यान्वयन करने वाले अधिकारियों द्वारा उनकी गलत व्याख्या करना संभव है। अत: यह संस्तुति की जाती है कि दी गई व्याख्या को अधिक स्पष्ट बनाया जाए ताकि इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में इस प्रकार के रोगी नहीं लाए जाएं।

v. विधेयक के अध्याय 3 में "प्रगामी निदेशक" का उल्लेख है। इसमें 9 खण्ड हैं। प्रस्तावित विधेयक से प्रगामी निदेशक की अवधारणा को हटाए जाने की आवश्यकताहै। प्रगामी निदेशक तथा नामित प्रतिनिधि (अध्याय 4) पश्चिमी अवधारणाएं हैं तथा बहुत हद तक भारत जैसे देश के प्रतिकूल हैं। इसके अलावा बड़ी मनोवैज्ञानिक बीमारी के समय परिस्थितियों की पहले ही भविष्यवाणी करना असल में संभव नहीं है। इन प्रावधानों का दुरुपयोग होना संभव है तथा दीर्घावधि में मानसिक बीमारी के उचित इलाज से कई रोगी वंचित रह सकते हैं। यह सबसे बड़ा प्रश्नचिह्न है कि कमजोर वर्ग से संबंधित व्यक्ति इस प्रावधान का इस्तेमाल करने में सक्षम हो पाएंगे?

vi. खण्ड 103(10) को परिवर्तित करने की आवश्यकता है, जो कि "आपातकालीन चिकित्सा" से संबंधित है:

" इस अधिनियम में उल्लिखित सभी बातों के बावजूद, पारिवारिक इकाई का अर्थ मनोचिकित्सीय आपातकाल के प्रबंधन हेतु उपचार की सैटिंग, जहां कम से कम एक रिश्तेदार अथवा नामित प्रतिनिधि, जैसा विधेयक के खण्ड 14 में व्याख्यित है, को रोगी के साथ पूरे समय तक रहना होगा, जिसकी अवधि 28 दिनों से अधिक नहीं होगी। पारिवारिक इकाई वर्तमान मनोचिकित्सा अस्पताल अथवा मनोचिकित्सा नर्सिंग होम अथवा मल्टी-स्पेशियलटी जनरल अस्पताल अथवा सरकार के जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जिला अस्पताल अथवा निजी क्षेत्र अथवा अन्य में स्वतंत्र ईकाई के भाग के रूप में हो सकती है।"

इस प्रकार की पारिवारिक इकाई को हालांकि "क्लीनिक्स एण्ड इस्टैबलिशमेण्ट एक्ट" अथवा इसी के समान स्तर के सांविधिक रूप से क्लीनिकल इसटैबलिशमेण्ट, अस्पताल अथवा नर्सिंग होम के प्रावधानों के तहत शामिल होना चाहिए।"

मानसिक रूप से बीमार किसी भी व्यक्ति को, जो एक स्वैच्छिक रोगी के रूप में भर्ती हेतु अपनी सहमति प्रकट नहीं कर सकता अथवा सक्षम नहीं होता, जैसा कि विधेयक में उल्लेख है, जिसे उच्च समर्थन की आवश्यकता है तथा आपातकालीन मनोवैज्ञानिक देखरेख की आवश्यकता है, उसे भर्ती किया जाना चाहिए तथा उसके परिवार के सदस्य की ओर से एक आवेदन लेकर पारिवारिक ईकाई में अंत:रोगी के रूप में रखा जाना चाहिए।

vii. प्रस्तावित विधेयक में मानसिक रोगियों को उच्च स्तर पर समर्थन की आवश्यकता के मानव अधिकार का पूर्ण रूप से उल्लेख नहीं है। विधेयक का खण्ड 98 मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल में 30 दिनों तक उच्च समर्थन हेतु मानसिक रोगी को भर्ती करने तथा उपचार करने का उल्लेख करता है जबकि खण्ड 99 में 30 दिनों के बाद भर्ती का जिक्र है। विधेयक इस प्रकार वर्ष 2007, भारत सरकार द्वारा समर्थित यू.एन.सी.आर.पी.डी के उद्देश्य सामान्य सिद्धांत एवं बाध्यताओं को नजरअंदाज करता है। स्पष्टता की कमी के कारण, प्रस्तावित विधेयक मानसिक रूप से अस्वस्थ बडी संख्या में व्यक्तियों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के साथ समझौता कर सकता है।

viii. खण्ड 104 (1) में सक्षम सरकार द्वारा इन प्रक्रियाओं को अधिसूचित करने की आवश्यकता है, जिन्हें समय-समय पर निषेध के रूप में घोषित किया गया है, न कि चार विशेष प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के, जो कि विधेयक में मानसिक बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों पर नहीं किया जाना चाहिए।

ix. मानसिक स्वास्थ्य देखरेख विधेयक, 2013 में मानसिक रोगियों के उपचार एवं देखरेख से संबंधित हाल ही में उभर कर आई वैज्ञानिक प्रगति एवं साक्ष्यों को नज़रअंदाज किया गया है।

x. "आत्महत्या का प्रयास करने के मामले मं मानसिक बीमारी का अनुमान" से संबंधित खण्ड 124(2) में संशोधन को इस प्रकार से अनुकूल संशोधन किए जाने की आवश्यकता है ताकि मानसिक रोगियों को देखरेख, उपचार एवं पुनर्वास उपलब्ध कराना राज्यों का दायित्व बन जाए।

xi. विधेयक के साथ साथ राष्ट्रीय नीति का आगे अवलोकन करने पर यह खुलासा हुआ कि प्रस्तावित कानून नियामक पहलुओं पर अधिक केन्द्रित है बजाय के उन प्रावधानों के जो मानसिक स्वास्थ्य देखरेख के सार्वभौमिक पहुंच अथवा विशेष रूप से कमजोर वर्गों के लिए सेवाओं की बढ़ती सुगमता को सुनिश्चित करेंगे। राष्ट्रीय नीति का पैरा 5.4 मानसिक स्वास्थ्य देखरेख की सार्वभौमिक सुगमता पर व्याख्या कता है, यह पहलू विधेयक के अध्याय 5 में दिया गया है जो मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के अधिकारों पर विचार करता है। उप-खण्ड (30) के अनुसार संबंद्ध सरकार को मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए सेवाओं की श्रृंखला हतु पर्याप्त प्रावधान करने चाहिए। उपखण्ड (5) यह भी अनिवार्य करता है कि संबंद्ध सरकार महत्वपूर्ण सेवाएं/सुविधाएं सुनिश्चित करें। अध्याय 6 संबंद्ध सरकार के उन कर्तव्यों की सूची देता है जो उत्साहवर्द्धक एवं निवारक गतिविधियों पर केन्द्रित हों, न कि खण्ड 18 में दिए गए पहलुओं की। सक्षम सरकारके कर्तव्य एक एकीकृत प्रकार में अधिक समग्र रूप से कार्य करने वाले हो सकते हैं। हालांकि, खण्ड 18 के प्रावधानों पर कार्य नहीं करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

xii. विधेयक में केन्द्र/राज्य मानसिक स्वास्य अधिकारियों का प्रावधान है जो सेवाओं (खण्ड 43 एवं 55) की गैर व्यवस्था हेतु शिकायतों को सुन सकते हैं। परन्तु सेवाओं की कमी हेतु संस्थानों के लाइसेंसों को रद्द करना कोई समाधान नहीं होगा, जैसा कि विधेयक में प्रावधान है। विधेयक का अध्याय 15 यह भी प्रावधान करता है कि बिना लाइसेंस के संस्थान चलाने के साथ-साथ विधेयक के उपबंधों के प्रतिकूल होने पर दण्ड/कारावास होगा। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि खण्ड 18 की अपेक्षाओं के अनुसार यदि संबद्ध सरकार कार्य करने में असफल होती है तो किस प्रकार उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य देखरेख क्षेत्र में वर्तमान योजनाएं प्रशंसनीय हैं परन्तु राज्य/जिला स्तर पर कार्यान्वयन की कमी है। परिणामस्वरूप धन अप्रयुक्त रहता है तथा आवश्यक सुविधाओं की हानि होती है।

xiii. केन्द्र/राज्य मानसिक स्वास्थ्य अधिकरणों के साथ-साथ समीक्षा आयोग/बोर्डों जैसे संस्थानों एवं अधिकरणों के पंजीकरण जैसे नियामक पहलु महत्वपूर्ण होने चाहिए तथा सुरक्षित रखे जा सकते हैं, अधिनियम के तहत एक ऐसा निकाय होना अति आवश्यक है जो जिलास्तर पर अनिवार्य सेवाओं के निर्माण/प्रावधान की दिशा में सक्रिय एवं सकारात्मक रूप से कार्य करें, जिसमें अध्याय 6 में सूचीबद्ध उत्साहवर्द्धक एवं निवारक गतिविधियां शामिल हैं यह भी संभव हो सकताहै कि केन्द्र/राज्य के गृह मंत्रालय को अधिक स्पष्ट एवं तत्परता से यह महत्वपूर्ण भूमिका दी जाए।

12.28 आयोग इस बात पर अश्वस्त है कि इसके द्वारा पैरा 12.27 के तहत विचारों को मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम को नए रूप देते समय ध्यान रखा जाएगा।

छ. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा कार्यवाही की जा रही दिव्यांग लोगों से संबंधित उदाहरणार्थ मामलें :

1. तिरूवनन्तपुरम जिले में टी.टी.आई. मनकौड के द्वितीय तल पर केरल लोक सेवा आयोग द्वारा दिव्यांग लोगों के लिए विशेष भर्ती परीक्षा का आयोजन

(मामला संख्या 406/11/12/2014)

तिरूवन्तपुरम जिले में टी.टी.आई. मनक्कड के द्वितीय तल पर द्विव्यांग लोंगों के विशेष भर्ती परीक्षा आयोजित करने के केरल लोक सेवा आयोग के इस असंवेदनशील कार्य से संबंधित दिनांक 8 अगस्त, 2014 को 'मलयाला मनोरमा' में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट पर आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया। रिपोर्टानुसार, लगभग 200 विद्यार्थी दिव्यांग थें एवं उनमें से कुछ को उठा कर द्वितीय तल के परीक्षा कक्ष तक ले जाना पड़ा। समाचार के साथ प्रकाशित फोटोग्राम में तीन दिव्यांग लड़कियों को वैशाखी के सहारे सीढ़ियों पर चढ़ते हुए दिखाया गया था।

12.30 केरल लोक सेवा आयोग के सचिव ने रिपोर्ट की कि इस परीक्षा के आयोजन के लिए श्रीमती आर. गीता, जिला अधिकारी सीधे रूप से जिम्मेवार है। यदि ज्यादा परीक्षा केन्द्र प्राप्त किया

गया होता, तब दिव्यांग अभ्यार्थियों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। अतः उनकी इस लापरवाही की वजह से श्रीमती आर. गीता, जिला अधिकारी, के तिरूवनन्थपुरम के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। सचिव, केरल लोक सेवा आयोग ने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में दिव्यांग लोगों के लिए परीक्षा आयोजित करते समय परीक्षा केन्द्र दिव्यांग हितैषी होंगें। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि परीक्षा से एक दिन पहले केरल लोग सेवा आयोग के सदस्यगण परीक्षा केन्द्रों का दौरा कर दिव्यांग लोगों के लिए प्रर्याप्त सुविधाएं मुहैया करवाना सुनिश्चित करेंगे एवं दिव्यांगों की सुविधा के लिए परीक्षा का वर्तमान समय सुबह 7.30 से 10.00 बजे कर दिया जाएगा।

12.31 रिकॉर्ड पर सामग्री पर विचार करने के पश्चात्, आयोग ने श्रीमती आर. गीता, जिला अधिकारी, तिरूवनन्थपुरम् के खिलाफ की जाने वाली अनुशासनिक कार्रवाई के परिणाम के बारे में सचिव, केरल लोक सेवा आयोग को सूचित करने का निदेश दिया।

12.32 जन सुनवाई के दौरान आयोग ने इस मामले पर विचार किया एवं इस मामले में प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन करने के पश्चात् सचिव, केरल लोकसेवा आयोग को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया कि प्रत्येक 290 दिव्यांग अभार्थियों को हर्जाने के रूप में रु0 1,000/— का भुगतान क्यों न किया जाए।

2. रेल प्राधिकारियों द्वारा दिव्यांग लड़की का उत्पीड़न

(मामला संख्या 975/24/57/2014)

12.33 आयोग को किसी राकेश शर्मा से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि उनकी एक दिव्यांग लड़की आरती शर्मा को उदयपुर, राजस्थान में इलाज के लिए जाना था। अपनी यात्रा के लिए, रेलवे नियम के अनुसार, उन्होंने रियायती टिकट के लिए आवेदन किया लेकिन मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन के आरक्षण लिपिक ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया एवं उन्हें रियायती टिकट जारी नहीं किया। शिकायतकर्त्ता न केवल उत्पीड़न की शिकार हुआ बल्कि लगभग 4 महीनों तक रेलवे प्राधिकारियों द्वारा अपमानित भी हुआ, अपनी बेटी के हक के लिए उन्हें कथित तौर पर यातनाएं सहनी पड़ी। अतः शिकायतकर्त्ता ने आयोग के हस्तक्षेप की मांग की।

12.34 आयोग के निर्देशों के आधार पर, निदेशक सतर्कता (यातायात) की, रेलवे मण्डल ने यह सूचना दी कि शिकायतकर्त्ता द्वारा लगाए गए आरोप की जांच की गई एवं इसे सही पाया गया। रिपोर्टानुसार, मुजफ्फरनगर ने आरक्षण कार्यालय में ड्यूटी पर मौजुद तीन कार्मिकों को जिम्मेवार ठहराया गया है एवं उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की शुरूआत कर दी गई है तथा उनमें से दो पर दण्ड के रूप में उनके एक साल तक वेतन वृद्धि को रोक दिया गया है। आरक्षण केन्द्र, मुजफ्फरनगर से उनके स्थानांतरण का भी प्रस्ताव दिया गया है।

12.35 इसके पश्चात् आयोग ने दिनांक 4 फरवरी, 2015 को इस पर विचार किया एवं निम्न विचार एवं निदेश दिए :

"यह रिपोर्ट शिकायतकर्त्ता एवं उनकी बेटी दोनों के मानव अधिकार उल्लंघन के मामले को साथ—साथ दर्शाती है। अध्यक्ष, रेलवे मण्डल, नई दिल्ली को यह कारण बताने का निदेश दिया जाता है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धार 18 (क) (i) तहत शिकायतकर्त्ता

एवं उनकी बेटी में प्रत्येक को वित्तिय हर्जाने के रूप में रुपये 25,000/– की राशि क्यों की संस्तुती क्यों न की जाए। छः सप्ताह के भीतर सकारात्मक रूप से उत्तर भेजें। इस रिपोर्ट में भविष्य में इस तरह की घटना के पुनरावृत्ति को रोकने हेतु उठा गए कदमों के बारे में भी सूचित किया जाना चाहिए।"

12.36 रिपोर्ट की प्रतिक्षा है एवं यह मामला आयोग में विचाराधीन है।

3. बांसवाड़ा, राजस्थान में विद्यालय छात्रावास में एक दिव्यांग लड़की का उत्पीड़न

(मामला संख्या 136/20/3/2014–डब्ल्यू. सी.)

12.37 दिनांक 22 जनवरी, 2014 को आयोग के हस्तक्षेप के लिए एक मानव अधिकार कार्यकर्त्ता, श्री आर.एच. बंसल से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें बांसवाड़ा के एक गूंगे बहड़े विद्यालय का एक ग्यारह वर्षीय निवासी ने महीने की गर्भावस्था के दौरान एक बच्चे को जन्म दिया। शिकायतकर्त्ता ने उपयुक्त जांच करवाकर, बलात्कारी के तथा छात्रावास प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई एवं पीड़िता के लिए उपयुक्त हर्जाने की मांग की।

12.38 इसके उत्तर में, कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा, राजस्थान से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई। इसमें यह प्रस्तुत किया गया कि विद्यालय के अंतिम शैक्षिक सत्र के दौरान, कथित लड़की, जो कक्षा V की विद्यार्थी थी, दिनांक 25 अप्रैल, 2013 को ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए विद्यालय छोड़ दी एवं अगले सत्र के लिए दिनांक 19 जुलाई, 2013 को वापस आई। इसके पश्चात् भी लड़की समय–समय पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ विद्यालय से बाहर जाती रहती थी एवं आखिरकार दिनांक 25.01.2014 की रात को, जब लड़की ने पेट दर्द की शिकायत की, प्रिंसिपल ने छात्रावास पहुंचकर, 108 में आपातकालीन सेवा की मांग की। इसके पश्चात्, उसने एक बच्चे को जन्म दिया तथा दोनों को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके परिवार के सदस्यों को भी सूचना दी गई। प्रिंसिपल के रिपोर्ट के अनुसार, लड़की ग्रीष्मकालिन अवकाश के दौरान, गर्भधारण कर ली होगी ज बवह अपने माता–पिता के साथ रह रही थी।

पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा ने यह सूचना दी कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 (2) एवं पास्को एक्ट, 2012 की धारा 5/6 के तहत महिला पुलिस स्पेशल में एफ.आई.आर. संख्या 7/14 दर्ज कर दिया गया है एवं मामले की जांच की जा रही है। लड़की एवं नवजात शिशु का डी.एन.ए. नमूना को लेकर एफ.एस.एल. को भेज दिया गया है लेकिन संदिग्ध का नमूना अभी लिया नहीं गया है।

12.40 जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा ने अपने दिनांक 05 दिसम्बर, 2014 के पत्र द्वारा यह सूचना दी कि राज्य सरकार द्वारा पीड़िता के परिवार को रु0 50,000/– की राशि का भुगतान कर दिया गया है। उन्होंने यह भी दर्शाया कि बाल कल्याण समिति ने इस मामले में एक जांच की और पाया कि पीड़िता लड़की के यौन उत्पीड़न की कथित घटना शायद अप्रैल मई, 2013 को घटी थी। विद्यालय प्रशासन पूरे मुद्दे जैसा कि पीड़िता शारीरिक परिवर्तन, उनका आहार, विद्यालय से ज्यादातर अनुपस्थिति की ओर ध्यान नहीं दिया गया एवं उनके माता–पिता को सूचना नहीं दी गई। इस मामले में विद्यालय ने उचित उत्तर नहीं दिया जिसने यह पता चलता है कि पीड़ित लड़की की ओर विद्यालय का लापरवाह रवैया था। वार्डन के पद को खाली पाया गया एवं बच्चे केवल एक ही दरबान के की सुरक्षा के तहत रहते हुए पाए गए। विद्यालय में बच्चे को जन्म देने के बारे में अस्पताल या एम्बूलेंस को कोई सूचना नहीं दी गई। अतः इस मामले में विद्यालय प्राधिकारियों को दोषी पाया गया।

12.41 इसके पशचात् आयोग ने इस मामले पर दिनांक 3 फरवरी, 2015 को विचार किया जहां निम्न अवलोकन एवं दिनेश दिए :

"वास्तव में, इस मामले में राज्य सरकार के विद्यालय की लापरवाही थी। यह दुर्भाग्य घटना एक नाबालिग लड़की की जिंदगी बरबाद कर दी जो गुंगी–बहरी भी थी। जांच प्राधिकारी भी दोषी को अब तक पकड़ने में असफल रही। हालांकि, विद्यालय प्रशासन की लापरवाही पायी गयी है, लापरवाह अधीकारी के खिलाफ की गई कार्रवाई एवं इस तरह की घटना की पूनरावृत्ति की रोकथाम हेतु उठाए गए कदमों के बारे में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। छात्रावास में वार्डन के खाली पड़ी पद यह दर्शाती है कि निवासियों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु राज्य सरकार ने काफी निर्दयी रूप इख्तयार किया है।" पीड़ित लड़की के पूर्नवास हेतु कोई सूचना मुहैया नहीं करवाया गया है, बल्कि लड़की को उनके माता–पिता के यहां भेज दिया गया हैं, जिससे उनके शिक्षा का अधिकार भी बूरी तरफ प्रभावित हो रहा है। लड़की के जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु राज्य सरकार द्‌वारा दिया गया हर्जाना प्रर्याप्त नहीं है। सरकारी प्राधिकारियों की तरफ से यह एक गंभीर लापरवाही जिससे पीड़ित लड़की के मानव अधिकारों का उल्लंघन किया है। आयोग ने इस तरह के मानव अधिकार उल्लंघन के लिए काफी गंभीर रूख इख्तयार किया है।

मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर उनसे कारण बताने के लिए कहा गया है कि पीड़िता को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 के अनुसार के अलिखित रु0 50,000/– आर्थिक सहायता की अंतरिम राहत क्यों न प्रदान की जाए।

12.42 राज्य सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा है एवं यह मामला आयोग के विचाराधीन है।

* * * * *

अध्याय – 13

मानव अधिकार षिक्षा, प्रषिक्षण एवं जागरूकता

13.1 मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास अधिदेश है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 (एच), आयोग को यह दायित्व सौंपता है कि "समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकारों की शिक्षा का प्रसार करे तथा प्रकाशन, संगोष्ठी तथा अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के सरंक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षापायों की जागरूकता का संवर्द्धन करे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग विद्यार्थी, एन.जी.ओ. एवं आम जन मानस के अलावा सरकारी तंत्रों खासकर पुलिस में मानव अधिकार जागरूकता फैलाने के लिए काफी सक्रिय रहा है।

13.2 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का प्रशिक्षण विभाग प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्था, पुलिस प्रशिक्षण संस्था, राज्य मानव अधिकार आयोग, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के साथ–साथ विश्वसनीय गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से मानव अधिकार मुद्दों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से मानव अधिकार साक्षरता को बढ़ावा दे रहा है। इन सबके अलावा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा देश के विभिन्न राज्य के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए अपने भवन में वर्ष में दो बार अर्थात् ग्रीष्म एवं शीतकालीन एक माह चलने वाली कार्यक्रम का आयोजन करता रहा है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पूरे वर्ष भर मई–जून एवं दिसम्बर–जनवरी के अलावा मानव अधिकारों के क्षेत्र में रूची रखने वाले विद्यार्थियों के लिए अल्पावधि अंतःशिक्षुता कार्यक्रम का आयोजन करता है।

13.3 वर्ष 2014–15 के दौरान, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 57 संस्थाओं के साथ मिलकर मानव अधिकारों एवं संबंधित मुद्दों पर 74 प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया, इसके अलावा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रशिक्षण अनुभग द्वारा ग्रीष्म एवं शीतकालीन अंतःशिक्षुता कार्यक्रम 2014 का आयोजन किया गया। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान, ज्यादा संख्या में विद्यार्थियों को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के साथ अल्पावधि का अवसर प्रदान किया गया। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों से विद्यार्थियों के कई प्रतिनिधिमण्डल, अन्य संस्थाओं से प्रशिक्षु/अधिकारीगण ने भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का दौरा किया एवं आयोग के क्रियाकलापों तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में उनके दौरे के दौरान मानव अधिकार मुद्दों के बारे में उन्हें जानकारी दी गई।

क. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

13.4 आयोग को अधिवेशित भाग के रूप में वर्ष 2014–15 के दौरान, मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर 73 संस्थाओं द्वारा 92 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का अनुमोदन दिया। इनमें से 57 संस्थाओं/विश्वविद्यालय/गैर सरकारी संगठनों द्वारा 74 प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण अनुलग्नक –11 में है।

ख. भारत के चयनीत 28 जिलों में मानव अधिकार जागरूकता एवं सुकर निर्धारण तथा मानव अधिकार कार्यक्रम का प्र्वतन

13.5 वर्ष 2007–2008 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा उपरोक्त कार्यक्रम का आरंभ किया गया, जिसमें पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार एवं नीति आयोग द्वारा समर्थित पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि पा रहे जिलों की सूची से प्रत्येक राज्य से एक के अनुसार, 28 जिलों का चयन किया गया।

13.6 इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला खाद्य कार्यालय, अस्पताल, पुलिस स्टेशन, कारागार, पंचायत, लोक वितरण प्रणाली के तहत कार्यरत राशन दुकान, बच्चे, महिलाएँ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण हेतु कार्य कर रहे विभिन्न विभागों इत्यादि का दौरा कर जिला प्रशासन स्तर "मानव अधिकार जागरूकता एवं सुकर निर्धारण तथा मानव अधिकार कार्यक्रम का प्रवर्तन करना था। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य लोगों को उनके अधिकार, राज्य सरकार की योजनाओं एवं सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों का उचित कार्यान्वयन के साथ–साथ विशिष्ट मानव अधिकार मुद्दों पर समय–समय पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा जारी संस्तुतियों का अनुपालन के बारे में जागरूक कराना था।"

13.7 वर्ष 2008 के 2012 तक, आयोग ने 16 जिलों, चम्बा (हिमाचल प्रदेश), अम्बाला (हरियाणा), उत्तरी सिक्किम (सिक्किम), जलपाईगुड़ी (पश्चिम बंगाल), घलाई (त्रिपुरा), दक्षिणी गारों हिल्स (मेघालय), सोनभद्र (उत्तर प्रदेश), डांग (गुजरात), दक्षिणी गोवा (गोवा), वयानद (केरल), जमूई (बिहार), होशियारपुर (पंजाब), कालाहांडी (ओड़िसा), सैहा (मिजोरम), छत्र (झारखण्ड) एवं तिरूवन्नमलाई (तमिलनाडू), का दौरा किया है। वयानद एवं चम्बा जिलों का समीक्षा दौरा बाद में किया जाएगा।

13.8 समीक्षा अवधि के दौरान, श्री एल. सी. सिन्हा, सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अगुआई के तहत आयोग ने दिनांक 25 से 29 जून, 2014 तक उत्तरी सिक्किम जिला का दोबारा दौरा किया। जिला अधिकारियों के साथ बैठक, विभिन्न स्थानों पर दौरों एवं की गई सिफारिशों का विवरण अनुलग्नक–12 में है।

13.9 कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर, दिनांक 27 जून, 2014 को गंगटोक, के मंगन के राज्य एवं जिला अधिकारियों के लिए मानव अधिकार जागरूकता एवं सुकर निर्धारण तथा मानव अधिकारों के प्रवर्त्तन पर कार्यशाला आयोजित की गई। हांलाकि गंगटोक में राज्य चुनाव होने की वजह से, विभिन्न विभागों का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिकारीगण कथित कार्यशाला में शामिल नहीं हो सकें। विशेष सचिव या अवर सचिव पद के अधिकारी भी इसमें शामिल नहीं हो सकें। गृह, समाज कल्याण, सामाजिक न्याय स्वास्थ्य कुछ अपवाद में थें एवं बुलावा भेजने पर शामिल हुए। जैसा कि यह कार्यशाला वरिष्ठ राज्य अधिकारियों के सहभागिता के बिना था, मंगन के जिला पदाधिकारियों एवं गैर सरकारी संगठनों के कुछ प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श के आधार पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के तहत गुणवत्ता में सुधार, प्रत्येक जिला एवं शहर में विशेष किशोर पुलिस एकक के निर्माण, ड्रग विरोधी अधिनियम, 2006 में सुधार, राज्य में कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता फैलाना, मंगन जिला अस्पताल में सेवाओं में सुधार पर संबंधित कार्रवाई की मांग की। इन कार्य बिन्दुओं का विवरण अनुलग्नक–13 में है।

13.10 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अब तक सिक्किम सरकार से सुनवाई नहीं की है। अतः आयोग राज्य सरकार से दोबारा यह निवेदन करता है कि वर्ष 2014 में इसके द्वारा की गई संस्तुतियों के आधार पर इस मामले की जांच करे एवं की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को यथाशीघ्र भेजे।

ग. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में हिंदी पखवाड़ा

13.11 आयोग के दैनिक कामकाज में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 14 से 28 सितम्बर, 2014 को हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने राजभाषा के संवर्द्धन के लिए आयोजित प्रश्नमंच, अनुवाद एवं निबंध प्रतियोगिताके साथ–साथ अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया।

घ. मानव अधिकार दिवस एवं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रकाशन

13.12 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने नई दिल्ली के फिक्की सभागर में 10 दिसम्बर, 2014 को मानव अधिकार दिवस का आयोजन किया। इसी दिन संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा को अंगीकृत किया था। वर्ष 2014 के मानव अधिकार दिवस का विषय था "मानव अधिकार 365"

13.13 इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्रीमती सुमित्रा महाजन, लोक सभा अध्यक्ष थीं एवं उन्होंने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के निम्न छः प्रकाशनों का विमोचल किया:

- मानव अधिकारों पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अंग्रेजी जर्नल (भाग 13, 2014)
- मानव अधिकारों पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का हिंदी जर्नल – मानव अधिकार नई दिशाएं (भाग–11, 2014)
- मानव अधिकार संचयिका, 2014 – आयोग के हिंदी अनुभाग द्वारा आयोजित विभिन्न राष्ट्रीय सम्मेलन एवं संगोष्ठियों में वक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए लेख/पेपरों का एक संकलन।
- घटना स्थल जांच पर पुस्तिका (अंग्रेजी)–राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अन्वेषण प्रभाग द्वारा घटना स्थल पर की गई जांच में उठाए गए कदम एवं प्रक्रियाओं के बारे में आवश्यक सूचना शामिल है।
- कारागारों में आत्महत्या : मानव अधिकार एवं कानूनी दृष्टि से निवारण रणनीति एवं अर्थ (अंग्रेजी)
- मानव अधिकारों के रूप में सेवानिवृत्त सुविधाएँ : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की पहल (अंग्रेजी)

13.14 वर्ष 2014–15 के लिए दीवार आधारित मानव अधिकार विषय एवं टेबल कैलेण्डर का भी आयोग द्वारा विमोचन किया गया।

ड. ग्रीष्म एवं शीतकालीन अंतः शिक्षुता कार्यक्रम

13.15 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रशिक्षण विभाग द्वारा 2 जून से 1 जुलाई, 2014 तक ग्रीष्मकालीन अंतःशिक्षुता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कुल 50 अंतः शिक्षु, 37 लड़कियों एवं 13 लड़कों ने भाग लिया। 50 अंतःशिक्षुओं में से 20 विधि की डिग्री एवं शेष 30 सामाजिक विज्ञान के विभिन्न आयोगों में स्नातकोत्तर की डिग्री कर रहे हैं।

13.16 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 से 20 जनवरी, 2015 तक शीतकालीन अंतःशिक्षुता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कुल 50 अंतः शिक्षु, 29 लड़कियों एवं 21 लड़कों ने भाग लिया। उनमें से 19 विधि की डिग्री एवं शेष 31 विज्ञान के विभिन्न आयोगों में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं।

च. अल्पकालीन अंतः शिक्षुता कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का दौरा

13.17 अप्रैल, 2014 से मार्च, 2015 तक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रशिक्षण अनुभाग द्वारा आयोजित 15 दिनों की अवधि के विभिन्न अल्पकालीन अंतः शिक्षुता कार्यक्रम में एक सौ साठ (160)

विद्यार्थियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त, विभिन्न विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों एवं संस्थाओं से 641 विद्यार्थी एवं अधिकारियों ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का दौरा किया जिन्हें आयोग के क्रियाकलापों के साथ–साथ इसके द्वारा निपटाए जा रहे मानव अधिकार मुद्दों के बारे में अवगत कराया गया।

छ. आर.पी.एम. परिवीक्षाधीनों का संयोजन

13.18 लखनऊ में जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा बल अकादमी से पाँच सहायक सुरक्षा आयुक्तों (परिवीक्षाधीन) को दिनांक 29 जनवरी, 2015 को एक दिन के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के साथ संयोजन किया गया। इस संयोजन के दौरान, इन अधिकारियों को आयोग की समग्र संरचना, विभिन्न विभागों के कार्यों एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली के बारे में संवेदनशील बनाया गया।

ज. हिंदी में राष्ट्रीय संगोष्ठी

13.19 आम जनमानस में मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता लोन के अपने प्रयास में, राष्ट्रीय मानव अधिाकर आयोग देश के विभिन्न भागों में 'मानव अधिकार' विषयक हिंदी में राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन करता रहता है। अपने इसी प्रयास को जारी रखते हुए, विश्वभारती, शांतिनिकेतन (पश्चिम बंगाल) में दिनांक 5 से 6 अगस्त, 2014 को "भारतीय साहित्य, विज्ञान एवं मानव अधिकार" विषय पर हिंदी में एक दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति श्री के. जी. बालाकृष्णन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग थें। न्यायमूर्ति श्री सिरियक जोसफ, सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी इस संगोष्ठी में हिस्सा लिया। प्रो0 नंद किशोर आचार्य ने इस संगोष्ठी में बीज भाषण दिया।

13.20 द्वितीय संगोष्ठी का आयोजन दिनांक 29 से 30 अक्तूबर, 2014 को जम्मू विश्वविद्यालय के सहयोग से "सत्याग्रह, आत्मानुशासन एवं गांधी" पर किया गया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक अध्यक्ष इसके मुख्य अतिथि थें एवं प्रसिद्ध गांधीवादी एवं कुलपति, गुजरात विद्यापीठ, डॉ0 सुदर्शन आयंगर ने बीज भाषण दिया।

13.21 तृतीय संगोष्ठी का आयोजन दिनांक 5 से 6 फरवरी, 2015 को उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, ओड़िशा के सहयोग से "न्यापालिका, लोकतंत्र तथा परंपरा : एक मूल्यांकन" विषय पर किया गया। न्यायमूर्ति श्री के. जी. बालाकृष्णन इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि थें। चतुर्थ राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन दिनांक 19 से 20 मार्च, 2015 को सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय, पूर्ण के सहयोग से "लोकसत्ता, समाज एवं मानव अधिकारों के बढ़ते आयाम" विषय पर किया गया। पूर्व संगोष्ठियों की तरह, इस संगोष्ठी का उद्घाटन न्यायमूर्ति श्री के. जी. बालाकृष्णन द्वारा किया गया।

13.22 पांचवी संगोष्ठी का आयोजन दिनांक 25 से 27 मार्च, 2015 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड स्टडीज द्वारा दिनांक 25 से 27 मार्च, 2015 को संयुक्त रूप से किया गया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यगण न्यायमूर्ति श्री सिरियक जोसफ, न्यायमूर्ति श्री डी. मुरूगेशन, श्री एस. सी. सिन्हा, महासचिव श्री राजेश किशोर एवं आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। इस संगोष्ठी का आयोजन शांतिनिकेतन (पश्चिम बंगाल), जम्मू, ओड़िशा, महाराष्ट्र एवं केरल के विभिन्न विख्यात हस्तियों की उपस्थित में किया गया। इसके अलावा, राज्य मानव अधिकार आयोग, गैर सरकारी संगठनों एवं मीडिया प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया।

झ. त्रिभाषी मानव अधिकार शब्दावली

13.23 अपनी पूर्व प्रकाशित "मानव अधिकार शब्दावली" (अंग्रेजी से हिंदी एवं हिंदी से अंग्रेजी) के आधार पर आयोग ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में त्रिभाषी मानव अधिकार शब्दावली निर्मित करने का निर्णय लिया है।

13.24 उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आयोग का हिंदी अनुभाग अंग्रेजी, मलयालम एवं हिंदी में त्रिभाषी मानव अधिकार शब्दावली के निर्माण हेतु इसके प्रथम चरण का कार्य पूरा कर चुका है। शब्दावली निर्माण में दक्ष एवं अनुभवी भाषाविद एवं विद्वानों की मदद से इस शब्दावली में लगभग 12,000 शब्दों को शब्दों को शामिल किया गया है।

13.25 इस परियोजना के द्वितीय चरण (टंगण एवं मुद्रण) के कार्य की शुरूआत भी की जा चुकी है एवं यह अक्तूबर, 2015 तक पूरी हो जाने की संभावना है। अन्य प्रकाशनों के साथ इस शब्दावली का विमोचन 2015 में मानव अधिकार दिवस पर किया जाना है।

13.26 इसके अलावा, आयोग ने तेलुगु, तमिल एवं पंजाबी भाषाओं में शब्दावली तैयार करने का अनुमोदन कर दिया है।

ण. पुरस्कृत पुस्तकों का अनुवाद

13.27 हिंदी में मानव अधिकारों पर अपनी द्विवार्षिक पुरस्कार योजना के तहत पुरस्कृत पुस्तकों एवं पाण्डुलिपियों के प्रकाशन एवं इसके पश्चात् इन्हें बंगला, मराठी, मलयालम, तमिल एवं तेलुगू में अनुवाद करवाने का निर्णय लिया है। इस उद्देश्य से, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने आयोग के इस उद्देश्य को अग्रेषित करने में अपनी सहमति जताई है एवं इस समीक्षावधि के दौरान इन दोनों के बीच एक समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया गया है।

त. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मीडिया के साथ सूचना एवं विचार–विमर्श का प्रचार

13.28 वर्ष 2011 में, आयोग अपने मीडिया एवं सम्प्रेषण एकक द्वारा, विभिन्न प्रभगों के क्रियाकलापों की योजना एवं आयोजन के उद्देश्य से मीडिया एवं अनुसूचित निति का निर्माण किया ताकि इनका प्रचार–प्रसार मीडिया सहित अन्य प्लेटफॉर्मों में प्रभावी तरीके से हो सके।

13.29 मीडिया एवं आउटरीच निति के समान, समीक्षावधि के दौरान, एकक ने आयोग द्वारा किए गए विभिन्न हस्तक्षेपों एवं क्रियाकलापों के बारे में 210 प्रेस विज्ञप्तियों एवं ब्यानों के एक रिकॉर्ड संख्या को जारी किया। इसके पश्चात् इसने ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन एवं मीडिया संस्थानों के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, सदस्यगण एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पांच प्रेस कांफ्रेंस एवं 17 साक्षात्कार का आयोजन किया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा आयोजित दो शिविर बैठक एवं जन सुनवाई के लिए प्रेस कांफ्रेंस एवं रोजमर्रा के मीडिया ब्रीफींग के लिए विशेष प्रयास किए गए। सभी महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाओं में मीडिया को भी आमंत्रित किया गया इसके अतिरिक्त एकक, मीडिया रिपोर्टों के आधार पर मानव अधिकार उल्लंघन के बारे में 208 प्रेस क्लिपींगों को आयोग के पास स्वतः संज्ञान के लिए अग्रेषित किया।

13.30 इसके अतिरिक्त, आयोग द्वारा किए जा रहे विभिन्न महत्त्वपूर्ण क्रियाकलापों की झांकी प्रस्तुत करने हेतु आयोग अंग्रेजी एवं हिंदी में मासिक "ह्यूमन राइट्स न्यूजलेटर" प्रकाशित करता है। जिसका प्रचार सरकार के विभिन्न पणधारियों, अकादमिक संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों एवं सिविल सोसायटी के सदस्यों के बीच किया जाता है।

13.31 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मीडिया एवं आउटरीच पॉलिसी के साथ–साथ मानव अधिकारों के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए अनुरूप से ही, विभिन्न मानव अधिकार पहलुओं पर केन्द्रित लघू चलचित्र निर्माताओं के लिए पुरस्कार प्रदान करने का प्रस्ताव एकक द्वारा दिया गया जिस पर आयोग द्वारा सहमति जताई गई है।

* * * * *

अध्याय – 14

मानव अधिकार समर्थक

14.1 'मानव अधिकार समर्थक' शब्द का प्रयोग उन व्यक्तियों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य लोगों के साथ मिलकर मानव अधिकारों के संवर्द्धन एवं संरक्षण करने के का कार्य करते हैं। मानव अधिकार समर्थकों पर, मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रता (सामान्यतः मानव अधिकार समर्थकों संबंधी घोषणा के रूप में जाना जाता है) की सार्वभौमिक मान्यता के संवर्द्धन एवं संरक्षण हेतु व्यक्ति, समूह एवं समाज के अंगों के दायित्व एवं अधिकार संबंधी यूएन घोषणा, एक महत्त्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज है। इसे 14 वर्षों के मोल–भाव के पश्चात दिसम्बर, 1998 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकृत किया गया था।

14.2 घोषणा विश्वभर में मानव अधिकार समर्थकों की गतिविधियों के संरक्षण करने वाले अंतरराष्ट्रीय मानकों को कोडित करती है। यह मानव अधिकारों की गतिविधि की वैधता तथा इस गतिविधि की आवश्यकता तथा जो इसे करते है उनके संरक्षण को मान्यता देती है। घोषणा के अंतर्गत, मानव अधिकारों के संवर्द्धन एवं संरक्षण हेतु कार्यरत कोई भी हो सकता है।

14.3 मानव अधिकार समर्थक इस व्यापक परिभाषा में व्यावसायिक के साथ–साथ गैर– व्यावसायिक मानव अधिकार कार्यकर्त्ता, स्वयंसेवक, पत्रकार, वकील तथा कोई भी अन्य जो भी यह कार्य करता है, चाहे वह कभी–कभी हो, मानव अधिकार गतिविधि, को शामिल किया गया है।

14.4 यह उद्घोषणा विद्यमान अधिकारों को इस तरह व्यक्त करता है कि मानव अधिकार समर्थकों की स्थिति में इन्हें अनुप्रयुक्त करना आसान हो जाता है। यह स्पष्ट करता है कि कैसे अभिव्यक्ति की आजादी, संघ एवं सभा सहित अधिकारों में सम्मिलित मुख्य मानव अधिकार औजार समर्थकों के लिए अनुप्रयुक्त होता है। यह "उद्घोषणा मानव अधिकार समर्थन के संबंध में व्यक्ति की जिम्मेवादी के साथ–साथ राज्यों के विशिष्ट कर्त्तव्यों की रूप–रेखा तैयार करता है।" मानव अधिकार समर्थकों पर संयुक्त राष्ट्र उद्घोषणा के तहत संरक्षण के लिए मानव अधिकार समर्थकों के लिए भी एकरूपता एवं अहिंसा के दो सिद्धांतों को अपनाना भी बराबर ही महत्त्वपूर्ण है।

क. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में मानव अधिकार समर्थकों के लिए फोकल–प्वाइंट

14.5 सतही स्तर पर मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन की स्थिति को समझने हेतु मानव अधिकरों के लिए फोकल–प्वाइंट ने पूरे देश भर की यात्रा कर गैर सरकारी संगठनों/ग्रामीणों/मानव संसाधन विभागों/राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ संवाद/विचार–विमर्श की। दौरों की रिपोर्ट तथा प्राप्त की गई शिकायतों को आयोग के समक्ष रखा गया तथा उन पर तत्काल कार्रवाई की गई।

ख. मानव अधिकार समर्थकों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा किए जाने वाला कार्य

14.7 मानव अधिकार के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए आयोग ने हमेशा ही अपना समर्थन किया है एवं इस कार्य में लिप्त लोगों के खिलाफ हिंसा/उत्पीड़न के कार्य की निंदा की है। वस्तुतः मानव अधिकार समर्थकों का संरक्षण एवं संवर्द्धन करना आयोग द्वारा किया गया महत्त्वपूर्ण पहल था।

14.8 मानव अधिकार समर्थकों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा उठाए गए महत्त्वपूर्ण कदम :

- मानव अधिकार पीड़ितों को प्रताड़ित नहीं करने हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा राज्यों को काफी सख्त संदेश भेजा गया है। इसी को आगे बढ़ाते हुए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महासचिव ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर मानव अधिकार समर्थकों के क्रियाकलापों हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करने को कहा।

- अभियोग, क्षतिपूर्ति इत्यादि सिफारिश द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मानव अधिकार समर्थकों के मूहिम की रक्षा हेतु सुरक्षात्मक उपाय किए हैं।

- मानव अधिकार समर्थकों के मामलों को वेबसाइट पर प्रदर्शित कर इसे निरंतर अपडेट किया जाता है।

- मानव अधिकार समर्थकों के अध्याय को वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करना भी जागरूकता फैलाने की दिशा में एक अहम कदम है।

- अपने शिविर बैठक एवंज न सुनवाई के दौरान, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने गैर सरकारी संगठनों एवं मानव अधिकार समर्थकों के साथ विचार–विमर्श किया। उनको हो रही समस्याएँ एवं गतिरोध के संबंध में दी गई सुझावों पर आयोग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। मानव अधिकार समर्थकों के मामलों को उच्च प्राथमिकता देकर, गुणवत्ता के आधार पर आवश्यक राहत प्रदान की जा रही है।

- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग प्रत्येक वर्ष दिसम्बर को एक संदेश जारी करता है यह वही दिन है जब संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा मानव अधिकार समर्थकों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा को अंगीकृत किया। मानव अधिकार समर्थकों को समर्थन प्रदान करने के संबंध में आयोग दिनांक 9 दिसम्बर, 2014 को एक संदेश जारी करता है।

ग. मानव अधिकार समर्थकों पर राष्ट्रीय कार्यशाला

14.9 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2015 को नई दिल्ली में मानव अधिकार समर्थकों पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में वर्ष 2009 में आयोजित मानव अधिकार समर्थकों पर पूर्व आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान की गई सिफारिशों पर गहन विचार–विमर्श किया गया। इसका उद्देश्य मानव अधिकार समर्थकों के संरक्षण की प्रक्रिया को बढ़ावा तथा सुशासन की ओर उनके कार्यों का सम्मान करना था।

14.10 मूल रूप से इस राष्ट्रीय कार्यशाला में कुछ सुझाव दिए गए जो निम्न हैं :

i) भारत को उत्पीड़न के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अभिसमय को अंगीकृत करनी चाहिए एवं अंतरराष्ट्रीय अभिसमय के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर उत्पीड़न के खिलफ एक घरेलू कानून लागू करनी चाहिए।

ii) गैर सरकारी संगठन की विदेशी फंडिग सुरक्षा चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। हालांकि, इसके साथ ही, मानव अधिकार समर्थकों के काँची एवं मूक विरोध के लिए सरकार विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम के प्रावधानों का दुरूपयोग नहीं कर सकता।

iii) चिकितसीय उपचार इत्यादि सहित आपातकालीन स्थिति में मानव अधिकार समर्थकों की सहायता एवं राहत के लिए मानव अधिकार समर्थक आपातकालीन निधि के निर्माण की आवश्यकता है।

iv) महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं सूचित, राज्य मानव अधिकार आयोगों के पदों के लिए दो वर्ष का एक निश्चित कार्यकाल होना चाहिए। इस हेतु मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सुधार की आवश्यकता है।

v) मानव अधिकार समर्थकों की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सुरक्षा के साथ–साथ सशस्त्र बल एवं विधि–प्रवर्त्तन अधिकारियों के सभी स्तरों में संवेदनशीलता की आवश्यकता है।

vi) समाज के वंचित वर्गों के लिए आवश्यक सहायता एवं मुफ्त कानुनी सहायता के लिए पूरे देश भर में कानूनी सेवा प्राधिकारियों का समर्थन एवं शक्तिवर्द्धन करने की आवश्यकता है।

vii) गैर सरकारी संगठनों को सरकारी फंडींग की प्रक्रिया में और ज्यादा पारदर्शिता लाने की आवश्यकता है।

viii) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग/राज्य मानव अधिकार आयोगों को फोकल प्वाइंट का दूरभाष संख्या टॉल फ्री होना चाहिए।

ix) सभी राज्यों में राज्य मानव अधिकार आयोग बनाने की आवश्यकता है एवं जहां यह अवस्थित है, वहां इसे पर्याप्त आधारभूत संरचना अर्थात् मानव, वित्तिय एवं अन्य संसाधन प्रदान कर इसके शक्तिवर्द्धन की आवश्यकता है।

x) मानव अधिकार समर्थकों के लिए आयुक्त /सुरक्षा डाटा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर मानव अधिकार समर्थकों के क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

xi) मानव अधिकार समर्थकों को अपने कार्य निर्वहन में हो रही परेशानियों की ओर न्यायपालिका को संवेदनशील होने की आवश्यकता है ताकि स्टेट एवं नॉन स्टेट एक्टरों द्वारा उन्हें तकलीफ पहुंचती है तब उन्हें तुरंत सहायता एवं राहत मिल सके।

xii) अपने धर्म निष्पादन हेतु मानव अधिकार समर्थकों के लिए सुखद माहौल के प्रावधानों के संबंध में महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा दिनांक 11.12.2013 को सभी राज्यों को भेजे गए पत्र पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को सभी राज्यों से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट की मांग करनी चाहिए।

xiii) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग सभी राज्यों को अपने यहाँ मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 30 के तहत मानव अधिकार न्यायालयों की स्थापना की संस्तुति करें।

xiv) मुख्यतः मानव अधिकार समर्थकों से संबधित यू. पी. आर. संस्तुतियों के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत अनुवीक्षण एवं आवश्यक कदम उठाए।

xv) मानव अधिकार समर्थकों द्वारा किए जा रहे कार्यों को स्वीकृत करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग प्रत्येक वर्ष 9 दिसम्बर का पालन करने पर विचार करें तथा राज्य मानव अधिकार आयोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें।

xvi) मानव अधिकार समर्थकों के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की वेबसाइट में संवेदात्मक विंडो निर्मीत की जा सकती है।

xvii) जैसा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा किया गया है सभी राज्य मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार समर्थकों के लिए फोकल प्वाइंट स्थापित करें एवं इन फोकल प्वाइंटों की भूमिका एवं कार्यों को शक्तिवर्द्धन किया जाए। मानव अधिकार समर्थकों के उत्पीड़न एवं भय के मामलों पर कार्रवाई हेतु राष्ट्रीय/राज्य मानव अधिकार आयोगों में फास्ट ट्रैक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

xvii) राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरों पर, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं राज्य मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार समर्थकों के लिए दो वर्ष में एक बार कार्यशालाओं के आयोजन पर विचार करें।

xix) सांसदों/कानून निर्माताओं को मानव अधिकार मुद्दों पर संवेदनशील बनाई जाए।

xx) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की तरह, राज्य मानव अधिकार आयोगों के वार्षिक रिपोर्ट में भी मानव अधिकार समर्थकों के लिए एक अलग अध्याय होना चाहिए।

xvi) गैर सरकारी संगठनों द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं राज्य मानव अधिकार आयोगों के नामों का दुरूपयोग कर अपने फायदे के लिए लोगों को गुमराह करने की घटनाओं की ओर मानव अधिकार समर्थक इन आयोगों का ध्यान आकर्षित करें।

xxii) विभिन्न मानव अधिकार समर्थकों में एकजुटता की आवश्यकता है ताकि मानव अधिकार संमर्थकों में भी एकजुटता की आवश्यकता है ताकि मानव अधिकार संरक्षण का यह मोहिम फिका न पड़ जाए।

घ. मानव अधिकार समर्थकों के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा सुने गए मामले।

14.11 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आयोग ने मानव अधिकार समर्थकों के कथित उत्पीड़न के 100 शिकायतें प्राप्त की। वर्ष 2014–15 के दौरान आयोग द्वारा मानव अधिकार समर्थकों से संबंधित 27 मामलों का निपटान किया गया।

आयोग द्वारा लम्बित मामलें एवं की गई कार्रवाई का विवरण आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है एवं इस निरंतर अपडेट किया जाता है। वर्ष 2014–15 के दौरान, आयोग द्वारा सुने गए कुछ महत्त्वपूर्ण मामले नीचे दि जा रहे हैं :

1. केरल में मानव अधिकार समर्थकों की गिरफ्तारी :

(मामला संख्या 74/11/8/2015)

14.12 एशिया मानव अधिकार आयोग द्वारा दिनांक 25.02.2015 को काउंटर करेंट आर्गनाइजेशन में "मानव अधिकार समर्थक तुषार एवं जैसन को रिहा करो" शीर्षक से प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट पर आयोग ने संज्ञान लिया 1 रिपोर्ट के अनुसार, मानव अधिकार समर्थक एवं वकील श्री तुषार निर्मल सारथी एवं जेसन सी. कॉपर को केरल में गैरकानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया एवं वे 30 जनवरी, 2016 से जेल में बंद थे। यह आरोप लगाया गया कि सरकार मानव अधिकार समर्थकों एवं कार्यकर्त्ताओं को 'माओवादी समर्थक' बलाकर निशाना बना रही थी। रिपोर्ट में यह भी बतलायी गयी है कि तुषार एवं जैसन दोनों भू–अर्जन, अवैध चट्टान उत्खन्न, जबरन निष्कासन एवं केरल में अप्रवास श्रम अधिकारों के उल्लंघन एवं प्रदुषणकारी उद्योगों के खिलाफ वृषकों के संबंध में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे।

14.13 मीडिया रिपोर्ट पर विचार करने पर, आयोग ने यह पाया कि मीडिया रिपोर्ट की विषय वस्तु, यदि सत्य है, तब यह मानव अधिकार समर्थकों के अधिकारों का घोर उल्लंघन है एवं इस संबंध में पुलिस महानिदेशक, केरल सरकार को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। अपेक्षित रिपोर्ट की प्रतिक्षा है।

2. जिला अधिकारियों के खिलाफ शिकायत के लिए आर.टी.आई. कार्यकर्त्ता का उत्पीड़न

(मामला संख्या 13054/24/31/2014)

14.14 जिला गाजियाबाद (उ0 प्र0) के श्री सुशील राघव, एक आर.टी.आई. कार्यकर्त्ता ने यह आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान कुछ परेशानी का कारण बनने का आरोप लगाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला गाजियाबाद ने "लाल चेतावनी नोटिस" भेजकर उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान किया।

14.15 आयोग के निदेशों के अनुपालन में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला गाजियाबाद ने यह रिपोर्ट की कि वर्ष 2014 के आम चुनाव में, 'लाल चेतावनी' नोटिस उन लोगों को जारी किया जो परेशानी की वजह बन सकते थे। इस तरह का एक 'लाल चेतावनी' नोटिस शिकायतकर्त्ता के, भी जारी किया गया।

14.16 शिकायतकर्त्ता ने इसके पश्चात् मोबाईल द्वारा एक शिकायत भेजी एवं यह दर्शाया कि एला.ओ. लिंक रोड ने उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कर ली है क्योंकि झांदपुर गांव, गाजियाबाद की एक विधवा से रिश्वत लेने के लिए मैंने उनके खिलाफ शिकायत कर दी थी एवं आर.टी.आई. फाइल कर दिया था।

14.17 एस.एस.पी. गाजियाबाद की रिपोर्ट एवं याचिकाकर्त्ता की शिकायत की शिकायत पर विचार करने पर, आयोग ने यह पाया कि रिपोर्ट में यह उद्धृत है कि शिकायतकर्त्ता के खिलाफ 'लाल चेतावनी नोटिस' जारी किया गया। रिपोर्ट में यह बिन्दु भी उद्धृत नहीं है याचिकाकर्त्ता ने पूर्व में कुछ ऐसा कृत्य किया था जिसकी वजह से 'जिला पुलिस' को उनके खिलाफ 'लाल चेतावनी नोटिस' जारी करने के लिए विवश होना पड़ा। शिकायतकर्त्ता को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है क्योंकि झांदपुर की एक विधवा से रिश्वत लेने की वजह से उन्होंने एस.ओ.के. खिलाफ शिकायत कर दी थी एवं आर.टी.आई. फाइल कर दिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि जिला प्राधिकारियों के खिलाफ शिकायत करने के लिए शिकायतकर्त्ता को निशाना बना गया।

14.18 आयोग ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश को 'लाल चेतावनी नोटिस' जारी करने के तहत कानूनी प्रावधान, शिकायतकर्त्ता का कोई पूर्व कृत्य जिसकी वजह से 'लाल चेतावनी नोटिस' जारी किए गए की सफाई देने का निर्देश दिया। शिकायतकर्त्ता द्वारा भेजी गई मोबाईल से शिकायत में शामिल आरोपों के संबंध में उन्हें रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।

3. पुणे में आर.टी.आई. कार्यकर्त्ता का आत्महत्या करना।

(मामला संख्या 316/13/23/2014)

14.19 "बियॉण्ड हेडलाइन्स" अखबार में प्रकाशित "पुणे आर.टी.आई. कार्यकर्त्ता का आत्महत्या करना" शीर्षक समाचार पर आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया। यह रिपोर्ट की गई कि विलास दत्तातरे बरवाकर नामक 53 वर्षीय आर.टी.आई. कार्यकर्त्ता ने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। अपनी आत्महत्या नोट में उन्होंने आत्महत्या के लिए शीर्ष सेवारत एवं सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों सहित महाराष्ट्र के कई राजनेताओं पर आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व में उन्हें परेशान भी किया गया था। आयोग ने यह पाया कि समाचार रिपोर्ट, यदि सत्य है, तब यह सामाजिक कारण से लड़ रहे आर.टी.आई. कार्यकर्त्ता के मानव अधिकारों का एक गंभीर मुद्दा है एवं इस संबंध में मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन एवं डी.जी.पी. महाराष्ट्र को इस मामले में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा

14.20 इसके उत्तर में, अवर पुलिस अधीक्षक पुणे ग्रामीण ने यह रिपोर्ट प्रस्तुत की कि मृत्तक ने अपने घर में गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली तथा 52 नागरिक एवं 27 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी के नाम वाली एक आत्महत्या नोट छोड़ा एवं इसमें यह आरोप लगाया कि इन लोगों के कृत्यों की वजह से उन्होंने ऐसा कार्य किया। मृत्तक के संबंधी, पड़ोसी एवं साथियों के साथ–साथ आत्महत्या नोट में उद्धृत नामों के बयानों को रिकॉर्ड किया गया। बयान के अनुसार, मृत्तक ने अपनी आत्महत्या नोट में द्वेष की वजह से उन नामों को उद्धृत किया जैसा कि उन लोगों ने मृत्तक की बात मानने से इंकार कर

दिया। यह भी रिपोर्ट की गई कि मृत्तक एवं उनके भाई के बीच कोई विवाद था एवं संबंधी दोनों भाइयों के बीच सौहार्दपूर्ण निपटान चाह रहे थें। संबंधियों के हस्तक्षेप से मृत्तक खुश नहीं था एवं अपने भाई के साथ विवाद सुलझाने वाले लोगों के खिलाफ उन्होंने शिकायत कर दी थी। इस समय, दोनों भइयों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया जिसकी वजह से दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी गई थी। इसके पश्चात् मृत्तक ने पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी गई थी। इसके पश्चात् मृत्तक ने पुलिस के खिलाफ शिकायत करना शुरू कर दिया एवं आर.टी.आई. अधिनियम का अध्ययन करने के पश्चात्, उन्होंने शिकायत कर पुलिस अधिकारी एवं सरकारी–विभाग के अधिकारियों को परेशान करना शुरू कर दिया। मृत्तक के शरीर के पास पाई गई एवं पुलिस द्वारा जब्त की गई आत्महत्या कोर्ट के साथ–साथ दो पत्रों के विषय–वस्तु को मृत्तक की पत्नी ने मृत्तक की अज्ञानता करार दिया। उन्होंने यह दर्शाया कि आत्महत्या नोट में उद्धृत नागरिकों एवं पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी। जाँच के दौरान जब्त दस्तावेजों को परीक्षण हेतु मुख्य सरकारी दस्तावेज परीक्षक, राज्य सी.आई.डी. , पुणे महाराष्ट्र के पास भेज दिया गया है एवं रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

14.21 रिकॉर्ड में प्रस्तुत सामग्री/रिपोर्टों पर विचार करने के पश्चात्, आयोग ने डी. जी. पी., महाराष्ट्र को नई स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। रिपोर्ट की अब भी प्रतीक्षा है।

4. मानव अधिकार कार्यकर्त्ता के मानव अधिकारों का उल्लंघन

(मामला संख्या 2280/18/07/2014)

14.22 आयोग ने वैश्विक मानव अधिकार संचार के कार्यपालक निदेशक, श्री सुभाष महापात्र से दिनांक 10 मई, 2014 को एक शिकायत प्राप्त की जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि एक आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत सूचना की मांग की थी लेकिन उन्हें बुलवाकर उन पर शरीरिक हमला तथा गंदा एवं अभद्र व्यवहार किया गया। पीड़ित द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई लेकिन पुलिस ने एफ. आई.आर. पंजीकृत नहीं किया।

14.23 पुलिस अधीक्षक, केन्द्रपाड़ा, ओड़िशा ने यह रिपोर्ट की कि सिंचाई विभाग के प्रमोद कुमार साहू, कनिष्ठ अभियन्ता एवं श्री बांका बिहारी सामल, सहायक कार्यकारी अभियन्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 341/294/323/506/34 के तहत एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (1) (x) के तहत मामला पंजीकृत किया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं ओड़िशा उच्च न्यायालय, कटक के आदेशानुसार उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

14.24 रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात्, आयोग द्वारा दोनों लोग प्राधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामले को सत्य पाया गया एवं दोनों को गिफ्तार भी कर लिया गया था। एक आर.टी.आई. कार्यकर्त्ता के मानव अधिकारों के मानव अधिकारों का यह एक गंभीर मामला प्रतीत होता है जिन्हें लोक सेवकों द्वारा यंत्रणा एवं उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा फिर भी, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 18 के तहत आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पर मुख्य सचिव, ओड़िशा सरकार एवं जिला मजिस्ट्रेट, केन्द्रपाड़ा, से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

14.25 पुलिस अधीक्षक, केन्द्रपाड़ा, ओड़िशा ने इसके पश्चात् यह रिपोर्ट की कि आरोपियों के खिलाफ आई पी. सी./3 (1) (x) (vii) एस. सी./एस.टी. (पी.ओ.ए.) अधिनियम एवं धारा 341/294/323/576/34 के तहत दिनांक 15.05.2015 को सी. एस. संख्या 55 द्वारा एक आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया है। पीड़ित के पक्ष में रु0 60,000/– की आर्थिक सहायता की सिफारिश की गई

थी एवं आर्थिक सहायता के लिए कुल राशि का 25 प्रतिशत अर्थात् रु0 15,000/– का भुगतान पीड़ित को कर दिया गया है।

14.26 विचार करने पर, आयोग ने यह पाया कि वर्ष 2011 में यथा संशोधित अनुसूचित जाति/जनजाति (पी.ओ.ए.) नियमावली, 1995 के मानदण्डों के अनुसार, पीड़ित को आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गई।

14.27 आयोग ने अतः (i) मुख्य सचिव, ओडिशा सरकार को औपचारिक कारण बताओ नोटिस पर उत्तर भेजने को कहा (ii) वर्ष 2011 में यथा संशोधित अनुसूचित जाति/जनजाति (पी.ओ.ए) नियमावली, 1995 के प्रावधानों के तहत पीड़ित के हर्जाने की भुगतान के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, केन्द्रपाड़ा रिपोर्ट प्रस्तुत करें (iii) एस.पी. केन्द्रपाड़ा को भारतीय दंड संहिता/3 (1) (x) (2) (vii) की धारा 341/294/323/576/34 एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत पंजीकृत दिनांक 08.05.2014 की आपराधिक संख्या 56 की स्थिति प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

5. अस्सी वर्षीय मानव अधिकार कार्यकर्त्ता पर हमला

(मामला संख्या 530/13/14/2015)

14.28 "द हिंदू" अखबार में दिनांक 16.02.2015 को "सी.पी.आई. नेता श्री गोविन्द पंसारे एवं उनकी पत्नी की गोली मारकर" हत्या नामक शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट पर आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया। रिपोर्टानुसार, कोल्हापुर, महाराष्ट्र में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा एक अस्सी वर्षीय वृद्ध कार्यकर्त्ता श्री गोविन्द पंसारे एवं उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह कार्यकर्त्ता महाराष्ट्र में विभिन्न सामाजिक गतिविधियों से जूड़ा था एवं कोल्हापुर में एक 'एण्टी टॉल मूवमेंट' का नेतृत्व कर रहे थें। देश में मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन में आयोग मानव अधिकार समर्थकों को अपना मित्र समझता हैं। मानव अधिकार समर्थकों द्वारा किए गए अमूल्य येागदान की पहचान एवं सराहना करना तथा एक ऐसा माहौल तैयार करना राज्य की जिम्मेदारी है जहां के सुरक्षा एवं निर्भयता से अपना कार्य कर सके। विचार के पश्चात् आयोग ने मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक, महाराष्ट्र को इस मामले में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।

6. महिला मानव अधिकार समर्थ की गिरफ्तारी

(मामला संख्या 1562/12/2/2013)

14.29 शिकायतकर्त्ता, "फ्रॉण्ट लाइन डिफेंडर" एक आयरलैण्ड आधारित गैर सरकारी संगठन के एक अधिकारी ने यह आरोप लगाया कि एक बनिया बाई नामक महिला के अधिकारों के लिए विरोध करने पर दिनांक 16.05.2013 को मध्य प्रदेश के बदवानी जिले में पुलिस द्वारा एवं मानव अधिकार समर्थक सुश्री माधुरी रामाकृष्णस्वामी को गिरफ्तार कर लिया गया। सुश्री बनिया बाई जिला बदवानी, मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य केन्द्र, मेनीमाता में चिकित्सीय बेईमानी की शिकार बनी थी।

14.30 पुलिस अधीक्षक, जिला बदवानी से प्राप्त रिपोर्ट पर आयोग ने विचार किया जिसमें यह रिपोर्ट की गई कि मानव अधिकार समर्थक द्वारा विरोध के संबंध में, सरकारी अस्पताल के अधिकारियों ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 353/332/147/427 के तहत एवं मध्य प्रदेश अस्पताल अधिनियम 2008 की धारा 3/4 अपराध संख्या 3/4 दर्ज करा दी है। जिसमें न्यायालय के आदेश द्वारा श्रीमती माधुरी, महिला अधिकारी, दलित आदिवासी संगठन को गिरफ्तार किया गया है। आयोग ने यह पाया कि इस रिपोर्ट में शिकायत की सार को संबोधित नहीं किया गया कि श्रीमती बनिया बाई को मेनीमाता पी. एस.सी. में डिलिवरी हेतु भर्ती करवाया गया था। चूंकि वह 100/– का रिश्वत नहीं दे पाई, उन्हें अस्पताल से जबरन निकाल दिया गया एवं रास्ते पर ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। दूसरी रिपोर्ट में, अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, मध्य प्रदेश ने यह रिपोर्ट की कि माधुरी राम कृष्णा को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है। हालांकि नोटिस भेजने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण, न्यायालय ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। रिपोर्ट के साथ संलग्न दस्तावेज यह दर्शाता है कि लापरवाह लोक सेवक, सरकारी अस्पताल के कर्मचारी को कर्त्तव्य की अवहेलना के लिए विभागीय कार्रवाई एवं कंपाउंडर, विजय कुमार को जांच के पश्चात् निलम्बित कर दिया गया है, उन्हें संचायी प्रभाव के बिना एक वर्ष की वेतन वृद्धि रोक कर दण्डित किया गया है। कारण बताओ नोटिस के अनुपालन में, उप सचिव, जी.ए. विभाग, मध्य प्रदेश शासन से प्राप्त रिपोर्ट के साथ–साथ रिकॉर्ड पर उपस्थित सामग्री पर विचार करने के पश्चात् आयोग ने जीवन का अधिकार एवं स्वास्थ्य का अधिकार सहित मानव अधिकारों के सकल उल्लंघन मामले में पीड़िता बनिया बाई को मध्य प्रदेश शासन से हर्जाने के रूप में रु0 3,00,000/– (तीन लाख) के भुगतान की सिफारिश की।

7. मानव अधिकर समर्थक की अवैध गिरफ्तारी एवं उत्पीड़न

(मामला संख्या 31/14/12/2013)

14.32 एशियन ह्यूमन राइट्स कमिशन नामक एक गैर सरकारी संगठन ने धौबल, मणिपुर की पुलिस द्वारा मणिपुर के एक मानव अधिकार समर्थक एवं संगीतकार की अवैध गिरफ्तारी पर आयोग का ध्यान आकर्षित किया। श्री मंदिर लैशराम एवं श्री निधतौजन हामो को धौबल, मणिपुर पुलिस द्वारा अवैध गिरफ्तार, अपमानित एवं उत्पीड़न किया गया।

14.33 पुलिस महानिरीक्षक, मणिपुर ने यह रिपोर्ट की कि श्री मंदीर लैसराम एवं निंधतौजन होमो भारतीय दंण्ड संहित की धारा 148/149/427/353/342 पी.डी.पी. अधिनियम की धारा 3, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम की धारा 7 के तहत आरोपी थे एवं उनके खिलाफ एफ.आई.आर. संख्या 84(5)/2013 दर्ज कर दिनांक 12.05.2013 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कथित एफ.आई. आर. का एक आरोपी श्री निधंतौजन जिस गाड़ी में यात्रा कर रहा था उसे पुलिस अधिकारी द्वारा जांच के लिए रोका गया लेकिन सवारियों ने तलाशी एवं जांच करवाने से इंकार कर दिया। अतः पुलिस कार्मिकों को कर्त्तव्य में बाधा डालने की वजह से उन्हें थोड़ी दंड दी गई। इसके पश्चात्, कुछ घायल संगीतकारों को पास के अस्पताल में ले जाया गया तथा प्राथमिक उपचार के पश्चात् उन्हें रिहा कर दिया गया। इस घटना में सम्मिलित पुलिस अधिकारियों की तैनाती अन्य पुलिस स्टेशन में कर दी गई है।

14.34 रिकॉर्ड में उपस्थित सामग्री पर विचार करने के पश्चात् यह पाया कि इस मामले में अपने आचरण की वजह से लापरवाह पुलिस अधिकारियों को अन्य पुलिस थाने में स्थानांतनित कर दिया है। अतः यह स्पष्ट है कि लैशराम मंदिर सिंह एवं निघंथौजम हेमोसिंह नाम दो कार्मिकों को हीरोक थाने के पुलिस कार्मिकों द्वारा दृर्व्यवहार एवं पिटाई की कई अतः उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ।

इन परिस्थितियों में, आयोग ने मुख्य सचिव, मणिपुर सरकार के, दोनों पीड़ितों को हर्जाने के रूप में रु0 25,000/— का भुगतान करने की सिफारिश की।

* * * * *

अध्याय – 15
अंतरराष्ट्रीय सहयोग

15.1 राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाएं (एन.एच.आर.आई.) जो राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थिति से संबंधित सिद्धांतों का अनुपालन करती है, साधारणतया पेरिस सिद्धांत के नाम से जानी जाती है। यह राष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार मानकों के प्रभावी कार्यान्वयन का संवर्द्धन एवं अनुवीक्षण में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस भूमिका को अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा उत्तरोत्तर मान्यतर मिल रही है। वैश्विक आवधिक तंत्र तथा प्रत्येक राज्य के पेरिस सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए तथा प्रभावी एवं निष्पक्ष इसके एन.एस.आर.आई. की स्थापना इसके सशक्तिकरण हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। एन.एच.आर.आई. विभिन्न संस्थाओं के साथ सहयोग में भी संलग्न है इन महत्त्वपूर्ण संस्थाओं में मानव अधिकार संयुक्त राष्ट्र उच्च आयुक्त (ओ.एच.सी.एच.आर.) के कार्यालय के अलावा मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन का अंतरराष्ट्रीय समन्वय समिति (अंतरराष्ट्रीय समन्वय समिति/आई.सी.सी.) एवं राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं (ए.पी.एफ.) का एशिया पेसीफिक फॉरम महत्त्वपूर्ण है।

15.2 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत जो आई.सी.सी. का सदस्य एवं ए.पी.एफ. का संस्थापक सदस्य है, ने अंतरराष्ट्रीय बैठक, संगोष्ठी, कार्यशाला में शामिल होने एवं आयोग में विदेशी प्रतिनिधिमण्डलों के साथ विचार–विमर्श के साथ–साथ कई बैठकों में भाग लिया जो निम्न है :

क. राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं के एशिया पेसिफिक फॉरम के साथ सहयोग

15.3 वर्ष 1996 में स्थापित राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं का एशिया पेसीफिक फॉरम (ए.पी.एफ.) एशिया पेसीफिक क्षेत्र में क्षेत्रीय मानव अधिकार संगठन नेटवर्क है। यह एक सदस्य आधारित संगठन है जो क्षेत्र में स्वतंत्र करती है। इसका लक्ष्य एशिया पेसीफिक क्षेत्र में सदस्य संस्थाओं के नेटवर्क के तहत लोगों के मानव अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्द्धन करना है। शीर्षक रिपोर्ट लिखते समय, ए.पी.एफ. के पास 15 पूर्ण सदस्य एवं 7 सहयोगी सदस्य थें। ये सदस्य क्षेत्र भर में विभिन्न देशों का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी., भारत) इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। ए.पी.एफ. का सदस्य होने के लिए एशिया पेसीफिक में कोई राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्था आवेदन कर सकता है। सदस्या के बारे में निर्णय, फॉरम कांउसिल, ए.पी.एफ. की सरकारी निकाय द्वारा ली जाती है।

15.4 पूर्ण सदस्य के रूप में स्वयं को शामिल करने के लिए, पेरीस प्रिंसिपल में अतिरिक्त, ए.पी.एफ. सदस्यता स्थिति निर्धारण हेतु फॉरम को राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं की अंतरराष्ट्रीय समन्वय समिति के प्रत्यायन निर्णयों के अंगीकृत करना पड़ता है। पेरीस प्रिंसिपल का पूर्ण अनुपालन करने वाली मानव अधिकार संस्थाओं को 'ए स्थिति' के रूप में प्रत्यायन किया जाता है जबकि जो इसका आंशिक अनुपालन करते हैं उन्हें 'बी स्थिति' के रूप में प्रत्यायन किया जाता है। 'ए स्थिति' वाली 'राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं' को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद एवं इसके सहायक निकायों में करने एवं विचार–विमर्श की इजाजत दी जाती है।

15.5 आयोग ने नई दिल्ली में निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय बैठकों का सफलतापूर्वक आयोजन किया :

(i) 9 से 13 जून, 2014 को ए.पी.एफ. मास्टर ट्रेनरों की बैठक एवं मानव अधिकार शिक्षाविशाखों की कार्यशाला।

(ii) 3 से 5 सितम्बर, 2014 को राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं की एशिया पेसीफिक फॉरम की 19वीं वार्षिक बैठक।

15.6 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने नई दिल्ली में 9 से 13 जून, 2014 को ए.पी.एफ. मास्ट्रर ट्रेनर बैठक एवं मानव अधिकार शिक्षाविशारदों की कार्यशाला का आयोजन किया। इस बैठक में आयोग के संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण एवं अनुसंधान), श्री जे. एस.कोचर, जो एक एफ.पी.एफ. मास्टर ट्रेनर हैं, सहित ऐशिया पेसिफिक क्षेत्र के 13 राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान, मानव अधिकार शिक्षा के क्षेत्र में आयोग के कार्यों पर ए. पी. एफ. फिल्म निर्माताओं ने अध्यक्ष महोदय का साक्षात्कार लिया।

15.7 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने दिनांक उसे 5 सितम्बर, 2014 को नई दिल्ली में 19 वीं वार्षिक ए.पी.एफ. बैठक ही मेजबानी की। इस बैठक में एशिया पेसीफिक क्षेत्रसे 21 राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के अध्यक्ष, सदस्यगण एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस वर्ष की बैठक का मुख्य पहलू वर्ष 2015–2020 के लिए ए.पी.एफ. का मुख्य रणनीतिक योजना था। इसके प्रथम दिन ए.पी. एफ. के सदस्यों के साथ संवाद के हिस्सा के रूप में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं (ए.एन.एन.आई.) पर एशिया गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी इन विचार–विमर्शों में भाग लिया। 19वीं वार्षिक बैठक में ए.पी.एफ. के सदस्यों के लिए संगत वृद्धावस्था पर यूनाइटेड नेशन ऑपन इंडेड वर्किंग ग्रूप के साथ व्यवसाय सहित अंतरराष्ट्रीय क्रियाकलापों का परीक्षर किया गया। कजाकिस्तान के राष्ट्रीय मानव अधिकार लोकपाल द्वारा ए.पी.एफ. की संयुक्त सदस्यता के आवेदन पर विचार एवं मंच परिषद द्वारा इसका अनुमोदन किया गया। राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं, भारत–जॉर्डन एवं मंगोलिया के प्रतिनिधियों के साथ उनके द्वारा हाल ही में किए गए क्रियाकलापों की प्रस्तुतीकरण द्वारा ए.पी.एफ. के सदस्यों ने महिलाओं एवं बच्चियों के मानव अधिकारों पर अपनी ए.पी.एफ. कार्ययोजना के कार्य पर विचार–विमर्श में हिस्सा लिया।

ए.पी.एफ. द्वारा आयोजित अन्य कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का शामिल होना

15.8 डॉ0 सविता भाखड़ी, संयुक्त निदेशक (अनुसंधान), श्री जैमिनि कुमार श्रीवास्तव, सूचना एवंज न संपर्क अधिकारी एवं श्री यू. एन. सरकार, सहायक सूचना अधिकारी ने दिनांक 7 से 10 अप्रैल, 2014 को माले, मालद्विप में मीडिया एवं संचार विषय पर एन.एच.आर.आई. के ए.पी.एफ. उप–क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग लिया।

15.9 श्री जे. एस. कोचर, संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण एवं अनुसंधान) ने दिनांक 13 से 15 मई, 2014 को सिडनी, अस्ट्रेलिया में वृद्धजनों के अधिकार विषय पर ए.पी.एफ. क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लिया।

15.10 श्री लाल बहार, निरीक्षक ने दिनांक 19 से 23 मई, 2014 को प्रभावी जांच पर ए.पी.एफ. क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लिया।

15.11 श्रीमती कंवलजीत देओल, महानिदेशक (अन्वेषण) ने दिनांक 23 से 24 जून, 2014 को सिडनी, आस्ट्रेलिया में ए.पी.एफ. के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों की राउण्डटेबल बैठक में भाग लिया। इस बैठक का उद्‌देश्य प्राप्त ज्ञान तथा मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के संदर्भ में बेहतर कार्यप्रणाली तथा राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रशासन में अनुभव साझा करने का अवसर प्रदान करना था।

15.12 न्यायमूर्ति श्री के.जी. बालाकृष्णन, अध्यक्ष ने दिनांक 25 जून, 2014 को सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में आस्ट्रेलिया मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, प्रो0 गिलियान ट्रींगस के साथ बैठक में भाग लिया।

15.13 रणनीतिक योजना प्रक्रिया एवं 2015–2020 की अवधि के लिए ड्राफ्ट योजना की तैयारी के निरीक्षण हेतु ए.पी.एफ. ने एक कार्यकारी समूह निर्मीत की। न्यायमूर्ति श्री के.जी. बालाकृष्णन, अध्यक्ष,

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ने कथित कार्यकारी समूह में दक्षिण एशिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक समूह के रूप में कार्य किया एवं सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में 26 से 27 जून, 2014 को रणनीतिक योजना 2015–2020 पर ए.पी.एफ. फॉरम कार्यकारी समूह परिषद की प्रथम बैठक में भाग लिया।

15.14 श्री राजेश किशोर, महासचिव ने दिनांक 30 सितम्बर से 2 अक्तूबर, 2014 को ए.पी.एफ. द्वारा बैंगकाक, थाईलैण्ड में एशिया पेसिफीक क्षेत्र में आयोजित सामाजिक एकीकरण एवं वृद्धजनों के अधिकार विषय पर कार्यशाल में भाग लिया।

15.15 श्री सुनील अरोड़ा, उप रजिस्ट्रार (विधि) ने 24 से 27 फरवरी, 2015 को बैंकॉक, थाइलैण्ड़ में एशिया पेसिफिक क्षेत्र में समलैंगिक, गे, बाइसैक्सुअल एवं एल.जी.बी.टी.आई. के अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन में एन.एच.आर.आई. की भूमिका पर ए.पी.एफ. की कार्यशाला में भाग लिया।

15.16 न्यायमूर्ति श्री के. जी. बालाकृष्णन, अध्यक्ष ने दिनांक 10 मार्च 2015 को ———— योजना पर ए. पी.एफ. फॉरम काउंसिल वर्किंग ग्रुप की बैठक में भाग लिया जिसे 10 से 13 मार्च 2015 को जनेवा में आई.सी.सी. की 28 वीं वार्षिक बैठक से अलग आयोजित किया गया।

ख) मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए राष्ट्रीय संस्थाओं की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति के साथ सहयोग

15.17 मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए राष्ट्रीय संस्थाओं की अन्तर्राष्ट्रीय समन्वय समिति, राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं की प्रतिनिधि निकाय है। इसकी स्थापना पेरिस प्रिंसिपल की सहमति से राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं के निर्माण एवं शक्तिवर्द्धन के उद्देश्य से किया गया। यह अपने इस कार्य का निष्पादन राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं के साथ सहयोग एवं संयुक्त क्रियाकलापों का अंतर्राष्ट्रीय समन्वयन, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन करने, संयुक्त राष्ट्र के साथ संपर्क एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को प्रोत्साहित कर एवं आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना में सरकार की मदद करता है। यह राष्ट्रीय संस्थाओं का निर्माण एवं उसके सशक्तिकरण का कार्य करता है। तथा यह सुनिश्चित करता है कि वे पेरिस प्रिंसिपल का पालन करे। अपने सभी क्रियाकलापों, खण्ड़ों, समितियों कार्यकारी समूहों में आई. सी. सी. लैंगिक समानता सुनिश्चित करता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत 'ए' दर्जे से मान्यता प्राप्त है जिसे पूर्व वर्ष 1999 में मान्यता प्रदान किया गया एवं वर्ष 2006 तथा 2011 में पुनः अधिकृत किया गया। इसका आगामी अधिकरण वर्ष 2016 में होना है। नीचे आई. सी. सी. का विवरण दिया जा रहा है। जिसमें आयोग ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान भाग लिया।

15.18 दिनांक 10 से 13 मार्च, 2015 को जनेवा में आयोजित मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए राष्ट्रीय संस्थाओं की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति की 28 वीं वार्षिक आम बैठक में श्री के.जी. बालाकृष्णन, अध्यक्ष सहित न्यायमूर्ति श्री डी. मुरुगेशन, सदस्य एवं श्री राजेश किशोर, महासचिव के एक प्रतिनिधिमण्डल ने भाग लिया। इस आम बैठक में वर्ष 2015 के पश्चात विकास एजेंड़ा, आई.सी.सी. से सम्बन्धित प्रशासनिक मामले जैसे आई.सी.सी. क्रियाकलापों का विवरण, ब्यूरो सदस्यों की नियुक्ति का सत्यापन, आई.सी.सी. वित्तीय एवं निधीकरण मुद्दों के साथ–साथ 2025 तक आई.सी.सी. कार्यक्रम के क्रियाकलापों पर चर्चा हुई। पूर्ण अधिवेशन को राष्ट्रीय जांच, एन.एच.आर.आई. सरकारी मुद्दों, महिलाओं के प्रति हिंसा एवं दिव्यांग लोगों के अधिकार संबंधी मुद्दों को समर्पित किया गया। न्यायमूर्ति श्री डी. मुरुगेशन, सदस्य, ने एन.एच. आर.सी. ने अपने प्रस्तुतीकरण में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा उपभोग कर रहे सांविधिक एवं वित्तीय स्वायत्ता के साथ–साथ सिविल कोर्ट के रूप में कार्य करने की शक्ति एवं गवाहों की उपस्थिति का प्रवर्तन, दस्तावेजों की खोज को सुकर बनाने एवं मानव अधिकार

उल्लंघन के किसी मामले में रिकॉर्ड के साथ–साथ आवश्यक रिपोर्टों को सुकर बनाने पर जोर दिया। समग्र रूप से यह नोट किया गया कि किसी अधिकारी को समन करना एवं आयोग के समक्ष उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करवाने की शक्ति रखना यह किसी एन.एच.आर.आई. के लिए काफी अनोखा है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कई राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं के पास यह शक्ति उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के पास उपलब्ध सांविधिक शक्तियों की सराहना की गई जो इसे स्वायत्त एवं निष्पक्ष तरीके से कार्य करने में मददगार साबित होता है।

15.19 आई.सी.सी. बैठक के दौरान, वृद्धजनों के अधिकारों पर एक अलग कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें न्यायमूर्ति श्री के.जी. बालाकृष्णन अध्यक्ष, रा.मा.अ.आ. द्वारा संबोधित किया गया। इसमें उन्होंने वृद्धजनों के अधिकारों पर नए अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेजों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।

15.20 कुछ वर्ष पूर्व अतिरिक्त न्यायिक फांसी पर विशेष संपर्ककर्ता की रिपोर्ट के संदर्भ में रा.मा.अ.आ., भारत ने अतिरिक्त न्यायिक फांसी पर कार्यरत ओ.एच.सी.एच.आर. के निवेदन पर एक विशेष बैठक बुलाई। अतिरिक्त न्यायिक फांसी के मामलों में जांच रा.मा.अ.आ. द्वारा की जाने वाली जांच के संबंध में आयोग की भूमिका निर्वहन पर ओ.एच.सी.एच.आर. के प्रतिनिधियों को सूचित किया गया। यह भी सूचना दी गई कि रा.मा.अ.आ. द्वारा एक दिशा निर्देश विकसित किया गया है। उन दिशा निर्देशों के आधार पर आयोग इस तरह की घटनाओं की जांच कर प्रभावित लोगों को क्षतिपूर्ति की सिफारिश करने के अलावा उपयुक्त सुधारात्मक एवं आपराधिक कार्रवाई समस्त सरकार के द्वारा उपयुक्त कार्रवाई करने की सिफारिश करता है।

ग. अन्य अन्तर्राष्ट्रीय बैठक एवं कार्यक्रमों में रा.मा.अ.आ. का शामिल होना

15.21 श्री ऑस्कर फर्नानडीज, मार्ग, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री की अध्यक्षता वाले एक प्रतिनिधिमण्डल के हिस्सा के रूप में न्यायमूर्ति श्री सिरियक जोसफ, सदस्य, रा.मा.अ.आ. ने दिनांक 27 अप्रैल 2014 को जॉन पॉल–2 के संत घोषण कार्यक्रम में शामिल होने हेतु वेटिकन, रोम का दौरा किया।

15.22 न्यायमूर्ति श्री के. जी. बालाकृष्णन, अध्यक्ष ने दिनांक 23 से 24 जून, 2014 को लंदन, यूनाइटेड किंगडम में कानूनविदों एवं लखकों के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन–2014 में भाग लिया।

15.23 दिनांक 30 जून से 2 जुलाई, 2014 को जनेवा मं आयोजित महिलाओं के प्रति भेदभाव उन्मूलन (सी.ई.डी.ए.डब्लू.) पर संयुक्त राष्ट्र समिति के 58 वें सत्र में न्यायमूर्ति श्री के.जी.बालाकृष्णन, अध्यक्ष एवं श्री जे.एस.कोचर, संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण एवं अनुसंधान) ने भाग लिया। दौरे के दौरान, दिनांक 30 जून 2014 को माननीय अध्यक्ष ने सी.ई.डी.ए.डब्लू. समिति के समक्ष एक मौखिक वक्तव्य पेश किया।

15.24 दिनांक 11 से 15 अगस्त, 2015 को कुवालालम्पुर में कॉमनवैल्थ ––––––– लंदन द्वारा आयोजित चिंतन एवं समझौता कौशल पर पाइलट प्रशिक्षण में न्यायमूर्ति श्री के.जी.बालाकृष्णन, अध्यक्ष एवं श्री ए. के. पाराशर, संयुक्त रजिस्ट्रार (विधि) ने भाग लिया।

15.25 दिनांक 22 से 26 सितम्बर, 2014 को कुआलालम्पुर, मलेशिया में राओल वालेनवर्ग इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स एण्ड ह्यूमनेटेरियन लॉ (आर.डब्लू.आई.) द्वारा आयोजित ऐशिया में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं के लिए मानव अधिकार पुस्तकालय एवं सूचना प्रबंधन पर मिश्रित शिक्षण पाठ्यक्रम में श्री ओम प्रकाश, पुस्तकालय प्रभारी ने भाग लिया।

15.26 दिनांक 17 से 26 नवम्बर, 2014 को ढाका, बंगलादेशमें आयोजित दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय मानव अधिकार क्रियाविधि पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में न्यायमूर्ति श्री के.जी. बालाकृष्णन, अध्यक्ष ने भाग लिया। यह सम्मेलन सभी दक्षिण एशियाई देशों द्वारा सामना कर रहे सामान्य मानव अधिकार चुनौतियों के समाधान हेतु दक्षिणी एशियाई मानव अधिकार क्रियाविधि की स्थापना द्वारा साध्य क्षेत्रीय मानव अधिकार प्रस्ताव के प्रयास की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। क्षेत्रीय प्रस्ताव दक्षिण एशिया के संबंधित नागरिकों के लिए एक मंच था जो इस तरह के निकाय की स्थापना के लिए एक लम्बे समय से वकालत कर रहे थे।

15.27 दिनांक 25 से 27 नवम्बर, 2014 को बैंगकॉक, थाइलैण्ड़ में एशिया क्षेत्र में महिलाओं एवं लड़कियों के खिलाफ हिंसा के संबंध में समानता के विधिशास्त्र पर कॉमनवेल्थ सेक्रेट्रिएट–यू. एन. विमेल रिजनल कंसलटेशन में श्री जे. एस. कोचर, संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण एवं अनुसंधान) ने भाग लिया।

15.28 दिनांक 8 से 9 दिसम्बर, 2014 को वाशिंगटन डी.सी., संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में विज्ञान की उन्नति के लिए अमेरिकन एसोसिएशन द्वारा आयोजित मानव अधिकार दस्तावेजन एवं मुकदमेबाजी के लिए भू–स्थानिक तकनीकी पर एक कार्यशाला में डॉ. सविता भाखड़ी, संयुक्त निदेशक (अनुसंधान) ने भाग लिया।

15.29 दिनांक 26 एवं 27 फरवरी, 2015 करे मलीला, फिलीपीन्स में श्री सिरियक जोसफ, सदस्य ने एशिया प्रशांत संसद के लिए फिलीपीन्स सिनेट एवं आंतरिक संसदीय संघ द्वारा मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र आयुक्त के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित संगोष्ठी में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का प्रतिनिधित्व किया।

15.30 दिनांक 9 से 13 मार्च, 2015 को उलनबाटर, मंगोलिया में मंगोलियाई राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नवनियुक्त कर्मचारियों के प्रवेश प्रशिक्षण कार्यशाला में श्री जे.एस.कोचर, संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण एवं अनुसंधान) ने अतिथि के रूप में भाग लिया।

घ. आयोग में विदेशी प्रतिनिधियों के साथ विचार–विमर्श

15.31 सुश्री ज्योति सांघड़ा, अनुभाग अधिकारी, मानव अधिकार एवं सामाजिक तथा आर्थिक मुद्दे, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्रमानव अधिकार उच्च आयुक्त के साथ–साथ श्री चार्ल्स रेड़क्लिफ, अधिकारी, वैश्विक मुद्दे, ओ.एच.सी.एच.आर., न्यूयार्क ने दिनांक 29 अप्रैल, 2014 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का दौरा किया।

15.32 जेस्सिका रॉज़र्स, विदेश मामलों के अधिकारी, लोकतंत्र कार्यालय, मानव अधिकार एवं श्रम (डी. आर.एल.) वाशिंगटन की अध्यक्षता वाले एक पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ने दिनांक 16 जुलाई, 2014 को महासचिव, रा.मा.अ.आ. के साथ शिष्टाचार बैठक हेतु आयोग का दौरा किया।

15.33 श्री मिलून कोठारी, संयोजक, दक्षिण एशिया मानव अधिकार तत्व की क्षेत्रीय कार्यवाही (आर.आई. –एस.ए.एच.आर.एस.), टास्क फोर्स एवं आवास के अधिकार पर पूर्व संयुक्त राष्ट्र विशेष संपर्ककर्ता की अध्यक्षता में 6 सदस्ययी प्रतिनिधिमण्ड़ल ने दिनांक 28 अगस्त, 2014 को आयोग का दौरा किया।

15.34 सुश्री एलिसन कॉरकेरी, निदेशक, राइट्स क्लेमिंग एण्ड़ एकाउंटेबिलिटी, आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार केन्द्र, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर एक ए.पी.एफ.प्रशिक्षण नियमावली के विकास पर नई दिल्ली में दिनांक 5 सितम्बर 2014 को रा.मा.अ. आ. का साक्षात्कार लिया।

15.35 दिनांक 3 सितम्बर, 2014 को नई दिल्ली में मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए अप्रवास मजदूरों एवं आपसी सहयोग से संबंधित मुद्दों पर आयोग के अध्यक्ष एवं डॉ. अली बिन सामिख अल मारी, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार समिति के बीच एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में महासचिव, एवं संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण एवं अनुसंधान), रा.मा.अ.आ. ने भी भाग लिया।

15.36 दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 को आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के साथ मानव अधिकार स्थिति पर विचार–विमर्श के लिए जाओ कैवीन्हो, यूरोपीय संघ के राजदूत वाले तीन सदस्ययी प्रतिनिधिमण्ड़ल ने आयोग का दौरा किया।

15.37 दिनांक 20 फरवरी, 2015 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, सदस्यगण एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ श्री जे.वी.आर.प्रसाद राव, एड्स (एशिया एवं प्रशांत) के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष राजदूत एवं श्री स्टीव क्रौस, क्षेत्रीय निदेशक, यू.एन. एड्स, बैंगकॉक के साथ एक बैठक का आयोजन किया। इस प्रतिनिधिमण्ड़ल ने एड्स के लिए वकालत मिशन हेतु भारत का दौरा किया।

15.38 एच.इ.सी इवीण्ड़ होम्म, नॉर्वे के राजदूत के साथ श्री थोराल्फ स्टेनवॉचड, सलाहकार, नॉर्वे राजदूतावास, नई दिल्ली ने दिनांक 4 मार्च, 2015 को आयोग का दौरा किया तथा आयोग अध्यक्ष, सदस्यगण एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार–विमर्श किया।

*** * * * ***

अध्याय–16

राज्य मानव अधिकार आयोग

16.1 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम (पी. एच. आर. ए.), 1993 के अनुसार वर्ष 1993 में किया गया। पी. एच. आर. ए. की धारा 21 राज्यों में भी राज्य मानव अधिकार आयोगों के गठन की व्यवस्था करती है। मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण एवं संवर्द्धन में एस. एच. आर.सी. की मौजूदगी एवं कार्य लम्बे समय तक चलेंगे।

16.2 जिन राज्यों में राज्य मानव अधिकार आयोग नहीं हैं, उन राज्यों से आयोग 'मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 एवं पेरिस सिद्धांतों' के अनुसार लोगों की जिम्मेदारियों को पूरा करने हेतु राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन हेतु कार्रवाई करने का निवेदन किया।

16.3 अब तक 25 राज्यों में राज्य मानव अधिकार आयोगों की स्थापनी हो गई है। वे राज्य हैं आंध्रप्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, गोवा एवं पश्चिम बंगाल मेघालय में राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई है लेकिन अध्यक्ष एवं सदस्यगणों की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं मणिपुर राज्य मानव अधिकार आयागों में अध्यक्ष एवं सदस्यगणों के पद खाली पडे हैं। देश कि प्रत्येक भाग में मानव अधिकार के संरक्षण की आवश्यकता महसूस की जाती है अतः शेष राज्यों में जल्द से जल्द राज्य मानव अधिकार आयोगों के गठन की आवश्यकता है।

16.4 अतः आयोग ने शेष राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, त्रिपूरा, नागालैण्ड एवं मिजोरम) को अपने राज्यों में राज्य मानव अधिकार आयोग गठित करने हेतु चिट्ठी लिखी है। आयोग ने इन राज्य सरकारों का ध्यान पी. एच. आर. ए. की धारा 21(6) की ओर लाया है जिसके तहत दो या दो से अधिक राज्य सरकारें, राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की सहमति से, यथास्थिति ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के साथ–साथ अन्य राज्य आयोग का सदस्य नियुक्त कर सकेगी। यदि ऐसा अध्यक्ष या सदस्य ऐसी नियुक्ति के लिए सहमति देता है। यह प्रावधान उन राज्यों के लिए उपयोगी है जहां राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन नहीं हुआ है एवं अपने राज्य में उपयुक्त मैन पॉवर/विशेषज्ञ की आवश्यकता हेतु अन्य राज्य के एस. एच. आर. सी. के अध्यक्ष एवं सदस्यगण साझा करने हेतु वे दिलचस्पी ले सकते हैं।

16.5 संघ शासित क्षेत्रों में मानव अधिकार आयोगों के गठन हेतु आयोग ने भारत सरकार को पी. एच. आर. ए.,1993 में संशोधन के लिए प्रस्ताव भेजा है।

16.6 सहयोग एवं साझेदारी के क्षेत्र में अन्वेषण तथा इसे और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए आयाग ने राज्य मानव अधिकार आयोगों के साथ नियमित विचार–विमर्श की शुरुआत की है। यह इस तरह की बैठकों का आयोजन वर्ष 2004 से करता रहा है। एन. एच. आर. सी.एवं एस. एच. आर. सी.की आखिरी बैठक दिनांक 27 जुलाई 2012 को नई दिल्ली में हुई। इस बैठक के दौरान कुछ लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय निम्न थे–

- रा. मा. अ. आ., भारत के कार्यों खासकर इसकी शिकायत प्रबंधन प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु रा. मा. अ. आ. के अधिकारी एवं कर्मचारी आयोग का दौरा कर सकते हैं।
- मानव अधिकार जागरुकता के संवर्द्धन के उद्देश्य से अनुसंधान अध्ययन के साथ–साथ कार्यशाला/संगोष्ठीयों के आयोजन के संबंध में निधि/वित्तीय सहायता हेतु राज्य मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के पास एक प्रस्ताव भेज सकता है।

●	मानव अधिकार न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र एवं ––––के मुद्दे पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के किसी एक सदस्य की अध्यक्षता या किसी राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के तहत एक समिति का गठन।

16.7 तदनुसार, मानव अधिकार न्यायालय द्वारा चिन्हित अपराधों के साथ–साथ इसके लिए विशिष्ट प्रक्रिया के लिए प्रावधानों को शामिल करने के उद्देश्य से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 30 में संशोधन पर विचार करने हेतु रा.मा.अ.आ. ने न्यायमूर्ति श्री के. जी. बालाकृष्णन, अध्यक्ष, रा. मा. अ. आ. की अध्यक्षता मे एक समिति का गठन किया गया। समिति तथा इसके पश्चात आयोग द्वारा अनुमोदित मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम,1993 की धारा 30 के संशोधित मसौदे के मूल संस्करण को आवश्यक कार्रवाई हेतु गृह मंत्रालय के पास भेज दिया गया है।

16.8 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राज्य मानव अधिकार आयोग के बीच आयोजित बैठक का अन्य मुख्य निर्णय रा. मा. अ. आ. द्वारा गठित राज्य मानव अधिकार आयोगों पर 'न्यायमूर्ति जी.पी. माथुर समिति' की सिफारिशों को प्रधानमंत्री एवं राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पास अग्रेषित करना था।

इस समिति का एक मूल संरचना, न्यूनतम जनशक्ति एवं राज्य मानव अधिकार आयोगों की वित्तिय आवश्यकताओं का विकसित करने के मुद्दे की जांच करना था ताकि उन्हें पी.एच.आर.ए.1993 के तहत उसके कार्यों के निर्वहन करने के साथ–साथ शिकायत निपटान के लिए दिशा–निर्देश विकसित किया जा सके।

16.9 न्यायमूर्ति श्री जी.पी.माथुर समिति की सिफारिशों को माननीय प्रधानमंत्री एवं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पास दिनांक 18 दिसम्बर, 2012 के पत्र द्वारा अग्रेषित कर दिया गया।

इसके उत्तर में, गृह मंत्रालय (मानव अधिकार प्रभाग), भारत सरकार ने अपने दिनांक 20 फरवरी 2013 के पत्र द्वारा प्रत्येक राज्य मानव अधिकार आयोगों से वर्ष 2010–2012 के दौरान, पंजीकृत शिकायत, निपटान एवं लम्बित शिकायत, प्रत्येक प्रभाग में उपस्थित जन शक्ति, वित्तीय निर्धारण, अनुभव में लाए गए अभाव एवं अतिरिक्त राशि इत्यादि प्रदान करने का कार्य क्षेत्र के विवरण देने का निवेदन किया। प्राप्त विवरणों को भारत सरकार को दिनांक 20 मार्च 2012 को भेज दिया गया। इसक पश्चात, इस मामले में भारत सरकार से उत्तर की प्रतिक्षा है। आयोग इस बात पर आशावादी है कि गृह मंत्राालय, भारत सरकार इसके उत्तर में तीव्र कार्रवाई करेगी।

* * * * *

अध्याय–17

प्रशासन एवं संभारकीय सहायता

क) कर्मचारी

17.1 दिनांक 31 मार्च, 2013 तक आयोग में सभी श्रेणियों के कुल मिलाकर 343 संस्वीकृत पदों की तुलना में 309 कर्मचारी कार्यरत थें। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने सालों से कर्मचारियों के चयन तथा अपने स्वर्ग के विकास तथा निर्णय के कई तरीको का सहारा लिया है। इन तरिकों में प्रत्यक्ष नियुक्ति, पूर्व–नियुक्ति तथा संविदा के आधार पर नियुक्ति शामिल है।

ख) राजभाषा का प्रयोग

17.2 देश के लोगों में मानव–अधिकारों के प्रति जागरुकता लाने की इसकी पहल में, यह अनुभाग देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन करता रहा है। इस परम्परा को कायम रखते हुए, दिनांक 5.08.2014 से 06.08.2014 तक विश्व भारत, शांतिनिकेतन (प.ब.) में भारतीय साहित्य, विज्ञान एवं मानव अधिकार विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। न्यायमूर्ति श्री के.जी.बालाकृष्णन, अध्यक्ष रा.मा.अ.आ. इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि थे। न्यायमूर्ति श्री सिरियक जोसेफ, सदस्य, रा.मा.अ.आ. ने भी इस संगोष्ठी में भाग लिया। प्रसिद्ध चिंतक एवं लेखक प्रो. नन्द किशोर आचार्य ने इस संगोष्ठी में बीज भाषण दिया। दूसरी संगोष्ठी दिनांक 29–30 अक्टूबर 2014 को जम्मू विश्वविद्यालय के सहयोग से ''सत्याग्रह, आत्मानुशासन एवं गांधी: **एक विमर्श'' आयोजित की गई।** अध्यक्ष, रा.मा.अ.आ. इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि थे तथा प्रसिद्ध गांधीवादी एवं कुलपति, गुजरात विद्यापीठ, डॉ. सुदर्शन अयंगार ने बीज भाषण दिया। तृतीय संगोष्ठी, दिनांक 5 से 6 फरवरी 2015 को उत्कल विश्वविद्यालय के सहयोग से 'न्यायपालिका, लोकतंत्र एवं परम्पराः एक मूल्यांकन' विषय पर आयोजित की गई। न्यायमूर्ति श्री के जी बालाकृष्णन, इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि थे। चतुर्थ संगोष्ठी, दिनांक 19–20 मार्च, 2015 को सावित्री फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे के सहयोग से ''लोकसत्ता, समाज एवं मानव अधिकारों के बढते आयाम'' विषय पर आयोजित की गई। मुख्य अतिथि के रूप में संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए, आयोग के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री के.जी.बालाकृष्णन ने विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थीयों को विश्वविद्यालय द्वारा मानव अधिकार पाठ्यक्रम शामिल करने पर अपनी खुशी जताई। पांचवीं संगोष्ठी, दिनांक 25–27 मार्च 2015 को ''रैगिंगः कानूनी एवं मानव अधिकार आयाम'' विषय पर नूआल्स, कोच्चि के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की गई। इसी क्रम को जारी रखते हुए, वर्ष 2015–2016 के लिए, दिनांक 14–15 सितम्बर, 2015 को ''भारतीय समाज, मीडिया एवं मानव अधिकारों की चुनौतियांः एक विमर्श'' विषय पर आर.टी.एम. नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई। न्यायमूर्ति श्री के.जी. बालाकृष्णन इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि थे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगके सदस्यगण, न्यायमूर्ति श्री सिरियक जोसेफ, न्यायमूर्ति श्री डी मुरुगेशन, श्री एस. सी. सिन्हां, महासचिव एवं श्री राजेश किशोर एवं आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने इन संगोष्ठीयों में भाग लिया। इन संगोष्ठियों में में शांतिनिकेतन, जम्मू, उत्कल, पुणे, एवं कोच्चि, राज्य मानव अधिकार आयोग, गैर सरकारी संगठनों एवं मीडिया के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

ग) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पुस्तकालय

17.8 आयोग के पुस्तकालय की स्थापना वर्ष 1994 में मुख्यतः इसके सदस्सयों एवं कर्मचारियों के लिए अनुसंधान एवं संदर्भ हेतु ही गई। आयोग ने अपने पुस्तकालय को राष्ट्रीय मानव अधिकार

आयोग दस्तावेजी केन्द्र (पुस्तकालय) के रूप में उच्च कोटीकरण किया है जो कम्प्यूटर तथा इंटरनेट सुविधाओं के माध्यम से पुस्तकालय सेवाओं की वृद्धि तथा पूर्ति कराएगा। पाठकों के व्यापक प्रयोग के लिए पुस्तकों/पुस्तावेजों की सामग्री एवं लेख इंटरनेट/इंटरनेट पर उपलब्ध है। वर्तमान में, मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्य कर रहे अभिशिक्षुओं, विश्वविद्यालय शोद्यार्थियों तथा पाठकों द्वारा प्रयोग किया जा रहा है।

17.4 गुणवत्ता के साथ जानकारी किसी दस्तावेजी केन्द्र के रीढ की हड्डी है। रा.मा.अ.आ. का दस्तावेजी केन्द्र (पुस्तकालय) विंभिन्न स्त्रोतों से महत्वपूर्ण सूचना एवं दस्तावेजों को लेकर आयोग के अध्यक्ष, अंतःशिक्षु, शोधार्थियों मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत अन्य को मूल्यवान सूचना उपलब्ध करवाता है। मानव अधिकारों, सरकारी रिपोर्टों, संयुक्त राष्ट्र से प्राप्त सूचना, एन.जी.ओ.,एन.एच.आर.आई, शोध पेपरों, अप्राशित रिपोर्टों, फिल्म, सी.डी., वीडिया कैसेटों इत्यादि पर पुस्तकों एवं जर्नलों द्वारा इस केन्द्र के डेटाबेस को लगातार अपडेट किया जाता है।

17.5 अखबार कतरनों को संकलित कर पुस्तकालय में उपलब्ध करवाया जाता है। मानव अधिकारों के मुख्य विषयों पर सूचना संग्रह एवं संकलित करने की अपनी मुख्य भूमिका के अलावा यह वर्तमान सूचना को उपभोकताओं के पास फैलाने का काम भी करता है।

17.6 भारत में विभिन्न मानव अधिकार उल्लंघनों पर सूचना एवं डाटा प्रदान करने के लिए मानव अधिकारों का साप्ताहिक समाचार संग्रहण आयोग की एक महत्वपूर्ण शुरुआत है। दस्तावेजी केन्द्र इन साप्ताहिक समाचार संग्रहण को संकलित भी करता है।

17.7 पुस्तकालय के पास मानव अधिकारों पर प्रकाशित पुस्तकों की भरमार तथा उपन्यास एवं संदर्भ पुस्तकों का एक छोटा संग्रह है। पुस्तकालय पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत है तथा ई. ग्रंथालय (पुस्तकालय सॉफ्टवेयर) के सहयोग से पूरी तरह स्वचालित पुस्तकालय माहौल में बदल गया है। पुस्तकालय का ऑनलाइन कैटेलोग, समाज के विभिन्न वर्गों के मानव अधिकार उल्लंघन पर शोधार्थियों के लिए काफि उपयोगी साबित होती है। पुस्तकों एवं दस्तावेजों के संग्रह को अपडेट करने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। ताकि उपभोक्ता नवीनतम पुस्तकें, दस्तावेज, रिपोर्ट इत्यादि प्राप्त कर सकें।

17.9 17.8 आयोग के पुस्तकाल के पास 22,861 पुस्तक/जर्नलों का संग्रह है। इसके पास 341 सी डी/डी वी डी/कैसटों का संग्रह है। यह 54 भारतीय एवं विदेशी जर्नलों, क्रमानुसार 106 प्रकाशनों, 33 पत्रिकाओं 24 राष्ट्रीय एवं श्रेत्रीय अखबारों का ग्राहक है। इसके पास मानव अधिकानरों एवं संबंधित विषयों पर पुरस्तकों एवं दस्तावेजों का व्यापक संग्रह है। इस अवधी के दौरान समीक्षा के दौरान मानव अधिकार एवं संबंधित विषयों पर 1831 नयी पुस्तकों को पुस्तकालय के संग्रह में शामिल किया गया।

17.10 17.9 आयोग का पुस्तकालय एस. सी. सी. ऑन लाइन (सर्वोच्य न्यायालय केस फाइन्डर सी डी टोम), एयर सर्वोच्य न्यायालय 1950–2012 समविष्ट एयर इन्फोटेक; एयर उच्च न्यायालय 1950–2012, आपराधिक विधि जर्नल 1950–2012 एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसीत साफ्टवेयर पैकेज (इ–ग्रंथालय) से लैस है।

17.10 पुस्तकालय में किसी भी एक्सेस जैसे लेखक, शीर्षक, विषय, मूलशब्द एवं प्रकाशक द्वारा उपलब्धता एवं किसी उपलब्ध पुस्तक या दस्तावेज की स्थिति निर्धारण हेतु एक ऑनलाइन ओपन पब्लिक एक्सेस कैटेलागिंग (ओ.पी.ए.सी.) को खासकर विकसित किया गया है।

17.11 यह पुस्तकालय ब्रिटिश काउन्सल तथा डेलनेट (डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्किंग, नई दिल्ली) का एक संस्थानिक सदस्य है जो विभिन्न पुस्तकालयों से विभिन्न संसाधनों को बांटने में बढ़ावा देता है। पुस्तक/दस्तावेजों एवं जर्नलों तक पहुंच एवं उधार के लिए अंतर पुस्तकालय कर्ज सुविधा का भी प्रचालन करता है।

घ) सूचना का अधिकार

17.12 आयोग ने पिछले वर्ष अपनी वार्षिक रिपोर्ट, 2013–2014 में, सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के सीमाक्षेत्र के तहत आने वाले प्रश्नों के उत्तर के लिए आयोग ने पिछले वर्ष, अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2013–2014 में उसके द्वारा विकसित संस्थागत तंत्र का विस्तृत विवरण दिया था।

17.13 वर्ष 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 के दौरान प्राप्त आवेदनों अपीलों एवं सी. आई.सी. नोटिसों का विवरण निम्न है।

17.12 अपीलों का विवरण नीचे निम्न है :–

1.	प्राप्त आवेदनों की संख्या	2446
2.	30 दिनों के अंदर निपटान किए गए आवेदनों की संख्या	**2302**
3.	एक महीने बाद लंबित आवेदनों की संख्या	–
4.	एक महीनें के अंदर लंबित आवेदनों की संख्या	22
5.	अन्य मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को स्थानांतरित किए गए आवेदनों की संख्या	118

<u>प्रथम अपीलों का विवरण</u>

1.	अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपीलों की संख्या	102
2.	इस माह के अंदर इन अपीलों के किए गए निपटान संख्या	102
3.	लंबित अपीलों की संख्या	–

<u>सी आई सी के साथ दूसरे अपीलों की संख्या</u>

1.	सी आई सी से प्राप्त नोटिसों की संख्या	14
2.	सी पी आई ओ/अपीली प्राधिकारी द्वारा प्रबंध किए गए सुनवाई की संख्या	14
3.	सी आई सी को प्रेषित अनुपालन रिपोर्ट के संबंध में सुनवाई की संख्या	02
4.	सी आई सी को प्रेषित न की गई अनुपालन रिपोर्ट के संबंध में सुनवाईयों की संख्या	कोई नहीं

* * * * *

अध्याय–18

राज्य सरकारों द्वारा रा.मा.अ.आ. की संस्तुतियों की अस्वीकृति

18.1 वर्ष 2014–2015 के दौरान, कुल 9 मामलों में, आयोग द्वारा की गई वित्तिय राहत की संस्तुतियों को केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। गृह मंत्रालय (सीमा सुरक्षा बल से संबंधित मामले में) के अलावा मध्यप्रदेश, मणिपुर एवं उत्तर प्रदेश सरकारों ने छः मामलों में मृतक के निकट संबंधियों को आयोग द्वारा की गई वित्तिय राहत प्रदान करने की संस्तुति से इन्कार कर दिया। कृपया नीचे की तालिका देखें। ये मामले पुलिस मुठभेड़ में मौत, पुलिस हिरासत में मौत एवं सीमा सुरक्षा बल द्वारा गोलीबारी की वजह से मौत से संबंधित थे। इन मामलों का विवरण अनुलग्नक–14 में संलग्न है। इस तरह की पांच मामलों में प्राप्त उत्तर पर आयोग ने विचार कर मामलों को बंद कर दिया। हालांकि एक मामले में, उत्तर प्रदेश सरकार को आयोग द्वारा की गई संस्तुतियों के अनुसार वित्तिय राहत की राशि का भुगतान करने को कहा गया।

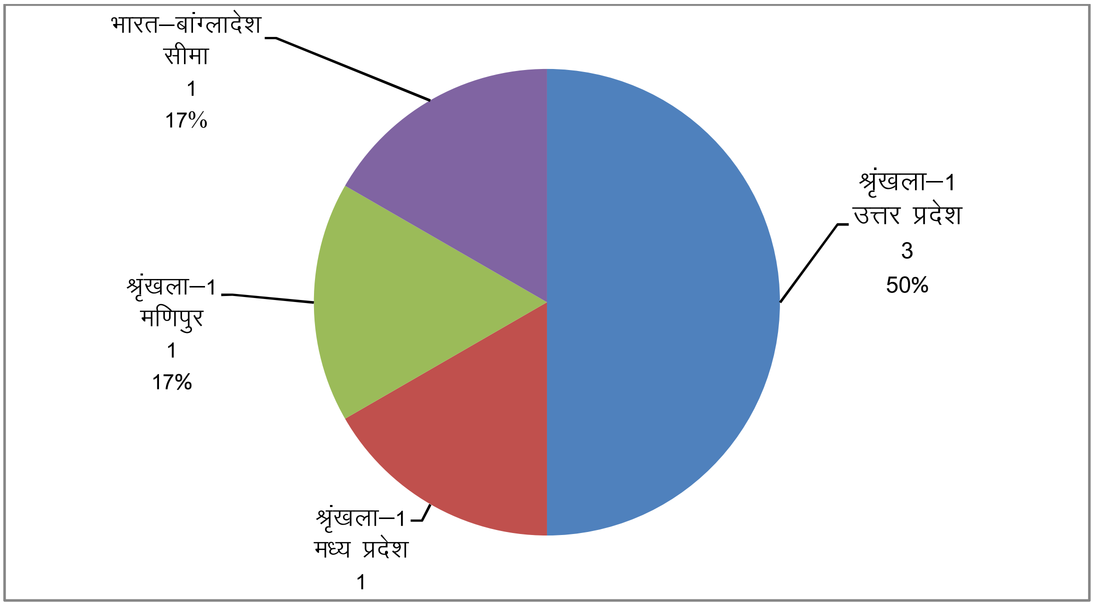

मामलों का विवरण जिसमें केन्द्र/राज्य सरकारों ने हर्जाना/वित्तिय राहत के भुगतान हेतु आयोग की संस्तुति से इन्कार कर दिया।

(कुल मामलों का विवरण–6)

18.2 इसी अवधि के दौरान, तीन अन्य मामलों में (कृपया नीचे की तालिका देखें), वित्तिय राहत के भुगतान हेतु आयोग द्वारा की गई संस्तुति को राज्य सरकारों द्वारा अपने राज्य के उच्च न्यायालयों में चुनौति दी गई एवं ये इन न्यायालयों में विचारण हेतु लम्बित हैं। इन मामलों का विवरण अनुलग्नक 15 में दिया गया है।

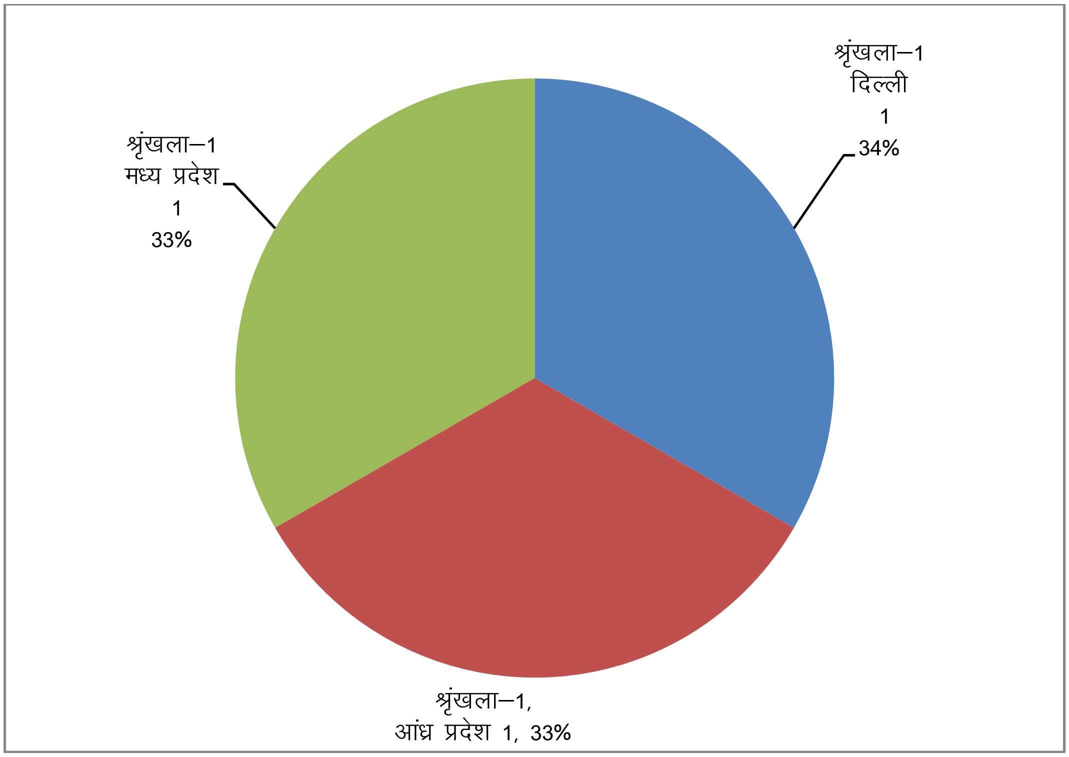

ममलों का विवरण जिसमें केन्द्र/राज्य सरकारों ने हर्जाना/वित्तिय राहत के भुगतान हेतु आयोग की संस्तुति को चुनौती दी।

(कुल मामलों का विवरण–3)

* * * * *

अध्याय-19

महत्वपूर्ण संस्तुतियों एवं टिप्पणीयों का सार

19.1 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आयोग अपने अधिनियम की धारा 12 के तहत परिकल्पित विभिन्न कार्यों के अनुरूप विभिन्न क्रियाकलापों में लिप्त रहा। इसे बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह कार्य काफी विस्तार से फैला है। निष्कर्षतः अधिनियम आयोग से एक साथ दो रास्तों में करने की मांग करता है: एक, अन्याय के प्रतिकार की तुरंत मांग एवं गलती के तुरंत उपाय एवं दूसरा, दीर्घावधि के लिए, देश के सम्पूर्ण भू-भाग में मानव अधिकार संस्कृति के विकास हेतु प्रयत्न करना। ये सब, एक साथ आपस में संबंधित है। एक साथ यही सब मुद्दे हैं जिस पर आयोग द्वारा ध्यान केन्द्रित किया गया है। (पैरा 1.6)

19.2 तदनुसार, आयोग हिरासतीय मौत एवं बालात्कार, पुलिस हिरासत में मौत, अवैध नजरबंदी एवं उत्पीड़न, पुलिस द्वारा अत्याचार एवं अर्द्धसैनिक बलों द्वारा गोलीबारी एवं मुठभेड़, महिलाओं, बच्चों, अशक्त एवं वृद्धजनो के साथ-साथ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के खिलाफ अत्याचार की घटनाओं में शिकायतों के आधार पर या स्वतः संज्ञान लेकर पृवृत्त रखा। वस्तुतः, आयोग वर्ष 2012 से देश के विभिन्न भागों में अनुसूचित जाति के खिलाफ अत्याचारों पर जन सुनवाई के प्रक्रिया की शुरुआत की। इन अत्याचारों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई न करना, पुलिस अधिकारियों द्वारा पक्षपातपूर्ण जांच, महिलाओं के खिलाफ अपराध, यौन उत्पीड़न, नागरिक विवाद एवं अन्य उल्लंघन से संबंधित हैं। इन्हीं कारणों की वजह से सामाजिक कुरुतियों जैसे मानव देह व्यापार एवं बंधुआ तथा बाल मजदूरी से संबंधित आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर आयोग अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। इसके अलावा, आयोग वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद द्वारा प्रारम्भ की गई भारतीय सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा के द्वितीय चक्र के हिस्से के रूप में चिन्ता जाहिर करने में लगा रहा। यह देखा जाएगा कि भारतीय सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा के द्वितीय चक्र से संबंधित कुल 67 प्रसंग हैं कॉस्ट कटींग के रूप में संयोग से मिले हैं। एवं अतः यह वार्षिक रिपोर्ट के विभिन्न अध्यायों को संबोधित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, भारत के विविधतापूर्ण एवं बहुलवादी प्रकृति में मानव अधिकार शिक्षा एवं प्रशिक्षण, द्वारा मानव अधिकार संस्कृति को कैसे बढ़ावा मिले, आयोग यह सुनिश्चित करता है।

शिकायतों की संख्या एवं प्रकृति

19.3 पूर्व की भांति, आयोग देश के विभिन्न भागों से विभिन्न मुद्दों पर शिकायत प्राप्त करती रही जिसमें लोगों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ या इस तरह के उल्लंघन की रोकथाम में लोकसेवक द्वारा लापरवाही बरती गई। इन शिकायतों में कथित हिरासतीय मौत, उत्पीड़न, फर्जी मुठभेड़, पुलिस द्वारा अत्याचार, सुरक्षा बलों द्वारा उल्लंघन, कारागारों की स्थिति, महिला, बच्चों तथा समाज के पिछड़े वर्गों के खिलाफ नृशंसता, सांप्रदायिक हिंसा, बंधुआ एवं बाल मजदूरी, सेवानिवृत्त सुविधाओं का भुगतान न करना, लोक प्राधिकारों द्वारा लापरवाही इत्यादि शामिल हों। इसके अलावा, आयोग पुलिस मुठभेड़ एवं हिरासत, न्यायिक हिरासत एवं रक्षा। अर्द्धसैनिक बलों की हिरासत में मौत से संबंधित शिकायतों पर संज्ञान लिया। प्रिंट एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में रिपोर्टों पर तथा देश के विभिन्न भागों में दौरे के

दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, सदस्यगण, विशेष संपर्ककर्ता एवं वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में आई घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लिया गया। (पैरा 2.12)

मानवाधिकार उल्लंघन के मामले

19.4 वर्ष 2014-2015 के दौरान, आयोग में कुल 1,14,167 मामलों का पंजीकरण किया गया। (अनुलग्नक-1) इसने 1,02,400 मामलों का निपटान किया जिसे पिछले वर्षों के मामले भी शामिल थे। समीक्षावधी के दौरान, आयोग द्वारा कुल निपटाए गए मामलों में, 60,278 मामलों को प्रथम दृष्टया खारिज कर दिया जबकि 25,696 को उपयुक्त राहत के लिए उपयुक्त प्राधिकारी को निर्देशों के साथ मामले का निपटान कर दिया गया। कुल 7,193 मामलों को राज्य मानवाधिकार आयोग के पास, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निपटान के लिए स्थानांन्तरित कर दिया। वर्ष 2014-2015 के दौरान, रा.मा.अ.आ. द्वारा राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के आधार पर निपटाए गए मामलों का विवरण अनुलग्नक-2 में है समीक्षा अवधि के समाप्त होने अर्थात् 31 मार्च, 2015 तक, आयोग के पास कुल 41,050 लम्बिल मामले थे। इनमें से 3,422 मामले प्राथमिक विचारण हेतु तथा 37,628 मामले संबंधित प्राधिकारियों से रिपोर्ट हेतु या आयोग द्वारा विचार हेतु लम्बित थे। (अनुलग्नक-3)(पैरा-2.13)

हिरासतीय हिंसा की रोकथाम

19.5 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पुलिस हिरासत में मौत के मामले में 133 शिकायतें तथा न्यायिक हिरासत में मौत के संबंध में 1589 शिकायतें प्राप्त की। समीक्षा अवधि के दौरान, अर्द्धसैनिक/रक्षा बलों की की हिरासत में मौत के कोई मामले सामने नहीं आए। इसने हिरासतीय मौत के 1,283 मामलों, न्यायिक हिरासत में 1,187 मामलों, पुलिस हिरासत में मौत के 96 मामले एवं अर्द्धसैनिक बलों की हिरासत में मौत के एक मामले का निपटान किया। आयाग ने पुलिस मुठभेड़/कार्रवाई में 192 शिकायतें प्राप्त की एवं पुलिस मुठभेड़ में मौत के 112 मामलों का निपटान कर दिया। इसमें पिछले वर्ष के पंजीकृत मामले भी शामिल थे। इन आकड़ों में पिछले वर्षों के मामले भी शामिल हैं।

आर्थिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संस्तुति एवं इसका अनुपालन

19.6 1 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015 की अवधि के दौरान, आयोग ने 367 मामलों में मृत्तक के निकट संबंधी/पीड़ितों को हर्जाना/आर्थिक सहायता के भुगतान के रूप में रु. 9,07,90,000 की संस्तुति की। यथा संस्तुतित आर्थिक सहायता के कुल मामलों में से केवल 59 मामलों मं अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें से पीड़ित/मृतक के निकट संबंधियों को रु.1,00,85,000 का भुगतान किया गया। राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के आधार पर इन मामलों का विवरण अनुलग्नक-4 पर है।(पैरा-2.16)

19.7 समीक्षा अवधि के दौरान, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 308 मामलों में रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जिसमें आर्थिक सहायता के रूप में कुल 8,07,05,000/- की सिफारिश की गई थी (अनुलग्नक-5)। जैसा कि अनुलग्नक में दर्शनीय है, वर्ष 2014-2015 के दौरान, उत्तर प्रदेश के पास कुल 105 मामले, ओड़िशा सरकार के पास 23 मामले, एवं बिहार सरकार के पास 21 मामले अनुपालन हेतु लम्बित पाए गए जिसमें आयोग द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में क्रमशः रु 2,05,25,000/-, रु 1,01,15,000/- एवं रु 23,40,000/- की सिफारिश की थी। मध्यप्रदेश (17/ रु.78,00,000), राजस्थान (17/ रु.43,75,000), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली (16/ रु.43,75,000), झारखण्ड (13/ रु1,17,00,000), हरियाणा (12/ रु.21,00,000),

महाराष्ट्र (12/ रु.15,25,000), छत्तीसगढ़ (9/ रु.13,10,000), तमिलनाडु (7/ रु.10,50,000), केरल (6/ रु.16,00,000) एवं उत्तराखण्ड़ (6/ रु.12,50,000) अवरोही क्रम में अन्य मामले थे जहां पर मामले लम्बित थे। आयोग ने दूसरे सभी राज्यों खासकर, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, झारखण्ड़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश सरकार को लम्बित मामलों में तुरन्त कार्रवाई करने की संस्तुति की ताकि प्रत्येक मामले में आर्थिक सहायता की सिफारिश के अनुसार पीड़ित/निकट संबंधी को राहत मिल सके(पैरा-2.17)।

19.8 पूर्व वर्षों के मामलों से संबंधित अनुपालन रिपोर्ट के संबंध में, 238(193+45) मामलों में अनुपालन की प्रतिक्षा की, विवरण हेतु कृपया अनुलग्नक-6 एवं 7 देखें।(पैरा 2.18)

19.9 अनुलग्नक-6, आर्थिक सहायता के भुगतान के संबंध में वर्ष 2013-2014 के लिए अनुपालन हेतु लम्बित मामलों का विवरण प्रदान करता है। जैसा कि स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य इस सूची में दूसरा शीर्ष है जैसा कि आयोग ने 75 मामलों में भुगतान का प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया है, इनमें से ज्यादातर नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार से संबंधित हैं। इस संबंध में अन्य राज्य जिन्होंने अनुपालन रिपोर्ट अब तक नहीं भेजी है, वे हैं: असम(20), मणिपुर(15), महाराष्ट्र(14), झारखण्ड़(9), आंध्रप्रदेश(8), बिहार(8), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली(8), मध्यप्रदेश(7), राजस्थान(6), ओड़िशा(4), पश्चिम बंगाल(3), तमिलनाडु(3), अरुणाचल प्रदेश(3), पंजाब(2), कर्नाटक(2), केरल(2), जम्मू एवं कश्मीर(2), उत्तराखण्ड़(1), गुजरात(1)। इन मामलों के निवारण को पूर्व की वार्षिक रिपोर्ट में रिपोर्ट की गई थी। आयोग उपरोक्त सभी राज्यों से अनुपालन रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के लिए दुबारा कहता है साथ ही, नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं स्वास्थ्य अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए व्यापक कदम उठाने के साथ-साथ महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के साथ भेदभाव एवं उल्लंघन के कृत्यों की रोकथाम हेतु व्यापक कदम उठाने का निवेदन किया है।(पैरा-2.19)

19.10 अनुलग्नक -7 में वर्ष 1998-1999 से 2012 तक की अवधि में आर्थिक सहायता के भुगतान अनुशासनिक कार्रवाई एवं अभियोग आयोग द्वारा की संस्तुति पर लम्बित अनुपालन के मामलों का विवरण है। यह देखा गया है कि उपरोक्त अनुलग्नक के 45 मामलों में से सात मामलों में संबंधित राज्य सरकारों ने आयोग की संस्तुतियों को अपने-अपने उच्च न्यायालयों में चुनौती दी है। एवं इनमें से ज्यादातर मामलों में अन्तिम निर्णय की प्रतीक्षा है। ये राज्य हैं ओडिशा(3), जम्मू एवं कश्मीर(2), केरल(1) एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली (1), आयोग उत्सुकता से सभी राज्य सरकारों से अपनी पहल पर पुनर्विचार करने तथा न्याय की प्रक्रिया में तेजी लानेकी अपील करता है। इसके अलावा, आयोग का विश्वास है कि अनुलग्नक-7 में सूचीबद्ध सभी अन्य राज्य आयोग द्वारा की गई सिफारिश का पालन करेगी एवं यथाशीघ्र पीड़ित या उनके निकट संबंधीयों को राहत प्रदान करेगी।(पैरा-2.20)

हिरासतीय हिंसा एवं उत्पीड़न

19.11 उत्पीड़न सहित विभिन्न प्रकार की हिरासतीय हिंसा, विधि निर्वहन की जिम्मेदारी से युक्त लोक सेवकों द्वारा बदतर ज्यादती का प्रतिनिधित्व करता है। आयोग पुलिस हिरासत में बालात्कार, यंत्रणा, उत्पीड़न, फर्जी मुठभेड़ जैसे अपराधों को मानव अधिकारों के संरक्षण में एक बड़ी विफलता समझता है। अतः इस तरह के अवैध प्रथाओं की रोकथाम एवं मानवीय गरिमा का सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए यह गम्भीरता से प्रतिबद्ध है। पीड़ित या उनके निकट संबंधीयों को क्षतिपूर्ति की सिफारिश करने के अलावा, आयोग एक ऐसे समाज निर्माण के लिए प्रयत्नशील है जिसमें पुलिस थाना, जेल एवं कारागार की चाहरदीवारी के

अन्दर 'वर्दी' एवं प्राधिकारी की आड़ में दंडाभाव में मानव अधिकारों का उल्लंघन होता रहे जहां पीड़ित सबसे ज्यादा असहाय होते हैं।(पैरा-4.8)

19.12 आयोग ने इस संबंध में विभिन्न दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों में से एक हिरासत में किसी मौत पर 24 घण्टे के अन्दर रिपोर्ट करने की है। हालांकि, सभी हिरासतीय मौतें अपराध या हिरासतीय हिंसा अथवा चिकित्सीय लापरवाही के परिणामतः नहीं हो सकती, यह महत्वपूर्ण है कि उचित जांच एवं अन्वेषण रिपोर्ट, शव परीक्षा रिपोर्ट, आरम्भिक स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट, मजिस्ट्री जांच रिपोर्ट इत्यादि जैसी रिपोर्टों के विश्लेषण के बिना कोई पूर्वाग्रह नहीं किया जाए। हिरासतीय मौत की घटनाओं पर नज़र रखने हेतु राज्य प्राधिकारियों द्वारा आयोग के दिशा-निर्देशों का अनुपालन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि, यह देखा गया है कि अत्यधिक विलम्ब के बाद कुछ मौतों की रिपोर्ट की गई, एवं कई मामलों में संबंधित प्राधिकारी को सशर्त समन जारी करने के पश्चात् ही आयोग के पास रिपोर्ट अग्रेषित की गई। (पैरा 4.9)

19.13 वर्ष 2014-2015 में, अन्वेषण प्रभाग न्यायिक हिरासत में मौत के 5,205 मामले, पुलिस हिरासत में मौत के 471 मामले सहित हिरासतीय मौत के कुल 7,347 मामलों पर अन्वेषण प्रभाग ने कार्यवाही की है। इस प्रभाग ने पुलिस हिरासत में मौत के 162 मामलों पर भी कार्यवाही ही है। रा.मा.अ.आ. के साथ सूचीबद्ध फौरेंसिक विशेषज्ञों ने हिरासतीय मौत एवं मुठभेड़ में हुई मौत के 346 मामलों में अपनी विशेषज्ञ राय दी है। अन्वेषण प्रभाग ने फर्जी मुठभेड़ में जान की धमकी, गलत तरीके से फंसाने, अवैध नज़रबंद, हिरासतीय उत्पीड़न एवं मानव अधिकार उल्लंघन की अन्य शिकायतों के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की एवं 1,851 तथ्यात्मक मामलों का विश्लेषण किया है। (पैरा 4.10

कारागार जनसंख्या का विश्लेषण

19.14 आयोग कारागारों की दयनीय स्थिति एवं अन्य अवरोध सुविधाओं के बारे में गम्भीरता से चिंतित है जहां पर अतिप्रजन जैसी समस्याओं से ग्रसित हैं वर्ष 2014 के लिए, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.सी.) का विश्लेषण करने पर, ज्यादातर राज्यों में अतिप्रजन की समस्या पाई गई। वर्ष 2014 के आखिर में अधिकतम संख्या में 88,221 कैदी (34,644 पुरुष; 3,572 महिलाऐं) उत्तर प्रदेश में रिपोर्ट किए गए, इसके पश्चात मध्य प्रदेश से 36,433 (35,263 पुरुष;1,150 महिला), बिहार से 31,295 (30,204 पुरुष;1,091 महिला), महाराष्ट्र से 27,868 (26,438 पुरुष; 1,430 महिला) एवं पंजाब से 26,007 (24,703 पुरुष; 1,304 महिला) रिपोर्ट किए गए। (पैरा 4.243 एवं 4.244)

19.15 यह पाया गया कि दिन-प्रतिदिन विचाराधीन कैदियों की संख्या में वृद्धि अतिप्रजन के मुख्य कारण थे एवं जिस अवधि तक वे जेलों में बंधक रहते हैं वह भी काफी ज्यादा है। कुछ मामलों में, यह भी देखा गया है कि विचाराधीन कैदी वर्षों तक न्यायिक हिरासत में रहते हैं, जो किसी दाण्डिक विधि के तहत किसी अपराध के लिए निहित दण्ड से काफी ज्यादा है। प्राप्त आंकड़े यह दर्शाते हैं कि उत्तरप्रदेश (62,515), बिहार (26,800), महाराष्ट्र (19,895), मध्यप्रदेश (19,188), पंजाब (15,467), राजस्थान (14,608), पश्चिम बंगाल (14,050), झारखण्ड (13,790), ओड़िशा (11,553) एवं हरियाणा (11,124) जैसे राज्यों में विचाराधीन कैदियों के प्रतिशत सबसे ज्यादा हैं। (पैरा 4.245)

19.16 वर्ष 2014 के अंत तक, देशभर में कुल 390 महिला अपराधियों के साथ 457 बच्चे एवं 1,172 विचाराधीन कैदियों के साथ 1,320 बच्चे विभिन्न जेलों में बन्द पाए गए। उत्तर

प्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब एवं राजस्थान में महिला कैदियों की संख्या भी ध्यान देने योग्य है। (पैरा 4.246)

19.17 जेल सांख्यिकी आंकड़ों का तुलनात्मक विश्लेषण सभी राज्यों के लिए अतिप्रजन नियंत्रण हेतु गम्भीर कदम उठाने की आवश्यकता को दर्शाता है। अतिप्रजन को कम करने के लिए, जेलों में संबंधित अधिकारियों द्वारा कानून में प्रावधानों (पैरोल, बेल, फरलो, अल्प अवधी एवं अपील याचिकाओं इत्यादि के विषय में) में उदारता से पालन करने की आवश्यकता है। इन प्रक्रियाओं की पूर्ति हेतु जेल प्राधिकारियों की मदद के लिए, कैदियों के प्रतिनिधि के साथ एक जेल समिति का गठन किया जा सकता है। (पैरा 4.247)

सिलिकोसिस

19.18 सिलिकोसिस रवेदार सिलिका के अन्तःश्वसन, अवरोधन एवं फेफड़ा सम्बन्धी प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न फिब्रॉटिक लंग डिसऑर्डर है। पत्थर खदान एवं विचूर्णक, मणि काटना, स्लेट, कांच निर्माण एवं घर्षण संबंधी निर्माण एवं घर्षण उद्योगों, विनिर्माण एवं खनन उद्योगों में कार्यरत लोग खासकर सिलिकासिस से ग्रसित होते हैं। आयोग का यह मानना है कि सिलिकोसिस द्वारा व्यावसायिक जोखिम से बचा जा सकता है यदि कार्य प्रणाली को उचित तरीके नियंत्रित किया जा सके एवं सटीक चेतावनी एवं रक्षात्मक औजारों का प्रयोग किया जा सके। इसके अलावा, सिलिकोसिस द्वारा ग्रसित किसी श्रमिक या अन्य व्यक्ति को अल्पावधि या दीर्घावधी के चिकित्सीय सुविधा एवं पीड़ितों या उनके परिवारवालों का पुर्नवास करवाकर राहत प्रदान करना राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी है। (पैरा 6.7)

19.19 आयोग एक बार फिर सभी राज्य सरकारों एवं संघ शासित क्षेत्रों को वर्ष 2008-2009 से लेकर अब तक समय-समय पर सिलिकॉसिस के संबंध में आयोग द्वारा दिए गए सुझावों तथा सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट अग्रेषित करने के लिए कहा है। यह उल्लेख करना उचित होगा कि यह सभी सिफारिशें, दिनांक 25 जुलाई, 2014 को आयोग द्वारा सिलिकॉसिस के संबंध में आयोजित किए गए राष्ट्रीय सम्मेलन की अंतिम सिफारिशों का भाग हैं। आयोग सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों से एक बार फिर अपील करता है कि वे दिनांक 23 दिसम्बर, 2014 को हुई अपनी बैठक में सिलिकॉसिस संबंधी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेषज्ञ समूह द्वारा की गई सिफारिशों, जिनका उल्लेख पैरा 6.18 में और कुछेक सिफारिशें जो उपरोक्त पैरा 3.19 में दी गई हैं, का अनुपालन करें।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना 2015 के मसौदे पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टिप्पणी

19.20 उपरोक्त पैरा 6.23 में क्रमांक में (I), (II), (III), (IV), (V), (XI), (XII), (XIII), (XIV), (XV), (XVI) तथा (XXI) सूचीबद्ध सुझावों/सिफारिशों को बाद में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के निर्णायक अंक में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टिप्पणियों के रुप में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रेषित कर दिया गया था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग आश्वस्त है कि भारत सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के निर्णायक अंक को जारी करते समय इसके द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को की गई सिफारिशों/सुझावों पर विचार को नोट किया जाएगा।

वैश्विक आवधिक समीक्षा के द्वितीय चक्र के तहत भोजन के अधिकार से संबंधित सिफारिशों का अनुवीक्षण

19.21 वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद द्वारा किए गए सार्वभौमिक आवधिक पुनरीक्षा के द्वितीय चक्र के एक भाग के रुप में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भोजन के अधिकार संबंधी उन सिफारिशों की मॉनीटरिंग कर रहा है जिन्हें भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था। यह सिफारिशें इस प्रकार हैं:- ''खाद्य सुरक्षा के संवर्धन हेतु एक रणनीति शुरु करना'' और ''पर्यावरण एवं स्वास्थ्य नीतियों के संबंध में प्रयास जारी रखना और खाद्य सुरक्षा संबंधी विधेयक को अंगीकृत करने के उपाय करना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना।'' इसके संबंध में आयोग ''निर्धनता उन्मूलन'' और ''कमजोर वर्गों के लोगों के लिए अधिक संसाधनों का प्रावधान'' पर केन्द्रित कई वैकल्पिक सिफारिशों की मॉनीटरिंग कर रहा है।

19.22 जैसा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की वर्ष 2013-14 की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि इस प्रयोजन के लिए आयोग ने सूचकांकों/मॉनीटर किए जाने वाले परिणामों सहित इन प्रत्येक सिफारिशों के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई का विस्तृत ढांचा तैयार किया है। इसके अतिरिक्त, आयोग ने इसके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार एजेंसी का चयन भी कर लिया है। तदनुसार, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने दिनांक 22 जनवरी, 2015 को संयुक्त सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के साथ एक बैठक की। इस बैठक में संयुक्त सचिव महोदय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के लागू होने के बाद होने वाले विकास के बारे में जानकारी दी जैसे कि देश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.डी.पी.एस.) का कम्प्यूटरीकरण। उन्होंने राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के साथ-साथ इसकी मॉनीटरिंग एवं सतर्कता को मजबूत करने के तरीकों को साझा किया। इसके बाद भोजन के अधिकार को प्रभावित करने वाले वैकल्पिक मुद्दों पर ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव के साथ (दिनांक 22 जनवरी, 2015) और पेयजल मंत्रालय के अपर सलाहकार के साथ (दिनांक 18 फरवरी, 2015) बैठकें आयोजित की गई। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का आशय वर्ष 2015-16 के दौरान क्षेत्रीय परामर्श आयोजित करके देश भर में इन गतिविधियों की मॉनीटरिंग करना है ताकि सार्वभौमिक आवधिक पुनरीक्षा के तीसरे चक्र को रिपोर्ट करने के लिए बुनियादी स्थिति का वास्तविक आकलन हो जाए और इस कार्य में सरकारी और गैर सरकारी, सभी पणधारियों का समर्थन मिल जाए।

वैश्विक आवधिक समीक्षा के द्वितीय चक्र के तहत बच्चों के शिक्षा के अधिकार से संबंधित सिफारिशों का अनुवीक्षण

19.23 यह सिफारिशे मुख्यतः - बच्चों के शिक्षा के अधिकार को और सवंर्धित करने, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के प्रावधानों को मजबूत करने, देश में सभी लड़कियों और लड़कों को गुणतापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की गैर-विभेदकारी नीति एवं गारंटी के कार्यान्वयन को जारी रखने, बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के सुचारु कार्यान्वयन की गारंटी के लिए दोनों (केन्द्र तथा राज्य सरकारें) के सहयोग को बढ़ाने के लिए, अक्षम बच्चों को बाकी बच्चों की तरह शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए तथा बच्चों को शारीरिक दंड देना प्रतिबंधित करने के लिए विधायन लाने जैसी चुनौतियों का

समाधान करने के संबंध में हैं। इसके संबंध में आयोग बच्चों के शिक्षा के अधिकार को प्रभावित करने वाली कई वैकल्पिक सिफारिशों की मॉनीटरिंग भी कर रहा है।

19.24 इस प्रयोजन के लिए आयोग ने एक ढांचा तैयार किया है जिसमें संकेतकों/मॉनीटर करने योग्य परिणामों सहित इन सिफारिशों के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई का विवरण है। इसके अतिरिक्त आयोग ने इसके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार एजेंसी का चयन किया। भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों, जिनके स्तर पर कार्रवाई की जानी है, के साथ इस ढांचे की एक-एक प्रति साझा कर दी गई है। तदनुसार, आयोग ने स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशक के साथ दिनांक 4 फरवरी, 2015 को एक बैठक आयोजित की। बैठक में हुए विचार-विमर्श तथा बाद में भेजे गए एक अनुस्मारक के आलोक में निदेशक, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा उपरोक्त सूचीबद्ध सिफारिशों/चिन्ताओं के संबंध में कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। आयोग एक बार फिर से विभागों से अनुरोध करता है कि वे सभी सिफारिशों/चिन्ताओं के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करें ताकि आयोग द्वारा प्रत्येक सिफारिश के बारे में विश्लेषण किया जा सके।

द्वितीय सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा से संबंधित महिलाओं/यौन एवं जनन स्वास्थ्य अधिकारों बच्चों के अधिकारों पर संस्कृतियों की मानीटरिंग।

19.25 इन संस्तुतियों में प्रारंभिक रुप में इन चुनौतियों से निपटने को शामिल किया गया जैसे मातृत्व स्वास्थ्य, मातृ एवं शिशु मृत्युदर, उचित प्रसूति सेवाओं तथा यौन एवं जनन स्वास्थ्य सेवाओं की पर्याप्त पहुंच जिसमें सुरक्षित गर्भपात तथा लिंग संवेदी व्यापक गर्भनिरोधक सेवाएं, महिलाओं को उनकी पसंद के विवाह करने के अधिकार तथा जाति एवं समुदाय अथवा अन्य संबंधितों के स्वतंत्र व्यवहार की उनकी समानता को बढ़ावा देना, बच्चों के बीच लिंग अनुपात को प्रभावी रुप से संतुलित करने का कार्य करना जिसमें शामिल है प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण का निवारण इस दृष्टि से सुनिश्चित किया जाए कि इस तरह की प्रथाओं के विधिक प्रतिबंध को लागू करने को मजबूती दी जाए, प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण के आपराधिक प्रवृत्ति के विषय में चिकित्सा व्यवसायियों को संवेदीकरण, कार्यक्रमों एवं विकास योजनाओं में लिंग परिप्रेक्ष्य को समाविष्ट करना, लिंग विषयों को ध्यान में रखते हुए बजट एवं सामाजिक कानूनों का पुनः परीक्षण, महिलाओं के साथ-साथ बच्चों के अधिकारों के संरक्षण में विधिक प्रयासों को जारी रखना ताकि महिलाओं एवं बच्चों तथा धार्मिक अल्पसंख्य सदस्यों के विरुद्ध हिंसा से बचाव हेतु उपायों में सुधार हो सके, महिलाओं का सशक्तिकरण एवं उद्धार में सुधार तथा उन्हें समाज में बड़ी भूमिका निभाने दी जाए, लिंग समानता सुनिश्चित करने के प्रयास दोगुने किए जाए तथा लिंग भेदभाव की रोकथाम हेतु उपाय किए जाएं, महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन हेतु इसके अनेक पहलों का संवर्धन जारी रखा जाए जिसमें शामिल हैं जागरुकता बढाना तथा संगत विधिक एवं संस्थागत संरचना को मजबूत बनाना, नाबालिगों के विरुद्ध यौन अपराधों से जूझने के लिए कानून को मजबूत बनाना, बाल-विवाह की रोकथाम हेतु प्रभावी उपाय करना, मानव अवैध-व्यापार का सामना करने के प्रयासों को बढ़ाना तथा अवैध-व्यापार के पीड़ितों के संरक्षण एवं पुनर्वास के प्रयासों को प्रबल करना। इसके संबंध में, आयोग महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों पर प्रभाव डालने वाली अनेक संस्तुतियों की मानीटरिंग कर रहा है।

19.26 तदनुसार, इस वार्षिक रिपोर्ट को लिखते समय, जुलाई 2015 में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निदेशक के साथ आयोग ने बैठक की थी जहां उपरोक्त में से कुछ विषयों पर सूचना दी गई थी। बाद में मंत्रालय द्वारा और सूचना साझा की गई

थी जिसमें नियुक्त संरक्षण अधिकारियों की संख्या तथा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत देश में पहचान किए गए सर्विस प्रोवाइडरों की संख्या; यौन अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 28 के तहत विशेष न्यायालयों के रुप में नियुक्त सत्र न्यायालयों की संख्या; तथा बाल लिंग अनुपात सुधारने के लिए जनवरी 2015 में बेटी बचाओं बेटी बढ़ाओं (बीबीबीपी) कार्यक्रम की शुरुआत को रेखांकित किया गया था।

19.27 हालांकि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा साझा की गई सूचना प्रारंभिक प्रकृति की है। इसके अतिरिक्त कई प्रासांगिक विषयों जैसे भारत सरकार द्वारा सीईडीएडब्ल्यू के वैकल्पिक प्रोटोकॉल को हस्ताक्षर करना तथा स्वीकृत करना वर्ष 2008 में दूसरे प्रथम सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा के दौरान भारत सरकार द्वारा स्वीकृत संस्तुतियों में से एक के जवाब में विदेश मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा कार्रवाई करने के विषय में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पूरी जिम्मेदारी विदेश मंत्रालय पर डाल दी। इसी प्रकार द्वीतीय सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा से संबंधित अन्य संस्तुति- "महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के साथ-साथ महिलाओं एवं बालिकाओं तथा धार्मिक अल्पसंख्य सदस्यों के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम के उपायों में सुधार करने में विधिक प्रयासों को जारी रखना" - राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा सभी संबंधित पणधारियों द्वारा महिलाओं एवं बच्चों हेतु सक्षम कानूनों के प्रभावी कार्यन्वयन सुनिश्चित करने की कार्रवाई की मांग की गई थी। इस संदर्भ में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा तैयार संरचना में महिलाओं के लिए रेखांकित अधिनियमों में से एक दहेज निषेध अधिनियम 1961 है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का जवाब विरोधाभाषी रुप से यह था कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत दर्ज अनेक मामलों का रख.रखाव गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा किया जाता है। इसने आगे यह भी लिखा था कि दिए गए अधिनियम की जिम्मेदारी देश में संबंद्ध राज्य सरकार तथा संघ शासित प्रशासन की है।

19.28 आयोग ने अपनी ओर से एक बार पुनः महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से आग्रह किया है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत चिंताओं के आधार पर की गई कार्रवाई तथा की गई प्रगति के विषय में आयोग को अवगत कराए। इसने मंत्रालय से यह भी कहा कि विदेश मंत्रालय से समन्वय कर के सीईडीएडब्ल्यू के वैकल्पिक प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर एवं स्वीकृत करने के विषय में भी देखें। यह बिन्दु पहले भी रा०मा०आ० द्वारा वार्षिक रिपोर्ट 2013-14 में दिया गया है।

मानसिक स्वास्थ्य एवं मानव अधिकारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन

19.29 मानसिक स्वास्थ्य एवं मानव अधिकार पर राष्ट्रीय सम्मेलन के विचार-विमर्श से उभरी संस्तुतियां अनुलग्नक-10 में दी गई है। इन्हें बाद में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को इस आग्रह के साथ अग्रेषित किया जाए। वार्षिक रिपोर्ट लिखने के समय आयोग ने समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा भारतीय चिकित्सा परिषद् से जवाब प्राप्त किया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संस्तुतियों के कार्यान्वयन पर कार्य करने के साथ-साथ की गई कार्रवाई की सूचना देने के लिए सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों से आयोग ने एक बार पुन: आग्रह किया है।

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल विधेयक, 2013 पर रा.मा.अ.आ. की टिप्पणी

19.30 आयोग इस बात पर आश्वस्त है कि इसके द्वारा पैरा 12.27 के तहत विचारों को मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम को नए रूप देते समय ध्यान रखा जाएगा।

भारत के चयनित 28 जिलों में मानव अधिकार जागरुकता तथा सुकर निर्धारण एवं मानव अधिकार कार्यक्रमों का प्रवर्तन

19.31 समीक्षा अवधि के दौरान, श्री एस. सी. सिन्हा, सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अगुआई के तहत आयोग ने दिनांक 25 से 29 जून, 2014 तक उत्तरी सिक्किम जिला का दोबारा दौरा किया। जिला अधिकारियों के साथ बैठक, विभिन्न स्थानों पर दौरों एवं की गई सिफारिशों का विवरण अनुलग्नक-12 में है।

19.32 कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर, दिनांक 27 जून, 2014 को गंगटोक, के मंगन के राज्य एवं जिला अधिकारियों के लिए मानव अधिकार जागरूकता एवं सुकर निर्धारण तथा मानव अधिकारों के प्रवत्र्तन पर कार्यशाला आयोजित की गई। हांलाकि गंगटोक में राज्य चुनाव होने की वजह से, विभिन्न विभागों का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिकारीगण कथित कार्यशाला में शामिल नहीं हो सकें। विशेष सचिव या अवर सचिव पद के अधिकारी भी इसमें शामिल नहीं हो सकें। गृह, समाज कल्याण, सामाजिक न्याय स्वास्थ्य कुछ अपवाद में थें एवं बुलावा भेजने पर शामिल हुए। जैसा कि यह कार्यशाला वरिष्ठ राज्य अधिकारियों के सहभागिता के बिना था, मंगन के जिला पदाधिकारियों एवं गैर सरकारी संगठनों के कुछ प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श के आधार पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के तहत गुणवत्ता में सुधार, प्रत्येक जिला एवं शहर में विशेष किशोर पुलिस एकक के निर्माण, ड्रग विरोधी अधिनियम, 2006 में सुधार, राज्य में कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता फैलाना, मंगन जिला अस्पताल में सेवाओं में सुधार पर संबंधित कार्रवाई की मांग की। इन कार्य बिन्दुओं का विवरण अनुलग्नक-13 में है।

19.33 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अब तक सिक्किम सरकार से सुनवाई नहीं की है। अतः आयोग राज्य सरकार से दोबारा यह निवेदन करता है कि वर्ष 2014 में इसके द्वारा की गई संस्तुतियों के आधार पर इस मामले की जांच करे एवं की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को यथाशीघ्र भेजे।

राज्य मानव अधिकार आयोग

19.34 अब तक 25 राज्यों में राज्य मानव अधिकार आयोगों की स्थापनी हो गई है। वे राज्य हैं आंध्रप्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, गोवा एवं पश्चिम बंगाल मेघालय में राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई है लेकिन अध्यक्ष एवं सदस्यगणों की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं मणिपुर राज्य मानव अधिकार आयागों में अध्यक्ष एवं सदस्यगणों के पद खाली पडे हैं। देश कि प्रत्येक भाग में मानव अधिकार के संरक्षण की आवश्यकता महसूस की जाती है अतः शेष राज्यों में जल्द से जल्द राज्य मानव अधिकार आयोगों के गठन की आवश्यकता है।

19.35 अतः आयोग ने शेष राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, त्रिपूरा, नागालैण्ड एवं मिजोरम) को अपने राज्यों में राज्य मानव अधिकार आयोग गठित करने हेतु चिट्ठी लिखी है। आयोग ने इन

राज्य सरकारों का ध्यान पी. एच. आर. ए. की धारा 21(6) की ओर लाया है जिसके तहत दो या दो से अधिक राज्य सरकारें, राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की सहमति से, यथास्थिति ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के साथ-साथ अन्य राज्य आयोग का सदस्य नियुक्त कर सकेगी। यदि ऐसा अध्यक्ष या सदस्य ऐसी नियुक्ति के लिए सहमति देता है। यह प्रावधान उन राज्यों के लिए उपयोगी है जहां राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन नहीं हुआ है एवं अपने राज्य में उपयुक्त मैन पॉवर/विशेषज्ञ की आवश्यकता हेतु अन्य राज्य के एस. एच. आर. सी. के अध्यक्ष एवं सदस्यगण साझा करने हेतु वे दिलचस्पी ले सकते हैं।

19.36 संघ शासित क्षेत्रों में मानव अधिकार आयोगों के गठन हेतु आयोग ने भारत सरकार को पी. एच. आर. ए.,1993 में संशोधन के लिए प्रस्ताव भेजा है।

19.37 सहयोग एवं साझेदारी के क्षेत्र में अन्वेषण तथा इसे और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए आयाग ने राज्य मानव अधिकार आयोगों के साथ नियमित विचार-विमर्श की शुरुआत की है। यह इस तरह की बैठकों का आयोजन वर्ष 2004 से करता रहा है। मानव अधिकार न्यायालय द्वारा चिन्हित अपराधों के साथ-साथ इसके लिए विशिष्ट प्रक्रिया के लिए प्रावधानों को शामिल करने के उद्देश्य से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 30 में संशोधन पर विचार करने हेतु रा.मा.अ.आ. ने न्यायमूर्ति श्री के. जी. बालाकृष्णन, अध्यक्ष, रा. मा. अ. आ. की अध्यक्षता मे एक समिति का गठन किया गया। समिति तथा इसके पश्चात आयोग द्वारा अनुमोदित मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम,1993 की धारा 30 के संशोधित मसौदे के मूल संस्करण को आवश्यक कार्रवाई हेतु गृह मंत्रालय के पास भेज दिया गया है।

19.38 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राज्य मानव अधिकार आयोग के बीच आयोजित बैठक का अन्य मुख्य निर्णय रा. मा. अ. आ. द्वारा गठित राज्य मानव अधिकार आयोगों पर 'न्यायमूर्ति जी.पी. माथुर समिति' की सिफारिशों को प्रधानमंत्री एवं राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पास अग्रेषित करना था। इस समिति का अधिदेश एक मूल संरचना, न्यूनतम जनशक्ति एवं राज्य मानव अधिकार आयोगों की वित्तिय आवश्यकताओं का विकसित करने के मुद्दे की जांच करना था ताकि उन्हें पी.एच.आर.ए.1993 के तहत उसके कार्यों के निर्वहन करने के साथ-साथ शिकायत निपटान के लिए दिशा-निर्देश विकसित किया जा सके।

19.39 न्यायमूर्ति श्री जी. पी. माथुर समिति की सिफारिशों को माननीय प्रधानमंत्री एवं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पास दिनांक 18 दिसम्बर, 2012 के पत्र द्वारा अग्रेषित कर दिया गया। इसके उत्तर में, गृह मंत्रालय (मानव अधिकार प्रभाग), भारत सरकार ने अपने दिनांक 20 फरवरी 2013 के पत्र द्वारा प्रत्येक राज्य मानव अधिकार आयोगों से वर्ष 2010-2012 के दौरान, पंजीकृत शिकायत, निपटान एवं लम्बित शिकायत, प्रत्येक प्रभाग में उपस्थित जन शक्ति, वित्तीय निर्धारण, अनुभव में लाए गए अभाव एवं अतिरिक्त राशि इत्यादि प्रदान करने का कार्य क्षेत्र के विवरण देने का निवेदन किया। प्राप्त विवरणों को भारत सरकार को दिनांक 20 मार्च 2012 को भेज दिया गया। इसक पश्चात, इस मामले में भारत सरकार से उत्तर की प्रतिक्षा है। आयोग इस बात पर आशावादी है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार इसके उत्तर में तीव्र कार्रवाई करेगी।

* * * * *

अनुलग्नक

अनुलग्नक – 1 पैरा 2.13

दिनांक 01/04/2014 से 31/03/2015 तक पंजीकृत मामलों की संख्या दर्शाने वाली तालिका
(दिनांक 30/07/2015 तक सी.एम.एस. डाटा के अनुसार)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	शिकायतें	स्वतः संज्ञान	हिरासतीय मौतों/बलात्कार के संबंध में प्राप्त सूचना			मुठभेड़ में हुई मौतों के संबंध में प्राप्त सूचना	योग
			पुलिस हिरासत में मौत/बलात्कार	न्यायिक हिरासत में मौत/बलात्कार	अर्द्ध सैनिक बलों/रक्षा की हिरासत में मौत/बलात्कार		
संपूर्ण भारत	79	1	0	0	0	0	80
आंध्र प्रदेश	1167	3	5	45	0	4	1224
अरुणाचल प्रदेश	145	0	3	6	0	4	158
असम	527	4	7	22	0	84	644
बिहार	4387	6	6	117	0	0	4516
गोआ	52	0	0	2	0	0	54
गुजरात	1508	3	13	41	0	0	1565
हरियाणा	13267	17	5	40	0	2	13331
हिमाचल प्रदेश	279	3	2	1	0	0	285
जम्मू एवं कश्मीर	363	1	1	4	0	0	369
कर्नाटक	1499	3	4	8	0	1	1515
केरल	617	4	4	23	0	0	648
मध्य प्रदेश	3498	13	3	132	0	6	3652
महाराष्ट्र	2834	6	26	103	0	11	2980
मणिपुर	122	0	0	1	0	1	124
मेघालय	68	1	3	2	0	22	96
मिजोरम	16	0	0	3	0	0	19
नागालैण्ड	33	0	1	8	0	0	42
ओडिशा	5790	2	2	53	0	6	5853
पंजाब	1582	8	1	214	0	2	1807
राजस्थान	3126	6	4	59	0	0	3195
सिक्किम	20	0	0	0	0	0	20
तमिलनाडु	2213	9	9	49	0	0	2280
त्रिपुरा	79	0	0	4	0	0	83
उत्तर प्रदेश	50326	39	11	341	0	7	50724
पश्चिम बंगाल	1877	10	9	100	0	5	2001
अंडमान निकोबार	20	0	0	3	0	0	23
चण्डीगढ़	201	0	0	1	0	0	202
दादरा एवं नगर हवेली	13	0	0	1	0	0	14
दमन एवं दीव	10	0	0	0	0	0	10
दिल्ली	8991	39	2	42	0	2	9076
लक्षद्वीप	11	0	0	0	0	0	11
पांडिचेरी	91	0	0	1	0	0	92
छत्तीसगढ़	1114	4	1	49	0	23	1191
झारखण्ड	1920	4	5	44	0	10	1983
उत्तराखण्ड	3077	1	2	21	0	0	3101
तेलांगना	844	4	4	49	0	2	903
विदेश	296	0	0	0	0	0	296
कुल योग	112062	191	133	1589	0	192	114167

वर्ष 2014–15 के दौरान निपटाए गए मामलों को दर्शाने वाली तालिका
(दिनांक 30/07/2015 तक सी.एम.एस. डाटा के अनुसार)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	प्रारम्भ में खारिज	निर्देश सहित निपटान	राज्य मानव अधिकार आयोग को हस्तांतरित	रिपोर्ट प्राप्ति के बाद समाप्त			योग
				शिकायतें/स्वतः संज्ञान के मामले	हिरासतीय मौतें/बलात्कार	मुठभेड़ में हुई मौतों के संबंध में प्राप्त सूचना	
संपूर्ण भारत	56	15	0	0	0	0	71
आंध्र प्रदेश	521	166	240	60	36	2	987
अरुणाचल प्रदेश	11	46	0	18	1	1	77
असम	170	142	29	63	25	31	460
बिहार	2371	560	559	201	57	0	3748
गोआ	26	11	1	5	3	0	46
गुजरात	719	236	232	73	46	0	1306
हरियाणा	10185	1534	524	539	45	3	12830
हिमाचल प्रदेश	134	35	11	48	2	0	230
जम्मू एवं कश्मीर	168	82	9	37	0	0	296
कर्नाटक	691	349	124	57	18	3	1242
केरल	252	116	27	134	45	0	574
मध्य प्रदेश	1721	530	423	319	140	5	3138
महाराष्ट्र	1702	263	511	188	69	7	2740
मणिपुर	57	21	1	18	1	2	100
मेघालय	17	10	0	6	2	8	43
मिजोरम	8	6	0	3	0	0	17
नागालैण्ड	15	2	0	0	1	0	18
ओडिशा	1058	2690	548	332	31	10	4669
पंजाब	726	183	276	114	203	1	1503
राजस्थान	1453	365	352	259	55	1	2485
सिक्किम	9	6	0	1	1	0	17
तमिलनाडु	1324	203	419	176	83	3	2208
त्रिपुरा	37	21	0	15	2	1	76
उत्तर प्रदेश	26678	13963	2246	3487	223	19	46616
पश्चिम बंगाल	911	255	273	169	87	4	1699
अंडमान निकोबार	15	4	0	4	2	1	26
चण्डीगढ़	121	35	0	18	1	0	175
दादरा एवं नगर हवेली	9	0	0	1	0	0	10
दमन एवं दीव	6	3	0	0	0	0	9
दिल्ली	4778	2472	0	1017	23	1	8291
लक्षद्वीप	6	4	0	19	0	0	29
पांडिचेरी	54	17	0	5	0	0	76
छत्तीसगढ़	465	227	76	180	28	2	978
झारखण्ड	948	280	270	122	24	5	1649
उत्तराखण्ड	2243	555	42	118	12	0	2970
तेलांगना	440	183	0	28	17	2	708
विदेश	173	106	0	4	0	0	283
कुल योग	60278	25696	7193	7838	1283	112	102400

31.03.2015 तक लंबित मामलों की संख्या को दर्शाने वाली तालिका
(दिनांक 30/07/2015 तक सी.एम.एस. डाटा के अनुसार)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	प्रारम्भिक विचारण हेतु लंबित मामले				रिपोर्ट प्राप्ति के बाद समाप्त				कुल योग
	शिकायतें/स्वतः संज्ञान	हिरासतीय मौत/बलात्कार	मुठभेड़ में मौत	योग	शिकायतें/स्वतः संज्ञान	हिरासतीय मौत/बलात्कार	मुठभेड़ में मौत	योग	
संपूर्ण भारत	8	0	0	8	6	0	0	6	14
आंध्र प्रदेश	55	0	0	55	506	168	11	685	740
अरुणाचल प्रदेश	1	0	0	1	96	16	13	125	126
असम	16	0	0	16	352	56	266	674	690
बिहार	147	0	0	147	1499	289	11	1799	1946
गोआ	2	0	0	2	20	3	0	23	25
गुजरात	66	0	0	66	578	141	3	722	788
हरियाणा	264	0	0	264	1683	118	10	1811	2075
हिमाचल प्रदेश	7	0	0	7	148	11	0	159	166
जम्मू एवं कश्मीर	15	0	0	15	311	16	1	328	343
कर्नाटक	52	0	0	52	428	17	7	452	504
केरल	71	0	0	71	802	81	0	883	954
मध्य प्रदेश	94	1	0	95	1109	188	22	1319	1414
महाराष्ट्र	65	1	0	66	831	351	33	1215	1281
मणिपुर	7	0	0	7	184	6	41	231	238
मेघालय	0	0	0	0	73	11	43	127	127
मिजोरम	0	0	0	0	15	6	0	21	21
नागालैण्ड	2	0	0	2	25	13	0	38	40
ओडिशा	661	0	0	661	3128	104	18	3250	3911
पंजाब	45	0	0	45	599	195	4	798	843
राजस्थान	94	0	0	94	1369	160	7	1536	1630
सिक्किम	2	0	0	2	5	2	0	7	9
तमिलनाडु	98	0	0	98	639	106	7	752	850
त्रिपुरा	1	0	0	1	46	12	2	60	61
उत्तर प्रदेश	1060	5	0	1065	13383	865	108	14356	15421
पश्चिम बंगाल	77	0	0	77	746	205	21	972	1049
अंडमान निकोबार	0	0	0	0	12	5	0	17	17
चण्डीगढ़	6	0	0	6	82	7	0	89	95
दादरा एवं नगर हवेली	1	0	0	1	5	1	0	6	7
दमन एवं दीव	0	0	0	0	4	0	0	4	4
दिल्ली	287	0	0	287	2422	96	19	2537	2824
लक्षद्वीप	0	0	0	0	8	0	0	8	8
पांडिचेरी	5	0	0	5	52	4	0	56	61
छत्तीसगढ़	30	0	0	30	517	140	61	718	748
झारखण्ड	50	0	0	50	761	131	41	933	983
उत्तराखण्ड	73	1	0	74	405	44	4	453	527
तेलांगना	34	1	0	35	269	137	12	418	453
विदेश	17	0	0	17	40	0	0	40	57
[राज्य चुनें]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल योग	3413	9	0	3422	33158	3705	765	37628	41050

अनुलग्नक – 4 पैरा 2.16

वर्ष 2014–15 के दौरान वित्तीय राहत के लिए रा.मा.अ.आ. द्वारा संस्तुत मामलों की कुल संख्या

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	उन मामलों की संख्या जिनमें संस्तुति की गई	पीड़ितों/ मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	उन मामलों की संख्या जिनमें संस्तुति का अनुपालन हुआ	भुगतान की गई राशि	अनुपालन हेतु लंबित मामले	अनुपालन हेतु लम्बित मामलों में संस्तुत राशि
अंडमान निकोबार	0	0	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	7	1,100,000	2	400,000	5	700,000
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
असम	4	750,000	0	0	4	750,000
बिहार	21	2,340,000	0	0	21	2,340,000
चण्डीगढ़	2	400,000	1	100,000	1	300,000
छत्तीसगढ़	15	3,100,000	6	1,790,000	9	1,310,000
दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	23	5,510,000	7	1,135,000	16	4,375,000
विदेश	1	500,000	0	0	1	500,000
गुजरात	11	1,780,000	2	400,000	9	1,380,000
हरियाणा	13	2,300,000	1	200,000	12	2,100,000
हिमाचल प्रदेश	3	1,100,000	1	500,000	2	600,000
जम्मू एवं कश्मीर	0	0	0	0	0	0
झारखण्ड	13	11,700,000	0	0	13	11,700,000
कर्नाटक	0	0	0	0	0	0
केरल	6	1,600,000	0	0	6	1,600,000
मध्य प्रदेश	19	8,400,000	2	600,000	17	7,800,000
महाराष्ट्र	14	1,650,000	2	125,000	12	1,525,000
मणिपुर	7	4,050,000	0	0	7	4,050,000
मेघालय	1	25,000	1	25,000	0	0
मिजोरम	1	50,000	1	50,000	0	0

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	उन मामलों की संख्या जिनमें संस्तुति की गई	पीड़ितों/ मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	उन मामलों की संख्या जिनमें संस्तुति का अनुपालन हुआ	भुगतान की गई राशि	अनुपालन हेतु लंबित मामले	अनुपालन हेतु लम्बित मामलों में संस्तुत राशि
नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0
ओडिशा	24	10,165,000	1	50,000	23	10,115,000
पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0
पंजाब	5	650,000	1	100,000	4	550,000
राजस्थान	19	4,865,000	2	190,000	17	4,675,000
सिक्किम	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	9	1,250,000	2	200,000	7	1,050,000
तेलांगना	4	400,000	0	0	4	400,000
त्रिपुरा	2	130,000	2	130,000	0	0
उत्तर प्रदेश	125	23,545,000	20	3,020,000	105	20,525,000
उत्तराखण्ड	7	1,520,000	1	270,000	6	1,250,000
पश्चिम बंगाल	11	1,910,000	4	800,000	7	1,110,000
कुल	**367**	**90,790,000**	**59**	**10,085,000**	**308**	**80,705,000**

*****

वित्तीय राहत के भुगतान हेतु वर्ष 2014–15 के दौरान रा.मा.अ.आ. द्वारा संस्तुत अनुपालन हेतु लंबित मामलों का विवरण

क्रम सं.	राज्य / संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	घटना कोड	पीड़ितों / मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
1	आंध्र प्रदेश	1156/1/5/2013-JCD	301	100,000	3/17/2015
2	आंध्र प्रदेश	232/1/10/2014-WC	1307	100,000	1/30/2015
3	आंध्र प्रदेश	263/1/21/2010-JCD	301	200,000	9/2/2014
4	आंध्र प्रदेश	739/1/3/08-09-JCD	301	200,000	7/16/2014
5	आंध्र प्रदेश	74/1/22/2013-JCD	301	100,000	7/31/2014
6	असम	136/3/16/2011-ED	812	500,000	8/8/2014
7	असम	304/3/1/2010	804	50,000	4/23/2014
8	असम	316/3/16/2013-JCD	301	100,000	8/27/2014
9	असम	4/3/15/2012-JCD	301	100,000	4/22/2014
10	बिहार	1037/4/19/2013-WC	1307	300,000	4/25/2014
11	बिहार	114/4/8/2013-WC	1311	100,000	10/14/2014
12	बिहार	1171/4/7/2012	312	50,000	11/19/2014
13	बिहार	1517/4/23/2011	100	50,000	9/2/2014
14	बिहार	1632/4/23/2013-JCD	301	100,000	3/30/2015
15	बिहार	1934/4/5/2013	106	100,000	12/16/2014
16	बिहार	1978/4/9/2012-JCD	301	100,000	3/24/2015
17	बिहार	2006/4/23/2011	203	300,000	4/15/2014
18	बिहार	2329/4/39/2011	106	25,000	2/20/2015
19	बिहार	2345/4/2006-2007-AD	822	200,000	4/16/2014
20	बिहार	258/4/8/2012-JCD	301	100,000	9/8/2014
21	बिहार	3275/4/5/2012	815	50,000	6/9/2014
22	बिहार	349/4/34/2013	816	90,000	3/24/2015
23	बिहार	3731/4/4/2013	804	25,000	1/15/2015
24	बिहार	3847/4/27/2013	804	25,000	9/1/2014
25	बिहार	4111/4/26/2012-JCD	301	100,000	4/15/2014
26	बिहार	4177/4/2005-2006	1805	100,000	1/29/2015
27	बिहार	4478/4/8/2012-JCD	301	100,000	2/3/2015
28	बिहार	4515/4/17/2012	106	300,000	4/25/2014
29	बिहार	81/4/5/2013	814	25,000	9/8/2014
30	बिहार	811/4/11/2011-PCD	807	100,000	2/25/2015
31	चंडीगढ़	177/27/0/2013-WC	803	300,000	10/13/2014
32	छत्तीसगढ़	191/33/5/2013-JCD	301	200,000	3/30/2015
33	छत्तीसगढ़	409/33/2/2013-JCD	301	100,000	2/6/2015
34	छत्तीसगढ़	438/33/3/2013-JCD	301	100,000	2/17/2015
35	छत्तीसगढ़	454/33/2/2012-JCD	301	100,000	1/29/2015
36	छत्तीसगढ़	513/33/14/2012-JCD	301	200,000	1/27/2015
37	छत्तीसगढ़	559/33/5/2013	817	50,000	12/30/2014
38	छत्तीसगढ़	618/33/5/2012-JCD	301	100,000	12/17/2014
39	छत्तीसगढ़	646/33/5/2012-JCD	301	100,000	7/17/2014
40	छत्तीसगढ़	715/33/6/2013	100	360,000	7/17/2014
41	दिल्ली	1043/30/9/2012-JCD	301	200,000	12/5/2014
42	दिल्ली	196/30/2/2013	814	50,000	2/2/2015

क्रम सं.	राज्य / संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	घटना कोड	पीड़ितों / मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
43	दिल्ली	2064/30/4/2012	100	500,000	4/2/2014
44	दिल्ली	252/30/8/2014	2006	300,000	9/29/2014
45	दिल्ली	2632/30/1/2012-JCD	301	300,000	12/31/2014
46	दिल्ली	2756/30/1/2012	1505	1,200,000	11/11/2014
47	दिल्ली	3922/30/0/2013	809	50,000	7/1/2014
48	दिल्ली	4693/30/2005-2006	812	500,000	10/8/2014
49	दिल्ली	5227/30/3/08-09	1900	50,000	3/23/2015
50	दिल्ली	5316/30/0/2010-PCD	807	100,000	4/7/2014
51	दिल्ली	6232/30/6/2013-WC	1311	300,000	7/23/2014
52	दिल्ली	6249/30/9/2012-JCD	301	100,000	8/29/2014
53	दिल्ली	6294/30/7/2013	806	100,000	7/1/2014
54	दिल्ली	6429/30/1/2012	204	300,000	10/20/2014
55	दिल्ली	6995/30/4/2013	100	25,000	3/26/2015
56	दिल्ली	987/30/8/2012	1505	300,000	9/15/2014
57	विदेश	7/99/4/2011-PF	1709	500,000	8/8/2014
58	गुजरात	1012/6/6/2012-JCD	301	100,000	3/24/2015
59	गुजरात	121/6/23/2012-JCD	301	300,000	3/2/2015
60	गुजरात	1226/6/14/2012-WC	803	180,000	3/24/2015
61	गुजरात	128/6/23/2012	205	100,000	4/22/2014
62	गुजरात	1701/6/23/2012-JCD	301	100,000	10/21/2014
63	गुजरात	309/6/25/07-08-PCD	807	100,000	4/24/2014
64	गुजरात	336/6/6/2012-PCD	807	100,000	2/9/2015
65	गुजरात	500/6/19/2013-JCD	301	100,000	11/3/2014
66	गुजरात	689/6/21/2013-JCD	301	300,000	1/2/2015
67	हरियाणा	1308/7/22/2012	817	100,000	6/25/2014
68	हरियाणा	2131/7/10/2012-JCD	301	100,000	10/17/2014
69	हरियाणा	2192/7/22/2013	1505	600,000	8/26/2014
70	हरियाणा	2929/7/4/2013	203	100,000	3/3/2015
71	हरियाणा	2989/7/19/2010-PCD	807	100,000	2/10/2015
72	हरियाणा	3072/7/2/2012	814	100,000	9/8/2014
73	हरियाणा	3270/7/2/08-09-PCD	807	50,000	11/5/2014
74	हरियाणा	3410/7/11/2013-JCD	301	100,000	7/10/2014
75	हरियाणा	5105/7/22/2013	815	200,000	11/20/2014
76	हरियाणा	6823/7/22/2012	814	50,000	2/3/2015
77	हरियाणा	7757/7/8/2012	814	300,000	9/22/2014
78	हरियाणा	898/7/2/2012-PCD	807	300,000	8/13/2014
79	हिमाचल प्रदेश	120/8/8/2013-WC	1307	300,000	4/4/2014
80	हिमाचल प्रदेश	3/8/10/2013-JCD	301	300,000	6/9/2014
81	झारखण्ड	1013/34/6/07-08	202	9,600,000	7/18/2014
82	झारखण्ड	1038/34/4/2012-AD	822	200,000	1/6/2015
83	झारखण्ड	1148/34/16/2012	804	300,000	10/20/2014
84	झारखण्ड	1225/34/17/2010-JCD	301	100,000	4/28/2014
85	झारखण्ड	163/34/18/2012	202	400,000	9/25/2014
86	झारखण्ड	208/34/16/2013	804	50,000	6/11/2014
87	झारखण्ड	254/34/1/2010-AD	309	100,000	4/9/2014
88	झारखण्ड	302/34/12/2011-JCD	301	100,000	4/2/2014

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	घटना कोड	पीड़ितों/ मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
89	झारखण्ड	464/34/18/2013-JCD	301	300,000	11/10/2014
90	झारखण्ड	589/34/22/2012-PF	1704	100,000	7/9/2014
91	झारखण्ड	610/34/4/2012	204	300,000	6/5/2014
92	झारखण्ड	663/34/19/2012-JCD	301	100,000	11/7/2014
93	झारखण्ड	785/34/6/2013	815	50,000	11/25/2014
94	केरल	2/11/12/2013-JCD	301	300,000	6/10/2014
95	केरल	22/11/2/2012-JCD	301	100,000	12/16/2014
96	केरल	354/11/13/2013-JCD	301	300,000	12/23/2014
97	केरल	392/11/2/2013-JCD	301	100,000	9/8/2014
98	केरल	398/11/8/2013	203	500,000	3/16/2015
99	केरल	763/11/13/2013-JCD	301	300,000	3/16/2015
100	मध्य प्रदेश	1062/12/2/2013	815	300,000	3/18/2015
101	मध्य प्रदेश	1071/12/18/2013-DH	108	200,000	9/11/2014
102	मध्य प्रदेश	1267/12/2004-2005	804	500,000	3/30/2015
103	मध्य प्रदेश	1714/12/47/2012-JCD	301	50,000	1/30/2015
104	मध्य प्रदेश	1879/12/22/2012-JCD	301	300,000	6/12/2014
105	मध्य प्रदेश	2203/12/30/2012-JCD	301	100,000	6/11/2014
106	मध्य प्रदेश	2210/12/21/08-09-ED	812	500,000	4/30/2014
107	मध्य प्रदेश	2242/12/33/2011-JCD	301	300,000	2/5/2015
108	मध्य प्रदेश	2281/12/10/08-09-PCD	807	200,000	9/11/2014
109	मध्य प्रदेश	285/12/38/2012	1505	300,000	4/9/2014
110	मध्य प्रदेश	342/12/36/2013	1505	3,000,000	4/24/2014
111	मध्य प्रदेश	430/12/32/2012	604	1,200,000	9/11/2014
112	मध्य प्रदेश	505/12/15/2014	203	50,000	10/24/2014
113	मध्य प्रदेश	66/12/22/2012-JCD	301	100,000	2/16/2015
114	मध्य प्रदेश	709/12/17/09-10	809	300,000	9/11/2014
115	मध्य प्रदेश	752/12/18/2013-JCD	301	300,000	1/6/2015
116	मध्य प्रदेश	869/12/22/2013-JCD	301	100,000	2/6/2015
117	महाराष्ट्र	115/13/4/2012-JCD	301	100,000	9/24/2014
118	महाराष्ट्र	1228/13/14/2012-PCD	807	100,000	4/28/2014
119	महाराष्ट्र	1390/13/16/2012-JCD	301	100,000	6/12/2014
120	महाराष्ट्र	1608/13/15/2012-JCD	301	300,000	9/2/2014
121	महाराष्ट्र	1653/13/8/2013-JCD	301	100,000	3/24/2015
122	महाराष्ट्र	2146/13/14/2013-JCD	301	100,000	3/23/2015
123	महाराष्ट्र	311/13/17/2012-JCD	301	100,000	6/12/2014
124	महाराष्ट्र	3622/13/33/2012	814	25,000	12/22/2014
125	महाराष्ट्र	3699/13/3/2012-JCD	301	100,000	8/4/2014
126	महाराष्ट्र	3817/13/11/2012	203	50,000	3/4/2015
127	महाराष्ट्र	4070/13/23/08-09-PCD	807	350,000	7/3/2014
128	महाराष्ट्र	4099/13/1/08-09-JCD	301	100,000	7/2/2014
129	मणिपुर	26/14/4/08-09-AFE	813	500,000	6/28/2014
130	मणिपुर	31/14/12/2013	815	50,000	8/11/2014
131	मणिपुर	33/14/0/08-09-AFE	813	1,000,000	7/16/2014
132	मणिपुर	47/14/4/07-08-AD	822	500,000	3/4/2015
133	मणिपुर	51/14/4/07-08-AD	822	500,000	4/16/2014
134	मणिपुर	52/14/9/07-08	813	500,000	9/18/2014

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	घटना कोड	पीड़ितों/ मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
135	मणिपुर	7/14/4/2010-AFE	813	1,000,000	12/10/2014
136	ओडिशा	1211/18/12/2012	815	25,000	8/6/2014
137	ओडिशा	1610/18/5/2011	1505	50,000	1/12/2015
138	ओडिशा	1962/18/12/2013	100	300,000	8/13/2014
139	ओडिशा	2040/18/10/2012-JCD	301	100,000	6/9/2014
140	ओडिशा	2086/18/13/2013	1505	250,000	3/2/2015
141	ओडिशा	2353/18/21/2011	1505	200,000	8/6/2014
142	ओडिशा	2463/18/18/2013	100	300,000	9/26/2014
143	ओडिशा	2469/18/2/2013-WC	1903	300,000	1/2/2015
144	ओडिशा	2481/18/12/2013	1505	300,000	12/1/2014
145	ओडिशा	2482/18/7/2013	1505	100,000	3/4/2015
146	ओडिशा	2486/18/12/2013	1505	200,000	12/1/2014
147	ओडिशा	2488/18/12/2013	1505	400,000	3/20/2015
148	ओडिशा	2489/18/21/2013	1505	300,000	12/1/2014
149	ओडिशा	2494/18/21/2013	1505	300,000	12/1/2014
150	ओडिशा	2506/18/28/2013	1505	300,000	12/1/2014
151	ओडिशा	3070/18/30/2011	1505	150,000	8/4/2014
152	ओडिशा	3246/18/17/2012	804	25,000	2/16/2015
153	ओडिशा	3604/18/13/2013	203	100,000	3/5/2015
154	ओडिशा	3722/18/6/2013-AR	317	100,000	11/10/2014
155	ओडिशा	4728/18/13/2013	1505	240,000	2/26/2015
156	ओडिशा	557/18/3/2012	205	6,000,000	2/9/2015
157	ओडिशा	606/18/10/2011-PF	1703	50,000	8/13/2014
158	ओडिशा	936/18/28/2013	804	25,000	11/14/2014
159	पंजाब	1187/19/2/2013-JCD	301	300,000	9/9/2014
160	पंजाब	207/19/10/09-10-JCD	301	100,000	4/22/2014
161	पंजाब	611/19/11/2011	204	50,000	3/11/2015
162	पंजाब	98/19/21/2013	814	100,000	3/18/2015
163	राजस्थान	1022/20/22/2012-JCD	301	100,000	10/31/2014
164	राजस्थान	1285/20/2/2012	1505	1,500,000	9/29/2014
165	राजस्थान	1340/20/6/2012	809	25,000	10/14/2014
166	राजस्थान	142/20/14/2014-WC	1301	300,000	12/22/2014
167	राजस्थान	1467/20/22/2011	204	400,000	4/2/2014
168	राजस्थान	1540/20/2006-2007	815	500,000	4/24/2014
169	राजस्थान	2421/20/29/2011-JCD	301	300,000	4/3/2014
170	राजस्थान	2519/20/17/2012-JCD	301	100,000	6/9/2014
171	राजस्थान	258/20/29/09-10-JCD	301	200,000	7/16/2014
172	राजस्थान	2841/20/14/2012-JCD	301	100,000	3/30/2015
173	राजस्थान	2997/20/5/2012-JCD	301	100,000	2/4/2015
174	राजस्थान	307/20/33/2014-WC	803	300,000	6/30/2014
175	राजस्थान	348/20/26/2013-JCD	301	300,000	2/16/2015
176	राजस्थान	515/20/3/2013-JCD	301	100,000	10/29/2014
177	राजस्थान	536/20/34/2012	804	150,000	12/1/2014
178	राजस्थान	594/20/32/2013	100	100,000	4/4/2014
179	राजस्थान	595/20/8/2013-WC	1311	100,000	9/30/2014
180	तमिलनाडु	101/22/13/2014-WC	2003	100,000	2/17/2015

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	घटना कोड	पीड़ितों/ मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
181	तमिलनाडु	1551/22/36/2011-JCD	301	300,000	6/6/2014
182	तमिलनाडु	1578/22/31/08-09-JCD	301	100,000	5/21/2014
183	तमिलनाडु	218/22/13/2013	815	50,000	7/23/2014
184	तमिलनाडु	292/22/16/09-10	817	100,000	3/16/2015
185	तमिलनाडु	443/22/7/2013-PCD	807	300,000	12/5/2014
186	तमिलनाडु	857/22/37/2011-JCD	301	100,000	6/6/2014
187	तेलांगना	1094/1/7/2012-JCD	301	100,000	8/28/2014
188	तेलांगना	1369/1/7/2013	1505	100,000	3/2/2015
189	तेलांगना	634/1/7/2012-JCD	301	100,000	6/30/2014
190	तेलांगना	79/1/18/2013-PCD	807	100,000	3/30/2015
191	उत्तर प्रदेश	10019/24/48/2012-JCD	301	100,000	6/30/2014
192	उत्तर प्रदेश	10248/24/52/2013-AD	309	600,000	7/9/2014
193	उत्तर प्रदेश	1051/24/7/2013-WC	1301	10,000	8/25/2014
194	उत्तर प्रदेश	10699/24/32/2013	1505	400,000	8/25/2014
195	उत्तर प्रदेश	10725/24/32/09-10-AFE	813	500,000	11/19/2014
196	उत्तर प्रदेश	11092/24/48/2014	1505	200,000	1/20/2015
197	उत्तर प्रदेश	11233/24/6/2013-DH	108	300,000	8/28/2014
198	उत्तर प्रदेश	11406/24/57/2013	817	100,000	2/17/2015
199	उत्तर प्रदेश	11772/24/69/2011-WC	1309	900,000	10/29/2014
200	उत्तर प्रदेश	121/24/36/2012	814	300,000	6/6/2014
201	उत्तर प्रदेश	12161/24/79/2012-AD	309	300,000	12/29/2014
202	उत्तर प्रदेश	1266/24/4/2012	804	50,000	12/11/2014
203	उत्तर प्रदेश	1299/24/6/2014	815	10,000	2/3/2015
204	उत्तर प्रदेश	13267/24/56/2013	814	100,000	10/21/2014
205	उत्तर प्रदेश	1350/24/4/2010	203	200,000	8/25/2014
206	उत्तर प्रदेश	14350/24/23/2013	804	20,000	10/10/2014
207	उत्तर प्रदेश	14358/24/4/2013	305	125,000	12/16/2014
208	उत्तर प्रदेश	14484/24/57/2013	816	200,000	12/16/2014
209	उत्तर प्रदेश	14652/24/43/2013-JCD	301	300,000	7/23/2014
210	उत्तर प्रदेश	14803/24/1/2012-JCD	301	200,000	4/28/2014
211	उत्तर प्रदेश	15070/24/24/2013-DH	1801	100,000	8/28/2014
212	उत्तर प्रदेश	15672/24/1/2012	817	20,000	8/25/2014
213	उत्तर प्रदेश	16084/24/4/2013-JCD	301	50,000	2/6/2015
214	उत्तर प्रदेश	16296/24/6/2011-PCD	807	500,000	2/10/2015
215	उत्तर प्रदेश	17324/24/56/2012	817	20,000	9/16/2014
216	उत्तर प्रदेश	18356/24/12/2014	1505	200,000	1/28/2015
217	उत्तर प्रदेश	18450/24/51/2013	804	20,000	3/23/2015
218	उत्तर प्रदेश	19687/24/4/2013	817	100,000	2/12/2015
219	उत्तर प्रदेश	20087/24/3/2011-PCD	807	500,000	10/9/2014
220	उत्तर प्रदेश	20381/24/72/2013	809	100,000	10/28/2014
221	उत्तर प्रदेश	2061/24/54/2013	804	50,000	8/6/2014
222	उत्तर प्रदेश	20767/24/43/2011	1505	100,000	4/2/2014
223	उत्तर प्रदेश	20931/24/5/2010-AD	822	200,000	7/2/2014
224	उत्तर प्रदेश	21146/24/4/2012-JCD	301	100,000	4/2/2014
225	उत्तर प्रदेश	21470/24/54/2011-WC	803	100,000	5/16/2014

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	घटना कोड	पीड़ितों/ मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
226	उत्तर प्रदेश	22494/24/48/07-08	812	500,000	6/28/2014
227	उत्तर प्रदेश	24217/24/39/2011	809	100,000	9/8/2014
228	उत्तर प्रदेश	24510/24/43/09-10-AD	822	200,000	9/1/2014
229	उत्तर प्रदेश	24780/24/78/2013-WC	1311	100,000	12/22/2014
230	उत्तर प्रदेश	24822/24/17/2012-JCD	301	1,00,000	4/1/2014
231	उत्तर प्रदेश	25380/24/31/2013-JCD	301	100,000	12/30/2014
232	उत्तर प्रदेश	2629/24/54/2012	817	50,000	1/30/2015
233	उत्तर प्रदेश	26885/24/48/2011	203	300,000	12/16/2014
234	उत्तर प्रदेश	27/24/47/2010	809	50,000	2/24/2015
235	उत्तर प्रदेश	27032/24/13/2011	817	30,000	4/28/2014
236	उत्तर प्रदेश	28279/24/36/08-09-PCD	807	100,000	7/16/2014
237	उत्तर प्रदेश	29682/24/1/2012-JCD	301	100,000	9/8/2014
238	उत्तर प्रदेश	29872/24/15/2012	815	25,000	9/8/2014
239	उत्तर प्रदेश	29965/24/38/2011	816	50,000	12/22/2014
240	उत्तर प्रदेश	30596/24/3/2012-JCD	301	100,000	1/2/2015
241	उत्तर प्रदेश	30665/24/14/2013	1505	250,000	10/29/2014
242	उत्तर प्रदेश	30734/24/36/2011	1505	200,000	4/23/2014
243	उत्तर प्रदेश	31257/24/3/2013	203	300,000	1/20/2015
244	उत्तर प्रदेश	31780/24/42/2012-JCD	301	300,000	6/10/2014
245	उत्तर प्रदेश	32667/24/60/2010-AD	822	500,000	9/17/2014
246	उत्तर प्रदेश	32777/24/2004-2005	802	500,000	8/13/2014
247	उत्तर प्रदेश	32912/24/31/2012	809	50,000	8/25/2014
248	उत्तर प्रदेश	33475/24/75/2012	806	50,000	6/9/2014
249	उत्तर प्रदेश	33505/24/26/2012-JCD	301	300,000	6/6/2014
250	उत्तर प्रदेश	33592/24/54/2012	817	25,000	3/24/2015
251	उत्तर प्रदेश	34547/24/8/2013	817	150,000	1/20/2015
252	उत्तर प्रदेश	34906/24/1/2012	1505	200,000	4/4/2014
253	उत्तर प्रदेश	35004/24/60/2013-WC	1301	100,000	3/17/2015
254	उत्तर प्रदेश	35222/24/7/2012-JCD	301	100,000	4/25/2014
255	उत्तर प्रदेश	35563/24/3/2013	100	25,000	1/2/2015
256	उत्तर प्रदेश	35842/24/25/2011-WC	1307	100,000	3/5/2015
257	उत्तर प्रदेश	35845/24/4/2012-WC	1301	100,000	8/6/2014
258	उत्तर प्रदेश	36096/24/56/2012	814	50,000	8/27/2014
259	उत्तर प्रदेश	36219/24/23/2013	305	100,000	9/30/2014
260	उत्तर प्रदेश	36508/24/72/2012-DH	112	100,000	9/18/2014
261	उत्तर प्रदेश	36962/24/39/2013	1901	10,000	9/8/2014
262	उत्तर प्रदेश	38710/24/79/2013-WC	1903	75,000	2/16/2015
263	उत्तर प्रदेश	39032/24/68/2012	109	300,000	3/30/2015
264	उत्तर प्रदेश	39114/24/11/2012	804	20,000	9/15/2014
265	उत्तर प्रदेश	39182/24/1/2012-AD	309	100,000	2/16/2015
266	उत्तर प्रदेश	39348/24/1/2011	1508	200,000	7/28/2014
267	उत्तर प्रदेश	39710/24/1/2013-JCD	301	100,000	11/7/2014
268	उत्तर प्रदेश	39963/24/33/2012	1505	400,000	6/6/2014
269	उत्तर प्रदेश	40078/24/38/2012	814	25,000	8/6/2014
270	उत्तर प्रदेश	4023/24/26/2012-JCD	301	300,000	12/29/2014

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	घटना कोड	पीड़ितों/ मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
271	उत्तर प्रदेश	41117/24/7/2011-WC	1301	100,000	10/21/2014
272	उत्तर प्रदेश	42115/24/43/2013	814	300,000	12/2/2014
273	उत्तर प्रदेश	43069/24/4/2012-JCD	301	300,000	12/18/2014
274	उत्तर प्रदेश	43616/24/27/2012	1505	1,400,000	12/29/2014
275	उत्तर प्रदेश	43643/24/52/2013	804	100,000	12/1/2014
276	उत्तर प्रदेश	43723/24/72/2012-JCD	301	100,000	9/9/2014
277	उत्तर प्रदेश	45248/24/23/2011-JCD	301	100,000	9/24/2014
278	उत्तर प्रदेश	47628/24/3/08-09-FE	813	500,000	5/5/2014
279	उत्तर प्रदेश	4887/24/34/2010	810	500,000	10/13/2014
280	उत्तर प्रदेश	49888/24/6/2011-JCD	301	100,000	1/30/2015
281	उत्तर प्रदेश	5324/24/7/2012-JCD	301	100,000	9/8/2014
282	उत्तर प्रदेश	5581/24/72/2010	809	25,000	8/25/2014
283	उत्तर प्रदेश	6066/24/56/2014-AD	822	500,000	3/18/2015
284	उत्तर प्रदेश	6651/24/24/2011-JCD	301	50,000	5/6/2014
285	उत्तर प्रदेश	6798/24/31/2012	817	15,000	4/2/2014
286	उत्तर प्रदेश	6873/24/6/2011-JCD	301	200,000	3/30/2015
287	उत्तर प्रदेश	7081/24/26/2012-JCD	301	100,000	7/28/2014
288	उत्तर प्रदेश	73/24/50/2012	1505	200,000	8/4/2014
289	उत्तर प्रदेश	7355/24/1/2011	809	200,000	3/30/2015
290	उत्तर प्रदेश	7477/24/2006-2007	812	500,000	2/18/2015
291	उत्तर प्रदेश	7876/24/54/2014	800	100,000	8/12/2014
292	उत्तर प्रदेश	8324/24/18/08-09-ED	812	500,000	7/17/2014
293	उत्तर प्रदेश	8498/24/4/2012-JCD	301	300,000	12/15/2014
294	उत्तर प्रदेश	8736/24/40/2012	305	25,000	7/7/2014
295	उत्तर प्रदेश	9071/24/57/2014	1505	200,000	12/4/2014
296	उत्तराखण्ड	1/35/3/2014	1505	200,000	9/8/2014
297	उत्तराखण्ड	1684/35/7/2012	814	100,000	8/12/2014
298	उत्तराखण्ड	1811/35/8/2013	804	50,000	9/8/2014
299	उत्तराखण्ड	1864/35/12/2012-JCD	301	300,000	6/11/2014
300	उत्तराखण्ड	451/35/12/2013	203	300,000	7/31/2014
301	उत्तराखण्ड	818/35/5/2013-JCD	301	300,000	6/9/2014
302	पश्चिम बंगाल	1160/25/15/2011	814	10,000	12/22/2014
303	पश्चिम बंगाल	153/25/7/2014-JCD	301	300,000	1/6/2015
304	पश्चिम बंगाल	177/25/13/2013-JCD	301	100,000	11/21/2014
305	पश्चिम बंगाल	1887/25/22/2012-JCD	301	100,000	2/12/2015
306	पश्चिम बंगाल	370/25/10/2013-JCD	301	200,000	3/27/2015
307	पश्चिम बंगाल	501/25/22/2013-WC	1903	300,000	8/26/2014
308	पश्चिम बंगाल	515/25/4/2013-JCD	301	100,000	2/3/2015

अनुलग्नक– 6 पैरा 2.18

वित्तीय राहत के भुगतान हेतु वर्ष 2013–14 के दौरान रा.मा.अ.आ. द्वारा संस्तुत अनुपालन हेतु लंबित मामलों का विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	घटना कोड	शिकायत की प्रकृति	पीड़ितों/मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों के लिए संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
1.	आंध्र प्रदेश	1042/1/5/2012-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	200000	25-03-2014
2.	आंध्र प्रदेश	199/1/13/2012-AD	822	पुलिस हिरासत में कथित हिरासतीय मौत	100000	16-05-2013
3.	आंध्र प्रदेश	269/1/3/2011-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	24-09-2013
4.	आंध्र प्रदेश	300/1/7/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	23-12-2013
5.	आंध्र प्रदेश	322/1/19/09-10-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	21-11-2013
6.	आंध्र प्रदेश	352/1/23/09-10-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	11-09-2013
7.	आंध्र प्रदेश	373/1/7/2010-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	12-06-2013
8.	आंध्र प्रदेश	528/1/25/2012	817	अवैध नजरबंदी	25000	30-01-2014
9.	अरुणाचल प्रदेश	2/2/11/2012-AF	1611	कथित फर्जी मुठभेड़ (रक्षा)	1500000	01-01-2014
10.	अरुणाचल प्रदेश	28/2/2/2010-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	2000000	18-12-2013
11.	अरुणाचल प्रदेश	4/2/14/08-09-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	01-11-2013
12.	असम	127/3/24/09-10-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	12-12-2013
13.	असम	142/3/5/2011	817	अवैध नजरबंदी	20000	12-09-2013
14.	असम	200/3/11/2010-AFE	813	कथित फर्जी मुठभेड़	500000	08-01-2014
15.	असम	206/3/0/2011-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	01-01-2014
16.	असम	209/3/1/2011-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	1000000	12-02-2014
17.	असम	223/3/3/2010-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	1000000	30-01-2014
18.	असम	224/3/8/2010-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	1000000	30-10-2013
19.	असम	225/3/16/2010-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	12-12-2013
20.	असम	226/3/11/2010-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	13-11-2013
21.	असम	230/3/16/2010-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	12-12-2013
22.	असम	241/3/15/2011-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	1000000	10-02-2014
23.	असम	242/3/22/2011-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	30-01-2014
24.	असम	247/3/16/2011-PF	1710	मुठभेड़ में मौत	2500000	08-01-2014
25.	असम	258/3/15/2011-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	30-01-2014
26.	असम	259/3/7/2011-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	1000000	05-12-2013

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	घटना कोड	शिकायत की प्रकृति	पीड़ितों/मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों के लिए संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
27.	असम	26/3/11/2011-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	30-01-2014
28.	असम	266/3/8/2011-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	06-02-2014
29.	असम	5/3/18/2010-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	02-01-2014
30.	असम	54/3/8/2011-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	18-12-2013
31.	असम	79/3/20/2010-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	21-11-2013
32.	बिहार	1332/4/18/2012-WC	1309	महिलाओं का अपमान	20000	14-05-2013
33.	बिहार	1933/4/28/2011-AD	822	पुलिस हिरासत में कथित मौत	100000	11-07-2013
34.	बिहार	2119/4/37/2011-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	07-06-2013
35.	बिहार	2340/4/37/2011-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	22-01-2014
36.	बिहार	2572/4/8/08-09-AD	1716	कथित हिरासतीय मौत	500000	21-08-2013
37.	बिहार	4140/4/2/2012	809	हिरासत में उत्पीड़न	50000	07-11-2013
38.	बिहार	4589/4/35/2012	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रीयता	200000	21-10-2013
39.	बिहार	4608/4/23/2012-WC	1304	दहेज के लिए हत्या अथवा प्रयास	50000	18-12-2013
40.	दिल्ली	1232/30/2006-2007	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	29-01-2014
41.	दिल्ली	1631/30/3/2010-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	13-03-2014
42.	दिल्ली	3500/30/0/2011	800	पुलिस	100000	15-05-2013
43.	दिल्ली	377/30/0/2011	804	शक्ति का दुरुपयोग	10000	20-11-2013
44.	दिल्ली	4434/30/2006-2007	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	20-11-2013
45.	दिल्ली	4883/30/9/2010	814	कानूनी कार्रवाई करने में असफलता	20000	21-01-2014
46.	दिल्ली	6801/30/2/2011	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रीयता	300000	29-04-2013
47.	दिल्ली	897/30/9/2012	1508	राज्य/केन्द्र सरकार के कस्टम/एक्साइज/प्रवर्तन/आयकर विभाग आदि द्वारा अत्याचार	200000	22-01-2014
48.	गुजरात	1012/6/9/2011	202	लोक स्वास्थ्य जोखिम	2500000	22-10-2013
49.	जम्मू कश्मीर	103/9/2/2011	814	कानूनी कार्रवाई करने में असफलता	500000	08-04-2013
50.	जम्मू कश्मीर	370/9/3/2012	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	600000	31-03-2014
51.	झारखण्ड	1192/34/17/2011	104	बच्चों का शोषण	200000	04-06-2013

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	घटना कोड	शिकायत की प्रकृति	पीड़ितों/मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों के लिए संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
52.	झारखण्ड	1310/34/6/2012-WC	1314	सेना/अर्द्धसैनिक बलों के कर्मियों द्वारा यौन उत्पीड़न	300000	29-10-2013
53.	झारखण्ड	1445/34/4/2010-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	300000	16-05-2013
54.	झारखण्ड	165/34/4/09-10	503	असामाजिक तत्वों द्वारा परेशानी	50000	06-02-2014
55.	झारखण्ड	303/34/16/2011-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	1000000	04-07-2013
56.	झारखण्ड	380/34/11/2010	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रीयता	150000	18-12-2013
57.	झारखण्ड	468/34/8/08-09	811	पुलिस गोलीबारी में मौत	1000000	26-06-2013
58.	झारखण्ड	746/34/11/09-10-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	28-11-2013
59.	झारखण्ड	765/34/16/2011	811	पुलिस गोलीबारी में मौत	400000	03-07-2013
60.	कर्नाटक	131/10/5/2012-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	26-03-2014
61.	कर्नाटक	364/10/4/09-10-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	400000	28-11-2013
62.	केरल	191/11/13/2012	305	कैदियों का उत्पीड़न	50000	12-07-2013
63.	केरल	91/11/7/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	07-03-2014
64.	मध्य प्रदेश	2240/12/8/2011-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	05-04-2013
65.	मध्य प्रदेश	2591/12/5/2012	104	बच्चों का शोषण	500000	20-01-2014
66.	मध्य प्रदेश	365/12/27/2013-WC	1311	बलात्कार	200000	19-12-2013
67.	मध्य प्रदेश	485/12/5/2012	104	बच्चों का शोषण	35000	31-10-2013
68.	मध्य प्रदेश	562/12/33/2012	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रीयता	250000	03-01-2014
69.	मध्य प्रदेश	92/12/8/2013-WC	1307	सामूहिक बलात्कार	300000	19-12-2013
70.	मध्य प्रदेश	990/12/46/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	06-06-2013
71.	महाराष्ट्र	1031/13/16/2010-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	20-02-2014
72.	महाराष्ट्र	1103/13/28/09-10-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	10-07-2013
73.	महाराष्ट्र	1211/13/2006-2007	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	30-10-2013
74.	महाराष्ट्र	1225/13/1/07-08-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	14-08-2013
75.	महाराष्ट्र	18/13/14/2012-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	29-05-2013
76.	महाराष्ट्र	196/13/16/2011-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	20-01-2014
77.	महाराष्ट्र	3069/13/16/2012	804	शक्ति का दुरुपयोग	100000	04-10-2013
78.	महाराष्ट्र	334/13/2006-2007-CD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	08-08-2013

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	घटना कोड	शिकायत की प्रकृति	पीड़ितों/मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों के लिए संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
79.	महाराष्ट्र	384/13/5/08-09-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	19-12-2013
80.	महाराष्ट्र	420/13/30/07-08-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	06-03-2014
81.	महाराष्ट्र	502/13/2005-2006	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	03-10-2013
82.	महाराष्ट्र	558/13/11/08-09-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	01-01-2014
83.	महाराष्ट्र	621/13/30/2011-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	21-11-2013
84.	महाराष्ट्र	821/13/30/08-09-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	1000000	30-01-2014
85.	मणिपुर	10/14/10/2010-AFE	813	कथित फर्जी मुठभेड़	500000	20-02-2014
86.	मणिपुर	108/14/4/2011-AD	309	न्यायिक हिरासत में कथित हिरासतीय मौत	200000	07-05-2013
87.	मणिपुर	11/14/4/08-09-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	24-10-2013
88.	मणिपुर	11/14/4/2010-AFE	813	कथित फर्जी मुठभेड़	500000	08-01-2014
89.	मणिपुर	16/14/14/2012-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	1000000	01-01-2014
90.	मणिपुर	19/14/15/2012-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	24-10-2013
91.	मणिपुर	20/14/14/2012-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	08-01-2014
92.	मणिपुर	20/14/4/2010-AFE	813	कथित फर्जी मुठभेड़	500000	03-04-2013
93.	मणिपुर	21/14/4/2011-PF	1709	गोलीबारी में मौत	200000	21-10-2013
94.	मणिपुर	22/14/13/07-08-AF	1611	कथित फर्जी मुठभेड़ (रक्षा)	500000	05-02-2014
95.	मणिपुर	31/14/12/07-08-PF	1710	मुठभेड़ में मौत	500000	24-10-2013
96.	मणिपुर	32/14/1/08-09-AFE	813	कथित फर्जी मुठभेड़	1000000	24-10-2013
97.	मणिपुर	5/14/4/2011-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	06-02-2014
98.	मणिपुर	53/14/4/07-08	811	पुलिस गोलीबारी में मौत	500000	15-05-2013
99.	मणिपुर	6/14/4/2010-AFE	813	कथित फर्जी मुठभेड़	500000	29-01-2014
100.1	ओडिशा	1479/18/5/2011	202	लोक स्वास्थ्य जोखिम	250000	03-06-2013
101.1	ओडिशा	1570/18/25/2011-WC	1309	महिलाओं का अपमान	400000	20-01-2014
102.1	ओडिशा	2458/18/32/2013-WC	1301	अपहरण, बलात्कार एवं हत्या	500000	08-11-2013
103.1	ओडिशा	2502/18/2/2011	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रीयता	300000	26-07-2013
104.1	पंजाब	506/19/15/2011	1500	विविध	1028086	28-02-2014
105.1	पंजाब	52/19/15/2013-WC	1307	सामूहिक बलात्कार	300000	29-11-2013

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	घटना कोड	शिकायत की प्रकृति	पीड़ितों/मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों के लिए संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
106.1	राजस्थान	1345/20/21/09-10-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	26-08-2013
107.1	राजस्थान	1404/20/5/09-10-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	06-02-2014
108.1	राजस्थान	168/20/14/09-10-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	500000	18-12-2013
109.1	राजस्थान	1838/20/17/2011-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	27-01-2014
110.1	राजस्थान	2221/20/7/2011-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	13-09-2013
111.1	राजस्थान	642/20/29/2013-WC	803	अपहरण/बलात्कार	300000	07-03-2014
112.1	तमिलनाडु	1350/22/36/2010-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	13-11-2013
113.1	तमिलनाडु	534/22/41/09-10-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	28-11-2013
114.1	तमिलनाडु	565/22/34/2010-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	08-01-2014
115.1	उत्तर प्रदेश	1027/24/51/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	27-03-2014
116.1	उत्तर प्रदेश	10699/24/32/2013	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रीयता	400000	28-03-2014
117.1	उत्तर प्रदेश	11054/24/4/2011	809	हिरासतीय उत्पीड़न	10000	07-11-2013
118.1	उत्तर प्रदेश	11898/24/31/2010-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	16-05-2013
119.1	उत्तर प्रदेश	11900/24/48/2010-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	28-11-2013
120.1	उत्तर प्रदेश	14336/24/2005-2006	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	04-07-2013
121.1	उत्तर प्रदेश	14412/24/17/2013	804	शक्ति का दुरुपयोग	300000	29-10-2013
122.1	उत्तर प्रदेश	14607/24/30/2010-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	1000000	15-01-2014
123.1	उत्तर प्रदेश	14844/24/39/2010	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	300000	25-09-2013
124.1	उत्तर प्रदेश	15025/24/30/2010	804	शक्ति का दुरुपयोग	20000	14-11-2013
125.1	उत्तर प्रदेश	15387/24/22/07-08-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	06-06-2013
126.1	उत्तर प्रदेश	1553/24/2006-2007	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	16-01-2014
127.1	उत्तर प्रदेश	15725/24/20/2011	816	गैरकानूनी गिरफ्तारी	50000	12-03-2014
128.1	उत्तर प्रदेश	18684/24/22/2011	106	यौन उत्पीड़न	30000	27-08-2013
129.1	उत्तर प्रदेश	19559/24/2006-2007	813	कथित फर्जी मुठभेड़	500000	05-12-2013
130.1	उत्तर प्रदेश	20226/24/28/2011	804	शक्ति का दुरुपयोग	50000	26-03-2014
131.1	उत्तर प्रदेश	20332/24/2006-2007	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	16-01-2014
132.1	उत्तर प्रदेश	20413/24/22/2011	809	हिरासतीय उत्पीड़न	25000	31-03-2014
133.1	उत्तर प्रदेश	20803/24/2006-2007	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	16-01-2014
134.1	उत्तर प्रदेश	20804/24/24/2010	1202	पेंशन/मुआवजे का भुगतान नहीं किया	50000	27-01-2014

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	घटना कोड	शिकायत की प्रकृति	पीड़ितों/मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों के लिए संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
				जाना		
135.1	उत्तर प्रदेश	20922/24/31/2010-AFE	813	कथित फर्जी मुठभेड़	1000000	03-10-2013
136.1	उत्तर प्रदेश	21581/24/24/2011	1202	पेंशन/मुआवजे का भुगतान नहीं किया जाना	10000	26-09-2013
137.1	उत्तर प्रदेश	21637/24/48/07-08	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	12-12-2013
138.1	उत्तर प्रदेश	22654/24/7/2012-AR	823	पुलिस हिरासत में कथित बलात्कार	300000	11-12-2013
139.1	उत्तर प्रदेश	23388/24/2001-2002	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	15-01-2014
140.1	उत्तर प्रदेश	23692/24/50/08-09-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	16-01-2014
141.1	उत्तर प्रदेश	24089/24/12/08-09-FE	813	कथित फर्जी मुठभेड़	1000000	17-04-2013
142.1	उत्तर प्रदेश	2547/24/4/09-10-DH	108	न्यायिक हिरासत में मौत	300000	27-09-2013
143.1	उत्तर प्रदेश	26146/24/2004-2005	813	कथित फर्जी मुठभेड़	500000	05-06-2013
144.1	उत्तर प्रदेश	2655/24/34/2012-AD	822	पुलिस हिरासत में कथित मौत	300000	31-03-2014
145.1	उत्तर प्रदेश	2888/24/2005-2006	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	20-11-2013
146.1	उत्तर प्रदेश	30069/24/2005-2006	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	05-12-2013
147.1	उत्तर प्रदेश	30410/24/52/2010	809	हिरासतीय उत्पीड़न	100000	29-05-2013
148.1	उत्तर प्रदेश	33018/24/20/2010-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	11-12-2013
149.1	उत्तर प्रदेश	33342/24/70/09-10-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	17-07-2013
150.1	उत्तर प्रदेश	33397/24/2005-2006	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	1000000	16-01-2014
151.1	उत्तर प्रदेश	34109/24/24/2011-AD	822	पुलिस हिरासत में कथित मौत बैन्ज्क्ल	100000	27-06-2013
152.1	उत्तर प्रदेश	34188/24/72/2013	1901	अ.जा./अ.ज.जा.एवं अ.पि.व. पर अत्याचार	200000	26-11-2013
153.1	उत्तर प्रदेश	34919/24/1/2012	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रीयता	400000	20-02-2014
154.1	उत्तर प्रदेश	35522/24/2006-2007	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	31-10-2013
155.1	उत्तर प्रदेश	3656/24/2005-2006	813	कथित फर्जी मुठभेड़	500000	15-01-2014
156.1	उत्तर प्रदेश	38084/24/2005-2006	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	08-01-2014
157.1	उत्तर प्रदेश	38363/24/43/2011	809	हिरासतीय उत्पीड़न	550000	16-01-2014
158.1	उत्तर प्रदेश	3885/24/45/2012-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	16-01-2014
159.1	उत्तर प्रदेश	39410/24/61/09-10	814	कानूनी कार्रवाई करने में विफलता	10000	10-12-2013
160.1	उत्तर प्रदेश	39641/24/46/2011-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	16-01-2014

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	घटना कोड	शिकायत की प्रकृति	पीड़ितों/मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों के लिए संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
161.1	उत्तर प्रदेश	39743/24/3/2010-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	03-04-2013
162.1	उत्तर प्रदेश	40176/24/2006-2007	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	05-12-2013
163.1	उत्तर प्रदेश	40377/24/2006-2007	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	15-05-2013
164.1	उत्तर प्रदेश	40795/24/31/2011-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	11-12-2013
165.1	उत्तर प्रदेश	41033/24/2006-2007	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	07-11-2013
166.1	उत्तर प्रदेश	41224/24/1/2012	1508	राज्य/केन्द्र सरकार के कस्टम/एक्साइज/प्रवर्तन/आयकर विभाग आदि द्वारा अत्याचार	520000	22-11-2013
167.1	उत्तर प्रदेश	41496/24/2000-2001	816	गैरकानूनी गिरफ्तारी	1000000	05-12-2013
168.1	उत्तर प्रदेश	42032/24/27/2012-WC	1301	अपहरण, बलात्कार और हत्या	100000	20-01-2014
169.1	उत्तर प्रदेश	42925/24/14/2011	804	शक्ति का दुरुपयोग	10000	30-12-2013
170.1	उत्तर प्रदेश	43024/24/2006-2007	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	12-11-2013
171.1	उत्तर प्रदेश	43091/24/17/2012-WC	1311	बलात्कार	50000	17-09-2013
172.1	उत्तर प्रदेश	43952/24/3/2012	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रीयता	300000	16-09-2013
173.1	उत्तर प्रदेश	44122/24/40/2010-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	16-01-2014
174.1	उत्तर प्रदेश	452/24/37/2011-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	15-01-2014
175.1	उत्तर प्रदेश	47291/24/45/07-08	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	16-01-2014
176.1	उत्तर प्रदेश	4753/24/2005-2006	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	15-01-2014
177.1	उत्तर प्रदेश	47835/24/2006-2007	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	16-01-2014
178.1	उत्तर प्रदेश	4951/24/2005-2006	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	01-05-2013
179.	उत्तर प्रदेश	53582/24/72/07-08	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	19-12-2013
180.	उत्तर प्रदेश	6057/24/30/2011-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	03-04-2013
181.1	उत्तर प्रदेश	6224/24/2005-2006-AD	822	पुलिस हिरासत में कथित मौत	500000	10-07-2013
182.1	उत्तर प्रदेश	6635/24/57/2011-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	1000000	16-01-2014
183.1	उत्तर प्रदेश	6855/24/56/2012	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	300000	02-09-2013
184.1	उत्तर प्रदेश	699/24/2006-2007	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	16-01-2014
185.1	उत्तर प्रदेश	7562/24/32/2010-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	15-01-2014
186.	उत्तर प्रदेश	8136/24/31/07-08	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	20-11-2013
187.	उत्तर प्रदेश	8323/24/2006-2007	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	2500000	05-02-2014

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	घटना कोड	शिकायत की प्रकृति	पीड़ितों/मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों के लिए संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
188.	उत्तर प्रदेश	8584/24/57/2012	814	कानूनी कार्रवाई करने में विफलता	1000000	12-02-2014
189.	उत्तर प्रदेश	9734/24/43/2011	811	पुलिस गोलीबारी में मौत	200000	19-03-2014
190.	उत्तराखण्ड	1597/35/2006-2007	813	कथित फर्जी मुठभेड़	500000	05-02-2014
191.	पश्चिम बंगाल	335/25/13/2013	804	शक्ति का दुरुपयोग	500000	23-01-2014
192.	पश्चिम बंगाल	354/25/13/2011-PF	1715	उत्पीड़न	500000	19-06-2013
193.	पश्चिम बंगाल	727/25/13/2010-PF	1709	गोलीबारी में मौत	500000	31-10-2013

***

अनुलग्नक– 7 पैरा 2.18

वित्तीय राहत/अनुशासनात्मक कार्रवाई/अभियोजन के लिए वर्ष 1998–99 एवं वर्ष 2012–13 के दौरान रा.मा.अ.आ. द्वारा संस्तुत अनुपालन हेतु लंबित मामलों का विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	शिकायत की प्रकृति	पीड़ितों/मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों के लिए संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि	टिप्पणी
1.	अरुणाचल प्रदेश	3/2/14/08-09-PCD	पुलिस हिरासत में मौत (सूचना)	100000	12.11.2010	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
2.	बिहार	1817/4/32/2011	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रीयता	1400000	19/11/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
3.	बिहार	1818/4/1/2011	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रीयता	400000	30/08/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
4.	चंडीगढ़	43/27/0/2010	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	50,000.00	19.03.2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
5.	दिल्ली	5494/30/0/2010	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रीयता	900000	15/10/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
6.	दिल्ली	102/30/2005-2006 FC	सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरी द्वारा गलत दवाएं देने के कारण एक लड़की को होने वाली समस्याएं	100000	30.07.2007	शिकायतकर्ता द्वारा दवाओं से वंचित करने, अपना पक्ष स्पष्ट करने के अवसर से वंचित करने तथा गलत दवाएं लिए जाने के कारण रोगी की हालत नाजुक होने के आधार पर दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती देने के कारण अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 9776/07 का आदेश।
7.	दिल्ली	2843/30/1/2010	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रीयता	1,00,000.00	20.01.2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	शिकायत की प्रकृति	पीड़ितों/मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों के लिए संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि	टिप्पणी
8.	गुजरात	580/6/14/2010-WC	अपहरण/बलात्कार	400000	04/09/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
9.	जम्मू कश्मीर	42/9/0/2012	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	100000	13/02/2013	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
10.	जम्मू कश्मीर	55/9/2003-2004-ad	जम्मू पुलिस की हिरासत में कथित मौत (शिकायत)	500000	19.08.2009	राज्य सरकार ने आयोग की संस्तुति को जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय में चुनौती दी
11.	जम्मू कश्मीर	206/9/2003-2004 M-4	सरकार द्वारा मकान को क्षति (शिकायत)	200000	23.11.2009	राज्य सरकार ने आयोग की संस्तुति को जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय में चुनौती दी
12.	जम्मू कश्मीर	25/9/4/07.08.PCD	हिरासतीय मौत (पुलिस)	5,00,000.00	27.07.2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
13.	झारखण्ड	108/34/2005-2006	कथित फर्जी मुठभेड़	500000	22/11/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
14.	झारखण्ड	1311/34/18/2012-WC	सेना/अर्द्धसैनिक बलों के कार्मिकों द्वारा यौन उत्पीड़न	50000	14/02/2013	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
15.	झारखण्ड	1620/34/16/2011-JCD	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	500000	12/11/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
16.	केरल	43/11/2002-2003-cd	न्यायिक हिरासत में मौत	150000	12.09.2008	आयोग तथा उच्च न्यायालय द्वारा की गई संस्तुति के विरूद्ध केरल उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 21305/09 केरल सरकार द्वारा दर्ज।
17.	मध्य प्रदेश	921/12/2/09.10	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	13,25,000.00	05.07.2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
18.	महाराष्ट्र	188/13/2005-2006-CD	हिरासतीय मौत (पुलिस)	200000	13/06/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
19.	महाराष्ट्र	1943/13/2002-2003-WC	यौन उत्पीड़न (सामान्य)	100000	29/06/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
20.	महाराष्ट्र	658/13/30/2010-ED	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	03/05/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
21.	महाराष्ट्र	1734/13/4/2010.PCD	हिरासतीय मौत (पुलिस)	5,00,000.00	06.03.2012	सरकार द्वारा एक लाख रुपये संस्वीकृत। मामला खण्डपीठ को रैफर

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	शिकायत की प्रकृति	पीड़ितों/मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों के लिए संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि	टिप्पणी
22.	मणिपुर	8/14/2004-2005-AF	हिरासतीय मौत (रक्षा)	1000000	26/07/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
23.	ओडिशा	157/18/24/09-10	राज्य/केन्द्र सरकार के कस्टम/एक्साइज/प्रवर्तन/आयकर विभाग आदि द्वारा अत्याचार	400000	27/12/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
24.	ओडिशा	408/18/32/2011-WC	अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. का बलात्कार	1200000	31/08/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
25.	ओडिशा	123/18/1999-2000	पुलिस द्वारा अवैध नज़रबंदी एवं उत्पीड़न	अनुशासनात्मक कार्रवाई	31.07.2000	आयोग की संस्तुति के विरुद्ध ओडिशा उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या ओ.जे.सी. नम्बर 8776/2000 राज्य सरकार द्वारा दर्ज, जो विचाराधीन लंबित है।
26.	ओडिशा	256/18/2/09-10	राज्य/केन्द्र सरकार के कस्टम/एक्साइज/प्रवर्तन/आयकर विभाग आदि द्वारा अत्याचार	700000	31.03.2011	रा.मा.अ.आ. के आदेश को न्यायालय में चुनौती तथा इसके आदेशों को आगे के आदेश आने तक रोका गया।
27.	ओडिशा	176/18/6/2011	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रीयता	3,00,000.00	05.01.2012	ओडिशा उच्च न्यायालय में आयोग की संस्तुतियों को चुनौती।
28.	पंजाब	377/19/8/09-10-JCD	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	100000	30/11/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
29.	पंजाब	506/19/15/2011	विविध	900000	14/08/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
30.	राजस्थान	2585/20/2/2011-WC	यौन उत्पीड़न (सामान्य)	100000	27/06/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
31.	तमिलनाडु	270/22/46/2011-JCD	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	400000	13/03/2013	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
32.	उत्तर प्रदेश	17622/24/2006-2007	पुलिस मुठभेड़ में मौत	1000000	24/01/2013	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
33.	उत्तर प्रदेश	31558/24/56/2010-WC	महिलाओं का अपमान	50000	22/05/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
34.	उत्तर प्रदेश	36256/24/61/2010	चिकित्सा व्यवसायीयों का	300000	10/12/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	शिकायत की प्रकृति	पीड़ितों/मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों के लिए संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि	टिप्पणी
			कदाचार			
35.	उत्तर प्रदेश	40001/24/48/2011	विविध	50000	08/06/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
36.	उत्तर प्रदेश	41459/24/1/2010	कानूनी कार्रवाई में विफलता	100000	28/03/2013	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
37.	उत्तर प्रदेश	44192/24/24/2011	पेंशन/मुआवजे का भुगतान नहीं करना	25000	29/10/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
38.	उत्तर प्रदेश	9839/24/2006-2007-CD	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	100000	11/05/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
39.	उत्तर प्रदेश	30217/24/2002-2003-cd	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	10000	20.02.2008	अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित
40.	उत्तर प्रदेश	12969/24/2002-2003 (FC)	पुलिस मुठभेड़ में मौत (शिकायत)	300000	27.05.2009	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
41.	उत्तर प्रदेश	39058/24/2003-2004 (FC)	पुलिस मुठभेड़ में मौत (शिकायत)	600000 (3,00,000/- प्रति दो व्यक्ति)	27.07.2009	मृतक प्रभात कुमार के संबंध में भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
42.	उत्तर प्रदेश	37802/24/2006-2007 M-5	पुलिस द्वारा कथित उत्पीड़न (शिकायत)	25000	24.08.2009	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
43.	उत्तर प्रदेश	38166/24/2006-2007-cd M-5	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	31.10.2009	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
44.	उत्तर प्रदेश	6384/24/2003-2004	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	05.05.2010	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
45.	**पश्चिम बंगाल**	511/25/13/09.10.JCD	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	3,00,000.00	11.10.2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित

अनुलग्नक – 8

भारत की संयुक्त चौथी एवं पांचवी रिपोर्ट य मानव अधिकारराष्ट्री :आयोग भारत – भारत में सी लन समितियन के संबंध में महिला भेदभाव उन्मूके कार्यान्व 0डब्ल्यू0ए0डी0ई0 को प्रस्तुत – भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की लिखित प्रस्तुति

प्रस्तावना

भारत की 48 काकी जनगणना के अनुसार हमारी कुल जनसंख्या 2011.प्रतिशत भ 46ाग महिलाएं हैं। अत : में कोई संदेह नहीं रह जाता। देश के समग्र विकास तथा प्रगति में मानव संसाधन के रूप में महिलाओं के महत्व पित किया है। संविधानभारत के संविधान ने लिंग समानता के सिद्धांत को प्रतिष्ठा, महिलाओं को केवल समानता ही नहीं देता बल्कि राज्य को महिलाओं के हित में सकारात्मक हस्तक्षेप करने के तरीके अपनाने की शक्ति भी प्रदान करता है। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था के ढांचे में, विकासात्मक नीतियां, कार्यक्रम तथा कानूनों का लक्ष्य महिलाओं का सशक्तिकरण रहता है। भारत सरकार में महिलाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नोडल मंत्रालय है। राज्य स्तर पर भी महिलाओं के मुद्दों के समाधान हेतु इसी प्रकार के विभाग हैं।

महिलाओं को तीव्रता से न्याय जैसे कि पुलिस स्टेशनों में महिला पुलिस सेल और विशेष महिला पुलिस स्टेशन स्थापित करना करना आदि जैसे न्याय दिलाने में मदद करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग[1] तथा राज्य महिला आयोगों जैसे कई अन्य संस्थान भी मौजूद हैं। राज्य स्तर पर एम0डी0सी0डब्ल्यू0, एनतथा कुछेक 0डब्ल्यू0सी0 एवं महिला संबंधी परियोजनाओंविशिष्ट-संबंधित विभाग भी महिला पर संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ द्विपक्षीय, बहुपक्षीय भागीदारी में कार्य करते हैं।

कुछेक महानगरों में पुलिस स्टेशनों में बलात्कार संकट हस्तक्षेप केन्द्रों की भी स्थापना की गई है। परेशान महिलाओं के लिए हैल्पलाईनें भी स्थापित की गई हैं। महिला स्वसहयोग समूहों का आयोजन किया जा रहा है - यन में शामिल हैं। योजनाओं एवं परियोजनाओं की तैयारी एवं उनके कार्यान्वऔर ये विभिन्न

महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन में भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भूमिका

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन का मूर्तरूप है। अक्टूबर, 1993 में अपने आविर्भाव से लेकर अब तक यह आयोग, महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन संबंधी अपने

[1] महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना वर्ष 1992 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। यह महिलाओं के लिए सांविधिक लोकपाल के रूप में कार्य करता है। इसका अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य होता है।

प्रयासों में पिछले दो दशकों से अधिक समय के दौरान विभिन्न परस्पर संबंधी तरीकों से विकसित हुआ है। अपने गठन के समय से ही लिंग संबंधी मुद्दे और विशेषतमहिलाओं के प्रति भेदभाव :, आयोग की चिन्ता का विषय रहे हैं। वर्ष 1994-यन के जोशपूर्ण कार्यान्वके तहत देश के दायित्वों 0डब्ल्यू0ए0डी0ई0के दौरान आयोग ने सी 95 तिकी सिफारिश की। आयोग ने यह संस्तुभी की कि बीजिंग में अंगीकार की गई घोषणा तथा व्यवहार्य कार्यक्रमों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए सु संचालित कदम उठाए जाने चाहिए।-

महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन पर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी विचार किया गया। वर्ष 1996-में मातृक 97 क्षीणता कोरक्त अधिकार मुद्दे के रूप में पहचाना गया। वर्ष में महिलाओं के अधिकारों को प्रभावित करने 2000 0वी0आई0वाले एच/एड्स, लोक स्वास्थ्य तथा मानव अधिकारों संबंधित मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया गया। वर्ष 1999-के दौरान आयोग ने भारत की पहली देशीय रिपोर्ट तथा भा 2000रत की पहली देशीय रिपोर्ट पर सीतियों के आलोक में लिंग संबंधी भेदभाव के समिति द्वारा किए गए निर्णायक प्रेक्षणों एवं संस्तु 0सी0आर0 लन मुद्दों को उठाया।उन्मू

वर्ष 2000-में आयोग ने लिंग निर्धारण परीक्षणों के दुरूपयोग जो प्रसवपूर्व लिंग चयन की कुप्रथा क 2001ो प्रोत्साहित करती है और जिससे लिंग अनुपात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, को समाप्त करने हेतु ठोस प्रयास करने के लिए कहा।

वर्ष ड़न को रोकने और उससे लड़ने के संबंध में भारत लों में महिलाओं के यौन उत्पीमें आयोग ने कार्यस्थ 2000 यालय द्वारातम न्याके उच्च निर्धारित विशाखा दिशानिर्देशों को कार्यान्वित करने में काफी रुचि दिखाई। आयोग ने जनसंख्या नीति, विकास तथा मानव अधिकारों के संबंध में औपचारित संगोष्ठि का भी आयोजन किया और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की तुलना में राज्य सरकारोंसंघ शासित क्षेत्रों की जनसंख्य/ा नीतियों प्रोत्साहन हन संबंधी मुद्दों को उठाना शुरू किया।हतोत्सा/

आयोग ने दिल्ली में एक युवती के साथ हुए बलात्कार और हत्या के आलोक में महिलाओं के प्रति हिंसा के मुद्दे पर जनवरी,य कांफ्रेंस का आयोजन किया। फरवरीमें एक राष्ट्री 2013 ,में आयोग न 2014 े एक बार फिर महिलाओं के मानव अधिकार विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कांफ्रेंस आयोजित की और महिलाओं के अधिकारों से संबंधित समस्या क्षेत्रों पर सभी पणधारियों के साथ विस्तृत विचार की गई अधिकांश क्तविमर्श किया। नीचे व्य- य मानव अधिकारचिंताएं भारत के राष्ट्रीआयोग द्वारा अपने गठन से लेकर अब तक किए गए कार्यों का परिणाम हैं।

नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार

- महिलाओं एवं लड़कियों के प्रति बढ़ते हुए यौन अपराध चिंता का विषय हैं। जनवरी से अप्रैल,के 2014 रूप से ष्टमामले दर्ज किए गए जो स्प 293 र के कुलय मानव अधिकार आयोग में बलात्काबीच राष्ट्री

दा पीड़ित हैं और यह दर्शाता है कि महिलाएं और युवतियां हिंसा से विशेषरूप से यौन हिंसा से सबसे ज्या य या तो सुलभ नहीं होता या बहुत कम होता है। यह सब हन्या ाल ही में पारित दांडिक कानून अधिनियम (संशोधन),के बावजूद है जिसका आशय भारतीय दंड संहिता 2013 ; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; भारतीय साक्ष्य अधिनियम,1872 ; और बच्चों की यौन अपराधों से सुरक्षा अधिनियम, 2012 धाराओं को और कठोर बनाना है। यदि महिलाओंकी विभिन्नकी सुरक्षा के लिए विद्यमान कानून एवं नीतियों का सख्त प्रवर्तन करना है तो न्यायपालिका सहित विधि प्रवर्तन अधिकारियों को सुग्राही बनाने और कानून का अनुपालन न करने पर जवाबदेह बनाने की बहुत आवश्यकता है। राष्ट्रीयजिला /राज्य/ रीय विधिक सेवा प्राधिकारियोंस्त को भी महिलाओं को सशक्त बनाने वाले कानूनों तथा उनके अधिकारों के बारे में महिलाओं एवं लड़कियों के बीच जागरुकता का सृजन करना चाहिए, जो फिलहाल पर्याप्त नहीं है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग इस दिशा में प्रयास कर रहा है किन्तु अन्य संबंधित एजेंसियों को भी इस मुद्दे पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

— इसी प्रकार, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम,य सुलभता के के तहत बेहतर न्या 2005 सहायक सेवाओं और लिए अधिदेशित सुविधाओं एवं आश्रयालयों के रूप में सेवाओं तथा अन्य संरक्षण अधिकारियों से गठित एक समन्वित कार्य ान्वयन तंत्र के अभाव में महिलाएं घरेलू हिंसा से पीड़ित होती रहेंगी। अधिनियम के उचित कार्यान्वयन के संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारोंय संघ शासित क्षेत्रों को जारी किए गए दिशानिर्देशों के बावजूद भी कोई यथोचित समन्व/ नहीं है और पदनामित प्राधिकारी दुष्क्रियाशील अंग बने हुए हैं।

— कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण सहित यौन शोषण के कत्य अभी भी हो रहे हैं और यह कृत्य कई रूपों में हो रहे हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय ने वर्ष में 1997*विशाखा बनाम राजस्थान सरकार* मामले में कार्य स्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन शोषण को मानव अधिकारों का उल्लंघन माना है। तथापि, वर्ष य मानव अधिकार आयोग में महिलाओं के यौन शोषणमें भी राष्ट्री 2006 मामले 420 के (सामान्य), कार्यस्थलों मामले 63 में महिलाओं का यौन शोषण के (सरकारी कार्यालयों) और यौन शोषण तथा 0डब्ल्यू0ए0डी0ई0के दो मामले दर्ज किए गए। सी (अर्ध सैनिक कार्मिक/सैन्य) ल पर महिलाओं के बावजूद कार्यस्थवेजों के तहत भारत के दायित्वों दस्तामानव अधिकार संबंधी अन्य निवारण) का यौन शोषण, प्रतिषेध एवं प्रतितोषमें अधिनियमित कि 2013 अधिनियम को वर्ष (या गया।

— कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम,कि र को भी आसानी मापा जा सकता है क्योंयन के स्तके कार्यान्व 1984 यालय कार्यशील हैं। न्याकुटुम्ब 212 पूरे देश में केवल

— सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम सिर्फ जम्मू एवं कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में ही लागू है जो दंड से छूट मुक्ति प्रदान करता है जिसके कारण मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं।

— बेटियों को संपत्ति अधिकार देने और उन्हें बेटों के या संयुक्त हिन्दू परिवार के किसी अन्य पुरुष सदस्य के बराबर का दर्जा देने के लिए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम (संशोधन),को लागू किया गया था। 2005

तथापि, मस्तिष्क में गहरी पैठ बनाई हुई सांस्कृतिक परम्पराओं और महिलाओं एवं लड़कियों को अपने अधिकारों एवं हकों की जानकारी एवं जागरुकता के अभाव के कारण इसका कार्यान्वयन निम्नस्तरीय रहा है। जाति, वर्ग, धर्म या नृजाति को दरकिनार करते हुए महिलाओं के संपत्ति के अधिकार का संहिताकरण करने की आवश्यकता है जो हर प्रकार के पर्सनल लॉ और परम्परागत प्रथाओं से ऊपर होगा।

– लिंग पता लगाने और उसका खुलासा करने के परिणामस्वरूप महिला भ्रूण हत्या किए जाने को रोकने और लिंग अनुपात पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए तकनीक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक अधिनियम (लिंग चयन प्रतिषेध), को वर्ष 1994 यन अभी भी बहुत कमजोर है औरमें संशोधित किया गया था। इसका कार्यान्व 2003 इसकी प्रभावकारिता में बढ़ोतरी के लिए इसे कार्यान्वित करने वाले सभी प्राधिकारियों जैसे कि केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड, राज्य पर्यवेक्षी बोर्ड, राज्य उचित प्राधिकारी, जिला एवं उपजिला उचित प्राधिकारी-, परामर्शी समिति आदि को उनकी भूमिका, कार्यों, अन्वेषण संबंधी शक्तियों एवं प्रतिकूल लिंग अनुपात तथा इस अधिनियम संबंधी मुद्दों के बारे में सुग्राही बनाने की आवश्यकता है।

– सम्पूर्ण पुनर्विचार की आवश्यकता के कारण विद्यमान अनैतिक व्यापार अधिनियम (निवारण), 1956 पार प्रोटोकॉल है। अवैध व्याअपर्याप्त, सी0सी0आर0, सीतथा मानव अधिकार एवं 0डब्ल्यू0ए0डी0ई0 त सिद्धांतों एवं दिशानिर्देशों के अनुसरण में लिंग द्वारा संस्तु राष्ट्रपार के संबंध में संयुक्तअवैध मानव व्या पक विधान पार के संबंध में एक नया और व्या से मानव अवैध व्याएवं अधिकारों के परिप्रेक्ष्य अधिनियमित करने की आवश्यकता है।

– राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार के संबंध में एक व्यापक कार्य अनुसंधान अध्ययन किया और फिर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ मिलकर बच्चों एवं महिलाओं पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करते हुए मानव अवैध व्यापार को रोकने और उससे लड़ने के लिए एक एकीकृत योजना तैयार की लेकिन सरकार द्वारा इसे अंगीकार करना और कार्यान्वित किया जाना शेष है। भारत सरकार द्वारा इसे अपनाए जाने पर अवैध व्यापार से लड़ने तथा महिलाओं एवं बच्चों का व्यावसायिक यौन शोषण रोकने के लिए की कार्य 1998 कि यह प्रभावी नहीं है जिसके पित हो जाएगी क्योंन पर एकीकृत कार्य योजना प्रतिस्थायोजना के स्था व मेंपार बढ़ रहा है। वास्तमहिलाओं और लड़कियों का अवैध व्या :पार विशेषतकारण अवैध व्या, अवैध व्यापार यौन शोषण तथा बलात बंधुआ मजदूरी के प्रयोजनार्थ नए रूप बदल रहा है।/

– ‘सामुदायिक हिंसा निवारण), नियंत्रण एवं पीड़ितों का पुनर्वासविधेयक (’ को शुरू में वर्ष में राज्य 2005 कार कर दिया था और नयी समिति ने इस विधेयक को अस्वीसभा में पेश किया गया था। संसदीय स्थाए विधेयक के लिए कहा था। नए विधेयक अर्थात “सामुदायिक एवं लक्षित हिंसा निवारण य एवं न्या) विधेयक (क्षतिपूर्ति की सुलभता,2011 ” को संसद में प्रस्तुत करने के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया। किन्तु यह पटल पर नहीं रखा जा सका। यह उल्लेखनीय है कि सामुदायिक हिंसा को रोकने

के लिए विधिक ढांचे का सख्त उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि महिलाओं और बच्चों के अधिकारों पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ा है।

— अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून होने के बावजूद भी ये विशेष रूप से असुरक्षित है क्योंकि लोकसेवक इनके प्रति उदासीन होते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ,अधिनियम (अत्याचार निवारण)1989 का आशय इन समुदायों से संबंधित लोगों की रक्षा करना है। तथापिइसका कार्यान्वयन अप्रभावी रहा है जिसके परिणामस्वरूप बलात्कार जैसे , गम्भीर से गम्भीर आपराधिक मामलों में भी दोषियों को सजा नहीं मिल पाती है। अन्य कमजोर महिलाओंवृद्ध या अक्षम महिलाओं के संबंध में भी यह बात उतनी ही सत्य है। ,विशेषतः अल्पसंख्यक , बहुत बड़ी संख्या में विधवा महिलाएं वित्तीय सुरक्षा के अभाव से पीड़ित हैं और उनमें से कई तो आश्रयहीन हैं और वृंदावन जैसे शहरों में शरण ले रही हैं जहां वे धर्मार्थ पर ही जीवन जी रही हैं। अभिभावक एवं वरिष्ठ नागरिक रखरखाव एवं कल्याण अधिनियम ,2007 का आशय विधवाओं के साथसाथ वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा करना है किंतु इसका कार्यान्वयन कमजोर है।-

— सरकारी तंत्र की असंवेदनशीलता के कारण कृषि एवं गैरक्षेत्रों में बंधवा मजदूरी की प्रथा ,दोनों ,कृषि- के तहत महिलाओं के 'बंधवा मजदूरी' राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में ,में 2012 अभी भी जारी है। वर्ष ,अधिनियम (उन्मूलन) मामले दर्ज किए गए। यह स्थिति बंधवा मजदूरी प्रथा 503197के लागू होने के 6 बंधवा मजदूरी जैसी कोई गतिविधि अनुमेय नहीं है। इस ,बावजूद है। इस अधिनियम के अनुसार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार अधिकारी भी न केवल इसके उपबंधों से अनभिज्ञ हैं बल्कि आजीविका कमाने वाले केवल पुरूष ,उदासीन भी हैं। इसके परिणामस्वरूपसदस्य ही नहींबल्कि कई , मामलों में महिलाओं समेत पूरा परिवार बंधवा के दंश को झेल रहा है।

— मानव अधिकारों के समर्थकों की सुरक्षामहिलाओं की सुरक्षा चिंता का एक अन्य क्षेत्र है। ,विशेष रूप से , में मानव अधिकार समर्थकों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय मानवा 2009 वर्षधिकार आयोग द्वारा स्थापित किये गए फोकल प्वाईंट के अनुसार33 में महिला पीड़ितों के 2011 वर्ष ,% मामले दर्ज किए गए जो भिन्न प्रकार के अत्याचारों से संबंधित थे और जिनमें झूठे आरोपों से फंसाना और विधिविरूद्ध गिरफ्तारी भी शामिल है।

— महिला आरक्षण विधेयक जिसमें संसद एवं राज्य विधान मंडलों में महिलाओं के 33% सीटें आरक्षित किए जाने का प्रस्ताव है) वीं लोकसभा को संविधान16 काफी समय से लंबित पड़ा है। ,108वां संशोधनविधेयक तत्काल ही पारित करना चाहिए ताकि महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य (विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें आरक्षित की जा सकेंक्योंकि ऐसा करना उन अन्य नीतियों की , सफलता के लिए भी महत्वपूर्ण होगा जिनमें महिलाओं को राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन और निर्णय लेने में सशक्त बनाने के लिए अधिक प्रतिनिधित्व देने की बात की जा रही है।

— सरकार को सीके वैकल्पिक प्रोटोक 0डब्ल्यू0ए0डी0ई0ॉल पर हस्ताक्षर करने और उसकी अभिपुष्टि करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।

आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार ,

भारत सरकार ने अपनी चौथी एवं पांचवी संयुक्त आवधिक रिपोर्टों के साथसाथ संयुक्त रिपोर्टों से संबंधित मुद्दों - एवं प्रश्नों के उत्तरमें स्वास्थ्यउपायों का उल्लेख /शिक्षा तथा महिलाओं से संबंधित अन्य कार्यक्रमों ,रोजगार , :इन क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति चिंता का विषय रही है जैसा कि नीचे देखा जा सकता है ,किया है। तथापि

- हालांकि समग्र लिंगानुपात में वर्ष प्वाईंट्स की 7 अर्थात् 940 में 2011 के मुकाबले वर्ष 933 के 2001) किंतु बाल लिंगानुपात ,सराहनीय वृद्धि हुई है0-6 वर्ष प्वाईंट्स के मुकाबले वर्ष 927 के 2001 में वर्ष (प्वाईंट्स की गिरावट गम्भीर चिंता का विषय है। 13 अर्थात् 914 में 2011

- भारत) नवजात शिशु मृत्यु ,0-27 दिनसंबंधी एक अतिरिक्त (स्वास्थ्य सूचक के साथ अधिक भार वाले देशों के समूह में शीर्ष स्थान पर है। वर्ष विश्वभर में हुई तीन मिलियन नवजात शिशुओं की मृत्यु ,में 2012 779 में से लगभग,2 साथ इसी वर्ष विश्वभर में मृत रूप में जन्मे-मृत्यु भारत में हुई। इसके साथ 000. 6 600 मिलियन बच्चों में से,बच्चे भारत में थे। जन्म के पहले दिन ही विश्वभर में मृत्यु को प्राप्त हो 000 में 2012 जाने वाले एक मिलियन नवजात शिशुओं में से लगभग एक तिहाई शिशु भारत के होते हैं। वर्ष 1990 मृत्यु की नवजात शिशु मृत्यु दर वाले इस देश में 29 जन्म के मुकाबले 1000-2012[2] के दौरान केवल 2.6% औसत वार्षिक दर की कमी रिकॉर्ड की गई।

- भारत सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम अर्थात् राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के बावजूद आज भी घरों में प्रसव हो रहे हैंप्रशिक्षित बर्थ अटेंडे ,उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में। इसलिए ,विशेष रूप से ,ंट की संख्या में इजाफा करने की बहुत आवश्यकता है और इसके साथ ही देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करने की भी तत्काल आवश्यकता है। इस तरह के प्रयास न केवल नवजात शिशुओं को बचाएंगे बल्कि इसके साथसाथ प्रसव के दौरान होने वाली माताओं की मृत्यु में कमी लाने में भी सहाय-क होंगे। प्रतिवर्ष लगभग 50,मृत्यु की दर के साथ भारत मातृत्व मृत्यु दर 000[3] के संबंध में विश्व में शीर्ष पर है।

- गर्भवती महिलाओं की प्रसवपूर्व देखभालआकस्मिक प्रसूति देखभाल एवं प्रसव ,अस्पतालों में प्रसव , उपरांत देखभाल की उपलब्धता को बढ़ावा देते हुए प्रजननसंबंधी स्वास्थ्य तक सार्वभौमिक सुलभता पर जोर दिया जाना चाहिएसाथ जन्म के बीच अंतर और -चाहे प्रसव का स्थान कोई भी हो। इसके साथ , 0वी0आई0मातृत्व स्वास्थ्य एवं एच ,कामुकता/एड्स के बारे में जानकारी सहित पुरूषों एवं महिलाओं को व्यापक विकल्पों सहित संतानउत्पत्ति और गर्भनिरोधक संबंधी जानकारीसेवाओं की ,परामर्श/ में एक राष्ट्रीय संवाद के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार 2003 सार्वभौमिक सुलभता होनी चाहिए। वर्ष आयोग ने सभी पणधारियों को इस पर बल देने के लिए कहा था।

-) वीं पंचवर्षीय योजना112007-2012मू) के दौरान भी कुल स्वास्थ्य (लभूत एवं गौण स्वास्थ्य घटक (1 पर सकल घरेलू उत्पाद का केवल.97% खर्च किया गया। अगले दशक में इसमें काफी वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है। लोकस्वास्थ्य प्रणाली की अपनी ही समस्याएं हैं – उपकेंद्रों ,प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों ,

---

[2] दि हिंदु, 5 जून, 2014, नई दिल्ली

[3] पूर्वोक्त

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिल ा अस्पतालों के अभाव में बड़ी संख्या में गांवों में या तो चिकित्सा देखरेख उपलब्ध नहीं है या नगण्य है।

— आर्थिक सशक्तिकरण के अभाव मेंआर्थिक स्रोतों तक महिलाओं ,लिंग समानता संभव नहीं है। इसलिए , की समान पहुंच और नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए मैक्रोइकॉनामिक नीति ढांचे और आर्थिक संरचना को भी अनुकूल बनाना होगा।

— श्रम बाजार तक महिलाओं की पहुंच और निम्नस्तरीय कार्यचिंता का एक और विषय है हालांकि हाल , ही के वर्षों में महिलाओं की रोजगार अवसरों तक पहुंच में बढ़ोतरी हुई है फिर भी अधिकांश रूप से वे कम सुरक्षा और कम वेतन वाले रोजगारों तक ही सीमित हैं और इसके साथसाथ व्यावसायिक - पृथक्कीकरण और लिंग आधारित भत्ते के बीच का अंतर अभी भी मौजूद है। इसमें बदलाव लाना चाहिए और समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को व्यवहार में लाना चाहिए।

— देखभाल करने के साथसाथ महिलाओं एवं पुरूषो- ं के बीच अवैतनिक कार्य का असमान वितरण एक अन्य अवरोध है जो महिलाओं को श्रम बाजार में अपनी पूरी क्षमता से भाग लेने से रोकता है। दोनों लिंगों के लिएअभिभावक अवकाश नीतियों सहित महिलाओं और पुरूषों के बीच अवैतनिक कार्य को पुनः , वितरित करने वाली कार्यप्रणालियों क ो प्रोत्साहित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है।

— ऊर्जाबाल देखभाल सुविधाएं तथा परिवहन प्रणाली जैसी अवसंरचना में ,सफाई-जल तथा साफ , जो श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी में सहायक हो सकती है। ,अधिक निवेश किया जाना चाहिए

— लिंग समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाने वाले बेरोजगारी बीमा योजनासार्वभौमिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक पेंशन जैसे सामाजिक सुरक्षा उपायों पर , अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

— महिला स्वमहिलाओं की गरीबी दूर करने ,सहायता समूहों के लिए आरक्षण एवं आबंटन के माध्यम से- क े लिए नकद हस्तांतरणमहिला सहकारिता ,माइक्रोक्रेडिट योजनाएं ,सस्ते उर्वरकों की उपलब्धता , की स्थापना और महिला उद्यमी गतिविधियों का संवर्धन जैसे उपायों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

— निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों में महिलाओं के अधिकारों एवं उनके सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

— समग्र शिक्षा तथा मानवाधिकार शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी गहन रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। हालांकिप्रत्येक राज्य में स्कूल का पाठ्यक्रम भिन्न है फिर भी सभी राज्यों को पाठ्य पुस्तकों , की पुनरीक्षा करके लिंगभेद ढर्रे को बढ़ाव ा देने वाले गद्यों को हटाते हुए और बच्चों के मस्तिष्क में लिंगसंबंधी मुद्दों के बारे में एक आधुनिक दृष्टिकोण और ज्ञान प्रतिस्थापित करके समरूपता का संदेश देना चाहिए।

— लड़कियों की शिक्षा अपने आप में ही नहीं सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा तक लड़कियों की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करना जरूरी है। इसके साथ ही लड़कियों के लिए सेकेंडरीसीनियर सेकेंडरी और ,

यूनिवर्सिटी स्तर की शिक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। प्रत्येक स्‍तर परअनुसूचित ,विशेष रूप से , जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए भर्ती अनुपात में लिंगसंबंधी अंतर को पाटने की आवश्यकता है। लड़कियों द्वारा बीच में ही स्कूली शिक्षा को छोड़ने की दर को कम करने की आवश्यकता है। कई राज्यों में लड़कियों द्वारा बीच में ही स्कूली शिक्षा को छोड़ने का एक मुख्य कारण स्कूलों में शौचालयों का न होना है। एक अन्य कारण यह है कि लड़कियों को स्कूल पहुंचने के लिए बहुत लम्बा रास्ता तय करना पड़ता है। सर्वशिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के फलस्वरूप स्कूलों से संबंधित भौतिक अवसंरचना में आए सुधारों के बावजूद भी यह स्थिति बरकरार है। तथापिइस संबंध में बहुत , कुछ किए जाने की आवश्यकता है।

– कई राज्यों में घरों में शौचालयों की सुविधा न होने के कारण खुले में शौच करने की वजह से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच करने की बाध्यता के कारण लड़कियां के प्रति बलात्कार तथा अन्य प्रकार की हिंसा की संभावना बढ़ जाती है।

* * * * *

अनुलग्नक – 9

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और महिलाओं के प्रति भेदभाव को दूर करने संबंधी समिति के बीच दिनांक 30 जून, 2014 को हुई अनौपचारिक बैठक में भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायविद श्री के0जी0 बालकृष्ण का मौखिक साक्ष्य

सी0ई0डी0ए0डब्ल्यू0के0 समिति के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण,

भारत द्वारा की गई महिलाओं के खिलाफ होने वाले हर प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन संबंधी अभिसमय की अभिपुष्टि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 15 की विचारधारा के अनुसरण में की गई थी, जिसमें क्रमशः कानून के समक्ष समानता और कोई भेदभाव नहीं की नीति का प्रावधान है। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए और समाज में उनके स्तर को उंचा उठाने के लिए बड़ी संख्या में विधान मौजूद हैं। तथापि, इन विधायनों के साथ–साथ नीतियों और कार्यक्रमों का यथोचित कार्यान्वयन समस्या का विषय है। अतः भारत में महिलाओं के बहुत बड़े प्रतिशत आज भी विभिन्न प्रकार के लाभ और अधिकार नहीं दिए जाते हैं।

महिलाएं विभिन्न प्रकार की हिंसा से आज भी पीड़ित हैं जैसे कि दहेज मृत्यु, घरेलू हिंसा, अपहरण, एसिड हमले और इनके साथ–साथ महिला भ्रूण हत्या। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं और वो भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों की महिलाएं इस प्रकार की हिंसा के प्रति विशेषरुप से संवेदनशील हैं। यह हालत तो हाल ही में दिनांक 16 दिसम्बर, 2012 को एक युवती के साथ दिल्ली में हुए बलात्कार के परिप्रेक्ष्य में पारित किए गए दांडिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 के बावजूद हैं। दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के लागू होने के बावजूद भी बहुत बड़ी संख्या में दहेज की मांग से संबंधित मृत्यु के मामले सामने आते हैं। यह सब हमारी मौजूदा दांडिक न्याय प्रणाली जो आज व्यापक रुप से हो रही लिंग आधारित हिंसा जैसी समस्या का समाधान करने में अक्षम साबित हो चुकी है, में आमूल–चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता को दर्शाता है। यह पुलिस प्राधिकारियों की और अधिक जवाबदेही की ओर भी इशारा करता है जो परम्परागत और रुढ़िवादी मानसिकता के कारण इस तरह के मामलों के प्रति उदासीन दिखाई देते हैं।

ऐसे मामलों में अधिकांशतः अंतिम निर्णय लिए जाने तक विधिक प्रक्रिया को बेवजह बहुत लंबा खीचा जाता है जिसके परिणामस्वरुप पीड़ित महिला बहुत अधिक प्रताड़ित होती है विशेषतः बलात्कार के मामलों में। कई बार तो उन्हें उनके समुदाय और यहां तक कि पुलिस द्वारा भी कानूनी सहायता लेने के लिए हतोत्साहित कर दिया जाता है। इस तरह की स्थिति में गलत कार्य करने वाले बिना किसी दंड के घूमते हैं और इससे महिलाओं की सुरक्षा पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त दोषसिद्धि की दर भी कम है। यह तथ्य एन0सी0आर0बी0 के आंकड़ों के संबंध में सरकार की अपनी स्वीकृति कि वर्ष 2012 में बलात्कार के मामलों में दोषसिद्धि की दर केवल 24 प्रतिशत है और दहेज मृत्यु के मामले में 32 प्रतिशत से कुछ अधिक है, से उजागर हुआ है। इस प्रकार के कई मामलों का सही तरीके से अभियोजन नहीं किया जाता है और न्यायालय के समक्ष अपर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं।

एन0सी0आर0बी0 आंकड़ों के आधार पर बारहवीं योजना दस्तावेज दर्शाता है कि वर्ष 2006 से 2010 के बीच महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में 29.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2005–06 की एन0एफ0एच0एस0 –3 सांख्यिकीय के अनुसार 15–43 वर्ष के बीच की एक तिहाई महिलाओं ने शारीरिक हिंसा का अनुभव किया है और 10 में से 1 महिला यौन हिंसा की पीड़ित है। कम उम्र में की गई शादी भी महिला को घरेलू हिंसा के प्रति संवेदनशील बनाती है।

वर्ष 1997 में विशाखा बनाम राजस्थान सरकार के बीच चले एक मशहूर मामले में उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के बावजूद वर्ष 2013 के दौरान महिलाओं के प्रति यौन शोषण के ण्कुल 288 मामले तथा सरकारी कार्यालयों में कार्यस्थल में महिलाओं के यौन शोषण के 59 मामले दर्ज किए गए।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन प्रभावी नहीं है जिसके चलते बलात्कार, जैसे गंभीर अपराध करने वाले दोषियों को भी दंड नहीं मिल पाता है। इन समुदायों की महिलाओं के साथ निर्वस्त्र करने, निर्वस्त्र करके घुमाने तथा जाति संबंधी अन्य दुर्वयव्हार आम बात हैं। वृद्ध महिलाओं और अक्षम महिलाओं जैसी अन्य संवेदनशील महिलाओं को और अधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। सिर पर मैला ढोने की प्रथा आज भी प्रचलित है और कई महिलाएं इस कार्य में शामिल हैं।

सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना जैसी पहल के बावजूद भी यौन शोषण और अवैध श्रम के लिए महिलाओं और लड़कियों का अवैध व्यापार अभी भी जारी है।

मानव अधिकारों के समर्थकों विशेषतः महिलाओं की सुरक्षा, चिन्ता का एक और विषय है। इन्हें झूठे मामलों में फंसाने और विधिविरुद्ध गिरफ़्तारी सहित अलग प्रकार की प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ता है।

सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम, जम्मू एवं कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों में लागू है और यह अधिनियम कुछ ऐसे छूट देता है जिसके परिणामस्वरुप महिलाओं के अधिकारों सहित मानव अधिकारों का भी उल्लंघन होता है।

महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने की आवश्यकता है ताकि संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए एक–तिहाई सीटें आरक्षित हो सकें। सही मायने में इस क्षेत्र में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है क्योंकि इस प्रकार के साक्ष्यों की कमी नहीं है जो यह दर्शाते हैं कि प्रतिनिधियों द्वारा चुनी गई दलित महिला को अपने अधिकारों की सुलभता के लिए और समुदाय के अंदर एक नेता के रुप में अपनी भूमिका निभाने के लिए बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

हर 1,00,000 जीवित बच्चे के जन्म पर 212 मातृत्व मृत्यु दर, दयनीय मातृत्व स्वास्थ्य की स्थिति को दर्शाता है। एन0एफ0एच0एस0–3 के अनुसार वर्ष 2005–06 में 15–49 वर्ष के आयुवर्ग में रक्तअल्पता 55.3 प्रतिशत थी। मातृत्व मृत्यु दर को कम करने के लिए वर्ष 2005 से जननी सुरक्षा योजना जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन के बावजूद वर्ष 2009 में अस्पतालों में होने वाले प्रसव का स्तर 73 प्रतिशत था जिसमें और सुधार की आवश्यकता है।

नवजात शिशु मृत्यु दर जो कि लड़कों के 46 की तुलना में लड़कियों में 49 है के साथ–साथ पांच वर्ष से कम वर्ष के आयुवर्ग में 1000 नवजात शिशुओं के जन्म पर लड़कियों के 64 प्रतिशत मातृत्व मृत्यु दर के मुकाबले लड़कों के 55 प्रतिशत को बढ़ाने की आवश्यकता है।

वर्ष 2003 में यथासंशोधित प्रसव पूर्व तथा प्री–नॅटल डायग्नॉस्टिक टेक्नीक (प्रोहिब्शीन ऑफ सैक्स सेलेक्शन) एक्ट, 1994, प्रसव से पहले लिंग पहचान करने के लिए नैदानिक तकनीकों के प्रयोग को प्रतिबंधित करता है। किन्तु नैदानिक तकनीकों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। जिसके परिणामस्वरुप समग्र जनसंख्या में वर्ष 2001 के 933 के मुकाबले वर्ष 2011 में 940 का अनुपात हो गया है। बाल लिंगानुपात (0–6 वर्ष) में वर्ष 2001 के 972/1000 की तुलना मे वर्ष 2011 में 914/1000 अर्थात 13 प्वाईंट्स की कमी आई।

भारत में आज भी बड़ी संख्या में बाल विवाह होना जारी है जबकि इसे रोकने के लिए विधिक एवं नीतिगत ढांचा मौजूद है। बड़े पैमाने पर गर्भनिरोधकों की आवश्यकता को पूरा न कर पाना, दम्पतियों द्वारा सुरक्षा में उदासीनता तथा असुरक्षित गर्भपात के साथ–साथ बंध्याकरण जैसी समस्याओं का समाधान करना आवश्यक है।

हालांकि वर्ष 2001 की जनगणना के मुकाबले वर्ष 2011 की जनगणना के बीच की अवधि में महिलाओं के बीच समग्र साक्षरता दर में 53.67 प्रतिशत से 65.46 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है फिर भी लिंग संबंधी 16.68 प्रतिशत के अंतर को पाटने की आवश्यकता है।

स्कूल शिक्षा में वर्ष 2010–11 में सीनियर सेकेण्डरी स्तर पर लड़कों के 42.2 प्रतिशत की तुलना में लड़कियों का अखिल भारतीय सकल भर्ती अनुपात 36.1 प्रतिशत था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों का सकल भर्ती अनुपात क्रमशः 36.1 प्रतिशत और 24.8 प्रतिशत था जबकि इन्ही समुदायों के लड़कों के संबंध में यह अनुपात 40.3 प्रतिशत और 37.7 प्रतिशत था जो लिंग संबंधी अंतर का सूचक है।

कई राज्यों में बड़ी संख्या में परिवारों में शौचालय की सुविधा के अभाव के कारण खुले में शौच किया जाता है जिसका विशेषतः महिलाओं एवं बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ग्रामीण इलाकों में खुले में शौच जाने से लड़कियों के साथ बलात्कार होने जैसी संभावना बढ़ जाती है, जैसा कि उत्तर प्रदेश के बदायूं में लड़कियों के साथ हुए बलात्कार के एक मामले में देखा गया है।

वर्ष 2015 तक सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य को पूरा करने के लक्ष्य की प्रगति धीमी है और विशेषतः मातृत्व मृत्यु के क्षेत्र में नए प्रयास करने की आवश्यकता है।

* * * * *

अनुलग्नक – 10

मानसिक स्वास्थ्य एवं मानव अधिकारों के संबंध में राष्ट्रीय कांफ्रेंस की सिफारिशें

1. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत मानसिक अस्पतालों में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के मानकों की मॉनीटरिंग करने और उनमें सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है और इसने इस अधिदेश का विस्तार करते हुए देश भर में अन्य मानसिक अस्पतालों तथा संस्थानों का सर्वेक्षण शामिल करना चाहिए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को 'मॉनीटरिंग' का प्रयोग मानसिक रुप से पीड़ित व्यक्तियों के मानव अधिकारों में सुधार तथा संवर्धन के एक उपकरण के रुप में करते हुए सुविधा प्रदान करने वाले तथा एक संरक्षक के रुप में अपनी भूमिका निभाना जारी रखना चाहिए।

2. अस्पतालों से समुदाय आधारित देखभाल की ओर एक आदर्श पविर्तन, जो वर्ष 1982 में शुरु किए गए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का भी मूल आधार भी था और इसके तहत वर्ष 1996 में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरु किया गया था, जिसके तहत गंभीर मनोरोग या गंभीर अवसाद से पीड़ितों सहित बहुत बड़ी संख्या में मरीजों को मानसिक अस्पतालों जहां गैर–सामाजिककरण एक अपरिहार्य बाधा है, की अपेक्षा जनरल हॉस्पिटल साईकिऐट्रिक यूनिटों में सुरक्षित रुप से ठीक किया जा सकता है। इनमें से कई साईकिएट्री ओ0पी0डी0 सेवाएं भी ले सकते हैं। इसके लिए मानसिक स्वास्थ्य के साथ–साथ सामान्य स्वास्थ्य को एकीकृत करने और सभी मेडिकल कॉलेजों/जिला अस्पतालों में जनरल हॉस्पिटल साईकिऐट्रिक यूनिटों की स्थापना करने, और मनोरोगी अंतःरोगी/बाह्य रोगी को समुदाय में ले जाने के लिए देश के सभी जिलों में डी0एम0एच0पी0 का समुचित कार्यान्वयन की आवश्यकता है। इससे स्थायी एवं पुरानी तथा परिवारों द्वारा परित्यक्त किए जाने की समस्याएं भी दूर हो जाएंगी।

3. मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं पर अधिक बल देना, यह सिफारिश की गई कि बड़े अभिरक्षण मानसिक अस्पतालों को दोबारा से बनाया/नवीनीकरण किया जाना चाहिए ताकि उनका वातावरण मनोहर और रमणीय बने। व्यक्तिगत कोठरी वाले भवनों को ब्लॉक्स या डॉर्मिटोरि में परिवर्तित किया जाना चाहिए। पूरे परिसर में मानसिक रुप से पीड़ितों के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाओं की उपलब्धता होनी चाहिए ताकि मरीज स्वतंत्रता से कहीं भी घूम सके। इस तरह के परिवर्तन में संकटकालीन सहयोग के प्रावधान के साथ–साथ स्वास्थ्य कर्मियों और समुदाय स्तर पर पुनर्वास सेवाओं की भी आवश्यकता होती है। अन्य विभिन्न प्रकार की अपेक्षित सुविधाओं में डे केयर सेंटर, हॉफ वे होम्स, लॉग स्टे होम्स, डि–एडिक्शन सेंटर्स तथा आत्महत्या निवारण केन्द्र शामिल हैं। इन सभी सुविधाओं को सबसे पहले जिला स्तर पर और धीरे–धीरे तालुक स्तर पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

4. मानसिक रुप से बीमार आश्रयहीन लोगों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल शुरु करने की आवश्यकता। ऐसा करने का सबसे पहला तरीका समुदाय में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों तथा सिविल समाज के संगठनों के साथ नेटवर्किंग और संपर्क स्थापित करके कार्य करना हो सकता है।

5. देश भर के मानसिक स्वास्थ्य अस्पतालों/संस्थानों में रिक्त पड़े सभी पदों को वरीयता आधार पर भरे जाने की आवश्यकता है। कुछ मानसिक रोग अस्पतालों में उनके स्थायी रोस्टर पर एक भी मनोरोगचिकित्सक नहीं है। हालांकि मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने अंडरग्रेजुएट स्तर पर मनोचिकित्सा पाठयक्रम शुरु कर दिया है और वर्ष

2013–14 के दौरान एम0डी0 (साईकिएट्री) में सीटों की संख्या भी बढ़ा दी है फिर भी मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में पर्याप्त मानवशक्ति विशेषतः मनोरोग चिकित्सकों, क्लीनीकल साईकोलॉजिस्ट, अनेस्थेटिस्ट, साईकिएट्रिक सोशल वर्कर तथा साईकिएट्रिक नर्स की मांग को पूरा करने के लिए उन्हें अपने प्रयासों में और बढ़ोतरी करनी होगी। ऐसा करने से देश में मानसिक रोग स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में प्रशिक्षित पेशेवरों एवं पैरा–प्रोफेशनलों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी।

6. मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा आपूर्ति प्रणाली में पर्याप्त एवं प्रशिक्षित मानवशक्ति विकसित न होना एक अन्य सबसे महत्वपूर्ण खामी है। हालांकि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में पोस्ट ग्रेजुएट प्रशिक्षण देने वाले अस्पतालों/संस्थानों की संख्या में आंशिक रुप से सुधार हुआ है लेकिन अधिकांश अस्पताल/संस्थानों में अभी भी मानसिक स्वास्थ्य संबंधित किसी भी विषय में पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर कोई कोर्स/ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की ऐसी कमी का समाधान करने की आवश्यकता है। इसके साथ–साथ इन क्षेत्रों में मूलभूत एवं प्रायोगिक अनुसंधान करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के उपायों से सामान्य डॉक्टर, साईकोलॉजिस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता, नर्स तथा मानसिक रुप से बीमार लोगों की देखभाल करने हेतु आवश्यक कौशल प्राप्त करने के लिए अन्य प्रकार के स्वास्थ्यकर्मी/पैरा प्रोफेशनल तैयार होंगे।

7. डॉक्टरों/पैरा मेडिकल स्टॉफ के लिए मेडिकल कोर्स विकसित करने की आवश्यकता है जिसमें पाठ्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल घटक शामिल हों। इससे मानसिक स्वास्थ्य देखभाल संबंधी आवश्यक कौशल में सामान्य स्वास्थ्य कार्मिक को प्रशिक्षित करने में मदद मिलेगी। इस प्रकार का प्रशिक्षण मानसिक विकारों के प्रबंधन में उपलब्ध ज्ञान के सर्वोत्तम उपयोग को सुनिश्चित करेगा और उन्हे सफल परिणाम देने में सक्षम बनाएगा।

8. यह सिफारिश की गई कि मानसिक रुप से बीमार व्यक्तियों के परिवारों के लिए एक यथोचित ट्रेनिंग मॉड्यूल विकसित किया जाए क्योंकि परिवार प्राथमिक देखभाला प्रदाता होते हैं। उन्हें मानसिक विकारों के बारे में जानकारी देने के अलावा उस मॉड्यूल में मानसिक रुप से बीमार व्यक्तियों की देखभाल के लिए जरुरी कौशल पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, मॉड्यूल में औषधि अनुपालन, नियमित परीक्षण, सकारात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करना, नकारात्मक संकेतों पर निगाह रखना, पुनरावर्तन के शुरुआती संकेतों की पहचान, आवश्यकता पड़ने पर अल्पकालिक आराम सहित संकट का तीव्र समाधान आदि जैसी जानकारी को शामिल किया जाना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों द्वारा परिवार के सदस्यों के लिए तालुक एवं जिला स्तर पर इस प्रकार का प्रशिक्षण आयोजित किया जाना चाहिए।

9. मनसिक स्वास्थ्य देखभाल के सभी स्तरों अर्थात पी0एच0सी0, तालुक, जिला एवं राज्य स्तरों पर नई एवं आवश्यक औषधियों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इन औषधियों को भी आवश्यक औषधियों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए और मरीजों को निःशुल्क दी जानी चाहिए क्योंकि कुशल पेशेवरों की अनुपलब्धता और साईको–सोशल हस्तक्षेप के अभाव में अकसर वे ही सबसे पहला उपचार उपलब्ध कराते हैं।

10. मानसिक रुप से बीमार व्यक्ति के समग्र कल्याण के लिए साईकिएट्री, सामाजिक कार्य, न्यूरोबॉयोलॉजी, आयुर्वेद, योग सहित विभिन्न विषयों की अभिसारिता के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में एक बहु–विषयक दृष्टिकोण को अपनाने एवं सवंर्धित करने की आवश्यकता है।

11. लोगों को आम मानसिक विकारों, मानसिक बीमारियों, उपलब्ध उपचारों, स्वास्थ्य लाभ तथा मानसिक विकारों से पीड़ित लोगों के मानव अधिकारों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लक्ष्य

सहित स्थानीय भाषा में मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में लोक शिक्षा तथा जागरुकता अभियान चलाने की बहुत आवश्यकता है। सुनियोजित लोक जागरुकता तथा शिक्षा अभियान इससे संबंधित कलंक और भेदभाव को कम कर सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रयोग में बढ़ोतरी कर सकते हैं और मानसिक स्वास्थ्य एवं सामान्य स्वास्थ्य देखभाल की शाखाओं को एक दूसरे के करीब ला सकते हैं। कॉलेज जाने वाली जनसंख्या को ऐसे कार्यक्रमों का लक्ष्य बनाया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए स्थानीय एवं लोक मीडिया, प्रिंट मीडिया तथा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए।

12. सभी प्रस्तावित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित पूर्ण विकसित विभागों को स्थापित करने और बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में निमहंस (एन0आई0एम0एच0ए0एन0एस0) जैसे संस्थान स्थापित करने की आवश्यकता है। इससे साईकॉलॉजी मेडिसिन की सभी शाखाओं में डॉक्टरों की अंडर ग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए सुविधाओं का विकास, मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहन, और जिस क्षेत्र में संस्थान अवस्थित है उस क्षेत्र के लिए मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के आयोजन में भागीदारी सुनिश्चित होगी।

13. सुनिश्चित किया जाए कि कारावासों तथा सुधारगृहों, संस्थानों में मानसिक स्वास्थय देखभाल के न्यूनतम मापदंडों का अनुपालन हो और मानसिक रुप से बीमार व्यक्तियों से संबंधित कानूनों की नियमित रुप से पुनरीक्षा की जाए ताकि उन्हें संयुक्त राष्ट्र चार्टर और भारतीय संविधान के उपबंधों के अनुसरण में अधिकार संवेदनशील बनाया जाए और उन्हें सामाजिक परिवर्तन/आवश्यकता की तर्ज पर लाया जाए।

14. सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल कार्मिको को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के बारे में जानकारी देते हुए उनके ज्ञान आधार का विस्तार करने की आवश्यकता है। यह मानसिक विकार के लक्षणों की प्रारंभिक पहचान और रैफरल के माध्यम से इलाज को सुनिश्चित करेगा।

15. देश में मानसिक बीमारी के बारे में जानकारी/डाटाबेस का अभाव होने के कारण यह सिफारिश की गई कि निमहन्स को गंभीरता से एक मेटल इलनैस मोरबिडिटी इंडैक्स विकसित करना चाहिए।

16. प्रस्तावित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति में प्राईमरी स्तर तक मानसिक स्वास्थ्य देखभाल संबंधी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करना, अंडरग्रेजुएट तथा पोस्टग्रेजुएट दोनों स्तरों पर मेडिकल कॉलेजों में साईकिएट्रिक ट्रेनिंग के ढांचे को मजबूत बनाना, मानसिक रोग अस्पतालों का आधुनिकीकरण करना ताकि उन्हें उत्कृष्टता के केन्द्रों के रुप में परिवर्तित किया जा सके, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाता प्रणाली की प्रभावी मॉनीटरिंग, विनियमन एवं आयोजना के लिए केन्द्रीय एवं राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकारियों का सशक्तिकरण करना और बेहतर एवं किफायती चिकित्सा संबंधी हस्तक्षेप विकसित करने के लिए सीमांत क्षेत्रों में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना तथा भावी योजना के लिए मौलिक इनपुट्स का सृजन के कार्य को गति प्रदान करना शामिल है।

17. देश के प्रत्येक जिले में क्लस्टर्स की पहचान करने और उन्हें एक नोडल ऑफिसर को सौंपने के प्रयास किए जाने चाहिए। इन अधिकारियों को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में तीन महीने की अवधि का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और इन अधिकारियों को अन्य स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं जैसे कि सामुदायिक स्वास्थ्य कार्मिक, एन0जी0ओ0, पुलिस कार्मिक, नर्सों, जनरल प्रैक्टीशनर्स आदि को भी प्रशिक्षित करना चाहिए।

18. मानसिक रुप से बीमार व्यक्तियों के मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सभी मामलों को रजिस्टर किया जाना चाहिए और संबंधित एजेंसियों द्वारा यथोचित विचार किया जाना चाहिए। जहां कहीं भी जांच में मानव अधिकारों के उल्लंघन का या मानव अधिकारों के उल्लंघन के निवारण में असावधानी या इसे बढ़ावा देने में किसी लोक सेवक का हाथ पाया जाता है तो पीड़ित या उसके परिवार के सदस्यों को यथोचित मुआवजा या हर्जाना दिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई भी की जाएगी।

19. मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में अन्य पणधारियों जैसे कि न्यायिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, स्वास्थ्य अधिकारियों, मीडिया कार्मिकों, गैर सरकारी संगठनों आदि को भी सुग्राही बनाने की आवश्यकता है।

20. केन्द्र एवं राज्य सरकारों को मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समग्र बजट को बढ़ाने की आवश्यकता है। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के भाग के रुप में कॉरपोरेट सैक्टर को भी मानसिक स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सी0एस0आर0 फंड में योगदान किए जाने की आवश्यकता है।

21. स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत मानसिक स्वास्थ्य को शामिल किए जाने की आवश्यकता है। बीमा के क्षेत्र में मानसिक रुप से बीमार लोगों पर लगाई गई सीमाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

22. चौबीस घंटे समर्पित मानसिक स्वास्थ्य हैल्पलाईन की भी आवश्यकता है। इस हैल्पलाईन द्वारा साईको–सोशल सहयोग, मानसिक स्वास्थ्य स्रोतों के बारे मे जानकारी, आपात प्रबंधन, निवारणात्मक सेवाओं तक पहुंच, मानसिक रुप से बीमार व्यक्ति के मानव अधिकारों के उल्लंघन संबंधी शिकायतों को दर्ज कराने और मेडिको–लीगल मुद्दों पर सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है।

23. संवेदनशील समूहों जैसे कि बच्चे, महिलाएं, घरेलू हिंसा से पीड़ित वृद्धों को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में वरीयता दी जानी चाहिए। इसी प्रकार बलात्कार, कौटुम्बिक व्यभिचार तथा यौन दुर्व्यवहार से पीड़ित महिलाओं तथा लड़कियों को विशेष देखभाल उपलब्ध कराई जानी चाहिए और उनके मामलों को ''फास्ट ट्रेक न्यायालयों'' को सौंपा जाना चाहिए और मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए विशेष रुप से प्रशिक्षित न्यायिक अधिकारियों द्वारा इनका निपटान किया जाना चाहिए।

* * * * *

वित्त वर्ष के दौरान आयोजित किए गए प्रशिक्षण 15-2014कार्यक्रमों की स्थिति

क्र.सं.	संस्थानसंगठन/ का नाम	आयोजित किए गए कार्यक्रमों की संख्या	स्थान	कार्यक्रम की तारीख एवं प्रतिभागियों की संख्या
1.	**केरल उच्च न्यायालय एडवोकेट संगठन,** कोच्चि	**एक,** "केरल में मानव तस्करी : ना या हकीकतकल्प" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (दिवसीय-दो)	के .ए.सी.एच. एसोसिएशन हॉल, प्रथम तल, उच्च न्यायालय भवन, कोच्चि	13-12 जुलाई, 2014 प्रतिभागी 100
2.	**सत्यभामा विश्वविद्यालय,** जेपियर नगर, राजीव गांधी सालाई, चेन्नई 600—) 119तमिलनाडु (	**एक,** महिला अध्यापकों के लिए मानव अधिकारों पर आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम(दिवसीय-एक) **एक,** महिला अध्यापकों के लिए मानव अधिकारों पर आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम(दिवसीय-एक)	सत्यभामा विश्वविद्यालय प्रशासनिक ब्लॉक, आडिटोरियम, सत्यभामा विश्वविद्यालय	23 जनवरी,2015 मार्च 25, 2015
3.	**अन्नामालाई विश्वविद्यालय,** अन्नामालाई नगर, तमिलनाडु	**एक,** मानव अधिकारों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम(दिवसीय-एक)	लिब्रा हॉल, अन्नामालाई विश्वविद्यालय	11 अगस्त,2014 प्रतिभागी 100
4.	**राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ,** पटियाला, पंजाब	**एक,** मानव अधिकारों पर आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम (दिवसीय-एक)	यूनिवर्सिटी कैम्पस	22 नवम्बर, 2014 प्रतिभागी 239
5.	**वायरलैस सॉल्यूशन्स प्रा0लि 0,** कोच्चि	**चार,** "अपनी जीवन शैली बदलें और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं" विषय पर मानव अधिकार प्रशिक्षण जागरूकता कार्यक्रम-सह-(दिवसीय-एक) **दो,** प्रशिक्षणजागरूकता -सह-(दिवसीय-एक) कार्यक्रम	कोच्चि सेंट जार्ज स्कूल, कुबंलनगी, एर्णाकुलम सेंट पीटर हायर सेकेन्डरी स्कूल, कुबंलनगी,एर्णाकुलम	5 जुलाई, 2014 12 जुलाई,2014 19जुलाई, एवं 2014 जुलाई 26,2014 15, प्रतिभागी 000 जनवरी 25, 2015 फरवरी 1, 2015 14, प्रतिभागी 140

6.	**कालीकट विश्वविद्यालय का सेन्टर फॉर वीमैन्स स्टडीज़,** कालीकट विश्वविद्यालय, केरल	**एक,** मानव अधिकारों पर आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम (दिवसीय-एक)	ई एम एस सेमिनार कॉम्पलैक्स	30 अक्तूबर, 2014 प्रतिभागी 104
7.	**केरल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन**, गवर्नमेंट ब्वॉयज़ हाई स्कूल कैम्पस, कायमकुलम, केरल	**एक,** मानव अधिकारों पर आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम (दिवसीय-एक)	के.ई.टी.सी.यू., कायमकुलम	29 अक्तूबर, 2014 प्रतिभागी 159
8.	**आर्य कन्या डिग्री कॉलेज,** इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	**एक,** मानव अधिकारों पर आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम (दिवसीय-एक)	कॉलेज परिसर	01 नवम्बर, 2014 प्रतिभागी 100
9.	**कर्नाटक स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी**, हुबली, कनार्टक	**एक,** भारत में मानव अधिकारों का गतिविज्ञान और द्वंद्ववाद पर राष्ट्रीय सेमिनार (दिवसीय-एक)	के.एल.एस. यूनिवर्सिटी	31 अक्तूबर, 2014 प्रतिभागी 100
10.	**केरल डेवलपमेंट सोसायटी (केडीएस),** जनकपुरी, नई दिल्ली	**एक,** मानव अधिकारों पर आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम (दिवसीय-एक)	मारथोमा चाइल्ड डेवलपमेंट सेन्टर, ए11-, मन्दिर मोहल्ला, समयपुर, दिल्ली	11 अक्तूबर, 2014 प्रतिभागी 121
11.	**वी.के. कृष्णामेनन स्टडी सेन्टर फॉर इंटरनेशनल रिलेशन्स, यूनिवर्सिटी ऑफ केरल,** तिरुवनन्तपुरम	**एक,** भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन पर आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम(दिवसीय-एक)	वी.एम.के.के. स्टडी सेन्टर	21 मई,2014 प्रतिभागी 100
12.	**कस्तूरबाई कॉलेज ऑफ एजूकेशन,** शोलापुर, महाराष्ट्र	**एक,** मानव अधिकारों पर आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम (दिवसीय-एक)	कॉलेज परिसर	13 जुलाई, 2014 प्रतिभागी 120
13.	**गुड न्यूज़ वेलफेयर सोसायटी आर्ट एंड कामर्स फर्स्ट ग्रेड कॉलेज,** धारवाड़, कर्नाटक	**एक,** मानव अधिकारों पर आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम (दिवसीय-एक)	कॉलेज आडिटोरियम	26 सितम्बर,2014 प्रतिभागी 100

14.	**केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल** (.एफ.एस.आई.सी), साकेत, नई दिल्ली	**एक,** मानव अधिकारों पर एडवांस लेवल प्रशिक्षण कार्यक्रम **-उत्तरी क्षेत्र**(दिवसीय-दो) **एक,** मानव अधिकारों पर एडवांस लेवल प्रशिक्षण कार्यक्रम **-पश्चिमी क्षेत्र**(दिवसीय-दो) **एक,** मानव अधिकारों पर एडवांस लेवल प्रशिक्षण कार्यक्रम **-पूर्वी क्षेत्र**(दिवसीय-दो) **एक,** मानव अधिकारों पर एडवांस लेवल प्रशिक्षण कार्यक्रम **–दक्षिणी क्षेत्र**(दिवसीय-दो)	कांफ्रेंस हॉल, सीआईएसएफ कैम्पस, साकेत, नई दिल्ली आईजी का कार्यालय., सीआईएसएफ काम्पलैक्स सेक्टर35-, नवीं मुम्बई छोटा नागपुर, लॉ कॉलेज, रांची आडिटोरियम, सीपीडब्ल्यूडी, राजाजी भवन, बसन्त नगर, चेन्नई	5-4 अगस्त,2014 प्रतिभागी 42 12-11 अगस्त,2014 प्रतिभागी 30 12-11 अगस्त,2014 प्रतिभागी 50 06-05 अगस्त,2014 प्रतिभागी 46
15.	**एकेडमी ऑफ परिज़न्स एंड कोरेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन (.ए.सी.पी.ए)** थोरापाड़ी, वेल्लौर-632002तमिलनाडु	**एक,** मानव अधिकारों पर एडवांस लेवल प्रशिक्षण कार्यक्रम (दिवसीय-दो)	ए.ए.सी.पी., वेल्लौर	28-27 नवम्बर,2014 प्रतिभागी 59
16.	**जैन विश्वभारती संस्थान,** नागौर, राजस्थान	मानव अधिकारों पर **एकदिवसीय-** आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम	कांफ्रेंस हॉल	31 जनवरी,2015 प्रतिभागी 105
17.	**ह्यूमन राईट्स फ्रंट,** भुवनेश्वर, उड़ीसा	**दो,** मानव अधिकारों पर आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम(दिवसीय-एक)	भुवनेश्वर कलिंग	8दिसम्बर,2014 प्रतिभागी 118 15दिसम्बर,2014 98प्रतिभागी
18.	**रीचआऊट फाऊंडेशन** एसगार्डन.सी., बंगलौर, कर्नाटक	मानव अधिकारों पर **एकदिवसीय-** आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम	आई आई सी, नई दिल्ली	6दिसम्बर,2014
19.	**पेरियार ई वी आर कॉलेज,**तिरुचिरापल्ली	मानव अधिकारों पर **एकदिवसीय-** आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम	कॉलेज आडिटोरियम	10दिसम्बर,2014

	तमिलनाडु			प्रतिभागी 100
20.	**भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए)** कानपुर शाखा, कानपुर उ .प्र.	मानव अधिकारों पर **एकदिवसीय-** प्रशिक्षण कार्यक्रम	जुहारी देवी गर्ल्स पीकॉलेज .जी. आडिटोरियम कनाल रोड, कैन्ट, कानपुर	20 फरवरी,2015 प्रतिभागी 101
21.	**लॉ सेन्टर1-,** **फैकल्टी ऑफ लॉ** दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	**एक**, एनएचआरसी1-रलॉ सेन्ट -, नेशनल मूट कोर्ट कम्पीटीशन 2015- (तीन दिवसीय)	एलसी1-, फैकल्टी ऑफ लॉ, दिल्ली विश्वविद्यालय	22-20 फरवरी,2015 104प्रतिभागी
22.	**डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, विश्व भारती- (य यूनिवर्सिटीकेन्द्री)** शान्तिनिकेतन, बीरभूम, पश्चिम बंगाल	मानव अधिकारों पर **एकदिवसीय-** प्रशिक्षण कार्यक्रम	सेन्ट्रल हॉल लाईब्रेरी, विश्वभारती, शान्तिनिकेतन	4अगस्त,2014 प्रतिभागी 100
23.	**सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार**, पटना, बिहार	मानव अधिकारों पर **एकदिवसीय-** प्रशिक्षण कार्यक्रम	गया कैम्पस, सीयूबी, न्यू एरिया, बिसार, गया, बिहार	13 फरवरी,2015 प्रतिभागी 109
24.	**जवाहर लाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय** यरपोर्ट ब्ले (जेएनआरएम)	मानव अधिकारों पर **एकदिवसीय-** आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम	जेएनआरएम, पोर्ट ब्लेयर	13 फरवरी,2015 प्रतिभागी 100
25.	**द वैस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिक्ल साईसेज,** डॉडकर भवनअम्बे 0, सेक्टर III, साल्ट लेक, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	मानव अधिकारों पर **एकदिवसीय-** आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम	पश्चिम बंगाल, एन यू जे एस, कोलकाता	17 जनवरी,2015 प्रतिभागी 100
26.	**वैस्ट बंगाल ह्यूमन राईट्स कमीशन,** साल्ट लेक, कोलकाता	मानव अधिकारों पर **एकदिवसीय-** राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम मानव अधिकारों पर **एकदिवसीय-** जिला स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम	दुर्गापुर कूचबिहार	6 फरवरी, 2015 प्रतिभागी 100 फरवरी 13,2015 प्रतिभागी 147

27.	**श्री डीअग्रवाल .एच . आर्टस, श्री रंग अवधूत कामर्स, श्री सीशाह .सी. अग्रवाल .जी.एंड एम साईस कॉलेज**, नवापुर जिला, नन्दूरबार, महाराष्ट्र	मानव अधिकारों पर **एकदिवसीय-** आधारभूत प्रशिक्षण कायक्रम	कॉलेज का मल्टीपरपज़ हॉल	7 फरवरी,2015 प्रतिभागी 100
28.	**इथीराज कॉलेज फॉर वीमैन** (यत्तशासीस्वा) ईचेन्न	**दो,** मानव अधिकारों पर प्रशिक्षण कायक्रम(दिवसीय-एक)	लाईब्रेरी, कांफ्रेंस हॉल, इथीराज कॉलेज	27 एवं जनवरी 29, 2015 प्रतिभागी 200
29.	**महर्षि दयानन्द कॉलेज ऑफ एजूकेशन**, अबोहर, पंजाब	बच्चों के मानव अधिकारों पर **एक-दिवसीय** प्रशिक्षण कायक्रम	एम डी ई सी, अबोहर	28 फरवरी,2015 प्रतिभागी 182
30.	**बरेली कॉलेज,** बरेली, उत्तरप्रदेश	मानव अधिकारों पर **एकदिवसीय-** प्रशिक्षण कायक्रम	बरेली कॉलेज	09 जनवरी, 2015 प्रतिभागी 117
31.	**न्यू आर्ट्स कामर्स एंड साईस कॉलेज,** परनेर, अहमदनगर, महाराष्ट्र	मानव अधिकारों पर **एकदिवसीय-** आधारभूत प्रशिक्षण कायक्रम	एन ए सी एंड एस कॉलेज, परनेर	16 जनवरी, 2015 प्रतिभागी 102
32.	**महाराजा सायाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा**, फतेहगंज पोस्ट ऑफिस के सामने, वड़ोदरा, गुजरात	मानव अधिकारों पर **एकदिवसीय-** आधारभूत प्रशिक्षण कायक्रम	डॉ0 आई पटेल .जी. सेमिनार हॉल, फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क	10 जनवरी, 2015 प्रतिभागी 193
33.	**सेंट टेरेसा इंस्टीच्यूट ऑफ एजुकेशन**, एसरोड.वी., सान्ताक्रूज़, मुम्बई, महाराष्ट्र	मानव अधिकारों पर **एकदिवसीय-** आधारभूत प्रशिक्षण कायक्रम	इंस्टीच्यूट ऑफ एजुकेशन, सान्ताक्रूज़	20 दिसम्बर,2014 प्रतिभागी 100
34.	**डीकॉलेज.वी.ए. ऑफ एजुकेशन**, कॉलेज रोड, फाज़िल्का, पंजाब	महिलाओं के मानव अधिकारों पर **एकदिवसीय-** प्रशिक्षण कायक्रम	डीकॉलेज.वी.ए., फाज़िल्का	26 फरवरी,2015 प्रतिभागी 157
35.	**कैदमिलाथ-ए- गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमैन**	महिलाओं के अधिकारों, मानवीय जीवन और न्याय की तलाश पर	कैदमिलाथ-ए-, गवर्नमेंट कॉलेज	21 फरवरी,2015

	अन्ना (यत्तशासीस्वा) सालाई, चेन्नई	**एकदिवसीय-** सेमिनार		प्रतिभागी 242
36.	**सेंट ज़ेवियर कॉलेज** कोलकाता, पश्चिम बंगाल	मानव अधिकारों पर **एकदिवसीय-** आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम	सेंट ज़ेवियर कॉलेज	1 नवम्बर, 2014
37.	**स्वामी विवेकानन्द स्टेट पुलिस अकादमी**, बैरकपुर, कोलकाता	मानव अधिकारों पर **एकदिवसीय-** आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम	एस वी एस पी अकादमी	27 फरवरी,2015 प्रतिभागी 50
38.	**सीआरपीएफ निदेशालय** (प्रशिक्षण निदेशालय) ईस्ट ब्लॉक नं10 0, लेवल7-, आरपुरम.के., नई दिल्ली 110066-	**तीन,** मानव अधिकारों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम(दिवसीय-एक)	जीसीसीआरपीएफ-, गुवाहाटी(असम (कांफ्रेंस हॉल, वी आई पी क्लब, शंकर नगर,रायपुर(छत्तीसगढ़) आर टी सी, श्रीनगर (रकश्मी एवंजम्मू)	24 फरवरी,2015 18 फरवरी,2015 28 मार्च,2015
39.	**आईटीबीपी प्रशिक्षण केन्द्र,** करेरा, शिवपुरी, मध्य प्रदेश	मानव अधिकारों पर **एकदिवसीय-** आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम	करेरा, शिवपुरी	23 मार्च,2015 प्रतिभागी 50
40.	**आईटीबीपी प्रशिक्षण केन्द्र,** पापुमपारे, अरूणाचल प्रदेश	मानव अधिकारों पर **एकदिवसीय-** आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम	पापुमपारे	27 मार्च,2015 प्रतिभागी 50
41.	**आईटीबीपी प्रशिक्षण केन्द्र,** पदमाथुर, जिला शिवगंगई, तमिलनाडु	मानव अधिकारों पर **एकदिवसीय-** आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम	इल्लुपईकुड्डी शिवगंगई	25 मार्च,2015 प्रतिभागी 50
42.	**आईटीबीपी अकादमी,** मसूरी	**एक,** मानव अधिकारों पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम**-तीन) (दिवसीय**	मसूरी	27-25 मार्च,2015 प्रतिभागी 60
43.	**आईटीबीपी प्रशिक्षण केन्द्र,** भानु, हरियाणा	**दो**, आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम **(दिवसीय-एक)** और **एक,** मानव अधिकारों पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम **(दिवसीय-तीन)**	भानु, हरियाणा	19 मार्च,2015 मार्च 20,2015 प्रतिभागी 118 और मार्च 18-16, 2015 50 प्रतिभागी

44.	**पिल्लई कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च**, चेम्बूर नाका, मुम्बई	**दो**, मानव अधिकारों पर आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम **(दिवसीय-एक)**	टी आई एस एस आडिटोरियम, देवनार	18 एवं मार्च 19, 2015 प्रतिभागी 200
45.	**भक्तवत्सलम मेमोरियल कॉलेज फॉर वीमैन**, नं 0 14,टवीं स्ट्री31 , पेरियार नगर, कोरात्तूर, चेन्नई	महिलाओं और बच्चों के मानव अधिकारों पर **एकदिवसीय-** प्रशिक्षण कार्यक्रम	कॉलेज परिसर	13 मार्च,2015 प्रतिभागी 100
46.	**नेताजी सुभाष महाविद्यालय,**उदयपुर गोमती (त्रिपुरा) 120 799-	**एक,** आज़ादी के बाद भारत में मानव अधिकारद वे फारवर्ड विषय : -एक) पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (दिवसीय	संस्थान परिसर	22 अगस्त,2014 प्रतिभागी 100
47.	**टी माधव.के.मेमोरियल कॉलेज**,नन्गीयारकुलंगारा, अल्लापूझा	मानव अधिकारों पर **एकदिवसीय-** प्रशिक्षण कार्यक्रम	सेमिनार हॉल, टी .एम.के. कॉलेज .एम	20 मार्च,2015 प्रतिभागी 111
48.	**गवर्नमेंट पीकॉलेज .जी.**, लैंसडाउन, जयहरिखाल, पौड़ी गढ़वाल	मानव अधिकारों पर **एकदिवसीय-** प्रशिक्षण कार्यक्रम	जी. पीकॉलेज .जी., लैंसडाउन	20 मार्च,2015 प्रतिभागी 210
49.	**सी.बी. खेडगी का बसवेश्वर साईंस, राजा विजयसिंह कामर्स एवं राजा जयसिंह आर्ट्स कॉलेज**, अक्कलकोट, जिला शोलापुर	मानव अधिकारों पर **एकदिवसीय-** आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम	सीबीकेबीएसआरवीसी एवं आरजेए कॉलेज, अक्कलकोट	22 मार्च,2015 प्रतिभागी 142
50.	**क्वीन मेरी कॉलेज** मलयपुर (यत्तशासीस्वा), चेन्नई	महिलाओं के मानव अधिकारों पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	क्यू एम कॉलेज, मलयपुर	19 मार्च,2015 प्रतिभागी 131
51.	**हिन्दुस्तान कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साईंस**,राजीव गांधी सालाईरोड पडूर (ओएमआर), केलमबक्कम, चेन्नई—) 103 603तमिलनाडु (	मानव अधिकारों पर **एकदिवसीय-** प्रशिक्षण कार्यक्रम	एचसीए एंड एस, चेन्नई	25 मार्च,2015 प्रतिभागी 104

52.	**सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान**, एन8.एच., बंदरसिंदरी, किशनगढ़, अजमेर(.राज) 305801-	मानव अधिकारों पर **एकदिवसीय-** प्रशिक्षण कार्यक्रम	सी यू आर ए जे, राजस्थान	24 मार्च,2015
53.	**श्री नारायण कॉलेज**, एसपुरम.एन., पो .आ. (केरल) 582 688-चेरथला	मानव अधिकारों पर **एकदिवसीय-** प्रशिक्षण कार्यक्रम	सेमिनार हॉल	23 मार्च,2015 प्रतिभागी 100
54.	**एसआर्ट्स.एस. कॉलेज एवं टीसाईंस .पी. टच्यूइंस्टी,** संकेश्वर313 591—तालुकारीहुक्के : जिलाबेलगाम: (कर्नाटक)	सामाजिक सुरक्षा और महिलाओं के अधिकारों पर **एकदिवसीय-** प्रशिक्षण कार्यक्रम	संस्थान परिसर	18 मार्च,2015 प्रतिभागी 113
55.	**सीएआरआईटीएएस इंडिया,** सीबीसीआई सेन्टर, 1 अशोका प्लेस, नई दिल्ली001 110-	मानव अधिकार रक्षकों के लिए	रायपुर, छत्तीसगढ़	26 फरवरी,2015
56.	**डॉ0 एमजीआर जानकी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साईंस फॉर वीमैन** 13 एवं 11, दुर्गाबाई देशमुख रोड, चेन्नई 600-(तमिलनाडु) 028	महिलाओं के अधिकारों पर **एक-दिवसीय** प्रशिक्षण कार्यक्रम	कॉलेज परिसर	10 दिसम्बर,2014 से अधिक 200 प्रतिभागी
57.	**क्राईस्ट यूनिवर्सिटी,** हाउॅज़ रोड, बंगलौर 029 560-(कर्नाटक)	मानव अधिकारों पर **एकदिवसीय-** आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम	क्राईस्ट यूनिवर्सिटी	11 फरवरी,2015 प्रतिभागी 100

वर्ष : के दौरान अनुमोदित कार्यक्रमों की कुल संख्या 15-2014 92

आयोजित किए गए कार्यक्रम : (नसंस्था 57) 74

*****

उत्तरी सिक्किम जिले में मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता एवं मानव अधिकार कार्यक्रम के मूल्यांकन एवं प्रवर्तन की सुविधा

(25-29 जून 2014)

उपर्युक्त कार्यक्रम के सम्बन्ध में, दिनांक 25 से 29 जून, 2014 को उत्तरी सिक्किम के पिछड़े जिले का पुन: दौरा किया गया। दल का नेतृत्व राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य श्री एस.सी. सिन्हा ने किया। दल में शमिल अधिकारी - डॉ0 सविता भाखरी, संयुक्त निदेशक (अनुसन्धान); श्री सी.एस.मावड़ी,सहायक रजिस्ट्रार (विधि); श्री के.एच.सी. राव, पुलिस उप-अधीक्षक और सुश्री सोनाली हुडिया, अनुसन्धान परामर्शदात्री – थे।

इस दल ने सर्वप्रथम दिनांक 25 जून, 2014 अपराह्न को जिला क्लेक्टर और उत्तरी सिक्किम जिले तथा मन्गान स्थित इसके मुख्यालय से आए विभिन्न विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा मन्गान के जिला क्लेक्टर को जिन मुख्य बातों पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया वे निम्नलिखित हैं:

स्वास्थ्य

- मन्गान के जिला अस्पताल, पांच प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों, एक लघु प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र और 18 उप-केन्द्रों में उपलब्ध सुविधाओं की समग्र गुणता में सुधार करने की आवश्यकता है।

- जिला अस्पताल में कोई मनोरोग वार्ड नहीं है और न ही कोई मनाचिकित्सक है। गंगटोक के अस्पताल से एक मनोचिकित्सक महीनें में दो बार यहां आते हैं। इसी प्रकार, गंगटोक अस्पताल के ही एक चिकित्सा विशेषज्ञ और ई.एन.टी विशेषज्ञ हर शनिवार को मन्गान के जिला अस्पताल में आते हैं। पिछले वर्ष अर्थात 2013 में प्राप्त डिजिटल एक्स-रे मशीन को अभी तक इंस्टॉल नहीं किया गया है; इसे शीघ्र इंस्टॉल करके इस पर कार्य आरम्भ किया जाना चाहिए। खराब अल्ट्रासाउंड मशीन को बदलकर नई मशीन लाई जाए। खराब हो चुकी मोबाईल मैडीकल यूनिटों और एम्बुलेंसों को भी शीघ्र कार्यशील बनाए जाने अथवा बदले जाने की आवश्यकता है।

- यह जानकारी दी गई कि पेंटांग और सालिम में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सड़क मार्ग द्वारा नहीं पहुचा जा सकता और निवासियों को इन केन्द्रों तक पहुंचने के लिए पहाडी क्षेत्र से पैदल ही जाना पड़ता है, जिससे वृद्ध व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को काफी कठिनाई होती है।इस समस्या का एक समाधान तो यह हो सकता है कि स्वास्थ्य केन्द्र का स्टॉफ अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले गांवों का दौरा करे और बीमारों का उपचार गांव में ही करे। राज्य इस सुझाव पर विचार करे। पिछले वर्ष आए भूकम्प के दौरान लचांग में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.) को नुकसान पहुंचा था। इसके पुनर्निर्माण का कार्य शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार, पासिंगडोंग में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को संचालित करने के लिए एक डॉक्टर के क्वॉटर को उपयुक्त स्थान पर स्थानान्तित किए जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही, यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है कि सभी पांचों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक पूर्णकालिक डॉक्टर, महिला स्वास्थ्य विज़िटर और स्वास्थ्य कायकर्ता होना चाहिए।

मनरेगा

- जिले में मनरेगा का कार्यान्वयन काफी अच्छा है। तथापि, क्लेकटर द्वारा, 'बेराज़गारी भत्ते', जो फिलहाल नहीं दिया जा रहा, का भुगतान करने के मुद्दे का समाधान किए जाने की आवश्यकता है।

आईसीडीएस

- मन्गन जिले में स्थित सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषाहार, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच, निर्दिष्ट सेवाओं और प्री-स्कूली शिक्षा की दृष्टि से सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने की अत्यन्त आवश्यकता है क्येंकि इससे अधिक से अधिक बच्चे आंगनवाड़ी केन्द्रों में प्रवेश लेंगे।

- जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में बिजली और साफ पेयजल की व्यवस्था हो।

- यह अनिवार्यत: सुनिश्चित किया जाए कि बाल विकास परियोजना अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को कार्य करने का प्रशिक्षण और समय-समय पर पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जाए। उन्हें अन्य अभिमुखीकरण और कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सभी अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का निवर्हन प्रभावी रूप से करेंगे।

शिक्षा

- जिला प्रशासन द्वारा मन्गन जिले में चलाए जा रहे सभी स्कूलों में नियमित अध्यापको को भर्ती किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सभी नियमित अध्यापक भली-भांति प्रशिक्षत हों। ऐसा किए जाने तक, स्कूलों में अनुबंध के आधार पर कार्य कर रहे अध्यापकों बनाए रखा जाए, चाहे उन्हें समुचित प्रशिक्षण दिया जाना हो।

- सभी स्कूलों को बच्चों को वर्दियों के एक सेट की बजाए दो सेट दिए जाने चाहिएं।

- बेहत्तर साफ-सफाई और स्वच्छता प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी स्कूलों के लिए साबुन की नियमित आपूर्ति और/अथवा इसके लिए पर्याप्त बजटीय निधियों की व्यवस्था अनिवार्यत: सुनिश्चित की जानी चाहिए।

जनजातीय कल्याण

- जनजाजियों के उत्थान के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दिए जाने और कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रयोजनार्थ, मन्गन अथवा गंगटोक में किसी ऐसे संस्थान का पता लगाया जाना चाहिए जिसे जनजातियों को कृषि, बागवानी, कृषि-उद्योग, पशुपालन इत्यादि जैसे क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण की जिम्मेदारी सौंपी जा सके।

खाद्य

- जिला प्रशासन द्वारा आयोग को गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों शामिल करने और हटाने के मापदंडों से अवगत कराए जाने की आवश्यकता है। और चूंकि, गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों की पहचान पिछली बार सन् 2001 में की गई थी, अत: इस सम्बन्ध में ताजा सर्वेक्षण करने की आवश्यकता है।

पुलिस

- वर्तमान में मन्गान जिले को कोई कारागार नहीं है। अपराधियों को गंगटोक स्थित कारगार में भेजा जाता है। मन्गान में एक कारगार/उप-कारागार स्थापित करने की आवश्यकता है।

- जिला प्रशासन को यह निदेश दिया जाता है कि वह पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत दर्ज किए गए मामलों का विवरण, अन्य ब्यौरों जैसे जांच किए गए, अभियोग पत्र दाखिल किए गए और दोषसिद्ध मामलों सहित दे।

मन्गान में उचित दर की दुकानों का दौरा

जिले के अधिकारयों के साथ बैठक के उपरान्त दल के दो सदस्यों द्वारा मन्गान में बहुउद्देशीय सहकारी समिति द्वारा चलाई जा रही उचित दर की दुकानों का दौरा किया गया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के दो अधिकारियों द्वारा किए गए प्रेक्षणों के आधार पर निम्नलिखित सिफारिशें की गईं:

- मन्गान जिले के खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उचित दर की सभी दुकानों पर उनके नाम सहित विद्यमान स्टॉक का विवरण निर्धारित पटल पर मुख्य स्थान पर प्रदर्शित किया गया हो।

- दचित दर की सभी दुकानों द्वारा लाभार्थियों को आबंटित राशन का वितरण करने के उपरान्त उन्हें समुचित रसीदें दी जानी चाहिएं। इसके अतिरिक्त, उचित दर की दुकानों द्वारा, सम्बन्धित लाथार्थियों को एक बार राशन देने के उपरान्त, खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा यथानिर्देशित के अनुसार रखे जा रहे निर्धारित रजिस्टर में उनके प्रामाणिक हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान ले लिया जाना चाहिए। इसी प्रकार, उचित दर की प्रत्येक दुकान द्वारा खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा यथानिर्धारित रूप में स्टॉक रजिस्टर का रख-रखाव समुचित रूप से किया जाना चाहिए।

- खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा, वर्ष 2013-14 और अप्रैल से अक्तूबर, 2014 के दौरान उचित दर की दुकानों के किए गए औचक दौरों/मारे गए छापों की सही संख्या और मारे गए छापों के दौरान पाए गए अन्तर के सम्बन्ध में की गई कार्रवाई से आयोग को अवगत कराए जाने की आवश्यकता है।

दिनांक 26 जून को श्री एस.सी.सिन्हा के नेतृत्व वाला दल दो दलों – दल-I और दल-II, में बंट गया। दल- I के सदस्य डेज़ोंगु विधान सभा क्षेत्र के लिंगडोंग ब्लॉक में गए जहां उन्होंनें वहां के प्राथमिक स्वास्थ्य उप-केन्द्र, पंचायत घर, नरेगा परियोजना, पासिंगडोंग सह-शिक्षा सेकेन्डरी स्कूल और पासिंगडोंग प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का दौरा किया। दल-II के सदस्यों ने मन्गान के जिला अस्पताल, पेंटॉक आंगनवाड़ी केन्द्र और राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का दौरा किया।

दल-I द्वारा किए गए दौरे

लिंगडोंग प्राथमिक स्वास्थ्य उप-केन्द्र

- दौरे के दिन उप-केन्द्र बंद मिला क्योंकि दो महिला बहु-उद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण पर भेजा गया था। भविष्य में, प्रशिक्षण के लिए स्टॉफ की तैनाती इस प्रकार की जानी चाहिए कि इससे उप-केन्द्र के कार्यकरण में बाधा उत्पन्न न हो।

- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को एक पुरूष बहु-उद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सेवाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी कर्मचारी के सेवा-निवृत्त हो जाने के उपरान्त रिक्त हुए पद पर दौरे के दिन तक किसी भी व्यक्ति की तैनाती नहीं की गई थी।

- यह सुनिश्चित किया जाए कि लिंगडोंग उप-केन्द्र और मन्गन जिले के अन्य सभी उप-केन्द्रों में स्टॉफ के साथ-साथ दवाओं और पूरक आहार की अपेक्षित मात्रा होनी चाहिए।

पंचायत घर एवं नरेगा परियोजना

- दल के सदस्यों ने पंचायत घर में गांववासियों और लिंगडोंग पंचायत के पदाधिकारियों से विद्यमान में चल रही नरेगा परियोजना के बारे में बातचीत की। सभी गांववासी, कमोबेश रूप से, सन्तुष्ट थे कि उन्होंने विभिन्न नरेगा परियोजनाओं – सड़कों का निर्माण, पक्के घर, फुटपाथ और बागानों के लिए 100 दिन कार्य किया है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार मज़दूरी प्राप्त की है। तथापि, मौजूदा मंहगाई को देखते हुए उन्होंने कहा कि नरेगा के तहत उनकी मज़दूरी को 100 से बढा कर 150 किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि इससे बेरोज़गारी कम होगी। मामले को भारत सरकार के साथ उठाने के लिए, जिला क्लेक्टर द्वारा यह तथ्य राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग के ध्यान में लाए जाने की आवश्यकता है।

- दल के सदस्यों इलायची बागानों की नरेगा परियोजना को भी देखा क्योंकि गांव के अधिकांश लोग आजीविका के लिए इसी पर निर्भर हैं। पहले बागानों को परम्परागत तरीके से उगाया जाता था और समय के साथ-साथ इसके उत्पादन में भारी कमी आ गई। इस समय, नरेगा के तहत, गांववासियों को इलायची उगाने के नवीनतम आर्गेनिक तरीके सिखाए जा रहे हैं और उन्हें आशा है कि इसके साकारात्मक परिणाम होंगे। यह सुझाव दिया गया कि बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए, जिला प्रशासन को अन्य नरेगा परियोजनाओं के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की नवीनतम तकनीक अपनानी चाहिए।

पासिंगडोंग सह-शिक्षा सेकेन्डरी स्कूल

- स्कली छात्रों के लिए स्कूल में कम्प्यूटर प्रयोगशाला या कम्प्यूटर का अध्यापक नहीं है।सूचना प्राफद्योकिगी के इस युग में कम्प्यूटर एक आवश्यकता है। अत:, राज्य प्रशासन को जिले के सभी सेकेन्डरी/सीनियर सेकेन्डरी स्कूलों में कम्प्यूटर/कम्प्यूटर प्रयोगशालाएं उपलब्ध कराने का परामर्श दिया जाता है। वह सभी स्कूलों में एक या दो स्थायी कम्प्यूटर अध्यापकों की भर्ती करने का प्रावधान भी करे।
- स्कूल में गणित के अध्यापकों के दो स्वीकृत पद हैं। तथापि, स्थायी अध्यापकों की बजाए दोनों पदधारियों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया था। स्कूल में ड्राईंग का कोई अध्यापक नहीं था, ड्राईंग के अध्यापक और लाईब्रेरियन के पद के अनिवार्यत: प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त,जिला प्रशासन द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी स्कूलों में नियमित अध्यापक हों और प्रत्येक स्कूल में एक पुस्तकालय, एक नियमित लाईब्रेरियन और एक ड्राईग का अध्यापक हो।

- स्कूली बच्चों से चर्चा करने के दौरान उन्होंने बताया कि स्कूलों में मार्शल आर्ट्स, संगी और नृत्य जैसी अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियां होनी चाहिएं। यदि ऐसी गतिविधियों की व्यवस्था की जाए तो यह “बच्चों के हित में बेहतर” होगा।

- भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार स्कूलों में मिड-डे मील दिया जा रहा है। इस प्रयोजनार्थ दो कुकों की नियुक्ति की गई है। तथापि, मिड-डे मील पर स्कूल द्वारा किए गए खर्च की राशि की प्रतिपूर्ति करने में 4-6 महीने की देरी हो गई थी। खाद्यान्नों, दालों, सब्जियों, खाद्य तेलों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए, जिला प्राधिकारियों द्वारा, कुकों और सहायकों के वेतन में वृद्धि करने के अनुरोध सहित, बढ़ती हुई कीमतों को दृष्टिगत रखते हुए प्रति बच्चा, प्रति दिन दिए जाने वाले अनुदान में बढ़ोतरी करने के लिए केन्द्र सरकार को लिखा जाना चाहिए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा इस मुद्दे पर और एम डी एम एस के तहत दिए जाने वाले अनुदान को समय पर रिलीज़ करने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को अलग-से लिखा जाएगा।

पासिंगडोंग प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कोई एम्बुलेंस नहीं थी तथापि एक डॉक्टर कार्यरत था। पहुंच कार्यक्रम के आयोजन के लिए एक वाहन था किन्तु वह उपयुक्त कार्य करने की हालत में नहीं था। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कार्यरत डॉक्टर और अन्य पैरामैडिकल स्टॉफ अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए जाता था, जो बेहतर अवसर प्राप्त होने पर प्राय: वहां से नौकरी छोड़ देते थे। । इसके साथ ही, वहां पर कोई एक्स-रे मशीन या डेन्टिस्ट या डेन्टिस्ट की कुर्सी और सम्बन्धित उपकरण नहीं थे। आपातकालीन आधार पर दवाएं खरीदने का कोई प्रावधान नहीं था। जिला प्राधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और मन्गन के अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में तैनात किए जाने वाले डाक्टरों और अन्य पैरामैडिकल स्टॉफ को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (जिसे पहले एन.आर.एच.एम. के नाम से जाना जाता था) के तहत “दुर्गम क्षेत्र भत्ता)” दिया जाना चाहिए। यदि उत्तरी सिक्किम के मन्गन को पिछड़ा जिला होने के कारण विशेष दर्जा दे दिया जाए तो बेहतर होगा।.

- आवश्यकता पड़ने पर अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए गए डॉक्टरों और पैरामैडिकल स्टॉफ को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

दल- II द्वारा किए गए दौरे

जिला अस्पताल, मन्गान, उत्तरी सिक्किम जिला

प्रेक्षण

- देखने में आया कि दौरे वाले दिन जिला अस्पताल कमोबेश रूप से साफ था, तथापि अस्पताल के बेहतर रख-रखाव की आवश्यकता है।

- सरकार का एक प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम – राष्ट्रीयस्वास्थ्य बीमा योजना (आर एस बी वाई) - जिले में लागू नहीं है। राज्य इसके कारणों का पता लगाए और सुधारात्मक उपाय करे।

- दल ने पाया कि अस्पताल में फोलिक एसिड और आयरन की गोलियों सहित कुछेक दवाओं की समाप्ति तिथि भी बीत चुकी थी। यह अत्यधिक अनुचित है और इस बारे में सम्बन्धितों से स्पष्टीकरण अवश्य लिया जाना चाहिए।

- देखने में आया की बाह्य रोगी विभाग में पंखे नहीं थे। जिला चिकित्सा अधीक्षक, डॉ0 (सुश्री) रेग्गी दादुल ने बताया कि गर्मियों के दौरान काफी गर्मी और उमस हो जाती है और अस्पताल के बाह्य रोगी विभाग में कम से कम 8-10 पंखों की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई तत्काल की जाएगी।

- यह देखने में आया कि अस्पताल के डिस्प्ले पर जानकारी प्रदान करने वाले, नेपाली भाषा के चार चार्टों को छोड़कर, अधिकांश चार्ट अंग्रेजी में थे। यह महसूस किया गया कि अस्पताल में प्रदर्शित की जाने वाली जानकारी अनिवार्यत:, जिले के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा (भाषाओं) में होनी चाहिए ताकि अस्पताल में आने वालों को वह जानकारी आसानी से समझ आ सके। इस सम्बन्ध में तत्काल कार्रवाई की जाए।

- जिला अस्पताल के शिशुरोग विशेषज्ञ, डॉ0 डाईचेन ने बताया कि यहां बच्चों की लम्बाई को मापने के लिए एक स्टैपिडोमीटर की आवश्यकता है। इसे सुनिश्चित किया जाए।

- अस्पताल की नवजात बीमार ईकाई वर्तमान में अकार्यशील है। हालांकि, ईकाई को स्थापित करने के लिए स्थान की पहचान कर ली गई है किन्तु किसी प्रकार की अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। इस ईकाई को शीघ्र कार्यशील बनाया जाए।

- कुछेक रोगियों, जिनसे दल ने बातचीत की, ने बताया कि अस्पताल में काई लैंडलाईन टेलीफोन कनेक्शन नहीं है और न ही आपातकालीन नम्बर है। अधिकांश लोगों के पास एएनएम, नर्सों और डाक्टरों के व्यक्तिगत मोबाईल फोन नम्बर हैंऔर उनके माध्यम से ही वे एम्बुलेंस/आपातकालीन सेवाओं के लिए अनुरोध करते हैं। इस सम्बन्ध में सुधारात्मक कार्रवाई शीघ्र की जाए।

- अस्पताल का आप्रेशन थियेटर अकार्यशील है। यह जिले में स्वास्थ्य अवसंरचना की अत्यन्त दयनीय स्थिति को दर्शाता है। यदि आप्रेशन थियेटर को पहले कार्यशील नहीं बनाया गया हो, तो राज्य अनिवार्यत: यह सुनिश्चित करे कि आप्रेशन थियेटर दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 तक कार्यशील हो जाए।
- हालांकि,अस्पताल में एक खून भंडारण रूम है, तथापि, आवश्यक उपकरणों की कमी के कारण इसे कार्यशीन बनाया जाना अभी बाकी है।

- चतुर्थ श्रेणी का केवल एक ही नियमित कर्मचारी (सफाई कर्मचारी) है और दो कैजुअल वर्कर हैं जो अस्पताल के सफाई कार्य में लगे हुए हैं।

- अस्पताल के महिला वार्डों में सफाई करने के लिए चतुर्थ श्रेणी की कोई भी महिला कर्मचारी नहीं है।

- अस्पताल के शौचालय टूटे हुए और गन्दे हैं तथा फ्लश सिस्टम कार्य नहीं करता।

- हालांकि, अस्पताल द्वारा एक डिजिटल एक्स-रे मशीन खरीद ली गई है किन्तु अभी इसे स्थापित नहीं किया गया क्योंकि एक्स-रे की सुविधा को प्रथम तल से भू-तल पर स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। तथापि, मोबाईल मेडीकल यूनिट की एक्स-रे मशीन कार्यशील है और वर्तमान में अस्पताल द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है।

- अस्पताल में निम्नलिखित सुविधाएं नहीं हैं – (क) ईसीजी; (ख) सीटी स्कैन; (ग) ब्लड बैंक; (घ) ईएनटी विशेषज्ञ (ड़) आई स्पैशलिस्ट (च) मनोरोग विशेषज्ञ । ईएनटी विशेषज्ञ और आंख विशेषज्ञ प्रति शुक्रवार को तथा मनोरोग विशेषज्ञ महीने के प्रथम शुक्रवार को अस्पताल में आते हैं

- अस्पताल की रसोई आउसोर्सिंग के आधार पर एक निजी ठेकेदार (यन्की कैटरिंग, मन्गन) के साथ 151 रूपए प्रति व्यक्ति, प्रति दिन की दर से अनुबंध पर चल रही है। रसोई को साफ और उचित प्रकार से प्रबन्धित पाया गया। खाना, जो दल के एक सदस्य द्वारा चखा गया, अच्छी गुणता वाला था।

- एक रोगी ने बताया कि हालांकि अस्पताल में प्राय: दवाएं उपलब्ध होती हैं, किन्तु कभी-कभार कुछेक दवाएं उपलब्ध न होने के कारण रोगियों को वे दवाएं अस्पताल भवन के साथ लगते मेडीकल स्टोर (अस्पताल परिसर में) से खरीदनी पड़ती हैं। .

- जिला चिकित्सा अधीक्षक ने सूचित किया कि हालांकि राज्य सरकार ने सभी स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों और अस्पतालों में लड़कियों और महिलाओं को नि:शुल्क सेनेटरी नेपकिन्स उपलब्ध कराने के आदेश दिए हुए हैं, फिर भी सम्बन्धित विभाग द्वारा उनकी आपूर्ति जिला अस्पताल मन्गन को नहीं की जा रही।

- अस्पताल के कर्मचारियों में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के प्रति लापरवाही दिखाई दी। देखने में आया कि अस्पताल का दौरा करने वाले डाक्टरों की हाजिरी का काई रिकार्ड नहीं रखा जा रहा। पूछने पर जिला चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि चूंकि दौरा करने वाले डाक्टरों से यदि हाजिरी लगाने को कहा जाए तो वे बेईज्जती महसूस करते हैं, इसके लिए जिला अस्पताल द्वारा भी कोई दबाव नहीं डाला गया।

- देखने में आया कि जिला अस्पताल के विभिन्न वार्डों में प्रयोग की गई मैकिन्तोश शीटों पर धब्बे लगे हुए थे। जिला चिकित्सा अधीक्षक ने सूचित किया कि इन शीटों को नियमित रूप से पानी और साबुन से धोया जाता है और जीवाणुरहित करके पुन: उपयोग में लाया जाता है। हालांकि, ये शीटे आटोक्लेव योग्य हैं, जिला अस्पताल के पास आटोक्लेव मशीन नहीं है। जिला चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि मैकिन्तोश शीटों के लिए अनेक बार लिखित अनुरोध किए जाने के बावजूद भी सम्बन्धित विभाग द्वारा ये अस्पताल को उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।

- देखने में आया कि कुछ वार्ड साफ नहीं थे – वहां फर्श पर गन्दगी थी और कमरे में सीलन थी। यह भी देखनेमें आया कि किसी भी बेड पर बेडशीट नहीं थी। पूछने पर अधीक्षक ने बताया कि जब रोगियों को छुट्टी होती है तो वे बेडशीट को अपने साथ लेकर चले जाते हैं और इसलिए, अस्पताल ने रोगियों को बंडशीट उपलब्ध कराना बंद कर दिया है। जब दल द्वारा इंगित किया गया कि यह कारण संदेहास्पद लगता है और अस्पताल द्वारा ऐसी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिएं तो अधीक्षक ने पाला बदल लिया और कहा कि जिन रोगियों को भर्ती किया जाता है वे अस्पताल द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली बेडशीटों का इस्तेमाल न करके अपनी बेडशीटों का ही इस्तेमाल करते हैं।

- मोबाईल मेडीकल इकाईयां कार्यशील दिखाई दीं। जिला चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि जिला अस्पताल द्वारा, आपसी चिन्ता के मुद्दों पर चर्चा करने और मोबाईलमैडीकल यूनिटों द्वारा विभिन्न गावों में दौरा करने के चार्ट का वितरण करने के लिए, सी.एम.ओ., सभी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों और अस्पताल के क्षेत्राधिकार में आने वाले प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों के सभी चिकित्सा अधिकारियों और आशा कार्यकर्ताओं की मासिक बैठकों का आयोजन किया जाता है। बाद में सम्बन्धित मेडीकल स्टॉफ द्वारा यह जानकारी, ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए, पंचायत को दी जाती है। दल ने जून माह और पिछले माह के लिए सन्दर्भित चार्ट की प्रतियां देखीं।

- जिला अस्पताल मन्गन के 'किशोरावस्था परामर्शक' से बातचीत के दौरान यह तथ्य सामने आया कि पिछले कुछ महीनो में अस्पताल में किशोरावस्था (14-16 वर्ष की आयु की लड़कियां) में गर्भधारण के कुछेक मामले आए हैं। ऐसे ही एक मामले में 16 वर्ष की एक लड़की जो अपने साथी से गर्भवती हो गई थी, की शादी उसके स्थानीय समुदाय द्वारा उसी लड़के से करा दी गई। इसके अतिरिक्त, परामर्शक और जिला चिकित्सा अधीक्षक ने बताया

कि गांव के बड़े-बूढे लागों/स्थानीय समुदायों द्वारा लड़कियों की शादी 18 वर्ष से कम की आयु में ही कर दी जाती है।

- परामर्शक ने सूचित किया कि मामलों/किशोरावस्था में गर्भधारण करने वाली लड़कियों, विशेषकर ऐसी लड़कियों जो चिन्ता और अवसाद से ग्रस्त होती हैं, की संख्या में वृद्धि हुई है। जिले में, हाल ही के महीनों में आत्महत्या के तीन मामले (छठी कक्षा का एक लड़का और 16-17 वर्ष की दो लड़कियां) भी सामने आए हैं।

- परामर्शक और जिला चिकित्सा अधिकारी ने सूचित किया कि जिला अस्पताल में एक मनोरोग विशेषज्ञ (विशेषरूप से महिला मनोरोग विशेषज्ञ) की स्थायी तैनाती की अत्यन्त आवश्यकता है फिलहाल, अस्पताल में एक दौरा करने वाला मनोरोग विशेषज्ञ (पुरुष) है जो महीने में एक बार अस्पताल का दौरा करता है।
- परामर्शक और जिला चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि युवाओं के बीच नशे की बुराई में बढ़ातरी हो रही है। कुछेक विद्यार्थियों को भी उनके स्कूलों द्वारा जिला अस्पताल भेजा गया है; ये विद्यार्थी स्कूल के परिसर में गांजे का सेवन करते हुए पकड़े गए थे।

- जिला में अल्कोहल का उपयोग बढ़ने की भी जानकारी मिली थी। हालांकि प्रमुख समस्या उम्रदराज पुरूषों की है, फिर भी ऐसा विश्वास है कि युवावर्ग (पुरूष) भी इस समस्या से ग्रस्त हो जाएगा। अल्कोहल की आदत इतनी बढ़ चुकी है कि लम्बे समय तक अत्यधिक अल्कोहल के सेवन से मृत्यु की कई घटनाएं हो चुकी हैं।

सिफारिशें

- राज्य सरकार द्वारा राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को कार्यान्वित करने पर अनिवार्यत: विचार किया जाना चाहिए।

- जिला अस्पताल के बाह्य रोगी विभाग में पंखों की अपेक्षता को अनिवार्यत: पूरा किया जाना चाहिए और इन्हें सम्बन्धित विभाग द्वारा अस्पताल को शीघ्र उपलब्ध कराया जाए।

- अस्पताल में सूचना चार्ट और अन्य जानकारी, अंग्रेजी के अतिरिक्त, जिले के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा (भाषाओं) में भी लगाई जाए ताकि अस्पताल आने वाले लोग इसे आसानी से समझ सकें। .

- शिशु विभाग में स्टेपिडोमीटर की आवश्यकता के बारे में सम्बन्धित विभाग को अनिवार्यत: बताया जाए और ये निर्देश दिए जाएं कि इसे जिला अस्पताल, मन्गान के शिशु विभाग को तत्काल उपलब्ध कराया जाए।

- अस्पताल में आप्रेशन थियेटर, एक्स-रे खंड, नवजात बीमार यूनिट और ब्लड स्टोरेज रूम की व्यवस्था अपेक्षित उपकरणों सहित की जाए, ताकि उन्हें शीघ्र कार्यशील बनाया जा सके।

- जिला प्रशासन द्वारा अस्पताल में एक लैंडलाईन टेलीफोन कनेक्शन अनिवार्य रूप से दिलवाया जाए ताकि रोगी अस्पताल के स्टॉफ से सपर्क करने में सक्षम हो सकें। इसके अतिरिक्त, वहां एक समर्पित "आपातकालीन/हेल्पलाइन" नम्बर होना चाहिए, जिस लोग एम्बुलेंस/ /आपातकालीन सेवाओं के लिए फोन कर सकें। इन नम्बरों का स्थानीय मीडिया के जरिए व्यापक से प्रचार किया जाना चाहिए और इसे जिला अस्पताल की मोबाइल मैडीकल वैनों/एम्बुलेंसों तथा प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

- जिलाचिकित्सा अधीक्षक और किशोरावस्था परामर्शक जिला अस्पताल, मन्गान द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार जिला अस्पताल में एक मनोरोग विशेषज्ञ (मुख्य रूप से महिला) की स्थायी तैनाती करतेहुए नियक्त करने सहित जिला अस्पताल के स्टॉफ के रिक्त पदों को अनिवार्य रूप से भरा जाए इनमें वह पद भी शामिल हैं जिनके लिए फिलहाल अस्पताल विजिटिंग सेवाएं प्राप्त कर रहा है।

- राज्य सरकार के आदेशानुसार सम्बन्धित विभाग द्वारा यह अनिवार्यत: सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी स्वास्थ्य देख-रेख कन्द्रों और अस्पतालों में सेनेटरी नेपकिन्स मुफ्त उपलब्ध कराए जाएं।

- जिला चिकित्सा अधीक्षक द्वारा यह अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अस्पताल और वार्डों तथा शौचालयों और अधिक सफाई हो और अन्य सुविधाएं समुचित रूप से उपलब्ध हों।

- जैसा कि अस्पताल के एक रोगी द्वारा बताया गया था, जिला प्रशासन द्वारा यह अनिवार्यत: सुनिश्चित किया जाए कि क्या जिला अस्पताल आने वाले रोगियों के लिए अस्पताल भवन के साथ लगते (अस्पताल के अन्दर) मेडीकल स्टोर से दवाएं खरीदना अपेक्षित है।

- जिला चिकित्सा अधीक्षक अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करे कि अस्पताल का स्टॉफ)दौरा करनेवाले डाक्टरों सहित) हाजिरी रजिस्टरों में नियमित रूप से हस्ताक्षर करे।

- सम्बन्धत विभाग द्वारा, अस्पताल की आवश्यकतानुसार मैकिन्तोश शीटे अनिवार्य रूप से शीघ्र उपलब्ध कराई जाएं।

- जिला प्रशासन द्वारा अपनी राज्य सरकार के माध्यम से आयोग को जिले में बाल विवाह की घटनाओं, जो कि जिला चिकित्सा अधीक्षक, मन्गान जिला अस्पताल के अनुसार स्थानीय समुदायों के बीच आम है, के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट भेजी जाए।

- जिला प्रशासन द्वारा, जिले में अल्कोहल और मन: प्रभावी पदार्थों की जकड़ से पीड़ित व्यक्तियों के लिए जिला और राज्य में उपलब्ध चिकित्सीय और मनोवैज्ञानिक तन्त्र के बारे में एक रिपोर्ट आयोग को अवश्य भेजी जाए।

- राज्य सरकार द्वारा “सिक्किमनशा-रोधी अधिनियम, 2006” की एक प्रति आयोग को भेजी जाए ताकि वह इस अधिनियम के प्रावधानों का अध्ययन यह सुनिश्चित करने के लिए कर सके कि कहीं ये नशा करने वाले व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं करते, जैसा कि आयोग के 24-29 जून, 2014 के दौरे के दौरान आयोजित की गई एक कार्यशाला में एक गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों द्वारा इंगित किया गया था। .

- राज्य सरकार द्वारा, आयोग को सन्दर्भित अधिनियम के तहत गिरफ्तार/नज़रबंद किए गए व्यक्तियों, विशेषकर विद्यार्थियों, यदि कोई हों, के आंकड़े उपलब्ध कराए जाएं।

पेंटॉक आईसीडीएस केन्द्र, मन्गन

प्रेक्षण

- कुल मिलाकर आईसीडीएस केन्द्र अच्छी हालत में था। जहां बच्चों की कक्षाएं हैं, दौरे के दिन वे अच्ठी तरह से साफ किए गए थे।

- आईसीडीएस केन्द्र का समय प्रात: 10.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक है1 केन्द्र में 03-06 वर्ष की आयु के 19 बच्चे रजिस्टर्ड हैं। इसके अतिरिक्त, 40 किशोर लड़किया और स्तनपान कराने वाली 07 महिलाएं भी रजिस्ट्र्ड हैं।

- आईसीडीएस केन्द्र का सहायक भोजन पकाता है और उसे केन्द्र में रजिस्टर्ड बच्चों को बांटता है। बच्चों को प्रात: (लभग 10:30 बजे)छूध दिया जाता है और दोपहर में खिचड़ी (दाल, चावल और सब्जियों वाली) दी जाती है।

- केन्द्र द्वारा, केन्द्र में पंजीकृत किशोर लड़कियों, स्तनपान कराने वाली और गर्भवती महिलाओं तथा 0-3 वर्ष तक के बच्चों को ले-जाए-जाने वाले पूरक आहार के पैकेट (निबल मात्रा 2.5 कि.ग्रा. प्रति पैकेट) उपलब्ध कराए जाते हैं। लड़कियों और महिलाओं के पूरक आहार के पैकेटों में चावल, चना, मुंगफली, चीनी और सोयाबीन होता है। इसके अतिरिक्त, 0-3 वर्ष तक के बच्चों के पूरक आहार के पैकेटों में बिस्कुटों के 06 पैकेट प्रतिमाह दिए जाते हैं। तथापि, आईसीडीएस कार्यकर्ता के अनुसार पिछले दो महीनों से केन्द्र को इस पूरक आहार की आपूर्ति प्राप्त नहीं हुई है जिसके परिणामस्वरूप इस केन्द्र में पंजीकृत महिलाओं, बच्चों (0-3 वर्ष) और किशोर लड़कियों को पूरक आहार नही दिया जा सका।

- आईसीडीएस केन्द्र में एक शौचालय/वॉशरूम था। शौचालय में चलते पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। शौचालय में एक पानी से भरी प्लास्टिक की बाल्टी, एक प्लॉस्टिक का मग और और साबुन रखा हुआ था। चलते पानी की व्यवस्था के अतिरिक्त, शौचालय/वॉशरूम उचित हालत में था।

- आईसीडीएस कार्यकर्ता द्वारा हाजिरी, वृद्धि चार्ट सहित बच्चों के बारे में रिकार्ड का रख-रखाव समूचितरूप से किया जा रहा है। वह बच्चों की लम्बाई का रिकार्ड नहीं रख परा रही है क्योंकि उसके पास इस प्रयोजनार्थ कोई

फीता या अन्य कोई उपकरण नहीं है। इसके अतिरिक्त, स्टॉक रजिस्टरों का रख-रखाव सर्तकतापूर्वक किया जा रहा है।

- ऐसा प्रतीत हुआ कि केंद्र को चलाने में सामुदायिक भागीदारी का स्तर बहुत अधिक था। दल को सूचित किया गया कि केंद्र पर पंजीकृत बच्चों के अभिभावकों, पंचायत के एक प्रतिनिधि, आशा कार्यकर्ताओं, आईसीडीएस केंद्र के कार्यकर्ता और हैल्परों के साथ अन्य बातों के साथ, केंद्र के कार्यकरण तथा समस्याओं, यदि कोई हो, पर विचार-विमर्श करने के लिए प्रत्येक माह के पहले शनिवार को एक बैठक आयोजित की जाती है।

- आईसीडीएस केंद्र पर सब्जियों का एक छोटा बाग स्थित है जहां पर मौसमी सब्जियां तथा फल उगाए जाते हैं। आईसीडीएस केंद्र के हैल्परों द्वारा ये सब्जियां और फल बच्चों को उनके दैनिक भोजन के तौर पर दिए जाते हैं।

- आईसीडीएस केंद्र पर बिजली की आपूर्ति नहीं है। एनएचआरसी दल के साथ जुड़े हुए सीडीपीओ ने सूचित किया कि पूरे उत्तरी जिले में किसी भी आईसीडीएस केंद्र पर बिजली की आपूर्ति नहीं है।

- आईसीडीएस केंद्र के कार्यकर्ता ने बताया कि वर्तमान में, प्रत्येक बच्चे पर होने वाले व्यय की राशि 6/- रूपये प्रति बच्चे की दर से प्रदान की जा रही है। तथापि, दूध, राशन एवं ईंधन की उच्च कीमतों को देखते हुए, आईसीडीएस केंद्र के कार्यकर्ता ने बताया कि प्रत्येक बच्चे पर होने वाले व्यय को बढा कर कम से कम 25/- रूपये [दूध के लिए 10/- रूपये तथा राशन एवं ईंधन के लिए 15/- रूपये] किया जाना चाहिए।

- आईसीडीएस कार्यकर्ता ने बताया कि राशन को स्थानीय बाजार से उधार में लिया जाता है तथा संबंधित विभाग से बिलों की मंजूरी मिलने के उपरांत उधार का भुगतान किया जाता है। तथापि, बिलों को मंजूरी मिलने में दो-तीन माह का समय लगता है जिससे बहुत असुविधा होती है।

- दौरे के दिन उपस्थित 19 बच्चों में से, 3 बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र की यूनिफॉर्म पहने हुए थे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने टीम को सूचित किया कि राज्य सरकार ने सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत बच्चों को यूनिफॉर्म उपलब्ध करा चुकी है। तथापि, ये यूनिफॉर्म पिछली बार वर्ष 2008 में उपलब्ध कराई गई थीं। उसने व्यक्ति किया कि राज्य सरकार द्वारा सभी आंगनवाड़ी/आईसीडीएस केंद्रों पर नई यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जानी चाहिए चूंकि इससे परिवार अपने बच्चों को आईसीडीएस केंद्रों पर भेजने के लिए प्रोत्साहित होंगे। आईसीडीएस केंद्र के कार्यकर्ता ने महसूस किया कि इन यूनिफॉर्म का प्रावधान न होने के कारण, अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजने की ओर अधिक प्रवृत्त हैं।

- केंद्र में एक कार्यशील आईसीडीएस भारोत्तोलन उपकरण था।

- केंद्र को नवीन डब्ल्यू.एच.ओ. वृद्धि चार्ट (ग्रोथ चार्ट) भी उपलब्ध कराया जा चुका है जिसे कार्यकर्ताओं द्वारा प्रत्येक बच्चे के लिए आंकड़ें तैयार करने तथा उसका पोषण निर्धारित करने में उपयोग किया जाता है। आईसीडीएस केंद्र के कार्यकर्ता ने बताया कि केंद्र पर पंजीकृत कोई भी बच्चा कुपोषित नहीं था तथा वे सभी 'सामान्य' पोषण श्रेणी में आते हैं।

- आईसीडीएस केंद्र की कार्यकर्ता ने बताया कि उसे 5200/- प्रति माह की दर से जबकि हैल्पर को 3000/- रूपये प्रति माह की दर से मानदेय प्राप्त होता है।

- आईसीडीएस केंद्र की कार्यकर्ता ने बताया कि वह और केंद्र का हैल्पर, दोनों, गंगटोक, सिक्किम में स्थित आईसीडीएस प्रशिक्षण केंद्र पर नियमित प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

- केंद्र के रसोईयां खाना बनाने में एल.पी.जी. गैस को इस्तेमाल करते हैं। एल.पी.जी. गैस के सिलेंडर स्थानीय बाजार से उधार पर लिए जाते हैं तथा जैसे ही संबंधित विभाग से बिलों को मंजूरी दे दी जाती है उनका भुगतान कर दिया जाता है।

- बच्चों को उनके भोजन के लिए आईसीडीएस केंद्र द्वारा स्टील प्लेट्स तथा गिलास उपलब्ध कराए गए हैं।

सिफारिशें

- वर्तमान में बिजली की गैर-आपूर्ति वाले अन्य केंद्रों सहित पैंटोक आईसीडीएस केंद्र, मन्गन को जिला प्रशासन द्वारा बिजली की आपूर्ति उपलब्ध कराए जाने की अत्यंत आवश्यकता है।
- राशन तथा ईंधन की कीमतों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, राज्य प्रशासन को एक आंकलन तैयार करना चाहिए तथा भारत सरकार के साथ परामर्श करके प्रति व्यक्ति व्यय में सुविधानुसार बढ़ोतरी करनी चाहिए।

- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आईसीडीएस केंद्र के कार्यकर्ताओं, हैल्परों तथा पर्यवेक्षकों को, आईसीडीएस केंद्रों से संबंधित, केंद्र तथा राज्य सरकारों की सामाजिक कल्याण नीतियों में हुए नवीनतम विकास के संबंध में अद्यतन बनाए रखने के लिए नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए तथा उनके कार्यकरण/कर्त्तव्य के अधिक प्रभावी निर्वहन को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें नियमित कौशल प्रशिक्षण दिया जाए।

- स्थानीय प्रशासन/संबंधित विभाग/एजेंसी द्वारा पानी की आवधिक और नियमित जांच की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पेयजल पीने के लिए सुरक्षित/अच्छी गुणवत्ता का है तथा डब्ल्यू.एच.ओ. के मानकों को पूरा करता है। वैकल्पिक रूप से, आईसीडीएस केंद्रों को संबंधित केंद्रों के लिए पर्याप्त क्षमता वाले वाटर फिल्टर उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

- आईसीडीएस केंद्रों द्वारा प्रायोजित तथा केंद्रों द्वारा उपलब्ध कराए जाने के लिए अपेक्षित, मूल सेवाएं जैसे कि पूरक पोषाहार, रेफरल सेवाएं, प्री-स्कूल अनौपचारिक शिक्षा, पोषाहार तथा स्वास्थ्य संबंधी सूचना आईसीडीएस केंद्रों के परिसर में मुख्य रूप से प्रदर्शित की जानी चाहिए।

सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय, मन्गान

निरीक्षण

- सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय, मन्गान में विद्यार्थियों की कुल संख्या 1,016 है, जो कि कक्षा XII तक का एक सहशिक्षा विद्यालय है। विद्यालय की अध्यक्षता श्रीमती शेरिंग भूटिया, प्रधानाध्यापक द्वारा की जाती है।

- यह नोट करते हुए हर्ष हुआ कि VIIIवीं स्टैंडर्ड तक के बच्चों को वर्ष में एक बार स्कूल बैग, टेक्स्ट बुक, नोट बुक सहित स्कूल यूनिफॉर्म (जूते, मोजे तथा स्वेटरों सहित) उपलब्ध कराई जाती हैं।

- हालांकि लड़कियों एवं लड़कों के लिए पर्याप्त संख्या में शौचालय उपलब्ध थे, परंतु दौरे के दिन शौचालय गंदे थे। शौचालयों में जल आपूर्ति नहीं थी, विद्यार्थियों को शौचालय में पानी का उपयोग करने के लिए शौचालय ब्लॉक के बाहर रखे ड्रम से पानी भरने की आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों को अपने हाथ धोने के लिए वासबेशिन या साबुन की व्यवस्था भी नहीं थी। इसके अतिरिक्त, लड़कियों के लिए शौचालय पहाड़ी से 200 मीटर नीचे स्थित था।

- विद्यार्थियों को विशुद्ध/फिल्टर किया हुआ पानी उपलब्ध नहीं था। वे ऊंचाई पर स्थित वाटर टैंक के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने वाला नल का पानी पीते हैं। विद्यालय की प्रधानाध्यापक ने टीम को सूचित किया कि विज्ञान एवं तकनीकी विभाग द्वारा एक वॉटर प्यूरीफायर स्वीकृत किया गया है और उसे विद्यालय के प्रशासनिक खंड में शीघ्र ही स्थापित कर दिया जाएगा।

- वर्तमान में मिड-डे-मील के लिए विद्यालय को उपलब्ध कराया जा रहा प्रति व्यक्ति व्यय `05 (माध्यमिक विद्यालय के लिए) तथा `03.50 (प्राथमिक विद्यालय के लिए) है। प्रधानाध्यापक ने बताया कि उक्त राशि को कम से कम `08 प्रति बच्चे तक बढ़ाया जाना चाहिए।

- मिड-डे-मील स्थानीय स्व-सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों (पुरूष और स्त्री) द्वारा तैयार किया जाता है। विद्यालय भवन में रसोईघर उपलब्ध नहीं है; खुले में, टिन की चादरों से निर्मित एक अस्थायी झोपड़ी स्थापित की गई है जहां भोजन बनाया जाता है।

- हालांकि, चावल संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं किंतु मिड-डे-मील के आवश्यक अन्य वस्तुएं जैसे कि सब्जियां, दाल और ईंधन की लकड़ियों की अधिप्राप्ति स्व-सहायता समूह (एसएचजी) द्वारा की जाती है। राशन की अधिप्राप्ति के लिए एसएचजी को विद्यालय द्वारा तिमाही आधार पर भुगतान किया जाता है।

- रसोईयों ने बताया कि विद्यालय द्वारा उन्हें `1000 का मासिक मानदेय दिया जाता है। तथापि, यह देखते हुए कि भोजन दो व्यक्तियों द्वारा तैयार किया जाता है, प्रति व्यक्ति राशि मात्र 500 रूपये ही प्राप्त होती है। रसोईयों ने बताया कि उन्हें कम से कम '2500 का मासिक मानदेय दिया जाना चाहिए।

- कक्षाएं क्षमता से अधिक भरी हुई प्रतीत हुई। इसके अतिरिक्त, लगभग 60-70 बच्चों के लिए कक्षागृह में दीवार पर टंगा हुआ केवल एक पंखा है, इससे कमरे में घुटन होती है।

- अधिकांश बच्चे, जिनसे टीम ने बातचीत की, ने बताया कि विद्यालय में शारीरिक दंड एक रीति है और अध्यापक बच्चों, विशेषकर, पुरूष छात्रों को पीटने के लिए बांस की छड़ी का इस्तेमाल करते हैं।

सिफारिशें

- दौरे के दिन, शौचालय अत्यंत गंदे पाये गए और उनकी सफाई की स्पष्ट आवश्यकता है। यह सुझाव दिया गया कि विद्यालय के परिसर, शौचालयों तथा कक्षागृहों की सफाई तथा रखरखाव हेतु विद्यालय द्वारा प्राथमिक तौर पर एक पूर्णकालिक सफाई कर्मचारी की नियुक्ति की जानी चाहिए।

- जिला प्रशासन द्वारा, विद्यालय के शौचालयों में शीघ्र ही पानी की सुचारू आपूर्ति का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है।

- विद्यालय को शौचालय खंड तथा कक्षागृहों में भी बेकार कागजों हेतु डिब्बों की व्यवस्था करनी चाहिए।

- कक्षा गृहों में अत्यंत सघनता के पहलु का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, विद्यालय द्वारा सभी कक्षागृहों में छत वाले पंखे (सीलिंग फैन्स) उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

- जब तक स्वीकृत वॉटर प्यूरीफायर कार्यशील नहीं हो जाता, स्थानीय प्रशासन/संबंधित विभाग द्वारा पानी की आवधिक और नियमित जांच कराई जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पेयजल पीने के लिए सुरक्षित है।

- वर्तमान में मिड-डे-मील के लिए विद्यालय को उपलब्ध कराई जा रही राशि की दर प्रति बच्चा 05 रूपए (माध्यमिक विद्यालय के लिए) तथा 03.50 रूपए (प्राथमिक विद्यालय के लिए) है। प्रधानाध्यापक ने बताया कि

उक्त राशि की दर को बढ़ाकर कम से कम 08 रूपए प्रति बच्चा किया जाना चाहिए। विगत में, राशन तथा ईंधन की कीमतों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, राज्य प्रशासन को एक आंकलन तैयार करना चाहिए तथा प्रति बच्चे पर होने वाले व्यय में सुविधानुसार बढ़ोतरी करनी चाहिए।

- विद्यालय द्वारा, अतिशीघ्र विद्यालय परिसर में एक पक्के रसोईघर के निर्माण के लिए स्थान का निर्धारण किया जाना चाहिए। रसोईघर के निर्माण हेतु अपेक्षित निधियां उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा जिला प्रशासन को निदेश दिए जाने चाहिए।

- जिला प्रशासन द्वारा, रसोईयों/स्व-सहायता समूह, जो राज्यभर में स्थित विद्यालयों में मिड-डे-मील तैयार अथवा आपूर्ति करते हैं, के लिए स्वीकृत मानदेय में बढ़ोतरी के संबंध में विचार किया जाना चाहिए। ऐसा महसूस होता है कि 1000 रूपये प्रतिमाह की दर से दी जाने वाली वर्तमान राशि वास्तव में अपर्याप्त है।

- जिला प्रशासन द्वारा सभी विद्यालयों को उनके स्टॉफ को शारीरिक दंड निषिद्ध करने के संबंध में आवश्यक निर्देश/दिशानिर्देश जारी करने के निदेश दिये जाने चाहिए।

* * * * *

गंगटोक सिक्किम में मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता एवं मानव अधिकार कार्यक्रम के मूल्यांकन एवं प्रवर्तन की सुविधा के सम्बन्ध में आयोजित कार्यशाला – सिफारिशें और संयुक्त कार्रवाई

(27 जून 2014)

- आईसीडीएस कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणता में सुधार के लिए, मन्गन जिले के जिला कलेक्टर द्वारा राज्य सरकार को एक व्यापक प्रस्ताव इस अनुरोध के साथ भेजा जाना चाहिए कि पूरक पोषक आहार की लागत को पूरा करने के लिए विभागीय निधियों में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। और, तदनुसार, राज्य द्वारा अपने बजट से पूरक पोषक आहार कार्यक्रम के लिए राशि में बढ़ोतरी करने पर विचार करना चाहिए।
- आंगनवाड़ी आने वाले बच्चों को पूरक पोषक आहार कार्यक्रम के तहत दिए जाने वाले आहार में उबले हुए अंडे भी शामिल किए जाने चाहिएं।
- राज्य में आईसीडीएस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार जिला कलेक्टर के साथ-साथ सचिव द्वारा सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों/आईसीडीएस केन्द्रों से वहां पर बिजली और साफ पेयजल की उपलब्धता के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट मंगवाई जानी चाहिए और जहां आवश्यक हो वहां उपचारात्मक उपाय किए जाने चाहिएं।
- राज्य में आईसीडीएस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार सचिव को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को नियमित प्रशिक्षण दिलाने के साथ-साथ पुनश्चर्या प्रशिक्षण भी दिलाया जाए। इन पदाधिकारियों को अभिमुखी और कौशल प्रशिक्षण भी दिलाया जाना चाहिए ताकि उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों का प्रभावी निर्वहन सुनिश्चित किया जा सके।
- नशे की आदत राज्य की एक प्रमुख समस्या है जिसके लिए सिक्किम नशा निषेध अधिनियम, 2006 भी लागू है। यह अधिनियम, नशे के आदीयों तथा तस्करों द्वारा नियन्त्रित पदार्थों के सम्भावित दुरुपयोग को नियन्त्रित, विनियमित और निषिद्ध करता है और इसमें नशीली दवाओं के प्रयोग की निरन्तर बढ़ती बुराई तथा उससे सम्बन्धित मामलों से निपटने के कड़े प्रावधान किए गए हैं। किन्तु इस अधिनियम में तस्करों द्वारा पीडित नशेड़ियों के पुनर्वास और उन्हें मुख्यधारा में पुन: लाने की कोई व्यवस्था नहीं है। राज्य सरकार द्वारा सन्दर्भित अधिनियम में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। इसी बीच, राज्य सरकार द्वारा परामर्शदाताओं की नियुक्तिकी जा सकती है, जो उन्हें व्यसन के मामलो से निपटने में प्रशिक्षित कर सकता है। इसके साथ ही, राज्य सरकार द्वाराकिसी ऐसे गैर सरकारी संगठन का पता भी लगाया जा सकता है जो सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की अल्कोहल एवं नशीली दवाओं के निवारण की केन्द्रीय सहायता स्कीम का लाभ उठा सके और इस प्रकार नशीली दवाओं एवं अल्कोहल की बुराई से निपटने में राज्य सरकार की सहायता कर सके।
- राज्य सरकार द्वारा, राज्य में कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों का प्रचार जानकारी, शिक्षा और संचार कायर्क्रमों के माध्यम से किया जाना चाहिए। इससे पूरे राज्य के अधिक-से-अधिक लोग विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों के अन्तर्गत दिए जा रहे लाभों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

- मन्गान के जिला अस्पताल में मूलभूत नैदानिक उपकरण जैसे ईसीजी, अल्ट्रासाउन्ड, एक्स-रे मशीनें इत्यादि नहीं थीं। उनके पास एम्बुलेंस थी परन्तु वह अकार्यशील थी। राज्य सरकार द्वारा मन्गान अस्पताल के साथ-साथ अन्य जिला अस्पतालों, विशेषकर जो दुर्गम स्थानों पर हैं, में अन्य स्वास्थ्य अवसंरचना और मानवशक्ति का उन्नयन करने सहित इन सभी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि कम से कम आपातकालीन परिस्थितियों में वहां के निवासियों का ध्यान रखा जा सके।

* * * * *

अनुलंग्नक 14 पैरा 18.1

मामलों का विवरण जिनमें हर्जाना/आर्थिक सहायक के भुगतान हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सिफारिशों को केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा स्वीकार करने से मना कर दिया गया

क्रम सं0	मामला संख्या	शिकायत/सूचना प्राप्त	मामले का स्वरूप	सिफारिश/मुआवजे की तिथि	राज्य का नाम	टिप्पणी
1.	2210/12/21/08–09–ईडी	पुलिस अधीक्षक, इंदौर	संयोगिता गंज, इंदौर क्षेत्र में दिनांक 08.03.2009 को पुलिस मुठभेड़ में एक रामसिंह उर्फ दद्दू की मौत	30.04.2014	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश शासन ने आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने से मना कर दिया एवं मामले को बंद कर दिया गया।
2.	26/14/4/08–09–ए.एफ.ई.	थाउन आओजम ओंगबी इबेमचा देवी पत्नी श्री इबोइमा सिंह	दिनांक 01.11.2011 को थाउन आओजम इबोइमा उर्फ सोनू की पश्चिमी इंफाल में पुलिस मुठभेड़ में मौत	28.06.2014	मणिपुर	मणिपुर सरकार ने आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने से मना कर दिया एवं मामले को बंद कर दिया गया।
3.	20087/24/3/2011–पी.सी.डी.	पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़	दिनांक 08.05.2011 को अजीज उर्फ अब्दुल अजीज की अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में पुलिस हिरासत में मौत	10.09.2014	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश शासन ने आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने से मना कर दिया एवं मामले को बंद कर दिया गया।
4.	8324/24/18/08–09–ईडी	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलंदशहर	दिनांक 28.05.2008 को बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में जाटन सिरोही की पुलिस इंकाउंटर में मौत	17.07.2014	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकार की सिफारिश को स्वीकार करने से मना कर दिया। आयोग ने इसकी सिफारिश के अनुसार राज्य सरकार को दोबारा हर्जाने का भुगतान करने को कहा है।
5.	7/99/4/011–पी एफ	प्रो0 डॉ. मिजानूर रहमान	दिनांक 07.01.2011 को पेट्रौल ड्यूटी पर तैनात एक बी.एस.एफ. कांस्टेबल द्वारा फेलानी खातुन नामक एक बंग्लादेशी लड़की की गोली मारकर हत्या जब वह बॉर्डर छेड़ा बी. पी. संख्या 947/3–एस एवं बी. पी. संख्या 948/2–एस. के बीच पार करने की कोशिश कर रही थी।	08.08.2014	बिहार	गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने से मना कर दिया एवं मामले को बंद कर दिया गया।
6.	7477/24/2006–2007	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	दिनांक 22.05.2006 को पुलिस एंकाउंटर में पुलिस के साथ के क्षेत्र पुलिस थाना लंका, वाराणासी में हत्या	18.02.2015	उत्तर प्रदेश	आयोग द्वारा की गई आर्थिक सहायता की सिफारिश पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे वापस लेने की गुहार पर विचार करने के पश्चात् आयोग ने राज्य सरकार के विषय को स्वीकार कर मामले को बंद कर दिया।

अनुलंग्नक 15 पैरा 18.2

मामलों का विवरण जिनमें हर्जाना/आर्थिक सहायक के भुगतान हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सिफारिशों को केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा स्वीकार करने से मना कर दिया गया

क्रम सं0	मामला संख्या	शिकायत/सूचना प्राप्त	मामले का स्वरूप	सिफारिश/मुआवजे की तिथि	राज्य का नाम	टिप्पणी
1.	709/12/17/09–10	शैलेष निगम	सोनू उर्फ भूरा ओझा नामक एक किशोर की मौत जिसे थाना कोतवाली, जिला गुना में चोरी के मामले में उठा लिया गया था।	11.09.2014	मध्य प्रदेश	आयोग की सिफारिश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। आयोग ने राज्य सरकार से अपनी सिफारिश के अनुसार हर्जाने का भुगतान करने को कहा है। (रिट याचिका संख्या 10648/2014)
2.	232/1/10/2014–डब्ल्यू सी	आर. एच. बंसल	तिरूपति से पूर्वी गोदावरी जिले की ओर जाते हुए दिनांक 04.11.2013 को विजयवाड़ा, आन्ध्र प्रदेश में एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार	30.01.2015	आंध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश सरकार ने आयोग के आदेश को हैदराबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी है (रिट याचिका संख्या 10508/2015)
3.	6429/30/2012	आर. एच. बंसल	कुप्रबंधन एवं चिकित्सीय लापरवाही की वजह से कलावती सरन अस्पताल, नई दिल्ली में पिछले पांच वर्ष के दौरान 9000 से ज्यादा बच्चों की कथित मौत	20.10.2014	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने आयोग के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है (रिट याचिका संख्या 9894/2015)

ग्राफ / चार्ट

ग्राफ/चार्ट सं. 1

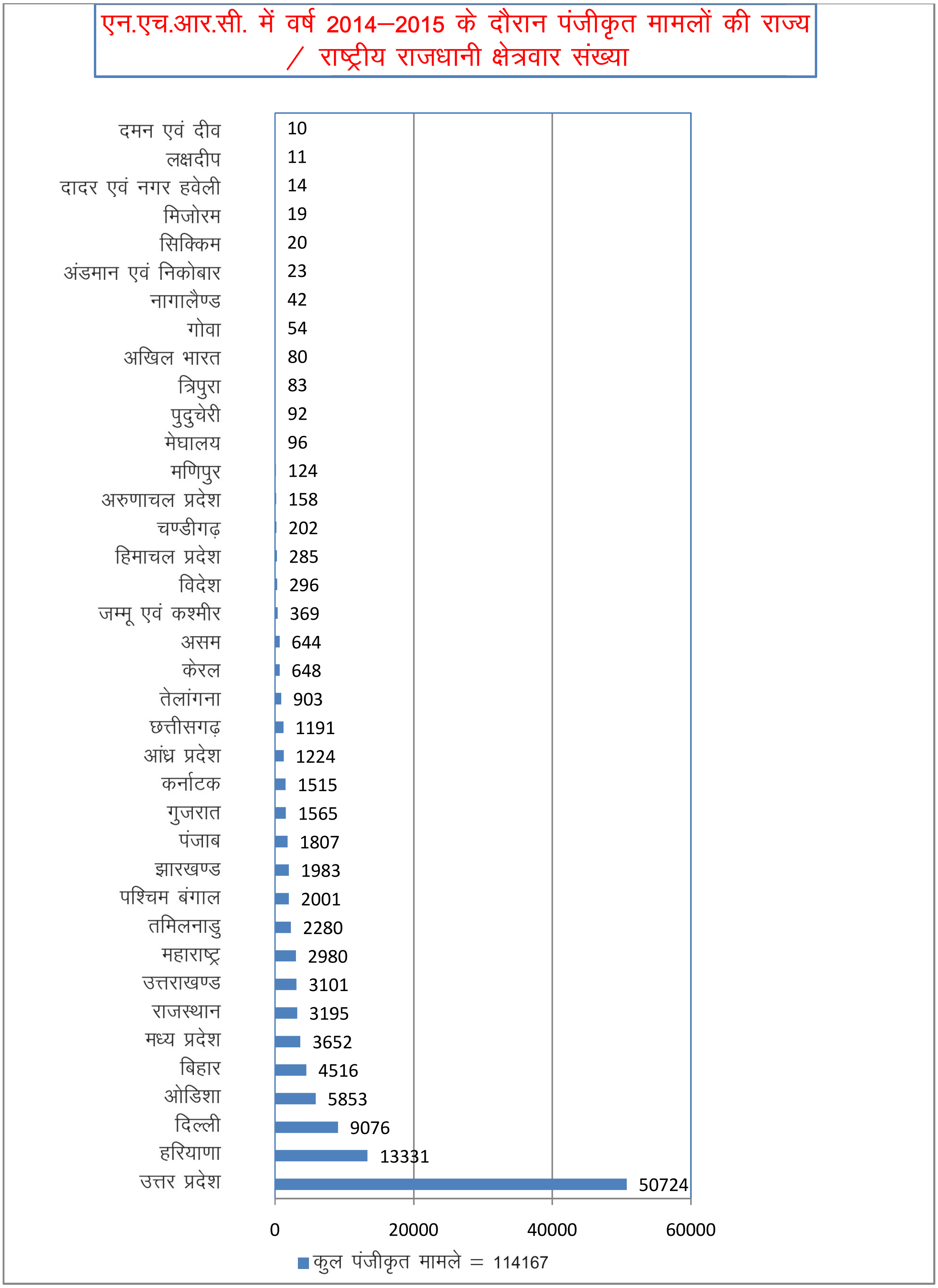
एन.एच.आर.सी. में वर्ष 2014–2015 के दौरान पंजीकृत मामलों की राज्य / राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रवार संख्या
दमन एवं दीव 10
लक्षदीप 11
दादर एवं नगर हवेली 14
मिजोरम 19
सिक्किम 20
अंडमान एवं निकोबार 23
नागालैण्ड 42
गोवा 54
अखिल भारत 80
त्रिपुरा 83
पुदुचेरी 92
मेघालय 96
मणिपुर 124
अरुणाचल प्रदेश 158
चण्डीगढ़ 202
हिमाचल प्रदेश 285
विदेश 296
जम्मू एवं कश्मीर 369
असम 644
केरल 648
तेलांगना 903
छत्तीसगढ़ 1191
आंध्र प्रदेश 1224
कर्नाटक 1515
गुजरात 1565
पंजाब 1807
झारखण्ड 1983
पश्चिम बंगाल 2001
तमिलनाडु 2280
महाराष्ट्र 2980
उत्तराखण्ड 3101
राजस्थान 3195
मध्य प्रदेश 3652
बिहार 4516
ओडिशा 5853
दिल्ली 9076
हरियाणा 13331
उत्तर प्रदेश 50724
0
20000
40000
60000
कुल पंजीकृत मामले = 114167

ग्राफ/चार्ट सं. 2

एन.एच.आर.सी. में वर्ष 2014–2015 के दौरान पंजीकृत मामलों की राज्य / राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रवार संख्या का चार्ट

(कुल पंजीकृत मामले = 114167)

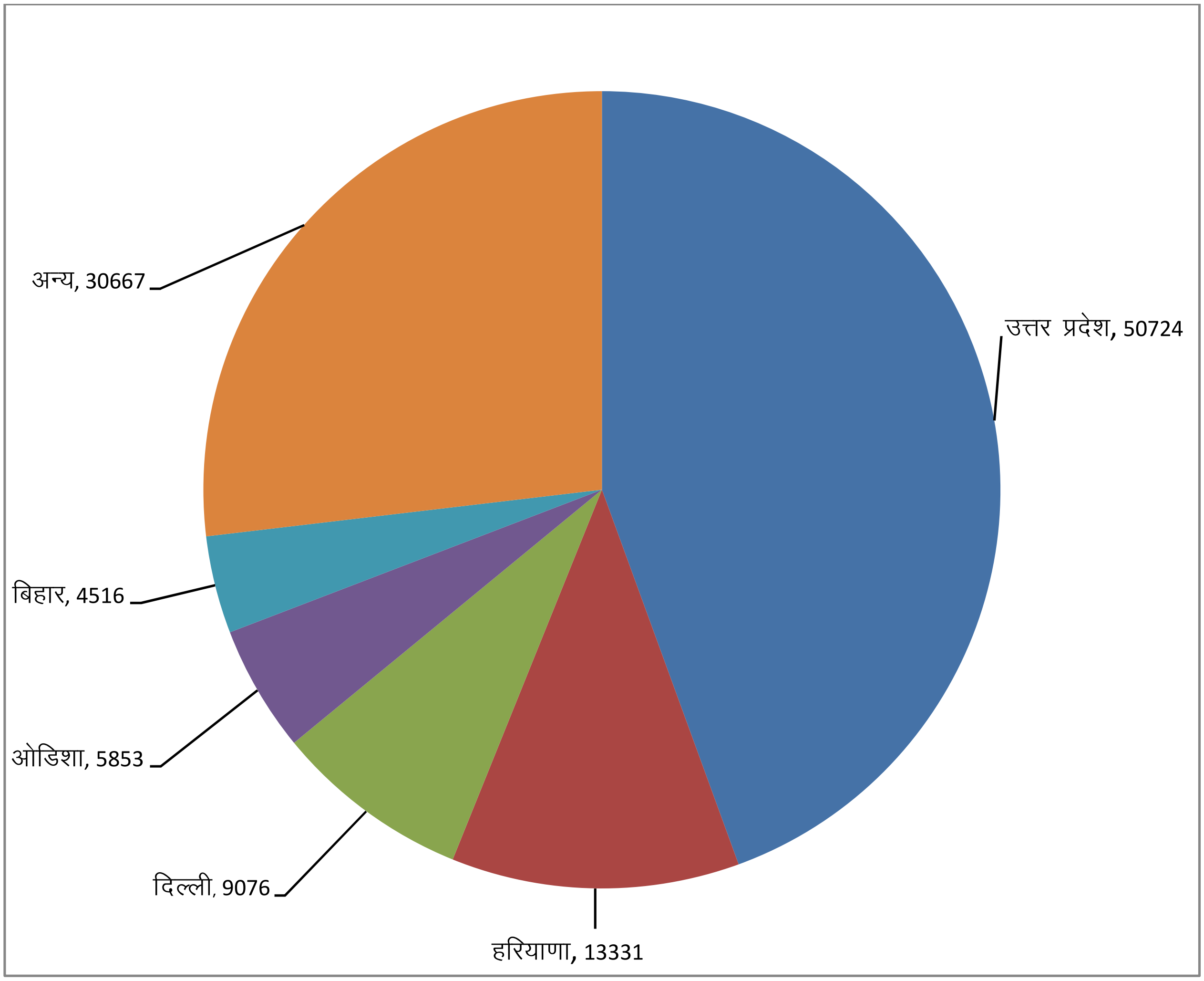

ग्राफ/चार्ट सं. 3

एन.एच.आर.सी. में वर्ष 2014–2015 के दौरान स्वतः संज्ञान से पंजीकृत मामलों की राज्य / राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रवार संख्या का ग्राफ

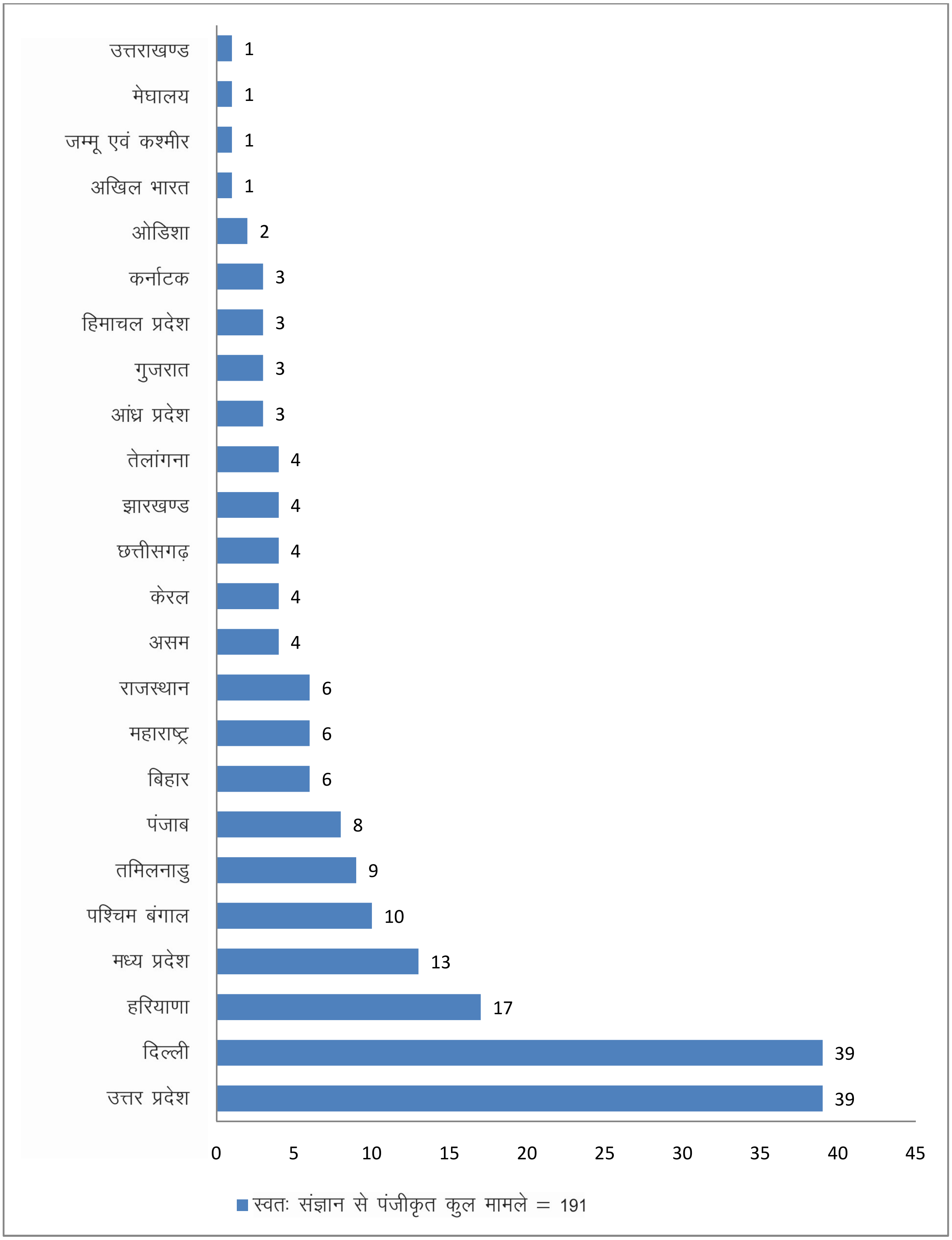

ग्राफ/चार्ट सं. 4

एन.एच.आर.सी. में वर्ष 2014–2015 के दौरान स्वतः संज्ञान से पंजीकृत मामलों की राज्य / राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रवार संख्या का चार्ट

(स्वतः संज्ञान से पंजीकृत कुल मामले = 191)

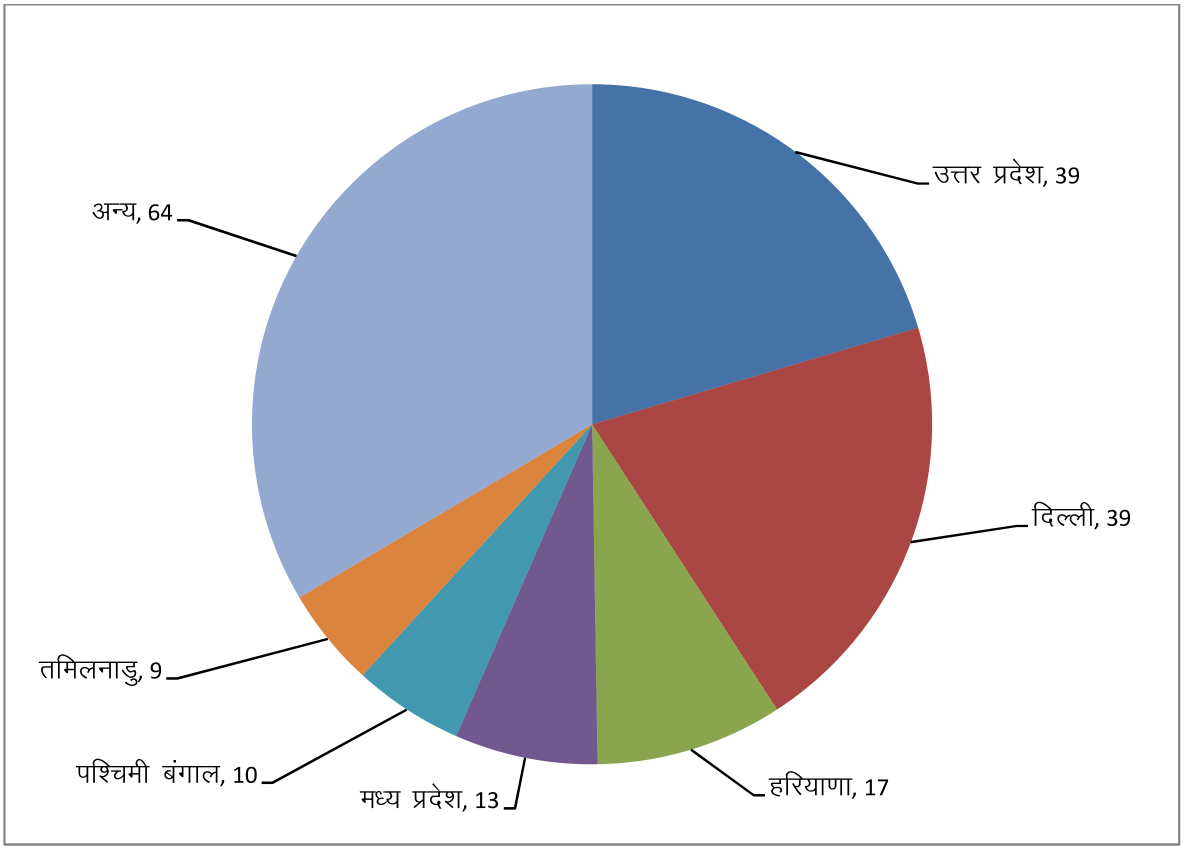

ग्राफ/चार्ट सं. 5

वर्ष 2014–2015 के दौरान हिरासत में मौत / बलात्कार के संबंध में एन.एच.आर.सी. में सूचना के आधार पर पंजीकृत मामलों की राज्य / राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रवार का ग्राफ

कुल मामले = 1722

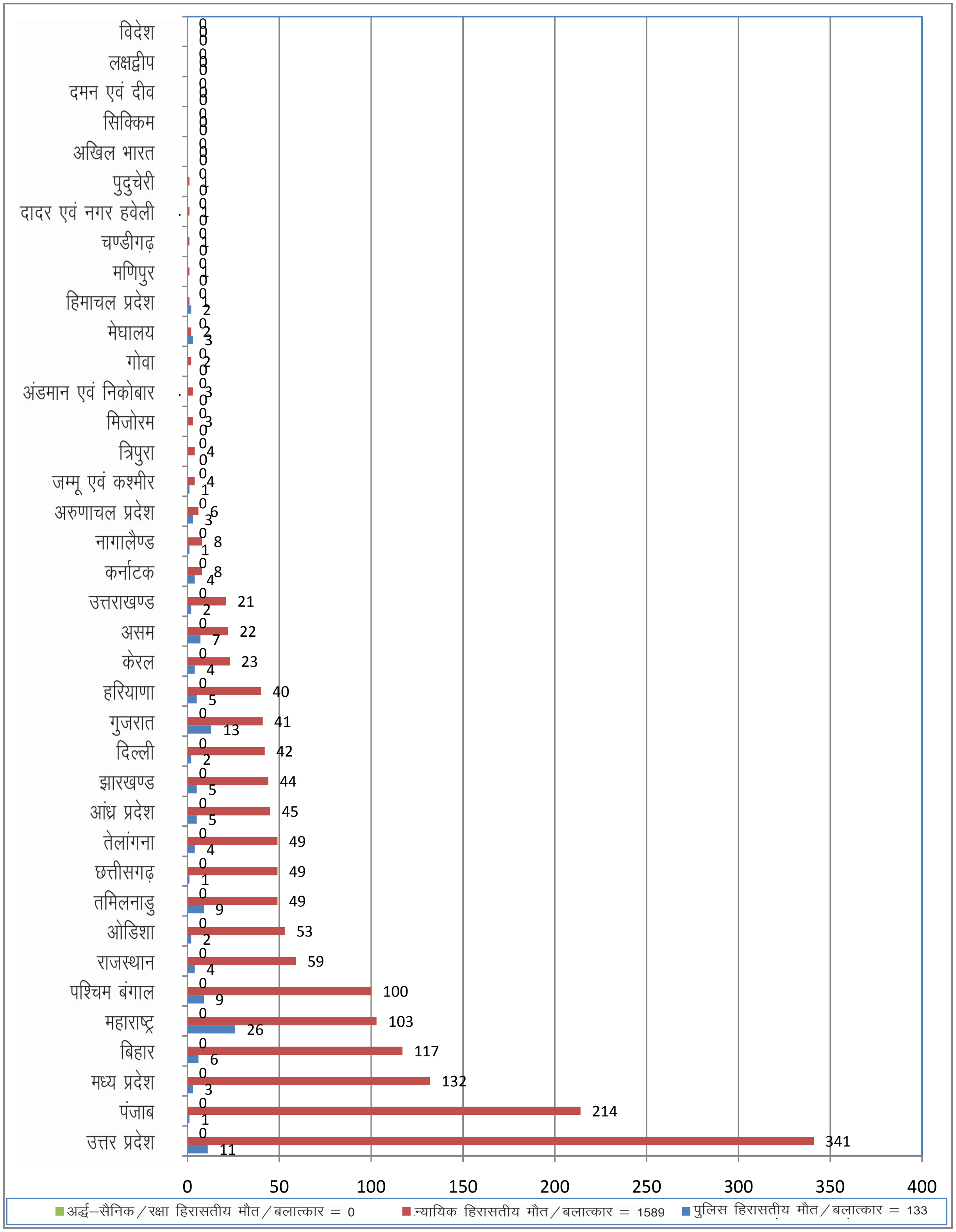

ग्राफ/चार्ट सं. 6

वर्ष 2014–2015 के दौरान न्यायिक हिरासत में हत्या/बलात्कार (न्यायिक) के संबंध में एन.एच.आर.सी. में सूचना के आधार पर पंजीकृत मामलों की राज्य/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रवार चार्ट

(न्यायिक हिरासत में हत्या/बलात्कार (न्यायिक) के कुल मामले = **1589**)

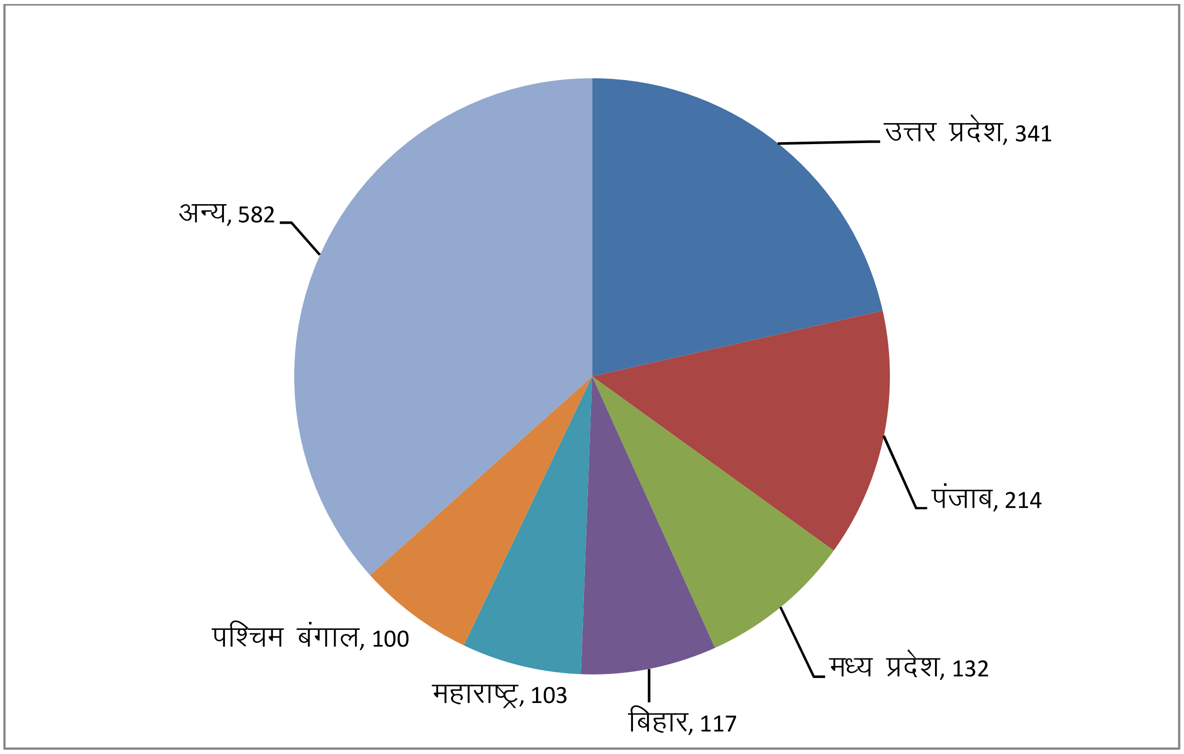

ग्राफ/चार्ट सं. 7

वर्ष 2014–2015 के दौरान न्यायिक हिरासत में हत्या/बलात्कार (पुलिस) के संबंध में एन.एच.आर.सी. में सूचना के आधार पर पंजीकृत मामलों की राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों का क्षेत्रवार चार्ट

(न्यायिक हिरासत में हत्या/बलात्कार (पुलिस) के कुल मामले = 133)

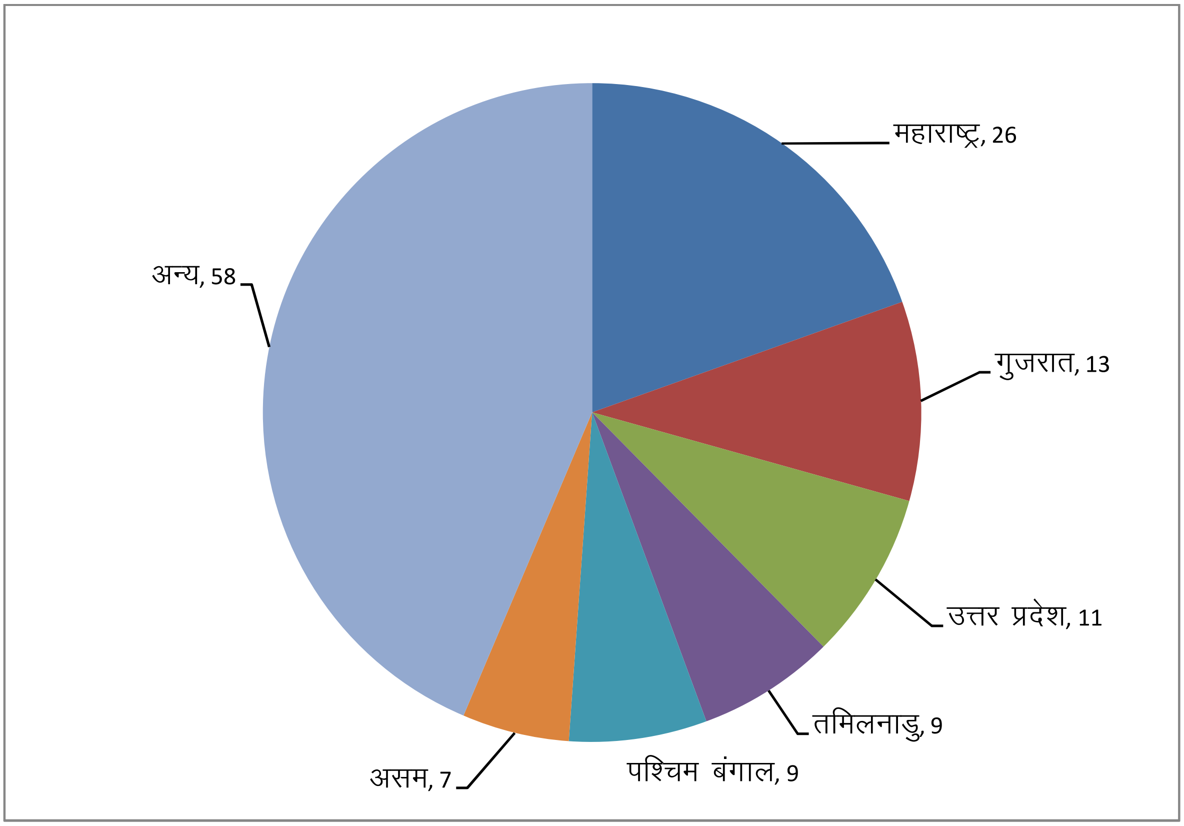

ग्राफ / चार्ट सं. 8

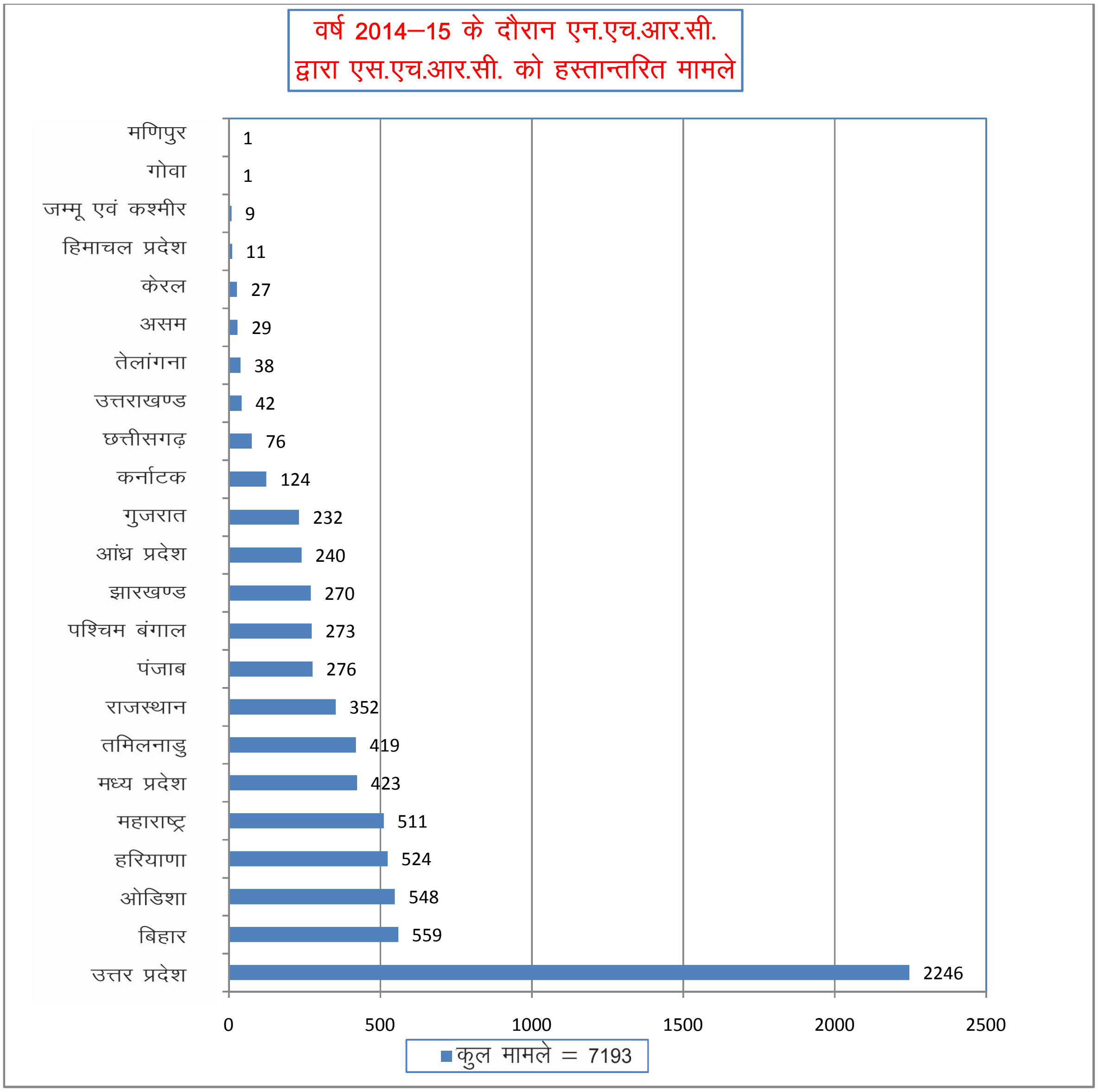

वर्ष 2014–15 के दौरान एन.एच.आर.सी. द्वारा एस.एच.आर.सी. को हस्तान्तरित मामले
मणिपुर 1
गोवा 1
जम्मू एवं कश्मीर 9
हिमाचल प्रदेश 11
केरल 27
असम 29
तेलांगना 38
उत्तराखण्ड 42
छत्तीसगढ़ 76
कर्नाटक 124
गुजरात 232
आंध्र प्रदेश 240
झारखण्ड 270
पश्चिम बंगाल 273
पंजाब 276
राजस्थान 352
तमिलनाडु 419
मध्य प्रदेश 423
महाराष्ट्र 511
हरियाणा 524
ओडिशा 548
बिहार 559
उत्तर प्रदेश 2246
0
500
1000
1500
2000
2500
कुल मामले = 7193

ग्राफ/चार्ट सं. 9

वर्ष 2014–15 के दौरान एन.एच.आर.सी. द्वारा रिपोर्ट किए गए मामलों के निपटान की संख्या पर राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का क्षेत्रवार ग्राफ

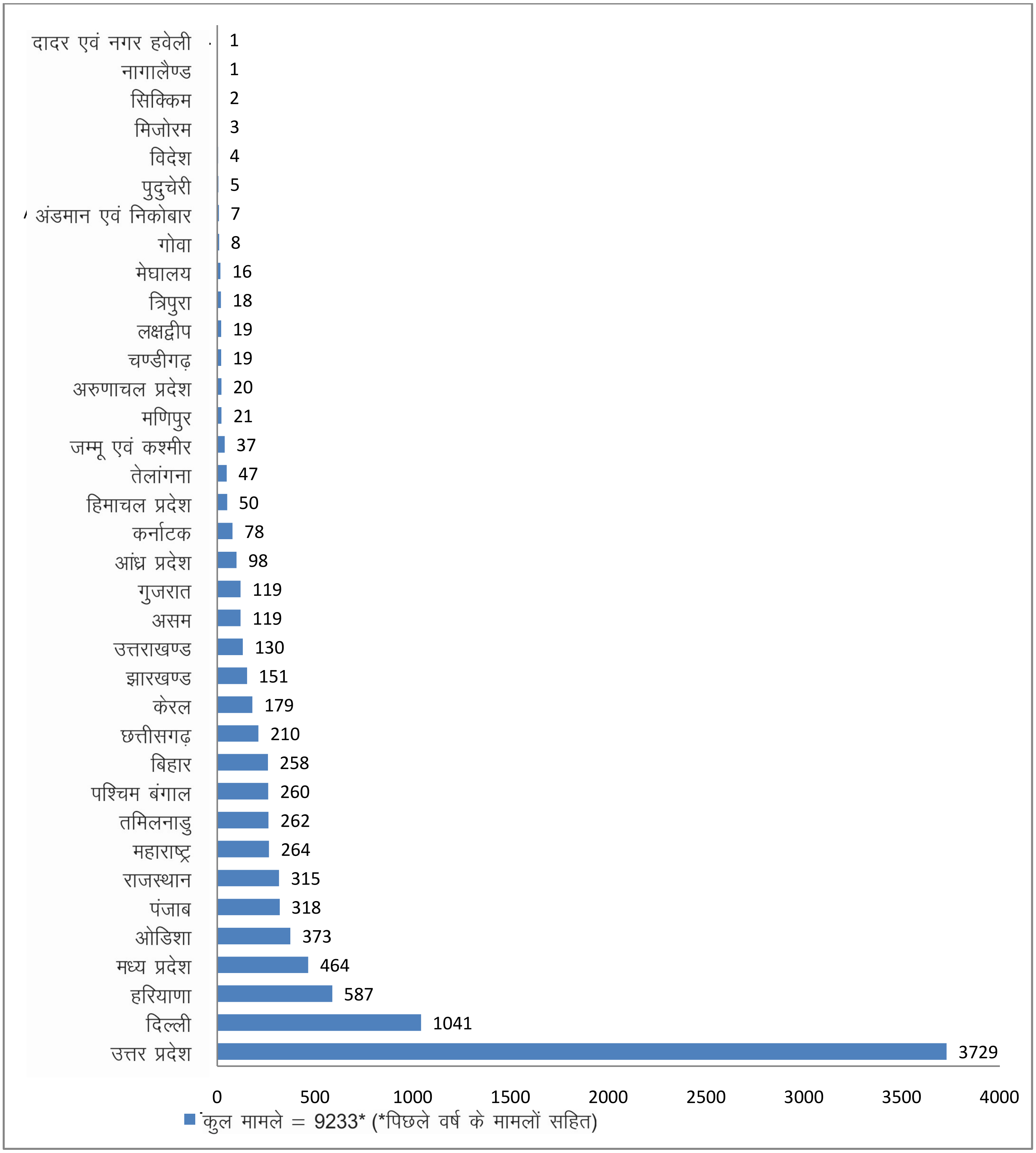

ग्राफ/चार्ट सं. 10

वर्ष 2014–15 के दौरान एन.एच.आर.सी. द्वारा प्रथम दृष्टया खारिज़ मामले

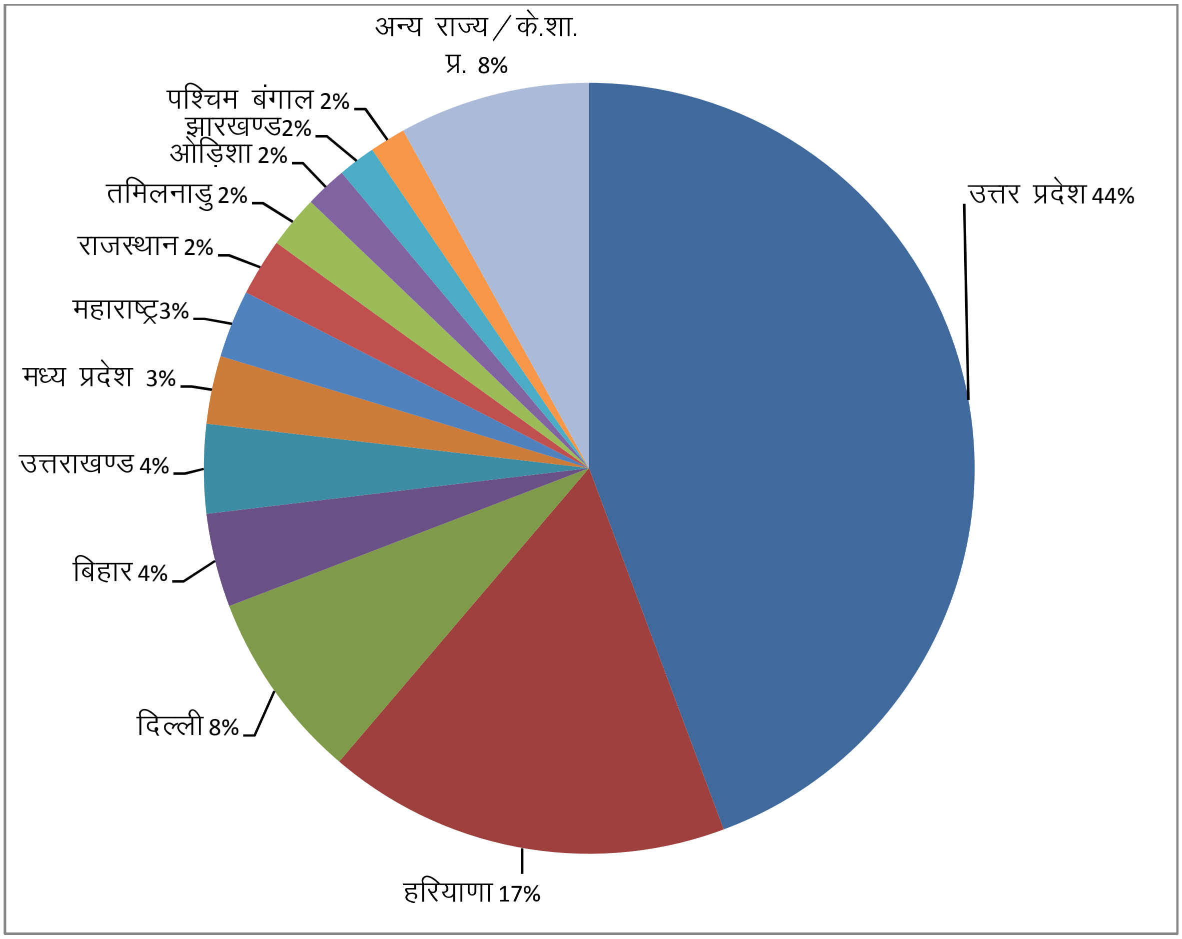

ग्राफ/चार्ट सं. 11

वर्ष 2014–15 के दौरान एन.एच.आर.सी. द्वारा निर्देश सहित (डी डब्ल्यू डी) निपटाए गए मामले

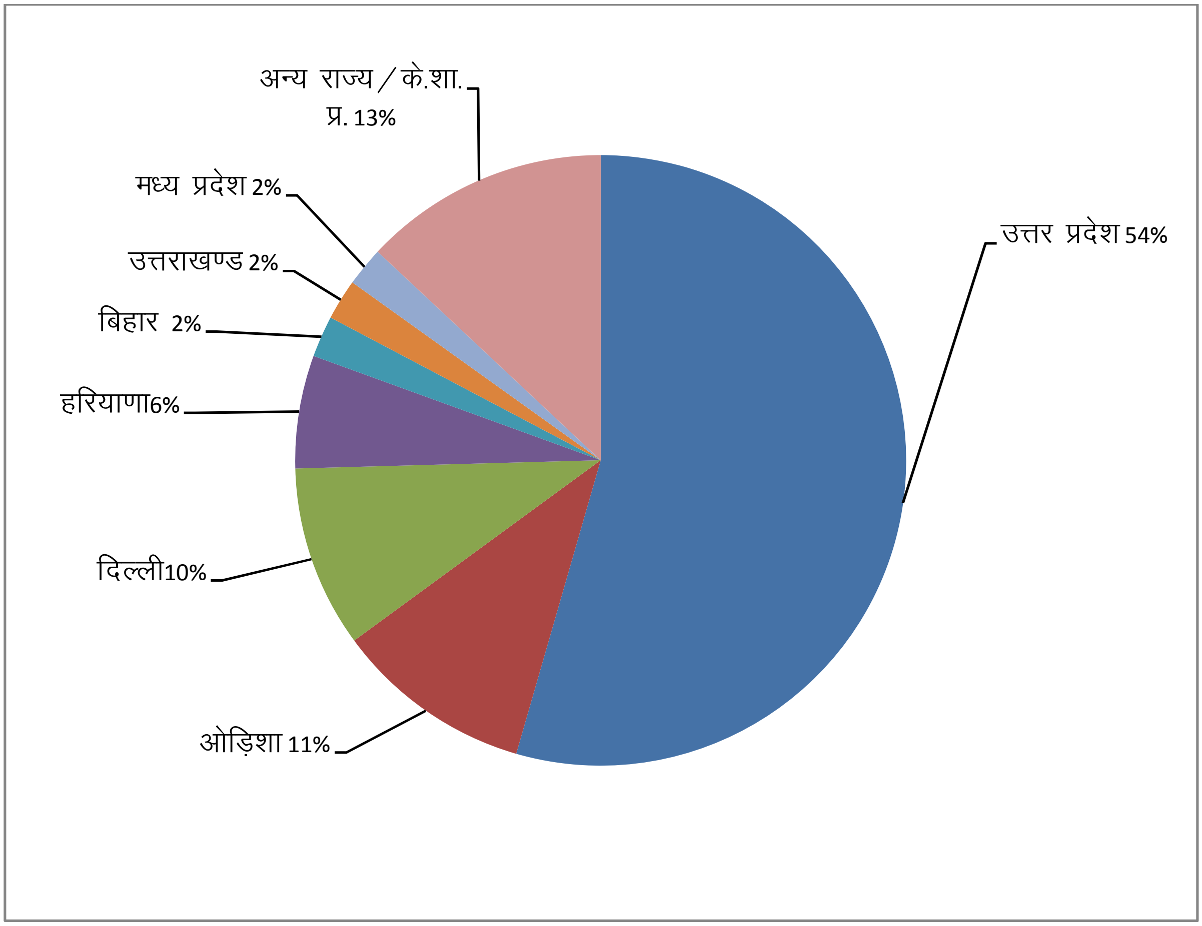

ग्राफ/चार्ट सं. 12

वर्ष 2014–15 के दौरान एन.एच.आर.सी. द्वारा एस.एच.आर.सी को हस्तांतरित मामले

कुल मामले = 7193

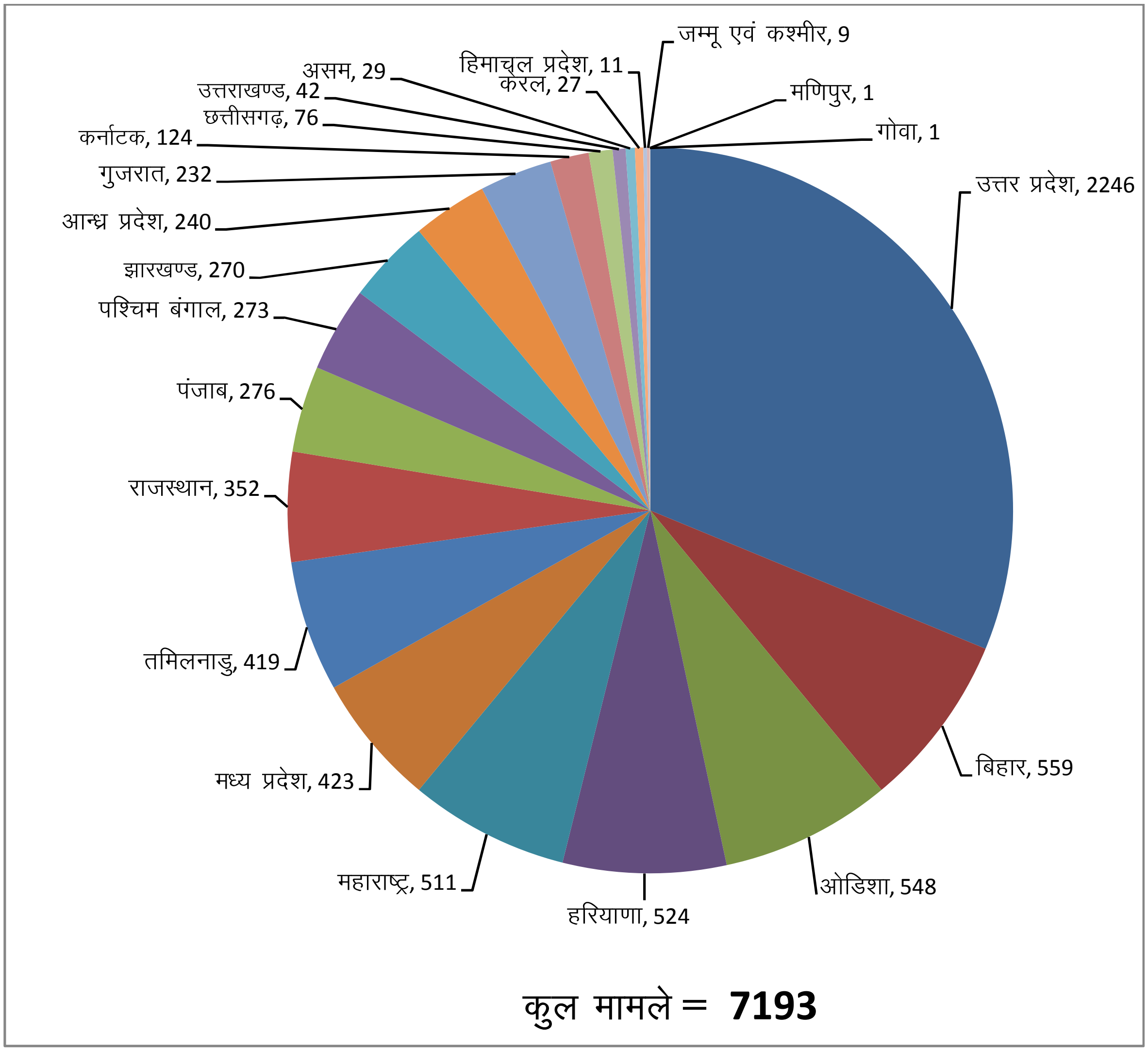

ग्राफ/चार्ट सं. 13

वर्ष 2014–15 के दौरान एन.एच.आर.सी. द्वारा निपटाए गए मामले

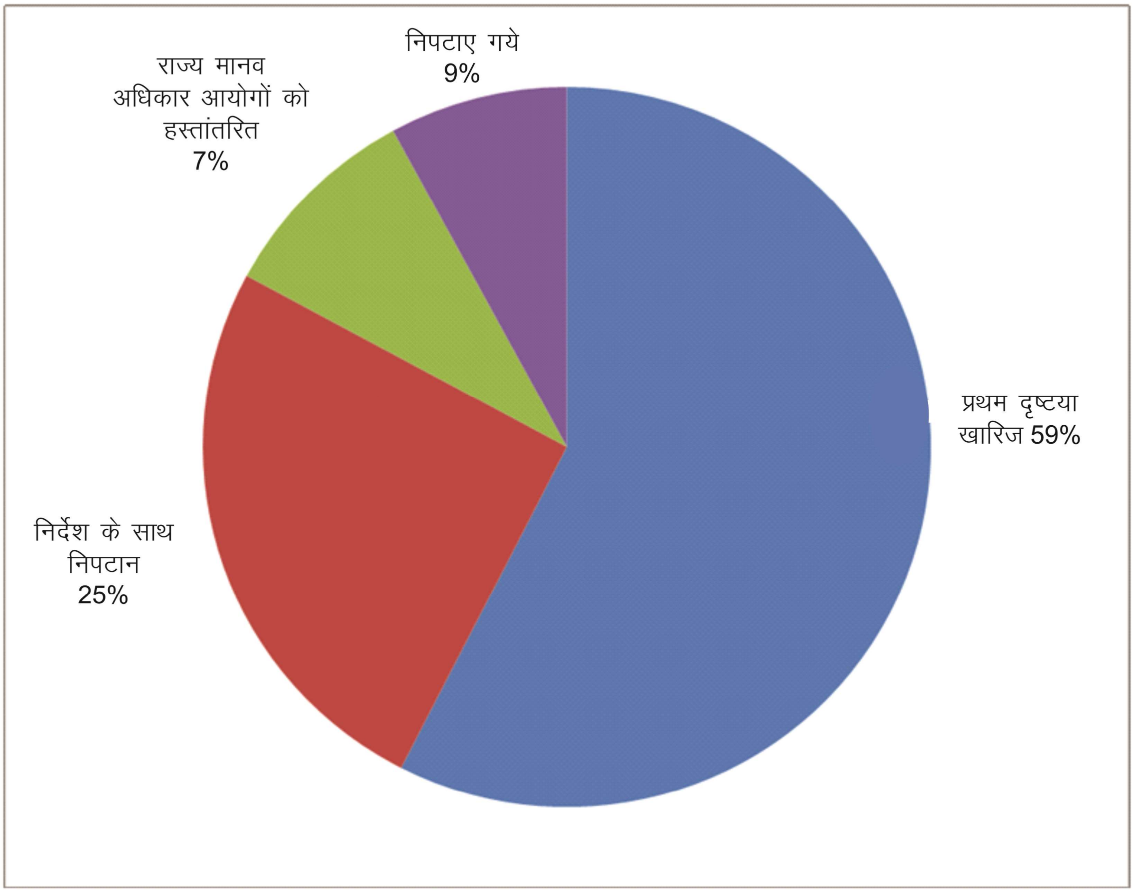

संक्षिप्तियाँ

संक्षिप्तियाँ

ए ए वाई (AAY)	–	अंतोदेय अन्न योजना
ए सी जे एम (ACJM)	–	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अनु0 (Art.)	–	अनुच्छेद
अनु0 (Arts.)	–	अनुच्छेदों
ए टी आर (ATR)	–	की गई कार्रवाई की रिपोर्ट
ए एस आई (ASI)	–	सहायक उप–निरीक्षक
बी पी एल (BPL)	–	गरीबी रेखा के नीचे
सी आर पी सी (Cr. P.C.)	–	दण्ड प्रक्रिया संहिता
CRPF	–	केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल
डी जी पी (DGP)	–	पुलिस महानिदेशक
डी एम (DM)	–	जिला मजिस्ट्रेट / जिलाधिकारी
एफ आई आर (FIR)	–	प्रथम सूचना रिपोर्ट
जी पी एफ (GPF)	–	उपदान भविष्य निधि
एच ई पी (HEP)	–	हाइड्रो–इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट
मुख्या0 (Hqrs.)	–	मुख्यालय
आई ओ (I/O)	–	जांच अधिकारी
सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी (I&PRO)	–	सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी
आई पी सी (I.P.C.)	–	भारतीय दण्ड संहिता
जे सी एल (JCL)	–	विधि के संघर्ष में किशोर
जे जे आर	–	किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम

(JJR)		
एल एफ (LFs)	–	लिंक फाइल
एम ए सी पी (MACP)	–	अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेस
मनरेगा योजना (MGNREG Scheme)	–	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
एन सी आर (NCR)	–	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
एन सी टी (NCT)	–	राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र
ओ बी सी (OBC)	–	अन्य पिछड़ा वर्ग
पी डी एस (PDS)	–	लोक वितरण प्रणाली
पी एच आर ए (PHRA)	–	मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
पी एस (PS)	–	पुलिस स्टेशन
आर/ओ (r/o)	–	निवासी
आर/डब्ल्यू (r/w)	–	सह–पठित
एस एच ओ (SHO)	–	थाना प्रभारी
एस/ओ (s/o)	–	सुपुत्र
एस सी (SC)	–	अनुसूचित जाति
यू एस (u/s)	–	धारा के तहत्
पी सी एण्ड पी एन डी टी ए (PC & PN DT Act)	–	गर्भधारण–पूर्व एवं प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग निर्धारण की रोकथाम) अधिनियम 1994
आर टी ई (RTE)	–	शिक्षा का अधिकार
एस डी एम (SDM)	–	उप–मंडलीय मजिस्ट्रेट
एस एम एस (SMS)	–	लघु संदेश सेवा
एस टी (ST)	–	अनुसूचित जनजाति
यू टी पी	–	विचाराधीन बंदी

(UTP)		
यू एस U/S	–	धारा के अधीन
एस ओ जी (SOG)	–	विशेष संचालन समूह
एस ओ पी (SOP)	–	मानक प्रचालन प्रक्रिया

* * * * *

सर्वे भवन्तु सुखिनः

राष्ट्रीय
मानव अधिकार
आयोग

मानव अधिकार भवन, ब्लॉक - सी, जी.पी.ओ. कॉम्प्लैक्स,
आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023
Email : covdnhrc@nic.in Website: www.nhrc.nic.in

Designed & Printed at : Mittal Enterprises # 9811340726